लोक-सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

(दसवां सत्र)

PARL... LIBRARY
Acc. No. 52(19)2
Date 23. 2. 83

खंड 32 में अंक 1 से 10 तक है)

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

विषय-सूची

(सप्तम माला, खण्ड 32, दसवां सत्र 1982/1904 (शक))

अंक 1, सोमवार, 4 अक्तूबर, 1982/12 आश्विन, 1904 (शक)

विषय	पृष्ठ
निधन सम्बन्धी उल्लेख :	1—11
नये मन्त्रियों का परिचय :	11—12
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :	12—20
* तारांकित प्रश्न संख्या 1 और 19	12—20
प्रश्नों के लिखित उत्तर :	20—222
तारांकित प्रश्न संख्या : 2 से 18 और 20	20—30
अतारांकित प्रश्न संख्या : 1 से 6, 8 से 24, 26 से 28, 30 से 40, 43 से 49, 51 से 66, 69 से 88, 90 से 117, 119 और 121 से 207	39—222
सभा पटल पर रखे गए पत्र	222
अविलंबनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	231
इन्सेट-1 ए उपग्रह का असफल होना	231
श्री राजेश कुमार सिंह	231
श्री सी० पी० एन० सिंह	231
श्री चन्द्रजीत यादव	239
श्री रामविलास पासवान	248
श्री हरिकेश बहादुर	249
बाढ़ की स्थिति के बारे में वक्तव्य	252
श्री केदार पाण्डे	252
देश के विभिन्न भागों में बाढ़ और सूखे की स्थिति के बारे में वक्तव्य	259
श्री राव बीरेन्द्र सिंह	259

* किसी नाम पर अंकित †चिन्ह इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

विषय	पृष्ठ
1982-83 के लिए धान और खरीफ के मोटे अनाजों के वसूली मूल्य तथा कपास के न्यूनतम मूल्य के बारे में वक्तव्य	266
राव वीरेन्द्र सिंह	266
अमृतसर आयल वर्क्स (उपक्रमों का अर्जन तथा अन्तरण) विधेयक-पुरः स्थापित	267
नियम 377 के अधीन मामले	268
(एक) वाराणसी छावनी के सैनिक अधिकारियों द्वारा एक प्राचीन सड़क को बन्द किए जाने के कारण ग्रामवासियों की कथित दयनीय स्थिति	268
श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री	268
(दो) दिल्ली में शान्तिपूर्ण प्रदर्शनकारियों का प्रदर्शन	268
श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती	268
(तीन) देशी रबड़ उत्पादकों के हित में रबड़ के और अधिक आयात को रोकने की आवश्यकता	269
श्री जार्ज जोसफ मुडाकल	269
(चार) केरल में एशियाई खेलों के प्रसारण के लिए एक माइक्रोवेव चैनल की आवश्यकता	270
श्री वी० एस० विजयराघवन	270
(पांच) राजस्थान में ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रम	270
श्री वृद्धि चन्द्र जैन	270
पूर्त विन्यास (संशोधन) विधेयक	271
विचार करने का प्रस्ताव	
श्री जनार्दन पुजारी	271
श्री सोमनाथ चटर्जी	272
श्री मूलचन्द डागा	27
श्री राजेश कुमार सिंह	276
श्री राम विलास पासवान	277
श्री गिरधारी लाल व्यास	278
श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा	279

विषय	पृष्ठ
श्री हरीश कुमार गंगवार	280
श्री नारायण चौबे	282
खंड 2 और 1	
पारित करने का प्रस्ताव	
थी जनार्दन पुजारी	283
भार की आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक	285
विचार करने का प्रस्ताव	
श्री जनार्दन पुजारी	285
श्री अमल दत्त	286
श्री मूल चन्द डागा	289
श्री राजेश कुमार सिंह	260
श्री रामावतार शास्त्री	291
श्री हरीश कुमार गंगवार	292
श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा	293
खंड 2 और 1	
पास करने का प्रस्ताव	
श्री जनार्दन पुजारी	294
ह्यूस्टन (संयुक्त राज्य अमेरिका) में भारत के राष्ट्रपति को चिकित्सीय जांच के बारे में वक्तव्य	291
श्री बी० शंकरानन्द	291
नौसेना (संशोधन) विधेयक	295
राज्य सभा द्वारा पास किये गए रूप में विचार किए जाने का प्रस्ताव	
श्री के० पी० सिंह देव	295
श्री हन्नान मौल्लाह	297
श्री आर० एस० स्पैरो	299
श्री राजेश कुमार सिंह	300
श्री गिरधारी लाल डोगरा	302
श्री भोगेन्द्र झा	304

विषय	पृष्ठ
खंड 2 से 11 तथा एक	
पास करने का प्रस्ताव	310
श्री हरीश कुमार गंगवार	310
श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती	311
श्री आर० वेंकटरामन	
जम्मू तथा कश्मीर राज्य विधान सभा द्वारा जम्मू तथा कश्मीर में पुनः बसने या स्थायी रूप से वापस आने की अनुमति दिए जाने से संबंधित राज्य विधेयक, 1980 को पास किये जाने के बारे में वक्तव्य	313
श्रीमती इन्दिरा गांधी	
कार्य-मंत्रणा समिति	313
35 वां प्रतिवेदन	
केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की एक और किश्त देने तथा कुटुम्ब पेंशन भोगियों समेत पेंशन भोगियों को राहत देने के बारे में वक्तव्य	314-314
श्री प्रणव मुखर्जी	313

लोक-सभा के लिए निर्वाचित सदस्यों की वर्णानुक्रम सूची

सप्तम लोक-सभा

अ

अंकिनीडू, श्री एम० (मछलीपटनम)
अंकिनीडू, प्रसाद राव, श्री पी० (बापतला)
अग्रवाल, श्री सतीश (जयपुर)
अजीत प्रसाद सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
अन्सारी, श्री जियाउर्रहमान (उन्नाव)
अनवर अहमद, श्री (हापुड़)
अनुरागी, श्री गोदिल प्रसाद (बिलासपुर)
अप्पालानायडू, श्री एस० आर० ए० एस० (अनकापल्ली)
अब्दुल समद, श्री (वेल्लौर)
अब्दुल्ला, डा० फारूक (श्रीनगर)
अब्बासी, श्री काजी जलील (डुमरियागंज)
अमरीन्द्र सिंह, श्री (पटियाला)
अर्जुनन, श्री के० (धर्मपुरी)
अराकल, श्री जेवियर (एरणाकुलम)
अरुणाचलम, श्री एम० (टेंकासी)
अल्लूरी, श्री सुभाष चन्द्र बोस (नरसापुर)
अशफाक हुसैन, श्री (महाराजगंज)
अहमद, बेगम आबिदा (बरेली)
अहमद, श्री गुलशेर (सतना)
अहमद, श्री मोहम्मद असरार (बदायूं)
अहमद, श्री कमालुद्दीन (बारंगल)
अहिरवार, श्री रामप्रसाद (सागर)

आ

आचार्य, श्री बसुदेव (बांकुरा)

आजमी, डा० ए० यू० (जौनपुर)
आजाद, श्री गुलाम नबी (बाशिम)
आजाद, श्री भागवत झा (भागलपुर)
आनन्द सिंह, श्री (गोंडा)
आर्य, श्री कुम्भा राम (सीकर)

इ

इन्द्रवेश, स्वामी (रोहतक)
इन्द्राकुमारी, श्रीमती (अलीगढ़)
इम्बीचीबावा, श्री ई० के० (कालीकट)

ई

ईरा अनवारासु, श्री (चिंगलपट्टू)
ईरा मोहन, श्री (कोयम्बटूर)

उ

उइके, श्री छोटे लाल (मांडला)
उन्नीकृष्णन्, श्री के० पी० (बदागरा)
उरांव, श्रीमती सुमति (लोहारडगा)

ए

एन्थनी, श्री फ्रैंक (नामनिर्देशित—आंग्ल-भारतीय)
एक्का, श्री क्रिस्टोफर (सुन्दरगढ़)

क

कंडास्वामी, श्री एम० (त्रिरुचेंगोडे)
कर्ण सिंह, डा० (ऊधमपुर)
कमलनाथ, श्री (छिन्दवाड़ा)
कमला कुमारी, कुमारी (पलामू)
कर्मा, श्री लक्ष्मण (बस्तर)
करुणानिधि, श्री थाझाई एम० (नागापट्टिनम)
कलानिधि, डा० ए० (मद्रास मध्य)
कश्यप, श्री जयपाल सिंह (अंबला)
काजी सलीम, श्री (औरंगाबाद)
कादरी, श्री एस० टी० (शिमोगा)

काहनडोल, श्री जेड० एम० (मालेगांव)
किदवई, श्रीमती मोहसिना (मेरठ)
कुचन, श्री गंगाधर एस० (शोलापुर)
कुंवर राम, श्री (नवादा)
कुन्हम्बू, श्री के० (कान्नानौर)
कुरियन, प्रो० पी० जे० (मवेलीकारा)
कुलनदईवेलु, डा० वी० (चिदम्बरम)
कृष्ण, श्री एस० एम० (माण्डया)
कृष्णन्, श्री जी० वाई० (कोलार)
कृष्ण प्रताप सिंह, श्री (महाराजगंज)
केन, श्री लाला राम (बयाना)
केयूर भूषण, श्री (रायपुर)
कैलाशपति, श्रीमती (मोहनलालगंज)
कोचक, श्री गुलाम रसूल (अनन्तनाग)
कोडियन, श्री पी० के० (अडूर)
कोसलराम, श्री के० टी० (त्रिरुचेंदूर)
कौशल, श्री जगन्नाथ (चंडीगढ़)
कौल, श्रीमती शीला (लखनऊ)

ख

खां, श्री आरिफ मोहम्मद (कानपुर)
खां, श्री गयूर अली (मुजफ्फरनगर)
खां, श्री गुलाम मोहम्मद (मुरादाबाद)
खाँ, श्री जुल्फिकार अली (रामपुर)
खाँ, श्री मलिक एम० एम० ए० (एटा)
खां, श्री महमूद हसन (बुलन्दशहर)

ग

गंगवार, श्री हरीश कुमार (पीलीभीत)
गधावी, श्री भेरावदन के० (बनासकांठा)
गामित, श्री छीतूभाई (माण्डवी)
गरचा, श्री देवेन्द्र सिंह (लुधियाना)
गहलोत, श्री अशोक (जोधपुर)

गांधी, श्रीमती इन्दिरा (मेडक)

गांधी, श्री राजीव (अमेठी)

गाडगिल, श्री वी० एन० (पुणे)

गायकवाड़, श्री उदयसिंह राव (कोल्हापुर)

गायकवाड़, श्री आर० पी० (बड़ौदा)

गायत्री देवी, श्रीमती (कैराना)

गावित, श्री मानिकराव होडल्य (नन्दरबार)

गिरि, श्री सुधीर (कन्टई)

गिरिराज सिंह, श्री (सुल्तानपुर)

गुफरान आजम, श्री (बेतुल)

गुप्त, श्री इन्द्रजीत (बसीरहाट)

गोजागिन, श्री एन० (बाह्य मणिपुर)

गोपालन, श्रीमती सुशीला (अलप्पी)

गोमांगो, श्री गिरिधर (कोरापुट)

गोयल, श्री कृष्ण कुमार (कोटा)

गोहिल, श्री जी० बी० (भावनगर)

गोंडर, श्री ए० सेनापति (पलानी)

गौडा, श्री एच० एन० नन्जे (हसन)

गौडा, श्री डी० एम० पुत्ते (चिकमंगलूर)

घ

घोरपाड़े, श्री आर० वाई० (बेल्लारी)

घोष, श्री नीरेन (दमदम)

घोष, श्रीमती विभा गोस्वामी (नवद्वीप)

च

चन्द्रपाल सिंह, श्री (अमरोहा)

चन्द्रशेखर, श्री (बलिया)

चन्द्रशेखर सिंह, श्री (बांका)

चक्रधारी सिंह, श्री (सरगुजा)

चक्रवर्ती, श्री सत्यसाधन (कलकत्ता दक्षिण)

चटर्जी, श्री सोमनाथ (जादवपुर)

चतुर्भुज, श्री (झालावाड़)

चतुर्वेदी, श्रीमती विद्यावती (खजुराहो)

चन्द्राकर, श्री चन्दूलाल (दुर्ग)

चन्द्रशेखरप्पा, श्री टी० बी० (दावनगेरे)

चरणजीत सिंह, श्री (दक्षिण दिल्ली)

चरण सिंह, श्री (बागपत)

चव्हाण, श्री यशवन्तराव (सतारा)

चव्हाण, श्री एस० बी० (नांदेड़)

चावड़ा, श्री ईश्वर भाई खोडा भाई (आनन्द)

चिगवांग कोनयक, श्री (नागालैंड)

चिन्नास्वामी, श्री सी० (गोविचेट्टिपलयम)

चेन्नुपति, श्रीमती विद्या (विजयवाड़ा)

चौधरी, श्री ए० बी० ए० गनी खान (माल्दा)

चौधरी, श्री के० बी० (बीजापुर)

चौधरी, श्री चित्तूरी सुब्बाराव (एलुरु)

चौधरी, श्रीमती ऊषा प्रकाश (अमरावती)

चौधरी, श्री मनफूल सिंह (बीकानेर)

चौधरी, श्री मोती भाई आर० (मेहसाना)

चौधरी, श्री सैफुद्दीन (कटवा)

चौधरी, श्री त्रिदिव (बरहामपुर)

चौबे, श्री नारायण (मिदनापुर)

चौहान, श्री फतहभान सिंह (धार)

छ

छांगुर राम, श्री (लालगंज)

ज

जगजीवन राम, श्री (सासाराम)

जगपाल सिंह, श्री (हरिद्वार)

जाखड़, श्री बलराम (फिरोजपुर)

जटिया, श्री सत्यनारायण (उज्जैन)

जाफर शरीफ, श्री सी० के० (बंगलौर उत्तर)

जदेजा, श्री दौलत सिंह जी (जामनगर)

जमीलुर्रहमान, श्री (किशनगंज)

जयदीप सिंह, श्री (गोधरा)

जायनल अबेदिन, श्री (जंगीपुर)

जितेन्द्र प्रसाद, श्री (शाहजहांपुर)

जेठमलानी, श्री राम (बम्बई उत्तर पश्चिम)

जैना, श्री चिंतामणि (बालासोर)

जैन, श्री निहाल सिंह (आगरा)

जैन, श्री भीकूराम (चांदनी चौक)

जैन, श्री वृद्धि चन्द्र (बाड़मेर)

जैनुल बशर, श्री (गाजीपुर)

झ

झा, श्री कमलनाथ (सहरसा)

झा, श्री भोगेन्द्र (मधुबनी)

झारखंडेराय, श्री (घोसी)

ट

टण्डन, श्री प्रभुनारायण (दमोह)

टाइटलर, श्री जगदीश (दिल्ली सदर)

टुडु, श्री मनमोहन (मयूरभंज)

ठ

ठाकुर, श्री शिवकुमार सिंह (खंडवा)

ड

डागा, श्री मूलचन्द (पाली)

डामोर, श्री सोमजी भाई (दोहद)

डूंगर सिंह, श्री (हमीरपुर)

डेनिस, श्री एन० (नागरकोइल)

डोगरा, श्री गिरधारी लाल (जम्मू)

त

तपेश्वर सिंह, श्री (विक्रमगंज)

तारिक अनवर, श्री (कटिहार)

तिरकी, श्री पीयूष (अलीपुरद्वार)

तिवारी, श्री कृष्ण प्रकाश (इलाहाबाद)

तिवारी, प्रो० के० के० (बक्सर)

तिवारी, श्री चन्द्रभाल मणि (बलरामपुर)

तिवारी, श्री नारायण दत्त (नैनीताल)

तिवारी, श्री रामगोपाल (जंजगीर)

तुर, श्री लहना सिंह (तरनतारन)

तेइयेंग, श्री सोबेंग (अरुणाचल पूर्व)

तैयब हुसैन, श्री (फरीदाबाद)

थ

थामस, श्री स्कारिया (कोट्टायम)

थुंगन, श्री पी० के० (अरुणाचल पश्चिम)

थोरट, श्री भाऊसाहिब (पंढरपुर)

द

दंडवते, श्रीमती प्रमिला (बम्बई उत्तर-मध्य)

दंडवते, प्रो० मधु (राजापुर)

दत्त, श्री अमल (डायमंड हार्बर)

दलबीर सिंह, श्री (शहडोल)

दलबीर सिंह, श्री (सिरसा)

दंडपाणि, श्री सी० टी० (पोल्लाची)

दाभी, श्री अजीत सिंह (कैरा)

दास, श्री अनादि चरण (जाजपुर)

दास, श्री रेणुपद (कृषनगर)

दिग्विजय सिंह, श्री (सुरेन्द्रनगर)

दिगम्बर सिंह, श्री (मथुरा)

दुबे, श्री बिन्देश्वरी (गिरिडीह)

दुबे, श्री रामनाथ (बांदा)

देव, श्री बी० किशोरचन्द्र एस० (पार्वतीपुरम)

देव, श्री संतोष मोहन (सिल्चर)

देवराजन, श्री बी० (रसिपुरम)

देसाई, श्री बी० वी० (रायचूर)

ध

धोते, श्री जाम्बुवंत (नागपुर)

न

नन्दी येल्लैया, श्री (सिद्दीपेट)

नगीना राय, श्री (गोपालगंज)

नगनगोम मोहेन्द्रा, श्री (आन्तरिक मणिपुर)

नागरत्नम, श्री टी०(श्री पेरंबदूर)

नामग्याल, श्री पी० (लद्दाख)

नायर, श्री बी० के० (क्विलोन)

नायकर, श्री डी० के०(धारवाड़ उत्तर)

नायक, श्री जी० देवराय (रायचूर)

नायक, श्री मृत्युंजय (फूलबानी)

नायडू, श्री पी० राजगोपाल (चित्तूर)

नारायण, श्री के०एस० (हैदराबाद)

नाहटा, श्री बी० आर० (मन्दसौर)

नीखरा, श्री रामेश्वर (होशंगाबाद)

निहाल सिंह, श्री (चन्दौली)

निहाल सिंह, बाला श्री जी० एस० (संगरूर)

नाडार, श्री ए० नीलालोहिथादसन (त्रिवेन्द्रम)

नेगी, श्री टी० एस० (टिहरी गढ़वाल)

नेताम, श्री अरविन्द(कांकेर)

नेहरू, श्री अरुण कुमार (रायबरेली)

प

पंडित, डा० वसन्त कुमार (राजगढ़)

पटनायक, श्रीमती जयन्ती (कटक)

पटनायक, श्री बीजू (केन्द्रपाड़ा)

पट्टाभिरामा राव, श्री एम० बी० पी० (राजमुन्द्री)

पत्तु स्वामी, श्री डी० (वन्डावाशी)

पटेल, श्री अमृत (गांधीनगर)

पटेल, श्री अहमद मोहम्मद (भड़ौच)

पटेल, श्री उत्तमभाई एच० (बलसार)

पटेल, श्री सी०डी० (सूरत)

पटेल, श्री मोहनलाल (जूनागढ़)

पटेल, श्री शान्तुभाई (साबरकंठा)

पदायाची, श्री एन० एस० रामास्वामी (तिण्डीवनम)

पनिका, श्री रामप्यारे (राबर्ट्सगंज)

परमार, श्री हीरालाल आर० (पाटन)

परांजपे, श्री बाबूराव (जबलपुर)

पराशर, प्रो० नारायण चन्द (हमीरपुर)

परुलेकर, श्री बाबूसाहिब (रत्नगिरि)

पलानीअप्पन, श्री सी० (सलेम)

पवार, श्री बालासाहिब (जालना)

पाइलट, श्री राजेश (भरतपुर)

पाटिल, श्री ए० टी० (कोलाबा)

पाटिल, श्री चन्द्रभान आठरे (अहमदनगर)

पाटिल, श्री जगन्नाथ शिवराम (ठाणे)

पाटिल, श्री बसन्तराव (सांगली)

पाटिल, श्री विजय एन० (इरन्दोल)

पाटिल, श्री शिवराज वी० (लातूर)

पाटिल, श्री शंकरराव (बारामती)

पाटिल, श्री उत्तमराव (यवतमाल)

पाटिल, श्री बालासाहिब विखे (कोपरगाँव)

पाटिल, श्री वीरेन्द्र (बागलकोट)

पाठक, श्री आनन्द (दार्जिलिंग)

पाँडे, श्री कृष्णचन्द्र (खलीलाबाद)

पांडे, श्री केदार (बेतिया)

पाणिग्रही, श्री चिन्तामणि (भुवनेश्वर)

पार्थसारथी, श्री पी० (राजमपेट)

पारधी, श्री केशवराव (भंडारा)

पाल, प्रो० रूप चन्द (हुगली)

पासवान, श्री राम विलास (हाजीपुर)

पुजारी, श्री जनार्दन (मंगलौर)
पुलैया, श्री दारूर (अनंतपुर)
प्रधानी, श्री के० (नौरंगपुर)
प्रभु, श्री आर० (नीलगिरि)
प्रसन्न कुमार, श्री एस० एन० (चिकवल्लापुर)
प्रेमी, श्री मंगलराम (बिजनौर)
पेंचालैया, श्री पसाला (तिरुपति)
पोटदुखे, श्री शांताराम (चन्द्रपुर)

फ

फर्नाण्डीस, श्री ओस्कर (उंदीपी)
फर्नाण्डीस, श्री जार्ज (मुजफ्फरपुर)
फुलवारिया, श्री विरदा राम (जालोर)
फेलीरो, श्री एडुआर्डो (मारमागाओ)

ब

बनातवाला, श्री जी० एम० (पोन्नानी)
बहुगुणा, श्री हेमवती नंदन (गढ़वाल)
बंसीलाल, श्री (भिवानी)
बर्मन, श्री पलाश (बलूरघाट)
बेरवा, श्री बनवारीलाल (टोंक)
बरवे, श्री जे० सी० (रामटेक)
बरार, श्रीमती गुरविन्दर कौर (फरीदकोट)
बरोट, श्री मगनभाई (अहमदाबाद)
बहेरा, श्री रासविहारी (कालाहांडी)
बसु, श्री चित्त (बारसाट)
बागड़ी, श्री मनीराम (हिसार)
बागुन, सुम्बरूई श्री (सिंहभूम)
बाजपेयी, डा० राजेन्द्र कुमारी (सीतापुर)
बालन, श्री ए० के० (ओट्टापालम)
बालानन्दन, श्री ई० (मुकुन्दपुरम)
बालेश्वर राम, श्री (रोसेड़ा)

बीरबल, श्री (गंगानगर)

बीरेन्द्र सिंह, श्री राव (महेन्द्रगढ़)

बूटासिंह, श्री (रोपड़)

बृजेन्द्रपाल सिंह, श्री (सम्भल)

बैठा, श्री डूमरलाल (अररिया)

बैरो, श्री ए० ई० टी० (नामनिर्देशित—आंगल-भारतीय)

बोड्डेपल्ली, श्री राजगोपाल राव (श्रीकाकुलम)

भ

भक्त, श्री मनोरंजन (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह)

भगत, श्री एच० के० एल० (पूर्व दिल्ली)

भगत, श्री वी० आर० (सीतामढ़ी)

भगवानदेव, आचार्य (अजमेर)

भट्टाचार्य, श्री सुशील (बर्दवान)

भाटिया, श्री रघुनन्दन लाल (अमृतसर)

भारद्वाज, श्री पारसराम (सारंगढ़)

भीखाभाई, श्री (बाँसवाड़ा)

भीमसिंह, श्री (झुन्झुनू)

भूरिया, श्री दलीपसिंह (झाबुआ)

भोई, डा० कृपासिंधु (सम्बलपुर)

भोये, श्री रेशमा मोतीराम (धुले)

भोले, श्री आर० आर० (बम्बई दक्षिण-मध्य)

म

मकवाना, श्री नरसिंह (ढंढुका)

मण्डल, श्री मकुन्द (मथुरापुर)

मण्डल, श्री सनत कुमार (जयनगर)

मण्डल, श्री धनिक लाल (झंझारपुर)

मणि, श्री के० बी० एस० (पेरम्बलूर)

मधुकर, श्री कमला मिश्र (मोतिहारी)

मन्नीलाल, श्री (हरदोई)

माधुरी सिंह, श्रीमती (पूर्णिया)

मालन्ना, श्री के० (चित्रदुर्ग)

मावणि, श्री रामजी भाई (राजकोट)

मलिक, श्री लक्ष्मण (जगतसिंहपुर)

मल्लिकार्जुन, श्री (महबूबनगर)

मसुदल हुसैन, श्री सैयद (मुर्शिदाबाद)

महन्ती, श्री बृजमोहन (पुरी)

महाजन, श्री वाई० एस० (जलगांव)

महाजन, श्री विक्रम (कांगड़ा)

महाटा, श्री चित (पुरलिया)

महावीर प्रसाद, श्री (बांसगांव)

महाला, श्री आर० पी० (दादर तथा नगर हवेली)

महेन्द्र प्रसाद, श्री (जहानाबाद)

माने, श्री आर० एस० (इचलकरांजी)

मायातेवर, श्री के० (डिन्डिगल)

मार्तण्ड सिंह, श्री (रीवा)

मल्लु, श्री अनन्त रामुलु (नगरकुरनूल)

मिश्र, श्री नित्यानन्द (बोलनगीर)

मिश्र, श्री उमाकान्त (मिर्जापुर)

मिश्र, श्री राम नगीना (सलेमपुर)

मिश्र, श्री सत्यगोपाल (तामलुक)

मिश्र, श्री हरिनाथ (दरभंगा)

मिश्र, श्री गार्गी शंकर (सिवनी)

मीणा, श्री राम कुमार (सवाई माधोपुर)

मिर्धा, श्री नाथूराम (नागौर)

मुखर्जी, श्रीमती गीता (पैंसकुरा)

मुखर्जी, श्री समर (हावड़ा)

मुखोपाध्याय, श्री आनन्द गोपाल (आसनसोल)

मुजफ्फर हुसैन, श्री सैयद (बहराईच)

मुत्तेमवार, श्री विलास (चिमूर)

मुथुकुमारन, श्री आर० (कुड्डालोर)

मुन्डाकल, श्री जार्ज जोसफ (मुक्तुपुजा)

मूर्ति, श्री कुसुम कृष्ण (अमालापुरम)

मुरुगैयन, श्री एस० (तिरुपत्तूर)
मुल्तान सिंह, चौधरी (जलेसर)
मूर्ति, श्री एम० बी० चन्द्रशेखर (कनकपुरा)
मूर्ति, श्री एम० राजशेखर (मैसूर)
मेहता, प्रो० अजित कुमार (समस्तीपुर)
मेहता, डा० महीपत राय एम० (कच्छ)
मैत्रा, श्री सुनील (कलकत्ता उत्तर-पूर्व)
मोतीलाल सिंह, श्री (सीधी)
मोदक, श्री विजय (आरामबाग)
मोरे, श्री रामकृष्ण (खेड़)
मोहम्मद इस्माइल, श्री (बैरकपुर)
मोहिते, श्री यशवन्त राव (कराड़)
मोहसिन, श्री एफ० एच० (धारवाड़ दक्षिण)

य

याजदानी, डा० गोलम (रायगंज)
यादव, श्री चन्द्रजीत (आजमगढ़)
यादव, श्री छोटे सिंह (कन्नौज)
यादव, श्री डी० पी० (मुंगेर)
यादव, श्री राजेन्द्र प्रसाद (मधेपुरा)
यादव, श्री आर० एन० (परभणी)
यादव, श्री रामसिंह (अलवर)
यादव, श्री विजयकुमार (नालन्दा)
यादव, श्री सुभाष चन्द्र (खरगेन)
युसुफ, श्री मोहम्मद (सिवान)

र

रंगा, प्रो० एन० जी० (गुन्टूर)
रबाणी, श्री नवीन (अमरेली)
रशीद मसूद, श्री (सहारनपुर)
रहीम, श्री ए० ए० (चिरयिन्किल)
राउत, श्री भोला (बगहा)
राकेश, श्री आर० एन० (चैल)

राजदा, श्री रत्नसिंह (बम्बई दक्षिण)

राजन, श्री के० ए० (त्रिचूर)

राजामल्लू, श्री के० (पेद्दापल्लि)

राजू, श्री पी० वी० जी० (बोबिली)

राजेश कुमार सिंह, श्री (फिरोजाबाद)

रणजीत सिंह, श्री (चतरा)

रणवीर सिंह, श्री (केसरगंज)

रथ, श्री रामचन्द्र (आस्का)

राठवा, श्री अमरसिंह (छोटा उदय र)

राठौर, श्री उत्तम (हिंगोली)

राणे, श्रीमती संयोगिता (पणजी)

राम अवध, श्री (अकबरपुर)

राम, श्री राम स्वरूप (गया)

राम किंकर, श्री (बाराबंकी)

राम लिंगम, श्री एन० कुदन्तई (मयूरम)

राममूर्ति, श्री के० (कृष्णगिरि)

रामुलु, श्री एच० जी० (कोप्पल)

राय, श्री ए० के० (धनबाद)

राय, श्री एम० रामन्ना (कासरगोड)

राय, श्री रामायण (देवरिया)

राय, श्री ए० सरदीश (बोलपुर)

राय प्रधान, श्री अमर (कूच विहार)

राव, श्री एम० एस० संजीवी (काकीनाडा)

राव, श्री एम० सत्यनारायण (करीमनगर)

राव, श्री जगन्नाथ (बरहामपुर)

राव, श्री जलगांव कोन्डाला (खम्मम)

राव, श्रीमती वी० राधाबाई आनन्द (भद्राचलम)

राव, श्री एम० नागेश्वर (तेनालि)

राव, श्री पी० वी० नरसिंहा (हनमकोंडा)

रावत, श्री हरीश चन्द्र सिंह (अलमोड़ा)

राही, श्री रामलाल (मिसरिख)

रियान, श्री बाजूबन (त्रिपुरा पूर्व)
रौत, श्री जयनारायण (सलूम्बर)
रेड्डी, श्री एम० रामगोपाल (निजामाबाद)
रेड्डी, श्री के० ओबूल (कड़प्पा)
रेड्डी, श्री के० ब्रह्मानन्द (नरसाराबपेट)
रेड्डी, श्री के० विजय भास्कर (कुरनूल)
रेड्डी, श्री जी० एस० (मिरयालगुडा)
रेड्डी, श्री जी० नरसिम्हा (आदिलाबाद)
रेड्डी, श्री टी० दामोदर (नलगोंडा)
रेड्डी, श्री पी० वायपा (हिन्दूपुर)
रेड्डी, श्री पी० वैंकट (ओंगोल)
रोथुआमा, डा० आर० (मिजोरम)

ल

लकप्पा, श्री के० (टुमकुर)
लक्ष्मणन्, श्री जी० (मद्रास उत्तर)
लस्कर, श्री निहार रंजन (करीमगंज)
लारेंस, श्री एम० एम० (इदुक्की)

व

व्यास, श्री गिरधारीलाल (भीलवाड़ा)
वर्मा, श्री चन्द्रदेव प्रसाद (आरा)
वर्मा, श्री जयराम (फैजाबाद)
वर्मा, श्री दीनबन्धु (उदयपुर)
वर्मा, श्री फूलचन्द (शाजापुर)
वर्मा, श्रीमती ऊषा (खेरी)
वर्मा, श्री रघुनाथ सिंह (मैनपुरी)
वर्मा, श्री रवीन्द्र (बम्बई उत्तर)
वर्मा, श्री रीतलाल प्रसाद (कोडरमा)
वर्मा, श्री शिवचरण (मछलीशहर)
वाघ, डा० प्रताप (नासिक)
वाजपेयी, श्री अटल बिहारी (नई दिल्ली)

वासनिक, श्री बालकृष्ण रामचन्द्र (बुलढाना)
विजयराघवन, श्री बी० एस० (पालघाट)
वीरभद्र सिंह, श्री (मण्डी)
विश्वास, श्री अजय (त्रिपुरा पश्चिम)
वेंकटरामन, श्री आर० (मद्रास दक्षिण)
वेंकटसुब्बय्या, श्री पी० (नन्दयाल)
वेलू, श्री एम० एम० (अर्कोनम)
वैराले, श्री मधुसूदन (अकोला)

श

शंकरानन्द, श्री वी० (चिकोड़ी)
शक्तावत, प्रो० निर्मला कुमारी (चित्तौड़गढ़)
शनमुगम, श्री पी० (पांडिचेरी)
शमन्ना, श्री टी० आर० (बंगलौर दक्षिण)
शर्मा श्री कालीचरण (भिण्ड)
शर्मा, श्री चिरंजीलाल (करनाल)
शर्मा, श्री नन्द किशोर (बालाघाट)
शर्मा, श्री नवल किशोर (दौसा)
शर्मा, श्री प्रताप भानु (विदिशा)
शर्मा, श्री विश्वनाथ (झांसी)
शर्मा, डा० शंकरदयाल (भोपाल)
शाक्य, श्री दयाराम (फर्रूखाबाद)
शाक्य, श्री रामसिंह (ईटावा)
शाक्यवार, श्री नाथूराम (जालौन)
शास्त्री, श्री धर्मदास (करोलबाग)
शास्त्री, श्री राजनाथ सोनकर (सैदपूर)
शास्त्री, श्री रामावतार (पटना)
शास्त्री, श्री हरिकृष्ण (फतेहपुर)
शिगंडा, श्री डी० बी० (दहानू)
शिवप्रकाशम्, श्री डी० एस० ए० (तिरुनेलवेली)
शिवशंकर, श्री पी० (सिकन्दराबाद)
शिवेन्द्र बहादुर सिंह, श्री (राजनन्दगाँव)

शुक्ल, श्री विद्याचरण (महासमुन्द)
शेजवलकर, श्री एन० के० (ग्वालियर)
शैलानी, श्री चन्द्रपाल (हाथरस)
श्रीनिवास प्रसाद, श्री वी० (चामराजनगर)

स

संखवार, श्री आशकरन (घाटमपुर)
संगमा, श्री पी० ए० (तुरा)
सईद, श्री पी० एम० (लक्षद्वीप)
सज्जन कुमार श्री (बाह्य दिल्ली)
सत्यदेव सिंह, प्रो० (छपरा)
सतियेन्द्रन, श्री एम० एस० के० (रामनाथपुरम)
सतीश प्रसाद सिंह, श्री (खगरिया)
समीनुद्दीन, श्री (गोड्डा)
साठे, श्री वसन्त (वर्धा)
सारण, श्री दौलतराम (चुरू)
सांरगी, श्री आर० पी० (जमशेदपुर)
सावंत, श्री टी० एम० (उस्मानाबाद)
साहा, श्री अजित कुमार (विष्णुपुर)
साहा, श्री गदाधर (वीरभूम)
साही, श्रीमती कृष्णा (बेगूसराय)
साहू, श्री नारायण (देवगढ़)
साहू, श्री शिवप्रसाद (रांची)
सिंगारावाडीवेल, श्री एस० (तंजावुर)
सिंधिया, श्री माधवराव (गुना)
सिन्हा, श्रीमती किशोरी (वैशाली)
सिन्हा, श्रीमती रामदुलारी (शिवहर)
सिंह, श्री सत्येन्द्र नारायण (औरंगाबाद)
सिंह, कुमारी पुष्पा देवी (राजगढ़)
सिंह, श्री धर्मवीर (बाढ़)
सिंह, श्री सी० पी० एन० (पदरौना)
सिंह, डा० बी० एन० (हजारीबाग)
सिंह, श्री धर्मगज (शाहबाद)
सिंह श्री बी० डी० (फूलपुर)
सिंहदेव, श्री के० पी० (ढेकानाल)
सिंदनाल, श्री एस० बी० (बेलगाम)
सुखवन्स कौर, श्रीमती (गुरदासपुर)
सुन्दरराजन, श्री एन० (शिवकाशी)
सुन्दरसिंह, श्री (फिल्लौर)

सुब्बा, श्री पी० एम० (सिक्किम)
सुब्बुरमण, श्री ए० जी० (मदुरै)
सुल्तानपुरी, श्री कृष्ण दत्त (शिमला)
सूरजभान, श्री (अम्बाला)
सूर्यनारायणसिंह, श्री (बलिया)
सूर्यवंशी, श्री नरसिंह (बीदर)
सेट, श्री इब्राहीम सुलेमान (मंजेरी)
सेठी, श्री अर्जुन (भद्रक)
सेठी, श्री पी० सी० (इन्दौर)
सेन, श्री ए० के कलकत्ता उत्तर (पश्चिम)
सेन, श्री सुबोध (जलपाईगुडी)
सेवस्तियन, श्री ए० ए० दोराई (करूर)
सेलवाराजू, श्री एन० (तिरुचिरापल्ली)
सैनी, श्री मनोहरलाल (कुरुक्षेत्र)
सोनकर, श्री कल्पनाथ (बस्ती)
सोरन, श्री शिबू (दुमका)
सोरन, श्री हरिहर (क्योंझर)
सोलंकी, श्री नटवरसिंह (कापड़गंज)
सोलंकी, श्री बाबूलाल (मुरैना)
स्टीफन, श्री सी० एम० (गुलबर्गा)
स्पैरो, श्री आर० एस० (जालन्धर)
स्वामी, डा० सुब्रह्मण्यम (बम्बई उत्तर-पूर्व)
स्वामी, श्री के० ए० (विशाखापत्तनम)
स्वामीनाथन, श्री आर० वी० (शिवगंगा)
स्वामीनाथन, श्री वी० एन० (पुद्दुकोट्टई)

ह

हन्नान मोल्लाह, श्री (उलबेरिया)
हरिकेश बहादुर, श्री (गोरखपुर)
हसदा, श्री मतिलाल (झाड़ग्राम)
हाकमसिंह, श्री (भटिंडा)
हाल्दार, श्री कृष्ण चन्द्र (दुर्गापुर)
हेमब्रम, श्री सेत (राजमहल)
होरो, श्री एन० ई० (खूंटी)

क्ष

क्षीरसागर, श्रीमती केशरबाई (बीड)

त्र

त्रिपाठी, श्री कमलापति, (वाराणसी)
त्रिपाठी, श्री रामनारायण (बिल्हौर)
त्रिलोकचन्द्र, श्री (खुर्जा)

लोक-सभा

अध्यक्ष

श्री बलराम जाखड़

उपाध्यक्ष

श्री जी० लक्ष्मणन्

सभापति तालिका

डा० राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी

श्री सोमनाथ चटर्जी

श्री बी० एन० गाडगिल

श्री एस० एम० कृष्ण

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही

श्री एन० के० शेजवलकर

सचिव

श्री अवतार सिंह रिखी

भारत सरकार

मन्त्रिमंडल के सदस्य

प्रधानमंत्री (वे सभी मंत्रालय/विभाग जो नीचे विनिर्दिष्ट नहीं हैं)	श्रीमती इन्दिरा गाँधी
वित्त मंत्री	श्री प्रणव मुखर्जी
विदेश मंत्री	श्री पी० बी० नरसिंह राव
गृह मंत्री	श्री प्रकाश चन्द्र सेठी
नौवहन और परिवहन मंत्री	श्री सी० एम० स्टीफन
रक्षा मंत्री	श्री आर० वेंकटरामन
रेल मंत्री	श्री ए० बी०ए० गन्नी खान चौधरी
योजना मंत्री	श्री एस० बी० चव्हाण
विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री	श्री जगन्नाथ कौशल
सिंचाई मंत्री	श्री केदार पाँडे
श्रम और पुनर्वास मंत्री	श्री वीरेन्द्र पाटिल
रसायन और उर्वरक मंत्री	श्री वसन्त साठे
ऊर्जा मंत्री	श्री पी० शिवशंकर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री	श्री बी० शंकरानन्द
संचार मंत्री	श्री अनन्त प्रसाद शर्मा
संसदीय कार्य तथा निर्माण- और आवास मंत्री	श्री भीष्म नारायण सिंह
कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री	श्री राव वीरेन्द्र सिंह
उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री	श्री नारायण दत्त तिवारी

राज्य मंत्री

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालयों में (स्वतंत्र प्रभार)	श्री जियाउर्रहमान अंसारी
राज्य मंत्री	श्री भागवत झा आजाद

निर्माण और आवास तथा	
संसदीय कार्यों में राज्य मंत्री	श्री एच० के० एल० भगत
शिक्षा और संस्कृति तथा समाज	
कल्याण मंत्रालयों में (स्वतंत्र प्रभार)	
राज्य मंत्री	श्रीमती शीला कौल
नौवहन और परिवहन मंत्रालय	
में राज्य मंत्री	श्री सीता राम केसरी
पर्यटन मंत्रालय में (स्वतन्त्र प्रभार)	
राज्य मंत्री	श्री खुर्शीद आलम खां
श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में	
राज्य मंत्री	श्रीमती मोहसिना किदवई
गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री निहार रंजन लास्कर
ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री विक्रम महाजन
संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री योगेन्द्र मकवाना
ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री गार्गी शंकर मिश्र
वाणिज्य मंत्रालय (स्वतंत्र प्रभार)	
राज्य मंत्री	श्री शिवराज वी० पाटिल
विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री ए० ए० रहीम
कृषि और ग्रामीण विकास	
मंत्रालयों में राज्य मंत्री	श्री बालेश्वर राम
वित्त मंत्रालत में राज्य मंत्री	श्री पट्टाभि राम राव
रसायन और उर्वरक मंत्रालय	
में राज्य मंत्री	श्री रामचन्द्र रथ
सूचना और प्रसारण मंत्रालय	
में (स्वतंत्र प्रभार) राज्य मंत्री	श्री एन० के० पी० साल्वे
रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री सी०के० जाफर शरीफ
पूर्ति मंत्रालय तथा खेल विभाग	
में (स्वतंत्रा प्रभार) राज्य मंत्री	श्री बूटा सिंह
विज्ञान और प्रौद्योगिकी,	
इलैक्ट्रानिकी, महासागर विकास	
विभागों में तथा ऊर्जा मंत्रालय	
के गैर-परंपरिक ऊर्जा स्रोत विभाग	
में राज्य मंत्री	श्री सी० पी० एन० सिंह

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री दलबीर सिंह
उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री वीरभद्र सिंह
उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्रालयों में राज्य मंत्री	श्रीमती राम दुलारी सिन्हा
कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री	श्री आर० वी० स्वामीनाथन
गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री पी० वेंकट सुब्बय्या

उप मंत्री

नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री	श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ
कार्य विधि, न्याय और कम्पनी मंत्रालय में उप मंत्री	श्री गुलाम नबी आजाद
रक्षा मंत्रालय में उप मंत्री	श्री के० पी० सिंह देव
श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उप मंत्री	श्री धर्मवीर
पर्यटन मंत्रालय में उप मंत्री	श्री अशोक गहलोत
श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उप मंत्री	श्री गिरिधर गोमांगो
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री	कु० कुमुदबेन एम० जोशी
सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री	श्री आरिफ मोहम्मद खां
कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय में उप मंत्री	कु० कमला कुमारी
रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री	श्री मल्लिकार्जुन
निर्माण और आवास मंत्रालय में उप मंत्री	श्री बृजमोहन मोहन्ती
संचार मंत्रालय में उप मंत्री	श्री विजय एन० पाटिल

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री	श्री जनार्दन पुजारी
उद्योग मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री	श्री कल्प नाथ राय
इलैक्ट्रानिकी विभाग में उप मंत्री	श्री एम० एस० संजीवी राव
वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री	श्री पी० संगमा
पर्यावरण विभाग में उप मंत्री	श्री दिग्विजय सिंह
शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री	श्रीपी० के० थुंगन

लोक सभा वाद-विवाद (हिन्दी संस्करण)

खण्ड 32, सातवीं लोक-सभा के दसवें सत्र का पहला दिन अंक 1

लोक सभा

सोमवार, 4 अक्तूबर, 1982/12 अश्विन 1904 (शक)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

निधन सम्बन्धी उल्लेख

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, लगभग डेढ़ महीने के अन्तराल के बाद इस सभा की बैठक शुरू होते ही मैं सभा को डा० गोपाल स्वरूप पाठक, भारत के भूतपूर्व उपराष्ट्रपति शेख मौहम्मद अब्दुल्ला, जम्मू तथा कश्मीर के मुख्य मन्त्री तथा अस्थायी संसद के सदस्य तथा अपने 7 भूतपूर्व सहयोगियों अर्थात् श्री रामप्पा बालप्पा बिहारी, डा० बाबूराव पटेल, सर्वश्री रामचन्द्र बड़े विजय भूषण सिंह देव, गुणानन्द ठाकूर, रघुवीर सिंह शास्त्री तथा डा० सी० डी० देशमुख के निधन की सूचना देता हूं ।

डा० गोपाल स्वरूप पाटक, भारत के भूतपूर्व उप-राष्ट्रपति तथा राज्य सभा के सभापति का निधन 31 अगस्त, 1982 को 87 वर्ष की आयु में नई दिल्ली में हुआ ।

उन्होंने एक सांसद विख्यात विधिवेत्ता तथा एक योग्य प्रशासक के रूप में ख्याति पाई ।

एक सुप्रसिद्ध विधिवेत्ता, डा० पाठक इलाहबाद उच्च न्यायालय के वर्ष 1945-46 के दौरान न्यायाधीश रहे । वह भारत के विधि आयोग के सदस्य भी रहे ।

वह भारतीय शिष्टमण्डल के साथ एक सदस्य के रूप में अनेक बार संयुक्त राष्ट्र गये । प्रधान मन्त्री के विशेष प्रतिनिधि के रूप में तथा राजदूत के सम्मानित दर्जे के रूप में उन्होंने 1959 में दक्षिण अमेरिका के अनेक देशों का दौरा किया ।

वह अप्रैल, 1960 से मई, 1967 तक राज्य सभा के सदस्य रहे तथा उन्होंने जनवरी 1966 से मई, 1967 तक केन्द्रीय विधि मन्त्री के रूप में कार्य किया ।

वर्ष 1967 में उनको मैसूर का राज्यपाल नियुक्त किया गया । अगस्त 1967 में उनको भारत गणराज्य का उप-राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया तथा इस पद पर वह 1974 तक रहे ।

उन्होंने उप-राष्ट्रपति तथा राज्य सभा के सभापति के पद को बहुत योग्यता के साथ सुशोभित किया। उनकी विचक्षणता, शान्त स्वभाव, मधुर भासी उत्साही तथा मिलनसार मनोवृत्ति तथा उनके मदुस्वभाव ने उनको सभा के सभी वर्गों को प्रिय बना दिया था।

उप-राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने बहुत से देशों का सद्भाव मिशनों के रूप में दौरा किया। उनकी विशेष योग्यताओं तथा विविध प्रकार के अनुभवों और उपलब्धियों ने भारत के उप-राष्ट्रपति के पद को और ख्याति प्रदान की।

जम्मू तथा कश्मीर के मुख्य मंत्री शेख मोहम्मद अब्दुल्ला का सितम्बर 1982 को 77 वर्ष की आयु में श्रीनगर में निधन हुआ।

वह संविधान सभा तथा अस्थायी संसद के 1948-50 के दौरान सदस्य रहे। 1951 में में उनको जम्मू तथा कश्मीर की संविधान सभा के लिए चुना गया तथा 1977 से राज्य विधान सभा के सदस्य थे।

1947-48 में जम्मू तथा कश्मीर राज्य में प्रशासन के प्रमुख नियुक्त किये गये तथा मार्च 1948 से जम्मू तथा कश्मीर की लोकप्रिय सरकार का नेतृत्व किया। फरवरी 1975 में वह राज्य के मुख्य मंत्री बने तथा मार्च 1977 में उन्होंने पुनः मुख्य मंत्री का पद ग्रहण किया।

एक अध्यापक के रूप में अपना जीवन प्रारम्भ करके वह शीघ्र ही स्वतन्त्रा संग्राम में सम्मिलित हुए। वह जनसाधारण की मनोभावनाओं को समझने वाले प्रतिभा सम्पन्न व्यक्ति थे। धर्म तथा मत का विचार किये बिना सभी उनके पास मार्गदर्शन के लिए पहुंचते थे।

राज्य में एक प्रजातान्त्रिक ढांचे को स्थगित करने तथा उसे कायम रखने के लिए उनका संघर्ष वास्तव में ऐतिहासिक था। उनके नेतृत्व में राज्य में पूर्ण रूप से साम्प्रदायिक सौहार्द तथा शान्ति रही।

उनका महान व्यक्तित्व था। वह एक बहुत अच्छे वक्ता थे। उनका राज्य के सार्वजनिक जीवन पर लगभग 50 वर्षों तक प्रभाव रहा।

जम्मू तथा कश्मीर में उनको "बाब-ए-कश्मीर" माना जाता था तथा उन्होंने वहां की जनता विशेष रूप से समाज के गरीब वर्ग के उत्थान के लिए सभी को कार्य करने की प्रेरणा दी। वह अपने विचारों पर दृढ़ रहने वाले व्यक्ति थे। तथा उनको "शेरे-कश्मीर" कहा जाता है।

उनकी मृत्यु से देश एक महान स्वतन्त्रता सेनानी से वंचित हो गया है। जिसने अपने जीवन के अन्तिम क्षण तक जनता की सेवा करने में अपनी सारी शक्ति लगा दी :

श्री रामप्पा बालप्पा बिहारी वर्ष 1952-62 के दौरान पहली तथा दूसरी लोक सभा के सदस्य रहे। और उन्होंने तत्कालीन मैसूर राज्य (अब कर्नाटक) के बीजापुर (दक्षिण) निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

इससे पूर्व वह 1940-47 के दौरान औंध राज्य विधान सभा के सदस्य रहे तथा उस राज्य के प्रधान मंत्री भी रहे।

एक वयोवृद्ध स्वतंत्रता सेनानी श्री विहारी ने प्रथम दर्जे के मजिस्ट्रेट के पद से त्याग-पत्र दिया था। श्री विहारी ने भूमि सुधार में विशेष रूचि ली तथा विभिन्न विकास समितियों बोर्डों से सम्बद्ध रहे।

31 अगस्त, 1982 को 84 वर्ष की आयु में शोलापुर में उनका निधन हुआ।

डा० बाबूराव पटेल 1967-71 के दौरान चौथी लोक सभा के सदस्य रहे। उन्होंने मध्य प्रदेश के शाजापुर निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

वह एक विख्यात पत्रकार तथा लेखक थे। एक प्रसिद्ध मासिक पत्रिका के सम्पादक तथा प्रकाशक के अलावा उन्होंने विभिन्न विषयों पर बहुत सी पुस्तकें भी लिखीं।

वह स्वतंत्रता संग्राम से सम्बद्ध रहे तथा उन्होंने भारतीय संस्कृति में विशेष रूचि ली।

4 सितम्बर, 1982 को 78 वर्ष की आयु में बम्बई में उनका निधन हुआ।

श्री रामचन्द्र बड़े 1962-67 तथा 1971-77 के दौरान तीसरी तथा पांचवी लोक सभा के सदस्य रहे तथा मध्य प्रदेश के खरगोन निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधि किया। इससे पूर्व वह 1952-56 मध्य भारत विधान सभा के सदस्य भी रहे।

एक कर्मठ सांसद के रूप में उन्होंने जनजाति के कल्याण में विशेष रूचि ली तथा वह राज्य सरकार द्वारा नियुक्त जनजाति आयोग से भी सम्बन्ध रहे।

18 सितम्बर, 1982 को 77 वर्ष की आयु में सेन्धवा, मध्य प्रदेश में उनका निधन हुआ।

श्री विजय भूषण सिंह देव 1962-67 के दौरान तीसरी लोकसभा के सदस्य रहे। तथा उन्होंने मध्य प्रदेश के रायगढ़ निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। इससे पूर्व वह 1952-62 के दौरान मध्य प्रदेश विधान सभा के सदस्य रहे। 1970-76 के दौरान वह राज्य सभा के सदस्य रहे।

जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के लोगों के उत्थान में वह विशेष रूचि लेते थे, तथा वह विभिन्न सामाजिक संगठनों से सम्बद्ध रहे।

19 अगस्त, 1982 को 56 वर्ष की आयु में जसपुरनगर, मध्य प्रदेश में उनका निधन हुआ।

श्री गुणानन्द ठाकुर 1967-71 के दौरान चौथी लोक सभा के सदस्य रहे। तथा उन्होंने बिहार के सहरसा निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। 1972-78 के दौरान वह राज्य सभा के सदस्य भी रहे।

1969-70 के दौरान वह प्राक्कलन समिति के सदस्य थे। वह एक कार्यशील सामाजिक कार्यकर्त्ता थे तथा मजदूर वर्ग के लोगों के कल्याण में वह विशेष रूचि लेते थे।

28 सितम्बर 1982 को 44 वर्ष की आयु में श्री ठाकुर का नई दिल्ली में निधन हुआ।

श्री रघुवीर सिंह शास्त्री 1967-71 दौरान चौथी लोक सभा के सदस्य थे तथा उन्होंने उत्तर प्रदेश के बागपत निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

वह एक वयोवृद्ध स्वतन्त्रता सेनानी तथा एक सुयोग्य पत्रकार थे तथा बहुत-सी पत्रिकाओं के सम्पादक थे तथा हिन्दी की अनेक पुस्तकों जिनमें लाइफ आफ सर छोटूराम ("सर छोटू राम का जीवन) भी सम्मिलित है, के लेखक थे।

श्री शास्त्री जी ने हरिजनों, ग्रामीण उत्थान, विवाह तथा कृषि सुधारों के लिए तत्परता से कार्य किया तथा विभिन्न शिक्षा संस्थानों से सम्बद्ध थे। वह संस्कृत के विद्वान थे तथा गुरूकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के भूतपूर्व उप-कुलपति थे।

29 सितम्बर 1982 को 65 वर्ष की आयु में दिल्ली में उनका निधन हुआ।

डा० सी० डी० देशमुख 1952 से अगस्त 1956 तक पहली लोक सभा के सदस्य थे तथा उन्होंने बम्बई के कोलाबा निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

डा० देशमुख एक विख्यात अर्थशास्त्री थे तथा इण्डियन सिविल सर्विस में रहते हुए भी उन्होंने सरकार के विभिन्न पदों पर कार्य किया। इसके पश्चात 1941 में वह भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर नियुक्त किए गए तथा बाद में 1943 में इसके गवर्नर नियुक्त किये गये।

डा० देशमुख 1950 में भारत सरकार के वित्त मन्त्री बने तथा साथ ही योजना आयोग के सदस्य भी बने तथा 1956 तक वह इन पदों पर रहे। उन्होंने विश्व मुद्रा सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया तथा बहुत-सी अन्य अन्तर्राष्ट्रीय वित्त संस्थानों में भी प्रतिनिधित्व किया।

उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के उप-कुलपति तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सभापति के रूप में भी कार्य किया।

वह संस्कृत में विशेष रूचि रखते थे तथा अन्य बहुत-सी राष्ट्रीय संस्थाओं जिसमें 'इण्डियन इण्टरनेशनल सेन्टर' (भारत अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्र) भी सम्मिलित है से सम्बद्ध थे।

2 अक्तूबर, 1982 को 86 वर्ष की आयु में हैदराबाद में उनका निधन हुआ।

हम अपने इन सहयोगियों की मृत्यु पर गहरी संवेदन व्यवत करते हैं।

प्रधान मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : अध्यक्ष महोदय, कुछ पुराने तथा कुछ युवा सहयोगियों के हाल तो में हुए दुःखद निधन पर आपने जो संवेदनाये व्यक्त की है, हम भी उसमें शामिल हैं। पिछले सत्र की समाप्ति के कुछ ही सप्ताहों में हमने कई विद्वान सहयोगियों को खो दिया है। श्री जी० एस० पाटक ने एक वकील, राजनैतिक नेता, मंत्री तथा राज्यपाल के प्रतिष्ठित जीवन के पश्चात उप-राष्ट्रपति के उच्च पद को बड़ी गरिमा तथा योग्यता से सुशोभित किया। लोक सभा उनकी कर्त्तव्यनिष्ठा सार्वजनिक कार्यों तथा वाद-विवाद में किये गये उनके सामाजिक योगदान को

याद रखेगी तथा राज्य सभा उनको एक पीठासीन अधिकारी के रूप में याद रखेगी जिन्होंने अपनी साधुता का उच्च स्तर बनाये रखा।

शेख अब्दुल्ला एक महान व्यक्ति थे और वह पूरे भारत पर लगभग 50 वर्षों तक छाये रहे। वह स्वतंत्रता, राष्ट्रीय एकता, धर्म निरपेक्षता के तथा हमारे राष्ट्रीय आन्दोलन को अभीष्ट गुणों के लिए लड़े। उनको शेरे-कश्मीर कहा जाता था और जब विदेशी ताकतों द्वारा कश्मीर पर हमला किया गया तब उन्होंने अपनी वीरता का परिचय दिया तथा कश्मीर को हमारे राष्ट्रीय जीवन की मुख्य धारा में लाये। उनको लम्बे जीवन काल में प्रगति तथा अवनति का सामना करना पड़ा लेकिन वह धर्म-निरपेक्ष प्रजातंत्र के रास्ते तथा व्यैक्तिक शिष्टाचार के उच्च मानदण्डों के विचलित नहीं हुए जो उन्होंने अपने तथा दूसरों के लिए निर्धारित किये थे। सभा के सभी पक्ष इस साहसिक योद्धा तथा अभिन्न मित्र को कभी नहीं पा सकेंगे। मेरे लिए यह एक विशेष क्षति है क्योंकि मेरे परिवार के साथ उनका लम्बे समय से निकट का सम्बन्ध रहा था।

एक भिन्न स्वभाव के व्यक्ति होते हुए भी डा० चिन्तामणि देशमुख ने राष्ट्रीय जीवन में महत्व-पूर्ण योगदान किया है। वह एक सिविल सर्वेन्ट, विद्यमान राजनीति में देर से प्रवेश करने वाले, दूरदर्शी सांसद सुप्रसिद्ध आयोजक तथा वित्त मंत्री शिक्षा शास्त्री तथा लेखक थे वह कई सांस्कृतिक तथा सामाजिक सेवा संस्थानों के संस्थापक भी थे। सभा उनके बहुमुखी योगदानों तथा उपलब्धियों से भलीभांति परिचित है। वह तथा उनकी पत्नी श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख एक असमान्य पति तथा पत्नी थे। राष्ट्र के लिए उनकी सेवाओं को आभार सहित याद किया जायेगा।

महोदय, हम श्री रामप्पा बालप्पा बिहारी डा० बाबूराव, पटेल, श्री रामचन्द्र बड़े, श्री विजय भूषण सिंह देव, श्री गुणानन्द ठाकुर जो कि युवा थे और जिनका अचानक निधन हो गया, श्री रघुवीर सिंह शास्त्री तथा अग्रवाल के निधन पर भी शोक व्यक्त करते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय से निवेदन करती हूं कि सभा की ओर से संवेदना संदेश संतप्त परिवारों तक पहुंचाये।

अध्यक्ष महोदय : श्री बालानन्दन।

श्री ई० बालानन्दन : अध्यक्ष महोदय माननीय अध्यक्ष तथा सभा की नेता द्वारा दिवंगत नेताओं के प्रति व्यक्त की गई संवेदनाओं में हम शामिल हैं। मैं विशेष रूप से शेख मौहम्मद अब्दुला के नाम का उल्लेख करना चाहता हूं। जो राष्ट्रीय आन्दोलन में कुछ समय तक भारत के महान् नेता थे। उन्होंने राज्य के लोगों के आन्दोलन का भी नेतृत्व किया जो कि राष्ट्रीय आन्दो-लन का ही एक अंग था। यद्यपि कुछ मुद्दों पर वे असहमत थे लेकिन वह परिणाम की परवाह किये बगैर अपने मत पर अडिग रहे। सभा का प्रत्येक सदस्य धर्म-निरपेक्षता के बारे में तथा जम्मू तथा कश्मीर को भारत में मिलाने के लिए उनके द्वारा अपनाये गये दृष्टिकोण को याद रखेगा।

डा० सी० डी० देशमुख तथा अन्य दिवंगत नेताओं को भी हम हमेशा याद रखेंगे।

मैं माननीय अध्यक्ष महोदय से यह निवेदन करता हूं कि दिवगंत नेताओं के संतप्त परि-वारों को संवेदना संदेश भिजवाये।

अध्यक्ष महोदय : श्री रसूद मसूद।

श्री रसोद मसूद : मौतरिम स्पीकर साहब, आपने और मौतरिम वजीरे आलम साहेबा ने जिन ख्यालात का इजहार और अफसोस जाहिर किया है, हमारे उन लीडरों के हमारे दरम्यान न रहने पर, मैं उसमें मुत्तफिक हूं। मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से चाहता हूं कि ताजियाती पैगाम उनके खानदान वालों को भेज दिया जाये।

खासतौर से मैं समझता हूं कि जो नई जैनरेशन है, उसका एक बहुत बड़ा लास, नुकसान इससे हुआ है, इसलिए कि हम लोगों को जिन्हें बड़े-बड़े लीडर्स के साथ रहने का मौका नहीं मिला है; जिन्होंने आजादी की लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया है, उन लोगों को इंस्पायर करने के लिए जो शख्सियतें मुल्क में थीं, वह रफ्ता-रफ्ता उठती जा रही हैं। श्री जी० एस० पाठक; श्री सी० डी० देशमुख, शेख मुहम्मद अब्दुल्ला साहब और दूसरे सारे ऐसे लोग जो हमें इन्स्पायर कर सकते थे। मुल्क की खिदमत के लिए, जिनको देखकर हम सबक हासिल कर सकते थे, वह आज हमारे दरम्यान में नहीं हैं।

मैं खासतौर से शेख साहब के बारे में कहना चाहता हूं कि आज हिन्दुस्तान को उनकी सख्त जरूरत थी क्योंकि मुल्क में जिस तरीके की नफ्रत फैल रही है और जैसे हालात हैं, उसमें ऐसी शख्सियत की जरूरत है जिसके बारे में बाबा-ए-कौम महात्मा गांधी ने भी सन् 1947 में कहा था कि मुझे पूरे हिन्दुस्तान में अन्धेरा दिखाई दे रहा है, लेकिन एक रोशनी की किरण काश्मीर में है जो कि कौमी इत्तहाद की एक जीती-जागती तस्वीर है।

मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से आपसे दरख्वास्त करता हूं कि हमारा ताजियती पैगाम उनके खानदान वालों के पास पहुंचा दिया जाये।

श्री सतीश अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, शोक प्रस्ताव पेश करते हुए आपने भारत के इन सुविख्यात सपूतों द्वारा देश की गई महान सेवा उल्लेख किया है। दुर्भाग्यवश मुझे इनमें से किसी के साथ भी व्यक्तिगत रूप से सम्बद्ध होने का अवसर नहीं मिला, इसलिए मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव के बारे में कुछ भी नहीं कह सकता। फिर भी मैं सभा में आपके द्वारा एवं सभा के नेता द्वारा व्यक्त की गई भावनाओं में शामिल होता हूं और अपनी तथा अपने दल की ओर से भारत के उन सपूतों के दुःखद निधन पर उनके शोक संतप्त परिवारों को अपनी हार्दिक शोक संवेदना भेजता हूं और आप इसके संतप्त परिवारों को हमारी संवेदनायें भेज दें।

प्रो० मधु दण्डवते : अध्यक्ष महोदय, हमारे देश के महान व्यक्तियों की जिन्होंने स्वतन्त्रता संग्राम के दौरान और धर्म निरपेक्षता पर चलने के लिए हमें प्रेरित किया था, मृत्यु हो रही है। इन्हीं में हाल ही में गुजरे शेख अब्दुल्ला भी हैं।

शेख अब्दुल्ला को चाहे वह जेल में रहे हों या बाहर, ठीक ही 'शेरे काश्मीर' कहा गया है वह काश्मीर में गरजते थे हांलाकि वहां कभी-कभी साम्प्रदायिकता की बातें उठाये जाने की कोशिश की जाती थी, लेकिन इसके बावजूद सारी काश्मीर घाटी धर्म-निरपेक्षता की गूंज से हमेशा गूंजती रही है अब जबकि शेख अब्दुल्ला हमारे बीच नहीं रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि धर्म-निरपेक्षता की आवाज गूंजती रहेगी। यदि उस समय शेख अब्दुल्ला न होते जबकि काश्मीर

के भारत में विलय का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया था तो मैं नहीं जानता कि हमारे देश पर कितना बड़ा संकट आ जाता। लेकिन उन्होंने सही राय दी। वह धर्म-निरपेक्षता के लिए लड़े। वह सभी प्रगतिवादी विचारों के लिए लड़े। उन्होंने काश्मीर में एक नया कार्यक्रम बनाया, जिसके अन्तर्गत उन्होंने भूमिहीन व्यक्तियों में भूमि के वितरण का काम शुरू किया। वह सामन्यवादी शक्तियों के विरूद्ध लड़े और उन्होंने धर्म-निरपेक्ष राज्य के लिए संघर्ष किया। आज जब वह नहीं रहे, तो हम आशा कर सकते हैं कि काश्मीर में, जो कि भारत का एक अभिन्न अंग है, उनके आदर्शों का चलन जारी रहेगा।

इसके साथ ही मुझे भारत के एक अन्य सपूत श्री सी० डी० देशमुख की याद आती है वह हमारे देश की एक महान हस्ती थे, जिनमें ईमानदारी और विद्वत्ता का अनोखा संगम था। वह सत्ता के लालची नहीं थे। उन्होंने जीवन में हमेशा अपने मूल्यों को सर्वोपरि माना। भाषा के आधार पर राज्यों के पुनःगंठन में विश्वास रखते हुए भी, उन्होंने जब महाराष्ट्र का भाषा के आधार पर गंठन हुआ, तो उन्होंने मन्त्रीमंडल से त्याग पत्र दे दिया, हालांकि वह सुयोग्य सदस्य थे। सी० डी० देशमुख के एक अध्यापक होने पर गौरव है। वह एक महान शिक्षाविद थे, जिन्होंने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में महान कार्य किया, मैं इसकी प्रशंसा करता हूं। उन्होंने कई एक शिक्षा संस्थानों को दिशा निर्देश दिये। आज जब हम राष्ट्रीयकरण की बात करते हैं, तो हम उसको भूल नहीं सकते। श्री देशमुख के कार्यकाल में ही जीवन बीमा निगम बनाया गया और जीवन बीमे का राष्ट्रीयकरण किया गया। उन्होंने हमारी सुदृढ़ आर्थिक ढ़ांचे की नींव रखी। जो लोग हमारी वित्तीय संस्थाओं के उचित विनियमन रखते हैं, वे डा० देशमुख को सदैव याद करेंगे।

उप राष्ट्रपति श्री पाठक ने अपना काम सदैव बड़ी गरिमा और प्रतिष्ठा से किया। इसी गरिमा और मर्यादा से उन्होंने अपने पद से विदाई ली।

श्री गुणानन्द जैसे अन्य युवा साथी भी हैं—

मैं अपने साथी गुणानन्द ठाकुर से समाजवादी आन्दोलनों से सम्बद्ध रहा हूं मैं उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

मैं, आपके और अन्य दलों के नेताओं के साथ दिवंगत सदस्यों के परिवारों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करने में शामिल होता हूं।

श्री रामावतार शास्त्री : अध्यक्ष जी, हमारे बीच से नौ पुराने रहनुमा और सहयोगी हमें छोड़ कर चले गए। आपने और प्रधान मन्त्री जी ने इन मृत आत्माओं के प्रति जो भावनायें व्यक्त की हैं, उनके साथ मैं अपने को और अपने दल को शामिल करते हुए शेख मुहम्मद अब्दुल्ला के प्रति दो शब्द निवेदन करना चाहूंगा।

शेख मुहम्मद अब्दुल्ला हमारे स्वतन्त्रता संग्राम के पुराने और प्रभावशाली नेता रहे हैं। उन्होंने अंग्रेजी साम्राज्य के खिलाफ हुए संघर्ष में कभी भी उनके साथ समजौता नहीं किया और वे लगातार आजादी के आन्दोलनों में आगे बढ़कर हिस्सा लेते रहे हैं इतना ही नहीं स्वतन्त्रता के

बाद डोगरा-शाही के खिलाफ, डोगरा व्यवस्था की निरंकुशता के खिलाफ वे लड़ते रहे और अन्त में उनको भी पराजित किया।

इसके अलावा राष्ट्रपिता महात्मागांधी और जवाहरलाल नेहरू के बाद धर्म-निरपेक्षता की नीति में जो सबसे ज्यादा कट्टरता के साथ, मजबूती के साथ विश्वास करते हैं, उनमें शेख मुहम्मद अब्दुल्ला का नाम बराबर लिया जाता रहेगा। वे जीवन पर्यन्त देश की एकता और धर्म-निरपेक्षता की नीति को मजबूती के साथ लागू करने के लिए लड़ते रहे। इतना ही नहीं, जब पाकिस्तान ने उस समय हमारे मुल्क पर हमला किया, तब उस समय भी उन्होंने मुकाबला किया और काश्मीर की तमाम जनता को हिन्दू-मुसलमान, सिख, ईसाई सबको मिलाकर के रखा और अंग्रेजी साम्राज्यवाद के जमाने में भी उन्होंने साम्प्रदायिक संगठनों को अपने राज्य में पनपने नहीं दिया। तो इतनी महान् देन देश की एकता के प्रति उनकी है। हमारी सैकूलरइज्म की नीति के प्रति और देश भक्ति के प्रति उनका महान व्यक्तित्व रहा है। हम उनके चले जाने से बहुत दुखी हैं।

आखीर में मैं अपने एक साथी गुणानन्द ठाकुर जी के बारे में कुछ कहे बगैर नहीं रह सकता। उनके साथ मुझे लोक सभा में रहने का मौका मिला है। सन् 1965-66 के जमाने में जन-आन्दोलनों में उनके साथ भाग लेने का मुझे मौका मिला है और हम दोनों जेल में भी एक साथ रहे हैं। वे हमारे ऐसे साथी थे जो गरीबी मिटाने में और आम जनता के लिए लड़ाई लड़ने में आगे रहे।

अन्य हमारे साथी जो हमारे बीच से चले गये, उन सबके प्रति मैं अपनी तरफ से और अपने दल की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके शोक संतप्त परिवार को आपके जरिये अपनी संवेदना भेजता हूं।

श्री ए० नीलालोहियादसन नाडार : अध्यक्ष महोदय, अपने देश के 9 सपूतों के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आपने और इस सदन के नेताओं ने जो विचार प्रकट किये हैं, मैं उनसे सहमत हूं।

शेख अब्दुल्ला साहब जो हमारे राष्ट्रीय अग्रणीय नेताओं में से एक थे। प्रकृति रमणीय काश्मीर को हमारी राष्ट्रीय मुख्य धारा में सम्मिलित करने के लिए उन्होंने जो महत्वपूर्ण काम किया है, उसके लिए हमारे देश का हर एक व्यक्ति उनका हमेशा के लिए आभारी रहेगा। वे प्रगतिशील, आर्थिक एवं सामाजिक नीतियों के पुजारी रहे हैं। वे काश्मीर के शेर कहलाते थे लेकिन वास्तव में वे हमारे राजनीतिक जीवन के शेर हमेशा के लिए रहे। मैं याद करता हूं, अध्यक्ष महोदय, कि हमारी पार्टी के नेता श्री बहुगुणा के साथ जो उनका सम्बन्ध था, वह जीवन भर रहा मैं अपनी ओर से और अपनी पार्टी की ओर से उनको अद्धांजलि अर्पित करता हूं।

श्री देशमुख हमारे अर्थ-शास्त्र के सच्चे विद्वान रहे हैं और जहां जहां उन्होंने पैर रखा, वहां वहां उन्होंने अपने व्यक्तित्व की अमिट छाप डाली।

श्री० जी० एस० पाठक ने उप-राष्ट्रपति के तौर पर जो महत्वपूर्ण काम किया है, वह हमारे

इतिहास का एक अंग बन गया है। राज्य सभा के चैयरमैन के तौर पर उन्होंने जो महत्वपूर्ण काम किया है; वह भी हमारे संसदीय इतिहास का एक अंग बन गया है। अन्य जो हमारे साथी रहे हैं चाहे वह रामप्पा बालप्पा बिहारी हों, चाहे डा० बाबूराव पटेल हों, चाहे रामचन्द्र वड़े हों, चाहे विजय भूषण सिंह देव हों, चाहे गुणानन्द ठाकुर हों और चाहे रघुवीर सिंह शास्त्री हों, उन सबने अपने-अपने समय में इस सदन को अपना-अपना योगदान दिया है। उन सबके निधन पर मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

श्री रामविलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, अभी आपने सदन के नेता तथा दूसरे विपक्षी दलों के नेताओं ने जो संवेदना व्यक्त की है और श्रद्धांजलि अर्पित की है, मैं भी अपनी ओर से और अपने दल के तमाम सदस्यों की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

शेख अल्दुल्ला साहब के संबंध में जितना कुछ कहा जाए, कम है। हमारे देश में बहुत कम महारथी बचे थे, जिनमें शेख अल्दुल्ला साहब का नाम सबसे अग्रणी रूप से लिया जाता था। वे जिस समुदाय से आए थे, उसके बावजूद उनमें जो राष्ट्रीयता और धर्म-निरपेक्षता और संकल्प शक्ति थी, वह अद्वितीय थी। उनके अभाव में देश को अपार क्षति हुई है।

पाठक जी उप-राष्ट्रपति थे। उप-राष्ट्रपति का पद ही एक ऐसा पद है, जिससे उस व्यक्ति की गरिमा का पता चल जाता है।

देशमुख की अर्थशास्त्री थे अर्थशास्त्र में ही नहीं बल्कि अर्थ-नीति के सम्बन्ध में भी बहुत योगदान रहा है।

हमारे साथी श्री गुणानन्द ठाकुर बहुत थोड़ी उम्र में चले गए। उनकी सामाजिक सेवा से सबको शिक्षा लेनी चाहिए। किस तरह से गरीबी के खिलाफ लड़ते हुए अल्पायु में ही हम लोगों के बीच से चले गए।

हमारे अन्य साथियों का भी देश के लिए काफी योगदान रहा है और इस सदन में भी उनका काफी योगदान रहा है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि हमारी संवेदना को आप उनके परिवारों तक पहुंचाने का कष्ट करें। इन शब्दों के साथ मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव : अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा और माननीय सदन के नेता द्वारा तथा विभिन्न दलों के नेताओं द्वारा व्यक्त संवेदना से मैं अपने आपको संबद्ध करते हुए यह कहना चाहता हूं कि इन नेताओं का इस देश में काफी योगदान रहा। मैं खासतौर से श्री गुणानन्द ठाकुर जी के बारे में दो शब्द कहना चाहूंगा। वे हमारे जिले से आते थे। वे समाजवाद की प्रतिपूर्ति थे। बिहार की राजधानी पटना से लेकर दिल्ली तक उनके कार्य को देखा जा सकता था। चाहे वे सदस्य नहीं थे, लेकिन उनके निवास स्थान पर गरीब लोगों का तांता लगा रहता था, जो अपनी समस्याओं को उनके सामने रखते थे। उन समस्याओं से जूझते हुए इतनी अल्पायु में ही उनका देहांत हुआ। अपने पीछे जो वे जवाबदेही छोड़ गए हैं, उसको पूरा करने में हम सब लोग सहयोग

करें और उनके आदर्शों पर चलने का पक्का इरादा करें।

हम अपनी ओर से, अपने दल की ओर से और तमाम सहयोगियों की ओर से संवेदना प्रकट करते हैं और आपसे आग्रह करते हैं कि इस संवेदना को उनके परिवार तक पहुंचा दें।

श्री जी० एम० बनातवाला : अध्यक्ष महोदय, डा० पाठक भूतपूर्व उपराष्ट्रपति, शेख अब्दुल्ला तथा अन्य नेताओं की मृत्यु पर व्यक्त की गई संवेदना में हम शामिल होते हैं।

शेख अब्दुल्ला भारत के एक निर्माता थे। वह धर्म निरपेक्ष, लोक तन्त्र के सिद्धान्तों को मानने वाले थे और देश के साथ-साथ काश्मीर के लिए, उन्होंने बहुत काम किया। वह सच्चे शब्दों में शेरे-काश्मीर थे। एक व्यक्ति के रूप में उनकी सबसे बड़ी खूबी यह थी कि वह किसी भी किस्म की कटुता से मुक्त थे, हालांकि उनके जीवन में काफी उतार-चढ़ाव आये।

मैं इस अवसर पर अपने दल, मुस्लिम लीग की ओर से दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और शोक संतप्त परिवारों को लोक संवेदना भेजता हूं।

श्री चन्द्रजीत यादव : (आजमगढ़) मैं अध्यक्ष तथा प्रधान मन्त्री द्वारा व्यक्त की गई भावनाओं से सहमत हूं शोक संतप्त परिवारों को अपनी हार्दिक संवेदना भेजता हूं।

हमने कई एक महत्वपूर्ण नेताओं और योग्य सहयोगियों को खो दिया है। उप-राष्ट्रपति श्री पाठक हमारे देश के अग्रणी नेताओं में से एक थे और संसदीय जीवन में योगदान को सदैव याद किया जायेगा।

शेख अब्दुल्ला हमारे एक बड़े राष्ट्रीय नेता थे। स्वतन्त्रता संग्राम और नये भारत के निर्माण में उनके योगदान को सदैव याद किया जाता रहेगा। वह भविष्य में भी लोगों को धर्म निरपेक्ष और लोकतन्त्र में अपनी अटूट आस्था से प्रेरित करते रहेंगे। हालांकि वह अब नहीं रहे, मुझे विश्वास है कि वह जिन आदर्शों और सिद्धांतों में विश्वास रखते थे वे काश्मीर के लोगों के दिलों-दिमाग पर छाये रहेंगे। हालांकि, आजादी के बाद, उन्होंने अपना कार्यक्षेत्र नए काश्मीर के निर्माण तक ही केन्द्रित रखा, लेकिन राष्ट्र के सारे लोग उनकी ओर देखते रहते थे इसलिए वह हमारे एक बड़े राष्ट्रीय नेता माने जाते हैं।

श्री गुणानन्द ठाकुर छोटी आयु में चल बसे। दुर्भाग्यवश वह अपने पीछे चार छोटे बच्चे छोड़ गये हैं उनके पांच बच्चों में से केवल बड़ी पुत्री की ही शादी हुई है। अन्य सभी छोटे हैं। वह एक समर्पित कार्यकर्त्ता थे।

श्री देशमुख के हमारे राष्ट्रीय जीवन में योगदान को सदैव याद किया जायेगा।

इन शब्दों के साथ मेरा आपसे अनुरोध है कि मेरे और मेरे दल की ओर से शोक संतप्त परिवारों को हमारी संवेदनायें भेज दी जायें।

श्री सी० टी० दण्डपाणि : अध्यक्ष महोदय, मैं देश के इन विख्यात नेताओं और विद्वानों के निधन पर आप तथा प्रधान मन्त्री द्वारा व्यक्त की गयी शोक संवेदना में शामिल होता हूं।

श्री जी० एस० पाठक एक बड़े अधिवक्ता और शिक्षक थे। उन्होंने संसदीय संस्थाओं को सुदृढ़ करने में बड़ा योगदान किया ।

शेरे काश्मीर शेख अब्दुल्ला हमारे एक बड़े नेता थे। वह इस राष्ट्र के निर्माता थे। वह इस राष्ट्रीय एकता की प्रति मूर्ति थे। वह राज्य को और अधिकार देने के पक्ष में थे और एक विशेष क्षेत्र की वकालत करते थे। हालांकि उन्होंने अपना सारा ध्यान एक क्षेत्र विशेष पर ही केन्द्रित किया, लेकिन वह महान् थे और इस देश के जाने माने नेता थे।

श्री सी० डी० देशमुख तथा अन्य व्यक्तियों ने देश के लिए बहुत काम किया।

मैं अपने दल डी० एम० के द्रमुक की ओर से शोक संतप्त परिवारों को संवेदना भेजता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मुझे यकीन है कि शोक संतप्त परिवारों को संवेदना भेजने में सदन मेरा साथ देगा ।

सभा अपनी संवेदना प्रकट करने के लिए कुछ देर के लिए मौन खड़ी होगी।

तत्पश्चात सदस्यगण कुछ देर तक मौन खड़े हुए।

नये मन्त्रियों का परिचय

प्रधान मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : अध्यक्ष महोदय, मैं अब अपने मन्त्रिमंडल में शामिल हुए नये मन्त्रियों का परिचय देती हूं।

अध्यक्ष महोदय : हां,।

श्रीमती इन्दिरा गांधी :

राज्य मंत्री

(1) श्री एच० के० एल० भगत—निर्माण और आवास मन्त्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री

(2) श्री पट्टाभि रामराव—वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री

(3) श्री वीरभद्र सिंह—उद्योग मन्त्रायल में राज्य मन्त्री

उप मंत्री

(1) श्री अशोक गहलौत—पर्यटन मन्त्रालय में उप मन्त्री

(2) श्री दिग्विजय सिंह—पर्यावरण विभाग में उप मन्त्री

(3) श्री गुलाम नवी आजाद—विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में उप मन्त्री

श्रीमन् खड़े है कि मैं श्री रामचन्द्ररथ का नाम छोड़ गई । उनको बुखार था और मैंने सोचा था कि शायद वह नहीं आ सकेंगे। लेकिन मैं देखती हूं कि वह आये हुए हैं मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि वह रसायन और उर्वरक मन्त्रालय में राज्य मन्त्री हैं।

डा० सुब्रह्मण्यण स्वामी : उनको डर था कि कहीं आप उनको मन्त्री परिषद से निकाल न दें।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : ऐसा कोई डर नहीं है।

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय प्रश्न संख्या एक और 19 को इकट्ठा किया जा सकता है। अगर आप पढ़े तो पायेंगे कि प्रश्न संख्या एक और 19 एक जैसे हैं।

अध्यक्ष महोदय : अगर मन्त्री महोदय मानते हैं, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : श्रीमन्, क्या मैं प्रश्न संख्या एक का ही उत्तर पढ़ूं या मैं प्रश्न संख्या 19 का उत्तर भी साथ में पढ़ूं ?

अध्यक्ष महोदय : यह आप पर निर्भर करता है। अगर आप सहमत हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

राव बीरेन्द्र सिंह : मैं दो उत्तरों को पढ़ूंगा। मुझे कोई इतराज नहीं है।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

अमरीका से गेहूं का आयात

*1. **श्री तारिक अनवर** :

श्री बी० डी० सिंह : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस वर्ष भारत अमरीका से 25 टन गेहूं की खरीद करेगा ;

(ख) यदि हां, तो भारत सरकार अमरीका से इतनी बड़ी मात्रा में गेहूं खरीदने के लिए क्यों तैयार हुई जबकि इस वर्ष भारत में गेहूं की वसूली नब्बे लाख टन के उच्चतम स्तर तक जा पहुंची है ; और

(ग) पिछली बार आयात किये गेहूं के खरीद मूल्य की तुलना में इस वर्ष खरीदे गए गेहुं के खरीद-मूल्य का ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्री (श्री राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) और (ख) जी हां। बफर स्टाक तैयार करने की दृष्टि से और मूल्यों पर दबाव को कम करने के उपाय के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका से आयात करने के लिए 24.95 लाख मीटरी टन गेहूं की मात्रा का ठेका किया गया है जिसका लदान सितम्बर, 1982 के दौरान होना है।

(ग) गेहूं की इस 24.95 लाख मीटरी टन का जहाज पर निष्प्रभार कुल मूल्य 4108.38 लाख अमरीकी डालर है जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका से पिछले वर्ष आयात के लिए ठेकाबद्ध गेहूं की 15.15 लाख मीटरी टन मात्रा का मूल्य 2620.66 लाख अमरीकी डालर था। इस वर्ष अमरीकी गेहूं का जहाज पर निष्प्रभार औसत मूल्य 164.66 अमरीकी डालर प्रति मीटरी टन बैठता है जबकि पिछले वर्ष 172.98 अमरीकी डालर प्रति मीटरी टन था।

खाद्यान्नों का आयात

*19. **श्री सत्यनारायण जटिया :**

प्रो० मधु दण्डवते : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में खाद्यान्नों की आवश्यकता पूरी करने के लिए चालू वर्ष में गत तीन वर्षों की अपेक्षा कितना गेहूं आयात किया जायेगा और उसका मूल्य क्या होगा ; और

(ख) देशवार कितना तथा कितने मूल्य का गेहूं आयात किया जायेगा ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्री (राव बीरेन्द्र) : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण सभा के पटल पर रखा जाता है।

(विवरण)

चालू वर्ष के दौरान और पिछले तीन वर्षों में देशवार आयात के लिए ठेकाबद्ध गेहूं की मात्रा और उसका मूल्य बताने वाला विवरण

वर्ष	देश	ठेकाबद्ध	अनुमनित जहाज पर निष्प्रभार मूल्य
		(लाख टन)	(मिलियन डालर)
1979-80	शून्य	शून्य	शून्य
1980-81	शून्य	शून्य	शून्य
1981-82	संयुक्त राज्य अमेरिका	15.15	अमरीकी डालर 262.066
	आस्ट्रेलिया	7.50	आस्ट्रेलिया डालर 118.600
1982-83	संयुक्त राज्य अमेरिका	24.95	अमरीकी डालर 410.838

श्री तारिक अनवर : अध्यक्ष महोदय, अभी मंत्री जी ने जैसा बताया कि बफर स्टाफ को बनाये रखने के लिये हमें बाहर से गेहूं मंगाना पड़ रहा है, यह तो जरूरी है कि हमारे मुल्क में बफर स्टाफ बना रहे, और इसके लिए अगर आयात करने की भी आवश्यकता पड़ती है तो वह भी आयात किया जाना चाहिये, लेकिन मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि जहां हम आयात पर काफी पैसा खर्च कर रहे हैं, वहां हम क्या ऐसा भी विचार कर रहे हैं कि अपने देश के किसानों का उत्साह बढ़ाने के लिये, जो रेट अभी सरकार ने फिक्स किया है, उसे बढ़ाने का विचार कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो प्रोक्योरमेंट होता है, जो लोगों से हम लेते हैं, वह उतना ठीक ढंग से नहीं होता है जितना कि होना चाहिये। हमारा टारगेट पूरा नहीं होता है। तो क्या सरकार किसानों का उत्साह बढ़ाने के लिए इस पर विचार कर रही है ?

राव बीरेन्द्र सिंह : अगले साल जब गेहूं के लिए रेट फिक्स करने का समय आएगा, तब उस पर विचार करेंगे ···(व्यवधान) ···

एक माननीय सदस्य : बोलने से पहले घोषणा होनी चाहिए। ···(**व्यवधान**)···

राव बीरेन्द्र सिंह : माननीय सदस्य ने पूछा कि हम किसानों के लिए क्या कर रहे हैं। इसके लिए बार-बार मैं हाउस में बता चुका हूं कि पिछले साल के लिए 142 रु० क्विंटल हमने गेहूं के प्रोक्योरमेंट का भाव तय किया था और इन पिछले तीन सालों में 115 रु० से लेकर 142 रु० गेहूं का भाव हम बढ़ा चुके हैं, जब से इस सरकार ने शासन संभाला है। यह काफी बढ़ौतरी है। इसी का नतीजा है कि इस साल चावल और गेहूं को मिलाकर जो प्रोक्योरमेंट हुआ है, वह आल-टाइप रिकार्ड है। इससे ज्यादा आज तक कभी प्रोक्योरमेंट नहीं हुआ। यह किसानों को अच्छा भाव देने की वजह से हुआ है और सरकार की अच्छी नीतियां किसानों को सहारा देने की है उसकी वजह से हुआ है।

श्री तारीक अनवर : अध्यक्ष महोदय, इस बात की आम चर्चा है, जो हमारे अनाज रखने के भंडार है, जैसे एफ० सी० आई० है, उसकी देखरेख ठीक ढंग से नहीं होती है। हमें यह जानकारी मिली है कि कीड़ों की वजह से या चूहों की वजह से या किसी और वजह से देखरेख ठीक ढंग से नहीं हो रही है। जिसकी वजह से करीब दस प्रतिशत अनाज हमारे देश का बर्बाद होता है। क्या इसके लिए जो जिम्मेदार है, उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी या नहीं ? उसमें क्या सुधार लाने की व्यवस्था हो रही है जिससे जो अनाज हमारा बर्बाद होता है वह बच सके ?

राव बीरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं इनकी बात से इन्कार कर सकता हूं, माननीय सदस्य का ख्याल बिल्कुल गलत है कि एफ० सी० आई० के गोदामों में स्टोरेज का ज्यादा नुकसान होता है देश में कितना नुकसान होता है, क्या परसेंटेज है, लोडिंग की वजह से ···(**व्यवधान**)···

श्री रशीद मसूद : यह आपको बताना चाहिए कि दस प्रतिशत, बीस प्रतिशत या पचास प्रतिशत कितना है ?

राव बीरेन्द्र सिंह : दस प्रतिशत तो देश का बता रहे हैं मैं इस मामले की बहस में नहीं

जाता हूं। लेकिन एफ० सी० आई० के गोदामों में स्टोरेज के अन्दर सिर्फ 0-55 प्रतिशत के करीब नुकसान होता है। जो हमारी निगाह में वाजिब है, लेकिन हम इसको भी घटाकर और कम करना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह इस प्रश्न से ताल्लुक नहीं रखता है। अगर आप इसको प्राइस का कह देते, तो मैं मान लेता।

···(व्यवधान)···

श्री बी० डी० सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत दुर्भाग्यपुर्ण बात है कि हमारे देश की इतनी बड़ी जनसंख्या कृषि उप्पादन में लगी हुई है, लेकिन हमें अभी भी बाहर से गेहूं आयात करना पड़ रहा है। प्रारम्भ से ही कृषि के उत्पादन पर इतना जोर नहीं दिया गया, गेहूं के आयात पर ज्यादा जोर दिया गया। पिछले चार सालों, 1977 से 1980 तक के अंतराल को छोड़कर, जिसमें गेहूं का आयात नहीं किया गया। उसके बाद के सालों से आयात करना शुरू कर दिया। पिछले साल 2.26 मिलियन टन इम्पोर्ट किया और अब 2.5 मिलियन टन करने जा रहे हैं। तो मान्यवर. आप के माध्यम से मैं माननीय कृषि मंत्री जी से अपने सप्लीमेंटरी में ए, बी, सी तीन पार्ट में उत्तर जानना चाहगां।

अध्यक्ष महोदय : एक सवाल ही करिये।

श्री बी० डी० सिंह : पहला प्रश्न यह है कि ऐसी भ्रान्तियां फैली हुई हैं कि एफ० सी० आई० ने या आपने जो गेहूं किसानों से क्रय किया है, वह डैमेज्ड था। किसानों के पास जो अच्छा गेहूं था, उसको तो व्यापारियों ने खरीद लिया और होर्ड कर रहे हैं और बाहर भेज रहे हैं लेकिन जो डैमेज्ड गेहूं था बरसात की वजह से या गेहूं में कनिलिबन्ट डिलिज लग जाने की वजह से जो गेहूं खराब हो गया था, उसको आपने खरीदा है और वह डैमेज्ड गेहूं जो है वह करीब 20 प्रतिशत है और अब आप गेहूं को इम्पोर्ट कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि इस इम्पोर्टेड गेहूं को, जो 20 प्रतिशत डैमेज्ड गेहूं है और जो कन्ज्यूमएबिल नहीं है उसके साथ आप डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहे हैं ? क्या आप इस तरह का आश्वासन देंगे कि ऐसा नहीं होगा ? दूसरा सवाल यह है ···

अध्यक्ष महोदय : अब एक ही सवाल करिये।

श्री वी० डी० सिंह . यह बहुत जल्दी हो जायेगा।

अध्यक्ष महोदय : अभी बहुत से सवाल हैं।

श्री वी० डी० सिंह : दूसरा सवाल यह है कि ऐसा महसूस किया जाता है कि कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए जो अपेक्षा की जाती थी, उस स्तर पर प्रयास नहीं किया गया। तो मैं जानना चाहता हूं कि आप कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए टाप प्रायरटी पर कोई ऐसी योजना बनाकर इसको चलाने का काम करेंगे ? और (सी) प्लाइन्ट मेरा यह है ···

अध्यक्ष महोदय : मैं एक प्रश्न की अनुमति दे सकता हूं लेकिन आप पहले दो प्रश्न पूछ चुके है। मैं केवल एक प्रश्न पूछने की अनुमति दे सकता हूं।

श्री वी० डी० सिंह : यह बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। इसका उत्तर आप दिलवा दीजिए। यह बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है।

अध्यक्ष महोदय : सारे ही सवाल इम्पोर्टेंट हैं। मैं अनुमति नहीं दे सकता।

श्री वी० डी० सिंह : यह बहुत इम्पोर्टेंट है।

अध्यक्ष महोदय : आप पहले दोनों खत्म कीजिए।

श्री वी० डी० सिंह : कृषि मंत्री जी इस बात को बराबर कहते रहे हैं कि हम किसानों को ज्यादा सपोर्ट प्राइस देने के लिए तय करते हैं। मैं यह जानना चाहूंगा कि आप रेम्यूनरेटिव या प्राइसेज लाभकारी मूल्य किसानों को दिलाने के लिए कुछ कदम उठाएंगे; जिससे उनको अधिक उत्पादन के लिए प्रोत्साहन मिल सके।

अध्यक्ष महोदय : आखरी सवाल का जवाब दीजिए।

राव बीरेन्द्र सिंह : किसानों को लाभकारी कीमत देने के लिए जो सरकार करती रही है वह मैं अभी बता चुका हूं कि 142 रुपये प्रति क्वीटल गेहूं की कीमत फिक्स की है और यह ए० पी० सी० की रिकमैंडेशन के मुताबिक सही अन्दाजा था। अभी हमने स्पीकर साहब, हाल ही में, मैं एनाऊन्स करना चाहूंगा आपकी इजाजत से, कि पैडी की कीमत सरकार ने मुकर्रर कर दी है 122 रुपये और पिछले साल के मुकाबले 7 रुपये बढ़ा कर हमने पैडी की कीमत मुकर्रर की है 1 तारीख से।

श्री सत्यनारायण जटिया : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि जो इम्पोर्ट से आने वाली गेहूं है, इसका सी-पोर्ट में (पर टन) कितना भाव होगा ?

अध्यक्ष महोदय : यह तो आप जोड़ लेते।

श्री एन० के० शेजवलकर : इसमें किराया कितना है, यह नहीं बताया है।

श्री सत्यनारायण जटिया : मैं यह जानना चाहता हूं कि यह जो इम्पोर्टेड गेहूं है, सी-पोर्ट पर जाने के बाद इसका भाव क्या होगा, अभी वर्तमान में गेहूं का स्टाक कितना है और हम कितना स्टाक करना चाहते हैं। जो स्टाक आप बनाना चाहते हैं, किसानों को इन्सेंटिव देकर उस को पूरा करने का क्या आप मंशा रखते हैं ?

राव बीरेन्द्र सिंह : पिछले साल जो अमेरिका और आस्ट्रेलिया से गेहूं खरीदा गया था, इस साल उससे कम कीमत पर गेहूं खरीदने में रामयाब हुए हैं और यह सरकार और सरकारी अफसरों की कुशल नीति के कारण हुआ है।···(व्यवधान)··· इस साल जो हमने गेहूं खरीदा है, उसकी एवरेज प्राइस यू० एस० डालर में 164.66 पर टन है।

श्री एन० के० शेजवलकर : यह तो आपने बता दिया है।

राव बीरेन्द्र सिंह : नहीं बताया है, अब बता रहा हूं।

राव बीरेन्द्र सिंह : उसके मुकाबले में जितना हमने गेहूं अमरीका से खरीदा, उसकी कीमत थी 172.98 यू० एस० डालर और जो आस्ट्रेलिया से खरीदा, उसकी कीमत थी 181.11 यू०एस० डालर उसके मुकाबले में अब काफी कम कीमत एवरेज पर खरीदा गया है पोर्ट के ऊपर अगर रुपयों में आप जानकारी चाहते हैं तो इस साल पोर्ट पर 203.61 रुपए प्रति क्विंटल पड़ा है (**व्यवधान**)

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : यह सरकार भारतीय किसानों के लिए है या अमेरिका के किसानों के लिए ? (**व्यवधान**)

राव बीरेन्द्र सिंह : इस 203 रुपये में किराया भी शामिल है, जो 33.00 हैं, पोर्ट के हैंडलिंग चार्जेज भी शामिल हैं, एंशोरेंस भी शामिल है और पिछले साल 209.71 रुपये प्रति क्विंटल पड़ा था, उसने बनिस्पत यह कीमत काफी कम है। जबकि यू० एस० डालर की कीमत भी बढ़ गई है। अगर उसको भी इसमें शुमार किया जाए तो यह पहले से काफी सस्ता पड़ा है। (**व्यवधान**)

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती—महोदय, आपको यह बताना चाहिए। वे राष्ट्रीय हितों की उपेक्षा कर रहे हैं।

श्री सत्यनारायण जटिया : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि हमारे देश में कितना गेहूं का बफर स्टाक है और कितना हम रखना चाहते हैं।

राव बीरेन्द्र सिंह : हमारी पालिसी के मुताबिक किसी भी वक्त साल में हमारे यहां 12 मिलियन टन बफर स्टाक होना चाहिए। इसके अलावा अप्रैल के महीने में 3.5 से 3.8 मिलियन टन अपरेशनल स्टाक और होना चाहिए और जुलाई में जो बफर स्टाक इकट्ठा होता है, उसको देखते हुए 11 महीने— 12 महीने तक हमको डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम चलाना पड़ता है। इसलिए 8.2 से 8.8 मिलियन टन हम और बफर स्टाक आपरेशनल स्टाक के लिए रखना चाहते हैं। इस तरह से किसी भी वक्त साढ़े पंद्रह मिलियन टन से लेकर 20 मिलियन टन के ऊपर बफर स्टाक होना चाहिए, लेकिन इस साल और पिछले साल यह बफर स्टाक कम था, जिसको पूरा करने के लिए हमने इम्पोर्ट किया। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंतर्गत राशन की दुकानें भी बढ़ रही हैं, आफ टेक भी काफी बढ़ रहा है और आवादी भी काफी बढ़ रही है। इसलिए प्राइसेस को कंट्रोल करने के लिए और बफर स्टाक को पूरा करने के लिए यह गेहूं खरीदा है और इस मौके पर खरीदा है जब हमें सस्ता मिल गया। (**व्यवधान**)

प्रो० मधु दंडवते— प्रश्न संख्या 19 के साथ संलग्न विवरण में माननीय मंत्री महोदय ने बताया है कि 1981-82 में आयात किए गये गेहूं पोत पर्यन्त जहाज पर निशुल्क अनुमति मूल्य इस प्रकार था : अमेरिका से मंगाए गए गेहूं की कीमत 2620.66 लाख अमेरिकी डालर और आस्ट्रे-

लिया से मंगाए गए गेहूं की कीमत 1186.001 लाख आस्ट्रेलियन डालर थी। अब, 1982-83 में यह बढ़कर 4108.34 लाख अमीरकी डालर हो गई है। इतनी अधिक वृद्धि ! प्रथमतः में माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि इन आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए इतने अधिक खाद्यान्नों का आयात क्यों किया गया। यदि उनके अनुसार इसका औचित्य भी है तो में उनसे यह पूछना चाहता हूं। अभी पिछले प्रश्न का उत्तर देते हुए, मंत्री महोदय ने कहा कि अन्य सभी खर्चों को मिलिकर अमरीकी किसान को 203.61 रुपए प्रति क्विंटल दिया गया।

अध्यक्ष महोदय—नहीं-नहीं।

राव बीरेन्द्र सिंह : यह भारत पहुंचने तक का मूल्य है।

प्रो० मधु दंडवते– भारतीय किसान को 142 रुपपे देने आयात किया गया गेहूं 203.61 के भाव से खरीदने से आप पर अतिरिक्त बोझ पड़ा है।

दोनों मूल्यों में इतने, अधिक अंतर को देखते हुए, जिसका भुगतान आपको करना ही है। क्या आप भारतीय किसान से खरीदे जाने वाले गेहूं के मूल्य बढ़ाने और उन्हें लाभप्रद मूल्य देने का आसान विकल्प अपनाना नहीं चाहेंगे ताकि आयातित गेहूं के मूल्य और देश के गेहूं के मूल्य में उत्पन्न भारी अंतर को दूर किया जा सके और साथ ही भारतीय किसानों की मदद की जा सके महोदय मुझे विश्वास है कि आप भी इस प्रश्न का समर्थन करेंगे।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : वे कमीशन कहां से लेंगे।

राव बीरेन्द्र सिंह : महोदय मेरे पास जो कुछ भी है इसमें से यह हिस्सा बांट सकते हैं और उनके पास जो कुछ भी है उसमें मैं हिस्सा बांट सकता हूं।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती–महोदय, यह स्वीकारोक्ति हैं। उनका कहना है वह बांट सकते है। उसका अर्थ है वह कमीशन लेते हैं।

राव बीरेन्द्र सिंह : मुझे जो गालियां मिलती हैं वह इन्हें भी बांट सकते हैं।

श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी : लेकिन रूसी लोग अमरीकियों से अधिक कमीशन देते हैं।

नागर विमानन तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : आप बहुत ज्ञानवान हैं। आप ठीक कह रहे हैं।

प्रो० मधु दंडवते : उनकी स्वीकारोक्ति रिकार्ड हो चुकी है।

राव बीरेन्द्र सिंह : हम खाद्यान्नों का उत्पादन, जो कि हमारा प्रमुख उद्देश्य है, बढ़ाने के लिए निरन्तर कदम उठा रहे हैं क्योंकि इसी से हमारी खाद्य समस्या का समाधान होगा। उत्पादन बढ़ाने के संबंध में उच्चतम सीमा तक वसूली करने तथा किसानों को लाभप्रद मूल्य देने वाली हमारी नीतियां बहुत सफल रही हैं।

गेहूं के उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि हुई है। पिछले वर्ष लगभग 365.00

लाख टन गेहूं का उत्पादन हुआ था जो कि अब तक का रिकार्ड था। लेकिन हमारे इस वर्ष के जो आंकड़े हैं उनसे पता चलता है कि गेहूं का उत्पादन बढ़कर 378.00 लाख टन हो गया है। जो कि एक रिकार्ड है और वह तब हुआ जबकि असायिक वर्ष से 20 लाख टन गेहूं खराब हो गया।

श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी : फिर भी आप गेहूं आयात कर रहे हैं।

प्रो० मधु दंडवते : आपने पहले खंड का उत्तर नहीं दिया है। 1981.82 से 1982.83 तक आयात में इतनी अधिक वृद्धि क्यों हुई।

राव बीरेन्द्र सिंह : अत्याधिक वृद्धि किसमें ?

प्रो० मधु दंडवते : मैंने केवल आप के द्वारा दिए गए आँकड़े ही दिये हैं।

राव बीरेन्द्र सिंह : इसीलिए इस वर्ष अधिक मात्रा में गेहूं खरीदा गया।

कई माननीय सदस्य : क्यों ?

राव बीरेन्द्र सिंह : मैं पहले ही बता चुका हूं कि हम अपने भंडार को पूरा करना चाहते हैं (व्यवधान)

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : आप भारतीय किसान को पैसा दें।

प्रो० मधु दंडवते : महोदय, कृपा उन्हें सलाह दीजिये उन्होंने कहा है कि इस वर्ष रिकार्ड उत्पादन हुआ और क्या इसीलिए आप इस बार आयात करने जा रहे हैं। उनका तर्क क्या है ?

श्री नीरेन घोष : महोदय, वे अमेरीकियों के आभारी हैं।

राव बीरेन्द्र सिंह : अपने अच्छे प्रयासों के बावजूद हम अपनी कमी को पूरा करने के लिए आवश्यक मात्रा में वसूली नहीं कर सकते।

कुछ माननीय सदस्य : क्यों ?

राव बीरेन्द्र सिंह : देश में गेहूं की मात्रा सीमित है···

(व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते : महोदय, क्या आप संतुष्ट हैं ?

एक माननीय सदस्य : एक तरफ वह कहते हैं कि रिकार्ड उत्पादन हुआ है और दूसरी तरफ उनका कहना है पर्याप्त वसूली नहीं हुई है।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : रिकार्ड उत्पादन, रिकार्ड वसूली और रिकार्ड आयात यह सब कैसे संगत हैं ?

प्रो० मधु दंडवते : क्या आप संतुष्ट हैं ?···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। हमें उनकी बात को एक निश्चित परिप्रेक्ष्य में देखना होगा उन्होंने यह कहा है।

कृपा पहले उनकी बात सुनिए, फिर उनकी बात का विश्लेषण करने का प्रयत्न करिए और तब निष्कर्ष पर आइए। रिकार्ड उत्पादन रिकार्ड वसूली और रिकार्ड खरीदा। इससे भी उसकी पूर्ति नहीं हुई है। कृपया स्पष्ट करने का प्रयत्न कीजिए।

राव बीरेन्द्र सिंह : हम 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत, जैसा कि हम निर्णय ले चुके हैं, सार्वजनिक वितरण प्रणाली को विस्तुत कर रहे हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में अधिक गेहूं के साथ-साथ चावल देने की आवश्यकता है। हाल ही में इसमें आंश्चर्यजनिक वृद्धि हुई है और हमारे अथक प्रयासों के बावजूद हम सार्वजनिक वितरण प्रणाली की आवश्यकता पूरी करने के लिए पर्याप्त वसूली नहीं कर पाए।

उसके अतिरिक्त, हम मूल्यों पर नियंत्रण रखना चाहते हैं, व्यापारियों को विदेशों से गेहूं आयात करने पर आपत्ति हो सकती है। हम व्यापारियों को बाजार में स्थिति बिगाड़ने की अनुमति नहीं देंगे (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हम इस पर वाद में चर्चा करेंगे।

प्रो० मधु दंडवते : इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा होने दीजिए -

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल समाप्त होता है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

देश के विभिन्न भागों में बाढ़ के कारण हानि

*2. **श्री रशीद मसूद** :

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : क्या कृषि मन्त्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, तथा देश के अन्य भागों में हाल ही में आई बाढ़ के कारण अनुमानतः कितनी जन-धन और फसलों की हानि हुई, और

(ख) स्थिति का मुकाबला करने के लिए राज्य सरकारों को किस प्रकार की केन्द्रीय सहायता दी गई है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया है।

(ख) (1) केन्द्रीय सरकार ने उड़ीसा तथा उत्तर प्रदेश के लिए क्रमशः 15 करोड़ रुपए की धनराशि उपाय एवं साधन पेशगी के रूप में नियुक्ति की है।

(2) उत्तर प्रदेश, बिहार तथा उड़ीसा, प्रत्येक को 10,000 मीटरी टन खाद्यान्नों की अतिरिक्त मात्रा दी गई थी।

विवरण

1982-83 के दौरान बाढ़ों से हुई क्षति को प्रदर्शित करने वाला विवरण

राज्य का नाम	प्रभावित जिलों की संख्या	प्रभावित जनसंख्या (लाखों में)	मृतक मनुष्यों की संख्या	मृतक पशुओं की संख्या	पूरी तरह/ आंशिक रूप क्षतिग्रस्त में मकानों की संख्या	प्रभावित सस्यगत क्षेत्र
1	2	3	4	5	6	7
असम						
10 जून से 28 जुलाई, 82 14 सितम्बर, 1982	6	10.91	14	—	—	0.39
आन्ध्र प्रदेश						
15-16 जून, 82	हैदराबाद शहर	सूचित नहीं किया गया	11	सूचित नहीं किया गया	987	—
कर्नाटक						
(1) उदुप्पी तालुक में	—	5417	18	64	714	सूचित नहीं

1	2	3	4	5	6	7
						किया गया
(2 जून, 82)		(व्यक्ति)				
(2) अगस्त, 82 में बाढ़	5	1.50	16	31	9160	1.03
बिहार						
अगस्त-सितम्बर,82	14	41.90	24	12	39697	2.55
मध्य प्रदेश						
अगस्त, 1982	13	18.31	56	1470	43734	4.30
उड़ीसा						
(1) संबलपुर	1	1.62	9	200	14036	सूचित नहीं किया गया
(अगस्त, 82						
(2) बाढ़	8	54.00	131.9	26359	510049	12 लाख
(अगस्त-सितम्बर,	82)		(खोये गए)			
उत्तर प्रदेश	43	201	492	2149	3,75,000	28.97
त्रिपुरा	3	1.10	4	44	4,808	0.31

सिंचाई और जल संरक्षण में भारत-रूस समझौता

*3 **श्री नरसिम्हा रेड्डी :**

श्री पी० के कोडियन : क्या सिंचाई मन्त्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने सिंचाई, जल संरक्षण आदि पर रूस के साथ कोई समझौता किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और क्या इसके परिणामस्वरूप देश में और विशेषकर आन्ध्र प्रदेश में कुछ चुनी हुई परियोजनाओं को लाभ पहुंचेगा एवं उनके नाम क्या हैं ;

(ग) इन परियोजनाओं को रूस से मिलने वाली सहायता-वित्तीय, तकनीकी, सामग्री आदि की सहायता का स्वरूप क्या है ; और

(क) भारत को सहायता कब से मिलने लगेगी ?

सिंचाई मन्त्री (श्री केदार पाण्डे) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) से (घ) सिंचाई मन्त्री की अध्यक्षता में एक शिष्टमन्डल की 5 से 12 सितम्बर, 1982 तक की हाल की यात्रा के दौरान, सोवियत संघ के भूमि संरक्षण तथा जल प्रबन्ध मन्त्रालय और भारत के सिंचाई मन्त्रालय के प्रतिनिधियों के बीच 12.9.82 को विचार-विमर्श के एक नयाचार पर हस्ताक्षर किए गए थे। दोनों पक्षों के शिष्टमण्डलों ने पहले से ही सम्मत मदों की प्रगति की पुनरीक्षा की, अर्थात् ;

(1) जलीय (हाईड्रालिक) संरचनाओं के भौतिक और गणितीय माडल तैयार करना ;

(2) सिंचाई प्रणालियों में जलीय घासपात का जैविक नियन्त्रण ;

(3) एक प्रयोगात्मक नहर और बांध के निर्माण के लिए दिशात्मक विस्फोटन तकनीकों का प्रयोग ;

(4) नहर संरचनाओं के निर्माण तथा नहरों को पक्का करने के लिए पूर्व-निर्मित संघटकों के उत्पादन के लिए एक उद्यम स्थापित करना ;

(5) भूतल और भूमिगत जल का संयुक्त उपयोग ;

(6) गैर-चट्टानी नींवों पर ऊंचे मिट्टी के, चट्टान भराई और कंक्रीट के बांधों का अभिकल्प ;

(7) अन्तः बेसिन नदी प्रवाह का अन्तरण ;

(8) लवणीय भूमि का सुधार ;

(9) जलाशय की मियाद की सम्भावना को बढ़ाने के लिए गाद नियन्त्रण पद्धतियों का विकास ;

(10) पा गम्य नीवों पर निम्न शीर्ष बराजों का अभिकल्प ; और

(11) सिचाई के क्षेत्र में विभिन्न मदों के सम्बन्ध में तकनीकी सूचना /साहित्य का आदान-प्रदान ।

सोवियत संघ पक्ष निम्नलिखित सेक्टर में सहयोग देने पर विचार करने के लिए सहमत हो गया :

(1) बांध तथा अन्य जल संसाधन विकास संरचनाओं के भू-भौतिकीय अन्वेषण ;

(2) जल संसाधन विकास परियोजनाओं पर यथा-प्रयुक्त शैल-यांत्रिकी, और ;

(3) जल संसाधन विकास प्रणालियों के पारिस्थितिकी प्रभाव का विश्लेषण ।

तकनीकी सहयोग के लिए उपर्युक्त क्षेत्र तत्वतः प्रौद्योगिकी अन्तरण और सूचना के आदान प्रदान तथा तकनीकी सहायता की प्रकृति के हैं और वे किसी विशिष्ट परियोजना से संबन्धित नहीं हैं ।

इससे पहले के नयाचार के परिणामस्वरूप, सोवियत संघ के साथ दो विशिष्ट करारों पर हस्ताक्षर किए गए थे जो निम्न प्रकार हैं :

(1) गुजरात में नहर संरचनाओं के निर्माण और नहर को पक्का करने के लिए पूर्व-निर्मित संघटकों के उत्पादन हेतु गुजरात में एक उद्यम स्थापित करने के लिए व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने के वास्ते 3.12.1982 को गुजरात सरकार और सोवियत संघ के बीच हस्ताक्षरित संविदा ।

(2) दिशात्मक विस्फोटन तकनीक की पद्धति के प्रयोग द्वारा हिमाचल प्रदेश में एक प्रयोगात्मक बांध के निर्माण के लिए व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने के वास्ते केन्द्रीय जल आयोग और सोवियत संघ के बीच 31.12.1981 को हस्ताक्षरित संविदा ।

इस समय, इन दोनों करारों का क्रियान्वयन प्रगति पर है । उपर्युक्त परियोजनाओं तत्वतः प्रायोगिक (पायलट) परियोजनाएं हैं । इन दोनों परियोजनाओं के परिणामस्वरूप प्राप्त होने वाले अनुभव का देश में अन्यत्र इसी प्रकार की परियोजनाओं के लिए प्रयोग किया जा सकता है ।

नयाचार से उपलब्ध होने वाली सहायता की प्रकृति मूलतःप्रोद्योगिकी के अन्तरण की है । उपर्युक्त दोनों संविदाओं के कार्यान्वयन में होने वाले व्यय के एक अंश को 10 दिसम्बर, 1980 को नई दिल्ली में दोनों देशों के बीच हस्ताक्षरित आर्थिक तथा तकनीकी सहयोग के सम्बन्ध में एक समग्र करार के अन्तर्गत, सोवियत संघ की सरकार द्वारा भारत सरकार को दिए गए 520 मिलि

यन रूबल के सोवियत ऋण और इस समय लागू भारत-सोवियत व्यापार करार के अन्तर्गत पूरा किया जा रहा है।

निर्धारित क्षेत्रों में तकनीकी सहयोग की प्रक्रिया पहले ही आरम्भ हो गई है।

महाराष्ट्र में पेयजल का अभाव

*4. **श्री ए० टी० पाटिल :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र के कतिपय भागों में सूखे की स्थिति इतनी गम्भीर हो गई है कि ग्रामीणों को टैंकरों और बैलगाड़ियों से पेयजल की आपूर्ति करनी पड़ी है, और

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार स्थायी पेयजल आपूर्ति योजनाएं अपना कर इन गांवों की पेयजल की आपूर्ति की समस्या को सुलझाने के लिए महाराष्ट्र सरकार को सहायता देने हेतु कोई विशेष कदम उठायेगी ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) आमतौर पर, सूखे की स्थिति में पीने के पानी की भी सदा कमी हो जाया करती है। महाराष्ट्र सरकार से प्राप्त ज्ञापन के अनुसार राज्य सरकार को चालू सूखे के कारण 1040 गांवों में बैलगाड़ियों एवं टैंकरों से पानी की दैनिक सप्लाई की व्यवस्था करनी होगी।

(ख) त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के तहत भारत सरकार महाराष्ट्र सहित अन्य राज्य सरकारों को समस्याग्रस्त गांवों में पीने के पानी की सप्लाई की समस्या से निपटने के लिए वित्तीय सहायता देती रही है। 1982-83 के दौरान इस कार्यक्रम के तहत महाराष्ट्र को 4.96 रुपए की राशि आवंटित की गई है। इसमें से प्रथम किश्त के रूप में 2.50 करोड़ रुपये की राशि नियुक्त की गई है। अतिरिक्त राशि इस धनराशि के उपयोग के आधार पर नियुक्त की जाएगी।

धान और गन्ने का वसूली मूल्य

*5. **श्री गुलाम रसूल कोचक :**

श्री डूमर लाल बैठा : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि मूल्य आयोग ने अपने बहुमत प्रतिवेदन में 1982-83 के विपणन मौसम के लिए धान तथा मोटे अनाजों की आम किस्मों के लिए प्रति क्विंटल 122 रुपये के वसूली मूल्य की सिफारिश की है,

(ख) क्या कृषि मूल्य आयोग ने आगामी पैराई के मौसम के लिए गन्ने के लिए 15.50 रु० प्रति क्विंटल सांविधिक न्यूनतम मूल्य, की भी सिफारिश की है,

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है, और

(घ) सरकार के अन्तिम निर्णय की कब तक घोषणा किये जाने की संभावना है और क्या इस बारे में राज्य सरकारों से परामर्श किया जाएगा ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) कृषि मूल्य आयोग ने यह सिफारिश की है कि:

(i) वर्ष 1982-83 के मौसम के लिए धान की सामान्य किस्म के लिए 115/-रुपए प्रति क्विंटन के मूल मूल्य देने के अलावा, उत्पादकों को प्रति क्विंटल 7.00 रुपए वसूली प्रोत्साहन दिया जाए ; तथा

(ii) वर्ष 1982-83 के मौसम के लिए ज्वार, बाजरा, मक्का तथा रागी की उचित किस्म का वसूली मूल्य 118/- रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया जाए ।

(ख) कृषि मूल्य आयोग ने यह सिफारिश की है कि 8.5 प्रतिशत की मूल वसूली के लिए वर्ष 1982-83 के मौसम के लिए गन्ने का न्यूनतम सांविधिक मूल्य 13.50 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया जाए । उन्होंने यह भी सिफारिश की है कि इस मूल्य के अलावा, उत्पादकों को 2/- रुपए प्रति क्विंटल गन्ने के हिसाब से परिवहन लागत भी दी जाए ।

(ग) तथा (घ) उपरोक्त सिफारिशों पर राज्य सरकारों से विचार-विमर्श किया गया था धान के सम्बन्ध में, सरकार ने सामान्य किस्म की धान का वसूली मूल्य 122/- रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित करने का निर्णय लिया है, जो कि पिछले वर्ष के लिए किए गए निर्धारित वसूली मूल्य से 6.1 प्रतिशत अधिक है । मोटे अनाज के सम्बन्ध में सरकार ने आयोग की रिपोर्ट को मंजूर कर लिया है । वर्ष 1982-83 के मौसम के लिए गन्ने का न्यूनतम सांविधिक मूल्य निर्धारित करने के प्रश्न पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है तथा इस सम्बन्ध में शीघ्र ही निर्णय ले लिया जाएगा ।

एशियाड खेलों के टिकटों की बिक्री

***6. श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या खेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) एशियाड खेलों के टिकटों की बिक्री का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या राजधानी में टिकट प्राप्त करने के लिए कुछ लोगों द्वारा अपने पदों का दुरूपयोग किए जाने के कुछ मामले प्रकाश में आये हैं ; और

(ग) यदि हां, तो काउंटरों पर अत्यधिक भीड़ न होने देने तथा संभावित भगदड़ रोकने के लिए दिल्ली खेल प्राधिकारियों द्वारा किए गए प्रबन्धों का ब्यौरा क्या है ?

पूर्ति मंत्रालय के तथा खेल विभाग के राज्य मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) नवम एशियाई खेल, 1982 के टिकट स्टेट बैंक आफ इण्डिया के माध्यम से भारत के 91 शहरों में 129 बिक्री केन्द्रों में और विदेशों में एयर इण्डिया तथा इण्डियन एयर लाइन्स के माध्यम से 35 देशों में बेचे गये हैं ।

(ख) और (ग) : नवम एशियाई खेलों की विशेष आयोजन समिति के नोटिस में ऐसा कोई विशिष्ट मामला नहीं आया है । दिल्ली में 9 बिक्री केन्द्रों के माध्यम से टिकटें प्रतिदिन बेची

जाती थीं प्रत्येक केन्द्र में लगभग 15 बिक्री काउन्टर थे जिनकी व्यवस्था स्टेट बैंक आफ इण्डिया के अधिकारियों द्वारा की जाती थी। प्रत्येक केन्द्र पर टिकटें प्राप्त करने के लिए लोगों से पंक्ति बनाने के लिए कहा जाता था यह सुनिश्चित करने के लिए कोई भगदड़ अथवा अप्रिय घटना न घटे पुलिस की पर्याप्त व्यवस्था थी। टिकटों को प्राप्त करने से सम्बन्धित स्थिति की घोषणा आवाज लगाकर बार-बार की जाती थी और उसे बिक्री काउन्टरों पर लगाया जाता था। दिल्ली में भगदड़ के किसी मामले की रिपोर्ट नहीं मिली।

सूखा ग्रस्त क्षेत्रों को सहायता

*7. **श्री नवीन रवाणी :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कृषि मूल्य आयोग के चेयरमैन ने सूखा ग्रस्त क्षेत्रों को अधिक सहायता देने की सिफारिश की है,

(ख) यदि हां, तो सूखा ग्रस्त क्षेत्रों को दी गई सहायता की राशि की वर्तमान प्रतिशतता कितनी है, और

(ग) कृषि मूल्य आयोग के चेयरमैन ने कितनी प्रतिशतता का सुझाव दिया था और उस पर सरकार ने क्या निर्णय किया है?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्री (राव बीरेन्द्र सिंह) (क) जी नहीं।

(ख) तथा (ग) प्रश्न ही नहीं होता।

सम्बलपुर, उड़ीसा में वर्षा और तूफान से हानि

*8. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय ने अगस्त, 1982 के तीसरे और अन्तिम सप्ताह में उड़ीसा में सम्बलपुर में अत्यधिक वर्षा और तूफान आने के कारण मनुष्यों, फसल, पशुधन और सम्पत्ति की हुई कुल हानि के विषय में कोई, अनुमान लगाया है,

(ख) यदि हां, तो उनके द्वारा लगाये गये अनुमान के अनुसार कुल कितनी हानि हुई,

(ग) अब तक वहां पर राहत और पुनर्वास के क्या उपाय किए गए हैं, और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्री (राव बीरेन्द्र सिंह) (क) तथा (ख) : इस मन्त्रालय द्वारा गठित एक अन्तर मंत्रालयी केन्द्रीय दल द्वारा क्षति का जायजा लिया जाता है। इस प्रकार के दल ने 16 तथा 21 सितम्बर, 1982 के बीच उड़ीसा के बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और इसकी रिपोर्ट की प्रतिक्षा है।

(ग) तथा (घ) : राज्य सरकार ने निम्नलिखित उपाय किए हैं।

(1) व्यथित लोगों को आयात राहत देने के लिए राहत शिवर खोले गए थे ;

(2) नि:शुल्क राहत दी गई थी ;

(3) प्रभावित लोगों को टीका लगाने तथा उनका उपचार करने के लिए चिकित्सा अधिकारियों के चलते-फिरते दल काम पर लगाए गए थे।

(4) पशुओं को टीका लगाने के लिए उपाय किए गए थे ;

(5) प्रभावित क्षेत्र रोगाणुओं से युक्त कर दिए,गए हैं, और

(6) प्रभावित लोगों को कपड़े दिए गए थे।

तीसता बाँध परियोजना पर भारत-बंगलादेश वार्ता

*9 **श्री चित्त बसु :**

श्री सनत कुमार मंडल : क्या सिचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तीसरा बांध परियोजना के निष्पादन के बारे में बंगलादेश सरकार के साथ द्विपक्षीय चर्चा की थी; और

(ख) यदि हां, तो उस चर्चा का क्या परिणाम निकला ?

सिचाई मंत्री (श्री केदार पाण्डे) : (क) और (ख) भारत-बंगलादेश संयुक्त नदी आयोग की 22वीं बैठक 28 अगस्त, 1982 को ढाका में हुई थी। आयोग ने, अन्य बातों के साथ, दोनों देशों के बीच तीस्ता के जल के बटवारे के बारे में विचार-विमर्श किया था। बंगलादेश के पक्ष ने बंगलादेश में तीस्ता बराज परियोजना को शीघ्र पूरा करने के लिए बटवारे के एक परस्पर सम्मत सूत्र के बारे में समझौता करने की आत्यावश्यकता पर जो दिया। भारतीय पक्ष ने भी इस मामले के शीघ्र समाधान की आवश्यकता को स्वीकार किया। तदनुसार, दोनों पक्षों ने तीस्ता के जल के बटवारे के लिए एक सूत्र को शीघ्रतापूर्वक निश्चित करने के संबंध में समझौता करने के लिए अपनी सरकारों की वचनवद्धता व्यक्त की और वे इस बात पर सहमत हुए कि संयुक्त नदी आयोग को ऐसे किसी सूत्र को तीन महीनों के भीतर, किन्तु छः महीरों की अवधि से पहले अन्तिम रूप देने का प्रयत्न करना चाहिए। इस बात पर भी सहमति हुई थी कि तीस्ता के जल का और अधिक वैज्ञानिक आधार पर बटवारा करने और क्षेत्र के लोगों को अधिकतम लाभ देने के लिए गहन अध्ययन साथ-साथ आरम्भ किये जाएगे। वे, उस अवधि के अन्दर पूर्ण किये जाने वाले इन अध्ययनों को ध्यान में रखकर, तीन वर्षों के अन्त में स्थिति का पुनरीक्षण करने के लिए सहमत हुए।

विजिनजाम मत्स्य हार्बर

*10. **श्री ए० नीलालोहियादसन नाडार** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विजिनजाम मत्स्य हार्बर परियोजना के वाणिज्यिक महत्व

जांच करने के लिए अन्वेषी मत्स्य परियोजना, बम्बई द्वारा विजिनजाम तट के पास "बैंज बैंक" तथा अन्य गहरे समुद्र में मत्स्य स्थलों पर किये गये मत्स्य स्रोत मूल्यांकन सर्वेक्षण के परिणाम उत्साहजनक निकले हैं, और

(ख) यदि हां, तो विजिनजाम मत्स्य हार्बर परियोजना के दूसरे और तीसरे चरण को स्वीकृति देने में सरकार द्वारा विलम्ब किये जाने के क्या कारण हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयमें राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) बैंज बैंक क्षेत्र के समन्वेषण से सम्बन्धित मार्च, 1982 में प्राप्त हुई प्रगति रिपोर्ट से मत्स्य संसाधनों से लाभ उठाने की संभावनाओं के संकेत मिलते हैं। मत्स्य संसाधनों का और समन्वेषण कार्य चल रहा है। अभी तक अन्तिम रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।

(ख) इसमें कोई विलम्ब नहीं हुआ है। मार्च, 1982 में प्राप्त हुई इस क्षेत्र के समन्वेषण से सम्बन्धित उत्साहवर्द्धक रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने सार्वजनिक निवेश बोर्ड की अनुमति प्राप्त करने के लिए इस योजना के सम्बन्ध में कार्रवाई करने के लिए सिद्धान्त रूप में फैसला किया है।

राज्यों में सूखा

*11. **श्री चिंतामणि जेना :**

श्री अनन्त रामुलु मल्लु : क्या कृषि मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्षा कम होने के कारण देश के कुछ भागों को भयंकर सूखे का सामना करना पड़ रहा है,

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं,

(ग) स्थिति का सामना करने के लिए राज्यों द्वारा माँगी गई सहायता का ब्यौरा क्या है,

(घ) क्या किसी केन्द्रीय दल ने इन क्षेत्रों का दौरा किया है, और

(ङ) इस दल के निष्कर्ष क्या हैं और इन राज्यों को दी गई सहायता का ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) और (ख) राज्यों से अब तक प्राप्त ज्ञापनों के अनुसार आंध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल सूखे से प्रभावित हुए हैं।

(ग) सूखा राहत के लिए राज्यों द्वारा माँगी गई सहायता नीचे दी गई हैं :—

राज्य		मांगी गई केन्द्रीय सहायता (करोड़ रुपए में)
1.	आन्ध्र प्रदेश	200.00
2.	बिहार	226.10
3.	महाराष्ट्र	131.14
4.	उड़ीसा	57.93
5.	उत्तर प्रदेश	164.97
6.	पश्चिम बंगाल	72.83

(घ) केन्द्रीय दलों ने पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार तथा उड़ीसा के राज्यों का दौरा किया है ।

(ङ) **पश्चिम बंगाल**

केन्द्रीय दल की रिपोर्ट तथा उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार ने पश्चिम बंगाल के लिए 24.77 करोड़ रुपए के व्यय की अधिकतम सीमा मंजूर की है ।

उड़ीसा, उत्तर प्रदेश तथा बिहार का दौरा करने वाले केन्द्रीय दलों से रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है ।

अच्छे किस्म के चावल का निर्यात

* 12. **श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार को आन्ध्र प्रदेश से अच्छे किस्म के चावल के निर्यात के बारे में कोई अभ्यावेदन दिया है ;और

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) और (ख) : जी हां। आन्ध्र प्रदेश सरकार ने कम से कम एक लाख मीटरी टन बढ़िया बहुत बढ़िया चावल का निर्यात करने की अनुमति देने के लिए अनुरोध किया था। लेकिन उनके इस अनुरोध को स्वीकार नहीं किया गया था क्योंकि यह चावल के बारे में मौजूदा निर्यात नीति के अनुसार नहीं था। मौजूदा नीति के अनुसार गैर बासमती चावल का निर्यात सरकार से सरकार के आधार पर केवल भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से करना होता है ।

सूखा/बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम चलाया जाना

* 13. **श्री उमाकान्त मिश्र** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में सूखे, बाढ़ और ओलावृष्टि से प्रभावित जिलों में

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम चलाने के लिए राज्यों को शत-प्रतिशत सहायता देने का है,

(ख) क्या उक्त प्रभावित क्षेत्रों में सभी प्रकार की सहायता के लिए धन तथा खाद्यान्न दिया गया है, और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) (क) जी, नहीं।

(ख) तथा (ग) :

(1) केन्द्रीय सरकार ने उड़ीसा तथा उत्तर प्रदेश के लिए क्रमशः 15करोड़ रुपये तथा 10 करोड़ रुपए की धन राशि अग्रिम साधयोपायों के रूप में निर्मुक्त की है।

(2) उत्तर प्रदेश, बिहार तथा उड़ीसा प्रत्येक को 10,000 मीटरी टन खाद्यान्नकी अतिरिक्त मात्रा दी गयी थी।

पश्चिम बंगाल को सूखा राहत कार्यों के लिए राशि का आवंटन

*14. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यह सच है कि चालू वित्त वर्ष में सूखा राहत कार्यों के लिए पश्चिम बंगाल सरकार ने केन्द्र सरकार से 74 करोड़ रूपये का आवंटन करने का अनुरोध किया है,

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिए पश्चिम बंगाल को कितनी धनराशि आवंटित की गई है, और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा शेष राशि का आवंटन कब तक दिये जाने का विचार है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) पश्चिम बंगाल सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष में सूखा राहत कार्यों के लिए 72.83 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता के लिए अनुरोध किया था।

(ख) राहत सम्बन्धी उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार ने सूखा राहत कार्यों के लिए 24.77 करोड़ रुपए के अधिकतम व्यय की मंजूरी दी है।

(ग) केन्द्रीय दल द्वारा स्थिति का जायजा लेने तथा राज्य सरकार के साथ विचार-विमर्श करने के आधार पर केन्द्रीय सहायता की मंजूरी दी गई है। अतः शेष राशि के आवंटन का प्रश्न ही नहीं होता।

दिल्ली में आवासीय और वाणिज्यिक भवनों का तल क्षेत्रफल अनुपात

*15. **श्री अशफाक हुसैन :**

श्री राजेश कुमार सिंह : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली नगरपालिका तथा दिल्ली विकास प्राधिकरण के औद्योगिक और वाणिज्यिक क्षेत्रों में आवासीय और वाणिज्यिक भवनों का तल-क्षेत्रफल अनुपात क्या है ;

(ख) क्या इन क्षेत्रों में कोई ऊंचाई संबंधी प्रतिबंध भी है;

(ग) क्या यह सच है कि कुछ होटलों को अपने तल-क्षेत्रफल अनुपात, और ऊंचाई को बढ़ाने की अनुमति प्रदान की गई है जो "टाउन एंड कन्ट्रीप्लानिंग" विभागों तथा दिल्ली अरबन आर्ट कमीशन" के निदेशों और मार्गदर्शी सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लघंन है ; और

(घ) इन होटलों का ब्यौरा क्या है तथा इन मार्गदर्शी सिद्धान्तों और निदेशों के उल्लघंना के संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

संसदीय तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) वृहत योजना क्षेत्रीय विनियमनों के अनुसार, रिहायशी क्षेत्र के मामले में 25 व्यक्ति प्रति एकड़ से 250 व्यक्ति प्रति एकड़ तक का कुल रहायशी घनत्व के बारे में फर्शी क्षेत्र के अनुपात क्रमशः 75 से 175 तक के मध्य भिन्न-भिन्न है ; वाणिज्यिक भवनों के बारे में, कनाट प्लेस और इसके विस्तार का सामान्य व्यापार एवं वाणि-ज्यिक क्षेत्रों के आस-पास विपन केन्द्रों के बारे में फर्शी क्षेत्र अनुपात वाणिज्यिक क्षेत्रों के समूह के अनुसार 100 से 250 तक भिन्न है ।

(ख) रिहायशी विकास के मामले में, रिहायशी भवनों (सामूहिक विकास) की अधिकतम ऊंचाई 80 फुट है जिसकी अनुमती उन कुछेक रिहायशी ब्लाकों में सरकारी भूमि के विकास के मामले में अधिकतम 120 फुट तक दी जा सकती है, जहां आस-पड़ौस के लिए ऊपरी पानी की टंकियों की व्यवस्था की जानी है । वाणिज्यिक भवनों के मामले में, अलग-अलग भवन की ऊंचाई के बारे में निर्णय विस्तृत योजना के आधार पर किया जाता है । मौजूदा कनाट प्लेस के मामले में, अधिकतम ऊंचाई 47 फुट 6 इंच है । होटल भवनों के मामले में, ऊंचाई 120 फुट तक प्रतिष्ठित है जब तक अन्यथा दिल्ली विकास प्राधिकरण और हवाई पत्तन विनियमनों द्वारा निर्धारित नहीं किया जाता ।

(ग) रायसीना रोड और विण्डसर प्लेस के चौराहे पर बनाये जा रहे होटल के मामले में दिल्ली विकास प्राधिकरण और दिल्ली नगर कला आयोग ने होटल भवन के लिए 212 फुट की ऊंचाई की मंजूरी दी है जिसके लिए वे होटल, बोर्डिंग हाउस, अतिथि गृह, होस्टल्स, लाजिंग हाउस और मोटल्स (भवन मानक) विनियमन, 1977 के अन्तर्गत ऐसा करने के लिए सक्षम हैं । फर्शी क्षेत्र अनुपात के मामले में, दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया है कि किसी होटल भवन के लिए कोई छूट नहीं दी गई है ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

गन्ना पेराई कार्य

*16. **श्री रामलाल राही** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों द्वारा इस वर्ष गन्ने की पेराई का काम कब तक शुरू किये जाने की संभावना है ; और

(ख) क्या ये मिलें उसी तारीख से पेराई का काम शुरू करेंगी, जिस तारीख से इन्होंने गत वर्ष शुरू किया था अथवा कुछ देर से शुरू करेंगी तथा इस संबंध में ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्री (श्री राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) और (ख) एक विवरण सभा के पटल पर रखा जाता है जिसमें वर्ष 1981-82 में उत्तर प्रदेश की चीनी फैक्टिरयों द्वारा फैक्ट्रीवार, पिराई कार्य आरम्भ करने की तारीखें और चीनी फैक्ट्रियों से प्राप्त सूचना के अनुसार वर्ष 1982-83 में पिराई कार्य शुरू करने की प्रत्याशित तारीखों का ब्यौरा दिया गया है ।

विवरण

1981-82 के दौरान पिराई कार्य शुरू करने की तारीखें और 1982-83 में पिराई कार्य शुरू करने की प्रत्याशित तारीख को बताने वाला विवरण

फैक्ट्रियां	1981-82 में पिराई कार्य शुरू करने की तारीखें	1982-83 में पिराई कार्य शुरू करने की प्रत्याशित तारीखें
पश्चिम उत्तर प्रदेश		
1. मोदीनगर	5.11.81	नवम्बर, 82 का पहला सप्ताह—7
2. मोही उद्दीनपुर	17.11.81	सूचित नहीं किया
3. मेरठ	21.11.81	25.11.82
4. बुधपुर	14.11.81	25.11.82
5. दौराला	6.11.81	1.11.82
6. एस० टांडा	30.11.81	15.11.82
7. मवासा	6.11.81	नवम्बर, 82
8. बागपत	30.11.81	15.11.82
9. सिम्भावली	9.11.81	25.11.82
10. खतौली	11.11.81	18.11.82
11. मन्सूरपुर	16.11.81	15.11.82
12. रोहनाकलां	13.11.81	सूचित नहीं किया
13. शामली	13.11.81	15.11.82

1	2	3
14. बुलन्दशहर	4.12.81	7.12.82
15. असूपशहर	13.11.81	सूचित नहीं किया
16. देवबंद	4.11.81	1.11.82
17. सहारनपुर	16.11.81	1.11.82
18. सरसावा	I6.11,81	20.11.82
19. इकवालपुर	5.11.81	1.11.82
20. लक्सर	7.12,81	15.11.82
21. डोईवाला	7.12.81	1.12.82
22. हरदुआगंज	17.11.81	22.1182
23. छाता	30.11.81	7.12.82
24. ननौटा	3.11.81	1.11.82
मध्य उ० प्र०		
1. विजनौर	18.11.81	15.11.82
2. चांदपुर	4.11.81	सूचित नहीं किया
3. धामपुर	7.11.81	15.11.82
4. शिवहारा	18.11.81	20.11.82
5. राजा का सहारनपुर	30.11.81	15.11.82
6. अमरोहा	2311.81	20.11.82
7. रजा बुलन्द	23.11.81	सूचित नहीं किया
8. विलासपुर	17.11.81	10.11.82
9. बरेली	28.11.81	दिसम्बर, 82 का प्रथम सप्ताह
10. बहेड़ी	22.10.81	22.11.82
11. रोजा	9.11.81	1.11.82
12. काशीपुर	13.11.81	20.12.82

1	2	3
13. बाजपुर	27.11.81	नवम्बर 82 का प्रथम सप्ताह
14. पीलीभीत	14.11.81	15.11.82
15. विशालपुर	18.11.81	18.11.82
16. नेवली	18.11.81	10.1182
17. गोला	4.11.81	3.11.82
18. ऐरा	2.11.81	1.1182
19. हरगांव	1,11.81	1.11.82
20. विसवान	30.10.81	7.11.82
21. महोली	30.11.81	18.11.82
22. हरदोई	16.11.81	15.11.82
23. मझोला	23.11.81	10.11.82
24. पलियाकलां	15.11.81	6.11.82
25. किच्छा	25.11.81	सूचित नहीं किया
26. कायमगंज	19.11.81	10.11.82
27. एक्सपैरीमैन्टल	5.1.82	30.11.82
28. नदेही	16.11.81	20.11.82
29. बदायूं	18.11.81	1.11.82
30. विलरायां	6.11.81	7.11.82
31. तिल्हा	18.11.81	25.10.82
पूर्वी उ० प्र०		
1. रतना	3.11.81	सूचित नहीं किया
2. मसोदा	26.11.81	15.11.82
3. वारावंकी	16.12.81	7.11.82
4. वुढ़बल	14.12.81	15.11.82

1	2	3
5. जरवाल रोड	6.12.82	15.11.82
6. बलरामपुर	15.11.81	15.11.82
7. तुलसीपुर	30.11.81	15.11.82
8. नवाबगंज	9.12.81	18.11.82
9. बभनान	8.12.81	15.11.82
10. वालटरगंज	10.12.81	12.11.82
11. बस्ती	10.12.81	17.11.82
12. मुंडेरवा	18.12.82	1.12.82
13. खलीलाबाद	25.11.81	15.11.82
14. आनन्दनगर	29.11.81	22.11.82
15. सरदार नगर	30.11.81	15.11.82
16. डायमण्ड	24.11.81	सूचित नहीं किया
17. घुघली	11.12.81	7.11.82
18. सिसवा बाजार	16.1.82	1.11.82
19. खड्डा	16.11.81	सूचित नहीं किया
20. छितौनी	25.11.81	15.11.82
21. कैप्टनगंज	25.11.81	20.11.82
22. लक्ष्मीगंज	17.1181	सूचित नहीं किया
23. रामकोला (एम० के०)	22.11.81	सूचित नहीं किया
24. रामकोला (पी० बी०)	13.11.81	7.11.82
25. पड़रौना	8.12.81	15.11.82
26. कठकुइयां	8.12.81	1.11.82
27. शिवराही	22.11.81	1.12.82
28. बैतालपुर	1.12.81	15.11.82
29. गौरीबाजार	28.11.81	7.11.82

1	2	3
30. देवरिया	1.12.81	3.11.82
31. भटनी	27.11.81	
32. प्रतापपुर	1.12.81	सूचित नहीं किया
33. काशी	26.11.81	15.11.82
34. रसरा	20.11.81	20.11.82
35. आजमगढ़	23.11.81	9.11.82
36. नंदगंज	25.11.81	सूचित नहीं किया
37. दरयापुर	14.12.81	सूचित नहीं किया

गेहूं, गेहूं उत्पादों तथा खाद्य तेलों के मूल्यों में वृद्धि

* 17. **श्री फूलचन्द वर्मा :**

श्री रतन सिंह राजदा :क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पिछले छः महीनों के दौरान गेहूं, मैदा, सूजी तथा खाद्य तेलों के मूल्यों में फिर वृद्धि की है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) और (ख) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए गेहूं का निर्गम मूल्य 1.8.1982 से 145/— रुपये से बढ़ाकर 160/— रुपये प्रति क्विंटल और रोलर फ्लोर मिलों के लिए 155/— रुपये से बढ़ाकर 185/— रुपये प्रति क्विंटल किया गया था ताकि केन्द्रीय राजकोष पर राजसहायता के भार को कम किया जा सके। रोलर फ्लोर मिलों के लिए गेहूं के निर्गम मूल्य में वृद्धि करने के परिणामस्वरूप राज्य सरकारों ने मैदा और सूजी के मूल्यों में वृद्धि की थी। पिछले छः महीनों के दौरान जहां तक खाने योग्य तेलों का सम्बन्ध है, आयातित खाने योग्य तेलों के निर्गम मूल्यों में कोई वृद्धि नहीं की गई है।

कर्नाटक को सहायता

18. **श्री टी० आर० शमन्ना :**

श्री के० मालन्ना : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत 2-3 महीनों के दौरान बाढ़ और अन्य आपदाओं के कारण कर्नाटक के उत्तर कर्नाटक और दक्षिण कर्नाटक जिलों में जान और माल की कितनी हानि हुई,

(ख) बाढ़ तथा अन्य आपदाओं के निमित्त इस सम्बन्ध में कितनी सहायता दी गई है,

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कर्नाटक के विशाल क्षेत्र सूखे की गिरफ्त में हैं, और

(घ) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई सर्वेक्षण किया गया है तथा उसके परिणाम-स्वरूप कोई सहायता प्रदान की गई है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है,

(ख) बाढ़ों के सम्बन्ध में केन्द्रीय सहायता हेतु राज्य सरकार के अनुरोध पर विचार किया जा रहा है,

(ग) तथा (घ) कर्नाटक सरकार ने सूचित किया है कि फसल की स्थिति पर निगरानी रखी जा रही है। राज्य सरकार ने क्षति के मूल्यांकन की कोई रिपोर्ट नहीं दी है।

विवरण

(क) कर्नाटक सरकार से प्राप्त ज्ञापन के अनुसार 27 जुलाई से 2 अगस्त 1982 तक भारी वर्षा से हुई क्षति की मात्रा नीचे दी गई है : —

जिले का नाम	मृतक मनुष्य	मृतक पशु	प्रभावित सस्यगत क्षेत्र (लाख हैक्टार में)	पूरी तरह अथवा आंशिक रूप में क्षतिग्रस्त मकानों की संख्या
1	2	3	4	5
दक्षिण कन्नड़	2	31	0.27	3188
उत्तर कन्नड़	13	-	2.00	3679

इसके अतिरिक्त, सड़कों सामुदायिक विकास कार्यों और लघु सिंचाई को भारी वर्षा से क्षति पहुंची है।

राज्य सरकार ने किसी अन्य विपदा की सूचना नहीं दी है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा आबंटित फ्लैटों को हस्तांतरित करना-बेचना

* 20. **श्री हरीश रावत** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा आवंटित फ्लैटों को हस्तांतरित करने/बेचने का कानूनी अधिकार मालिकों को देने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो इन फ्लैटों के मालिकों को यह अधिकार कब तक मिलने की

संभावना है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकारी के फ्लैटों के खरीददारों को अधिसंरचना के मामले में शाश्वत मालिकाना हकूक तथा फ्लैटों की भूमि तथा उसके समीस्थ की भूमि के मामले में अन्य फ्लैट खरीददारों को संयुक्त लीजहोल्ड अधिकार दिया जाता है। सरकार द्वारा गठित एक सरकारी कार्यकारी दल ने दिल्ली के लिए कानून बनाने की सिफारिश की है जिससे दिल्ली/नई दिल्ली में निर्मित बहुमंजिली इमारतों में अपार्टमेंट में पैतृक तथा अन्तरणीय अधिकार दिया जा सके। इसमें अपार्टमेंट के खरीददारों को भूमि सहित आम क्षेत्रों में उनके हित का अभिवाजित तथा अनुपातिक अंश शामिल है। कार्यकारी दल की सिफारिशें प्रक्रियाधीन हैं।

(ख) इस अवस्था में प्रश्न ही नहीं उठता।

दिल्ली के कुम्हारों द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन

1. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के कुम्हारों ने मंत्रालय में राज्य मंत्री को एक ज्ञापन दिया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी हां।

(ख) अखिल भारतीय प्रजापति (कुभकार) संघ (पंजीकृत) द्वारा उक्त ज्ञापन में की गई मुख्य मांगे इस प्रकार हैं :—

(1) उन स्थलों का सीमांकन करना जहां से दिल्ली के कुम्भकार दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में मिट्टी खोद सकते हैं।

(2) उनकी दैनिक पत्रिका "प्रजापति जगत" के लिए प्रेस लगाने हेतु नोएडा या डी० एस० आई० डी० सी० द्वारा शेड का आबंटन।

(3) दिल्ली विकास प्राधिकरण सलाहकार मण्डल/नई दिल्ली नगरपालिका दूरभाष सलाहकार समिति, दिल्ली प्रशासन के खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड में प्रतिनिधित्व।

(4) पिछड़ी जातियां के लिए सेवाओं में आरक्षण के बारे में मण्डल आयोग की रिपोर्ट का तत्काल कार्यान्वयन।

(5) उनकी दैनिक पत्रिका "प्रजापति जगत" में प्रकाशनार्थ विज्ञापन देने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण राष्ट्रीय भवन (निर्माण) संगठन राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम को निर्देश देना।

(6) सफदरजंग अस्पताल और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थाद, नई दिल्ली में उपचार के बाहर से आने वाले उनके समाज के रोगियों के उपयोग हेतु एक सराय बनाने के लिए स्व-वित्त पोषित योजना स्थल के आस-पास युसुफ सराय में भू-खंड का आबंटन।

(ग) यह मामला सरकार के विचाराधीन है।

पश्चिमी कोसी नहर से सिंचाई आरम्भ करने के लिए निर्धारित समय

2. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिमी कोसी नहर से चरणों में वास्तविक सिंचाई आरम्भ करने के लिए क्या समय निर्धारित किया गया है तथा ढ़ांचों के निर्माण, भूमि के अर्जन; सहायक नहरों सहित नहर की खुदाई आदि सहित पहले से ही पूरा हो चुका, पूरा किया जा रहा तथा विशिष्ट चरणों और क्षेत्रों के लिए आरम्भ किये जाने वाला विशिष्ट कार्य क्या है; और

(ख) क्या मुख्य नहर के मार्ग को कमला नदी साइफ़ोन के पूर्व में और उत्तर की ओर बदलने हेतु किसी संसद सदस्य से सुझाव प्राप्त हुआ है; यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

सिंचाई मंत्री (श्री केदार पाण्डे) : (क) राज्य सरकार के कार्यक्रम के अनुसार, सृजित की जाने वाली प्रस्तावित सिंचाई क्षमता निम्न प्रकार है :-

सोपान-एक — नेपाल का भाग और भुतई बालान नदी क्रासिंग तक बिहार राज्य में भाग-जून, 1983

सोपान दो—भुतई बालान नदीक मला नदी के क्रासिंग तक-जून, 1985

सोपान-तीन—कमला नदी के क्रासिंग से धंस नदी में अन्तिम छोर तक-जून, 1987

कार्य की प्रगति

कार्य की मद	अनुमानित प्रमात्रा	जून, 1982 तक संचयी प्रगति
नेपाल का भाग		
मिट्टी का कार्य	48.82 लाख मी०3	48.01 लाख मी०3
पक्का करने का कार्य	17.13 लाख मी०2	16. 557 लाख मी०2
संरचनाएं	65 संख्या	32 पूर्ण हो गई हैं। 6 पर कार्य प्रगति पर है।
भूमि अग्रिहण	714.17 हैक्टेयर	393.46 हैक्टेयर
भारत का भाग		
मिट्टी का कार्य पक्का	141.86 लाख मी०3	49.63 लाख मी०3

1	2	3
करने का कार्य	27.74 लाख मी०2	15.99 लाख मी०2
संरचनाएं	356 संख्या	6 पूर्ण हो गयी हैं। 10 पर कार्य प्रगति पर है।
भूमि अधिग्रहण	1592.15 हैक्टेयर	696.94 हैक्टेयर

(ख) जी, हां। चूंकि पश्चिमी कोसी नहर एक समोच्च रेखा नहर है, जिसका संरेखण यथा संभव उत्तर दिशा की ओर किया गया है, इसलिए संरेखण में परिवर्तन करना संभव प्रतीत नहीं होता है। तथापि, परियोजना प्राधिकारियों द्वारा इसकी विस्तृत जांच की जा रही है।

त्रिपुरा में बाढ़ के कारण हानि

3. **श्री अजय बिश्वास** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा में हाल ही में आई बाढ़ के कारण चल तथा अचल दोनों सम्पत्तियों और फसलों को कुल कितनी क्षति हुई;

(ख) राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार से बाढ़ राहत कार्यों के लिए कुल कितनी राशि की मांग की है; और

(ग) केन्द्रीय सरकार ने इस परियोजना के लिए अब तक कुल कितनी राशि आवंटित की है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) त्रिपुरा सरकार से प्राप्त ज्ञापन के अनुसार, हाल की बाढ़ों के कारण हुई क्षति की सीमा नीचे दी गई है —

प्रभावित जिलों की संख्या	—3
प्रभावित जनसंख्या	—1.10 लाख
मृत मानवों की संख्या	—4
मरे पशुओं की संख्या	—44
पूर्ण/आंशिक रूप में क्षतिग्रस्त मकानों की संख्या	—4808
प्रभावित सस्यगत क्षेत्र	0.31 लाख हैक्टेयर

(ख) राज्य सरकार ने त्रिपुरा में बाढ़ से प्रभावित लोगों को राहत देने के लिए 96.83 लाख रुपए की केन्द्रीय सहायता के लिए अनुरोध किया है।

(ग) इस अनुरोध पर विचार किया जा रहा है।

उत्तर प्रदेश, बिहार और उड़ीसा में बाढ़ की विभीषिका का सामना करने हेतु सेना की सहायता मांगा जाना

4. **श्री वी० वी० देसाई :**

डा० कृपा सिन्धु भोई : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों ने उत्तर प्रदेश, बिहार और उड़ीसा में उन व्यक्तियों की सहायता करने के लिए सेना बुलाई थी, जो बाढ़ की विभीषका का सामना कर रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो सेना ने इन राज्य सरकारों को बाढ़ के समय कितनी सहायता की ;

(ग) क्या बाढ़ की अवधि के दौरान राज्यों में कानून और व्यवस्था की भारी समस्या पैदा हो गई थी ; और

(घ) यदि हां, तो इसके मुख्य कारण क्या हैं और इन राज्यों में बाढ़-पीड़ित लोगों के पुनर्वास में सेना ने कितनी सहायता की ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी हां, ।

(ख) असहाय लोगों के लिए बचाव कार्य करने तथा हवाई जहाज से खाद्य सामग्री पहुंचाने के लिए सेना की सहायता ली गई थी । सेना ने अपने आरक्षित भण्डार से लगभग 1900 तिरपालें सप्लाई कीं ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न ही नहीं होता ।

दिल्ली जल प्रदाय और मल व्ययन संस्थान में काम कर रहे श्रेणी-तीन और श्रेणी-चार के कर्मचारियों के मजदूरी भुगतान में असमानताएं

5. **श्री निहाल सिंह** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली जल प्रदाय और मल व्ययन संस्थान में दैनिक मजदूरी आधार पर काम कर रहे श्रेणी-तीन और श्रेणी चार के कर्मचारियों को श्रम मन्त्रालय द्वारा निर्धारित मजदूरी नहीं दी जा रही है ;

(ख) क्या यह सच है कि इस संस्थान के कुछ विभागों में एक लिपिक को 10.25 रुपये की दर से मजदूरी दी जा रही है, जबकि इसी संस्थान के कुछ अन्य विभागों में 15.75 रुपये की दर से मजदूरी का भुगतान किया जा रहा है तथा इसी प्रकार बेलदार आदि श्रेणी-चार के कर्मचारियों के मामले में कुछ विभागों में 9.25 रुपये की दर से तथा अन्य विभागों की दर से मजदूरी का भुगतान किया जा रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो सभी कर्मचारियों के लिए उचित मजदूरी सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ;

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) (क) से (ग) : अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभापटल पर रख दी जाएगी ।

दिल्ली में नियमित की गई कालोनियों को दी गई सुविधाएं

6. **श्री उत्तम भाई एच० पटेल** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1980, 1981 और 1982 के दौरान नियमित की गई कालोनियों में कौन-कौन-सी सुविधाओं दी गई हैं ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि 1981 तक नियमित की गई कालोनियों में सड़क का कार्य औसतन 75 प्रतिशत पूरा हो गया है, और

बरसाती पानी की नालियां बनाने का कार्य औसतन लगभग 20 प्रतिशत पूरा हो गया है । जहां तक 1982 के दौरान नियमित की गई कालोनियों का सम्बन्ध है भरान कर्य और नालियों का सुधार कार्य आरम्भ कर दिया गया है ।

दिल्ली नगर निगम से सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

एशियाई खेलों के लिए निर्माण कार्य

8. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या खेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली नगर पालिका तथा दिल्ली नगर निगम द्वारा एशियाई खेलों के सम्बन्ध में आरम्भ किए गए सभी निर्माण कार्य पूरे हो गए है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या जिन होटलों को भूमि आवंटित की गई थी और निर्माण के लिए सुविधाएं दी गयी थीं वे एशियाई खेलों के लिए पूरे हो जायंगे ;

(घ) यदि हां, तो एशियाई खेलों के लिए कौन से होटल उपलब्ध होंगे और कौन से नहीं ; और

(ङ) जो होटल निर्धारित समय बनाये रखने में असमर्थ होंगे उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी ?

पूर्ति मन्त्रालय के तथा खेल विभाग के राज्य मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार एशियाई खेलों के सम्बन्ध में दिल्ली विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली नगर पालिका तथा

दिल्ली नगर निगम द्वारा शुरू की गई परियोजनाएं या तो पूरी हो गयी हैं या पूरी होने वाली हैं तथा ये एशियाई खेलों 1982 के लिए समय पर तैयार हो जायेगी।

(ख) विभिन्न खेल आयोजित करने के लिए अव स्थापना सम्बन्धी सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट में इन्डोर स्टेडियम तथा साइकिल वलोड्रोम और तुगलकाबाद में निशानेबाजी स्थल का निर्माण कर रहा है। नई दिल्ली नगर पालिका ताल कटोरा गार्डन में नया तरणताल का निर्माण कर रही है तथा तालकटोरा गार्डन स्थित इन्डोर स्टेडियम और शिवाजी स्टेडियम को नवीकृत कर रही हैं। दिल्ली नगर निगम डा० अम्बेडकर स्टेडियम को नवीकृत कर हरा है

इन एजेंसियों ने फ्लाईओवरों का निर्माण, सड़कों को चौड़ा करना होटल आदि जैसी कुछ अन्य परियोजनाएं भी शुरू की हैं जो उनकी सामान्य विकास योजनाएं हैं तथा इन्हें समय से पहले पूरा किया गया है ताकि 1982 के एशियाई खेलों के दौरान इनका भी लाभ प्राप्त हो सके।

(ग) और (घ) : पर्यटन मन्त्रालय द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार एशियाड, 82 के लिए होटलों का कुल मिलाकर निर्माण कार्य, एशियाड, 82 के वास्ते कमरों की निर्धारित संख्या का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए, निर्धारित समय सारणी के अनुसार चल रहा है जैसा कि संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ङ) होटलों द्वारा उनके करारों में निर्दिष्ट सीमा तक कमरे उपलब्ध न कराए जाने की स्थिति में उनके विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाई की जायेगी।

विवरण

क्रम सं०	होटल का नाम	कमरों की कुल संख्या	एशियाड, 82 के लिए कमरे जिनके लिए होटल वालों ने वायदा किया है।
1.	एशियान होटल	588	300
2.	सूर्य होटल	258	241
3.	सिद्धार्थ	156	156
4.	कनिष्क	300	300
5.	मौर्य विस्तार	122	122
6.	ताज होटल	500	200
7.	कन्टौर होटल	416	200

1	2	3	4
8.	सम्राट	300	250
9.	यात्री निवास	562	550
10.	भारत होटल	500	150
11.	मेरीडियन होटल	425	110
12.	पार्क होटल	231	100
	योग	4358	2679

सत्यवती नगर के सामने दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा झुग्गियों को गिराया जाना

9. **श्री त्रिलोक चन्द्र** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 29 मई, 1982 को सत्यवती नगर, अशोक विहार फेज-II के सामने कुछ झुग्गियों को दिल्ली विकास प्राधिकरण ने गिराया था ;

(ख) क्या यह सच है कि झुग्गी मालिकों ने दिल्ली विकास प्राधिकरण के विरुद्ध न्यायालय में मुकदमा दायर किया है जिसमें यह दावा किया गया हैं कि दिल्ली विकास प्राधिकरण को इअ झुग्गियों के गिराने का कोई अधिकार नहीं है और न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिए हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा मामले में देरी करने के लिए टालमटोल की जा रही है, और न्यायालय को सही सूचना नहीं दी जा रही है ;

(घ) क्या यह भी सच है कि दिल्ली नगर निगम ने इन झुग्गियों में नागरिक सुविधाएं उपलब्ध नहीं की हैं और यहां के लोग सत्यवती नगर और सावन पार्क को नागरिक सुविधाओं के लिए प्रयोग में ला रहे हैं जिससे यहां वातावरण दूषित हो रहा है ; और

(ङ) क्या सरकार का विचार निकट भविष्य में इन झुग्गियों को हटाने का है;

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया है कि नाली के निर्माणार्थ अंजित भू-भाग का वास्तविक कब्जा भू-अर्जन समाहर्ता द्वारा लिया जाना था। यह क्षेत्र झुग्गी निवासियों से बसा हुआ था। भू-अर्जन समाहर्ता को दिल्ली विकास प्राधिकरण का मकान गिराने वाला दल 28.5.82 को दिया गया था ताकि वे इस क्षेत्र को साफ करवा सकें। क्षेत्र के उक्त भाग को साफ कर दिया गया था। न्यायालय द्वारा 29.5.82 को जारी किए रोकादेश के के कारण सफाई अभियान पूरा नहीं हो सका।

(ख) जी, हां ।

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने इसका खण्डन किया है ।

(घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

(ङ) जब तक न्यायालय द्वारा रोकादेश निरस्त नहीं कर दिया जाता है, कोई कार्यवाई नहीं की जा सकती है ।

दिल्ली में गिराई गई इमारतें

10. **रामजी भाई मावणि** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जनवरी, 1982 से सितम्बर, 1982 तक दिल्ली के विभिन्न भागों तथा दिल्ली के गावों में अनेक इमारतें गिराई गई हैं ;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार, दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली नगर पालिका तथा अन्य विभागों द्वारा क्रमशः ऐसी कितनी इमारतें गिराई गई ;

(ग) क्या यह सच है कि दिल्ली के विभिन्न भागों में अनधिकृत निर्माण किया जा रहा है ; और

(घ) यदि हां, तो इस प्रकार की अनधिकृत इमारतों को गिराने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है, और यह सुनिश्चित करने के लिए भविष्य में ऐसी अनधिकृत इसारतें न बनें, सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ;

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

संसद सदस्यों के लिए एशियाड के टिकटों का न मिलना

11. **श्री सुभाष यादव** :

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : क्या खेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संसद सदस्यों की ओर से एशियाई खेलों के टिकटों के लिए बड़ी मांग है और उनको टिकट उपलब्ध नहीं कराये गए हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) संसद सदस्यों को एशियाइ खेलों के टिकट कब तक उपलब्ध कराये जायेंगे ; और

(घ) संसद सदस्यों को कितने मूल्य वाले और कितनी संख्या में टिकट उपलब्ध कराये जायेंगे ?

पूर्ति मन्त्रालय के तथा खेल विभाग के राज्य मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क), (ख), (ग) और (घ) : विभिन्न स्टेडियमों में टिकटों की संख्या सीमित हैं। तथापि, उपलब्ध सीमित संख्या के अन्दर कुछ पुनः समायोजन किए गये हैं, ताकि स्टेडियम की सीटों की क्षमता को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक माननीय सदस्य को कुछ खेलों के लिए टिकट निर्धारित संख्या में उपलब्ध किए जा सकें। टिकटों की बिक्री शुरू होने की तारीख तथा उस स्थान के सम्बन्ध में जहां से टिकट उपलब्ध होंगे, यथा समय सूचित कर दिया जाएगा। नवम् एशियाई खेलों की विशेष आयोजन समिति के अध्यक्ष 11 अगस्त, 1982 को सभी संसद सदस्यों को इस सम्बन्ध में लिख चुके हैं।

महानगरों में निर्माणाधीन केन्द्रीय सरकार के मकानों सम्बन्धी आंकड़े

12. **श्री एम० ए० दोराई सेवस्तियन** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कर्मचारियों के लिए दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में मकानों के निर्माण सम्बन्धी भारत सरकार के कार्यकलापों के शहर-वार आंकड़े क्या हैं ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) सामान्य पूल के सम्बन्ध में एक विवरण संलग्न है।

विवरण

क्रम सं०	शहर का नाम	क्वार्टरों का टाइम	छटी योजना के लिए लक्ष्य (1980-85)	1980-82 के दौरान उपलब्धि	पूर्ण होने वाले सम्भावित क्वार्टरों की संख्या 1982-83	1983-85
1.	दिल्ली 1. (ए)	1012	603	160	249	
	2. (बी)	5417	1826	1480	2111	
	3. (सी)	10093	4779	2345	2969	
	4. (डी)	72	56	—	16	
	5. (ई)	120	—	—	120	
	होस्टल	184	—	—	184	
		16898	7264	3985	5649	
2.	बम्बई 1. (ए)	1040	240	200	600	
	2. (बी)	1800	120	400	1280	

1	2	3	4	5
3. (सी)	870	240	79	551
4. (डी)	80	80	—	—
होस्टल	80	—	80	—
	3870	680	759	2431
3. कलकत्ता 1. (ए)	816	—	320	496
2. (बी)	1480	192	350	938
3. (सी	1408	192	250	966
होस्टल	84	—	—	84
	3788	384	920	2484
4. मद्रास 1. (ए)	216	—	70	146
2. (बी)	207	—	54	153
3. (सी)	96	—	96	—
	519	—	220	299

धान के वसूली मूल्य के बारे में पंजाब की सिफारिश

13. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार ने चालू मौसम के लिए धान के लिए 128 रुपये प्रति क्विंटल के वसूली मूल्य की सिफारिश की है ;

(ख) यदि हां, तो उस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) विभिन्न राज्यों के लिए सरकार ने धान के क्या मूल्य निश्चित किए हैं और किसानों के लिए वे कहां तक लाभकारी समझे जाते हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) जी हां, ।

(ग) तथा (घ) 1982-83 मौसम के लिए सामान्य किस्म के धान का वसूली मूल्य 122 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है, जो लाभकारी समझा गया है ।

गांव नाहरपुर, दिल्ली में सम्पर्क मार्ग का निर्माण

14. **श्री मनोहर लाल सैनी** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रोहिणी योजना के अन्तर्गत गांव नाहरपुर दिल्ली में खसरा सं० 11 और मकान संख्या 26 आदि के पुराने निर्मित क्षेत्र के बीचों-बीच एक सम्पर्क मार्ग बनाने की दिल्ली विकास प्रधिकरण की प्रस्तावित योजना के विरुद्ध अनेक अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि यदि प्रस्तावित सम्पर्क मार्ग को उत्तर की ओर उक्त निर्मित क्षेत्र के मात्र बीस गज दूर हट कर निकाला जाए तो यदि गांव वासियों के बने हुए मकानों को बचाया जा सकता है और इससे दिल्ली विकास प्राधिकरण की योजना पर भी कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ; और

(ग) यदि हां, तो प्रस्तावित सम्पर्क सड़क को उत्तर में निर्मित क्षेत्र के बाहर से निकालने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है और यह कार्य कब तक पूरा हो जाएगा ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

उत्तरी पीतमपुरा में पेय जल की सप्लाई के लिए व्यवस्था

15. **श्री कालीचरण शर्मा** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा उत्तरी पीतमपुरा रिहायशी योजना के पाकेट "बी", "सी" "डी", एफ, एच, के, एल, तथा एम, में पेय जल की सप्लाई के लिए अभी तक कोई व्यवस्था नहीं की गई है हालांकि प्लाटों का कब्जा 1979 में दे दिया गया था और काफी संख्या में मकानों का निर्माण किया जा चुका है; और

(ख) यदि हां, तो इन पाकेटों में पेय जल की सप्लाई करने के लिए व्यवस्था करने के हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) तथा (ख) बी० एच, के, तथा एल पाकेटों में जल पूर्ति लाइनें बिछाने का कार्य पूरा हो गया है और शेष पाकेटों में यह कार्य प्रगति पर है। शेष पाकेटों में इस कार्य के इस वर्ष के अन्त तक पूरा हो जाने की आशा है।

गंगा-कावेरी सम्पर्क परियोजना

16. **श्री वी० एन० गाडगिल** : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार गंगा-कावेरी सम्पर्क परियोजना पर आगे कार्यवाही करने का है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त परियोजना के कब तक आरम्भ किए जाने की आशा है ;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार ने परियोजना छोड़ दी है ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई मन्त्री (श्री केदार पाण्डे) : (क) से (घ) गंगा-कावेरी लिंक स्कीम की सिंचाई मंत्रालय तथा केन्द्रीय जल आयोग द्वारा जांच की गई थी और पूंजी उसे तथा आवर्ती लागत, दोनों दृष्टियों से उसकी लागत बहुत कम आंकी समझी गई थी तथा उसमें जल को ऊपर उठाने के लिए बिजली की बहुत भारी यात्रा में आवश्यकता थी। अतः, इस स्कीम पर आगे विचार नहीं किया गया है।

यूकेलिप्टस वृक्षों की जल धारण क्षमता का अधिक होना एवं परिस्थिति विज्ञान प्रणाली पर उसका प्रभाव

17. **श्री आर० पी० गायकवाड़** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को युकेलिप्टस वृक्षों की जल धारण क्षमता के अधिक होने एवं परिस्थिति-विज्ञान प्रणाली पर उसके प्रतिकूल प्रभाव के बारे में प्रवृत विवाद की जानकारी है ;

(ख) क्या इस बात का निर्धारिण करने के लिए कोई अनुसंधान किया गया है कि यूकेलिप्टस वृक्ष जमीन के जलस्तर को कम नहीं करते ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरे क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालयों मे राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) से (ग) : यह मत था कि यूकेालिप्टस के वृक्ष अत्यधिक पानी लेते हैं, जिससे कृषि फसलों पर प्रभाव हानिकारक पड़ता है। सही स्थिति का पता लगाने के लिए वन अनुसंधान, देहरादून ने परीक्षण किए हैं। देहरादून में किए गए परीक्षणों से पता चला है कि उत्पादित शुष्क सामग्री की उपयोग की गई पानी की प्रति इकाई ग्राम यूकालिप्टस के लिए निम्नतम, अर्थात 1.41 एम० एम० प्रति ग्राम शुष्क सामग्री थी, जबकि दलदरनिया लेटिफोलिया के लिए यह 2.59 एम० एम० पोपुलम फसल के 3.04 एम० एम० तथा पिनस रोम्स लधी के लिए 8.87 एम० एम० थी यूकालिप्टस के मूल स्थान, आस्ट्रेलिया में किए गये अनुसंधान कार्यों से पता चला है कि यूकालिप्टस बागानों में अन्तरावरोधन द्वारा वर्षा हानि केवल 14 से 15 प्रतिशत होती है। देहरादून तथा पश्चिम बंगाल में किए गए परीक्षणों से पता चला है कि यूकालिप्टस संकर बागान वाले क्षेत्रों में अन्तरा-

वरोधन केवल 11.56 प्रतिशत है, जबकि "साल" के जंगलों में यह 25.3 प्रतिशत तथा "चीड" के जंगलों में 22.1 प्रतिशत है। इन परिणामों से पता चलता है कि यूकालिप्टस के पानी की सप्लाई पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है।

भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में वैज्ञानिकों के प्रोफेसर के रूप में पदनाम

18. **श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा** : क्या कृषि मन्त्री भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में स्नातकोत्तर शिक्षा के बारे में 26 जुलाई, 1982 क अतारांकित प्रश्न संक्या 2626 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि अनुसंधान सेवा में वैज्ञानिकों को "प्रोफेसरों" का पदनाम देने का प्रावधान है ;

(ख) यदि नहीं, तो कुछ वैज्ञानिकों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत, चुने बिना ही "प्रोफेसरों" का पदनाम और विशेषाधिकार प्राप्त वैज्ञानिक समझने का क्या औचित्य है ; और

(ग) भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान को किन-किन उपबन्धों के अन्तर्गत "डीम्ड यूनिवर्सिटी" के रूप में डिग्रियां देने का अधिकार है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) और (ख) कृषि अनुसंधान सेवा में विज्ञानियों को प्रोफेसर का पदनाम देने का कोई प्रावधान नहीं है। कृषि अनुसंधान सेवा में सभी पदों को विज्ञानी एस-1, विज्ञानी एस-2 तथा विज्ञानी एस-3 के पदनाम दिए गए हैं जो उनके वेतनमान से सम्बन्धित हैं - अर्थात् जो क्रमशः 700-1300 रुपए, 1100-1600 रुपए और 1500-2000 रुपए के वेतनमान के हैं। प्रोफेसर के पद 1500-2000 रुपऐ के वेतनमान के हैं और उसे कृषि अनुसंधान सेवा के ग्रेड एस-3 में सम्मिलित किया गया है। एस-3 विज्ञानी जिनको भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के स्नातकोत्तर कालेज में अध्यापन की ड्यूटी सौंपी जाती है, प्रोफेसर के रूप में केवल उनके कार्यों को दर्शाने के लिए माना जाता है। उन्हें विशेषा- धिकार प्राप्त विज्ञानियों के रूप में नहीं माना जाता है परन्तु अन्य विज्ञानी एस-3 पर जो नियम और विनियम लागू होते हैं वही नियम और विनियम उन पर भी लागू होते हैं। इन पदों की भर्ती भी कृषि अनुसंधान सेवा के नियमों के अनुसार की जा रही है।

(ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 के परिच्छेद-3 के अन्तर्गत शिक्षा मन्त्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं० एफ० 24-44/58-यू-5 दिनांक 22.8.1958 के अन्तर्गत भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान को विश्वविद्यालय के रूप में घोषित किया गया है।

भीलबस्ती, बलजीत नगर, दिल्ली में नागरिक सुविधाओं का अभाव

19. **श्री नारायण चौबे** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान दिनांक 27 अगस्त, 1982 के "इंडियन एक्सप्रेस" में भीलबस्ती

बलजीत नगर, दिल्ली में नागरिक सुविधाओं के अभाव के बारे में प्रकाशित रिपोर्ट की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) वहां लगभग 30 वर्षों से रह रहे निवासियों को पाइप द्वारा पानी की सुविधा सुलभ न करने के क्या कारण तथा कठिनाइयां हैं ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) तथा (ख) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

महाराष्ट्र में शिवकोले गांव सिंचाई परियोजना

20. **श्री भाऊ साहिब थोरट** : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान स्वीकृत महाराष्ट्र राज्य की शिवकोले गांव तड़ी सिंचाई परियोजना का काम, वर्ष 1982-83 की वार्षिक योजना में बजट प्रावधान के बावजूद अभी शुरू नहीं हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का इसे कब शुरू करने का विचार है ?

सिंचाई मन्त्री (श्री केदार पाण्डे) : (क) और (ख) सीना कोलगांव सिंचाई परियोजना योजना आयोग द्वारा अभी अनुमोदित की जानी है महाराष्ट्र सरकार ने 1982-83 के लिए अथवा छठी योजना में किसी परिव्यय की व्यवस्था नहीं की है।

जयपुर तथा उसके निकटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ से नुकसान

21. **श्री बुद्धि चन्द जैन** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जयपुर शहर और जयपुर उसके निकटवर्ती जिलों में पिछले वर्ष बाढ़ से कितना नुकसान हुआ और इस स्थिति से निपटने के लिए कितनी केन्द्रीय सहायता प्रदान की गई है ; और

(ख) इस सहायता का उपयोग सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० बी० स्वामीनाथन) : (क) राजस्थान सरकार से प्राप्त हुए ज्ञापन के आधार पर पिछले वर्ष जयपुर शहर और जयपुर तथा इसके आस-पास के जिलों में बाढ़ों के कारण हुई क्षति का विवरण संलग्न है। भारत सरकार ने 31 अगस्त से 3 सितम्बर, 1981 के बीच राजस्थान का दौरा करने वाले केन्द्रीय दल की रिपोर्ट और राहत सम्बन्धी उच्चस्तरीय समिति की सिफारिशों के आधार पर राजस्थान सरकार को बाढ़ से प्रभावित लोगों की राहत और पुनर्वास एवम् क्षतिग्रस्त सार्वजनिक और निजी सम्पत्तियों की मरम्मत/जीर्णोद्धार के लिए 4505.60 लाख रुपये के व्यय की अधिकतम सीमा की मंजूरी दी थी।

(ख) राजस्थान सरकार को सुलभ करायी गई सहायता का उपयोग बाढ़ों से प्रभावित लोगों की राहत और पुनर्वास एवम् क्षतिग्रस्त हुई सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तियों की मरम्मत/जीर्णोद्धार के लिए किया गया था।

विवरण

जयपुर और उसके आस-पास के क्षेत्रों में बाढ़ों से हुई क्षति

जिलों के नाम	मरने वाले व्यक्तियों की संख्या	निजी कच्चे मकानों को क्षति	निजी पक्के मकानों की क्षति	सरकारी भवनों की क्षति	अर्द्धसरकारी भवनों को क्षति	तालाबों और बांधों को क्षति	लागत कुंए	(लाख रुपये) फसल को हुई क्षति
						सिंचाई पंचायत/ पंचायत समिति		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. जयपुर और जयपुर शहर	90	27619044	19167200	3031800	—	20680000	1323884	200.84	840.00
2. भरतपुर	2	—	2348000	197008	—	5403000	2200000	6.24	100.00
3. सीकर	3	364500	26550	78000	173000	577000	139000	2.26	10.00
4. सवाई माधोपुर	7	4525946	188000	160000	2050	51975000	1962100	6.32	599.00
5. टोंक	32	6512500	3997000	72500	—	9135000	500000	13.52	630.00
6. अलवर				शून्य					
7. अजमेर									
8. नागौर									

पश्चिमी कोसी नहर परियोजना का निष्पादन

22. **श्री हरिनाथ मिश्र :** क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार क्षेत्र में पश्चिमी कोसी नहर परियोजना के निष्पादन से संबंधित अद्यतन स्थिति क्या है, और

(ख) क्या परियोजना का निष्पादन राज्य सरकार के आदेश से कुछ वर्षों से बन्द कर रखा है, क्योंकि किसी विशेष गांव के निवासियों द्वारा नहर के मार्ग निर्धारण के बारे में कुछ आपत्तियाँ उठाई गई थीं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई मंत्री (श्री केदार पाण्डे) : (क) बिहार क्षेत्र में पश्चिमी कोसी नहर परियोजना के संबंध में जून, 1982 तक हुई अद्यतन प्रगति नीचे दी गई है:—

कार्य की मद	अनुमानित मात्रा	6/82 तक किया गया संचयी कार्य
मिट्टी का कार्य	141.86 लाख मी०3	49.63 लाख मी०3
पक्का करने का कार्य	27.74 लाख मी०2	15.99 लाख मी०2
संरचनाएं	357	6 पूरी हो गई हैं। 10 पर काम चल रहा है
भूमि अधिग्रहण	1592.15 हैक्टेयर	696.94 हैक्टेयर

मुख्य नहर की पहली 40 कि०मी० (अर्थात आर० डी० 136 तक) दूरी में खुदाई कार्य हाथ में ले लिया गया; जिसमें से 30 कि०मी में खुदाई पूरी हो चुकी है वितरण प्रणाली अर्थात् महादेव; रांजपुर, चिकना और घिघ्रदिहा जल मार्गों का कार्य प्रगति पर है। परियोजना के पूरा होने की निर्धारित तिथिमार्च 1981 है।

(ख) वसराम गांव के स्थानीय लोगों से प्राप्त हुए अभ्यावेदन के कारण, झंझरपुर शाखा नहर का निर्माण बिहार सरकार द्वारा स्थागित कर दिया गया था। इस शाखा हेतु वैकल्पिक संरेखणों के लिए विस्तृत सर्वेक्षण तथा अन्वेषण किए गए थे, परन्तु कोई उपयुक्त विकल्प नहीं मिल सका था। इस मामले पर 21.4.1982 को हुई बैठक में केन्द्रीय जल आयोग के अधिकारियों और राज्य के इंजीनियरों के बीच विचार-विमर्श किया गया था। और यह निर्णय किया गया था कि राज्य सरकार, अनुमोदित मूल संरेखण के अनुसार, झंझरपुर शाखा नहर का निर्माण कार्य आगे शुरू कर सकती है। झंझरपुर नहर पर निर्माण कार्य शीघ्र पुनः आरंभ कर दिए जाने की आशा है।

दिल्ली दुग्ध योजना दूध के लिए भीड़

23. **डा० ए० यू० आजमी** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजधानी में दिल्ली दुग्ध योजना के बूथों पर दूध के लिए भीड़ कम करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ; और

(ख) क्या टोकन प्रणाली पुनः चालू की जायेगी या दूध की सप्लाई बढ़ाई जायेगी क्योंकि मदर डेरी के दूध की कोटि और मात्रा में गिरावट आ गई है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) तथा (ख) दिल्ली दुग्ध योजना का दूध का वितरण का स्तर बढ़ाकर लगभग 3.50 लाख लीटर दैनिक तक पहुंच गया है, जबकि जुलाई, 1982 में यह 3.35 लाख लीटर था। 'पहले आओ पहले पाओ' के आधार पर उपभोक्ताओं को दूध का सामान वितरण सुनिश्चत करने के लिए प्रत्येक उपभोक्ता को एक समय में चार बोतल दूध लेने की अनुमति है।

दिल्ली दुग्ध योजना के बूथों में दूध के वितरण की व्यवस्था पर दिल्ली दुग्ध योजना की वितरण शाखा के अधिकारियों द्वारा कड़ी निगरानी रखी जाती है और बूथों की अचानक एवं नियमित जांच की जाती है।

मदर डेरी ने भी दूध की सप्लाई बढ़ा दी है, जो 5.70 लाख लीटर दैनिक हो गई है। मदर डेरी द्वारा सप्लाई किए जा रहे दूध की मात्रा एवं कोटि में कोई गिरावट नहीं है।

मदर डेरी तथा दिल्ली दुग्ध योजना, दोनों, द्वारा सप्लाई किए जा रहे दूध की इस समय प्रतिदिन कुल मात्रा लगभग 9.20 लाख लीटर प्रति दिन है।

एशियाड टिकटों की चोर बाजारी

24. **श्री सूरज भान** :

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : क्या खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान इन समाचारों की ओर दिलाया गया है कि एशियाड के उद्घाटन समारोह के 100 रुपये और 10 रुपये वाले टिकटों को चोर बाजारी में क्रमशः 2,200 रुपये 80 रुपये में बेचा जा रहा है ;

(ख) इस संबंध में भारत और विदेशों में विभिन्न टिकट बिक्री केन्द्रों से क्या रिपोर्ट आई है ;

(ग) क्या ऐसा कोई प्रस्ताव है कि "एशियाड के दौरान भारत में महा-विद्यालयों को बन्द कर दिया जाए और यदि हां, तो क्या टिकटों की इतनी अधिक कमी को-देखते हुए इससे स्टेडियमों पर अधिक भीड़ नहीं हो जाएगी ; और

(घ) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

पूर्ति मंत्रालय के तथा खेल विभाग के राज्य मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी हां, । तथापि टिकटों की चोर बाजारी का कोई विशिष्ट उदाहरण एशियाई खेल,1982 के विशेष आयोजना समिति के नोटिस में नहीं आया है ।

(ख) भारत और विदेशों के किसी टिकट बिक्री केन्द्र से एशियाड, 1982 के टिकटों की चोर बाज़ारी की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है ।

(ग) और (घ) एशियाई खेल, 1982 की विशेष आयोजन समिति के आग्रह पर राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों से जून 1981 में अनुरोध किया गया था कि वे स्कूलों और कालेजों में अपने शरदावकाश को पुनः समायोजित करें ताकि इसे एशियाई खेल, 1982 की अवधि के अनुकूल बनाया जा सके । अनेक राज्यों से प्राप्त उत्तरों के आधार पर जिनमें उनके शरदावकाश को पुनः समायोजित करने में आई कठिनाईयां व्यक्त की गई हैं तथा इस आशय की स्थिति को ध्यान में रखते हुए कि एशियाड, 1982 के दौरान इन राज्यों के छात्रों के दिल्ली में ठहरने की कोई विशेष व्यवस्था नहीं की जा सकती , अतः राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों (दिल्ली को छोड़कर) को नवम्बर, 1981 में सूचित किया गया था कि सरकार अपने पहले वाले सुझावों पर बल नहीं देगी । जहां तक स्टेडियमों पर भीड़ के इकट्ठा होने का सम्बन्ध है, विशेष आयोजन समिति ने ऐसी किसी सम्भाव्यता की परिकल्पना नहीं की है क्योंकि खेलों को दूरदर्शन पर प्रकाशित किया जा रहा है और कालेजों के छात्र नई दिल्ली और अन्य शहरों में भी खेल देख सकते हैं, जहां दूरदर्शन की सुविधाएं विद्यमान हैं । यह सुनिश्चित करने के लिए भी पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है कि स्टेडियमों पर अधिक भीड़ इकट्ठी न हो सके ।

छठी योजना में परिवारों को गरीबी के स्तर से ऊपर उठाने का लक्ष्य

26. **श्री रामस्वरूप राम** : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छठी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत प्रत्येक ब्लाक के 600 परिवारों को प्रतिवर्ष गरीबों के स्तर से ऊपर उठाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है,

(ख) इस योजना के अन्तर्गत सारे देश में कुल कितने लोगों को गरीबी के स्तर से ऊपर उठाया गया और इसकी राज्यवार अब तक की स्थिति क्या है, और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का निकट भविष्य में कोई नई नीति लागू करने का विचार है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) छठी योजना में प्रत्येक खण्ड में औसतन 3,000 परिवारों को उनकी आय में वृद्धि करने हेतु सहायता पहुंचाने का लक्ष्य है ताकि उन्हें गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने योग्य बनाया

जा सके और इस लक्ष्य को प्रति वर्ष एक खण्ड में औसतन 600 परिवारों को सहायता पहुंचा कर प्राप्त किया जाना है।

(ख) 1980 -81, 1981-82 तथा 1982-83 (31 अगस्त, 1982 तक) में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत सहायियत परिवारों का राज्यवार ब्यौरा दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। सहायियत लाभ-भागियों की आय में वृद्धि करने के संबंध में कार्यक्रम के निष्पादन का मूल्यांकन योजना आयोग द्वारा किया जा रहा है।

(ग) गरीबी निवारण के लिए छठी योजना की नीति में कोई परिवर्तन इस समय विचाराधीन नहीं है।

विवरण

छठी योजना के दौरान सहायियत लाभभोगी

राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र	1980-81	181-829	1982-83 (अगस्त 1982 तक)	योग
1 आन्ध्र प्रदेश	166483	238846	44200	449529
2 असम	5594	22145	14543	42282
3 बिहार	138956	276169	47618	462743
4. गुजरात	105477	216215	24441	346133
5. हरियाणा	46877	79605	5409	131891
6. जम्मू व कश्मीर	9357	27689	8424	45470
7. हिमाचल प्रदेश	48090	34877	13158	96125
8. कर्नाटक	63906	87460	16593	167959
9. केरल	80088	96832	28555	205475
10. मध्य प्रदेश	135598	231861	54417	421876
11. महाराष्ट्र	125969	153330	11677	290976
12. मणिपुर	2768	3627	479	6874
13. मेघालय	5267	6045	4103	15415
14. नागालैण्ड	16721	12565	—	29286
15. उड़ीसा	100749	138367	48990	288106

1	2	3	4	5
16. पंजाब	60888	86867	18196	195951
17. राजस्थान	82683	120205	18154	221042
18. सिक्किम	29	262	457	748
19. तमिनाडु	219688	358225	64076	641989
20. त्रिपुरा	11006	10146	2228	23380
21. उत्तर प्रदेश	1310716	540160	41600	1892476
22. पश्चिम बंगाल	37415	67338	13047	117800
केन्द्र शासित क्षेत्र				
23. अंडेमान व निकोबार द्वीप समूह	—	—	76	76
24. अरूणाचल प्रदेश	अप्राय	8667*	824	9491
25. चंडीगढ़	अप्राय	—	—	—
26. दादर व नगर हवेली	अप्राय	—	95	95
27. दिल्ली	2561	2040	413	5014
28. गोवा, दमण व दिव	5117	5259	413	5014
29. लक्षद्वीप	—	—	—	—
30. मिजोरम	480	2000*	1730	4210
31. पांडिचेरी	272	2591	150	3013
अखिल भारत	2782755	2829393	485259	6097407

*वास्तविक सूचना के अभाव में अनुमानित लाभ-भोगी।

भूमि सुधार कानून का कार्यान्वयन

27. **श्री एच० एन० नन्जे गौडा :**

श्री हरिहर सोरन :

श्री डी० एम० पुत्ते गौडा :

श्री राम विलास पासवान : क्याग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) उनके मंत्रालय द्वारा विभिन्न राज्य सरकारों को भूमि सुधारों के कार्यान्वयन हेतु क्या मार्गदर्शी निदेश भेजे गये हैं ;

(ख) उन मार्गदर्शी निदेशों पर विभिन्न राज्यों द्वारा क्या प्रतिक्रिया हुई है ; और

(ग) भूमि सुधारों के कार्यान्वयन को तेज करने के लिए केन्द्र द्वारा क्या प्रयास किये जाने का विचार है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) राज्य सरकारों को कोई नए मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी नहीं किए गए हैं लेकिन नये 20-सूत्री कार्यक्रम के संदर्भ में उनसे अनुरोध किया गया है कि वे अधिकतम सीमा से फालतू भूमि का शीघ्र वितरण करें और भूमि अभिलेखों को अनन्तन बनाने के लिए विभिन्न उपाय करें ।

(ख) कुछेक राज्य सरकारों के प्राप्त हुए उत्तरों से पता चला है कि वे सामान्यतः भारत सरकार इस संबंध में दिए सुझावों के आधार पर उपयुक्त कदम उठा रहे हैं ।

(ग) भूमि सुधार उपायों के कार्यान्वयन का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों का है । तथापि भारत सरकार प्रगति की नियमित रूप से पुनरीक्षा करती है और जहाँ कानून में अथवा इसके कार्यान्वयन में किसी त्रुटि के कारण प्रगति में कोई रुकावट आती है वहाँ उपचारी उपाय करने का सुझाव देती है ।

भारतीय खाद्य निगम में मजदूरी बढ़ाये जाने की माँग

28. **श्री भोखा भाई** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय खाद्य निगम की कुछ कर्मचारी यूनियनें बढ़ाने की मांग कर रही हैं ; यदि हां, तो उनकी मांगों पर क्या परिणाम निकले हैं तथा इस बारेमें नवीनतम स्थिति क्या है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि भारतीय खाद्य निगम के निदेशक मंडल ने चौथी/तीसरी/दूसरी श्रेणी के कर्मचारियों को समान आधार पर 50/-रुपये के बराबर अन्तरिम सहायता देने के प्रस्ताव को मंजूर कर दिया है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में उप मंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) जी हां, कर्मचारी यूनियनों की मांगें भारतीय खाद्य निगम के प्रबन्ध के विचाराधीन हैं ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

विदेशियों को एशियाई खेलों के लिये आवास तथा टिकट न मिलना

30. **प्रो० अजीत कुमार मेहता :**

श्री कमल नाथ : क्या खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान एशियाई खेलों के लिए विदेशियों को टिकट तथा आवास न मिलने की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है ?

पूर्ति मंत्रालय के तथा खेल विभाग के राज्य मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) एशियाई खेल, 1982 की विशेष आयोजन समिति, खेल देखने के लिए आने वाले विदेशी आगन्तुकों की आवास सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पूरी तरह से सम्पन्न है । विदेशों में टिकट-बिक्री के प्रबन्ध, एयर इण्डिया और इण्डियन एयरलाइनस के जरिये कर दिए गये हैं ।

सहकारी चीनी कारखानों को लाभ/हानि

31. **श्री मोहम्मद असरार अहमद :** क्या कृषि मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में अप्रैल 1982 को चल रहे सहकारी चीनी कारखानों की राज्यवार संख्या और नाम क्या हैं,

(ख) केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा इन कारखानों को 1978-79, 1979-80, 1980-81 और 1981-82 में अनुदान आदि को कुल कितनी धनराशि दी गई, और

(ग) उक्त अवधि के दौरान इन कारखानों को कुल कितना लाभ/हानि हुई और 31 अगस्त, 1982 तक इन कारखानों को कुल कितना संचित लाभ/हानि हुई ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में उपमंत्री (कुमारी कमला कुमारी): (क) अप्रैल, 1982 के अंत तक 154 सहकारी चीनी कारखाने लगाये गये थे । इनमें से 1981-82 के चीनी मौसम के दौरान 153 यूनिटें उत्पादन में लगी थी । सहकारी चीनी कारखानों की राज्यवार सूची अनुबंध में दी गई है ।

[मंत्रालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 5417/82]

(ख) इन सहकारी चीनी कारखानों के केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों द्वार दी गई अनुदान आदि की धनराशि के संबंध में ठीक-ठीक तथा पूरी जानकारी उपलब्ध नहीं है । तथापि, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम केन्द्रीय प्रायोजित योजना के तहत सहकारी चीनी कारखानों की शेयर पूंजी भागीदारी के लिए राज्य सरकारों को पूरक सहायता दे रही है । गत चार वर्षों के दौरान विभिन्न राज्य सरकारों को निर्मुक्त की गई वित्तीय सहायता नीचे दी गई है :-

वर्ष	निर्मुक्त की गई धनराशि (लाख रुपए)
1978-79	524.16
1979-80	247.98
1980-81	180.955
1981-82	518.085

इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम सहकारी प्रायोजित योजनाओं, के तहत सहकारी चीनी कारखानों के पुनः स्थापन के लिए राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता दे रहा है राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम ने गत चार वर्षों के दौरान इस प्रयोजन के लिए 5.60 करोड़ रुपये की धन राशि दी।

(ग) सहकारी चीनी कारखानों द्वारा अभी तक वर्ष 1981-82 के खातों को अंतिम रूप नहीं दिया है। 96 सहकारी चीनी कारखानों के संबंध में वर्ष 1980-81 के लिए अस्थायी खाते प्राप्त हुए हैं। वर्ष 1980-81 के लिए इन 96 इकाइयों द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार लाभ/हानि की स्थिति नीचे दी गई है :

निबल लाभ	—10.95 करोड़ रुपए
निबल हानि	—35.18 करोड़ रुपए
संचित लाभ	— 1.86 करोड़ रुपए
संचित हानि	—221.71 करोड़ रुपए

वन क्षेत्रों में खनन सम्बन्धी नीति

32. **भेराबदन के० गधावी** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क क्या सरकार को पता है कि वन क्षेत्रों में खनन पट्टे की स्वीकृति देने संबंधी कठोर नीति के कारण खनन उद्योगों को भारी धक्का लग रहा है;

(ख) क्या सरकार पारिस्थितियों को बिगड़ने दिये बिना युवा, और नये उद्यमियों को खनन पट्टे आसानी से देने की नीति तैयार करने पर विचार करेगी; और

(ग) यदि हां, तो उस नीति का स्वरूप क्या होगा और इसे कब तक क्रियान्वित कर दिया जायेगा ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन : (क) वन क्षेत्रों में पट्टे की स्वीकृति देने सम्बन्धी नीति के कारण खनन उद्योग को भारी धक्का पहुंचने के सम्बन्ध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत

वन क्षेत्रों में खनन पट्टे के लिए केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुमति लेने की आवश्यकता होती है। मामलों को यथा शीघ्र निपटाया जाता है।

(ख) सरकार ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है।

(ग) प्रश्न ही नहीं होता।

डबल रोटी के निर्माताओं को घटिया मैदा की सप्लाई

33. **श्री जगपाल सिंह** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आज इंडिया ब्रेड मैन्यूफैक्चर्स को खराब और घटिया किस्म का मैदा सप्लाई किया जा रहा है जिससे जन स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है ;

(ख) क्या वर्षा से खराब हुए गेहूं की मैदा से डबलरोटी बनाने में कठिनाई हो रही है ; और

(ग) क्या गीली मैदा के मूल्य में 13 पैसे की वृद्धि से 25 प्रतिशत बैकरियां बन्द हो जायेंगी और यदि हां, तो इस बारे में क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में उप मंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) जी नहीं।

(ख) भारतीय खाद्य निगम सरकार द्वारा निर्धारित विनिर्दिष्टियों के अनुसार गेहूं सप्लाई कर रहा है भारतीय खाद्य निगम द्वारा फ्लोर मिलों को दिए गये गेहूं से तैयार मैदा से डबल रोटी बनाने में कोई कठिनाई अनुभव नहीं की जाती है।

(ग) सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है।

बाढ़ों के प्रकोप पर नियंत्रण पाने में असफलता

34. **श्री कृष्णचन्द्र हाल्दर** :

श्री मूलचन्द डागा : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बाढ़ नियंत्रण आयोगों और सेलों द्वारा बाढ़ों के प्रकोप को कम करने के लिए विश्वसनीय नीति बनाने में असफलता के कारण हजारों आदमियों की जानों, सम्पत्तियों, फसलों आदि का नुकसान हो रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई मंत्री (श्री केदार पाण्डे) : (क) जी, नहीं। बाढ़ नियंत्रण एक राज्य-विषय है और बाढ़ों को कम करने के आवश्यक सभी उपाय संबंधित राज्य सरकारों द्वारा किए जाते हैं। केन्द्र नियंत्रण की समस्या से अवगत रहा है और उसने कार्यक्रम को सफल बताने हेतु, उपयुक्त

मार्गदर्शी सिद्धान्त तैयार करने के लिए समय-समय पर विभिन्न उच्च स्तरीय समितियां/आयोग गठित किए हैं। बाढ़ नियंत्रण उपायों के संबंध में कार्य प्रणाली तथा कार्यक्रमों का गहन अध्ययन करने और बाढ़ नियंत्रण समस्या के लिए समन्वित एकीकृत तथा वैज्ञानिक कार्यप्रणाली तैयार करने के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित ऐसा अन्तिम आयोग, 1976 में गठित किया गया राष्ट्रीय बाढ़ आयोग था। आयोग ने अपनी विस्तृत रिपोर्ट मार्च, 1980 में सरकार को प्रस्तुत कर दी थी जिसमें उन्होंने बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम के सम्पूर्ण आयाम को शामिल कर लिया था और 207 सिफारिशें की थी सिंचाई मंत्रालय ने, राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके, सिफारिशों के कार्यान्वयन हेतु उपयुक्त मार्गदर्शी सिद्धान्त तैयार करने के लिए एक समिति गठित की थी। इन मार्गदर्शी सिद्धान्तों को अन्तिम रूप दे दिया गया था तथा कार्यान्वयन के लिए उन्हें सितम्बर, 1981 में संबंधित राज्यों को भेज दिया गया था और वे राज्य प्राधिकरणों के पास विचार/कार्यवाही की विभिन्न अवस्थाओं में है।

1954 में बाढ़ नियंत्रण का राष्ट्रीय कार्यक्रम आरम्भ किए जाने से लेकर छठी पंचवर्षीय योजना (मार्च, 1980) के आरम्भ होने तक इस कार्यक्रम पर लगभग 976 करोड़ रुपये की राशि व्यय की जा चुकी थी जिससे 11 मिलियन हैक्टेयर क्षेत्र की उचित स्तर तक सुरक्षा व्यवस्था की गई है। कार्यवाही संबंधी कार्यक्रम के महत्व को ध्यान में रखते हुए, योजना आयोग ने बाढ़ सुरक्षा निर्माण-कार्यों के लिए छठी पंचवर्षीय योजना में 1045 करोड़ रुपए का परिव्यय अनुमोदित किया है।

(ख) उपर्युक्त को दृष्टि में रखते हुए प्रश्न, (ख) उत्पन्न नहीं होता।

मध्य प्रदेश को ग्रामीण सड़क विकास योजनाओं के लिए वित्तीय सहायता

35. **डा० बसन्त कुमार पंडित** : क्या ग्रामीण विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मध्य प्रदेश राज्य से ग्रामीण सड़क विकास योजनाओं को पूरा करने हेतु 1982-83 के लिए 18 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की है ;

(ख) यदि हां, तो 1981-82 के दौरान पूरी की गई ग्रामीण सड़क विकास योजना के अन्तर्गत कितने गाँवों को जोड़ा गया और 1982-83 में पूरी की जाने वाली कितनी योजनाओं अन्तर्गत कितने गांवों को जोड़ा जायेगा ;

(ग) 1982-83 के दौरान मध्य प्रदेश के राजगढ़, गुना तथा विदिशा जिलों में इस योजना के अन्तर्गत कौन-कौन-सी विशेष ग्रामीण सड़क विकास परियोजना आरम्भ की गई और 1983-84 एवं 1984-85 के दौरान कौन-कौन-सी योजनाएं आरम्भ की जानी हैं ; और

(घ) 1981 में बारह-मासी ग्रामीण सड़कों द्वारा कितने गांवों को जोड़ा गया तथा राजगढ़, गुना तथा विदिशा के योजना लक्ष्य क्या हैं तथा 1982 एवं 1983 के दौरान उनके कितने गांवों को जोड़ा जाना है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : जी नहीं। ग्रामीण कार्यक्रम न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम का भाग है जिसके लिए राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों की योजनाओं में परिव्यय सुलभ किए गए हैं। केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों को इस प्रयोजन के लिए कोई वित्तीय सहायता मंजूर नहीं की जाती है।

(ख) व (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) मंत्रालय द्वारा लक्ष्यों तथा उपलब्धियों के संबंध में जिलावार सूचना नहीं रखी जाती है।

एशियाड परियोजनाओं की स्थिति

36. **श्री कमल नाथ** : क्या खेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एशियाड 82 की सभी परियोजनाएं पूरी हो गई हैं ;

(ख) यदि नहीं तो कौन-कौन सी परियोजनाएं पिछड़ रही हैं और उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या कोई परियोजना छोड़ दी गई है ?

पूर्ति मन्त्रालय के तथा खेल विभाग के राज्य मन्त्री (ी बूटा सिंह) : (क) तथा (ख) दिल्ली/नई दिल्ली में एशियाड, 82 की विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं आयोजित करने हेतु आवश्यक सुविधाएं जुटाने के लिए 8 नए स्टेडियम/हालों का निर्माण किया जा रहा है तथा 9 वर्तमान स्टेडियमों की मरम्मत की जा रही है। ये सभी परियोजनाएं या तो पूरी हो गई हैं अथवा पूरी होने वाली हैं तथा एशियाई खेल,1982 के लिए सभी प्रकर के समय पर ही तैयार हो जाएंगी।

फ्लाई ओवर, ओवर ब्रिजों (ऊपरी फ्लों) का निर्माण, रिंग रेलवे का विद्युतीकरण, होटल आदि जिन्हें संबंधित एजेंसियों द्वारा आरम्भ किया गया है, उनके सामान्य विकास कार्यक्रमों का भाग है। ये परियोजनाएं पहले से आरम्भ की गई हैं ताकि एशियाई खेल, 1982 के दौरान उनका लाभ भी उपलब्ध हो सके।

(ग) जी, नहीं।

राजस्थान में भारतीय खाद्य निगम द्वारा गैर-सरकारी गोदामों को खाली किया जाना

37. **श्री कृष्ण कुमार गोयल** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय खाद्य निगम ने राजस्थान में गोदामों को खाली करने का निर्णय लिया था और साथ-साथ पंजाब तथा हरियाणा में अपने गोदामों का निर्माण किया था ;

(ख) क्या यह सच था कि प्राइवेट गोदामों को खाली करने से पार्टियां ऋणग्रस्त हो गई थीं :

(ग) क्या भारतीय खाद्य निगम का गोदामों को खाली करने के कार्य से ग्रामीण क्षेत्रों में में रोजगार पर भी प्रभाव पड़ा।

(घ) क्या गोदामों को खाली करने के निर्णय पर पुनर्विचार किया जाएगा ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण मंत्रालयों में उप मन्त्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) भारतीय खाद्य निगम ने कृषि पुनर्वित्त विकास निगम योजना के अधीन प्राइवेट पार्टियों से किराये पर लिए गए उन गोदामों को खाली कर देने का फैसला किया है जिनकी गारंटीबद्ध अवधि की समाप्ति के बाद जरूरत नहीं थी। इसके अलावा, निगम ने एक योजना बद्ध कार्यक्रम के अनुसरण में पंजाब और हरियाणा में अपने गोदामों का निर्माण करवा रहा है।

(ख) इस योजना के अधीन गोदामों को विशिष्ट अवधि के लिए परस्पर करार के अन्तर्गत किराया पर लिया गया था, भारतीय खाद्य निगम के लिए गारंटीबद्ध अवधि के समाप्त हो जाने के बाद गोदामों को रखना बाध्यकारी नहीं है।

(ग) भारतीय खाद्य निगम इन गोदामों में अपने कार्यों के लिए ग्रामीण मजदूरों को नहीं रखता है। गोदामों को खाली कर देने के बाद निगम के स्टाफ को अन्यत्र लगा दिया जाता है।

(घ) और (ङ) कृषि पुनर्वित्त विकास निगम योजना के अधीन गोदामों को खाली करने या रखने का निर्णय पार्टियों और निगम के बीच करार की शर्तों पर आधारित होता है और स्थान विशेष पर निगम के जरूरतों के अनुसार लिया जाएगा।

तिलहन उत्पादक सहकारी समितियां

38. **श्री कुम्भा राम आर्य** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी राज्य में तिलहन उत्पादन सहकारी समितियों के किसी शीर्ष निकाय की स्थापना की गई है ; और

(ख) यदि नही, तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि और ग्रामीम विकास मन्त्रालयों में उप मन्त्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) तथा (ख) खाद्य तेल तथा तिलहन उत्पादन और विपणन पुनर्व्यवस्था" नामक परियोजना के तहत, जो राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड के माध्यम से क्रियान्वित की जा रही है, छः राज्यों अर्थात गुजरात, मध्य प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु. महाराष्ट्र तथा उड़ीसा में राज्य स्तर के तिलहन उत्पादक सहकारी संघ गठित किए जाने हैं। अब तक इस प्रकार के राज्य के संघ पांच राज्यों अर्थात गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश तथा उड़ीसा में पहले ही स्थापित किए जा चके हैं। महाराष्ट्र में राज्य स्तर का संघ अभी स्थापित किया जाना है।

राष्ट्रीय आपदा निधि

39. **श्री बाला साहिब बिखे पाटिल** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय आपदा निधि बनाने पर विचार किया है ताकि उड़ीसा में हाल ही में आई बाढ़ जैसी आपदा का केन्द्र से धनराशि प्राप्त किए बिना, जिनमें कुछ समय लग जाता है राज्य स्तर पर इसका तुरन्त सामना किया जा सके ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) सातवें वित्त आयोग ने राष्ट्रीय आपदा निधि स्थापित करने सम्बन्धी प्रस्ताव की जांच की, परन्तु उसने इस प्रकार की निधि की स्थापना करना व्यवहार्य नहीं समझा। भारत सरकार ने इसकी सिफारिशें स्वीकार कर लीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता।

खाद्यान्न और दालों का उत्पादन

40. **श्री कृष्ण दत्त सुलतानपुरी** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी अनुमानों के अनुसार इस वर्ष अनाज का कितना उत्पादन होने की आशा है, और

(ख) खाद्य उत्पादन को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) राज्यों से 1982-83 के लिये खाद्यान्नों, दलहनों, मक्का आदि के उत्पादन के अनुमान अभी देय नहीं हुए हैं। तथापि, इस वर्ष देरी से आए और कमजोर मानसून के कारण खरीफ उत्पादन के गत वर्ष की तुलना में कुछ कम होने की संभावना है।

(ख) सरकार ने खाद्य उत्पादन को बढ़ाने और सूखे की स्थिति से पैदा होने वाली आकस्मिकताओं से निपटने के लिए अनेक उपाय किये हैं। इन उपायों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं :—

(1) सिंचाई जल की नियोजित निमुक्ति और अच्छे प्रबंध और फसल की उचित योजना तथा उर्वरकों की प्रति हैक्टार खपत को बढ़ाकर सिंचित क्षेत्रों में उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाना।

(2) सूखे की स्थिति में कम संवेदनाशील फसलों को उगाकर वैकल्पिक सस्य नीतियां अपनाना,

(3) सिंचाई पम्पसेटों के लिये डीजल और बिजली उपलब्ध कराना और नलकूपों आदि

की मरम्मत करना;

(4) पौध उपलब्ध कराने के लिये सिंचित क्षेत्रों में सामुदायिक नर्सरियों का वृहत कार्यक्रम।

(5) बीजों, उर्वरकों और कीटनाशियों सहित आदानों की आपूर्ति करना और वैकल्पिक फसलों के बीज की उपलब्धि सुनिश्चित करना,

(6) रबी खाद्यान्नों के उत्पादन को बनाने के लिये अभियान चलाना।

(7) ऋण उपलब्ध कराना।

आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में पूर्वी तालुकों की सिंचाई के बारे में प्रतिवेदन

43. **श्री पी० राजगोपाल नायडू** : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : क्या सरकार ने आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के पूर्वी तालुकों की सिंचाई की संभावना का पता लगाने के लिये व्यावहारिक प्रतिवेदन तैयार करने के आदेश दिए हैं जो महानदी और बेगाई ग्रिड के पानी की सतह से 1000 फुट नीचे हैं ?

सिंचाई मंत्री (श्री केदार पाण्डे) : सिंचाई एक राज्य विषय है और सिंचाई परियोजनाओं के सर्वेक्षण, अन्वेषण और उन्हें सूत्रबद्ध करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। इस प्रकार; आंध्र प्रदेश में चित्तूर जिले के पूर्वी तालुकों में सिंचाई की व्यवस्था करने के लिए व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करना आंध्र प्रदेश सरकार का काम है।

कर्नाटक में ग्रामीण निर्धनों के लिए आवास की व्यवस्था करने के लिये "हुडको" द्वारा वित्त पोषित योजनायें।

44. **एस० एम० कृष्णन** : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आवास तथा शहरी निगम द्वारा कर्नाटक में ग्रामीण निर्धनों के आवासन के लिये योजनाओं का वित्त पोषण किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो योजनाओं का स्वरूप क्या है और गृह निर्माण एवं राज सहायता आदि के लिये अब तक कितनी राशियां दी गई हैं ;

(ग) योजनाओं में राज्य सरकार का अंशदान क्या है ; और

(घ) निर्धन ग्रामीण लोगों के पुनर्वास में हुई प्रगति का स्वरूप क्या है ;

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी हां।

(ख) तथा (ग) हुडको ने 27.9.82 तक कर्नाटक में समाज के आर्थिक दृष्टि से कमजोर

वर्ग के लोगों के लाभार्थ 62.48 करोड़ रुपये की परियोजना लागत और 20.61 करोड़ रुपये हुडको ऋण सहायता सहित 1,90,900 मकानों के निर्माण हेतु 51, ग्रामीण आवास योजनाओं की स्वीकृति दी। ये योजनायें कर्नाटक के सभी 19 जिलों के गांवों में फैली हुई हैं। परियोजना लागत के शेष घटकों को राज्य सरकार से सहायता प्राप्त के रूप में तथा लाभभोगियों से प्राप्त अंशदान से पूरा किया जाता है। हुडको कोई आर्थिक सहायता नहीं देता है। अभी तक की गई प्रगति के अनुरूप कार्यान्वयन द्वारा 14.91 रुपये की राशि पहले ही ले ली गई है।

(घ) स्वीकृत 1,90,900 मकानों में से 1,30,326 मकानों का निर्माण कार्य पूरा हो गया है और 19817 मकान प्रगति के विभिन्न सोपानों में है। 30,000 मकान हाल ही में अगस्त 1982 में स्वीकृत किये गये हैं।

उपभोक्ताओं के चीनी के कोटे में वृद्धि करना

45. **श्रीमती प्रमिला दण्डवते** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार चीनी का कोटा बढ़ाकर प्रति व्यक्ति प्रतिमाह एक कि० ग्रा० करने का है ; और

(ख) क्या सरकार आगामी दशहरा और दीपावली त्यौहारों के लिए अतिरिक्त चीनी देगी ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में उपमंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) प्रति व्यक्ति चीनी की खपत का हिसाब 425 ग्राम प्रति व्यक्ति के आधार पर लगाया जाता है। इस समय लेवी चीनी का आवंटन बढ़ाकर 1 किलो प्रति व्यक्ति प्रति मास करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) अक्तूबर, 82 की निर्मुक्ति के साथ त्यौहारों की अतिरिक्त मांग के लिए लेवी चीनी का 50,000 मीटरी टन का एक विशेष त्यौहार कोटा भी निर्मुक्त किया गया है।

मुंगेर-भागलपुर और संथाल परगना जिलों के लिए योजना आयोग द्वारा मंजूर की गई सिंचाई योजनाएं

46. **श्री बी० पी० यादव** : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन मध्यम और मुख्य योजनाओं के नाम क्या हैं जिन्हें योजना आयोग ने पिछले दस वर्षों में बिहार में मुंगेर, भागलपुर और संथाल परगना जिलों के लिए मंजूर किया है ;

(ख) क्या प्रत्येक परियोजना की लागत में और उस संशोधित प्राक्कलन में वास्तविक लागत से दस से पन्द्रह गुना तक वृद्धि हो गई है ; और

(ग) सभी मंजूर-शुदा योजनायें कब तक पूरी होगी ?

सिंचाई मंत्री (श्री केदार पाण्डे) : (क) से (ग) उन सिंचाई स्कीमों के नामों, जिनसे उक्त

जिलों को लाभ मिलता है, स्वीकृति के समय उनकी यथा अनुमानित लागत और उनके पूर्ण होने की संभावित तारीख को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

गत 10 वर्षों के दौरान योजना आयोग द्वारा स्वीकृत की गई बिहार के मुंगेर, भागलपुर और संथाल परगना जिलों की मध्यम तथा वृहत सिंचाई स्कीमें।

क्र० सं०	परियोजना का नाम	लाभान्वित जिला	यथा स्वीकृति अनुमानित लागत (लाख रुपये)	संशोधित अनुमानित लागत (लाख रुपये)	पूर्ण होने की संभावित तारीख
वृहत् स्कीमें					
1.	वारनेर जलाशय स्कीम	मुंगेर	803.46	1588.80	7 वीं योजना
2.	अपरकिंयुल जलाशय स्कीम	मुंगेर	806.69	2042.00	1984-85
3.	डकरानाला पम्प नहर स्कीम सोपान-II	मुंगेर	843.24	1575.98	7 वीं योजना
4.	बटेश्वर स्थान पम्प नहर सोपान-I	भागलपुर	1387.70	2775.00	7 वीं योजना
मध्यम स्कीमें					
1.	अजान (कुकुरझाप) जलाशय स्कीम	मुंगेर	141.60	798.87	1983-84
2.	सूरजगढ़ पंम्प नहर स्कीम	मुंगेर	112.32	224.33	1983-84
3.	वैंडना अपर नाला जलाशय स्कीम	मुंगेर	90.54	173.80	1983-84
4.	सिंधवरणी जलाशय स्कीम	मुंगेर	445.30	445.30	7 वीं योजना
5.	डकरानाला पम्प नहर सोपान-II	मुंगेर	475.95	475.95	7 वीं योजना

1	2	3	4	5
6. बेहरान जलाशय स्कीम	भागलपुर	62.63	698.00	1984-85
7. ओरनी जलाशय स्कीम	भागलपुर	295·77	395.07	1984-85
8. विलासी जलाशय स्कीम	भागलपुर	146.38	230.00	1982-83
9. बटेश्वर स्थान पम्प नहर सोपान-II	भागलपुर	267.10	594.20	7 वीं योजना
10. सुन्दर जलाशय परियोजना	संथाल परगना	192.60	528.79	1982-83
11. गुमनी बराज	संथाल परगना	383.99	750.00	7 वी योजना
12. सुगन्वान जलाशय परियोजना	संथाल परगना	292.00	501.00	7 वीं योजना
13. तोरई जलाशय परियोजना	संथाल परगना	295.89	680.00	7 वीं परियोजना
14. सकरी गली पम्प नहर	संथाल परगना	61.03	120.06	1984-84

विश्व बैंक से सहायता प्राप्त राष्ट्रीय बीज परियोजना का ढीला कार्यान्वयन

47. **श्री नवल किशोर शर्मा :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 16 अगस्त, 1982 के इण्डियन एक्सप्रेस में विश्व बैंक से सहायता प्राप्त राष्ट्रीय बीज परियोजना के ढीले कार्यान्वयन से बीज उद्योग में बड़े कदाचार के बारे में प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

(ग) क्या यह सच है कि उपलब्ध बीज घटिया किस्म का है और परियोजना के पहले चरण के पूरे होने में तीन साल का विलम्ब होने के कारण इसकी किस्म में लगातार गिरावट आ रही है ;

(घ) योजना का पहला चरण कब शुरू किया गया था और इसमें किन राज्यों को शामिल किया गया था ; और

(ङ) अच्छी किस्म के बीजों का वितरण करने की दृष्टि से सभी चरणों को शीघ्र पूरा करने के लिए क्या प्रयास किये गये हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० ल्वामीनाथन) : (क) से (ग) सरकार को अखबार में छपे कथित समाचार की जानकारी है। बीजों की क्वालिटी का नियमन बीज अधिनियम, 1966 और इस अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों के अन्तर्गत किया जाता है।

(घ) इस परियोजना का प्रथम चरण 8 अक्तूबर, 1976 को प्रभावी हो गया था। पंजाब हरियाणा, आन्ध्र प्रदेश और महाराष्ट्र प्रथम चरण के अन्तर्गत शामिल किये गए राज्य हैं। प्रथम चरण, जिसे 30 दिसम्बर, 1980 को समाप्त होना था, को 30 दिसम्बर, 1983 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। परियोजना का द्वितीय-चरण जिसमें बिहार, कर्नाटक, उड़ीसा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्यों को शामिल किया गया था, 20 दिसम्बर, 1978 से प्रभावी हुआ था और 30 जून 1984 को समाप्त हो जाएगा।

(ङ) सचिव (कृषि और सहकारिता) की अध्यक्षता में केन्द्रीय परियोजना प्रबन्ध और प्रबोधन समिति द्वारा प्रत्येक तिमाही में कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा की जाती है। इस परियोजना में शरीक विभिन्न एजेंसियों के साथ मासिक समन्वय बैठकों का भी आयोजन किया जाता है, ताकि द्रुत-गति से कार्यान्वयन को सुनिश्चित किया जा सके।

यन्त्र चालित मत्स्य नौकाओं के लिये डीजल पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में छूट

48. **श्री ईरा अनबारासु** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी प्रकार की यन्त्र-चालित मत्स्य नौकाओं सभी आकार की नाव, के लिये हाई स्पीड डीजल पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में छूट देने की योजना, का जांच कार्य, जो कि जुलाई 1981 में शुरू किया गया था, पूरा हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाई की गई है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी नहीं। अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता।

गम्भीर सूखे की स्थिति से निपटने के लिए पश्चिम बंगाल को खाद्यान्नों की सप्लाई

49. **प्री० रूपचन्द पाल :**

श्री नीरेन्द्र घोष : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पश्चिम सरकार से गंभीर सूखे तथा उसके परिणाम-स्वरूप उत्पादन

में गिरावट और व्यापक दरिद्रता को देखते हुए प्रत्येक महीने 3.75 लाख एम० टी० खाद्यानों की सप्लाई के लिये तुरन्त सहायता का कोई अनुरोध प्राप्त हुआ था ;

(ख) यदि हां, तो गत छह महीनों के दौरान महीने-वार उस राज्य के लिए खाद्यान्न की मांग और सप्लाई की स्थिति क्या थी ; और

(ग) उपरोक्त मांग पूरी करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

कृषि तथा ग्रामीण मन्त्रालयों में उप मन्त्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) जी हाँ । राज्य सरकार ने अक्तूबर, 1982 से खाद्यानों का मासिक आवंटन 3.75 लाख मीटरी टन करने का अनुरोध किया है ।

(ख) पश्चिमी बंगाल की अप्रैल से सितम्बर, 1982 तक की केन्द्रीय पूल से खाद्यानों की मांग, आवंटन और उठाने की मात्रा बताने वाला एक विवरण संलग्न है ।

(ग) पश्चिमी बंगाल समेत विभिन्न राज्यों को खाद्यानों का आवंटन केन्द्रीय पूल में स्टाक की समूची उपलब्धता, विभिन्न राज्यों की सापेक्ष आवश्यकताओं और अन्य सम्बद्ध तथ्यों को ध्यान में रखकर मासिक आधार पर किया जाता है । सार्वजनिक वितरण प्रणाली; उसका इस समय जो स्वरूप है, विभिन्न राज्यों की समूची खपत सम्बन्धी जरूरतों को यथार्थिक रूप से पूरा नहीं कर सकती है । जनसंख्या की जरूरतों को खुले बाजार की प्रक्रिया से पूरा किया जाता है और उसमें जो कमी होती है उसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली से पूरा किया जाता है ।

विवरण

अप्रैल, 1982 से सितम्बर, 1982 के दौरान पश्चिमी बंगाल की केन्द्रीय पूल से चावल और गेहूं की मांग, उसको किए गए आवंटन और उठाने को बताने वाला विवरण ।

(हजार मीटरी टन में)

मास	मांग			आवंटन			उठान		
	चावल	गेहूं		चावल	गेहूं		चावल	गेहूं	
	सा. वि. प्र.	रो. फ्. मि.		सा. वि. प्र.	रो. फ्. मि.		सा. वि. प्र.	रो. फ्. मि.	
1982									
अप्रैल	175	100	55	130	60	35	135.6	57.1	34.8
मई	175	100	55	150	60	35	149.0	50.1	33.1
जून	175	100	55	140	60	35	123.8	56.5	34.9
जोलाई	175	100	55	140	60	35	136.3	72.0	33.3
अगस्त	175	100	55	150	60	35	153.8	75.4	21.0
सितम्बर	175	100	55	150	60	35	...	...	

(ए) त्यौहातों के लिए (ए) उपलब्ध नहीं

सा० वि० प्र०—सार्वजनिक वितरण प्रणाली

रो० फ्० मि०—रोलर फ्लोर मिलें

राजस्थान में गन्दी बस्तियों का सुधार

51. **श्री मुलचन्द डागा** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में किस-किस जिले की कितनी और कौन-कौन सी बस्तियों को उन गन्दी बस्तियों की सूची में शामिल किया गया है, जिनका 20-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत सुधार किया जाना है ; और

(ख) इस संबंध में केन्द्रीय और राज्य सरकारों ने क्रमशः कितनी धनराशि खर्च की है तथा वहां क्या सुविधाएं प्रदान की गई हैं ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) तथा (ख) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

विस्फोट के तरीकों से मिट्टी के बांधों का निर्माण

52. **श्री आर० एन० राकेश** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू पंचवर्षीय योजना के दौरान किन-किन स्थानों पर विस्फोट के तरीकों से मिट्टी के बांधों का निर्माण करने की संभावना है ;

(ख) ऐसे बांधों के लिए स्थान का चयन करने के क्या मानदंड हैं ;

(ग) ऐसे एक बांध के निर्माण पर कुल कितनी धनराशि खर्च होने का अनुमान है ; और

(घ) इस योजना से होने वाले लाभों का ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई मन्त्री श्री (केदार पाण्डे) : (क) चालू पंचवर्षीय योजना के दौरान, हिमाचल प्रदेश के मण्डी जिले में सतलुज नदी के साथ भरारी कुण्ड के संगम से 2.5 कि० मी० प्रतिप्रवाह में भरारी कुण्ड पर विस्फोटन (दिशात्मक विस्फोटन) पद्धति द्वारा एक मिट्टी-चट्टान-भराई बांध निर्माण के लिए प्रारंभिक अन्वेषण आरम्भ करने का प्रस्ताव है । इस समय, इस कार्य का उद्देश्य इस स्थान पर बांध के निर्माण के लिए ऐसी प्रविधि के प्रयोग का मूल्याकन करना है ।

(ख) एक उपयुक्त भू-वैज्ञानिक स्थिति में तंग घाटियों में स्थित ऊंचे तथा दुरारोह अन्त्याधारों वाले स्थलों को सामान्यतः इस पद्धति द्वारा बांधों के निर्माण के लिए उपयुक्त समझा जाता है ।

(ग) इस पद्धति द्वारा किसी बांध की अनुमानित लागत केवल पूर्ण अन्वेषण कर लिए जाने के पश्चात् ही मालूम होगी ।

(घ) इस स्कीम से होने वाले लाभों का मूल्यांकन केवल अन्वेषण पूर्ण हो जाने के बाद ही किया जा सकता है ।

विवरण-1

1979-80 के दौरान बाढ़ों से हुई क्षति को प्रदर्शित करने वाला विवरण

राज्य का नाम	मृत मानवों की संख्या	मृत पशुओं की संख्या	प्रभावित सस्यगस्त क्षेत्र	क्षतिग्रस्त मकानों की संख्या	सम्पत्ति की क्षति (लाख रुपये)
			(लाख हेक्टेयर)		
1. असम	29	6062	2.4	27690	78.4
2. बिहार	14	4	2.7	27816	14.00
3. गुजरात	2005	1898876	4.75	143358	18417.36
4. हिमाचल	5	27	नगण्य	304	0.6
5. कर्नाटक	—	कोई नहीं	0.004	87	258.6
6. केरल	37	216	1.00	53498	78.5
7. मध्य प्रदेश	9	4	0.004	61	0.7
8. महाराष्ट्र	51	3065	0.92	62850	57.8
9. उड़ीसा	16	85	1.8	1939	463.5
0. राजस्थान	109	113842	1.8	93620	837.0

1	2	3	4	5	6	7
11. तमिलनाडु	409	3664	0.4	160829	6318.6	
12. उत्तर प्रदेश	77	23958	5.2	222	सूचना नहीं दी।	
13. पश्चिम बंगाल	1	सूचना नहीं दी	सूचना नहीं दी	1051	0.50	

विवरण-2

1	2	3	4	5	6
1. आन्ध्र प्रदेश	88	26300	0.3	34000	821.00
2. असम	57	9155	519.9	27457	2.9
3. विहार	57	42	10.0	81015	5401.00
4 गुजरात	45	8744	2.8	24282	3706.3
5. हरियाणा	सूचित नहीं किया	14	1.2	2111	931.0
6. हिमाचल प्रदेश	6-7	68	नगण्य	405	9.8
7. जम्मू और कश्मीर	1	सूचित नहीं किया	नगण्य	सूचित नहीं किया	1.0
8. केरल कर्नाटक	16	4	0.20	4483	314.11
9. केरल	42	56	0.61	36811	1862.2
10. महाराष्ट्र	29	202	0.93	3576	0.50
11. मणिपुर	7	43	0.5	3688	173.3
12. उड़ीसा	73	8280	3.6	90000	6032.9

1	2	3	4	5	6
13. पंजाब	47	113	0.45	19244	2.01
14. राजस्थान	1	27	शून्य	798	22.7
15. उत्तर प्रदेश	1309	5244	30.6	1923134	7595.0
16. पश्चिम बंगाल	65	1055	2.1	268714	1837.4

विवरण-3

1	2	3	4	5	6
1. बिहार	17	11	12.06	56617	259.00
2. गुजरात	121+3 खोए हुए	5230	2.24	46646	8764.909
3. कर्नाटक	78	4208	0.449	10008	708.00
4. केरल	86	सूचित नहीं किया	0.275	15116	3436.89
5. राजस्थान	141-226 खोये हुये	33430	4.46	72817	26065.99
6. उत्तर प्रदेश	183	546	5.02	57718	5558.00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

विवरण-4

वर्ष 1979-80 से 1981-82 के लिए बाढ़ से प्रभावित राज्यों को दी गई केन्द्रीय सहायता को प्रदर्शित करने वाला विवरण

(रुपए करोड़ों में)

राज्य का नाम	वर्ष		
	1979-80	1980-81	1981-82
1. आन्ध्रप्रदेश	—	8.3984	—
2. असम	4.56	12.7214	—
3. बिहार	—	26.4700	20.74
4. गुजरात	50.60	18.9754	30.9694 (बाढ़ तथा समुद्री तूफान
5. हरियाणा	—	5.2426	—
6. कर्नाटक	—	3.4750	2.8137
7. केरल	—	9.0942	8.4227
8. उड़ीसा	—	42.8858	—
9. राजस्थान	16.48	—	45.0560
10. उत्तर प्रदेश	—	79.0500	45.0560
11. पश्चिम बंगाल	—	23.5647	—

राज्यों में बाढ़ से क्षति और सहायता

53 . **श्री सुधीर गिरि :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में बाढ़ से जान-माल और फसल का वर्षवार और राज्य-वार क्षति हुई है ; और

(ख) केन्द्र द्वारा राज्यों को राज्य-वार कितनी सहायता दी गई ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) वर्ष 1979-80, 1980-81 तथा 1981-82 के लिए अपेक्षित जानकारी विवरण 1, तथा 3 में दी गई है ।

(ख) तदनुरूपी वर्षों की जानकारी विवरण-4 में दी गई है ।

एशियाई खेलों के लिए व्यवस्था

54. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या खेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन देशों के नाम क्या हैं, जिनके दल एशियाई खेलों में भाग लेंगे ;

(ख) क्या सभी आवश्यक व्यवस्थाएं समय पर पूरी कर ली गयी हैं/कर ली जाएगी ;

(ग) क्या उनके ठहरने की व्ययस्था पूरी हो गयी हैं ; और

(घ) क्या एशियाई खेलों के अवसर पर कुछ टिकट उपलब्ध होंगे ?

पूर्ति मन्त्रालय के तथा खेल विभाग के राज्य मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) विवरण संयग्न है।

(ख) जी, हाँ।

(ग) एशियाई खेल गांव में विभिन्न सेवाओं की व्यवस्था के लिए सभी प्रशासनिक प्रबन्ध ठीक कर दिए गए हैं और गांव में सभी सिविल निर्माण कार्य में पूरे हो जायेंगे।

(घ) एशियाई खेल, 1982 के लिए विशेष आयोजन समिति को आशा है कि सभी टिकटें खेलों के आरम्भ होने से पूर्व बेच दी जाएगी।

विवरण

27.9.1982 की स्थिति के सुधार

देश का नाम	कैफियत
1. अफगानिस्तान	
2. बंगलादेश	
3. बहरीन	
4. बरूनी	भाग नहीं ले रहा है।
5. बर्मा	
6. चीन	
7. कोरिया (के० ओ० आर०)	
8. हांगकांग	
9. इन्डोनेशिया	

1	2
10. ईरान	
11. इराक	
12. जापान	
13. कोरिया (पी० आर० के०)	
14. कुवैत	
15. लाओस	
16. लेबनान	कोई सूचना नहीं
17. मलेशिया	
18. मंगोलिया	
19. नेपाल	
20. पाकिस्तान	
21. फिलिपींस	
22. कतार	
23. सऊदी अरबिया	
24. सिंगापुर	
25. श्री लंका	
26. सीरिया	
27. थाइलैंड	
28 संयुक्त अरब अमीरात	
29. वियतनाम	
30. यमन (एस० ए० एन०)	
31. यमन (पी० डी० आर०) (ए० डी० ई०)	
32. भारत	
33. ओमान सल्तनत	
34. मालद्वीप द्वीप	कोई सूचना नहीं

खाद्यान्न की प्रगति व्यक्ति उपलब्धता

55. **श्री सुनील मैत्रा :** कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1980 और 1981 में खाद्यान्नों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता क्या थी ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) :भारत में खाद्यान्नों की प्रति व्यक्ति अनुमानित उपलब्धि 1980 में 150.4 किग्रोग्राम तथा 1982 में 167.9 किलोग्राम थी।

एशियाड गांव में भोजन की किस्म

56. **श्री दयाराम शाक्य :** क्या खेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 18 सितम्बर, न982 के दैनिक हिन्दुस्तान में प्रकाशित "रोल गांव में घटिया किस्म का भोजन" शीर्षक समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है ; और

(ख) सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है और इसके लिए उत्तरदायी लोगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

पूर्ति मन्त्रालय के तथा खेल विभाग के राज्य मन्त्री (श्री बूटा सिंह) (क) जी हां, । तथापि परीक्षण खेलों के दौरान एशियाई खेल ग्राम में दिए गए भोजन से सम्बन्धित समाचार वास्तविक रूप से सही नहीं है। राष्ट्रीय खेल संस्थान, पटियाला द्वारा निर्धारित भोजन-सूची के अनुसार परीक्षण खेलों के दौरान प्रतिदिन प्रति व्यक्ति कम से कम पांच हजार कैलोरी वाला पौष्टिक और स्वास्थ्यवर्धक भोजन दिया जाता था।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

तिलहन खेती के अन्तर्गत नई सिंचित भूमि क लाया जाना

57. **श्री के० लकप्पा :**

श्री एच० एन० नन्जे गौडा : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने खाद्य तेलों की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए तिलहन खेती के अन्तर्गत नई सिंचित भूमि लाने हेतु कार्यक्रमों को तेजी से कार्यान्वित करने के लिए सभी राज्य सरकारों को कहा है ;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने मूलभूत आदानों पर रांजसहायता सहित कोई प्रोत्साहन, सुविधाएं दी हैं जैसे कि राज्य सरकारों द्वारा इच्छा जाहिर की गई थी;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या इस सम्बन्ध में अनुसन्धान सुविधाओं का विस्तार भी केन्द्र द्वारा किया गया है ; और

(ङ) राज्यों द्वारा मूंगफली की पैदावार बढ़ाने में अनुसंधान कार्य कहां तक लाभदायक सिद्ध होगा ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन): (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) नए सिंचित क्षत्रों में तिलहनों के विस्तार से सम्बन्धित केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के तहत, इस समय राज सहायता के रूप में निम्नलिखित सहायता उपलब्ध कराई जा रही है :

मद	राज सहायता की दर
1. बीज	
(1) प्रमाणित	तोरिया, सरसों तथा मूंगफली के सम्बन्ध में 150 रुपऐ प्रति क्विंटल तक।
(2) सही प्रकार से लेबलयुक्त बीज	तोरिया, सरसों तथा मूंगफली के सम्बन्ध में 100 रुपए प्रति क्विंटल तक।
2. पौध रक्षण	
(1) रसायन	50 प्रतिशत
(2) भू- छिड़काव प्रभार	15 रुपए प्रति हैक्टार
(3) हवाई छिड़काव प्रभार	27.50 रुपये प्रति हैक्टार
3. मिनीकिट	100 प्रतिशत
4. प्रदर्शन	200 रुपए प्रति हैक्टार

उपरोक्त (1) तथा (2) के लिए बीज एवं पौध रक्षण का सम्पूर्ण खर्च भारत सरकार द्वारा वहन किया जाता है। उपरोक्त (3) तथा (4) के लिए मिनीकिटों एवं प्रदर्शनों का खर्च भारत सरकार तथा राज्य सरकारों द्वारा समान आधार पर वहन किया जाता है।

गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में मूंगफली के सघन उत्पादन से संबंधित विशेष परियोजना के तहत मूंगफली के अन्तर्गत नए सिंचित क्षेत्रों को लाने के लिए निम्नलिखित अतिरिक्त राज सहायता दी जा रही है

मद	राज सहायता की दर
1. बीज ड्रील	200 रुपए प्रति नग
2. पौध रक्षण	
(1) हवाई छिड़काव	37.50 रुपए प्रति हैक्टार (उपरोक्त उल्लिखित 27.50 रुपए

	(प्रति हैक्टार के स्थान पर)
(2) पौध रक्षण उपकरण	200 रुपये प्रति उपकरण ।
3. सिंचाई की लागत	100 रुपए प्रति हैक्टार (घटती हुई राज सहायता)

(घ) जी, हां ।

(ङ) उन्नत किस्मों के विकास, सही अंतरण, इष्टतम उर्वरक की मात्रा, सिंचाई की समय-सारणी आदि से सम्बन्धित अनुसंधान कार्यों से मूंगफली के उत्पादन को काफी अधिक बढ़ाने में सहयता मिलेगी ।

कृषि के अन्तर्गत कुल भूमि

58 : **श्री रास विलास पासवान** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कुल कितने एकड़ जमीन है :

(ख) कृषि के योग्य कुल कितने एकड़ जमीन है ;

(ग) कुल कितने एकड़ जमीन में खेती की जाती है ;

(घ) अभी कितने एकड़ कृषि योग्य जमीन में खेती नहीं की जाती है : और

(ङ) अब तक कुल कितने एकड़ जमीन को सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) :

(क) देश का भोगोलिक क्षेत्र 3287.8 लाख हैक्टार है ।

(ख) वर्ष 1978-79 जिसके लिए सभी राज्यों से जानकारी उपलब्ध है, भूमि उपयोग आंकड़ों के अनुसार कुल कृषि योग्य क्षेत्र 1857.8 लाख हैक्टार बैठता है ।

(ग) 1978.79 के दौरान 1553.8 लाख हैक्टार क्षेत्र में खेती की गई थी

(घ) 1978.79 के दौरान कृषि कार्य के लिये प्रयोग में न लाया गया क्षेत्र जैसे चालू परती के अतिरिक्त परती भूमि, कृषि योग्य बेकार भूमि, विभिन्न प्रकार का बागवानी फसलों तथा वाटिकाओं के अन्तर्गत 304.0 लाख हैक्टार क्षेत्र था ।

(ङ) 1978.79 के दौरान कुल सिंचित क्षेत्र 379.6 लाख हैक्टार होने का अनुमान लगाया गया था ।

विभिन्न योजनायें लागू करने के लिये राज्यों द्वारा पेड़ों को काटने की अनुमति मांगना

59. **प्रो० नारायण चन्द्र प्रसाद** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी राज्य ने केन्द्र सरकार से पेय सप्लाई सिंचाई विद्युतीकरण और सड़क निर्माण की योजनाएं चलाने के लिए बाधाओं को हटाने के रूप में पेड़ों को गिराने की अनुमति मांगी है जैसा कि नये वन अधिनियम के अन्तर्गत अपेक्षित है :

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन्होंने अनुमति मांगी है और सरकार ने उस पर क्या निर्णय लिया है ; और

(ग) उन योजनाओं का ब्यौरा क्या है जिनके संदर्भ में हिमाचल सरकार ने अनुमति मांगी है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी०स्वामीनाथन) : (क) जी हां

(ख) आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश तथा गोआ, दमन व दीव की सरकारों ने इस सम्बन्ध में अनुमति मांगी है।

31.8.1982 को चार श्रेणियों में बांटे गए मामलों की स्थिति इस प्रकार थी :—

श्रेणी	प्राप्त हुए कुल मामले	स्वीकृत मामले	अस्वीकृत मामले	लम्बित मामले
1. पेय जल की आपूर्ति	8	8	—	—
2. सिंचाई तथा जलीय परियोजनाएं	59	14	22	23
3. विद्युती करण	34	11	5	18
4. सड़कें तथा पुल	45	6	11	28
	146	39	39	69

(ग) 1 हिमाचल प्रदेश सरकार ने अभी तक नौ मामले भेजे हैं, जो इस प्रकार हैं :—

श्रेणी	कुल मामले	स्वीकृत मामले	अस्वीकृत मामले	लम्बित मामले
हवाई रज्जु मार्ग	1	1	—	—
सड़कें	1	1	—	—
संचारण लाईन	3	3	—	2

औद्योगिक परिसर	1	वन (संरक्षण) अधिनियम के तहत नहीं आता ।		
भवन	1	—	—	1
कार्यशाला	1	—	—	1
हेलिपेड	1	—	—	1
	9	3	—	5

एशियाड विज्ञापन अनुबन्ध के लिए दुबई की कम्पनियों के मीटकों ग्रुप द्वारा गारन्टी धन जमा न करना

60. **श्री रामसिंह शाक्य** : क्या खेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि ऐशियाई खेलों के विशेष आयोजन समिति द्वारा दुबई की कम्पनियों के मीटकों ग्रुप ने टेंडर आमंत्रित करने के मान्य नियमों और सिद्धान्तों के विपरीत दिए गए विज्ञापन अनुबन्ध, के लिए गारन्टी धन जमा नहीं किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी पूरे तथ्य क्या हैं और फ़र्म से गारन्टी न वसूल न करने के क्या कारण है ; और

(ग) एशियाड 82 के दौरान विज्ञापन के लिए क्या प्रबन्ध किए गये हैं और तत्सम्बन्धी पूरा ब्यौरा क्या है ?

पूर्ति मन्त्रालय के तथा खेल विभाग के राज्य मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (ग) दुबई की कम्पनियों के मीटकों ग्रुप ने विशेष आयोजन समिति के साथ उन निर्धारित स्थानों पर विज्ञापन अधिकारों के सम्बन्ध में एक अनुबन्ध पर हस्ताक्षर किए हैं, जहां ऐशियाई लिए होने हैं। अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार, उन्हें सोसायटी को 60 लाख अमेरिकी डालर अदा करते थे जिनमें से 10 लाख डालर/सोसायटी के पास 30 अगस्त, 1982 तक जमा किए जाने थे। उन्होंने यह राशि जमा नहीं कराई है।

इसके बजाय उन्होंने 21.8.82 को इस भगतान तथा शेष उन क़िस्तों को, जो उनके द्वारा जमा की जानी थी, स्थगित करने का अनुरोध किया। क्योंकि इससे उनका अनुबन्ध पूरा नहीं होता अत: विशेष आयोजन समिति, अनुबन्ध को मीटकों के साथ हुए करार में की गई व्यवस्था के अनुसार इस अनुबन्ध को पूरा करने के लिए, इस मामले को मध्यस्थ-निर्णायक के पास भेजकर कम्पनियों के मीटको ग्रुप के विरुद्ध कार्यवाई कर रही है।

एशियाड, 82 के दौरान विज्ञान के लिए कोई नए प्रबन्ध नहीं किए गए हैं क्योंकि यह

मामला कम्पनियों के मीटको ग्रुप के साथ हुए अनुबन्ध में की जाने वाली मध्यस्थता कार्यवाही से सम्बद्ध है ।

भूमि सुधारों को लागू करने के लिए अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना और कानूनी सलाहकारों की नियुक्ति

61. **श्री गुफरान आजम :**

कु० पुष्पा देवी सिंह : क्या ग्रामीण विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय ने राज्य सरकारों को कहा है कि भूमि सुधार उपायों को लागू करने के लिए जो 20 सूत्री कार्यक्रम में एक सूत्र है, अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना तथा कानूनी सलाहकारों की नियुक्तियां की जाएं,

(ख) यदि हाँ, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम को क्रियान्वित करना शुरू कर दिया है,

(ग) क्या सरकार ने राज्यों को इस सम्बन्ध में मार्ग निदेश जारी किए हैं कि 20 सूत्री कार्यक्रम को किस प्रकार लागू किया जाये, और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और राज्यों ने इस संबंध में कितनी प्रगति की है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया था कि प्रत्येक जिले में लम्बित पड़े । अदालती मामलों की पुनरीक्षा करें और उनका शीघ्र निपटान कराने हेतु उपयुक्त कदम उठाएं ।

(ख) भूमि सुधार उन सभी राज्यों में एक प्राथमिकता वाला कार्यक्रम है, जहां भूमि पर सामुदायिक स्वामित्व घोषित नहीं किया गया है ।

(ग) और (घ) राज्य सरकारों को कोई नए मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी नहीं किए गए हैं लेकिन उनसे नए 20-सूत्री कार्यक्रम के संदर्भ में अनुरोध किया गया है कि वे सभी प्रशासनिक तथा कानूनी अड़चनों को हटाकर अधिकतम सीमा से फालतू भूमि का शीघ्र वितरण करें । उनसे भूमि रिकार्डों को अद्यतन बनाने के लिए विभिन्न उपाय करने का भी अनुरोध किया गया है । विभिन्न राज्यों में संशोधित अधिकतम भूमि सीमा कानूनों के कार्यान्वयन की प्रगति को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है ।

विवरण

(क्षेत्र एकड़ में)

राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र	संशोधित भूमि की अधिकतम सीमा कानूनों के अन्तर्गत फालतू घोषित क्षेत्र	संशोधित भूमि की अधिकतम सीमा कानूनों के अन्तर्गत कब्जे में लिया गया क्षेत्र	संसोधित भूमि की कानूनों के अन्तर्गत क्षेत्र	अधिकत सीमा वितरति क्षेत्र लाभयोगियों की संख्या
1	2	3	4	5
आन्ध्र प्रदेश	879,601	444,874	315,568	215,377
असम	237,592	507,186	321,886	253,513
बिहार	284,590	147,643	141,367	156,802
गुजरात	146,510	62,058	8,093	1,973
हरियाणा	28,231	19,192	19,092	5,534
हिमाचल प्रदेश	94,187	93,371	3,344	4,362
जम्मू तथा काश्मीर	—	—	—	—
कर्नाटक	282,078	121,536	69,833	14,885
केरल	122,802	81,047	53,192	36,207
मध्य प्रदेश	256,666	142,973	82,072	32,651
महाराष्ट्र	370,193	281,586	281,586	76,892
मणिपुर	1,029	36	—	—
उड़ीसा	137,821	122,092	103,674	79,344
पंजाब	46,616	16,260	12,626	3,670
राजस्थान	261,976	235,894	130,938	28,490
तमिलनाडु	81,134	77,781	60,649	40.881

1	2	3	4	5
त्रिपुरा	1,827	1,623	1,210	1,047
उत्तर प्रदेश	284,215	261,885	233,921	190,844
पश्चिम बंगाल	164,767	112,818	62,460	176,461
दादरा और नगर हवेली	8,958	6,079	3,370	1.484
दिल्ली	722	374	374	—
पाण्डिचेरी	2,560	1,046	906	1,012
योग	39,94,075	27,37,354	19,07,275	13,70,825

पटियाला में खिलाड़ियों को देय दैनिक भत्ता

62. **श्री चतुभज** : क्या खेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन खिलाड़ियों, जो सरकारी योजना के अन्तर्गत पटियाला में पूर्वाभ्यास कर रहे हैं को कितना दैनिक भत्ता दिया गया है ; और

(ख) वहां औसत खिलाड़ी द्वारा अनुमानतः प्रतिदिन कितना खर्च किया जाता है ?

पूर्ति मन्त्रालय के तथा खेल विभाग के राज्य मन्त्री (श्री बूटा सिंह)(क) नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान, पटियाला में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे पुरूष खिलाड़ियों और महिला खिलाड़ियों को प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 25 रुपये की दर से भोजन सम्बन्धी सुविधायें दी जा रही है। उन्हें इस राशि का भुगतान नकद नहीं किया जा रहा है । प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 2/रुपये का जेब खर्च दिया जा रहा है ।

(ख) पुरूष खिलाड़ियों/महिला खिलाड़ियों द्वारा व्यक्तिगत रूप से किए जा रहे अनुमानित दैनिक खर्च से सम्बन्धित सूचना नहीं है, किन्तु ने० सु० रा० वे० सं० पटियाला के अनुसार यह खर्चा औसतन प्रतिदिन प्रति व्यक्ति लगभग 10/रुपये हो सकता है ।

जम्मू और काश्मीर राज्य के कारगिल जिले में रेगिस्तान विकास कार्यक्रम

63. **श्री पी० नामग्याल** : क्या ग्रामीण विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्र सरकार से जम्मू और काश्मीर राज्य के कारगिल जिले के कुछ भागों में रेगिस्तान विकास कार्यक्रम को बन्द कर दिया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि कारगिल जिले के सौट, वौधखारबु, शकरंचिक्तान, वाटालिक और वाखा-मुलवेख और अत्यधिक सूखा प्रवण क्षेत्रों में रेगिस्तान विकास कार्यक्रम बन्द कर दिया गया है ;

(ग) कार्यक्रम वन्द करने के क्या कारण है ; और

(घ) क्या केन्द्र सरकार इस क्षेत्र को रेगिस्तान विकास कार्यक्रम से निकालने के निर्णय पर पुनर्विचार करेगी और पुनः इस क्षेत्र को उपर्युक्त कार्यक्रम में शामिल करेगी ?

कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) से (घ) : जही हां। सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम तथा मरूभूमि विकास कार्यक्रम से संबन्धित कार्यदल की सिफारिश पर मरूभूमि विकास कार्यक्रम को 1982-83 सेकारगिल, जिले के चार खण्डों में बन्द कर दिया गया है। ये खण्ड हैं—कारीगिल, दरास, साके तथा शकर-चिक्तान। कार्यक्रम से इन खण्डों को निकालने के बारे में कार्यदल द्वारा इसलिए सुझाव दिया गया था क्योंकि इन क्षेत्रों में पर्याप्त सिंचाई, वर्षा तथा वनस्पति की सुविधाए उपलब्ध हो गई हैं।

माही बजाज सागर परियोजना का निष्पादन

64. **श्री दौलत राम सारण** : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बहुउद्देश्यीय माही बजाज सागर परियोजना के निष्पादन के में अत्यधिक विलम्ब होने के कारण भारी नुकसान हो रहा है ;

(ख) यदि हां, तो परियोजना में कितना विलम्ब हुआ है और परियोजना के निष्पादन में विलम्ब के क्या कारण हैं ;

(ग) विलम्ब के परिणामस्वरूप परियोजता की लागत में अनुमानित वृद्धि कितनी हो जायेगी ; और

(घ) सरकार ने इसको पूरा करने और इसकी लागत में वृद्धि न होने देने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

सिंचाई मन्त्री (श्री केदार पाण्डे) : (क) और (ख) माही बजाजसागर परियोजना के क्रियान्वयन के प्रारम्भिक चरणों में कुछ विलम्ब हुआ था। तथापि, संशोधित कार्यक्रम के अनुसार, मिट्टी बांध पर कार्य पूरा हो जाने की सूचना दी गई है और शिखर फाटकों (क्रेस्ट गेट्स) को छोड़कक, अन्य वृहद संघटकों पर निर्माण-कार्य को अव जून, 1983 तक पूरा करने का कार्यक्रम वनाया गया है, जव जल की आंशिक रूप से संचयन संभव हो सकेगा और सिंचाई लाभ प्राप्त होने आरम्भ हो जायेंगे। शिखर फाटकों को जून, 1984 तक स्थापित किया जाना अनुसूचित है। विद्युत संघटक को छठी योजना के अन्त तक पूरा करने का प्रस्ताव है। विलम्ब के लिए

परियोजना प्राधिकारियों द्वारा राज्य में इस वर्ष के आरम्भ में हुई श्रमिकों तथा कर्मचारियों की हड़ताल के कारण बताया गया है।

(ग) माही बजाजसागर परियोजना 31.36 करोड़ रुपये की लागत पर योजना आयोग द्वारा 1871 में अनुमोदित की गई थी। इस परियोजना की संशोधित लागत लगभग 150 करोड़ रुपये होने का अनुमान लगाया गया है। परियोजना की लागत में वृद्धि, परियोजना के आकार में विस्तार करने तथा साथ ही निर्माण-सामग्रियों, उपस्कर की भी लागत और श्रमिकों की मजदूरी आदि में वृद्धि होने के कारण हुई है।

(घ) संशोधित कार्यक्रम के अनुसार परियोजना को पूरा करने के लिए सभी प्रयत्न किए जा रहे हैं और केन्द्रीय जल आयोग द्वारा नियमित रूप से परियोजना की प्रगति को मानटीरिंग की जा रही है बांध का निर्माण लगभग पूर्ण होने को है और अन्तर्वाही जलमार्ग तथा नहरों के निर्माण कार्य की गति में तेजी लाई गई है।

एशियाड टिकटों का मुद्रण और वितरण

65. **श्री अमरराय प्रधान** : क्या खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष नवम्बर में होने वाले एशियाड के प्रत्येक खेल के संबंध में प्रत्येक श्रेणी के मुद्रित टिकटों की संख्या कितनी है और उनका वितरण किस प्रकार किया गया है;

(ख) प्रत्येक स्टेडियम में बैठने की क्षमता कितनी है;

(ग) प्रत्येक खेल के संबंध में प्रत्येक श्रेणी के कितने मानार्थ टिकट जारी किए गए तथा किन व्यक्तियों को ये टिकट दिए गए हैं; और

(घ) प्रत्येक खेल के संबंध में प्रत्येक श्रेणी के टिकटों की बिक्री से कितना धन प्राप्त हुआ ?

पूर्ति मंत्रालय के तथा खेल विभाग के राज्यमंत्री (श्री बूटासिंह): (क) एशियाई खेल, 1982 की विशेष आयोजन समिति ने स्टेडियमों में विभिन्न खेलों, उनके वर्गों, दिनों और बैठने के खंडों की लगभग 1700 प्रकार की टिकटें छपवाई हैं। भारत के 91 शहरों में टिकट बिक्री के लिए 129 केन्द्रों की सूची संलग्न है। इसके अलावा, बाहर के 35 देशों में बिक्री के लिए टिकट उपलब्ध कराए गए थे।

(ख) विभिन्न स्टेडियमों में बैठने की क्षमता दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ग) अभी तक किसी भी व्यक्ति को मानार्थ टिकट जारी नहीं किए गए हैं।

(घ) इस स्तर पर प्रत्येक खेल की प्रत्येक क्षेणी की टिकटों की बिक्री बताना सम्भव नहीं, क्योंकि टिकटों की अभी बिक्री हो रही है।

सूची

उन शहरों की सूची जहां एशियाई खेलों की टिकटें बेची जा रही हैं

कोड	राज्य/शहर
	आन्ध्र प्रदेश
101	हैदराबाद
102	विशाखापत्तनम
103	विजयवाड़ा
104	गुन्टूर
105	वारंगल
	असम
106	गोहाटी
	बिहार
107	पटना
108	धनवाद
109	जमशेदपुर
110	रांची
	गुजरात
111.	अहमदाबाद
112.	सूरत
113.	वदोदरा
114.	राजकोट
115.	जामनगर
116.	भावनगर
	हरियाणा
117.	फरिदाबाद
118.	हिसार
219.	अम्बाला

कोड	राज्य/शहर
120	करनाल
	हिमाचल प्रदेश
121	शिमला
	जम्मू व कश्मीर
122.	श्री नगर
123.	जम्मू
	केरल
124.	त्रिवेन्द्रम
125.	कोचीन
126.	कालीकट
	कर्नाटक
127.	बंगलोर
128.	हुवली धारवाड़
129.	मैसूर
130.	मंगलोर
131.	वेलगांव
	मध्य प्रदेश
132.	भोपाल
133.	इन्दौर
134.	जवलपुर
135.	ग्वालियर
136.	दुर्ग भिलाई नगर
137.	रायपुर
	महाराष्ट्र
138.	बृहत बम्बई
139.	पूना
140.	नागपुर
141.	उल्हास नगर

ोड	राज्य/शहर
	महाराष्ट्र
	शोलापुर
	नासिक
	थाना
	कोल्हापुर
	औरंगाबाद
	मणिपुर
	इम्पाल
	मेघालय
	शिलांग
	नागालैंड
	कोहिमा
	उड़ीसा
	भुवनेश्वर
	राउड़केला
	कहक
	पंजाब
	लुधयाना
	अमृतसर
	जालंधर
	पटियाला
	राजस्थान
	जयपुर
	जोधपुर
	अजमेर
	कोटा

कोड	राज्य/शहर
	सिक्किम
	गंगटोस
	तमिल नाडू
	मद्रास
	कोयम्बटूर
	मदुरे
	तिरूचिरापल्ली
	सलेम
	तिरूनेवेली
	त्रिपुरा
	अगरतला
	उत्तर प्रदेश
	लखनऊ
	कानपुर
	वाराणसी
	आगरा
	मेरठ
	बरेली
	मुरादाबा द
	अलीगढ़
	गोरखपुर
	गाजियाबाद
	पश्चिम बंगाल
	कलकत्ता
	आसलसोल

कोड	राज्य/शहर
	दुर्गापुर
	अरूणाचल प्रदेश
	ईटा नगर
	चण्डीगढ़
	चण्डीगढ़
	गोआ, दमन और द्वीप
	पणजी
	मिजोरम
	आइजोल
	पाण्डिचेरी
	पाण्डिचेरी
	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह
	पोर्ट ब्लेयर
	लक्षद्वीप
	कावारती
	गुजरात
	गांधी नगर
	दिल्ली

विवरण

विभिन्न स्टेडियमों में बैठने की क्षमता दर्शाने वाला विवरण

प्रतियोगी खेल	स्टेडियम के नाम	बैठने की कुल क्षमता
उद्घाटन समारोह समापन समारोह	जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम लोधी रोड़	75006
तीरन्दाजी	दिल्ली विश्वविद्यालय मैदान	1110

1	2	3
एथलेटिक्स	जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम लोधी रोड	75006
बडमिन्टन	इन्द्र प्रस्थ स्टेडियम, राजघाट	11278 (25,000)
बास्केट बाल	ताल कटोरा इन्डोर स्टेडियम	3872
मुक्के बाजी	हाल आप स्पोर्टस, प्रगति मैदान	2744
साइक्लिंग	यमुना वेलोड्रोम, राजघाट	2381
घुड़सवारी	हरबक्श स्टेडियम एंव निकल्सन रेंज	6590
फुटबाल	जवाहर लाल नेहरु स्टेडियम	75006
	अम्बेदकर स्टेडियम	17850
	मोडल टाउन स्टेडियम	11515
व्यायाम	इन्द्र प्रस्थ स्टेडियम	11278
गोल्फ	दिल्ली गोल्फ क्लब	1500
हैंडबाल	दिल्ली विश्वविद्यालय मैदान	3588
हाकी (पुरुष)	नेशनल स्टेडियम	21943 (25,000)
हाकी (महिला)	शिवाजी स्टेडियम	5995 (10,000)
नौका विहार	रामगढ़ झील जयपुर	8,000
निशानेबाजी	तुगलकाबाद निशाने बाजी स्थल	1260
तैराकी	ताल कटोरा तरण ताल	5815
टेबल टेनिस	हाल आफ स्पोर्टस, प्रगति मैदान	3494
लान टेनिस	टेनिस स्टेडियम, होज खास	2584
वालीवाल	इन्द्रप्रस्थ स्टेडियम राजघाट	11278
भारोतोलन	एशियाड केन्द्र	2143

कावेरी जल विवाद पर वार्ता

66. **श्री के० टी० कोशलराम** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों के दौरान कावेरी जल विवाद पर कितनी बार वार्ता निर्धारित

की गई तथा कितनी बार इसे किसी एक अथवा दूसरे कारण की वजह से रद्द करना पड़ा है ; और

(ख) कावेरी बेसिन से संबंधित चार राज्यों के बीच लम्बे समय से चल रहे कावेरी जल विवाद को सुलझाने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय करने का विचार किया गया है ?

सिंचाई मन्त्री (श्री केशर पाण्डे) : (क) 1976 से, कावेरी जल-विवाद के संबंध में मुख्य मंत्रियों की अन्तर्राष्ट्रीय बैठक केन्द्रीय सरकार द्वारा पांच बार बुलाई गई थी। ये बैठकें निश्चित की गई थीं और किसी एक अथवा दूसर राज्य द्वारा असमर्थता प्रकट करने के कारण, 18 बार स्थगित कर दी गई थीं।

(ख) केन्द्रीय सरकार का लगातार चले आ रहे मतभेदों को दूर करने और विवाद का कोई सौहार्दपूर्ण हल ढूंढने के लिए सभी संबंधितों को सुविधाजनक तारीख को कावेरी बेसिन वाले राज्यों के मुख्य मंत्रियों के साथ यथासम्भव शीघ्र आग बातचीत आयोजित करने का प्रस्ताव है।

सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में सहायता उपाय

69. **श्री जय नारायण रौत** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार ने इस वर्ष सूखा ग्रस्तक्षेत्रों के लिए सहायता के क्या उपाय किए हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : सूखे की स्थिति से निपटने के लिए राज्य सरकारों की सहायता करने हेतु केन्द्रीय सरकार द्वारा निम्नलिखित उपाय किये गये हैं :

(1) मई, 1982 से ही राज्य सरकारों को सुझाव दिया गया कि वे सूखे से संबंधित आकस्मिक योजनाएं तैयार करें। राज्य सरकारों को सूखे की व्यवस्था सम्बन्धी उपयुक्त मार्गदर्शी सिद्धान्त उचित कार्यवाही हेतु भेजे गये। राज्यों को अनुरोध किया गया कि वे फसल मौसम निगरानी दल और खन्ड ; जिला तथा राज्य स्तरों पर आन्तरिक विभागीय समन्वय समितियों को सक्रिय बनायें, ताकि मौसम विभाग , सिंचाई विभाग, बिजली विभाग, कृषि विश्वविद्यालयों तथा अन्य एजेंसियों से सम्पर्क स्थापित किया जा सके।

(2) खरीफ मौसम के दौरान किसानों को प्रतिदिन कम से कम 8 से 10 घंटे बिजली की लगातार सप्लाई देने के लिए राज्यों से अनुरोध किया गया।

(3) राज्य सरकारों को सलाह दी गयी कि वे फसल उत्पादन प्रयोजन हेतु जलाशयों में उपलब्ध सिंचाई जल का इष्टतम उपयोग करें।

(4) पशुओं के संरक्षण के लिए राज्यों से अनुरोध किया गया है कि वे कृशि मन्त्रालय द्वारा बनाये गये विस्तृत मार्गदर्शी सिद्धान्तों के आधार पर आकस्मिक योजनायें तैयार करें।

(5) कृषि आदानों की खरीद तथा किसानों में उनका वितरण करने के लिए अल्पविधि ऋण के रूप में कुल 113.5 करोड़ रुपये की राशि निर्मुक्त की गई है।

(6) पश्चिम बंगाल के अनुरोध पर एक केन्द्रीय दल ने 8 और 10 अगस्त, 1982 के बीच राज्य का दौरा किया। इसकी रिपोर्ट तथा राहत सम्बन्धी उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों के आधार पर, भारत सरकार ने प्रभावित लोगों की राहत और पुनर्वास के लिए 24.77 करोड़ रुपये की व्यय की अधिकतम सीमा स्वीकृत की है।

(7) केन्द्रीय दलों ने बिहार, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश में सूखे से प्रभावित देशों का दौरा किया। केन्द्रीय सहायता दलों की रिपोर्टों पर विचार करने के तुरन्त बाद मंजूर कर दी जायेगी।

(8) भारत सरकार त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई योजना लागू करने के लिए राज्य सरकारों को सामान्य रूप से शत-प्रतिशत सहायता दे रही हैं। चालू वर्ष के दौरान त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई योजना के अन्तर्गत 120 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसमें से विभिन्न राज्य सरकारों को 60.54 करोड़ रुपये की प्रथम किश्त निर्मुक्त कर दी गयी है।

(9) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य सरकारों को 82.80 करोड़ रुपये का आबंटन निर्मुक्त किया गया है। इन राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वह कार्यक्रम सूखे की परिस्थितियों से प्रभावित क्षेत्रों में ही चलाया जाय।

नौवें एशियाई खेलों पर खर्च

70. **श्री रामसिंह यादव** : क्या खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में 19 नवम्बर, से 4 दिसम्बर, 1982 तक हो रहे नौवें एशियाई खेलों में कुल कितने देश भाग ले रहे हैं ;

(ख) 1982 में हो रहे नौवें एशियाई खेलों पर कुल कितनी दान राशि खर्च होगी ; और

(ग) इसमें कितनी धनराशि स्थायी किस्म के कार्यों पर खर्च होगी जिसके सामान्य रूप से राष्ट्रीय तथा विशेष रूप से दिल्ली महानगर के सामाजिक शैक्षिक सांस्कृतिक और आर्थिक पहलुओं का विकास होगा ?

पूर्ति मंत्रालय के तथा खेल विभाग के राज्य मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) 31 देशों ने नये एशियाई खेल, 3982 में अपने भाग लेने की पुष्टि कर दी है।

(ख) और (ग) सरकार द्वारा किया जाने वाला कुल अनुमानित खर्चा, जो एशियाई खेल, 1982 के लिए इसने नवम्बर, 1982 में अनुमोदित किया था, (नए स्टेडियमों के निर्माण तथा विद्यमान स्टेडियम के नवीनीकरण के लिए 36.86 करोड़ रुपये तथा अन्य प्रबन्धों के लिए 18

करोड़ रुपये) 54.83 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया था। तथापि, इस समय उपलब्ध संकेतों के अनुसार, सरकार द्वारा एशियाई खेलों पर (निर्माण कार्य पर 44.85 करोड़ रुपये तथा अन्य मदों पर 17.19 करोड़ रुपये) कुल 62.04 करोड़ रुपये खर्च किये जाने की संभावना है।

पश्चिम बंगाल में भागीरथी गंगा और पद्मा नदियों पर नियंत्रण करके भूमि कटाव रोकने के उपायों की लागत को वहन करने हेतु पश्चिम बंगाल का अनरोध

71. **श्री जायनल अबेदिन** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने पश्चिम बंगाल में माल्दा और मुर्शिदाबाद के दो जिलों में भागीरथी गंगा और पद्मा नदियों पर नियंत्रण करके भूमि कटाव रोकने के उपायों पर खर्च होने वाली पर्याप्त धनराशि देने हेतु केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है ;

(ग) सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई मन्त्री (श्री केदार पाण्डे) : (क) और (ख) गंगा बाढ़ नियन्त्रण बोर्ड की बैठकों में, केन्द्रीय सिंचाई मंत्री के साथ विचार-विमर्श के दौरान, 8-9-1980 को पश्चिम बंगाल विधान सभा में सर्वसम्मति से पारित एक संकल्प को भी भेजकर, पश्चिम बंगाल सरकार, फरक्का बराज के प्रतिप्रवाह तथा अनुप्रवाह , दोनों ओर गंगा नदी द्वारा कटाव से क्षेत्र की सुरक्षा के लिए कटाव रोची उपाय करने के लिए सम्पूर्ण वित्तीय देवता का वहन करने के लिए केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करती आ रही है। ऐसे निर्माण-कार्यों की अनुमानित लागत 293 करोड़ रुपए होने की सूचना दी गई है। इन निर्माण-कार्यों में ठोकरों की व्यवस्था करना, वर्तमान ठोकरों, रिवेट-मेंट्स को सुदृढ़ बनाना तथा उनका रखरखाव, इत्यादि शामिल हैं।

(ग) और (घ) क्योंकि बाढ़ नियन्त्रण एक राज्य-विषय है, अतः बाढ़ नियन्त्रण निर्माण-कार्यों का आयोजन तथा कार्यान्वयन राज्य सरकार का उत्तरदायित्व है और इस क्षेत्र के लिए अपेक्षित परिव्ययों की व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा अपने-अपने वार्षिक बजटों में की जाती है। केन्द्रीय सरकार केवल राज्य की महत्वपूर्ण योजना के लिए एक मुश्त ऋण तथा अनुदान देती है। तथापि, केन्द्रीय सररकार जहां फरक्का बराज कम्प्लेक्स पर, गंगा के साथ, तट कटाव का प्रभाव पड़ता है या प्रभाव पड़ने की संभावना होती है, तट सुरक्षा निर्माण-कार्य कर रही है।

उड़ीसा में इन्द्रावती परियोजना के काम की प्रगति

72. **श्री रासबिहारी बहेरा** : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में कालाहांडी की अपर इन्द्रावती परियोजना के काम में क्या प्रगति हुई है ;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार को निर्धारित अवधि में काम पूरा करने के लिए कहा है ; और

(ग) इस काम पर अब तक कितनी धनराशि खर्च हुई है ?

सिंचाई मंत्री (श्री केदार पाण्डे) : (क) पहुंच सड़कों, इमारतों, पुलों आदि जैसे निर्माण-पूर्व निर्माण-कार्य पूर्णता की अग्रिम अवस्था में हैं। इसके अतिरिक्त, बांधों बिजली घर तथा सम्बद्ध निर्माण कार्यों के लिए नींव की खुदाई का कार्य प्रगति पर है। चार बांधों को जोड़ने वाले लिंक चैनलों की खुदाई का काम भी प्रगति पर है।

(ख) परियोजनाओं के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। तथापि, राज्य सरकार ने सूचित किया है कि, कुल मिलाकर, कार्य निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार किया जा रहा है।

(ग) मार्च, 1982 तक 36.99 करोड़ रुपये की राशि खर्च होने की प्रत्याशा है।

उड़ीसा में फास्पेटिकउर्वरकऔर यूरिया की सप्लाई

73. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने उड़ीसा राज्य की खड़ी फसल को सहायता पहुंचाने के लिए कुछ फास्फेटिक उर्वरक और यूरिया सप्लाई की है ; और

(ख) यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वमीनाथन) : (क) तथा (ख) केन्द्र सरकार ने अगस्त, 1982 से जनवरी, 1983 तक की अवधि के लिए उड़ीसा को उर्वरकों की निम्नलिखित मात्रा आवंटित की है :

	(हजार मीटरी टन पोषक तत्व)
एन०	36.32
पी०	9.31
के०	5.63
कुल—	5.126

उपरोक्त मात्रा की आपूर्ति देशी विनिर्माताओं तथा आयातित उर्वरकों का संचालन करने वाली एजेंसियों द्वारा की जाती है।

सितम्बर 1982 के आरम्भ आयातित उर्वरकों का संभाल करने वाली एजेंसियों से

जिनके पास राज्य में उर्वरकों की निम्नलिखित मात्रा उपलब्ध थी, उर्वरकों की सम्पूर्ण मात्रा उड़ीसा, सरकार को देने को कहा गया था :

	(हजार मीटरी टन पोषक तत्व)
एन०	5.38
पी०	1.47
के०	1.56
कुल—	8.41

इसके अलावा भारतीय उर्वरक निगम तथा हिन्दुस्तान भर्टिलाइजर कार्पोरेशन आफ इण्डिया से जो राज्य को उर्वरक, सप्लाई करने वाले मुख्य सप्लायर हैं, उड़ीसा में तत्काल उर्वरक का स्टाक भेजने के लिए कहा गया। राज्य में फास्फेटिक तथा नाइट्रोजन मुक्त उर्वरकों की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं।

कम लागत की स्वच्छता योजना को लागू करना

74. **श्री एच० एन० नन्ने गौडा :** क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने पहली श्रेणी के शहरों की जनसंख्या और शेष कस्बों की 50 प्रतिशत जनसंख्या के लिए कम लागत की स्वच्छता योजना लागू करने में सहायता देने के लिए राज्य सरकारों से अनुरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस अभियान को तेजी से लागू करने के लिए प्रत्येक (राज्य-वार) को कितनी धनराशि आवंटित की गई है ; और

(ग) प्रत्येक राज्य में कितनी प्रगति हुई है और केन्द्र सरकार ने उच्च योजना लागू करने के लिए क्या मार्ददर्शी सिद्धान्त जारी किये हैं ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) अन्तर्राष्ट्रीय पेय जल पूर्ति तथा स्वच्छता दशक कार्यक्रम जो हमारे देश में अप्रैल, 1981 से लेकर मार्च 1991 तक हैं, के एक भाग के, रूप में देश में शहरी जनसख्या के 80 प्रतिशत को मल निर्यास सुविधा या साधारण स्वच्छता पद्धति मुहैया कराने का लक्ष्य है। यह लक्ष्य, फरवरी 1982 में राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों के साथ हुए सम्मेलन में अपनाया गया था। मोटे तौर पर प्रथम श्रेणी के शहरों को मल निर्यास तथा मल शोधन की आवश्यकता होगी जबकि अन्य श्रेणी के नगरों के लिए निम्न लागत स्वच्छता पद्धति पर्याप्त होगी।

(ख) तथा (ग) नगर स्वच्छता राज्य का विषय है और इसके लिए निधियां राज्य योजना

में दी जाती हैं । प्रगति का प्रबन्ध भी राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। केन्द्र ने चुने हुए नगरों में निम्न लागत जलवाही शौचालय आरम्भ करने के लिए व्यवहार अध्ययन तैयार करने में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के माध्यम से राज्य सरकारों की सहायता की है।

क्विलोन और कोचीन के समीप समुद्र द्वारा भूमि कटाव

75. **श्री हरिकेश बहादुर** : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान क्विलोन और कोचीन के समीप समुद्र द्वारा किए गए भारी भूमि-कटाव से सम्बन्धित समाचारों (15 अगस्त, 1982 के "इण्डिया टुडे" में प्रकाशित) की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) क्या सरकार का विचार भूमि कटाव द्वारा उत्पन्न खतरे को रोकने के लिए कोई सुरक्षात्मक उपाय करने का है ?

सिंचाई मन्त्री (श्री केदार पाण्डे): (क) और (ख) भारत सरकार को केरल में समुद्री-कटाव के सम्बन्ध में दिनांक 15 अगस्त, 1982 के "इण्डिया टुडे" में प्रकाशित समाचार की जानकारी है। समुद्रतट के असुरक्षित भागों की सुरक्षा के लिए समुद्री-कटाव-रोधी उपायों का आयोजन तथा कार्यान्वयन राज्य सरकार द्वारा स्थल की आवश्यकताओं के अनुसार किया जा रहा है।

भारत सरकार ने राज्यों द्वारा किए गए निर्माण-कार्यों के निष्पादन की समय-समय पर पुनरीक्षा करने और ऐसे अनुभव के आधार पर अभिकल्प तथा प्रविधियां तैयार करने तथा उन्हें विकसित करने और सामान्य अभिकल्प सिद्धांतों तथा निर्माण तकनीकों को भी निर्धारित करने के लिए अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग की अध्यक्षता में समुद्र-तट कटाव बोर्ड गठित किया है जिसमें तटवर्ती राज्यों के मुख्य इंजीनियर और अन्य संगठनों के विशेषज्ञ तथा प्रतिनिधि सदस्यों के रूप में सम्मिलित किए गये हैं। समुद्री-कटाव की समस्या पर काबू पाने के लिए केन्द्रीय सरकार भी केरल सरकार को कुछ ऋण सहायता प्रदान कर रही है।

सरकारी भूमि पर अवैध कब्जों को रोकने के लिए कानूनों में संशोधन

76. **डा० कृपा सिंध भोई** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सरकारी भूमि पर अनधिकृत निर्माण और कब्जे को रोकने के लिए विद्यमान कानूनों में संशोधन करने का है ;

(ख) क्या प्रस्तावित विधेयक को अन्तिम रूप दे दिया जा चुका है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके कब तक पेश किये जाने की सम्भावना है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) सरकारी

भूमि पर अनधिकृत निर्माण और अतिक्रमण की घटनाओं से और अधिक प्रभावी रूप से निपटने के लिए संगत अधिनियमों में संशोधन हेतु सरकार ने कानून बनाने का फैसला किया है।

(ख) तथा (ग) अपेक्षित विधेयक विधि मंत्रालय द्वारा तैयार हो जाते हैं, तो उन्हें संसद के शरदकालीन सत्र में पेश कर दिया जाएगा।

असम में नागरिक सुविधायें देने की योजनायें

77. **श्री संतोष मोहन देव** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गन्दी बस्ती सफाई कार्यक्रम के अन्तर्गत अनिवार्य नागरिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा असम में कितनी योजनाएं शुरू की जा रही है ; और

(ख) तत्सम्बन्धी पूर्ण ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) मलिन बस्तियों के पर्यावरण सुधार की योजना राज्य क्षेत्र में है। इसलिये केन्द्रीय सरकार असम में मलिन बस्ती उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत कोई परियोजना नहीं चला रही है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

राज्यों में पानी की प्रतिशतता सहित उपयोग में लाया गया क्षेत्र

78. **श्री बी० आर० नाहाटा** : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पाँचवी और छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान पम्पों का बिजली देकर उत्तर प्रदेश बिहार, उड़ीसा और मध्य प्रदेश के कितने क्षेत्र में कितने प्रतिशत पानी निकाला गया है और उसकी क्षमता कितनी है ;

(ख) इन राज्यों में इस पानी को निकालने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ; और

(ग) इस मद में वर्ष-वार अलग-अलग कुल कितने योजना व्यय और उसके उपयोग की व्यवस्था की गई है ?

सिंचाई मन्त्री (श्री केदार पाण्डे) : (क) केवल विद्युत चालित पम्पसेटों के अर्जन से उपलब्ध क्षमता और वास्तविक सिंचाई विकास के सम्बन्ध में सूचना अलग से संकलित नहीं की जा रही है। भूमिगत जल क्षमता, सभी साधनों से भूमिगत जल क्षमता के विकास, अन्ततः प्राप्य विकास से बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा तथा उत्तर प्रदेश राज्यों के लिए उसकी प्रतिशतता के संबंध में उपलब्ध सूचना विवरण I में दी गई है। इस उपाबंध में संबंधित राज्यों में पम्प सेटों के अर्जन के सम्बन्ध में भी सूचना दी गई है।

(ख) उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा और मध्य प्रदेश में भूमिगत जल क्षमता का इस्तेमाल

करने के लिए किये गये उपायों में सम्मिलित हैं :—(1) केन्द्रीय स्तर पर, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड द्वारा, और राज्य स्तर पर, राज्यों के भूमिगत जल संगठनों द्वारा भूमिगत जल सर्वेक्षण किया जाना ; (2) संस्थागत साधनों से कृषकों के लिए ऋण की व्यवस्था करना ; (3) ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रम आरंभ करना, जिससे भूमिगत जल के उपयोग में सहायता मिलती है ; (4) राज्य तथा केन्द्रीय स्तरों पर भूमिगत जल विकास कार्यक्रम की मानीटरिंग करना ; (5) छोटे तथा सीमांत कृषकों को राज-सहायता देना ; और (6) सरकारी नलकूपों के जरिए भूमिगत जल के विकास का एक कार्यक्रम आरंभ करना, इत्यादि ।

(ग) योजना में, भूमिगत जल विकास के लिए अलग से कोई व्यवस्था नहीं की जाती है और भूमिगत जल विकास के लिए आबंटन, लघु सिंचाई के अन्तर्गत शामिल किया जाता है। लघु सिंचाई के लिए पांचवी योजना, मध्यावधि योजना 1978-80 में और छठी योजना के दो वर्षों के लिए वर्षवार व्यवस्था तथा उपलब्धियां और छठी योजना के लिए व्यवस्था विवरण II में दर्शाए गए हैं ।

भूमि सुधार के कार्यों पर विभिन्न राज्यों के राजस्व मंत्रियों का सम्मेलन

79. **श्री जितेन्द्र प्रसाद** : क्या **ग्रामीण विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सितम्बर के दूसरे सप्ताह में दिल्ली में हुए विभिन्न राज्यों के राजस्व मन्त्रियों के सम्मेलन में भूमि सुधार उपायों के बारे में चर्चा की गई थी, ओर

(क) यदि हां, तो सम्मेलन में किए गए निर्णयों की शीघ्र क्रियान्विति सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) और (ख) जी हां, । राज्य सरकारों से अधिकतम सीमा से फालतू भूमि का शीघ्र वितरण करने और इस प्रयोजन के लिए, अदालतों में लम्बित पड़े मामलों का शीघ्र निपटान करने हेतु कदम उठाने का अनुरोध किया गया है। उनसे भूमि रिकार्डों को अद्यतन बनाने हेतु विभिन्न उपाय करने का भी अनुरोध किया गया है।

तिलहन का रिकार्ड उत्पादन और मूल्य पर इसका प्रभाव

80. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** :

श्री त्रिलोक चन्द्र : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1981-82 के दौरान तिलहन का उत्पादन अनुमान से अधिक हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1981-82 के दौरान अनुमानित लक्ष्यों की तुलना में तिलहनों का कुल कितना उत्पादन हुआ है ;

विवरण

क्र० सं०	मद	राज्यों के नाम			
		उत्तर प्रदेश	बिहार	उड़ीसा	मध्य प्रदेश
1.	भूमिगत जल क्षमता का विकास (हजार हैक्टेयर में)				
	(i) अन्ततः संभाव्य	12000	4000	1500	8000
	(ii) पांचवी योजना के अन्त तक (1977-78)				
	(क) सृजित क्षमता	6915	1210	180	900
	(ख) विकास की प्रतिशतता	57.62	30.25	12.00	30.00
	(iii) मार्च 80 के अन्त तक				
	(क) सृजित क्षमता	8130	1410	290	982
	(ख) विकास की प्रतिशतता	67.75	35.25	19.33	32.73
	(iv) छठी योजना में मार्च, 1982 के अन्त तक				
	(क) सृजित क्षमता	9602	1650	389	1107
	(ख) विकास की प्रतिशतता	80.02	41.85	25.93	36.90
2.	विद्युत चालित पम्प सेटों का ऊर्जन (हजारों में)				
	(i) अन्ततः सम्भाव्य	2400	1000	500	1200

1	2	3	4	5
(ii) पांचवी योजना के अन्त तक (77-78)				
(क) अर्जित संख्या	299	140	6.4	216
(ख) प्रतिशतता	12.46	14.00	1.28	16.61
(iii) मार्च 1980 के अन्त तक				
(क) ऊर्जित (संख्या)	362	152	13.0	280
(ख) प्रतिशतता	15.08	15.20	2.60	21.54
(iv) छठी योजना में मार्च, 82 के अन्त तक				
(क) ऊर्जित (संख्या)	434	163	19.1	355
(ख) प्रतिशतता	18.08	16.30	3.82	27.31

विवरण-II

भूमिगत जल सहित लघु सिंचाई कार्यक्रम के लिए वर्षवार योजनागत अनुमोदित व्यवस्था/वास्तविक व्यय

(करोड़ रुपयों में)

क्र० सं०	राज्य का नाम	पांचवी योजना (1974-78) के दौरान								1978-80			
		74-75		75-76		76-77		77-78		78-79		79-80	
		अनु-मोदित	वास्त-विक	अनु-मोदित	वास्त विक	अनु-मोदित	वास्त-विक	अनु-मोदित	वास्त-विक	अनु-मोदित	वास्त-विक	अनु-मोदित	वास्त-विक
1.	उत्तर प्रदेश	17.43	25.27	12.78	1410	21-10	30.66	35.82	3647	37.59	37.18	36.00	42.69
2.	बिहार	10.45	10.45	14.70	1465	18.00	16.94	23.35	1936	21.00	20.74	18.88	22.32
3.	उड़ीसा	6.05	5.89	4.54	4.58	6.00	9.10	10.58	11.46	13.80	13.80	11.00	15.00
4.	मध्य प्रदेश	10.38	13.46	11.94	13.39	16.50	19.88	22.00	23.41	24.80	30.59	29.00	42.17

	छठी योजना में व्यवस्था (1980-85)	80-81		81-82	
		अनुमोदित	वास्तविक	अनुमोदित	प्रत्याशित
1. उत्तर प्रदेश	279.96	53.00	51.49	53.90	57.52
2. बिहार	168.70	25.40	24.98	28.00	28.00
3. उड़ीसा	85.00	17.00	17.14	1700	16.70
4. मध्य प्रदेश	267.75	40.00	36.36	42,00	40.65

(ग) क्या तिलहनों के उत्पादन में हुई वृद्धि को देखते हुये इसके आयात में कमी करने की संभावना है ; और यदि हां, तो कितनी ; और

(घ) देश में तिलहनों के उत्पादन में हुई वृद्धि तथा इसकी अवधि उपलब्धता को देखते हुये तिलहनों के मूल्यों में कितनी कमी होने की आशा है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी, हां ।

(ख) मौजूद अनुमान के अनुसार वर्ष 1981-82 के दौरान तिलहनों का उत्पादन 112 लाख मीटरी टन होने का अनुमान है ।

(ग) सामान्यतः तिलहनों का आयात नहीं किया जाता है । भारत अधिकांशतः खाद्य तेलों का आयात करता है । तेलों का आयात करने के सम्बन्ध में निर्णय, घरेलू उत्पादन के अलावा तेलों की मांग तेलों की उपलब्धता तथा अन्तर्राष्ट्रीय मण्डियों में उनका मूल्य, विदेशी मुद्रा की स्थिति, आदि जैसे अन्य घटकों को ध्यान में रखकर किया जाता है ।

(घ) नवम्बर, 1981 से सितम्बर, 182 के दौरान तिलहनों का थोक मूल्य सूचकांक एक वर्ष पूर्व की इसी अवधि (अर्थात नवम्बर, 1980 से सितम्बर, 1981 के सूचकांक से 5 प्रतिशत कम था ।

आवासीय मकानों के अभाव के संबंध में राष्ट्रीय भवन निर्माण संगटन द्वारा किया गया अध्ययन

81. **श्री बी० किशोर चन्द्र एस० देव** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन (एन० बी० ओ०) द्वारा किये गये अध्ययन के अनुसार आवास के स्वीकृत मानदंडों की तुलना में, शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में आवासीय मकानों का कुल अभाव 2.13 करोड़ से भी अधिक है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस अभाव के सम्बन्ध में कोई द्रुत कार्यक्रम तैयार किया है ; और

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : 1971 की जनगणना के तथा भारत के महा पंजीकार द्वारा 1981 के लिए उस पर किये गये प्रक्षेपण के आधार पर जैसा कि राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन द्वारा हिसाब लगाया गया है 2.13 करोड़ आवास की कमी का अनुमान है । यह आंकड़ा उस समय पुनर्निधारित किया जायेगा अब आवास से सम्बन्धित 1981 की जनगणना के आंकड़े उपलब्ध हो जाते हैं ।

(ख) और (ग) छठी पंचवर्षीय योजना में नितान्त रूप से बेघर लोगों की संख्या पर्याप्त

रूप से कम करने तथा अन्य लोगों के आवास पर्यावरण में सुधार करने पर बल दिया गया हैं। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण आवास स्थल व निर्माण सहायता कार्यक्रम में इस योजना अवधि के दौरान सभी पात्र ग्रामीण भूमिहीन परिवारों को आवास स्थल देने तथा उनमें से 25 प्रतिशत को निर्माण सहायता देने पर विचार किया गया है। स्थल व सेवा कार्यक्रम के अन्तर्गत लगभग 16.2 लाख एककों के निर्माण के लक्ष्य के लिए 485 करोड़ रुपये की योजना प्रावधान है। इसके अलावा भारत सरकार का उद्यम आवास तथा नगर विकास निगम इस योजना अवधि के दौरान 600 करोड़ रुपये का परिव्यय कर रहा है जिसमें से 55 प्रतिशत आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों/निम्न आय वर्गों के लिए होगा

एशियाई खेलों के टिकटों की चोर बाजारी

82. **श्री रास बिहारी बहेरा** : क्या खेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एशियाई खेलों के टिकटों की चोरी-बाजारी के मामलों की जानकारी सरकार को है ;

(ख) यदि हां, तो एशियाई खेलों के टिकटों की बिक्री में चोर-बाजारी रोकने के लिये सरकार का क्या प्रयत्न करने का विचार है ; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पूर्ति मंत्रालय के तथा खेल विभाग के राज्य मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) काला बाजार का कोई विशिष्ट मामला एशियाई खेल, 1982 के लिए विशेष आयोजन समिति के नोटिस में नहीं आया है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

गंडक नदी से निकाली गई नहर पर पन बिजली एकक स्थापित करने का प्रस्ताव

83. **श्री भोगेंद्र झा** : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गंडक नदी से निकालीगई तिरहुट नहर पर पन बिजली एकक स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यह कार्य कब तक शुरू किया जायेगा और कब तक पूरा हो जायेगा ;

(ग) क्या कमला नदी पर साइफन सहित पश्चिमी कोसी नहर पर भी इसी प्रकार का पन बिजली एकक स्थापित करने का भी विचार है ;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

सिंचाई मंत्री (श्री केदार पाण्डे) : (क) जी, हां ।

(ख) पूर्वी गंडक नहर जल-विद्युत परियोजना में गंडक बराज से निकलने वाली तिरहुत मुख्य नहर पर 60 मेगावाट की कुल प्रतिष्ठापित क्षमता वाले दो बिजली घरों के निर्माण की परिकल्पना की गई है । परियोजना की अनुमानित लागत 6079 लाख रुपये है । परियोजना रिपार्ट के अनुसार, इस परियोजना पर कार्य आरम्भ होने की तारीख से लगभग 4 वर्ष में इसे पूरा करने का प्रस्ताव है । मार्च,1981 में प्राप्त हुई परियोजना रिपोर्ट की केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण और केन्द्रीय जल आयोग में जाँच की जा रही है ।

(ग) से (ङ) इस सम्बन्ध में राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव नहीं हुए है ।

एशियाड पर खर्च

84. **प्रो० मधु दण्डवते** : क्या खेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न परियोजनाओं के निर्माण और अन्य विशेष बुनियादी सुविधाओं सहित एशियाड पर होने वाले खर्च के लिये कुल कितनी धनराशि आवंटित की गई है, और

(ख) अब तक कितनी धनराशि खर्च हो चुकी है ।

पूर्ति मंत्रालय के तथा खेल विभाग के राज्य मंत्री (बूटा सिंह) : (क) एशियाई खेल, 1982 के लिए सरकार द्वारा किया जाने वाला कुल अनुमानित खर्च, जो इसने नवम्बर, 1980 में अनुमोदित किया था 54.81 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया था । चालू वित्तीय वर्ष में इस प्रयोजन के लिए 23.61 करोड़ रुपये की बजट-व्यवस्था की गई है ।

वर्तमान संकेतों के अनुसार एशियाई खेल, 1982 की तैयारी और इसके आयोजन पर 7.21 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि खर्च किये जाने की सम्भावना है ।

(ख) 31 अगस्त, 1982 तक 39.06 करोड़ का खर्च दर्ज किया गया है ।

भारतीय कृषि अनुसन्धान संस्थान के वैज्ञानिकों का उपयोग

85. **श्री सनत कुमारमंडल** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में एक विषय में योग्यता रखने वाले वैज्ञानिकों को नियुक्त कर लिया जाता है और उन्हें विभिन्न विषयों का कार्य करना पड़ता है जिसके कारण वैज्ञानिक को वैयक्तिगत रूप से और सरकार को अनुसंधान के सम्बन्ध में नुकसान उठाना पड़ता है ; और

(ख) यदि हां, तो अब तक क्या उपचारात्मक उपाय किये गये हैं । विशेषकर गलत ढंग से वैज्ञानिकों से काम लेने के बारे में और असंगतियों को दूर करने और उत्पादन वर्ष को वास्तविकता प्रदान करने के लिये ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) और (ख) भारतीय कृषि अनुसंधान शाखा में कुछ ऐसे वैज्ञानिक हैं जो कुछ प्रभागों में ऐसी शाखा (विषय) में काम कर रहे हैं जो उनके मौलिक विषयों से कुछ अलग हैं । फिर भी, ऐसे वैज्ञानिकों को जो कभी-भी स्थाल खाली होता है या तो उस शाखा में स्थानान्तरित कर दिया जाता है या उन्हें सामान्य रूप से उनके संबंधित विषयों से संबंधित अनुसंधान प्रयोजना का काम दिया जाता है चाहे किसी भी प्रभाग में उन्हें कार्य करने के लिए नियुक्त किया गया हो । पंचवर्षीय मूल्यांकन के लिए वास्तव में जो वैज्ञानिक को कार्य सौंपा गया होता है—उसका मूल्यांकन किया जाता न कि केवल उस विषय के कार्य का मूल्यांकन किया जाता है जिस विषय में उसने योग्यता प्राप्त की है । इसलिए, यह कहना सही नहीं है कि अनुसंधान की उपलब्धि के रूप में व्यक्तिगत रूप से किसी वैज्ञानिक को या सरकार को कोई नुकसान उठाना पड़ रहा है ।

भारतीय कृषि अनुसंधान, कानपुर में दालों मे सुधार परियोजना के संवर्ग में कर्मचारियों की संख्या

86. **श्री सनत कुमार मण्डल** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दालों में सु.ार परियोजना, कानपुर (भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का क्षेत्रीय केन्द्र) के संवर्ग में इस समय कर्मचारियों की संख्या कितनी है ; और

(ख) इस परियोजना में अब तक विभिन्न विषयों के लिये वैज्ञानिकों के कितने पद मंजूर किये गये हैं और इन पदों पर अब तक विषयवार नियुक्त किये गये वैज्ञानिकों का ब्यौरा क्या है और इस समय पदवार तथा विषयवार कितते पद खाली हैं ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना से संबंधित एक विवरण संलग्न किया जा रहा है ।

विवरण

(क) संवर्ग में कर्मचारियों की संख्या का ब्यौरा ।

(I) दाल प्रयोजना कानपुर

वैज्ञानिक एस-4-1 (प्रायोजना निदेशक)		
मुख्य अन्वेषक-एस-3	=	4
वैज्ञानिक एस-2	=	10
कनिष्ठ वैज्ञानिक एस-1	=	1
	कुल	16

(II) कानपुर में दालों की राष्ट्रीय प्रशिक्षण और संचार केन्द्रों की स्थापना

वैज्ञानिक-एस-2	=	1
वैज्ञानिक-एस-1	=	2
	कुल	3
	कुल योग :	19

(ख) विभिन्न शाखाओं के अन्तर्गत वैज्ञानिकसंवर्ग के पदों की अद्यतन स्कीकृत संख्या	वैज्ञानिक एस-4	= 1 पौध प्रजजन
	वैज्ञानिक एस-3	= 1 पौध प्रजजन
	,, एस-3	= 1 सस्य विज्ञान
	,, एस-3	= 1 पौध रोग विज्ञान
	,, एस-3	= 1 कीट विज्ञान
	,, एस-2	= 3 पौध प्रजनन आनुवंशिक तथा कोशिका विज्ञान
	,, एस -2	= सस्य विज्ञान
	,, एस-2	= 1 कीट विज्ञान
	,, एस-2	= 1 पौध रोग विज्ञान
	,, एस-2	= 1 सूक्ष्म जीव विज्ञान
	,, एस-2	= 1 कृषि अर्थशास्त्र
	,, एस-2	= 1 कृषि सांख्यिकी
	,, एप-2	= 1 कृषि ढांचा तथा प्रक्रिया अभियान्त्रिकी
	,, एस-1	= 1 जीव रसायन
	,, एस-1	= 1 पौध प्रजनन
	,, एस-1	= 1 कीट विज्ञान
	कुल	19

(I) इन पदों पर नियुक्त आशाबद्ध विज्ञानियों के नाम

1. डा० एस० चन्द्रा (पी० डी० एस०-5) पौध प्रजनन
2. डा० ए० एन अस्थाना, एस-3 पौध प्रजनन
3. डा० जे० एन० सचन, एस-3 कीट विज्ञान
4. डा० मसूद अली, एस-3-सस्य विज्ञान
5. डा० एस० एस० लाल, एस-2 -कीट विज्ञान

6. डा० डी० एन० सिंह, एस-2 पौध शरीर रचना विज्ञान

7. श्री आर० आर० लाल, एस-2 कृषि ढांचा तथा प्रक्रिया अभियान्त्रिकी

8. डा० डी० पी० त्रिपाठी, एस-1 पौध प्रजनन

9. डा० आर० ए० सिंह, एस-1 पौध रोग विज्ञान ।

10. डा० ऐ० के० कुश, एस-1 सूक्ष्म जीव विज्ञान

11. श्री नरेन्द्र सिंह, एस-1 -बागवानी

(II) अभी तक खाली पद

1. विज्ञान एस-3-1 पौध रोग विज्ञान पद -विज्ञपति

2. विज्ञानी एस-2-1 सस्य विज्ञान पद विज्ञापित

3. विज्ञानी एस-2-1 जीव रसायन (परिषद ने अनुरोध किया है कि यह पद स्थानान्तरण द्वारा भरा जाए)

4. विज्ञानी एस-2-1 कृषि अर्थशास्त्र (परिषद को मांग भेजी गई)

5. विज्ञानी एस-2-1 कृषि सांख्यिकी

6. विज्ञानी एस-2-1 पौध प्रजनन-पद विज्ञापित

7. विज्ञानी एस-1-1 सस्य विज्ञान

8. विज्ञानी एस-1-1 कीट विज्ञान

भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली के प्लांट फिजीयोलाजी डिविजन में काम करने वालों की संख्या

87. **श्री सनत कुमार मण्डल** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के प्लांट फिजीयोलाजी डिवीजन में कितने काडर हैं और प्रत्येक काडर में वैज्ञानिकों के कितने पद रिक्त हैं;

(ख) भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान को इन पदों के लिये अब तक प्राप्त हुए आवेदन पत्रों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन आवेदन पत्रों पर की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) अपेक्षित सूचना निम्न प्रकार है :

ग्रेड	स्वीकृत पद	भरे गये पद	खाली पद
विज्ञानी-एस-3	5	6	(+) 1
विज्ञानी-एस-2	12	6	(—) 6
विज्ञानी-एस-1	16	16	(—)
	33	28.	(—) 5

(ख) इन्दौर और कानून में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के क्षेत्रीय स्टेशनों पर कार्यरत विज्ञानियों के केवल दो प्रर्थना पत्र भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली के प्लांट फिजीयोलाजी डिविजन में खाली पदों पर स्थानांतरण के लिए प्राप्त हुए हैं। वैज्ञानिक संवर्ग में खाली पदों को कृषि वैज्ञानिक नियुक्ति मण्डल के माध्यम से कृषि अनुसंधान सेवा नियमों के अनुसार भरा जाता है।

(ग) इन्दौर और कानपुर के संस्थान के क्षेत्रीय स्टेशनों के अनुसंधान कार्य के हित को देखते हुए वर्तमान समय में इन विज्ञानियों के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करना सम्भव नहीं है।

भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में वैज्ञानिकों का स्थान्तरण

88. **श्री सनत कुमार मण्डल** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में वर्ष-वार भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान प्रशासन के विरूद्ध वैज्ञानिकों के स्थानांतरण के कदाचार के बारे में दिये गये अभ्यावेदनों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उपर्युक्त अवधि में वर्ष-वार और मामला-वार प्रत्येक मामले में की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है और

(ग) भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थानान्तरण नीति, और इन नीतियों के कार्यान्वयन का ब्यौरा क्या है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के एक वैज्ञानिक के स्थानान्तरण से सम्बन्धित केवल शिकायत 1982 में प्राप्त हुई थी। इस मामले की परिषद में जांच की जा रही है।

(ग) भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद ने वैज्ञानिकों के अन्य संस्थानों में और संस्थान के

अन्दर स्थानांतरण के लिए निदेशक नीति निर्धारित की है। ये निदेशक नीतियां सामान्य प्रकृति की हैं और केन्द्रों के वर्गीकरण के अनुसार नियुक्ति का कार्यकाल सामान्यतया 5 वर्षों/4 वर्षों/3 वर्षों का है। ऐसे सभी स्थानान्तरण पिछड़े/कम विकसित क्षेत्रों की सेवा की आवश्यकताओं और जरूरतों को ध्यान में रखकर किये जाते हैं। अनुसंधान संस्थानों के निदेशकों को उनके कार्य क्षेत्रों के अन्तर्गत यह अधिकार दिया गया है कि वे संस्थानों/केन्द्रों में भारतीय कृषि अनुसंधानों परिषद का बिना उल्लेख किये वैज्ञानिकों का स्थानान्तरण/नियुक्ति कर सकते हैं। फिर भी, हमारी यह नीति है कि स्थानान्तरण कम से कम किये जाये और वैज्ञानिकों को उनके विशिष्ट विषयों से सम्बन्धित क्षेत्र में कार्य करने दिया जाय।

दिल्ली छावनी बोर्ड, नई दिल्ली नगर पालिका आदि पर बकाया पानी के बिल

90. **श्री निहाल सिंह** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली छावनी बोर्ड, नई दिल्ली नगर पालिका तथा अन्य केन्द्रीय और राज्य सरकार के कार्यालयों पर दिल्ली जल प्रदाय और मल व्ययन संस्थान के पानी के बिलों की कितनी कितनी धन राशि बकाया है ; और

(ख) इस बकाया धनराशि की वसूली के लिये सरकार द्वारा क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) दिल्ली जल प्रदाय तथा मल व्ययन संस्थान ने सूचित किया है कि नई दिल्ली नगर पालिका एम० ई० एस० तथा अन्य सरकारी विभागों में पानी के बकाया प्रभार 1.4.82 तक 659.45 लाख रुपये था। इस सम्बन्ध में ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

(ख) इस संस्थान ने बताया है कि इस मामले पर सम्बन्धित विभागों के साथ कार्यवाही की जा रही है और 1.4.82 से 103.82 लाख रुपये वसूल कर लिए गये है।

विवरण

सरकारी विभागों पर बकाया जल प्रभार

	लाख रुपये में
विभाग	**1.4.82 तक बकाया**
केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग	1.95
रेलवे	5.85
दिल्ली विकास प्राधिकरण	2.60
झुग्गि झोंपड़ी कालोनी	0.32
स्लम विभाग	130.11

1	2
दिल्ली प्रशासन	18.54
दिल्ली नगर निगम	387.12
पुलिस	3.43
डी० ई० एस० यू०	2.47
डी० टी० सी०	0.57
एम० ई० एस०	0.80
पी० एण्ड टी०	0.10
पुनर्वास	1.30
एन० डी० एम० सी०	104.23
योग	659.45 लाख

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् और कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा सब्जियों के बीजों की किस्मों का विकास

91. **श्री निहाल सिंह** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् और कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान सब्जियों के बीजों की कौन-सी किस्मों का विकास किया गया है ; और

(ख) किसानों को ये बीज शीघ्र उपलब्ध कराये जाने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान कृषि अनुसंधान परिषद तथा कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा विकसित की गई सब्जियों के बीजों की किस्में विवरण में दी गई है ।

(ख) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थानें तथा कृषि विश्वविद्यालयों में विकसित सब्जियों की किस्मों के प्रजनन बीजों को किसानों के और संवर्धन तथा वितरण के लिए राष्ट्रीय बीज निगम राज्य बीज निगमों तथा राज्य कृषि विभाग/बागवानी विभाग को सप्लाई किये जाते हैं । तथापि, भारयीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थानों/कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा थोड़ी मात्रा में बीज किसानों को दिया जाता है ।

विवरण

बैंगन : पी वी आर 129-5, ए० नवनीत (एफ), अर्क कुसुमकर (ग्रीन), सी ओ-1, भागमथी, जूनागढ़ ओबलोंग,जूनागढ लोंग,

फूलगोभी : पूसा सेनथेटिव (दिसम्बर में पकने वाली), लाइन 114-एस 1 (मध्य मौसम) के -1 (स्नोबाल),पूसा दीपाली,

मिर्च : भाग्य लक्ष्मी ,जी-4), पाचद सैलेक्सन, किरण, अपर्णा, सी ओ-2, एन 960

गाजर : सेल-5;

प्याज (सफेद) : पूना ह्वाइट ग्लोब, पूसा ह्वाइट फ्लैट, एस-48, सी ओ-3, सी ओ-4;

तरबूज : अर्क ज्योति-एफ, अर्क मानिक;

खरबूज : पंजाब, संकर;

टमाटर : पंजाब छुहारा, जूनागढ़ रबी, सेल-152, एल टी डी आर-1,ए-2 (पारस), डूआर्फ मनीमेकर, जवाहर टेमेटो-,1 सी ओ-3;

फ्रेंच बीन : एस० वी० एम-1, 37 (लक्ष्मी);

ओकरा (भिन्डी) : हरभजन, एल० ई० एल-2-2, पंजाव पदमिनी ;

मटर : सोलन स्वीट, हरा वोना, जी सी-141 (जवाहर मटर-1)

लोबिया : ऋतुराज, असीम;

ग्वार : शरदवहार;

मूली : सी० ओ-1, अर्क शिशान्त;

रक्वेश (चम्पन कड्डू) : चप्पन कड्डू-1 ;

पेठा : सी ओ-2;

तोरी (काली) : पी के एम-1;

करेला : सी ओ -1,एन सी -23;

सेम की फली : हेब्बल ऐवारे;

चिचिंडा : पी के एम जे ;

लौकी : सी ओ-1;

ऐमेरेन्थस : सी ओ-3;

आलू : कुफरी बादशाह, कुफरी लालिमा, कुफरी बाहर, कुफरी शेरपा;

मीठा आलू : सम्राट, सी ओ-3;

कोलोकेसिया अरबी): शतमुस्तखी ;

"मिसटेक्स थ्रटेन दिल्लीज फ्यूचर" शीर्षक से समाचार

92. श्री तारिक अनवर :

श्री बी० डी० सिंह : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह लताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 13 सितम्बर, 1982 के इण्डियन ऐक्सप्रेस में प्रकाशित "मिसटेक्स थ्रटेन दिल्लीज फ्यूचर" (गलतियों से दिल्ली का भविष्य खतरे में) शीर्षक समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है :

(ख) क्या यह सच है कि शहर की योजना बनाने में कमियां हैं और योजना को कार्यान्वित करने वाले अधिकारियों ने जान बूझकर ढिलाई की है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि डी० डी० ए० और एन० डी० एम० सी० ने अपने ही मुख्यालयों के निर्माण करने में ऊंचाई और तल क्षेत्रफल अनुपात के नियमों का उल्लंघन किया है;

(घ) क्या शहर में विंडसर प्लेस में ताज से मेरिडन तक के गैर सरकारी होटल जोनल कानूनों और भवन विनियमों का उल्लंघन करके बनाये जा रहे हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है।

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) नई दिल्ली नगर पालिका ने सूचित किया है कि उनके मुख्यालय भवन के निर्माण में किसी प्रकार का उल्लंघन नहीं है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि विकास मीनार को प्राधिकरण के दिनांक 16.9.1962 के संकल्प संख्या 222 के अनुसार बनाया गया है। तथापि अभी यह मामला सरकार के विचाराधीन है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

दिल्ली में भूमि की कीमतों में वृद्धि

93. श्री रसीद मसूद : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राजधानी में भूमि की कीमतों में लगातार वृद्धि के बारे में जानकारी है ;

(ख) क्या भूमि की कीमतों में बढ़ती जा रही कीमतों में बढ़ती जा रही कीमतों के लिए उत्तरदायी कारणों का पता लगाने के लिए कोई प्रयास किए गए हैं ;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और क्या कीमतों में वृद्धि का कारण दिल्ली के विकास प्राधिकरण की नीलाम नीति तथा दिल्ली के विकास के लिए इसकी एकमात्र एजेन्सी का होना है ;

(घ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि राजधानी में बहु-एजेन्सियां बनाने और भवन निर्माण गतिविधियों में गैर-सरकारी क्षेत्र को बढ़ावा देने से भूमि के मूल्यों में वृद्धि रुकेगी और विकास तथा गृह निर्माण गतिविधियां बढ़ेंगी ; और

(ङ.) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाने का विचार है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी हां।

(ख) से (ङ) : इन मामलों की जांच करने के लिए दिल्ली के उपराज्यपाल ने दिल्ली के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है। समिति की रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई। समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने पर सरकार स्थिति से निपटने के लिए की जाने वाली कार्यवाही पर आगे विचार करेगी।

एफ्रो-एशियन ग्रामीण पुनर्निर्माण संगठन के कृत्य

94. **श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी** : क्या ग्रामीण विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एफ्रो-एशियन ग्रामीण पुनर्निर्माण संगठन के पास कृषि उत्पादन बढ़ाने में सदस्य राष्ट्रों की सहायता करने के लिए कृषि विशेषज्ञ नहीं हैं इसका मुख्य कार्य बैठकें और सेमिनार करवाने तक सीमित रह गया है ;

(ख) क्या एफ्रो-एशियन ग्रामीण पुनर्निर्माण संगठन वही करना चाहता है जो मन्त्रालय पहले ही कर रहा है ; और

(ग) क्या सरकार इस संगठन को चलाना आवश्यक समझती है जबकि न तो भारत और न ही इसके सदस्य राष्ट्रों के लिए पर्याप्त लाभ हुये हैं ?

कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) और (ख) : एफ्रो-एशियन ग्रामीण पुनर्निर्माण संगठन ग्रामीण विकास के लिए एक अन्तर-शासकीय संगठन है जो सदस्य सरकारों के प्रतिनिधियों आदि के लिए उनकी समस्याओं पर संयुक्त रूप से विचार-विमर्श करने और दृष्टिकोणों, विचारों, सूचना तथा अनुभवों का आदान-प्रदान करने के लिए एक मंच सुलभ करता है तथा योजनाएं तैयार करता है एवं साधन जुटाता है और उपयुक्त उद्देश्यों को

प्राप्त करने के लिए आवश्यक कार्यवाही करता है। तदनुसार, इस मन्त्रालय के कार्य की पुनरावृति होने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) भारत सरकार एफ्रो-एशियन ग्रामीण पुनर्निर्माण संगठन के 28 सदस्यों में से केवल एक है तथा इसका अस्तित्व भारत सरकार की इच्छा पर निर्भर नहीं है। तथापि, सरकार का विचार है कि इस संगठन के पास सदस्य राष्ट्रों में ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने में सहायता करने की क्षमता है।

महाराष्ट्र में सूखे की स्थिति

95. **श्री ए० टी० पाटिल :**

श्री बालासाहिब विखे पाटिल : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र राज्य में सूखे की स्थिति का सामना करने के लिए सहायता देने हेतु क्या उपाय किये गये हैं ?

कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) राज्य सरकार ने सूचना दी है कि सूखे के कारण निम्नलिखित क्षति हुई है :—

प्रभावित जिलों की संख्या	10
प्रभावित जनसंख्या	46.94 लाख
प्रभावित पशुधन	36.72 लाख
प्रभावित फसल क्षेत्र	22.84 लाख हैक्टार

(ख) महाराष्ट्र सरकार ने 131.14 करोड़ रूपये की केन्द्रीय सहायता का अनुरोध करते हुए एक ज्ञापन भेजा है। एक केन्द्रीय दल के सूखे की स्थिति का मौके पर पहुंच कर जायजा लेने के लिए शीघ्र ही राज्य का दौरा करने की सम्भावना है।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की भैंस अनुसंधान परियोजनायें और उन पर व्यय

96. **श्री बी० डी० सिंह** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय कृषि अनुसंधान परियोजनायें किन-किन राज्यों में चलाई गई हैं तथा केन्द्र वार और वर्षवार कितना व्यय किया गया, खुराक और चारे पर कितना व्यय हुआ तथा उसकी तुलना में वर्षवार और इकाईवार कितना राजस्व प्राप्त हुआ ;

(ख) क्या केन्द्रीय और राज्य फार्मों में भी इसी प्रकार के कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं और यदि हां, तो 1976-77 से प्रत्येक फार्म पर कुल कितना वार्षिक व्यय हुआ तथा खुराक और चारे पर कितना वार्षिक व्यय हुआ तथा उसकी तुलना में कितना वार्षिक राजस्व प्राप्त हुआ ;

(ग) उपर्युक्त भैंस परियोजना के प्रत्येक केन्द्र में 1974-75 से 1981-82 तक कटड़िया और भैंसों की इस समय अलग-अलग संख्या कितनी है ; और

(घ) जब परियोजना शुरू की गई थी तो प्रत्येक यूनिट में प्रौढ़ भैंसों की संख्या कितनी थी यदि यह संख्या कम हो गई है तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा भैंस प्रजनन पर एक अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान प्रायोजना पांच राज्यों, जैसे हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, कर्नाटक और गुजरात में क्रमशः (I) राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान, करनाल (II) पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना (III) उदयपुर विश्वविद्यालय वल्लम नगर, (II/) कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, धारवाड़ और (I/) कृषि विश्वविद्यालय, आनन्द में चलायी जा रही है। इनमें प्रथम चार केन्द्र चौथी पंचवर्षीय योजना और गुजरात के पांचवें केन्द्र से पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कार्य करना शुरू कर दिया था। इस प्रायोजना का मुख्य उद्देश्य भैंसों की प्रमुख नस्लों में संतति परीक्षणों द्वारा आनुवंशिक सुधार लाना और ऐसे भैंसे तैयार करना है जिनमें अधिक दुग्ध उत्पादन की आनुवंशिक क्षमता हो। संलग्न विवरण-1 में केन्द्रवार और वर्षवार कुल व्यय, चारा और रख-रखाव पर व्यय और साथ ही वर्षवार और केन्द्रवार राजस्व प्राप्ति, राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान, करनाल को छोड़कर, दी गई है। रा० डे० अ० सं०, करनाल की यूनिट का बजट संस्थान के बजट में ही शामिल है क्योंकि यह प्रायोजना संस्थान के अनुसंधान कार्य का ही एक अभिन्न अंग है - इसलिये उसका अलग से लेखा नहीं रखा गया है ।

(ख) उपरोक्त (क) के समान कोई अन्य कार्यक्रम केन्द्र या राज्य फार्मों में नहीं चलाया जा रहा है ।

(ग) (क) में उल्लिखित पाच केन्द्रों में प्रजनन योग्य और कम आयु की भैंसों की संख्या संलग्न विवरण-2 में दी गई है।

(घ) प्रायोजना के अन्तर्गत चार केन्द्रों-लुधियाना, धारवाड़, उदयपुर और करनाल में प्रत्येक में 250 से 300 प्रजनन योग्य वयस्क भैंसे रखी जा रही है। वर्तमान समय में सभी केन्द्रों में विशिष्ट प्रजनन योग्य भैंस हैं। आनन्द केन्द्र में, चूंकि कार्यक्रम पुनरूत्पादन अध्ययन कार्य से सम्बन्धित है इसलिए भैंसों की संख्या समय-समय पर प्रयोगों की आवश्यकतानुसार कम या अधिक हो सकती है, परन्तु संख्या में कमी नहीं होगी ।

विवरण-I

(रु० लाख में)

वर्ष	लुधियाना केन्द्र		धारवाड़ केन्द्र			उदयपुर केन्द्र			आनन्द केन्द्र			
	कुल व्यय	आहार और रख-रखाव	राजस्व प्राप्ति	कुल व्यय	आहार और रख-रखाव	प्राप्ति	कुल व्यय	आहार और रख-रखाव	प्राप्ति	कुल व्यय	आहार और रख-रखाव	प्राप्ति
1974-75	10.16	3.50	4.80	10.15	4.00	4.05	10.15	4.00	4.15	1.60		
1975-76	17.96	4.00	5.80	15.99	4.30	4.55	14.75	43.0	4.60	0.66		
1976-77	13.80	4.50	6.10	13.21	4.90	5.15	13.78	4.90	5.25	061		
1977-78	11.98	4.50	6.40	12.28	5.30	5.15	12 18	5.30	5.25	0.62		
1978-79	10.21	4.50	6.55	10.65	5.50	5.30	10.51	5.50	5.45	0.51	0.25	0.06
1979-80	12.71	4.86	7.50	12.74	4.76	6.00	1291	4.50	5.50	0.36	0.25	0.06
1980-81	12.03	4.86	7.50	12.22	4.80	6.00	11.10	4.00	6.00	1.83	0.25	0.06
1981-82	12.16	4.86	7.50	12.56	4.90	6.30	11.56	4.00	6.55	1.93	0.48	0.07

विवरण II

वर्ष	लुधियाना केन्द्र			धारवाड़ केन्द्र			उदयपुर केन्द्र			आनन्द केन्द्र (नया)			करनाल केन्द्र		
	वयस्क	शिशु	कुल	वयस्क	शिशु	कुल	वयस्क	शिशु	कुल	वयस्क	शिशु	कुल	वयस्क	शिशु	कुल
1974-75	337	152	489	314	115	452	175	83	258						
1975-76	382	178	560	274	108	382	144	105	249				235	195	430
1976-77	352	211	563	269	125	394	184	110	294				297	142	439
1977-78	338	168	506	320	142	462	250	126	376				311	142	453
1978-79	361	175	536	379	159	538	273	97	370				279	162	441
1979-80	352	166	518	306	199	505	264	73	337	40	9	49	253	175	428
1980-81	315	181	496	372	119	491	304	108	412	40	9	49	251	144	395
1981-82	287	160	447	363	104	467	310	100	410	29	21	50	256	145	401

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की समन्वित अनुसंधान परियोजनाओं की बजट योजना

97. **श्री बी० डी० सिंह** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की गेहूं,दालों तथा तिलहनों सम्बन्धी प्रत्येक समन्वित अनुसंधान परियोजना की वर्ष 1974-75 से 1981-82 तक की वर्षवार बजट योजना क्या थी तथा उनके पुनरीक्षित अनुमान क्या थे और प्रत्येक वर्ष, नवम्बर तक, वास्तव में कितनी धनराशि का उपयोग किया गया और हर वर्ष केवल मार्च महीने के दौरान कितनी धनराशि का उपयोग किया गया ;

(ख) क्या 1979 -80 से, योजना की धनराशि के उपयोग में भारी कमी आई है तथा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रथम आठ महीनों की तुलना में प्रत्येक वर्ष मार्च के महीने में अधिक धन दिया गया ;

(ग) यदि हां, तो सरकार का विचार इन तीन महत्वपूर्ण फसलों के लिए वित्तीय आवश्यकता के ढांचे के रूप के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का है ; और

(घ) प्रत्येक केन्द्र द्वारा 1975-76, से, वर्षवार, उपर्युक्त प्रत्येक फसल के लिए कितना प्रजनन बीज उत्पन्न किया गया ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) (क) से (घ) सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सभा के पटल पर रख दी जायेगी ।

सरकारी भवनों में मरम्मत के विरूद्ध शिकायतें

98. **श्री डूमर लाल बैठा** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में अनेक सरकारी भवनों की मरम्मत की गयी है, जिसमें छत और फर्श डालना आदि भी शामिल है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि मरम्मत के विरूद्ध मकानों के कब्जाधारियों की शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें छत रिसना, दीवारों में वर्षा के पानी की सीलन आना, कमरों में रंग और सफेदी ठीक प्रकार से न होने की शिकायतें शामिल हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि इन शिकायतों के बावजूद इन मरम्मत-कार्यों को करने वाले ठेकेदारों को उनके बिलों का, उनके द्वारा किए गए काम की उचित प्राधिकारियों द्वारा निरीक्षण किए बिना ही भुगतान कर दिया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार दोषी अधिकारियों के विरूद्ध उचित कार्यवाही करने का है, यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ।

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) दिल्ली में

कुछ सरकारी भवनों की हाल ही में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा मरम्मत की गई है।

(ख) मरम्मत के विरूद्ध ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई हैं। तथापि, कुछ रोजमर्रा की शिकायतें प्राप्त हुई थी और उन्हें तुरन्त ही निपटा दिया गया।

(ग) तथा (घ) उपर्युक्त उत्तर (ख) को देखते हुये प्रश्न ही नहीं उठता।

राज्यों को सिंचाई परियोजनाओं के लिये धनराशियां

99. **श्री नवीन रबाड़ी :**

श्री चितामणि जेना : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लगभग सभी राज्यों ने विरोध प्रकट किया है कि बड़ी एवं लघु सिंचाई परियोजनाओं तथा बाढ़ नियंत्रण कार्यों के लिए उपलब्ध राशियां लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अपर्याप्त है ; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा इस बारे में किन उपायों पर विचार किया जा रहा है?

सिंचाई मंत्री (श्री केदार पाण्डे) : (क) और (ख) अधिकांश राज्यों ने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए 1982-83 के लिए अतिरिक्त धनराशि की मांग की है।

देश में समग्र रूप से धन की तंगी को देखते हुए, राज्य सरकारों को सिंचाई सैक्टर के लिए प्राथमिकता आधार पर पर्याप्त धन की व्यवस्था करने की सलाह दी गई है ताकि जो निर्माणाधीन परियोजनाएं निर्माण की प्रोन्नत अवस्था में हैं, उन्हें छठी योजना में पूरा किया जा सके और उनसे शीघ्र लाभ प्राप्त किये जा सके।

सिंचाई परियोजनाओं को बाढ़ से क्षति

100. **श्रीमती जयन्ती पटनायक :**

श्री हरीश रावत : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्यों में बाढ़ के प्रकोप से कुछ सिंचाई परियोजनायें बड़े पैमाने पर प्रभावित हुई हैं।

(ख) यदि हां, तो इस वर्ष बाढ़ के कारण राज्य-वार सिंचाई परियोजनाओं को हुई क्षति का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सरकार ने इन अनेक सिंचाई परियोजनाओं के बांधों के पुनर्निर्माण के लिए क्या कदम उठाए हैं?

सिंचाई मंत्री (श्री केदार पाण्डे) : (क) और (ख) राज्य सरकारों द्वारा यथा-सूचित सिंचाई निर्माण-कार्यों की हुई क्षति निम्न प्रकार है :-

1. आंध्र प्रदेश	45.28 लाख रुपये
2. विहार	115. 00 लाख रुपये
3. उड़ीसा	6685.89 लाख रुपये
4. उत्तर प्रदेश	550.00 लाख रुपये

(ग) राज्य सरकारों द्वारा सिंचाई निर्माण कार्यों की यथा-संभव शीघ्रतापूर्वक मरम्मत करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं।

पूर्वोत्तर राज्यों के लिए "हुडकों" द्वारा हाथ में लिया गया आवासीय कार्यक्रम

101. **श्री चित्त बसु :**

श्री पी० राजगोपाल नायडू :

श्री चिंगवांग कोनयक : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "हुडकों" (आवास तथा नगरीय विकास निगम) ने पूर्वोत्तर राज्यों के लिए इस बीच कोई आवासीय कार्यक्रम हाथ में लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो कार्यक्रम (राज्यवार) का ब्यौरा क्या है और कितना धन आवंटित किया गया है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गए हैं।

विवरण

31-8-1992 की स्थिति के अनुसार उत्तर-पूर्वी राज्यों के लिए वित्तीय नियतनों सहित (राज्यवार) कार्यक्रम के ब्यौरे।

राज्य	योजनाओं की संख्या	परियोजना लागत (करोड़ रु0 में)	स्वीकृत ऋण (करोड़ रु0 में)	स्वीकृत रिहायशी एकक रिहायशी	गैर-रिहायशी
असम	8	5.83	4.07	1208	1
मणिपुर	3	3.16	2.09	282	112
नागालैण्ड	1	2.58	1.57	—	1
योग	12	11.57	7.73	2190	114

गंगा जल के बारे में भारत-बंगला देश वार्ता

102. **श्री चित्त बसु :**

श्री सूरज भान :

श्री बाला साहेब विखे पाटिल :

श्री सुभाष यादव :

श्री अटल बिहारी वाजपेयी :

स्वामी इन्द्रवेश : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने फरक्का में गंगा जल के बटवारे के लिए नये करार के बारे में बंगला देश सरकार के साथ चर्चा की है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

सिंचाई मन्त्री (श्री केदार पाण्डे) : (क) और (ख) सिंचाई मन्त्री, श्री केदार पाण्डे द्वारा बंगलादेश के हाल में किए गये दौरे के समय, भारत और बंगलादेश के बीच 30-31 अगस्त, 1982 को ढाका में गंगा के जल के प्रश्न पर अनौपचारिक विचार-विमर्श किया गया था। दोनों पक्षों ने फरक्का में गंगा के जल के बटवारे तथा इसके प्रवाह में वृद्धि करने की समस्या का परस्पर स्वीकार्य हल ढूंढने के लिए अपने विचार-विमर्श जारी रखे। उनमें इस समस्या का कोई न्यायसंगत हल ढूंढने के लिए ध्यान में रखे जाने वाले मुद्दों पर काफी हद तक सहमति, हो गई। उन्होंने एक परस्पर स्वीकार्य हल ढूंढने के लिए अपने प्रयत्न जारी रखने और इस प्रयोजन के लिए, आवश्यकतानुसार उपयुक्त स्तरों पर बैठकें करने का निर्णय किया।

केरल में मत्स्य अवतरण केन्दों की मंजूरी

103. **श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल सरकार ने चेतुवाई, पालाकोड और दवारमडार में मत्स्य अवतरण केन्द्रों के परियोजना प्रतिवेदन सरकार को कब प्रस्तुत किये थे ;

(ख) परियोजना प्रतिवेदनों की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं तथा उनकी अनुमानित लागत कितनी है ;

(ग) परियोजना प्रतिवेदनों को मंजूरी देने में विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(घ) उनके लिए मन्जूरी कब तक दे दी जाएगी और उसका ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) केरल सरकार से चेतुबाई के सम्बन्ध में प्रस्ताव मार्च, 1980 में प्राप्त हुआ था। राज्य सरकार द्वारा फरवरी, 1982 में स्पष्टीकरण दिए गये।

पालाकोड के सम्बन्ध में प्रस्ताव जून, 1981 में प्रस्ताव हुए हैं।

दवारमंडाम के सम्बन्ध में अभी तक कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) कार्य की मुख्य मदें लघुपैमाने त्रीकृत तथा गैर यंत्रीकृत मत्स्यन जलयानों के संचालन के लिए मत्स्य संचयन सुविधाओं का निर्माण करना है। पीलिकोड की अनुमानित लागतें लगभग 15 लाख रुपये है तथा चेतुव ई के सम्बन्ध में यह लागत लगभग 19 लाख रुपये है।

(ग) और (घ) राज्य सरकारें तथा अन्य सम्बन्धित एजेंसियों के परामर्श से दो प्रस्तावों की जांच की जा रही है।

हंगरी के सहयोग से केरल में मत्स्य और बतख पालन

104. **श्री ए० नीलालोहियादसन नाडार :**

श्री ई० बालानन्दन : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि मन्त्रालय की सलाह पर, केरल सरकार ने हंगरी के सहयोग से केरल मछली और बत्तख के मिले-जुले पालन के लिए जलचर विकास केन्द्र के आयोजना हेतु अप्रेल, 1981 में एक परियोजना की रूपरेखा तैयार और प्रस्तुत की है ; और

(ख) यदि हां, तो उस परियोजना का ब्यौरा क्या है और सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी हां,।

(ख) परियोजना में तालाबों से आय बढ़ाने के साधन के रूप में समेकित मछली और बतख पालन की प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन करने हेतु डिम्पोना और बतख के उत्पादन के लिए एक प्रमुख जल कृषि विकास केन्द्र स्थापित करने की व्यवस्था है। इस प्रौद्योगिकी का, मछली जल कृषकों, विस्तार कार्य में लगे कर्मचारियों, विभागीय कार्मिकों तथा अन्य व्यक्तियों को प्रशिक्षण देकर केरल के अन्य उपयुक्त क्षेत्रों में भी विस्तार करने का प्रस्ताव है। राज्य सरकार से, कृषि मन्त्रालय द्वारा दी गई टिप्पणी के आधार पर परियोजना में संशोधन करने के लिए अनुरोध किया गया है। संशोधित परियोजना रिपोर्ट की केरल सरकार से प्रतीक्षा है।

जल प्रदाय योजनाओं के लिए केरल सरकार द्वारा मांगी गई सहायता

105. **श्री नीलालोहियादसन नाडार : निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल सरकार ने अब तक ऐसी कितनी जल प्रदाय योजनायें प्रस्तावित की हैं जिनके लिए केन्द्रीय सरकार विभिन्न विदेशी एजेंशियों से सहायता मांगी गई है ;

(ख) वे योजनायें कौन सी हैं और उनका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) भारत सरकार द्वारा इस बारे में की है कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) से (ग) पेय जल पूर्ति राज्य का विषय है और योजनायें राज्य सरकारों द्वारा बनाई तथा कार्यान्वित की जाती है पता लगाये गये सभी समस्या ग्रस्त ग्रामों को जल मुहैया कराने हेतु राज्य सरकार के संसाधनों को बढ़ाने के लिए केन्द्र द्वारा प्रवर्तित त्वरित ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत केन्द्रीय सहायता दी जाती है।

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत केरल के लिए केन्द्र के द्वारा 2290.586 की कुल अनुमानित लागत की 244 ग्रामीण जल पूर्ति योजनायें तकनीकी तौर पर अनुमोदित की जा चुकी हैं जिनके अन्तर्गत 711 समस्या ग्रस्त ग्राम शामिल हैं जिनमें आंशिक रूप में लिए गये ग्राम भी हैं। इसकी सूचना विवरण में दी गई है।

विवरण

क्र० सं०	योजना का नाम (विदेशी सहायता के लिए प्रस्तावित)	कुल अनुमानित लागत	की गई कार्यवाही
		(लाख रुपयों में)	
	क. विश्व बैंक सहायता		
1.	केरल जल पूर्ति तथा मल निर्यास योजना-चरण I	4474	विश्व बैंक अधिकारियों द्वारा परियोजना रिपोर्ट का अध्ययन किया गया अध्ययन किया गया है और उनकी टिप्पणियों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा संशोधित किया जा रहा है। संशोधित रिपोर्ट तैयार होने के बाद विश्व बैंक द्वारा योजना का मूल्यांकन किया जायेगा।
	ख. द्विपक्षी सहायता		
2.	त्रिचूर जिले में नीतिका-फिरका लिये विस्तृत जलपूर्ति योजना	674	डच सहायता के लिए प्रस्तावित भारत सरकार और नीदरलैंण्ड सरकार के बीच

3. त्रिवेन्द्रम जिले में चिरायांकिल की विस्तृत जल पूर्ति योजना	342	21-5-82 को पत्रों का आदान प्रदान हुआ।
4. अल्लेपी जिले में कुटान्ड क्षेत्र की विस्तृत जल पूर्ति योजना	752	डच सहायता के लिए प्रस्तावित कुटाण्ड क्षेत्र के पानी का संतुलित डच प्राधिकारियों द्वारा किया जाना है।
5. अल्लेपी जिले में थ्रिकुन्ना पुझा जल पूर्ति योजना	14	डच सहायता के लिए प्रस्तावित शीघ्र ही की जानी है।
6. कन्नानौर जिले में कोलेचेरी तथा निकटवर्ती पंचायतों की विस्तृत जल पूर्ति योजना	365	
7. त्रिचूर जिले में प्रभारती तथा निकटवर्ती पंचायतों की विस्तृत जलपूर्ति योजना	830	डच सहायता के लिए प्रस्तावित शीघ्र ही मूल्यांकन की जानी हैं।
8. क्विलोन जिले में कुन्दरा तथा निकटवर्ती पंचायतों की विस्तृत जल पूर्ति योजना	400	
9. कन्नानौर जिले में पयनूर तथा निकटवर्ती पंचायतों की विस्तृत जलपूर्ति योजना	403	
10. मलापरम जिले में थवनूरत था निकवर्ती पंचायतों की विस्तृत जल पूर्ति योजना।	198	
11. कोझीकोड जिले में क्विलांडी तथा निकटवर्ती पंचायतों की विस्तृत जलपूर्ति योजना	1360	इन पर डच सहायता के लिए विचार किया जा रहा है।
12. मलापुरम जिले में चेकोड तथा निकटवर्ती पंचायतों की विस्तृत जल पूर्ति योजना।	810	

कल्लाडा और इडामल्यार : सिंचाई परियोजनाओं के लिए वन-भूमि की मंजूरी

106. **श्री ए० नीलालोहिथादसन** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने कल्लाडा और इडामल्यार सिंचाई परियोजना के लिए आवश्यक वन-भूमि की शीघ्र मंजूरी देने के लिए केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो अनुरोध का ब्यौरा क्या है तथा भारत सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है ?

कृषि तथा ग्रामीण मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामी) : (क) जी हां, ।

(ख) केरल सरकार ने वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अन्तर्गत गैरवानिकी कार्यों के लिए वन भूमि को परिवर्तन करने सम्बन्धी निम्नलिखित मामलों को केन्द्रीय सरकार के पास स्वीकृति के लिए भेजा है ।

(1)	कल्लाडा सिंचाई नहर	—	2.277 हैक्टार
(2)	कल्लाडा सिंचाई नहर	—	5.80 हैक्टार
(3)	कल्लाडा सिंचाई परियोजना से हटाये गए व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए	—	135.00 हैक्टार
(4)	इडामलयार सिंचाई परियोजना	—	161.294 हैक्टार

क्रम संख्या (1) और (2) में दिए गए मामलों को स्वीकृति दे दी गई है । क्रम संख्या (3) में दिए गए मामले को नामंजूर कर दिया गया है । क्रम संख्या (4) में दिये गए मामले पर केन्द्रीय सरकार विचार कर रही है ।

भैंसों के सम्बन्ध में अनुसंधान के लिए केन्द्रीय संस्थान की स्थापना

107. **श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ने छठी पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान भैंसों के सम्बन्ध में अनुसंधान कराने के लिए एक केन्द्रीय संस्थान की स्थापना का प्रस्ताव तैयार किया है ;

(ख) यदि हां तो क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के दल ने आंध्र प्रदेश के पश्चिम गोदावरी क्षेत्र में ऊंकूटूर गांव में स्थल की जांच और चयन कर लिया है ;

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है ; और

(घ) इस मामले में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) :

(क) तथा (ख) : भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने छठी पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान भैंसों पर अनुसंधान के लिए एक केन्द्रीय अनुसंधान स्थापित करने हेतु एक प्रस्ताव तैयार किया था। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा नियुक्त एक दल ने इस संस्थान के क्षेत्रीय केन्द्र हेतु आन्ध्र प्रदेश के पश्चिमी गोदावरी जिले में गाँव ऊंटूकूर में इस जगह की सिफारिश की थी न की संस्थान के मुख्य परिसर के लिए।

(ग) तथा (घ) : भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा नियुक्त अन्य कृतक बल संस्थान के मुख्य परिसर के अन्तिम स्थान की सिफारिश करने के लिए अन्य विभिन्न पहलुओं की जांच कर रहा है। संस्थान के लिए छठी पंचवर्षीय योजना के प्रस्ताव के निपटान की प्रक्रिया चल रही है। जैसे ही मुख्य संस्थान के स्थान का फैसला कर लिया जाता है तथा छठी पंचवर्षीय योजना के प्रस्ताव का निपटान हो जाता है, वैसे ही मुख्य संस्थान तथा उसके क्षेत्रीय केन्द्रों को शुरू करने के लिए कदम उठाये जायेंगे।

सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत लाने के लिए जिलों का चुना जाना

108. **श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी** : क्या ग्रामीण विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम लाने के लिये विभिन्न राज्यों में जिलों का चुनाव कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां ; तो आन्ध्र प्रदेश के कितने जिलों को इस कार्यक्रम के अन्तर्गत सम्मिलित किया गया है ; और

(ग) उपरोक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक राज्य को कितनी राशि आवंटित की गई है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) और (ग) जी हां, । सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत लाए गये जिलों की संख्या तथा प्रत्येक राज्य को आवंटित धनराशि (केन्द्रीय तथा राज्य के अंश) को संलग्न विवरण में दर्शाया गया है।

(ख) आन्ध्र प्रदेश के 7 जिलों को इस कार्यक्रम के अन्तर्गत शामिल किया गया है।

विवरण

क्रम संख्या	राज्य	सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत लाये गये जिलों की संख्या	वर्ष 1982-83 के दौरान सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत आवंटन
			(लाख रुपये में)
1.	आन्ध्र प्रदेश	7	1077.50
2.	बिहार	2	677.50
3.	हरियाणा	1	155.00
4.	गुजरात	8	625.00
5.	जम्मू व कश्मीर	2	180.00
6.	कर्नाटक	10	935.00
7.	मध्य प्रदेश	6	690.00
8.	महाराष्ट्र	9	777.50
9.	उड़ीसा	4	515.00
10.	राजस्थान	4	580.00
11.	तमिलनाडु	3	595.00
12.	उत्तर प्रदेश	10	847.50
13.	पश्चिम बंगाल	3	480.00
	योग :	69	8135.00*

*वर्ष 1982-83 के लिए केन्द्रीय बंटन 40.00 करोड़ रुपये के बजट प्रावधान तक ही सीमित होगा।

आंध्र प्रदेश में नलकूपों के माध्यम से भू-जल संसाधनों का उपयोग

109 **श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी** : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा नलकूपों के निर्माण द्वारा भू-जल संसाधनों का उपयोग करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ;

(ख) क्या आंध्र प्रदेश में भी इस प्रकार के कदम उठाये गये हैं ;

(ग) यदि हां, तो केन्द्र प्रायोजित कार्यक्रम के अन्तर्गत आंध्र प्रदेश में कितने नलकूप लगाये गये हैं ; और

(घ) तत्संबंधी अन्य ब्यौरे क्या हैं ;

सिंचाई मंत्री (श्री केदार पाण्डे) : (क) भूमिगत जल विकास का कार्यक्रम, जिसमें नलकूपों का निर्माण शामिल है, राज्य सरकारों द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। केन्द्रीय सरकार विस्तृत स्तर के सर्वेक्षण करके राज्यों की सहायता करती है जो कि केन्द्रीय भूतिगत जल बोर्ड द्वारा किए जाते हैं। भूमिगत जल के निर्धारिण के लिए राज्यों के भूमिगत जल संगठन भी लघु स्तर के सर्वेक्षण करते हैं। इन सर्वेक्षणों के आधार पर, खुदाई कुओं व नलकूपों के जरिए भूमिगत जल के उपयोग के लिए स्कीमें राज्य में तैयार की जाती हैं। केन्द्रीय सरकार एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत राज-सहायता देकर, छोटे और सीमान्त किसानों की सहायता भी करती है। केन्द्र तथा राज्य सरकारों के प्रयासों के परिणामस्वरूप, भूमिगत जल के उपयोग द्वारा 1981-82 के अन्त तक 24.5 मिलियन हैक्टेयर की क्षमता सृजित की जा चुकी है।

(ख) आध्र प्रदेश के लिए बड़े स्तर (मेक्रो-लेवल) के भूमिगत जल सर्वेक्षण प्रगति पर हैं। राज्य सरकार भी भूमिगत जल के लिए छोटे स्तर के सर्वेक्षण कर रही है और उन्होंने भूमिगत जल साधन के उपयोग के लिए उचित उपाय किए हैं।

(ग) और (घ) नलकूपों के निर्माण के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित ऐसा कोई विशिष्ट कार्यक्रम नहीं हैं। तथापि, आंध्र प्रदेश राज्य में मार्च, 1982 तक, 632 सरकारी नलकूप प्रतिष्ठापित किए जाने की सूचना दी गई है।

आंध्र प्रदेश में सिंचाई परियोजनाएं

110. **श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश में वे प्रमुख सिंचाई योजनायों कौन सी हैं जिनपर काम शुरू कर दिया गया है अथवा शुरू करने का विचार है ;

(ख) इन परियोजनाओं के पूरा होने की दिशा में क्या प्रगति हुई है ;और

(ग) इन परियोजनाओं के कब तक पूरा होने की संभावना है ?

सिंचाई मन्त्री (श्री केदार पाण्डे) : (क) से (ग) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

क्र० सं०	परियोजना का नाम	अद्यतन अनुमानित लागत (करोड़ रुपये)	मार्च, 1982 तक हुआ व्यय (करोड़ रुपये)	राज्य के अधिकारियों द्वारा सूचित, पूर्ण होने का संभावित वर्ष
	क—निर्माणाधीन स्कीमें			
1.	नागार्जुनसागर	537.00	439.54	1984—85
2.	श्री रामसागर-चरण-एक	368.00	272.00	-तदैव-
3.	गोदावरी बराज	66.00	60.32	1982—83
4.	तम्मेधारी चरण एक तथा दो	153.26	26.75	चरण-एक छठी योजना के दौरान पूर्ण किया जाना है।
5.	तुंगभद्रा उच्च स्तरीय नहर चरण-दो	48.00	36.66	1984—85
6.	सोमासिला चरण एक तथा दो	85.32	38.69	सातवीं योजना
7.	निजामसागर चरण एक का सुधार	15.12	13.91	1982—83
8.	सिंगुर परियोजना	45.00	10.37	1984—85
	ख-छठी योजना की नई स्कीमें			
1.	येल्लरु जलाशय*	161.50	13.25	
2.	पोलावरम*	298.50	0.15	
3.	श्री सेलम दक्षिण तट नहर	220.22	1.15	सातवीं योजना
4.	जुराला परियोजना *	77.00	1.30	

प्राकृतिक विपदाओं की स्थायी हल

111. **श्री उमा कान्त मिश्र :**
श्री सूरज भान :
प्रो० अजित कुमार मेहता :
श्री जगपाल सिंह :
श्री बाला साहिब विखे पाटिल :
डा० कृपा सिंधु भोई : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

*ये परियोजनाएं अभी स्वीकृत की जानी हैं और इसलिए उनके पूर्ण होने की तारीख ज्ञात नहीं है।

(क) क्या देश में बाढ़ और सूखे जैसी प्राकृतिक विपदाओं के स्थायी हल का पता लगाने के लिए योजना बनाई जा रही है ; और

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई मंत्री (श्री केदार पाण्डे) : (क) और (ख) : 1976 में गठित राष्ट्रीय बाढ़ आयोग ने विभिन्न बेसिनों में बाढ़-नियंत्रण और बाढ़ प्रबंध के लिए किये जाने वाले विभिन्न उपायों की सिफारिश की थी। आयोग की सिफारिशों पर कार्रवाई की गई थी और उनके क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकारों को मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किए गये थे। 1981 में हुए राज्यों के सिंचाई मंत्रियों के सम्मेलन में इन सिफारिशों पर विचार-विमर्श किया गया था और उन्हें स्वीकार कर लिया गया था।

गंगा और ब्रह्मपुत्र बेसिनों में व्यापक बाढ़ समस्या को दृष्टि में रखते हुए, एक व्यापक (मास्टर) योजना तैयार करने तथा बेसिन राज्यों को विभिन्न बाढ़-नियंत्रण कार्यक्रमों के बारे में सलाह देने के लिए एक पृथक गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग गठित किया गया है। इसी प्रकार, अन्य लाभकारी उपयोगों के लिए जल संसाधनों के विकास को ध्यान में रखते हुए, ब्रहमपुत्र घाटी में बाढ़-नियंत्रण के लिए व्यापक योजना तैयार करने हेतु ब्रह्मपुत्र बोर्ड गठित किया गया है।

सूखे से प्रभावित क्षेत्रों में सिंचाई सुविधाओं की व्यवस्था करने की समस्या की राष्ट्रीय सिंचाई आयोग (1972) द्वारा जांच की गई है। इससे भी पहले, राज्य सरकारों ने सूखा-प्रवण क्षेत्रों के लिए सिंचाई सुविधाओं की व्यवस्था करने की कई स्कीमें आरम्भ कर ली थीं। देश में इस समय निर्माणाधीन कई वृहद परियोजनाएं सूखा प्रवण क्षेत्रों को लाभ पहुंचाती हैं। सूखाग्रस्त जिलों की समस्याओं का अध्ययन करने के लिए जिलों की रिपोर्ट तैयार करने हेतु केन्द्रीय जल आयोग में विशेष संगठन यूनिट बनाया गया है। ये अध्ययन पूरे होने वाले हैं।

सूखा-प्रवण क्षेत्रों में सिंचाई सुविधाओं की व्यवस्था करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने जल संसाधनों के विकास के लिए एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य भी तैयार किया है जिसमें विभिन्न नदियों पर जल-संचयन जलाशयों के निर्माण और बेसिन वाले क्षेत्रों की न्यायोचित आवश्यकयाओं की पूर्ती करने के पश्चात सिंचाई के लिए सूखा प्रवण क्षेत्रों को लाभ पहुंचाने के अलावा, अन्तर्योजक लिंकों का निर्माण करके जल की कमी वाले क्षेत्रों में जल का उपयोग करने के लिए अधिशेष प्रवाह के अन्तरण की परिकल्पना की गई है। राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य से जल-विद्युत उत्पादन के अलावा, कुछ क्षेत्रों में बाढ़ नियंत्रण की व्यवस्था होने की आशा है। इस परिप्रेक्ष्य में प्रायद्वीपीय लिंकों के अन्वेशण के लिए अभी हाल में राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण नामक एक पृथक अभिकरण स्थापित किया गया है। आशा है कि यह अभिकरण प्रादवीपीय लिंकों के लिए परिप्रेक्ष्य की व्यवहार्यता रिपोर्ट लगभग 10 वर्ष की अवधि में तैयार कर लेगा।

गन्ने की बकाया धनराशि

112. **श्री अशफाक हुसैन** :

श्री राम लाल राही : क्या कृषि मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तरी तथा दक्षिणी क्षेत्र में आने वाले गन्ने की पेराई के मौसम का गन्ने की पेराई का कार्य को- आपरेटिव तथा गैर सरकारी मिलों में कब तक शुरू हो जाएगा ;

(ख) उक्त दोनों क्षेत्रों में पृथक-पृथक प्रत्येक यूनिट पर 15.9.1982 को गन्ना उत्पादकों की किस किस वर्ष की कितनी धनराशि बकाया है ;

(ग) गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 के अनुच्छेद 3 (क) के अन्तर्गत प्रत्येक मिल को 15 सितम्बर, 1982 को ब्याज की कितनी धनराशि देनी है ;

(घ) क्या सरकार गन्ने की पेराई का आने वाला मौसम शुरू होने से पहले बकाया धनराशि और उस पर ब्याज की धनराशि की अदायगी के लिए कदम उठाएगी ;

(ङ) यदि हां, तो उठाए जाने वाले कदमों का ब्यौरा क्या है ; और

(च) क्या लोगों के प्रतिनिधियों और संसद सदस्यों ने सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया है और यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही की गई है और उसके क्या परिणाम निकले ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में उप मंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) : वर्ष 1982-83 के दौरान, जैसाकि फैक्ट्रियों ने सूचित किया है, गन्ने पेरने के कार्य शुरू करने की प्रत्याशित तारीखें संलग्न विवरण-1 में दी जाती है।

(ख) : गन्ने के मूल्य की देय राशि की फैक्ट्रीवार अद्यतन उपलब्ध स्थिति संलग्न विवरण 2 में दी जाती है। [**ग्रन्थालय में रखे गये : देखिये संख्या एल०टी० 5418/82**]

(क) : केन्द्रीय सरकार के पास अपेक्षित सूचना तुरन्त उपलब्ध नहीं है और उसे राज्य सरकार से प्राप्त करना होगा।

(घ) और (ङ) : गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 के गन्ने की मूल्य की बकाया राशि और उस पर ब्याज के भुगतान से सम्बन्धित सांविधिक उपबन्धों के प्रवर्तन की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। उनके पास इस सम्बन्ध में आवश्यक शक्तियां और फील्ड संगठन है। तथापि, गन्ने के बकायों की स्थिति की समय-समय पर समीक्षा की जाती है और इन बकायों का शीघ्र भुगतान कराने के लिए वह मामला राज्य सरकारों के साथ उठाया जाता है। जहां पिछले वर्ष के दौरान खरीदे गये गन्ने के मूल्य के 10 प्रतिशत से अधिक बकाया राशि होती वहां ऐसे मामले चीनी फैक्ट्रियों के साथ भी उठाये जाते हैं।

(च) संसद सदस्यों द्वारा गन्ने के मूल्य के बकायों और ब्याज के भुगतान के सम्बन्ध में सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है। सम्बन्धित राज्य सरकारों के साथ वह मामला उठाया गया है। इसके अलावा, उद्योग को अतिरिक्त बैंक उधार भी उपलब्ध किया गया है और रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों से गन्ने के मूल्य के भुगतान पर निगरानी रखने के लिए कहा है।

साल्ट फैक्टरी, राजौरी गार्डन के पास बसे हुए झुग्गी निवासियों को पुर्नावास

113. **श्री रामलाल राही** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) साल्ट फैक्टरी, डब्ल्यू जेड- 206, राजौरी गार्डन के पास हजारों गरीब आदमी झुग्गी झौपड़ियों में रह रहे हैं।

(ख) क्या सरकार का विचार इन झुग्गी निवासियों को हटाने और उनको रघुवीर नगर या ख्याला में आस-पास की भूमि पर बसाने का है ; और

(ग) यदि हां' तो इस बारे में ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

राजस्थान नहर में पानी का बहाव

114. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अनेक गम्भीर तकनीकी चुकों एवं जमीन के स्तर के दोषों के कारण राजस्थान नहर परियोजना में अनेक स्थानों पर पानी का बहाव/ सप्लाई समुचित नहीं है ;

(ख) क्या इन तकनीकी दोषों के कारण नहर में दरार आ जाने की आशंका है ; और

(ग) उपरोक्त चुकों एवं दोषों को दूर करने के लिए राज्य सरकार की मदद करने हेतु केन्द्रीय सरकार द्वारा उठाये जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई मन्त्री (श्री केदार पाण्डे) : (क) से (ग) राजस्थान सरकार ने, जो इस परियोजना का निर्माण कर रही है, सूचना दी है कि कोई ऐसे बड़े दोष नहीं देखे गए थे जिनसे नहर में जल की यथा-आवश्यक आपूर्ति पर प्रभाव पड़ेगा और कि तकनीकी दोषों के कारण, नहर में दरार पड़ने का कोई खतरा नहीं था। राज्य सरकार कुछ छोटे स्थानीय दोषों को दूर करने के लिए कार्यवाही कर रही है।

राजस्थान में सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम का बन्द किया जाना

115. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या ग्रामीण विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान के रेगिस्तानी जिलों में इस वर्ष सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम बन्द कर दिया गया हैं और ब्लाकवार आबंटन को बढ़ाये बिना केवल रेगिस्तान विकास कार्यक्रम क्रियान्वित किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो उसके कारण क्या हैं ; और

(ग) क्या केन्द्र सरकार 1977-78 की भान्ति इस कार्यक्रम को केन्द्रीय कार्यक्रम मानेगी और इसके लिए शत प्रतिशत आवंटन करेगी ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) और (ख) : जी हां, सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम को राजस्थान रेगिस्तानी जिलों में अब बन्द कर दिया है ताकि यह कार्यक्रम मरुभूमि विकास कार्यक्रम के साथ न मिल सके। प्रत्येक जिले में मरूभूमि विकास कार्यक्रम के लिए निधियों के आवंटन अब जिले में खण्डों की संख्या के आधार पर नहीं किए जाते हैं बल्कि ये मरुस्थल की प्रचंड स्थिति तथा इन परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए उस क्षेत्र के फैलाव के आधार पर किए जाते हैं।

(ग) जी नहीं। ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

बाढ़ के कारण हानि

116. **श्री सूरज भान :**

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1953-80 के दौरान बाढ़ से भू-राजस्व की माफी, पानी की दर मकान और सम्पत्ति मरम्मत में छूट देने से हुई हानि और लगभग 20,000 पशुओं और 1,000 व्यक्तियों की मृत्यु के अतिरिक्त लगभग 450/करोड़ रुपयों की वार्षिक औसत हानि होती रही है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि 1950 में बाढ़ से 21 करोड़ रुपये की वार्षिक हानि होने का अनुमान था जबकि हाल के वर्षों में यह अनुमान लगभग 500 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष रहा है ;

(ग) पिछले तीन वर्षों में बाढ़ के कारण हुई कुल हानि के अनुमान का तथ्य त्मक ब्यौरा क्या है ;

(घ) प्रति दशक में बाढ़ के कारण बढ़ती हुई वार्षिक हानि के कारण क्या है ; और

(ड़) इस वर्ष बाढ़ के कारण कुल कितनी हानि हुई ?

सिंचाई मन्त्री (श्री केदार पाण्डे) : (क) 1953-80 के दौरान बाढ़ों के कारण हुई औसतन वार्षिक कुल क्षति 327 करोड़ रुपये है। इस हानि में भूमि राजस्व तथा जलदरों की अदायगी की छूट के कारण हुई हानि तथा पशुओं और जन-हानि शामिल नहीं है।

(ख) 1953 के दौरान बाढ़ से हुई क्षति 54.20 करोड़ रुपये थी और पिछले पाँच वर्षों (1977-1981) के दौरान बाढ़ से हुई कुल औसतन वार्षिक क्षति लगभग 1048 करोड़ रुपये है।

(ग) राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, पिछले तीन वर्षों के दौरान बाढ़ से हुई क्षति का ब्यौरा निम्न प्रकार है :

1. प्रभावित क्षेत्र,	1979	1980	1981
लाख हेक्टेयर में	39.8	114.2	57.3
2. प्रभावित जनसंख्या, लाखों में	195.2	540.6	309.1
3. फसलों को हुई क्षति (लाख हैक्टेयर)	21.7	55.5	32.2
4. मारे गए व्यक्ति—संख्या	3637	1903	1033
5. कुल क्षति (करोड़ रुपये)	614.20	838.85	1132.31

(घ) वार्षिक हानि में वृद्धि होने के कारण ये हैं :

1. मूल्यों में वृद्धि ।

2. कृषि उत्पादन में वृद्धि ।

3. परिसम्पत्तियों में निजी और सरकारी निवेश में वृद्धि

4. कछार-भूमियों का अतिक्रमण ।

5. विकासात्मक कार्यों तथा ऊपरी जलग्रहण क्षेत्रों में वन-कटाई के कारण नदियों में बढ़ा हुआ तलछट भार ।

6. बाढ़ क्षति का सही अनुमान लगाने में कठिनाइयां ।

(ङ) राज्य सरकारों से अब तक प्राप्त हुई रिपोर्टों के आधार पर, 1982 के दौरान बाढ़ से हुई कुल क्षति लगभग 1150 करोड़ रुपये है ।

राष्ट्रीय रालधानी क्षेत्र योजना के संतुलित विकास के लिए शीर्ष निकाय

117. **श्री जगदीश टाईटलर** : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना के अन्तर्गत दिल्ली तथा राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हरियाणा राज्यों में इसके चारों ओर के क्षेत्रों के संतुलित विकास के लिए आयोजना, समन्वयन, निगरानी और वितपोषण के लिए उच्च शक्ति प्राप्त प्राधिकरण बनाने पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो यह शीर्ष निकाय, विशेषकर डी० डी० ए० आदि अन्य निकायों के साथ कैसे कार्य करेगा, ओर अपने आप में ही काफी बड़े संगठन बन गये हैं ;

(ग) इसनिकाय का इसके कार्य और उत्तरदायित्वों के मानदण्ड सहित, ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) से (ग) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के विकास के लिए उपयुक्त योजना बनाने और समन्वय करने के लिए

एक सांविधिक अभिकरण स्थापित करने पर सरकार विचार कर रही है। यह आशा है कि इस निकाय के पास पता लगाये गये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों के विकास की व्यवस्था करने और इस समय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कार्यरत विभिन्न निकायों की कार्यप्रणाली के समन्वय और प्रबोधन, जलपूर्ति तथा स्वच्छता संचार, विद्युत आर्थिक गतिविधियों की स्थिति, आवास और सामाजिक सुविधाओं जैसे क्षेत्रों के लिए विशेष महत्व का है। इस प्रकार के निकाय को जब भी अन्तिम रूप दिया जायेगा इसका संविधान इसके कार्यों तथा उत्तरदायित्वों का सूचक होगा।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना का कार्यान्वयन

119. **श्री जगदीश टाईटलर :** क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सलाहकार बोर्ड की बैठक अगस्त के अन्तिम दिनों में हुई थी,

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या पड़ौसी राज्य न केवल इस प्रस्ताव के प्रति ठंडे हैं अपितु दिल्ली के चारों ओर के क्षेत्रों के अव्यवस्थित तथा असंगठित विकास द्वारा इस योजना में तोड़ मरोड़ करने पर तुले हुए हैं ;और

(घ) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) से (ग) केन्द्रीय निर्माण और आवास मन्त्री ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए योजना पर विचार विमर्श करने के लिए 30 अगस्त, 1982 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में एक बैठक बुलाई। इसमें हरियाणा, राजस्थान तथा मध्यप्रदेश के मुख्य मन्त्रियों तथा दिल्ली के उप राज्यपाल और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। क्षेत्र के सन्तुलित विकास को बढ़ावा देने हेतु एकीकृत योजना तथा समन्वित निवेश के लिए केन्द्रीय स्तर पर निरन्तर परिचालित कार्यप्रणाली की आवश्यकता पर सहमति हुई। अव्यस्थित विकासों को रोकने के लिए भू- उपयोग आवास तथा अन्य अध्संरचनाओं के लिए एक समान नीतियों की आवश्यकता पर भी सहमति हुई। इस लक्ष्य की प्राप्ति के के लिए केन्द्रीय स्तर पर एक सांविधिक समन्वित निकाय स्थापित करने का निर्णय किया गया ताकि क्षेत्रीय योजनाएं बनाई जायं और यह सुनिश्चित किया जा सके कि स्थानीय स्तर पर उनका समन्वित कार्यान्वयन हो केन्द्रीय तथा राज्य कार्यकरणों द्वारा निधियां दी जायं और विकास परियोके कार्यान्वयन में सुविधा हो।

(घ) जैसा उक्त बैठक में निर्णय लिया गया, मुख्य आयोजनाकार ग्राम तथा नगर आयोजना संगठन नई दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की संशोधित भावी योजना को बनाने के लिए कहा

गया है। हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के चुने गये 5 आसपास के नगरों में अनुमोदित योजनाओं के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की केन्द्रीय योजना ऋण सहायता देने के लिए छठी पंच वर्षीय योजना में 10 करोड़ रुपये की राशि दी गई है।

बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में चल रही केन्द्रीय योजनाएं

121. **श्री हरिहर सोरन** : क्या ग्रामीण विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में चल रही केन्द्रीय योजनाओं के नाम क्या हैं,

(ख) क्या उनके मन्त्रालय का विचार बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में कार्य में तेजी लाने का है,

(ग) क्या इन क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त संसाधन मन्जूर करने का विचार है, और

(घ) यदि हां, तो उड़ीसा में ग्रामीण क्षेत्रों में केन्द्रीय योजनाओं को लागू करने के लिए कितनी अतिरिक्त धनराशि मंजूर करने का विचार है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी स्वामीनाथन) : (क) विभिन्न राज्यों में विशेष रुप से बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों के लिए इस मन्त्रालय की कोई योजना नहीं है। इस मन्त्रालय के मुख्य कार्यक्रम ये हैं—समन्वित ग्रामीण विकास कार्य क्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम तथा मरूभूमि विकास कार्यक्रम / सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम तथा मरूभूमि विकास कार्यक्रम जो क्षेत्र विकास कार्यक्रम हैं तथा जिन्हें चुने क्षेत्रों में ही कार्यान्वित किया जा रहा है, को छोड़कर अन्य कार्यक्रमों को देश के सभी खण्डों में उनको लाभ पहुंचाने हेतु लागू किया गया है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

सहकारी आवास समितियों द्वारा प्रीतमपुरा विकसित कालोनियों के लिए पानी की सुविधा

122. **श्री भीखाभाई** : **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रीतमपुरा क्षेत्र में अनेक सहकारी आवास समितियों ने अपनी-अपनी कालोनियों का विकास किया है तथा पानी की अनुपलब्धता के कारण उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ;

(ख) क्या पेय जल की सप्लाई के लिए पानी टंकियों का निर्माण आवास समितियों से प्राप्त धन से किया गया है ;

(ग) क्या पानी की टंकियों के निर्माण की लागत में केन्द्रीय जल आयोग, बिरला, रोहतास और केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की आवास समितियों ने अन्शदान किया था ;

(घ) क्या इन समितियों से सम्बन्धित मकान-मालिकों ने पानी की निकासी के लिए अपने-अपने प्लाटों में सेप्टिक टैंक की व्यवस्था कर ली है ; और

(ड़) यदि हां, तो उन्हें पानी की सप्लाई से क्यों वंचित रखा गया है और उन कालोनियों के निवासियों की शिकायतों को दूर करने के लिए सरकार क्या उपाय करने के बारे में विचार कर रही है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) से (ड़) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभापटल पर रख दी जाएगी ।

सिचाई विभाग और केन्द्रीय जल आयोग के कर्मचारियों को गृह-निर्माण अग्रिम राशि

123. **श्री भीखाभाई** : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क्या यह सच है कि केन्द्रीय जल आयोग/सिंचाई विभाग के अनेक कर्मचारियों के सामने मकान बनाने या बने-बनाये मकान खरीदने के लिए गृह-निर्माण अग्रिम-राशि हेतु धन की कमी के कारण समस्यायें पैदा हो रही हैं ;

(ख) क्या मंत्रालय द्वारा गृह-निर्माण अग्रिम-राशि कोष के अल्प नियतन के कारण प्रदाय जल तथा विद्युत आयोग की सहकारी समिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है , और

(ग) यदि हां, तो नियतन में भारी कटौती के क्या कारण हैं ?

सिंचाई मन्त्री (श्री केदार पाण्डे) : (क) श्रीमन् धन की मांग आबंटन से अधिक है ।

(ख) सिंचाई मन्त्रालय द्वारा गृह-निर्माण कर्ज , केन्द्रीय जल आयोग सहित; सिंचाई मन्त्रालय के पृथक-पृथक अधिकारियों को स्वीकृत किए जाते हैं । सहकारी समितियों के लिए कोई धन स्वीकृत नहीं किया जाता है ।

(ग) गृह-निर्माण कर्ज के लिए बजट व्यवस्था वित्त मन्त्रालय के अनुदानों के लिए केन्द्रीकृत रूप में संचालित की जाती है और निधिनिर्माण तथा आवास मन्त्रालय को सौंप दी जाती है । निर्माण तथा आवास मन्त्रालय, विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त मांगा पत्रों के आधार पर उन्हें धन आवंटित करता है । बजट की तंग स्थिति और धन की समग्र तंगों को ध्यान में रखते हुए, निर्माण तथा आवास मन्त्रालय सिंचाई मन्त्रालय को 1982-83 के दौरान, हमारी आवश्यकताओं के अनुसार धन आवंटित नहीं कर सकता है । चालू वित्तीय वर्ष के लिए 42-30 लाख की कुल आवश्यकता के मुकाबले, निर्माण तथा आवास मंत्रालय ने केवल 13-00 लाख रुपए ही आवंटित किए हैं । इसमें से इस मन्त्रालय के अन्य संगठनों के बीच, केन्द्रीय जल आयोग को 4.56 लाख रुपये की राशि, यथानुपात आधार पर पुनः आबंटित की गई है ।

हाउसिंग को-आपरेटिव सोसायटियों के संबंध में नीति

124. **श्री भीखा भाई** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मकानों के मामले में को-आपरेटिव सोसायटियों के हितो की सुरक्षा सम्बन्धी नीति क्या है ;

संसदीय तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : भारतीय जीवन

बीमा निगम (एल० आई० सी०) अौर आवास तथा नगर विकास निगम (हुडको) द्वारा सहकारी आवास समितियों को ऋण उपलब्ध कराए जाते हैं। हुडको ने अपने मानदण्डों में संशोधन किया है ताकि प्राथमिक सहकारी आवास समितियों को भी सीधे सहायता उपलब्ध कराई जा सकें। एपैक्स/प्राथमिक सहकारी आवास समितियों को अब हुडको द्वारा उसी दर पर ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है जो आवास बोर्डों जैसे अन्य ऋणियों पर लागू होती है। दिल्ली में सहकारी आवास समितियो को पूर्ण निर्धारित दरों पर लागू होती है। दिल्ली में सहकारी विकास प्राधिकरण ने हाल ही में 263 सहकारी ग्रुप आवास समितियों को भूमि आवंटित की है।

देश में लगाये गये ट्यूब-वैल

125. **श्री भोखा भाई :**

श्री जयपाल सिंह कश्यप : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने सिंचाई के लिए देश भर में कितने ट्यूब-वैल लगाये हैं और किसानों ने अपने आप कुल कितने ट्यूब-वैल लगाये हैं ; और

(ख) आगामी दो वर्षों में उत्तर प्रदेश और राजस्थान मे कितने ट्यूब-वैल लगाये जायेंगे ?

सिंचाई मन्त्री (श्री केदार पाण्डे) : (क) देश में सिंचाई प्रयोजनों के लिए मार्च, 1982 के अन्त तक प्रतिष्ठापित किए गए नलकूपों की संख्या का अनुमान निम्न प्रकार है।

सरकारी नलकूप	41600
गैर-सरकारी नलकूप	26015

(ख) 1982-83 के दौरान प्रतिष्ठापित किए जाने वाले सम्भावित नलकूपों की संख्या निम्न प्रकार है।

	उत्तर प्रदेश	राजस्थान
सरकारी नलकूप	1400	10
गैर-सरकारी नलकूप	1,50,000	1000

1893-84 के लिए अभी तक लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं।

नदियों के उपलब्ध जल का सिंचाई प्रयोजन के लिए भरपूर उपयोग

126. **श्री के० राममूर्ति :**

श्री राम विलास पासवान : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नदियों के उपलब्ध जल का सिंचाई प्रयोजनों के लिए भरपूर उद्योग करने हेतु क्या उपाय किये जा रहे हैं, क्योंकि इस समय केवल लगभग 200 एम० ए० एफ० जल का ही वास्तव में उपयोग हो रहा है, जबकि देश की नदियों में प्रतिवर्ष 1440 एम० ए० एफ० जल बहता है ;

(ख) 1956 के नदी बोर्ड अधिनियम तथा 1956 के अन्तर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम के अन्तर्गत कितने-नदी बोर्डों का गठन किया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई मन्त्री (श्री केदार पाण्डे) : (क) देश का भूतल जल संसाधन लगभग 1440 मिलियन एकड़ फुट आंका गया है। जैसा कि सिंचाई आयोग द्वारा मोटे तौर पर अनुमान लगाया गया है, उपलब्ध प्रौद्योगिकी से केवल लगभग 540 मिलियन एकड़ फुट जल इस्तेमाल किया जा सकता है। इस संसाधन से 113 मिलियन हेक्टेयर की सिंचाई क्षमता सृजित करना संभव हो सकता है। यह परिकल्पना की गई है कि जहां तक व्यवहार्य होगा, यह लक्ष्य इस शताब्दी के अन्त तक प्राप्त कर लिया जाएगा। नदी प्रणालियों को परस्पर जोड़कर, अतिरिक्त जल वाले बेसिनों से जल को कमी वाले तथा सूखाग्रस्त क्षेत्रों के अन्तरित करके जल संसाधनों का और अधिक उपयोग करने हेतु प्रस्ताव राष्ट्रीय दीर्घ कालीन जल योजना में सम्मिलित किए गए है। इससे सिंचाई क्षमता में 35 मिलियन हेक्टेयर की और वृद्धि की जा सकती है। इस राष्ट्रीय दीर्घकालीन योजना के प्रायद्वीपीय नदी संघटक के लिए अन्वेषण आरम्भ किए जा रहे हैं। इन अन्वेषणों क आरम्भ करने के लिए राष्ट्रीय जल-विकास अभिकरण की पहले ही स्थापना की जा चुकी है।

(ख) और (ग) 1956 के नदी बोर्ड अधिनियम के अधीन कोई नदी बोर्ड स्थापित नहीं किए गए हैं क्योंकि राज्य सरकारें सामान्यतया ऐसे नदी बोर्डों की स्थापना करने के लिए इच्छुक नहीं थीं।

अन्तर्राज्यिक जल-विवाद अधिनियम, 1966 में जल विवादों के न्यायनिर्णयन के लिए कोई उपबन्ध नहीं है। इस अधिनियम के अधीन तीन नदी जल-विवाद न्यायाधिकरण गठित किए गए थे।और उन्होंने अपना कार्य पूरा कर लिया है।

जल संसाधनों के उपयोग और बाढ़ नियन्त्रण में अधिक सक्रिय केन्द्रीय भूमिका की सिफारिश

128. **श्री के० राममूर्ति** : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) योजना बनाने के साथ-साथ जल के कुशल और समुचित प्रयोग तथा बाढ़ नियंत्रण और अन्तर्राज्यीय नदियों से जल निकासी के लिए समन्वित कार्यक्रम बनाने में केन्द्र द्वारा अधिक सक्रिय भूमिका निभाने के सम्बन्ध में सिंचाई आयोग, राष्ट्रीय कृषि आयोग और राष्ट्रीय बाढ़ आयोग द्वारा की गई समान सिफारिशों पर क्या कार्रवाही की गई है ; और

(ख) देश के जल संसाधनों के समेकित विकास के लिए एक राष्ट्रीय जल नीति तैयार करने में विलम्ब के कारण क्या हैं ?

सिंचाई मन्त्री (श्री केदार पाण्डे) : (क) और (ख) सर्वोत्तम राष्ट्रीय हित के अनुरूप जल संसाधनों के विकास तथा उपयोग के राष्ट्रीय नीतियाँ तैयार करने के लिए एक शीर्ष निकाय की

आवश्यकता पर सिंचाई आयाग (1972), राष्ट्रीय कृषि आयोग तथा राष्ट्रीय बाढ़ आयोग की रिपोर्टों में बल दिया गया है।

जल संसाधनों के विकास के सभी पहलुओं पर केन्द्र द्वारा अदा की जानें वाली भूमिका के प्रश्न की राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके सावधानी पूर्वक जांच की गई है। मार्च, 1982 में आयोजित राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में हुई सर्वसम्मति के अनुसार, प्रधान मन्त्री की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय संसाधन परिषद् स्थापित करने का निर्णय किया गया है। इस परिषद् में सम्बन्धित केन्द्रीय मन्त्री तथा राज्यों के मुख्य मन्त्री सदस्यों के रूप में सम्मिलित होंगे। यह परिषद, राष्ट्रीय जल नीति तैयार करेगी तथा उसके क्रियान्वयन हेतु मार्गदर्शन करेगी और क्रियान्वयन के लिए योजनाओं की सिफारिशें करेगी। समुचित बृहद (मास्टर) योजनाएं तैयार करने के लिए नदी बेसिन आयोग स्थापित करने का भी प्रस्ताव है। आवश्यक अनुगामी कार्यवाही की जा रही है।

राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद के गठन में विलम्ब

128. **श्री के० राममूर्ति** : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) सभापति के रूप में प्रधान मन्त्री और सदस्य के रूप में राज्यों के मुख्य मन्त्रियों और सम्बद्ध केन्द्रीय मंत्रियों से राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद् गठित किए जाने में विलम्ब के कारण क्या हैं ; और

(ख) संघीय सूची की प्रविष्टि 56 के अन्तर्गत एक संसदीय कानून बनाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

सिंचाई मन्त्री (श्री केदार पाण्डे) : (क) और (ख) संघ सूची की प्रविष्टि 56 के अन्तर्गत इस समय कोई विधान लाने का प्रस्ताव नहीं है। राज्यों से परामर्श करने के पश्चात् बृहत्तर राष्ट्रीय हित के अनुसार जल संसाधनों के विकास और उसके उपयोग हेतु राष्ट्रीय जल नीति निर्धारण करने के लिए प्रधान मन्त्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद गठित करने का निर्णय किया गया है जिसमें राज्यों के मुख्य मन्त्री तथा संबंधित केन्द्रीय मन्त्री सदस्यों के रूप में सम्मिलित होंगे। जल संसाधन परिषद स्थापित करने के लिए कार्रवाई की जा रही है।

राष्ट्रीय बीज निगम और राज्य फार्म निगम के बारे में समिति

129. **श्री के० राममूर्ति** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय बीज निगम और राज्य फार्म निगम के कार्यकरण की जांच के लिए गठित की गई समिति का गठन क्या है और उसके निदेश पद क्या हैं ; और

(ख) समिति का विलम्ब से प्रतिवेदन पेश करने के क्या कारण हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क)

राष्ट्रीय बीज निगम तथा भारतीय राज्य फार्म निगम की कार्यप्रणाली जांच करने के लिए गठित की गई समिति के विचारार्थ विषय तथा गठन निम्न प्रकार है :

विचारार्थ विषय : (I) राष्ट्रीय बीज निगम तथा भारतीय राज्य फार्म निगम के निष्पादन में, उनको गठित किए जाने के उद्देश्यों को देखते हुए सुधार लाने के सम्बन्ध में सुझाव देने हेतु उनके वित्तीय तथा भौतिक कार्य निष्पादन की जांच करना।

(II) दोनों कम्पनियों की संगम की नियमावली में संशोधन करने के सुझाव देना, ताकि भारत सरकार इनकी कार्यप्रणाली पर बेहतर ढंग से नियन्त्रण रख सके।

गठन

1. संयुक्त सचिव (गहन अध्ययन) वित्त मन्त्रालय, सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो — संयोजक
2. संयुक्त सचिव-प्रभारी बीज प्रभाग, कृषि और सहकारिता विभाग — सदस्य
3. अध्यक्ष, राष्ट्रीय बीज निगम भारतीय राज्य फार्म निगम — सदस्य
4. प्रबन्ध निर्देशक, राष्ट्रीय बीज निगम — सदस्य
5. प्रबन्ध निर्देशक, भारतीय राज्य फार्म निगम — सदस्य
6. प्रभारी अधिकारी, बीज परीक्षण प्रयोगशाला, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली — सदस्य
7. उप सचिव, निवेश तथा गहन अध्ययन प्रभाग, सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो — सदस्य

(ख) रिपोर्ट प्रस्तुत करने में कोई देरी नहीं हुई है क्योंकि समिति को अपनी रिपोर्ट 31-10-1982 तक प्रस्तुत करनी है।

उत्तरी बिहार में समस्तीपुर और अन्य जिलों में सिंचाई सुविधाएं

130. **प्रो० अजीत कुमार मेहता** : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद उत्तरी बिहार के समस्तीपुर और अन्य जिलों में कितनी

सिंचाई सुविधाओं का सृजन किया गया है और कितने अतिरिक्त कृषि योग्य क्षेत्र को इसके अन्तर्गत लाया गया है ;

(ख) कितने सिंचाई के साधन ठीक ढंग से काम कर रहे है ; और

(ग) नहर, नलकूपों और उठाऊ सिंचाई योजनाओं से वास्तव में कितनी भूमि की सिंचाई की गई ?

सिंचाई मन्त्री (श्री केदार पाण्डे) : (क) विभिन्न राज्यो में सिंचाई सुविधाओं के विकास के सम्बन्ध में जिला-वार कोई सूचना केन्द्रीय सरकार द्वारा नहीं रखी जाती है। तथापि, जून, 1982 तक, संपूर्ण विहार राज्य में कुल 5.22 मिलियन हेक्टेयर की सिंचाई क्षमता सृजित कर लिए जाने की सूचना दी गई है। इसमें से, 2.60 मिलियन हैक्टेयर वृहत्त तथा मध्यम सिंचाई स्कीमों से सृजित की गई है। लघु सिंचाई से सृजित 2.62 मिलियन हैक्टेयर क्षमता में से, 1.62 मिलियन हैंक्टेयर भूमिगत जल से तथा 8.97 मिलियन हैक्टेयर भूतल जल से सृजित की गई है।

(ख) सिंचाई परियोजनाओं के रख-रखाव का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों का है। जो सूचना मांगी गई है, उसे केन्द्रीय सरकार अपने पास नहीं रहती है।

(ग) मार्च, 1882 तक नलकूपों तथा अन्य लिफ्ट सिंचाई स्कीमों के सम्बन्ध में स्थिति निम्न प्रकार है —

क्र० सं०	मद	मार्च तक संभावित उपलब्धि (संख्या)
1.	खुदाई कुएं	3.37,500
2.	गैर-सरकारी नलकूपों	2,48,000
3.	सरकारी नलकूप	6,045
4.	पम्प सेटों का ऊर्जन	1,63,987

बिहार सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, वर्ष 6/1982 के लिए सिंचाई का प्रस्ताव निम्न प्रकार है -

वृहत्त तथा मध्यम सिंचाई परियोजनाएं	1.91 मिलियन हैक्टेयर
लघु सिंचाई परियोजनाएं	2.62 मिलियन हैक्टयर
(सभी साधनों से) कुल उपयोग	

बाढ़ और सूखे पर नियन्त्रण के लिए कोसी तथा अधवाड़ा नदी समूह पर बहु-उद्देशीय डेम

131. **प्रो० अजित कुमार मेहता** : क्या सिंचाई मन्त्री यह यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने लोगों को बाढ़ तथा सूखे से बचाने के प्रयोजन से कोसी तथा अधवाड़ा नदी समूह पर बहु-उद्देशीय डेमों का निर्माण करने के प्रश्न पर विचार किया है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसी योजना तैयार करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) यदि नहीं तो क्या उत्तरी-बिहार के लोगों के व्यापक हित में सरकार इस प्रश्न पर विचार करेगी ?

सिंचाई मन्त्री (श्री केदार पाण्डे) : (क) से (ग) उत्तरी बिहार अत्यन्त बाढ़-प्रवण क्षेत्र में आर-पार बहने वाली नदियों के उद्गम स्थल नेपाल में हैं जहां संचयन जलाशयों के निर्माण के लिए उपयुक्त स्थल विद्यमान हैं जिनका भारत में क्षेत्रों को बाढ़ से सुरक्षित करने सहित, दोनों देशों के बहुप्रयोजनी लाभों के लिए उपयोग किया जा सकता है दोनों देशों इष्टतम लाभों के लिए उनके संसाधनों को विकसित करने के वास्ते भारत नेपाल की साझी नदियों पर नेपाल में संचयन जलाशय निर्मित करने के प्रश्न को सरकार समय-समय पर तथा विभिन्न स्तरों पर नेपाल की महामहिम सरकार के साथ उठती रही है। संचयन परियोजनाओं को आरम्भ करने के सम्बन्ध में कोई समझौता नेपाल की महामहिमा सरकार के साथ अभी किया जाता है।

उत्तर बिहार को कुछ नदियों में बाढ़ नियन्त्रण के लिए बन्ध के स्थान पर डैम का निर्माण किया जाना

132. **प्रो० अजीत कुमार मेहता** : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार ने केन्द्र को उत्तरी बिहार की अनेक नदियों में बाढ़ नियन्त्रण उपायों के रूप में किनारों पर बांध बनाने का प्रस्ताव पेश किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार बन्धों को बाढ़ नियन्त्रण हेतु प्रभावी उपाय मानती है ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार बांधों के निर्माण पर बहुत बड़ी धनराशि खर्च करने के स्थान पर प्रभावी और त्रुटिहीन सुरक्षा प्रदान करने हेतु इन नदियों के ऊपर बहुउद्देशीय डैमों का निर्माण करने के प्रश्न पर विचार करेगी क्योंकि डैमों से सिंचाई सुविधाऐं भी मिलेगा और इसके अलावा सारे बिहार की बिजली की मांग को पूरा करने के लिये इनसे बिजली भी पैदा की जा सकेगी ?

सिंचाई मंत्री (श्री केदार पाण्डे) : (क) और (ख) बाढ़-नियन्त्रण निर्माण-कार्यों का आयोजन और क्रियान्वयन राज्य सरकारों द्वारा अपने योजना बजटों में रखी गई धनराशि में से किया जाता है। तथापि, 2 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाली स्कीमें योजना आयोग की तकनीकी सलाहाकार समिति द्वारा जांच और विचार करने के लिए, केन्द्रीय सरकार को भेजी जाती हैं। बिहार सरकार ने ऐसी कुछ स्कीमें प्रस्तुत की हैं। सुचारू रूप से अभिकल्पित,निर्मित और अनुरक्षित किए गए तटबन्धों से वृहद क्षेत्रों की सुरक्षा होती है। तथापि, सम्बद्ध समस्याओं और प्रासंगिकी प्रभावों को ध्यान में रखा जाना चाहिए और उन्हें यथासंभव सीमा तक न्यूनतम किया जाना चाहिए।

(ग) नदी के निम्नतर भागों में तटबंधों के निर्माण के अलावा, जो प्रभावित क्षेत्रों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक किफायती और तात्कालिक उपाय है, बहु-प्रयोजनी लाभ देने के लिए; जिसमें अनुप्रवाह में स्थित क्षेत्रों में शिखर बाढ़ों को कम करना शामिल है, ऊपरी भागों में जल-संचयन जलाशय भी उपयोगी होते हैं ; स्थानीय स्थिति पर निर्भर करते हुए, ये दोनों उपाय उपयोग में लाए जा सकते हैं।

ट्रैक्टरों की मांग

133. **मोहम्मद असरार अहमद** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृषि प्रयोजनों के लिये कितने ट्रैक्टरों की जरूरत है ;

(ख) उनमें से कितने देश में बनाये जा रहे हैं ;

(ग) क्या कृषि संबंधी जरूरतों के लिए कोई ट्रैक्टर आयात किये जा रहे हैं ; और

(ख) ट्रैक्टरों के उत्पादन को बढ़ाने के लिये कार्यान्वित की जा रहीं योजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) गत तीन वर्षों में ट्रैक्टरों की बिक्री के आधार पर ट्रैक्कटरों की कुल मांग निम्नलिखितथी :—

वर्ष	बिक्री (संख्या) (हजार तक पूर्णांक)
1979-80	59,000
1980-81	69,000
1981-82	74,000

वर्ष 1984-85 प्रक्षेपित मांग 1,20,000 ।

(ख) गत तीन वर्षों में ट्रैक्टरों का उत्पादन नीचे दिया गया है :

वर्ष	उत्पादन (संख्या) (हजार तक पूर्णांक)
1979-80	63,000
1980-81	72,000
1981-82	85,000

(ग) ट्रैक्टरों के आयात की अनुमति नहीं दी जा रही है क्योंकि विद्यमान एकक घरेलू मांग को पूरा करने की स्थिति में हैं। तथापि, अनुसंधान और विकास एककों और उच्च शिक्षा संस्थाओं को उनकी अपनी आवश्यकता के लिये ट्रैक्टर आयात करने की अनुमति दी गई है।

(घ) संगठित क्षेत्र में 15 एककों द्वारा कृषि ट्रैक्टरों का विनिर्माण किया जा रहा है। जिनकी प्रति वर्ष कुल लाससेंस शुदा क्षमता 149750 और प्रति वर्ष संस्थापित क्षमता 90,000 है। इसके अतिरिक्त लघु क्षेत्र के 3 एकक हैं, जिनकी प्रति वर्ष संस्थापित क्षमता लगभग 2550 है। मांग को पूरा करने के लिये विद्यमान क्षमता पर्याप्त है फिर भी विद्यमान विनिर्माताओं की क्षमता की स्वतः वृद्धि आदि द्वारा अपना उत्पादन बढ़ाने के लिये सभी सुविधायें दी जा रही हैं।

कृषि मूल्यों आयोग में किसानों के प्रतिनिधियों का शामिल किया जाना

134. **श्री मोहम्मद असरार अहमद** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसानों द्वारा अपने हितों का ठीक से प्रतिनिधित्व करने के लिये कृषि मूल्य में अपने प्रतिनिधित्व शामिल करने हेतु कोई मांग की गई है ;

(क) यदि हां, तो क्या उक्त मांग पर विचार किया गया है और उस पर स्वीकृति दी गई है ; और

(ग) क्या कृषि मूल्य आयोग को तदनुसार पुनः गठित करने का विचार है ?

कृषि ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी हां।

(ख) तथा (ग) कृषि मूल्य आयोग में चौ० रणधीर सिंह, सदस्य पहले से ही किसानों के हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अतः आयोग का पुनर्गठन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

सोवियत रूस से मिक की प्राप्ति

135. **श्री रतन सिंह राजदा** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत-रूस प्रोटोकोल के अन्तर्गत सोवियत रूस से प्रजनन हेतु मिक प्राप्त किये जायेंगे और उनको यहां उनके लोम प्राप्त करने के लिये मारा जायेगा ;

(ख) यदि हां, तो ये मिंक भारत कब तक आ जायेंगे और देश उनमें से कितने मिंकों के लिये कितनी राशि अदा करेगा ;

(ग) मिंकों के लोमों के निर्यात से कितना अर्जन करने की योजना है ;

(घ) "कराकुल" लैम्ब फैल्टों, जिनके लिये मैमनों को उनके जन्म के 48 घंटों में ही मार दिया जाता है के निर्यात से भारत का कितनी राशि अर्जित करने की योजना है ;

(ङ) क्या यह सच है कि कश्मीर में गीदड़, लोमड़ी, बनविलास या लोमा वाले अन्य जानवर के फार्म हैं ;

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(छ) क्या पशुओं या सरीसृपों की ऐसी कोई और भी नस्लें है जिनका इस समय चाहे अनुसंधान कार्यों के लिये या संरक्षण के लिये पालन किया जा रहा है परन्तु बाद में जिन्हें उनके लोमों या खालों के लिए मार दिया जायेगा ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) और (ख) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा भारत-सोवियत संघ नयाचार के अन्तर्गत मिंक (समूर) आयात करने की योजना है परन्तु प्रस्ताव को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है ।

(ग) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद केवल समूर फर (मिंक फर) उत्पादन के लिये समूर प्रजनन की प्रौद्योगिकी के विकास के क्षेत्र में अनुसंधान करेगा । इस तरह वर्तमान में इन परीक्षणों से विदेशी मुद्रा कमाने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

(घ) केन्द्रीय भेड़ और अनुसंधान संस्थान (सी. एस. डब्लू. आर. आई.) का कारपैट ऊन दौर काराकुल खाल उत्पादन प्रभाग सोवियत संघ से शुद्ध नस्ल और मोटे कारपैट ऊन वाली नस्ल के साथ संकरों की लाख उत्पादन के लिये गर्म शुष्क स्थितियों में कार्य निष्पादन क्षमता के मूल्यांकन पर अनुसंधान कर रहा है । वर्तमान समय में केन्द्रीय भेड़ और उन अनुसंधान संस्थान में परीक्षाओं से प्राप्त काराकुल मेमनों की खाल का निर्यात करने की योजना नहीं है ।

(ङ) जी नहीं, श्रीमन् ।

(च) प्रश्न नहीं उठता ।

केन्द्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान के फर पशु प्रजनन प्रभाग, गारसा में खरगोश के अतिरिक्त जिन्हें कि ऊन, मांस और फर चर्म के उत्पादन के लिये अनुसंधान के लिये रखा गया है, अन्य किसी प्रजाति की फर के लिये नहीं रखा जा रहा है ।

ऊन का आयात

136. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मुक्त रूप से ऊन के आयात के कारण देश में भेड़ पालन को क्षति पहुंची है :

(ख) यदि हां, तो देश में उपलब्ध ऊन तथा इसकी मांग कितनी है ; और

(ग) पिछले तीन वर्षों में कितनी ऊन का आयात किया गया है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन : (क) राज्य सरकार से ऐसी कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है कि ऊन के आयात से भेड़ प्रजनन कार्यक्रम पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है ?

(ख) कच्चे ऊन की अनुमानित देशी उपलब्धि 350 लाख किलोग्राम (1980-81) है । ऊन की अनुमानित मांग प्रति वर्ष 350 किलोग्राम है ।

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान कच्चे ऊन के आयात की मात्रा नीचे दी गई है :

वर्ष	मात्रा (लाख किलोग्राम में)
1979-80	131.55
1980-81 (अस्थायी)	150.00
जुलाई, 1981 से अप्रैल, 1982 तक	158.70

गांधी धाम काम्प्लेक्स में गेहूं की क्षति

137. **श्री जगपाल सिंह** :क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गांधी धाम काम्प्लैक्स में भण्डार में रखी गई 19.01 करोड़ रुपये की गेहूं में से क्षतिग्रस्त पाई गई गेहूं का मूल्य कितना है ;

(ख) क्या क्षतिग्रस्त गेहूं को पशुओं और मुर्गियों के चारे के रूप में बेचा गया था, और यदि हां, तो उसकी बिक्री से कितना धन प्राप्त हुआ ; और

(ग) गेहूं के क्षतिग्रस्त हो जाने के क्या कारण थे ?

कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में उपमन्त्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) 1976-77 से 1979-80 के दौरान गांधीधाम कैप (कवर तथा प्लिंथ) कम्पलेक्स में 63.50 करोड़ रुपये मूल्य का 5-08 लाख मीटरी टन गेहूं रखा गया था, जिसमें से 12.02 करोड़ रुपये मूल्य का 0.93 लाख मीटरी टन गेहूं क्षतिग्रस्त हुआ था ।

(ख) क्षति-ग्रस्त को मवेशी चारा / मुर्गीदाना/ खाद आदि के लिए बेच दिया गया था, जिसका मूल्य 6.57 करोड़ रुपये था ।

(ग) यह क्षति इसलिए हुई थी क्योंकि भण्डारित क्षेत्र में भारी वर्षा और बाढ़ आ गई थी ।

राष्ट्रीय जल विकास एजेन्सी की परियोजनाएं

138. **डा० वसन्त कुमार पंडित:**

श्री के० टी० कौसलराम : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी पंचवर्षीय योजना के शेष वर्षों के दौरान प्रायद्वीप नदी जल विकास के लिए राष्ट्रीय जल विकास एजेन्सी द्वारा सर्वेक्षण और जांच कार्य किये जाने हेतु कौन-कौन सी योजनायें बनाई गई हैं ;

(ख) 50.000 करोड़ रुपये की राष्ट्रीय भावी योजना के अन्तर्गत वर्ष 1982 से 1985 तक के लिए एजेन्सी हेतु कुल कितनी धनराशि का आबंटन किया गया है ;

(ग) मध्य प्रदेश राज्य में जल विकास के लिए कौन-कौन सी नदियां तथा जल शय-स्थलों का चयन किया गया है ;

(घ) मध्य प्रदेश को अतिरिक्त सिंचाई, भुजल में वृद्धि, बिजली उत्पादन तथा अन्तर्देशीय नौचालन की इस योजना के अन्तर्गत क्या लाभ होने का अनुमान है ; और

(ङ) जांच कार्य और सर्वेक्षण कार्य वस्तुतः कब शुरू हो जाएगा तथा वर्ष 1982 और 1983 के लिए क्या-क्या योजनायें बनाई गई हैं ;

सिंचाई मन्त्री (श्री केदार पाण्डे) : (क) से (ङ) सिंचाई मंत्रालय ने जल संसाधनों के लिए इस मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य के प्राद्वापीय नदी विकास संघटक हेतु सर्वेक्षण तथा अन्वेषण आरम्भ करने के लिए सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण को सोसायटी के रूप में जुलाई, 1982 में गठित किया है। प्रारम्भ में यह अभिकरण प्राद्वीपीय नदियों पर जल संचयनों के निर्माण तथा उन्हें परस्पर जोड़ने के लिए सर्वेक्षण तथा अन्वेषण आरम्भ करेगा। सर्वेक्षणों और अन्वेषणों की स्कीम पर लगभग 107 करोड़ रुपये लागत आने का अनुमान है और यह कार्य लगभग 7-10 वर्षों की अवधि में पूरा कर लिए जानेकी आशा है मुलतः, इस कार्य के लिए छठी पंचवर्षीय योजना में 30 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। मध्य प्रदेश में यमुना की कुछ दक्षिणी सहायक नदियों पर जल संचयन स्थलों के लिए अन्वेषण आरम्भ करने का प्रस्ताव है। मध्य प्रदेश में और उसके लिए सिंचाई और अन्य उपयोगों के लिए जल की उपलब्धता की मात्रा का राष्ट्रीय जल विकास अधिकरण द्वारा, जिसने अभी हाल में ही कार्य आरम्भ किया है, सर्वेक्षण और अन्वेषणों के पूराकर लिए जाने के बाद ही पता चलेगा ।

डी० डी० ए० द्वारा आबंटित प्लाटों / फ्लैटों के अन्तरण पर प्रतिबंध हटाना

139, **श्री कमल नाथ** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने प्लाटों अथवा फ्लैटों के अन्तरण के वर्तमान दस वर्ष के प्रतिबन्ध को समाप्त करके प्लाटों अथवा फ्लैटों को अंतरण करने के प्रतिबन्ध को हटाने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं ; और

(ग) ऐसा करने से दिल्ली में आवासीय गतिविधि को कहां तक प्रोत्साहन मिलेगा ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) तथा (ख) : सरकार ने निर्णय लिया है कि लोग दिल्ली विकास प्राधिकरण से खरीदे गये प्लाटों/फ्लैटों का 10 वर्ष की अवधि समाप्त होने से पहले हस्तान्तरण नहीं कर सकने, वाले वर्तमान प्रतिबन्ध को बने बनाये फ्लैटों और जिन प्लाटों पर फ्लैटों का निर्माण किया गया है, उनके मामलों में हटाया जाय। प्लाटों/फ्लैटों की अन्तरण की अन्य विद्यमान शर्तें लागू रहेंगी। दिल्ली विकास प्राधिकरण से प्लाटों/फ्लैटों को खरीदने की पात्रता मानदण्ड को इस आशय तक संशोधित किया जायेगा कि जिन व्यक्तियों को अन्य प्लाट/फ्लैट के आबंटन के लिए आवेदन की तारीख से पहले 10 वर्ष की अवधि के दौरान प्लाट-फ्लैट आबंटित किया गया है वे उसके लिए पात्र नहीं हों।

(ग) इस कदम से निजी आवास गतिविधियों में तेजी आने की आशा है परन्तु वास्तविक सीमा का पता कुछ समय बाद ही चल सकता है।

मत्स्य विकास निगम की स्थापना

140. **श्री राजेश कुमार सिंह :**

श्री सुभाष यादव :

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय स्तर पर मत्स्य विकास निगम स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो उस प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) यह कब तक स्थापित कर दिया जायेगा ; और

(घ) इस पर कितना वित्त खर्च होगा ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) से (घ) गहरे समुद्र में मत्स्य संसाधनों का उपयोग बढ़ाने के लिए अनेक प्रस्ताव तथा योजनाएं हैं, जिसमें राष्ट्रीय समुद्री मात्स्यिकी निगम स्थापित करने का प्रस्ताव भी शामिल है, इस बारे में अंतिम निर्णय अभी नहीं लिया गया है।

मयूर बिहार में चार मन्जिलें फ्लैटों का गिरना

141. **श्री राजेश कुमार सिंह** : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण कालोनी, मयूर बिहार के निर्माणाधीन चार मंजिले फ्लैटों का एक ब्लाक रहस्यमय ढंग से गिर गया था और डी० डी० ए० ने इसके गैर-सरकारी ठेकेदार को उसे पुनः बनाने के आदेश जारी किए हैं ; और

(ख) क्या सरकार का विचार मामले की जांच कराने का है और यदि नहीं तो तत्सम्बन्धी कारण क्या है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) तथा (ख) : सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

वृक्षों का अन्धाधुन्ध कटाव

142. **श्री राजेश कुमार सिंह** : क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल के एक प्रतिनिधि-मंडल ने हाल ही में, देश में वृक्षों के अन्धाधुंध कटाव के बारे में जिसका आस-पास के क्षेत्र का पर्यावरण और परिस्थिति पर प्रभाव पड़ रहा है एक ज्ञापन किया है ; और

(ख) यदि हां, तो देश में वृक्षों के अन्धाधुंध कटाव को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) केरल में वृक्षों की अन्धाधुंध कटाई के सम्बन्ध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ख) केरल सरकार से कहा है कि वह प्रचलित केन्द्रीय और राज्य अधिनियमों के अन्तर्गत कार्यवाही करे। राज्य सरकारें अपने-अपने राज्यों में वृक्षों की कटाई रोकने के लिये उत्तरदायी हैं। केन्द्रीय सरकार राज्य-सरकारों को कहती रही हैं कि जब कभी वृक्षों की अन्धाधुंध कटाई के मामले उनके नोटिस में आये वे उन पर उपयुक्त कार्यवाही करें।

भूमि सुधारों को लागू करना

143. **श्री राजेश कुमार सिंह** : क्या **ग्रामीण विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने हाल में देश के विभिन्न राज्यों के भूमि सुधारों में हुई प्रगति का कोई मूल्यांकन किया है ? और

(ख) यदि हां, तो तसंबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) और (ख) : विभिन्न राज्यों में राज्यों में भूमि सुधार उपायों के कार्यान्वियन में हुई प्रगति की नियमित रूप से पुनरीक्षा की जाती है ? भूमि की अधिकतम सीमा संबंधी संशोधित कानूनों के कार्यान्वियन में हुई राज्यवार प्रगति को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

(क्षेत्र एकड़ में)

राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र	संशोधित अधिकतम सीमा कानूनों के अन्तर्गत फालतू घोषित क्षेत्र	संशोधित अधिकतम सीमा कानूनों के अन्तर्गत कब्जे में लिया गया क्षेत्र	संशोधित अधिकतम सीमा के अंतर्गत वितरित क्षेत्र क्षेत्र	लाभभोगियों की संख्या
1	2	3	4	5
आन्ध्र प्रदेश	879,601	444,874	315,568	215,377
असम	584,592	507,186	321,886	253,513
बिहार	237,590	147,643	141,867	156,802
गुजरात	146,510	62,058	8,093	1,973
हरियाणा	28,231	19,192	19,092	5,534
हिमाचल प्रदेश	94,187	93,371	3,344	4,362
जम्मू और काश्मीर	—	—	—	—
कर्नाटक	282,078	121,536	69,833	14,885
केरल	122,802	8,047	53,198	86,207
मध्य प्रदेश	256,666	142,973	82,072	32,651
महाराष्ट्र	370,193	281,586	281,586	76,892
मणिपुर	1,029	36	—	—
उड़ीसा	137,231	122,092	103,974	79,343
पंजाब	46,616	16,260	12,926	3.067

1	2	3	4	5
राजस्थान	261,976	235,894	130,938	28,490
तमिलनाडु	81,134	77'781	60,649	40,881
त्रिपुरा	1,827	1,623	1,210	1,047
उत्तर प्रदेश	284,215	261,885	233,921	190,844
पश्चिम बंगाल	164,767	112,818	62,460	176,461
दादरा और नागर हवेली	8,958	6,079	3,378	1,484
दिल्ली	722	374	374	—
पाण्डिचेरी	2,560	1,046	906	1,012
योग :	39,94,075	27,37,354	19,07,275	13,70,825

मत्स्य पालन विकास एजेन्सी कार्यक्रम पर राष्ट्रीय व्यवहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद का प्रतिवेदन

144. **श्री कुम्भाराम आर्य** : कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय व्यवहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद ने मत्स्य पालन विभाग ऐजेंसी कार्यक्रम के मूल्यांकन पर अपना प्रतिवेदन कब पेश किया था ;

(ख) प्रतिवेदन में की गई मुख्य-मुख्य सिफारिशें क्या हैं ; और

(ग) सिफारिशों पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) राष्ट्रीय व्यवहारिक अर्थ अनुसंधान परिषद ने "मछुआ विकास एजेंसी कार्यक्रम के मूल्यांकन" से सम्बन्धित अपनी अंतिम रिपोर्ट नवम्बर, 1980 में पेश की ।

(ख) रिपोर्ट में निम्नलिखित मुख्य सिफारिशें हैं :

(1) प्रत्येक मछुआ विकास एजेंसी में एक डिम्पोना फार्म का प्रावधान ।

(2) सम्पूर्ण देश में जल क्षेत्रों को पट्टे पर देने के लिए समान नीति अपनाना ।

(3) सभी राज्य सरकारों को मछुआ विकास एजेंसियों द्वारा व्यवस्था किए गए संस्थागत ऋणों की जिम्मेदारी लेना।

(4) आदानों को खरीदने के लिए सहायता के विद्यमान स्तर (1250 रुपये प्रति हैक्टार) को बढ़ाकर कम से कम 2000 रुपये प्रति हैक्टार करना।

(5) डिम्पोना पर राजसहायता की विद्यमान दर (25 प्रतिशत) से बढाकर चालू परियोजनाओं पर दी जाने वाली राजसहायता के बराबर करना।

(6) मछुआ प्रशिक्षणार्थियों को दिये जाने वाले दैनिक भत्ते में वृद्धि।

(7) पकड़ी गई मछलियों के समुचित विपणन के लिए प्रत्येक मछुआ विकास एजेंसी में मत्स्य विपणन समितियों का संगठन।

(8) मछुआ विकास एजेंसी की स्थापना की मूल लागत राज्य सरकारें वहन कर सकती हैं।

(9) उन चुनींदा संभाव्य क्षमता वाले जिलों में नई मछुआ विकास एजेंसियों की स्थापना करना, जहां मछुआ विकास एजेंसियों ने तुलनात्मक रूप से बेहतर कार्य किया है।

(ग) जलकृषि विकास योजना को संशोधित कर दिया गया है, जिसमें राष्ट्रीय व्यवहारिक अर्थ अनुसंधान परिषद की अधिकांश सिफारिशों को शामिल कर लिया गया है। अन्तर्देशीय मात्स्यकी परियोजना से सम्बन्धित विश्व बैंक परियोजना के अंतर्गत के क्षेत्रों के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में मछुआ विकास एजेंसियों से सम्बन्धित संशोधित योजना की मुख्य बातें निम्नलिखित है:

(1) उन सभी मछुआ विकास एजेंसियों, जिनके डिस्पोना फार्म नहीं है, के लिए डिम्पोना फार्म स्वीकृति किए गए हैं, ताकि वे डिम्पोना से सम्बन्धित अपनी मांग कर सकें।

(2) आदानों को खरीदने के लिए सहायता के विद्यमान स्तर (12501 रुपये प्रति हैक्टार) को बढ़ाकर 2000 रुपए प्रति हैक्टार कर दिया गया है।

(3) मछुआ प्रशिक्षणार्थियों को दिए जाने वाले दैनिक भत्ते को 5 रुपये प्रतिदिन से बढ़ाकर के 9 रुपए प्रतिदिन कर दिया गया है।

(4) सहायता के प्रतिमान में संशोधन कर दिया गया है। केन्द्रीय सहायता को केवल बढ़ने वाले कर्मचारियों के व्यय तथा विकासात्मक खर्चे के एक भाग को पूरा करने के लिए सीमित किया गया है।

(5) नई मछुआ विकास एजेंसियां स्वीकृत की गई हैं।

तिलहन उत्पादन सहकारी समितियों की स्थापना

145. **श्री कुम्भाराम आर्य** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तिलहन उत्पादक सहकारी समितियों को कितने और किन स्थानों पर स्थापना की जा चुकी है और उनके नाम क्या है ;

(ख) क्या तिलहन उत्पादक सहकारी समितियों की स्थापना के सम्बन्ध में कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है :

(ग) यदि हां, तो क्या तदनुसार समितियों की स्थापना की जा रही है ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालयों मे उप मन्त्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) से (ख) कोई तिलहन उत्पादक सहकारी समितियां स्थापित नहीं की जा रही हैं। तथापि, तिलहन उत्पादक सहकारी समितियां मध्य प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु ,आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र तथा उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में संगठित की जा रही हैं। ये सहकारी समितियां सम्बन्धित राज्यों के सहकारी विभागों के अधिकारियों द्वारा पंजीकृत की जा रही हैं।

खाद्य तेल तथा तिलहन उत्पादन तथा विपणन पुनः संरचना ; परियोजना के तहत जो राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड के माध्यम से क्रियान्वित की जा रही है, गुजरात में 971, तमिलनाडु में 54 तथा मध्य प्रदेश में 91 ग्राम स्तर की तिलहन उत्पादको की सहकारी समितियां संगठित की गई हैं। राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड परियोजना, 1979 में शुरू की गई थी और यह 7 वर्ष की अवधि में क्रियान्वित की जाती है और उन राज्यों, जहां क्रियान्वियन सम्बन्धी कार्य पहले ही शुरू किया गया है, में इस प्रकार की सहकारी समितियों के सगठन के लिए लक्ष्य तैयार किए गए हैं।

उपरोक्त बातों के अतिरिक्त, राष्ट्रीय सहकारी विकास नियम द्वारा वित्तिय सहायता प्राप्त सोयाबीईन परियोजना के तहत मध्य प्रदेश के औरंगाबाद जिले में सिहोनी माल्वा सहकारी परियोजना के स्रवण क्षेत्र में और मध्य प्रदेश के सिहोर तथा उत्तर प्रदेश के नैनीताल जिले के हल्दवानी में इसी प्रकार की परियोजना में भी तिलहन उत्पादक सहकारी समितियां स्थापित की जानी हैं।

मुर्गी पालन विभाग निगम की स्थापना

146 . **श्री कुम्भा राम आर्य** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मुर्गी पालन विकास निगम की स्थापना करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ; और

(ख) यह कब से काम करना आरम्भ कर देगा ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) तथा (ख) भारतीय मुर्गी विकास निगम की स्थापना करने सम्बन्धी प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही है और आशा है कि निकट भविष्य में इस मामले में निर्णय ले लिया जाएगा।

रूस से गेहूं का आयात

147. **श्री बाला साहिब विखे पाटिल** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने रूस से 2.5 मिलियन टन गेहूं का आयात करने का निश्चय किया है ;

(ख) यदि हां, तो आयात करने के क्या कारण हैं और इस पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च होगी ;

(ग) रूस और रोमानिया को हमारे यहां निर्यात किये जाने वाले चावल से गेहूं के इस आयात पर खर्च होने वाली कितनी विदेशी मुद्रा का भार कम होगा ; और

(घ) देश में गेहूं का वर्तमान रक्षित भण्डार वर्ष 1982 की वसूली की तुलना में कितना है और वर्ष 1982 के दौरान इसे किस प्रकार बनाया जायेगा ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में उप मन्त्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) जी नहीं । सोवियत संघ से गेहूं का कोई आयात करने की परिकल्पना नही की गई है ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

(घ) देश में सरकारी एजेंसियों के पास 1.9.1982 को लगभग 91.8 लाख मीटरी टन गेहूं का स्टाक होने का अनुमान है । लेकिन चालू विपणन मौसम (1982-83) में 25.9.1982 तक गेहूं की वसूली अनुमानतः 77 लाख मीटरी टन हुई थी । स्टाक में और वृद्धि करने की दृष्टि से सरकार ने संयुक्त राज्य अमेरिका से 24.95 लाख मीटरी टन गेहूं का आयात करने का हाल ही में ठेका किया है ।

कर्नाटक के समुद्र तटीय जिलों में बाढ़

148. **श्री के० मालन्ना** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि कर्नाटक के समुद्र तटीय जिलों में अत्यधिक बाढ़ को देखते हुए जिसमें करोड़ों रुपए की सम्पत्ति के नुकसान के अतिरिक्त बहुत-सी जानें चली जाती हैं लोग इस प्राकृतिक आपदा का स्वयं मुकाबला करने की तैयारी कर रहे हैं ;

(ख) क्या कर्नाटक सरकार ने इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार को कहा है ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में दी गई केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) कर्नाटक सरकार से प्राप्त हुए ज्ञापन के अनुसार दक्षिण कन्नड़, उत्तर कन्नड़, शिमोगा, चिक्मगलूर और धारवाड़ जिले बाढ़ों से प्रभावित हुए हैं । बाढ़ से होने वाली क्षति नीचे दी गई

प्रभावित फसल क्षेत्र	1.03 लाख हैक्टार
प्रभावित जन संख्या	1.50 लाख
मृत्तकों की संख्या	16
मारे गये मवेशियों की संख्या	31
पूर्णतः और आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए मकानों की संख्या	9160

(ख) कर्नाटक सरकार ने प्रभावित लोगों की राहत और पुनर्वास और क्षतिग्रस्त सम्पत्तियों की मरम्मत और उसे फिर से ठीक-ठाक करने की व्यवस्था करने के लिए 1981-00 लाख रुपये की केन्द्रीय सहायता देने का अनुरोध करते हुए एक ज्ञापन भेजा है ।

(ग) यह अनुरोध विचाराधीन है ।

वर्ष 1982-83 के लिए सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम के लिए धनराशि का आबंटन

149. **श्री बी० वी० देसाई** : क्या ग्रामीण विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने वर्ष 1982-83 के लिए सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम के लिए 40 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित की है,

(ख) क्या यह कार्यक्रम 13 राज्यों के 74 जिलों के 557 ब्लाकों में चल रहा है,

(ग) क्या यह भी सच है कि प्रत्येक ब्लाक को 15 लाख रुपये की धनराशि दी गई है जिसे केन्द्र तथा राज्य सरकार समान रूप से बांटेंगे,

(घ) इस धनराशि में से अब तक कितनी धनराशि खर्च की गई है,

(ङ) क्या राज्य सरकारों ने भी इस प्रयोजन हेतु कार्यक्रम के अनुसार धनराशि उपलब्ध कराई है, और

(च) यदि हां, तो इस कार्यक्रम के अन्तर्गत अब तक किन-किन ब्लाकों को लाया गया है और कितने ब्लाक अभी शेष रहते हैं ?

कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी हां ।

(ख) व (च) यह कार्यक्रम 13 राज्यों के 69 जिलों में 310 खण्डों में चल रहा है । इससे पहले यह कार्यक्रम 13 राज्यों के 74 जिलों में 557 खण्डों में चल रहा था । इस कार्यक्रम के अन्तर्गत लिए गए खण्डों के नाम विवरण में दिए गए हैं ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 5419/82]

(ग)) जी हां।

(घ) और (ङ) चालू वर्ष के दौरान राज्य सरकारों को इस कार्यक्रम के लिए अभी तक 13.58 करोड़ रुपये की केन्द्रीय निधियां बंटित की गई हैं। राज्य सरकारों से इस कार्यक्रम के लिए तत्काल अपना बराबर का अंशदान सुलभ करने की आशा है।

उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में खरीफ की फसल के उत्पादन तथा खरीद के लक्ष्य में कमी

150. **श्री बी० वी० देसाई :**

श्री पी० एम० सईद : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने यह सूचित किया था कि इस मौसम में खरीफ की फसल लक्ष्य से 25 प्रतिशत कम होगी ;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके कारणों का मूल्यांकन किया गया है ;

(ग) यदि हां, तो अकेले उत्तर प्रदेश में खरीफ की फसल के उत्पादन में कितनी कमी होने की संभावना है ;

(घ) क्या यह भी सच है कि बिहार, मध्य प्रदेश तथा उड़ीसा में भी वही समस्या है ;

(ङ) यदि हां, तो क्या हाल ही में खरीफ की फसल को भारी क्षति पहुंची है ; और

(च) यदि हां, तो इस वर्ष खरीफ की फसल का उत्पादन लक्ष्य से कितना कम है और इस स्थिति से निपटने के लिए क्या अग्रिम कार्यवाही की गई है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्रालयों मे राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) से (च) उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश तथा उड़ीसा राज्य सूखा तथा बाढ़ से विभिन्न मात्रा में प्रभावित हुए हैं। खरीफ के उत्पादन के सम्बन्ध में अभी राज्यों के अनुमान प्राप्त नहीं होने हैं। तथापि सूखा और हाल में आई बाढ़ को देखते हुए इन राज्यों में, विशेषकर उत्तर प्रदेश, बिहार तथा उड़ीसा में, खरीफ की फसल के उत्पादन में कुछ कमी आने की संभावना है। इस वर्ष खरीफ के अखिल भारतीय उत्पादन में लक्ष्य की तुलना में कमी आने की संभावना है।

स्थिति का मुकाबला करने के लिए सरकार द्वारा किए गए अन्य उपायों के साथ-साथ निम्नलिखित कदम भी उठाए गए हैं :

(1) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए खाद्यान्नों की पर्याप्त सप्लाई को सुनिश्चित करना।

(2) योजनाबद्ध तरीके से पानी को छोड़ने तथा सिंचाई जल के बेहतर प्रबन्ध के जरिए

और उपयुक्त फसल आयोजना तथा प्रति हैक्टार उर्वरकों की खपत बढ़ाकर सिंचित क्षेत्र की उत्पादकता को बढ़ाने के प्रयास करना।

(3) प्रभावित क्षेत्रों में किसानों द्वारा दलहन, तिलहन तथा मोटे अनाज जैसी कम नुकसान वाली फसलों को लगाकर खरीफ की क्षति को कम करने के लिए वैकल्पिक फसल लगाने से सम्बन्धित नीति को विस्तार तन्त्र के जरिए बढ़ावा देना।

(4) किसानों को आदानों की उपलब्धित सुनिश्चित करना।

(5) सिंचाई पम्प सैटों के लिए डीजल तथा विद्युत उपलब्ध कराने के लिए प्रबन्ध करना।

(6) नलकूपों की मरम्मत और उनका रख-रखाव।

(7) सूखे से प्रभावित क्षेत्रों में ऋण की उपलब्धि तथा अल्पावधि-ऋणों को मध्यावधि ऋणों में बदलने की व्यवस्था को सुनिश्चित करना।

(8) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के तहत रोजगार पैदा करने वाली योजनाओं का आयोजना करना।

गन्ने की बकाया राशियों का परिसमापन

151. **श्री बी० बी० देसाई :**

श्री एम० बी० चन्द्रशेखर मूर्ति : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गन्ने की बकाया राशियां, जो 250 करोड़ रुपये से अधिक हो गई थीं, अब कम होकर 125 करोड़ रुपए हो गई है ;

(ख) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने गत वर्ष की 370 करोड़ रुपए की सीमा की तुलना में ऋण सीमा 525 करोड़ रुपए तक बढ़ा दी है ;

(ग) क्या इन बकाया राशियों को अक्तूबर से पहले चुका देना सम्भव होगा ;

(घ) क्या उद्योग ने गन्ने की बकाया राशियां स्वीकृत करने हेतु समूची बिक्री राशि को अब तक वितरित कर दिया है और अब उद्योग को परिमापन की गम्भीर समस्या का सामना करना पड़ रहा है ;

(ङ) क्या चीनी उद्योग ने भारतीय रिजर्व बैंक से सिमान्त धनराशि अनुपात को 25 प्रतिशत से कम करके 15 प्रतिशत करने को कहा है जैसा कि 1979 में था ; और

(च) यदि हां, तो क्या भारतीय रिजर्व बैंक इस प्रस्ताव पर सहमत हो गया है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में उप मन्त्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क)

31.8.1982 को चीनी मिलों द्वारा उत्पादकों को देय गन्ना की बकाया राशि 98.90 करोड़ रुपये थी।

(ख) चीनी उद्योग की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारत के रिजर्व बैंक ने फैक्ट्रियों की ऋण सीमा को बढ़ाकर उनके गत वर्ष के अधिकतम स्तर की प्राप्तियों का 125 प्रतिशत कर दिया था। इसके अलावा; और भी बैंक ऋण मन्जूर करने के लिए व्यक्तिगत मामलों पर गुण-दोष के आधार पर विचार किया गया है।

(ग) सांविधिक उपबन्धों के अनुसार गन्ने की देयराशि का भुगतान गन्ने की खरीददारी के 14 दिन के अन्दर करना होता है, जिसके न करने पर गन्ना उत्पादकों को 15 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज देना होता है।

(घ) बिक्री से प्राप्त राशि का केवल गन्ने के मूल्य का भुगतान करने के लिए उपयोग नहीं किया जाता अथवा ऐसा करना अपेक्षित भी नहीं है। निम्नलिखित उपाय करने से उद्योग की भुगतान करने की स्थिति में सुधार हुआ है :

(1) बैंक ऋण सीमा में वृद्धि करना ;

(2) बैंक मार्जिन में कमी करना ;

(3) जरूरत मन्द मामलों में पिराई कार्य प्रारम्भ करने के लिए प्रति यूनिट 25 लाख रुपए तक बैंक उधार उपलब्ध करना।

(ङ) और (च) उद्योग अभ्यावेदन देने पर बैंक मार्जिन को 25 प्रतिशत से घटाकर 20 प्रतिशत कर दिया गया है।

एशियाड 82 सम्बन्धी परियोजनाओं का कार्य पूरा किया जाना

152. **श्री कृष्ण चन्द्र पाण्डे** : क्या खेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि "एशियाड" 82 परियोजनाओं का कार्य समय पर पूरा नहीं हो पाया है हालांकि उन पर होने वाला खर्च मूल अनुमानों से कहीं अधिक बढ़ गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके लिए कौन से अधिकारी उत्तरदायी हैं और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

पूर्ति मंत्रालय के तथा खेल विभाग के राज्य मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) विभिन्न निर्माण एजेन्सियों से प्राप्त सूचना के अनुसार एशियाड परियोजनाएं या तो पूरी हो चुकी हैं या पूरी होने वाली हैं और ये 1982 के एशियाई खेलों के लिए समय पर तैयार हो जायेंगी।

एशियाई खेल, 1882, पर सरकार द्वारा वहन किया जाने वाला कुल अनुमानित व्यय 54.83 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया था जो नवम्बर 1980 में स्वीकृत किया गया था।

वर्तमान संकेतों के अनुसार, एशियाई खेल, 1982 की तैयारी तथा संचालन पर 7.21 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि-खर्च होने की संभावना है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

भूमि अग्रिहण संशोधक विधेयक,1982 में संशोधन पर बिचार करने हेतु राज्यों के मंत्रियों की बैठक

153. **श्री ई० बालानन्दन** : क्या ग्रामीण विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भूमि अधिग्रहण संशोधन विधेयक 1982 में प्रस्तावित संशोधनों पर विचार करने के लिए हाल में नई दिल्ली में हुई राज्यों के मन्त्रियों की बैठक के क्या परिणाम निकले; और

(ख) राज्य-वार राज्य मन्त्रियों द्वारा उठाई गई मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) और (ख) राज्यों के राजस्व मंत्रियों की बैठक में भूमि अधिग्रहण (संशोधन) विधेयक के बारे में अनौपचारिक रूप से विचार-विमर्श किया गया था। इस प्रकार के विचार-विमर्शों के राज्यवार कार्यवृत्त रखने की पद्धति नहीं है।

केरल के कुछ नगरों को लघु तथा मध्यम श्रेणी के नगरों की समेकित विकास योजना में शामिल करना

154. **श्री ई० बालानन्दन** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केरल सरकार ने लघु तथा मध्यम श्रेणी के नगरों की समेकित विकास योजना में पेरुम्बावूर, अलवाई परौद और मुआतुपुझ नगरों को शामिल करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो कब, और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) जनवरी, 1980 में।

(ग) छोटे तथा मध्यम दर्जे के नगरों के विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत केरल को 9 नगरों का आवंटन किया गया है। राज्य सरकार द्वारा भेजी गई 9 नगरों की परियोजनाओं रिपोर्टों को सहातार्थ अनुमोदित कर दिया गया है। वर्तमान कार्यक्रम ने पैराम्बूर,अलवाई, पराउर और मुआ-

तुपुझा अतिरिक्त नगरों को शामिल करना सम्भव नहीं पाया गया है।

केरल में 'कल्लूबेटूटा कुजी' वन क्षेत्र से निष्कासितों का पुनर्वास

155. **श्री बालानन्दन** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केरल सरकार ने 'कल्लुबेटूटा कुजी' वन क्षेत्र के 277 परिवारों के पुनर्वास की अनुमति दिए जाने का अनुरोध किया है। क्योंकि उन्हें जलाशय के जल प्रसार क्षेत्र से निकाला जाता है ;

(ख) यदि हां, तो यह अनुरोध कब किया था ; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी, हां

(ख) केरल सरकार ने यह मामला 29.4.1981 को भेजा था।

(ग) यह मामला केन्द्र सरकार द्वारा मंजूर कर दिया गया है। केरल सरकार वैकल्पिक भूमि का पता लगाने की कोशिश कर रही है।

नई दिल्ली के लिए एशियाड खेलों के टिकटों का कोटा

156. **श्रीमती प्रमिला दंडवते** : क्या खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एशियाई खेल आयोजन समिति ने आगामी "एशियाड" खेलों के लिए टिकट जारी किए हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि नई दिल्ली में विशेष बिक्री काउन्टर का कोटा पचास मिनट में ही बिक गया था ;

(ग) यदि हां, तो क्या आयोजन समिति के चेयरमैन ने इन शिकायतों की जांच की है ;

(घ) क्या जांच के दौरान टिकटों के अवैध मुद्रण और वितरण का पता लगा है ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

पूर्ति मंत्रालय के तथा खेल विभाग के राज्य मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

महाराष्ट्र को सूखा राहत

157. **श्रीमती प्रामला दण्डवते** : क्या कृषमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र सरकार को अकाल और सूखा राहत कार्यक्रम के लिए 25 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए है ;

(ख) यदि हां, तो यह स्वीकृति किस आधार पर दी गई है ;

(ग) क्या महाराष्ट्र के अकाल और सूखाग्रस्त क्षेत्रों का किसी सरकारी विशेषज्ञ दल ने दौरा किया था ;

(घ) क्या महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकृत की गई धनराशि की अपर्याप्तता के बारे में कोई शिकायत की है ; और

(ङ) यदि हां, तो महाराष्ट्र सरकार को और भी अधिक धनराशि उपलब्ध कराने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता ।

(ग) अभी तक किसी केन्द्रीय दल ने दौरा नहीं किया । तथापि, राज्य सरकार के अनुरोध पर सूखे की स्थिति का मौके पर जायजा लेने के लिए एक केन्द्रीय दल शीघ्र ही महाराष्ट्र का दौरा करेगा ।

(घ) तथा (ङ) प्रश्न ही नहीं होता।

उचित दर की दुकानों के माध्यम से फंगस गुस्त आयातित गेहूं की सप्लाई

158. **श्रीमती प्रमिला दण्डवते** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजधानी में तथा देश के अन्य भागों में उचित दर की दुकानों के माध्यम से फंगस ग्रस्त आयातित गेहूं वितरित की गई है ;

(ख) क्या वितरकों को गेहूं धोने के अनुदेश जारी किए गये थे ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) फंगस से प्रभावित कोई गेहूं आयात नहीं किया गया था ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

पशु चारा उत्पादन

159. **श्री डी० पी० यादव** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में पशु चारे के उत्पादन के लिए कोई दीर्घ कालिक योजना तैयार की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) और (ख) सभी पशु विकास कार्यक्रमों में मिश्रित पशु चारे के प्रयोग का समर्थन किया जाता है। यद्यपि कुछ किसान विनिर्मित चारा का प्रयोग करते हैं तथापि अनेक किसान अपना चारा मिलाना पसन्द करते हैं। पशु चारा मांग के अनुसार सार्वजनिक सहकारी तथा निजी क्षेत्रों में विनिर्मित किया जाता है।

गहन पशु विकास परियोजना में पशु आहार उत्पादन को प्रोत्साहन दिया गया है। आपरेशन फलड कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रति दिन 100 मीटरी टन की क्षमता वाले अनेक बड़े आकार के संयंत्र स्थापित किये गये हैं। ऐसे 14 संयंत्र पहले से ही कार्य कर रहे है तथा आपरेशन फलड 2 के अन्तर्गत 16 अन्य संयंत्रों को स्थापित किये जाने पर विचार किये जाने का प्रस्ताव है। सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम तथा मरु विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत भी कुछ आहार संयंत्र स्थापित किये गये हैं।

बिहार के मूंगेर जिले की भू-क्षमता का मूल्यांकन

160. **श्री डी० पी० यादव** : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के मूंगेर जिले की भूमि जल-क्षमता का पता लगाने के लिए अध्ययन किया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई मन्त्री (श्री केदार पाण्डे) : (क) और (ख) केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड ने मुंगेर जिले में क्षेत्रीय जल भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण आरम्भ किए हैं। इस जिले के कुल 7,927 वर्ग कि० मी० क्षेत्र में से, 7,600 वर्ग कि० मी० क्षेत्र इन क्षेत्रों के अन्तर्गत आ गया है। इन अध्ययनों के आधार पर इस जिले में वार्षिक आपूरणीय भूमिगत जल क्षमता 1,239 मिलियन घन मीटर आंकी गई है। विकास का वर्तमान स्तर 317 मिलियन घन मीटर है जिससे शेष 922 मिलियन घन मीटर भूमिगत जल का और आगे विकास किया जाना होगा।

राजस्थान में सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम

161. **श्री मूलचन्द डागा** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान के उन जिलों के नाम क्या हैं जहां धनराशि के आवंटन के बाद सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम चलाए गए हैं,

(ख) इस काम के लिए केन्द्र सरकार कितने प्रतिशत धनराशि देगी तथा राज्य सरकार कितने प्रतिशत धनराशि देगी, और

(ग) क्या पाली जिले में सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत कोई परियोजना चलाई गई है अथवा पूरी कर ली गई है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उस पर कितनी धनराशि खर्च हुई है और वर्षा के कारण उनमें से कितनी अभी शेष बची हैं।

कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर०वी० स्वामीनाथन) : (क) सूखाग्रस्त कार्यक्रम के अन्तर्गत अब राजस्थान के अजनेर, बांसवाड़ा, डुंगरपुर तथा उदयपुर जिलों के 18 खण्डों को लिया गया है।

(ख) कार्यक्रमों के लिए निधियों का आवंटन प्रति वर्ष प्रति खण्ड 15 लाख रुपए की दर से किया गया है। 50 प्रतिशत निधियां केन्द्र सरकार द्वारा दी जाती हैं तथा शेष 50 प्रतिशत निधियां राज्य सरकार द्वारा वहन की जाती हैं।

(ग) पाली जिले में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 1974-75 से लेकर 1981-82 के दौरान 6.74 करोड़ रुपए का व्यय किया गया था। इस कार्यक्रम के मुख्य घटक ये हैं — लघु सिंचाई, भू-संरक्षण, पशुपालन, वनरोपण तथा चरगाह विकास। इस कार्यक्रम की मुख्य मदों के बारे में भौतिक उपलबधियां निम्न प्रकार है :—

मुख्य सूचक	भौतिक उपलब्धिया
1	2
1. भूमि तथा नमी संरक्षण ('000 हैक्टेयर)	68.9
2- सिंचाई संभाव्यता का सृजन ('000 हैक्टेयर)	4.7
3. वनरोपण तथा चारागाह विकास ("000 हैक्टेयर)	5.1
4. स्थापित की गई दुग्ध सोसायटियों की संख्या (संख्या)	113
5. स्थापित की गई भेड़ सोसाायटियों की संख्या (संख्या)	17

सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्षा के कारण बह गए किसी भी कार्य के बारे में रिपोर्ट इस मंत्रालय को प्राप्त नहीं हुई है।

खेलों का स्तर

162. **श्री मूलचन्द डागा** : क्या खेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत एक विशाल देश होने के बावजूद इसके खेलों के क्षेत्र में पिछड़ा होने के क्या कारण हैं ;

(ख) इस कमी को दूर करने के लिए क्या योजना तैयार की गई है तथा छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान खेलों पर कितना धन खर्च किए जाने की संभावना है तथा सरकार इस लक्ष्य को कहां तक प्राप्त कर सकेगी ; और

(ग) क्या सरकार कोई राष्ट्रीय खेल नीति तैयार करेगी और उसे सभा पटल पर रखेगी ; और यदि हां, तो कब तक ?

पूर्ति मन्त्रालय के तथा खेल विभाग के राज्य मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) खेलों के क्षेत्र में भारत के पिछड़े होने के निम्नलिखत कारण हैं :—

(1) खेलों में भाग लेने के लिए देश में अपर्याप्त सुविधाएं ;

(2) संगठित खेल में भारी संख्या में हमारे युवाजनों का भाग न लेना ;

(3) सामान्यतः व्यापत गरीबी के कारण युवा वर्ग को उपलब्ध घटिया दर्जे का पोषण आहार ;

(4) खेलों के प्रोत्साहन के लिए उपलब्ध सीमित निधियां,

(5) स्वायत्ता शासी खेल संगठनों में आन्तरिक विवाद ;

(6) उत्कृष्ट खिलाड़ियों को अद्यतन वैज्ञानिक सहायता की कमी ; और

(7) औसत खिलाड़ियों के लिए अपर्याप्त प्रशिक्षण सुविधाएं ।

(क) इन कमियों को दूर करने के लिए केन्द्र सरकार ने कई योजनाएं तैयार की हैं, जो इस प्रकार है :—

(1) राज्य खेल परिषदों/राज्य सरकारों को ग्रामीण खेल केन्द्र स्थापित करने, वार्षिक प्रशिक्षण शिविर आयोजित करने, खेल के मैदानों का विकास करने, गैर खर्चीले किस्म के खेल उपकरों की खरीद, स्टेडियमों तथा तरण ताल इत्यादि के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता।

(2) खेल प्रतिभा खोज छात्रवृत्ति योजना के माध्यम से खेलों में प्रतिभाशाली खिलाड़ियों का पता लगाने के लिए राज्यों को सहावता।

(3) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और भारतीय विश्वविद्यालय संघ के माध्यम से कालेजों और विश्वविद्यालयों में खेलों को प्रोत्साहित करने, खेल के मैदानों का विकास करने, व्यामशालाओं के निर्माण और प्रशिक्षण-एवं-प्रतियोगिता शिविर आयोजित करने के लिए वित्तीय सहायता देना।

(4) राष्ट्रीय स्तर पर ग्रामीण खेल टूर्नामेंट आयोजित करना और निचले स्तर पर ऐसे टूर्नामेंट आयोजित करने के लिए राज्य सरकारों को सहायता देना।

(5) वार्षिक रूप से राष्ट्रीय महिला खेल समारोहों तथा उसके बाद निचले स्तर पर ऐसे ही समारोहों का आयोजन करना।

(6) लोगों में शारीरिक स्वास्थ्य और स्वास्थ्य संबंधी चेतना को प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय शारीरिक स्वास्थ्यता कार्यक्रम आयोजित करना।

(7) योग में अनुसंधान और/अथवा शिक्षक प्रशिक्षण (चिकित्सीय पहलुओं के अलावा) कार्यक्रमों को प्रोत्साहन देने के लिए वित्तीय सहायता।

(8) प्रशिक्षण शिविर आयोजित करने के लिए राष्ट्रीय, खेल फेडरेशनों/संघों को अनुदान विदेशों का दौरा करने वाली टीमों के लिए किराया देना, भारत आने वाली टीमों के लिए वित्तीय सहायता, राष्ट्रीय चेम्पियनशिप, सहायक सचिवों के वेतन खेल उपस्करों की खरीद इत्यादि के लिए वित्तीय सहायता।

(9) उत्कृष्ट पुरूष और महिला खिलाड़ियों को प्रत्येक वर्ष उनके प्रदर्शन के आधार पर अर्जुन पुरस्कार दिए जाते हैं। प्रत्येक पुरस्कार प्राप्तकर्त्ता को दो वर्ष की अवधि के लिए 200/-रु० प्रतिमाह छात्रवृत्ति दी जाती है।

(10) उपर्युक्त बातों के अतिरिक्त, केन्द्र सरकार ने शारीरिक शिक्षा और खेलों के क्षेत्र में ऊंची योग्यता वाले खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने की दृष्टि से शारीरिक शिक्षा और खेलों के क्षेत्र दो राष्ट्रीय संस्थान भी स्थापित किए हैं।

(11) केन्द्र सरकार ने खेलों और शारीरिक शिक्षा को प्रोत्साहन देने से सम्बन्धित मामलों पर सलाह देने के लिए सलाहकार निकायों का भी गठन किया है। यद्यपि अखिल भारतीय खेल के प्रोत्साहित करने से सम्बन्धित सभी मामलों में राष्ट्रीय स्तर पर एक सलाहकार निकाय के रूप में कार्य करती है, जबकि राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा और खेल संस्थानों की सोसायटी (स्नाइप्स) भी शारीरिक शिक्षा और योग की प्रोन्नति से सम्बन्धित मामलों में एक सलाहकार निकाय के रूप में कार्य करती है।

छठी पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान इन योजनाओं पर 1200 लाख रुपये की राशि खर्च किए जाने की सम्भावना है। इसके अलावा चालू वर्ष में विभिन्न योजनाओं पर योजनेत्तर वार्षिक खर्च 175 लाख रुपए तक है, यह भी उल्लेखनीय है कि एशियाई खेलों पर खर्च, जिसकी मेजबानी भारत ने करने का निर्णय लिया है, इन आवंटनों के अलावा है। परिणामस्वरूप इन योजनाओं और

नौवें एशियाई खेलों के लिए निर्मित विभिन्न सुविधाओं को देखते हुए भविष्य में खेलों के क्षेत्र में तेजी से प्रगति होने ही सम्भावना है।

(ग) अखिल भारतीय खेल परिषद द्वारा राष्ट्रीय खेल नीति का प्रारूप पहले ही तैयार किया जा चुका हैं जिसे राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों के परामर्श से अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

समुद्र में मछलियों का पकड़ा जाना

163. **श्री आर० एन० राकेश** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि देश भर में समुद्र में पकड़ी जाने वाली मछलियों की संख्या में कमी हुई है, और यदि हां, तो इसके क्या कारण है (इन्डिया टूडे, दिनांक 31-7-1982) ;

(ख) क्या यह सच है कि 13 बड़े औद्योगिक गृहों, जिनके पास आयातित अथवा किराए की मत्स्य नौकाएं थी ; ने अपने मछली पकड़ने सम्बन्धी कार्यकलाप बन्द कर दिए हैं ;

(ग) क्या कृषि मन्त्रालय तथा केन्द्रीय सामुद्रिक मत्स्य अनुसंधान संस्थान ने एक ही अवधि के लिए मछली पकड़ने सम्बन्धी भिन्न-भिन्न आंकड़े प्रस्तुत किये हैं ; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा और कारण क्या हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) (ग) और (घ) राज्य सरकारों से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर समुद्र में पकड़ी गयी मछलियों की मात्रा के संगठित आंकड़ों से पता चलता है कि मत्स्य उत्पादन में वृद्धि हुई है। गत तीन वर्षा के दौरान मछली का उत्पादन नीचे दिया गया है:

वर्ष (लाख मीटरी टन)

समुद्री मछली का उत्पादन

	राज्य सरकारों के अनुमान	केन्द्रीय समुद्री मात्स्यकी अनुसन्धान संस्थान के अनुमान
1978	14.90	14.04
1979	14.92	13.88
1980	15.48	12.50

केन्द्रीय समुद्री मत्स्यकी अनुसन्धान संस्थान तथा राज्य सरकारों द्वारा भेजे गये अनुभावों में विषमता पायी गयी है। यह विषमता केन्द्रीय समुद्री मात्स्यकी अनुसंधान संस्थान तथा राज्य सरकारों

द्वारा आंकड़े एकत्र करने में प्रयोग किये गये पृथक-पृथक तरीकों को अपनाने के कारण हुई है। तथापि, केन्द्रीय समुद्री मात्स्यकी अनुसन्धान संस्थान तथा राज्य सरकारों द्वारा आंकड़ों के संचयन के लिए समेकित सर्वेक्षण विधि अपनाकर इन अनुमानों में समान्ता लाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

(ख) 13 कम्पनियों में से 7 कम्पनियों ने न तो आयात किया और न किसी ट्रालर को किराये पर ही लिया, शेष छः गृहों में से एक ने जलयानों को इसकी कम्पनी को हस्तान्तरित कर दिया अन्य 5 कम्पनियों ने हस्तान्तरण या बन्द करने के लिए सरकार से कोई सम्पर्क स्थापित नहीं किया है।

भूमि कटाव रोकने के उपायों पर खर्च की गई धनराशि

164. **श्री सुधीर गिरि :** क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले तीन वर्षों में भूमि कटाव रोकने के उपायों पर वर्ष वार कितनी धनराशि खर्च की गई है ?

सिंचाई मन्त्री (श्री केदार पाण्डे) : केन्द्रीय सरकार के पास अब तक उपलब्ध सूचना के आधार पर, वर्ष 1979-80 तथा 1980-81 के दौरान कटाव-रोधी उपायों पर किया गया खर्च क्रमशः 4073 लाख रुपये और 5310 लाख रुपये था और 1981-82 के दौरान इन निर्माण कार्यों पर संभावित खर्च 5586 लाख रुपये हैं।

चीनी का रक्षित भण्डार

165. **श्री सुधीर गिरि :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 5 लाख टन चीनी का रक्षित भंडार बनाने के प्रस्ताव को अन्तिम रूप दे दिया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है, और

(ग) इस प्रयोजन के लिए कितनी धनराशि की आवश्यकता है और वह किन-किन साधनों से आयेगा ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में उप मंत्री (श्री कुमारी कमला कुमारी) : (क) जी नहीं।

(ख) : आरम्भ में 5 लाख मीटरी टन चीनी का बफर स्टाक बनाने का निर्णय लिया गया है। यह बफर स्टाक चीनी वर्ष 1981-82 में उत्पादित मुक्त बिक्री की चीनी के भाग में से बनाया जायेगा। यह स्टाक चीनी मिलों के पास अलग से रखा जायेगा और प्रत्येक मिल का शेयर इसके उत्पादन के अनुपात में बांटा गया है। बफर स्टाक के प्रति बैंक 100 प्रति. तकऋण प्रदान करेंगे, स्टाक रखने के लिए 1.10.1982 से मिलों की उन्हें स्टाक रखने की लागत और टैरिफ मूल्य की तिमाही औसत के 19.5 प्रतिशत की दर से वास्तविक व्याज देकर भी क्षति पूर्ति की जाएगी। इस योजना को बनाये रखने और इसे स्वचित पोषक बनाने के लिए चीनी उपकर अधिनियम, 1985

और चीनी विकास निधि अधिनियम, 1982 में संशोधन करते और उपकर में समुचित रूप से वृद्धि करने का प्रस्ताव है।

(ग) इस योजना पर 62.50 करोड़ रुपये की उच्चतर बैंक ऋण आवश्यकता के अलावा लगभग 49 करोड़ रुपये का खर्च पड़ेगा। इस योजना पर चीनी विकास निधि में जमा उपकर राशि से धन लगाया जाएगा।

भारतीय खाद्य निगम गोदाम में मिलावटी चावल

166. **श्री सुधीर गिरि** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस वर्ष भारतीय खाद्य निगम के विभिन्न गोदामों मे लिए गए चावल के नमूनों में मिलावट पाई गई थी;

(ख) क्या सरकार द्वारा यह पता लगाने का कोई प्रयास किया गया है कि यह मिलावट कैसे की गई थी;

(ग) अनाज में मिलावट रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) क्या भारतीय खाद्य निगम के विभिन्न गोदामों में चावल में मिलावट करने वाले अपराधियों का पता लगाने के लिए कोई कार्यवाही की गई है और इन अपराधियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है;

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में उप मन्त्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) : सरकार अथवा भारतीय खाद्य निगम को भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से खाद्य निरीक्षण, खाद्य अपमिश्रण निवारण विभाग, दिल्ली प्रशासन द्वारा किए गये चावल के नमूनों में मिलावट पाए जाने की कोई रिपोर्ट प्राप्त नही हुई है।

(ख) से (घ) : (क) में उल्लिखित बातों को ध्यान में रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

मरू क्षेत्रों में पौधे उगाना

167. **श्री सुधीर गिरि** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के कृषि वैज्ञानिकों को एक ब्रिटिश वैज्ञानिक ल्यूक फरगुसन, द्वारा की गई इस खोज की जानकारी दी गई है कि हाईड्रोपोनिक्स के इस्तेमाल, बिना मिट्टी के पौधे उगाने की विधि से फसलों की पैदावार तीन से सात गुना तक बढ़ाई जा सकती है;

(ख) क्या सरकार ने देश में कम उपजाऊ क्षेत्रों विशेषकर मरू भूमि में पौधे उगाने की इस विधि का कभी अध्ययन किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क)

हाइड्रोफोनिक तकनीक-बिना मृदा के पौधे उगाने की विधि, काफी समय से प्रचलित है इस तकनीक के अन्तर्गत पौधों को बिना मिट्टी के पोषकतत्वों के घोल में या पौधों के लिए आवश्यक तत्वों वाली बजरी में उगाया जाता है। भारत में यह विधि न तो व्यापारिक स्तर पर और न ही फार्म स्तर पर प्रयुक्त की गई है। जहां पर कांच घर या अन्य सुविधाएं प्रयोग की गई हों वहां इस विधि से उपज बढ़ाई जा सकती है। फिर भी देश में व्यापारिक स्तर पर यह विधि अपनाना आर्थिक रूप से उचित नहीं है।

(ख) पौधों को मृदा-रहित परिस्थितियों में उगाने की विधि में प्रचुर मात्रा में जल चाहिए और वैज्ञानिकों द्वारा मरूस्थल या वारानी कृषि में बड़े या व्यापारिक पैमाने पर इस प्रकार पौधे उगाने की सिफारिश नहीं की गई है।

(ग) हाइड्रोफोनिक की इस तकनीक फार्म स्तर पर भारी व्यापारिक उपयोग के लिए परीक्षण नहीं किया गया है। फिर भी, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के पौध शरीरक्रिया प्रभाग के वैज्ञानिकों ने हाइड्रोफोनिक विधि का उपयोग परीक्षण उद्देश्यों के लिए किया है।

टाइप-II और टाइप-III के मकानों का प्राथमिकता के आधार पर आवंटन

168. **श्री दया राम शाक्य** क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने कर्मचारियों ने प्राथमिकता के आधार पर टाइप-II और टाइप-III के क्वाटरों के आवंटन के लिए आवेदन किया हुआ है और इनमें से कितने मामले चिकित्सीय आधारों पर विचाराधीन हैं और इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या सरकार चिकित्सीय आधारों पर प्राथमिकता पर आवंटन करने के पक्ष में है ; और यदि हां, तो इस सम्बन्ध में विलम्ब के कारण क्या हैं ; और

(ग) सरकार पुराने मामलों पर किस निश्चित समय और कितने दिनों तक विचार कर सकेगी ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) 1982 के दौरान टाइप-II और टाइप-III क्वाटरों के लिए तदर्थ आधार पर आवंटन के लिए चिकित्सा आधार पर 341 आवेदन प्राप्त हुए थे। इनमें से 120 आवेदनों को अस्वीकार कर दिया गया है। केवल 34 आवेदन सही पाये गये और इन्हें स्वीकृत कर दिया गया है। शेष 187 मामले अभी भी प्रक्रियाधीन हैं।

(ख) तथा (ग) : किसी सरकारी कर्मचारी को तदर्थ आधार पर रिहायशी आवास का आवंटन चिकित्सा आधार पर तभी स्वीकृत किया जाता है जब सरकारी कर्मचारी स्वयं या उसका कोई आश्रित, निम्नलिखित बीमारियों से पीड़ित हों :

1. कैन्सर

(2) दूसरे लोगों के लिए खतरनाक होने के साथ सक्रिय अवस्था में पलुमनरी टी० बी० तथा थूक प्रभावयुक्त हों ; और

(घ) स्वयम् विकलांग हो।

निर्धारित चिकित्सा मानदण्ड के अन्तर्गत आने वाले सभी आवेदनों को विशेष आवास समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है जो इस प्रयोजन के लिए बनाई गई है और उनकी सिफारिशों को निर्माण और आवास मन्त्री के अनुमोदन के लिए भेजा जाता है। इन मामलों पर कार्यवाही करने से कोई असाधारण विलम्ब नहीं हुआ है और उन पर शीघ्र ही कार्यवाही की जाती है। ऐसे मामलों पर अन्तिम निर्णय लेने में औसतन 3-4 माह का समय लगता है।

ग्रामीण विकास के लिए योजनायें

169. **श्री दया राम शाक्य** : क्या **ग्रामीण विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण विकास के लिए सरकार द्वारा कौन-कौन सी नई योजनाएं बनाई जा रही हैं और उन्हें अब तक कार्यान्वित णकिया जाएगा तथा ग्रामीण समाज को इससे क्या-क्या लाभ पहुंचने की आशा है, और

(ख) वर्ष 1982-83 के दौरान भारत में ग्रामीण लोगों के विकास के लिए कुल कितनी धनराशि खर्च करने का विचार किया गया है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) देश में चल रहे ग्रामीण विकास के मुख्य कार्यक्रम निम्नलिखित हैं :–

(1). **समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम**

छटी योजना अवधि के दौरान, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत उपदानों तथा संस्थागत ऋण की व्यवस्था करके प्रत्येक खंड में छोटे/ सीमान्त किसानों, कृषि श्रमिकों, ग्रामीण कारीगरों आदि के लक्षित वर्ग से सम्बन्धित कम से कम 3000 परिवारों को सहायता पहुंचाने की अपेक्षा की गई है जिससे वे सक्षम आर्थिक गतिविधिां शूरू करने योग्य बन सकेंगे। उत्पादन की दर छोटे किसानों के लिए परियोजना की लागत पूंजी का 25 प्रतिगत और सीमान्त किसानों कृषि श्रमिकों आदि के लिए साड़े तैंतीस प्रतिशत है जिसकी अधिकतम सीमा 3000रुपये होगी। आदिवासियों के लिए उपदान की दर 50 प्रतिशत है। जिसकी अधिकतम सीमा 5000 रुपये होगी। कम से कम 30 प्रतिशत लाभभोगी अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों में से लिए जाने हैं और कुल लाभों के कम से कम 30 प्रतिशत लाभ उपदानों तथा ऋण के रूप में इन वर्गों को पहुंचाए जाने हैं।

(2). **राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम** :

राष्ट्रीय ग्रामीण बोजगार कार्मक्रम ने अक्तूबर 1980 से काम के बदले अनाज कार्यक्रम

का स्थान ले लिया है कार्यक्रम का मूल उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में अतिरिक्त रोजगार पैदा करना तथा इनके माध्यम से स्थायी सामुदायिक परिसम्पत्तियों का सृजन करना है जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में समाजार्थिक विकास के लिए आधारभूत ढांचा मजबूत बन सकेगा। 10 प्रतिशत परिव्यय ऐसी परिसम्पत्तियों के निर्माण के लिए निर्धारित किया गया है जिनसे अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के समाजार्थिक जीवन पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़े। राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों को आवंटन कृषि श्रमिकों तथा सीमांत किसानों की जनसंख्या पर 75 प्रतिशत बल और सम्बन्धित राज्य में गरीबी के प्रभाव पर 25 प्रतिशत बल देते हुए किया जाता है।

(3). **सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम :**

इस कार्यक्रम के मुख्य घटक निम्नलिखित हैं :-

(1) सिंचाई संसाधनों का विकास तथा प्रबन्ध,

(2) भूमि तथा संरक्षण और वनरोपण,

(3) फसल प्रतिमान की पुनः संरचना और चारागाह विकास,

(4) शुष्क-भूमि पर खेती की तकनीकों को लोकप्रिय बनाना,

(5) पशुधन विकास, और

(6) छोटे तथा सीमान्त किसानों और भूमिहीन मजदूरों आदि का विकास।

सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम को देश के 69 जिलों में कार्यान्वित किया जा रहा है।

(4) **मरूभूमि विकास कार्यक्रम :**

इस कार्यक्रम का उद्देश्य यह है कि भौतिक, मानवीय तथा पशुधन संसाधनों का अधिकतम उपयोग करके वहां के लोगों के लिए उत्पादन, आय स्तरों तथा रोजगार के अवसरों में वृद्धि करके गर्म तथा ठण्डे दोनों मरूभूमि क्षेत्रों का समन्वित विकास किया जाए। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत मुख्य गतिविधियां ये हैं :- वनरोपण, चारागाह विकास, भूजल विकास, जल संचयन ढांचों का निर्माण, पम्प सैटों के लिए ग्रामीण विद्युतिकरण और कृषि बागवानी तथा पशुपालन का विकास यह कार्यक्रम देश के 21 जिलों में चलाया जा रहा है।

सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम तथा मरूभूमि विकास कार्यक्रम जो चुने क्षत्रों में लागू किए गये हैं, के अलावा अन्य कार्यक्रमों का विस्तार सभी राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों में किया गया है और उनसे सभी राज्यों/केन्द्र सासित क्षेत्रों को लाभ पहुंचते है।

(ख). इन कार्यक्रमों के लिए केन्द्रीय क्षेत्र में वार्षिक योजना (1982-83) का परिव्यय निम्नलिखित है :-

	(करोड़ रुपये में)
(1) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम —	160.00

(2) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम	—	190.00
(3) सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम	—	40.00
(4) मरूभूमि विकास कार्यक्रम	—	8.00

मेंढकों की संख्या में कमी

170. **श्री राम बिलास पासवान** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मेंढकों की संख्या प्रतिवर्ष कम हो रही है और उसके परिणामस्वरूप कृमियों की संख्या बढ़ रही है जो फसलों के लिए गम्भीर स्थिति है ;

(ख) क्या सरकार ने मेंढकों का कोई सर्वेक्षण किया है ; और

(ग) यदि हां, तो कब और इसका तुलनात्मक विवरण क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन): (क) समूचे देश के बारे में बड़े पैमाने पर ऐसे कोई अधिकृत आंकड़े सुलभ नहीं है जिनके आधार पर यह कहा जा सके कि मेंढकों की संख्या प्रति वर्ष घटती जा रही है जिसके परिणामस्वरूप फसलों के लिए गम्भीर समस्या उत्पन्न करने वाले कीड़ों की उत्पत्ति तेजी से बढ़ रही है तथापि, बम्बई और महाराष्ट्र के कोंकन सीमित क्षेत्रों और पश्चिमी क्षेत्रों के अन्य तटीय क्षेत्रों में किए गये अध्ययनों से पता चला है कि मेढकों के निर्यात के लिए बड़ी मात्रा में उन्हें पकड़ने के कारण मेंढकों की संख्या में कुछ हद तक गिरावट आई है। इससे यह निष्कर्ष निकाला गया है कि इसकी वजह से सम्भवतः परिस्थितिकीय संतुलन में बाधा पड़ी है और कीड़ों की संख्या में अस्थिरता आई है। तथापि ये संकेत, प्राथमिक जांच पर आधारित है और कड़े और योजनाबद्ध प्रयोग के माध्यम से इनकी पुष्टि किये जाने की आवश्यकता है।

(ख) जहां तक जानकारी उपलब्ध है, बम्बई प्राकृतिक इतिहास समिति द्वारा प्रयोगात्मक कार्यों के लिए शामिल किए गए सीमित क्षेत्र के अलावा, बड़े पैमाने पर कोई सर्वेक्षण नहीं किया है।

(ग) प्रश्न ही नहीं होता।

भूमिहीन लोगों की परिभाषा

171. **श्री राम बिलास पासवान** : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1971 में ऐसे किसानों की संख्या कितनी थी, जिनके पास पांच एकड़ से अधिक भूमि थी और वर्ष 1981 में उनकी संख्या की क्या स्थिति थी ;

(ग) वर्ष 1971 में भूमिहीन लोगों की संख्या कितनी थी तथा इस समय उनकी संख्या कितनी है ; और

(ग) सरकार के अनुसार भूमिहीन की परिभाषा क्या है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) कृषि गणना के परिणामों के अनुसार 2 हैक्टेयर से ऊपर की प्रचालन जोतों की संख्या 1970-71 में 21.38 मिलियन तथा 1976 -77 में 22-29 मिलियन थी ।

(ख) भूमिहीन व्यक्तियों के बारे में हाल में कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है । प्रथम तथा द्वितीय ग्रामीण श्रमिक जाचों के अनुसार 1964-65 में 8.57 मिलियन भूमिहीन कृषि श्रमिक परिवारों के मुकाबले में 1974-75 में 10 53 मिलियन भूमिहीन कृषि श्रमिक परिवार थे ।

(ग) द्वितीय ग्रामीण श्रमिक जांच 1974-75 के अनुसार ऐसे ग्रामीण श्रमिक परिवारों को जिनके पास अपनी निजी अथवा पट्टे पर ली गई कोई भी काश्त की जाने वाली जमीन नहीं है, जिन्होंने जांच की तारीख से पूर्व 365 दिनों में अपनी कुल आय का अधिकांश भाग (50 प्रतिशत से अधिक) केवल कृषि व्यवसायों में मजदूरी के आधार पर श्रम करके कमाया था, की भूमिहीन कृषि श्रमिक परिवारों के रूप में माना गया था ।

'एशियाड' के लिए टिकटों की बिक्री

172. **श्री एन० ई० होरो** : क्या खेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एशियाड, 82 के लिए अब तक राज्य-वार और शहर-वार बेचे गए टिकटों की संख्या कितनी है ,

(ख) राजधानी में बेचे गये टिकटों की संख्या कितनी है ,

(ग) संसद सदस्यों को कितने टिकटों का कोटा आवंटित किया गया है ,

(घ) सप्लाई करने वाली एजेंसियों सहित उन एजेंसियों के नाम क्या हैं जिन्हें टिकटें बेचने कदायित्व सौंपा गया है , और

(ङ) इस संबंध में क्या मानदण्ड अपनाए गए है ?

पूर्ति मन्त्रालय के तथा खेल विभाग के राज्य मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) 24 अगस्त, 1982 तक प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर नवम एशियाई खेलों के टिकटों की बिक्री से सम्बन्धित ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण संलग्न है ।

(ख) 16 सितम्बर, 82 तक प्राप्त सूचना के आधार पर दिल्ली में 5,51,005 टिकटें बेची जा चुकी हैं ।

(ग) लगभग 1.5 लाख ।

(घ) एशियाई खेल, 1982 के लिए विशेष आयोजन समिति द्वारा टिकटें बेचने की जिम्म

दारी देश में स्टेट बैंक आफ इण्डिया को तथा विदेशों इण्डियन एयर लाइन्स और एयर इण्डिया को सौंपी गई है।

(ङ) स्टेट बैंक आफ इण्डियन के कार्यालय सारे भारत में और विशेष कर उन शहरों में हैं जहां टिकटों की बिक्री आवश्यकता है। जहां तक एयर इण्डिया और इंडियन एयर लाइन्स का संबंध हैं, विदेशों में उनके कार्यालय उन स्थानों में हैं जहां टिकटें बेची जा रही हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के इन उपक्रमों का टिकटों की बिक्री में निहित अवस्थापना सम्बन्धी व्यय, को कम करने की दृष्टि से चुना गया था।

विवरण

24.8.1982 तक प्राप्त रिपोर्टों पर आधारित Ix एशियाई खेलों के टिकटों की बिक्री से सम्बंधित ब्यौरे।

	राज्य/शहर	
	आन्ध्र प्रदेश	
1	हैदराबाद	20023
2	विसाखापटनम	300
3	विजयवाडा	1758
4	गुन्टुर	1062
5	वारगंल	100
	असम	
	गोहाटी	10197
	बिहार	
1	पटना	18549
2	धनबाद	3528
3	नमशेदपुर	5619
4	रांची	4775
	गुजरात	
1	अहमदाबाद	8157
2	सूरज	1277
3	वदादरा	822

	राज्य/शहर	
4	राजकोट	876
5	जामनगर	716
6	भावनगर	303
7	गांधी नगर	4498
	हरियाणा	
1	फरीदाबाद	9893
2	हिसार	11920
3	अम्बाला	1530
4	करनाल	2097
	हिमाचल प्रदेश	
	शिमला	2960
	जम्मू और काश्मीर	
1	श्री नगर	1424
2	जम्मू	951
	केरल	
1	त्रिवेन्द्रम	4978
2	कोचीन	3331
3	कालीकट	2213
	कर्नाटक	
1	बंगलौर	14212
2	हुबली धारवाड़	1415
3	मैसूर	737
4	मंगलोर	857
5	बेलगांव	515
	मध्य प्रदेश	
1	भोपाल	9312

	राज्य/शहर	
2	इन्दौर	4752
3	जबलपुर	3790
4	ग्वालियर	2278
5	दुर्ग भिलाई नगर	1819
6	रायपुर	1814
	महाराष्ट्र	
1	वृहद बम्बई	39739
2	पुर्णे	3430
3	नागपुर	5918
4	उलहास नगर	359
5	शोला पुर	195
6	नासिक	583
7	थाना	268
8	मोल्हापुर	691
9	औरंगाबाद	752
	मनीपुर	
	इम्फाल	2865
	मेघालय	
	शिलांग	2189
	नागालैंड	
	कोहिमा	609
	उड़ीसा	
1	भुवनेश्वर	5998
2	राऊर केला	2839
3	कटक	1948

	राज्य/शहर	
	पंजाब	
1	लुधियाना	14179
2	अमृतसर	2523
3	जालंधर	2829
4	पटियाला	1531
	राजस्थान	
1	जयपुर	12058
2	जोधपुर	500
3	अजमेर	300
4	कोटा	1700
	सिक्किम	
	गंगताक	701
	तमिल नाडू	
1	मद्रास	3026
2	कोयम्बटूर	2971
3	मदुरै	1435
4	तिरूचिरापल्ली	1388
5	सलेम	1060
6	त्रिरूनेलवेली	374
	त्रिपुरा	
	अगर तला	2565
	उत्तर प्रदेश	
1	लखनऊ	4640
2	कानपुर	4401
3	वाराणसी	2471
4	आगरा	2922

	राज्य/शहर	
5	इलाहाबाद	2170
6	मेरठ	1609
7	राय बरेली	1672
8	मुरादाबाद	1184
9	अलीगढ़	1504
10	गोरख पुर	1127
11	गाजियाबाद	50
	पश्चिम बंगाल	
1	कलकत्ता	9521
2	आसन सोल	50
3	दुर्गापुर	50
	अरूणाचल प्रदेश	
	ईटानगर	1771
	चंडीगढ़	
	चंडीगढ़	14993
	गोवा, दमन और दीव	
	पणजी	971
	मिजोरम	
	आयजवल	1345
	पांडिचेरी	
	पांडिचेरी	813
	अंडमान और निकोवार द्वीपसमूह	
	पोर्ट ब्लैयर	—
	लक्षद्वीप	
	कवराट्टी	—
	दिल्ली	465905

बिहार द्वारा सूखे के लिए मांगी गई सहायता

173. **श्री एन० ई० होरो** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में बिहार सरकार ने केन्द्र सरकार से राज्य में सूखे की स्थिति के बारे में वित्तीय सहायता माँगी है ; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा उस राज्य को दी गयी वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) बिहार सरकार ने एक ज्ञापन भेजा है, जिसमें राहत सम्बन्धी उपायों के लिए 234.00 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता मांगी गई है ।

(ख) एक केण्द्रीय दल ने 20 से 22 सितम्बर, 1982 तक राज्य का दौरा किया और इसकी रिपोर्ट अभी आनी है ।

चावल और गेहूं के भण्डार सप्लाई और मांग की स्थिति

174. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

चावल और गेहूं के भण्डार की स्थिति क्या है और इनकी मासिक न्यूनतम आवश्यकता तथा इनकी सप्लाई और सारे देश की राज्यवार, और बिहार में जिलेवार की मांग कितनी है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में उपमंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : एक विवरण संलग्न है जिसमें 1.9.82 को सरकारी एजेन्सियों के पास चावल (चावल के हिसाब के धान समेत) और गेहूं का स्टाक, 1981 (अगस्त 1982 के अन्त तक) के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली/रोलर फ्लोर मिलों के केन्द्रीय पूल से इनकी मासिक औसत मांग, आवंटन और सप्लाई के बारे में बताया गया है । [**ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०** 5420/82]

सरकार के पास बिहार में खाद्यान्नों की जिलेवार स्टाक स्थिति के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है ।

भूमि सुधार

175. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या ग्रीणम विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन परिवारों की राज्यवार तथा प्रतिशतता के बारे में नवीनतम स्थिति क्या है जिनके पास एक एकड़ से कम जमीन है, एक एकड़ से पांच एकड़ के बीच, 5 एकड़ से 10 एकड़ के बीच और 10 एकड़ से अधिक जमीन है ; और

(ख) भूमि की अधिकतम सीमा और अतिरिक्त काश्तकारी, बासभूमि, सामुदायिक भूमि आदि के वितरण जैसे विभिन्न भूमि सुधार उपायों के राज्यवार क्रियान्वयन सम्बन्धी नवीनतम स्थिति क्या है और उनको समयबद्ध कार्यक्रम के अन्तर्गत पूरा करने के लिये क्या कार्यवाही की जा

रही है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन : (क) एक विवरण अनुबन्ध- I पर दिया गया है। [**ग्रन्थालय में रखा गया देखिये संख्या । एल० टी०** 5421/82]

(ख) भूमि की अधिकतम सीमा सम्बन्धी संशोधित कानूनों के कार्यान्वयन में हुई राज्यवार प्रगति को दर्शाने वाला एक विवरण अनुबन्ध-2 पर दिया गया है। संशोधित 20-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे सभी कानूनी तथा प्रशासनिक अड़चनों को हटाकर मार्च, 1985 तक अधिकतम सीमा से फालतू भूमि का विवरण कर दें। जहां तक काश्तकारी, बासभूमि तथा सामुदायिक भूमि आदि का सम्बन्ध है, ये कार्यक्रम जारी रहने वाले हैं और अधिकांश राज्यों में काश्तकारी सुरक्षा तथा खरीद के अधिकार जैसे उपाय अपनाए गए हैं।

उत्तरी क्षेत्र में चल रही सिंचाई परियोजनाओं को पूरा किया जाना

176. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उत्तरी क्षेत्र के राज्यों को जब तक उनके यहां चलाई जा रही परियोजनएं पूरी नहीं हो जाती, नयी सिंचाई योजनाएं शुरू करने की सलाह दी है। और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई मंत्री (श्री केदार पाण्डे) : (क) सभी राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे निर्माणाधीन परियोजनाओं का निर्माण प्राथमिकता के आधार पर शीघ्रता पूर्वक करें और ऐसी परियोजनाओं के लिए यथा-आवश्यक संसाधनों का पुनः आवंटन करके, उन्हें एक समय-बद्ध कार्यक्रम के अनुसार पूरा करें ताकि छठी योजना के दौरान उनसे अधिकतम सिंचाई लाभ प्राप्त किए जा सकें और वे नई परियोजनाओं को आरम्भ करके, उनके लिए संसाधनों में कमी न करें।

राज्यों में चल रही सिंचाई परियोजनओं का मूल्यांकन

177. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने राज्यों में चलाई जा रही उन लघु और बड़ी सिंचाई परियोजनाओं के मूल्यांकन अथवा समीक्षा की है जिनके लिए सहायता के तौर पर वित्तीय आवंटन किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके मुख्य-मुख्य निष्कर्ष क्या है और ऐसे राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के नाम क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार निकट भविष्य में मूल्यांकन/पुनर्विचार का कोई काम हाथ में लेगी ?

सिंचाई मन्त्री (श्री केदार पाण्डे) : (क) से (ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान बृहद, मध्यम और लघु सिंचाई स्कीमों के क्रियान्वयन के लिए राज्यों को कोई वित्तीय सहायता उपलब्ध नहीं की गई है। तथापि, सिंचाई मंत्रालय तथा केन्द्रीय जल आयोग द्वारा समय-समय पर बृहद, मध्यम और लघु परियोजनाओं की प्रगति की पुनरीक्षा की जाती है। पुनरीक्षा के परिणामस्वरूप, परियोजना में पेश आने वाली बाधाओं का पता चलता है। ये बाधाएं, पर्याप्त धन की अनुपलब्धता, पर्याप्त संगठन की अनुपलब्धता, सीमेंट और इस प्रकार की अन्य दुर्लभ निर्माण सामग्री प्राप्त करने में कठिनाइयों से संबन्धित हैं। कुल मिलाकर, ये बाधाएं सभी राज्यों की परियोजनाओं में विद्यमान है।

छठी पंचवर्षीय योजना में पेयजल की सप्लाई के लिए वित्तीय आबंटन

178. **प्रो० नारायण चन्द्र पाराशर** : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवीं पंचवर्षीय योजना की तुलना में छठी पंचवर्षीय योजना में पेयजल सप्लाई कार्यक्रमों के लिये विशेष रूप से पेयजल सप्लाई तथा स्वच्छता दशक मनाने को ध्यान में रखते हुए धनराशि के अन्तिम आबंटनों में कोई ठोस वृद्धि की गयी है ;

(ख) यदि हां, तो दोनों योजनाओं के लिये प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के लिये इस प्रयोजना हेतु आबंटन के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं और 1980-81 और 1982-83 के प्रत्येक वर्ष के लिए केन्द्र तथा राज्य की धनराशि का आबंटन क्या है ;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है : और

(घ) राज्यवार अब तक इसके अन्तर्गत कितने प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या को लाया गया है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) पेयजल पूर्ति राज्य का विषय है तथापि, केन्द्र द्वारा प्रवर्तित त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत केन्द्रीय सहायता राज्य सरकारों को समस्याग्रस्त ग्रामों में पेयजल पूर्ति मुहैया करने में उनके संसाधनों को बढ़ाने के लिए प्रदान की जाती है निम्नलिखित विवरण संलग्न है :—

(I) पांचवीं योजना (1974-79) और छठी योजना (1980-85) में जलपूर्ति तथा स्वच्छता क्षेत्र हेतु अनुमोदित परिव्यय विवरण-1

(ii) वर्ष 1980-81, 1981-82 और 1982-83 में जलपूर्ति तथा स्वच्छता क्षेत्र (राज्य क्षेत्र) हेतु अनुमोदित परिव्यय विवरण-2

(iii) केन्द्र द्वारा प्रवर्तित त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1980-81 और 1981-82 में दी गई निधियां एवं वर्ष 1982-83 में नियत की गई निधियां विवरण-3

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) मार्च, 1982 तक लाभान्वित समस्याग्रस्त ग्रामों और उनकी जनसंख्या की प्रतिशतता का विवरण संलग्न है विवरण-4

विवरण-1

जलपूर्ति एवं स्वच्छता क्षेत्र अनुमोदित परिव्यय-योजना नियतन का तुलनात्मक विवरण

(लाख रुपये में)

	पांचवीं योजना (1974-79)	छठी योजना (1980-85)
1. आंध्र प्रदेश	5286.00	22191.00
2. असम	1188.00	6905.00
3. बिहार	2765.00	13076.50
4. गुजरात	5346.00	16227.50
5. हरियाणा	1883.00	11713.00
6. हिमाचल प्रदेश	768.00	6200.00
7. जम्मू तथा कश्मीर	1875.00	13175.00
8. कर्नाटक	5915.00	15657.50
9. केरल	3958.00	11772.00
10 मध्य प्रदेश	5924.00	19132.00
11. महाराष्ट्र	15426.00	68115.00
12. मणिपुर	458.00	3258.00
13. मेघालय	542.00	5689.00
14. नागालैंड	546.00	2,410.00
15. उड़ीसा	1440.00	7,050.00
16. पंजाब	3549.00	14252.50
17. राजस्थान	46.34.00	27800.75
18. सिक्किम	185.00	1350.00

1	2	3
19. तमिलनाडु	10655.00	52242.00
20 त्रिपुरा	262.00	2046.50
21. उत्तर प्रदेश	9327.00	33325.50
22. पश्चिम बंगाल	1956.00	13900.00
23. अण्डमान निकोबार द्वीप समूह	62.00	594.00
24. अरुणाचल प्रदेश	204.67	1524.50
25 चण्डीगढ़	435.00	821.00
26. दिल्ली	6120.06	11948.00
27. दादरा चथा नागर हवेली	14.21	70.00
28. गोवा, दमण तथा दीव	480.14	2302.50
29. लक्ष्य द्वीप	29.00	22.00
30. मिजोरम	322.46	1144.20
31. पांडिचेरी	286.18	561.50

विवरण-2

जलपूर्ति एवं स्वच्छता (राज्य क्षेत्र) अनुमोदित परिव्यय

(लाख रुपये में)

	1980-81	1981-82	1982-83
1. आन्ध्र प्रदेश	2413,00	2500,00	2800,00
2. असम	770,00	800,00	1000,00
3. बिहार	1800,00	1800,00	1842,00
4. गुजरात	2040,00	2142.00	3050,00
5. हरियाणा	925,00	1200,00	1400,00
6. हिमाचल प्रदेश	725,00	850,00	960,00
7. जम्मू व कश्मीर	1700,00	1700,00	1700,00

1	2		3
8, कर्नाटक	1892,00	2310,00	2553,00
9. केरल	1449.00	1450,00	1450,00
10. मध्य प्रदेश	2000,00	2300,00	2500,00
11. महाराष्ट्र	7125,00	13800,00	1400,00
12. मणिपुर	650,00	650,00	550,00
13. मेघालय	787,00	750,00	780,00
14. नागालैण्ड	369,00	300,00	314,00
15. उड़ीसा	775,00	825,00	915,00
16. पंजाब	2200,00	2460.00	1700,00
17. राजस्थान	2169,00	2254,00	2100,00
18. सिक्किम	161,00	190,00	193,00
19. तमिलनाडु	3049,00	3800,00	57900,00
20. त्रिपुरा	298,00	300,00	300,00
21. उत्तर प्रदेश	5350,00	5870,00	4595,00
22. पश्चिम बंगाल	1001,00	1500,00	1600,00
23. अण्डमान निकोबार द्वीप समूह	65,00	70,00	87,00
24. अरुणाचल प्रदेश	175,00	275,00	335,00
25 चण्डीगढ़	157,00	300,00	375,00
26. दिल्ली	2081,00	2450,00	2842,00
27. दादर तथा नगर हवेली	9,00	10,00	22,00
28. गोवा, दमण तथा दीव	298,00	330,00	460,00
29. लक्ष्य द्वीप	3,50	4,00	4,00
30. मिजोरम	200,00	201,00	235,00
31. पांडिचेरी	80,00	90,00	125,00

विवरण-3

जलपूर्ति एवं स्वच्छता

केन्द्र द्वारा प्रवर्तित त्वरित ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत 1980-81, 1981-82 के दौरान दी गई निधियां और 1982-83 के दौरान निधियों का नियतन

(लाख रुपयों में)

	1980-81	1981-82	1982-83
1. आन्ध्र प्रदेश	436.23	376.75	358.50
2. असम	427.11	493.45	469.00
3. बिहार	503.36	862.50	559.50
4. गुजरात	358.50	402.25	132.50
5. हरियाणा	357.09	337.34	90.00
6. हिमाचल प्रदेश	561.77	368.69	90.50
7. जम्मू तथा कश्मीर	314.75	426.55	869.50
8. कर्नाटक	248.81	485.50	568.00
9. केरल	330.08	529.53	615.50
10. मध्य प्रदेश	690.00	1033.75	909.00
11. महाराष्ट्र	664.00	558.00	496.06
12. मणिपुर	106.03	151.32	89.50
13. मेघालय	149.00	246.12	283.00
14. नागालैण्ड	150.00	182.79	134.00
15. उड़ीसा	307.00	603.08	544.00
16. पंजाब	128.95	90.17	79.50
17. राजस्थान	559.10	1506.42	1947.50
18. सिक्किम	19.50	71.74	102.50
19. तमिलनाडु	506,00	569.71	528.50
20. त्रिपुरा	112.44	85.50	40.00

1	2	3	4
21. उत्तर प्रदेश	931.95	1024.13	2115.00
22. पश्चिम बंगाल	443.50	580.96	852.00
23. अण्डमान निकोबार द्वीप समूह	6.00	20.10	22.50
24. अरुणाचल प्रदेश	35.00	35.00	58.50
25. चण्डीगढ़	—	—	—
26. दिल्ली	13.50	13.50	—
27. दादर तथा नागर हवेली	—	—	—
28. गोवा दमण तथा दीव	11.46	14.25	25.50
29. लक्ष्य द्वीप	—	—	—
30. मिजोरम	26.25	2,47	6.00
31. प्राँड़िचेरी	7.00	12.00	14.00

विवरण-4

मार्च, 1982 तक लाभान्वित ग्रामों/जनसंख्या की प्रतिशतता का विवरण

	मार्च, 1982 तक लाभान्वित ग्रामों की प्रतिशतता	मार्च, 1982 तक लाभान्वित समस्याग्रस्त ग्रामों की जनसंख्या की प्रतिशतता (1971 की जनगणना)
1. आन्ध्र प्रदेश	30,69	29,03
2. असम	13,60	14,27
3. विहार	35,27	31,00
4. गुजरात	20,79	19,15
5. हरियाणा	15,55	17,12
6. हिमाचल प्रदेश	30,01	38,78
7. जम्मू व कश्मीर	13,30	14,01

1	2	3
8. कर्नाटक	32,14	24,13
9. केरल	14.90	1,49
10. मध्य प्रदेश	51,14	66,00
11. महाराष्ट्र	43,33	39,18
12. मणिपुर	20,13	36,56
13. मेघालय	5,02	2,59
14. नागालैण्ड	23,72	24,18
15. उड़ीसा	17,26	15,10
16. पंजाब	7,35	8,96
17. राजस्थान	31,59	17,32
18. सिक्किम	17,22	3,87
19. तमिलनाडु	21,94	19,20
20. त्रिपुरा	27,57	14,63
21. उत्तर प्रदेश	6,25	2,82
22. पश्चिम बंगाल	8,01	4,55
23. अण्डमान निकोबार द्वीप समूह	14,45	13,55
24. अरूणाचल प्रदेश	26,60	51,12
25. चण्डीगढ़	—	—
26. दिल्ली	62,62	64,82
27. दादर तथा नागर हवेली	—	—
28. गोवा दमण तथा दीव	24,24	5'34
29 लक्ष्य द्वीप	—	—
30. मिजोरम	6,07	9,33
31. पांडिचेरी	39,83	7,46

टिप्पणी : 1-4-1980 की स्थिति के अनुसार ये आंकड़े लाभावन्त किए जाने वाले शेष समस्या-ग्रस्त ग्रामों और उनकी संख्या के सन्दर्भ में हैं।

नए सामुदायिक विकास खण्ड बनाया जाना

179. **प्रो० नारायण चन्द्र पराशर** : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी राज्य सकार ने केन्द्र सरकार से कहा है कि वित्तीय वर्षों 1981-82 1982-83 में वर्तमान सामुदायिक विकास खंड़ों का विभाजन करके अथवा उनका पुनः समायोजन करके नए विकास खंड बनाए जाए,

(ख) यदि हां, तो सम्बद्ध राज्य सरकारों के नाम क्या हैं और प्रत्येक मामले में उनके प्रस्ताव क्या हैं, और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा इस बारे में क्या कार्यवाई की गई है और अब तक राज्यवार कौन कौन से नए खंड बनाए गये हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी हां ।

(ख) व (ग) हिमाचल प्रदेश तथा नागालैण्ड की राज्य सरकारों ने नए सामुदायिक विकास खण्ड़ों के सृजन हेतु प्रस्ताव भेजे थे । उन्होंने समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम जैसी योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए खण्डों की संख्या में वृद्धि करने का अनुरोध किया था । तथापि, सृजित किए जाने वाले खण्डों का कोई ब्यौरा नहीं दिया गया था । हिमाचल प्रदेश तथा नागालैण्ड की राज्य सरकारों को सूचित किया गया है कि 2-10-80 के पश्चात् सृजित किये गए किसी भी खण्ड के बारे में सम्बन्धित ग्रामीण विकास के आवंटनों के प्रयोजन के लिए विचार नहीं किया जा सकता है ।

हिमाचल प्रदेश में केन्द्र द्वारा प्रायोजित पेयजल आपूर्ति योजनाओं के नाम

180. **प्रो० नारायण चन्द्र पराशर** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश राज्य में 30-6-1982 को केन्द्र द्वारा प्रायोजित ऐसी पेयजल आपूर्ति योजनाओं के नाम क्या हैं जिन्हें (i) स्वीकृति दी गई और जिन पर काम चल रहा है (ii) स्वीकृति तो मिल गई है परन्तु उन पर अभी तक काम आरम्भ नहीं हुआ है;

(ख) जिन योजनाओं पर काम चल रहा है उनके लिए और उन योजनाओं के लिए जिन पर काम अभी आरम्भ नहीं हुआ है, प्रत्येक को कितनी-कितनी धनराशि आवंटित की गई है ; और

(ग) निर्माणाधीन योजनाओं को पूरा होने की सम्भावित तिथियां क्या है और स्वीकृत योजनाओं पर काम आरम्भ न होने के कारण क्या हैं और उन पर काम आरम्भ होने की सम्भवित तिथियाँ क्या हैं ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) केन्द्र द्वारा प्रवर्तित त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत अब तक हिमाचल प्रदेश के 12 जिलों में 3428 ग्रामों के लिए जलपूर्ति योजनाएं स्वीकृत की गई हैं। इनमें से 30-6-82 तक 3246 ग्रामों के लिए जलपूर्ति योजनाएं पूर्ण हो गई हैं। 182 ग्रामों के लिए जलपूर्ति योजनाएं इस समय निष्पादन के विभिन्न सोपानों में हैं।

(ख) तथा (ग) : पेय जल जलपूर्ति राज्य का विषय है और जलपूर्ति का कार्यक्रम राज्य सरकारों द्वारा राज्य योजना में दी गई निधियों में से बनाई तथा कार्यान्वित की जाती हैं। चुने हुए समस्याग्रस्त ग्रामों में स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था करने के लिए राज्य सरकारों के संसाधनों को बढ़ाने के लिए केन्द्र सरकार, त्वरितग्र मीण जलपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुदान देती है। त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत निधियों का नियतन सम्पूर्ण राज्य के लिए किया जाता है न कि जिलावार या योजनावार। निधियों का जिलावार या योजनावार नियतन राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है।

रावी व्यास समझौते को कार्यान्वित न किया जाना

181. **श्री पी० नामग्याल** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब सरकार द्वारा रावी-व्यास समझौते को कार्यान्वित नहीं किया जा रहा है जैसा कि दिनांक 17 सितम्बर, 1982 के राष्ट्रीय दैनिक पत्रों में समाचार छपा है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि राजस्थान और हरियाणा राज्यों ने पंजाब सरकार को अपना विरोध प्रकट किया है और इस मामले में हस्तक्षेप करने के लिए केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है ; और

(ग) यदि हां, तो पहले से स्वीकृत इस समझौते को कार्यान्वित करने के लिए केन्द्रीय सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

सिंचाई मन्त्री (श्री केदार पाण्डे) : (क) से (ग) दिसम्बर, 1981के रावी-व्यास समझौते के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में, सम्बन्धित राज्यों के बीच मतभेद उत्पन्न नहीं हुआ है। सम्पूर्ण पश्चिमी क्षेत्र से मानसून के जल्दी वापस हो जाने के कारण, प्रत्येक राज्य में खड़ी खरीफ की फसलों के लिए जल की मांगे बढ़ गई थीं और जल की उपलब्धता सीमित थी। राजस्थान राज्य ने खड़ी फसलों को बचाने के लिए उसे अतिरिक्त लिए जल उपलबध करने के लिए सिंचाई मंत्रालय से अनुरोध किया था।

इस मामले पर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और भाखड़ा तथा व्यास प्रबन्ध बोर्ड के अधिकारियों के साथ 17-9-82 को विचार-विमर्श किया गया था और जल की कुल आवश्यकताओं तथा उपलब्धता पर विचार करने के पश्चात्, खड़ी खरीफ फसलों को बचाने के लिए 18 से 30 सितम्बर, 1982 तक की अवधि के लिए जल छोड़े जाने और प्रत्येक राज्य द्वारा प्राप्त किये जाने

वाले जल के बारे में निर्णय लिए गए थे। इन निर्णयों को क्रियान्वित करने के लिए सभी राज्य सहमत हो गए थे।

राज्यों को बाढ़ सहायता

182. **श्री एन० के० शेजवलकर** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष बाढ़ से अनुमानित कितना नुकसान हुआ है और केन्द्र सरकार ने मध्य प्रदेश राज्य को विशेष रूप से उत्तरी भाग अर्थात् ग्वालियर डिवीजन के लिए क्या सहायता दी है ; और

(ख) क्या सरकार के पास इस समस्या का कोई स्थायी हल है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) मध्य प्रदेश सरकार से प्राप्त हुए ज्ञापन के अनुसार, बाढ़ों से हुई क्षति का ब्यौरा निम्न प्रकार है :

1. बाढ़ों से प्रभावित जिलों की संख्या	13
2. प्रभावित सस्यगत क्षेत्र	4.30 लाख हैक्टार
3. प्रभावित जनसंख्या	18.31 लाख
4. मृतक मनुष्यों की जनसंख्या	56
5. मरे पशुओं की जनसंख्या	1470
6. क्षतिग्रस्त/नष्ट हुए मकानों की संख्या	43734

राज्य सरकार ने 22.67 करोड़ रुपये की सहायता के लिए अनुरोध किया है और इस पर विचार किया जा रहा है।

(ख) मध्य प्रदेश की सरकार से जानकारी माँगी गई हैं और प्राप्त होने पर सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

आदिवासियों में अतिरिक्त भूमि का वितरण

183. **श्री जय नारायण रोत** : क्या ग्रामीण विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्य सरकारों को सलाह दी है कि वे अपने द्वारा कब्जे में ली गई सारी अतिरिक्त भूमि वितरित करें,

(ख) यदि हां, तो इस बारे में ब्यौरा क्या है,

(ग) क्या सरकार ने राज्य सरकारों को यह भी सलाह दी है कि वे देश में आदिवासियों में यह भूमि वितरित कर दें,

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उस पर राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है, और

(ङ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि और ग्रामीम विकास मन्त्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर०वी० स्वामीनाथन) : (क) और (ख) जी हां। राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे सभी प्रशासनिक तथा कानूनी अड़चनों को हटाकर अधिकतम सीमा से फालतू भूमि का शीघ्र वितरण करें। उनसे यह भी अनुरोध किया गया है कि ऐसी भूमि जो फसल उगाने के लिए उपयुक्त नहीं है, को वनरोपण के लिए आवंटित की जाए अथवा उसे चारागाह के रूप में उपयोग में लाया जाए।

(ग) और (ङ) जैसी कि राष्ट्रीय मार्गदर्शी सिद्धान्तों में सिफारिश की गई है, सभी राज्यों के अधिनियम भूमि सीमा कानूनों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के भूमिहीन व्यक्तियों को अधिकतम सीमा से फालतू भूमि के वितरण में प्राथमिकता दी गई है। अभी तक, भूमि की अधिकतम सीमा सम्बन्धी संशोधित कानूनों के अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति के 1.74 लाख लाभभोगियों को लगभग 2.75 लाख एकड़ क्षेत्र वितरित किया गया है।

उड़ीसा में इन्द्रा बांध की परियोजना रिपोर्ट

184. **श्री रास विहारी बहेरा** ; क्या **सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कालाहांडी जिला उड़ीसा के "इन्द्रा" बांध परियोजना की परियोजना रिपोर्ट की विस्तृत जांच केन्द्रीय जल और विद्युत आयोग के अधीन की जा रही है ;

(ख) इसकी स्वीकृति कब तक मिल जाने की संभावना है ;

(ग) इस परियोजना की कितनी लागत है ; और इससे कितने हैक्टार भूमि की सिंचाई हो सकेगी ; और

(घ) इस परियोजना के प्रारिम्भक कार्य को शीघ्र पूरा करने के लिए राज्य सरकार को कितना ऋण दिया गया ?

सिंचाई मन्त्री (श्री केदार पाण्डे) : (क) इस परियोजना की केन्द्रीय जल आयोग में विस्तृत रूप से जांच की जा रही है।

(ख) इन्द्रा बांध परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट उड़ीसा सरकार से जून, 1982 में केन्द्रीय जल आयोग में प्राप्त हुई थी। ऐसी बृहद परियोजनाओं की संवीक्षा करने में कुछ समय लगता है, क्योंकि इसमें विभिन्न सम्बन्धित विभागों में विस्तृत जांच की जानी अपेक्षित

होती है। तथापि, परियोजना की स्वीकृति, परियोजना रिपोर्ट में सम्मिलित किये गए आँकड़ों और अध्ययनों की पर्याप्तता और विस्तार, राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय जल आयोग की टिप्पणियों के पूर्ण उत्तर शीघ्रता से भेजे जाने वाले और अनिर्णीत मुद्दों पर विचार-विमर्श करने के लिए संबंधित अधिकारियों को भेजने और जहां कहीं आवश्यक हो, स्पष्टीकरण देने तथा परियोजना की तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता सिद्ध हो जाने पर निर्भर करेगी।

(ग) इस परियोजना पर 56.55 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है और इससे 43386 हैक्टार क्षेत्र की वार्षिक सिंचाई की व्यवस्था होगी।

(घ) सिंचाई एक राज्य-विषय है और सिंचाई परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए धन की व्यवस्था राज्य सरकारों द्वारा स्वयं की जाती है। उड़ीसा सरकार द्वारा इस परियोजना के लिए अपनी छठी योजना (1980-85) में 4 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई।

छठी योजना में शामिल करने के लिए निर्णयाधीन उड़ीसा की सिंचाई परियोजना

185. **श्री रास बिहारी बहेरा** : : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में सिंचित भूमि की प्रतिशतता क्या है तथा देशभर में सम्पूर्ण सिंचित भूमि कितनी है ;

(ख) उड़ीसा राज्य को ऐसे प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं को मोटी रूपरेखा क्या है जिन्हें छटी पंचवर्षीय योजना में शामिल करने का निर्णय सरकार के विचाराधीन है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई मन्त्री (श्री केदार पाण्डे) : (क) भूमि उपयोग के 1978-79 के आँकड़ों के अनुसार, उड़ीसा में सकल सिंचित क्षेत्र की प्रतिशतता, 27.5 के तदनुरुप अखिल भारतीय औसत की तुलना में, 19.2 है।

(ख) और (ग) उड़ीसा की 6 वृहत सिंचाई परियोजनाओं, जिन्हें अभी स्वीकृति दी जानी है, का ब्यौरा दिखाने वाला विवरण संलग्न है। इन परियोजनाओं को उड़ीसा की छठी योजना में शामिल कर लिया गया है दशर्ते कि उन्हें योजना आयोग द्वारा स्वीकृति दे दी जाए।

विवरण

छठी पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित करने के लिए लम्बित पड़ी बृहद सिंचाई परियोजना

क्र० सं०	परियोजना का नाम	बेसिन	अनुमानित लागत (लाख रुपयों में)	वार्षिक सिंचाई (1000 हैक्टेयर में)	अभ्युक्ति
1.	कानपुर सिंचाई	वैतरणी	3796.00	55.855	क्र० सं० 1 से 4 पर की
2.	लोअर इन्द्रा सिंचाई परियोजना (कालाहाण्डी)	महानदी	5655.00	43.386	परियोजनाएं राज्य
3.	ओंग बांध परियोजना (संभलपुर)	महानदी	4585.05	32.791	सरकार के पास लम्बित
4.	इब सिंचाई परियोजना (सुन्दरगढ़)	महानदी	17136.25	182.00	हैं।
5.	समकोई सिंचाई परियोजना (धेनकनाल)	ब्रह्माणी	2635.24	37.50	,,
5.	सुवर्ण रेखा सिंचाई परियोजना (मयूरभंज)	सुवर्ण रेखा तथा बूढ़ा बालांग	22167.79 (साझे निर्माण-कार्यों का आई/सी भाग)	166.82	,,

केन्द्रीय लोक निर्माण विकास में जूनियर इंजीनियरों के संवर्ग का गठन और अन्य सम्बद्ध मामलों को युक्तिसंगत बनाना

186. **श्री एच० एन० नन्जे गौडा** : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में जूनियर इजीनियरों के संवर्ग-गठन तथा अन्य सम्बद्ध मामलों को और अधिक युक्तिसंगत बनाने के प्रश्न की जांच करने के लिए किसी विशेष समिति की गठन करने का कोई प्रस्ताव है।

(ख) यदि हां, तो समिति सरकार को कब तक अपनी रिपोर्ट भेज देगी ; और

(ग) समिति की सिफारिशों को कब तक कार्यान्वित कर लिये जाने की आशा है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) केन्द्रीय सरकार ने केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में कनिष्ठ इंजीनियरों की संवर्ग संरचना, भर्ती पद्धति, पदोन्नति के अवसर, स्टाफिग मानदंड और अन्य सम्बन्धित मामलों के अध्ययन के लिए पहले ही एक विशेषज्ञ समिति गठित कर ली है।

(ख) इस समिति को उसकी प्रथम बैठक से चार महीनों की अवधि के अंदर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है।

(ग) इस स्तर पर कोई निश्चित समय सीमा नहीं दी जा सकती है।

यमुनापार कालोनियों का विकास

187. **श्री रामावतार शास्त्री** :

श्री निहाल सिंह .

श्री के० ए० राजन : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शकरपुर, लक्ष्मीनगर और यमुनापार की अन्य कालोनियों को नियमित की गई 612 कालोनियों में सम्मिलित करने के निर्णय किए जाने के बाद वहां नियमित गलियों और सड़कों का ऊंचा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं,

(ख) क्या उपर्युक्त दो कालोनियों में विकास के लिए या तत्काल अन्य नागरिक सुविधाएं प्रदान करने की व्यवस्था करने के लिए आकलन तैयार हो गया है, स्वीकृत हो गया है और विकास कार्य के लिए निविदायें आमन्त्रित की गई हैं ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी पूर्ण ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) दिल्ली

विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि गलियों और सड़कों पर भूमि भरान तथा मलवा बिछाने से इन कालोनियों में गलियों तथा सड़कों को ऊंचा करने का कार्य किया गया है । कुछ कालोनियों में ये कार्य पूरे कर दिये गये हैं और शकरपुर तथा लक्ष्मीनगर परिसर की कालोनियों में शेष कार्य प्रगति पर हैं ।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया है कि विकास तथा अन्य नागरिक सुविधाओं के लिए आकलन तैयार कर दिये गये हैं और अधिकांश मामलों में सड़कों तथा बरसाती पानी की नालियों के लिए निविदायें मांगी गई हैं । इन कार्यों के शीघ्र ही दे दिये जाने की सम्भावना है ।

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया है कि लक्ष्मी नगर तथा शकरपुर के लिए मल निर्यात, बरसाती पानी की नालियों, उद्यान, सड़कों, पैदलपथों, निचले क्षेत्रों का भरान तथा जलपूर्ति इत्यादि की व्यवस्था करने के लिए आकलन तैयार कर दिये गये हैं ।

बिहार में अनुसूचित जनजातियों को निम्न आय वर्ग और मध्यम आय वर्ग फ्लैटों का आबंटन

188. **श्री एन० ई० होरो** : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वरिआत आवासीय कालोनी (रांची), अरगोरा आवासीय कालोनी (रांची)और आदित्यपुर आवासीय कालोनी (जमशेदपुर) में अनुसूचित जनजातियों को आवंटित निम्न आय वर्ग और मध्यम आय वर्ग फ्लैटों की संख्या कितनी है और क्या फ्लैट वास्तव में उनके कब्जे में है ;

(ख) उपरोक्त आवासीय कालोनियों में फ्लैटों की कुल संख्या कितनी हैं और उनके निर्माण पर कुल कितनी लागत आई है ; और

(ग) इन फ्लैटों के निर्माण पर हुए व्यय में केन्द्रीय सरकार का हिस्सा कितना था ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) से (ग) बिहार सरकार से सूचना एकत्र की जा जही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

दिल्ली पुलिस कर्मचारियों द्वारा खेलों के टिकटों की खरीद

189. **श्री एन० ई० होरो** : क्या खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 26-8-1982 के "हिन्दुस्तान राइम्स" में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है कि ऐसे मामले हुए हैं जहां ड्यूटी पर तैनान पुलिस कर्मचारी राजधानी के लगभग सभी केन्द्रों से एशियाई खेलों के टिकट प्राप्त करने के लिए अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं ;

(ख) क्या पंचकुईयां रोड़ पर स्थित सामुदायिक केन्द्र पर इसका सर्वाधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ा ; और

(ग) यदि हां, तो एशियाई खेलों के टिकट वितरण के लिये की गई व्यवस्था का ब्यौरा क्या है ?

पूर्ति मंत्रालय के तथा खेल विभाग के राज्यमंत्री (श्री बूटासिंह) : (क) और (ख) जी हां। दिल्ली में पंचकुईयां रोड़ स्थित बिक्री केन्द्र सहित नौ बिक्री केन्द्रों से एशियाड टिकटें प्राप्त करने के लिए ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों द्वारा पद का दुरुपयोग करने के सम्बंध में एशियाई खेल 1982 के लिए विशेष आयोजन समिति के नोटिस में कोई विशेष शिकायत नहीं आई है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश में 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत किया गया खर्च

190. **श्री त्रिलोक चन्द** : क्या ग्रामीण विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में 20-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण विकास विभाग ने कितना खर्च किया है :

(ख) 20-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत कितनी प्रगति हुई है और कितने ग्रामीण विकास कार्य पूरे हुए हैं तथा उन पर (सभी कार्यों पर) कितनी धनराशि खर्च हुई है ;

(ग) उत्तर प्रदेश की ग्रामीण योजना के सम्बन्ध में ग्रामीण विकास विभाग की उपलब्धियां क्या हैं ; और

(घ) उत्तर प्रदेश के बुलन्दशहर जिले में ऐसे कितने गांव हैं जहां 20-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत सडकों और पुलों का निर्माण हुआ है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वो० स्वामीनाथन) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

रोहिणी योजना में मध्यम आय वर्ग के अन्तर्गत रजिस्टर्ड लोगों का प्लाटों का आबंटन

191. **श्री आर० एन० राकेश** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डी० डी० ए० की रोहिणी योजना में मध्यम वर्ग के लिए इस श्रेणी के अन्तर्गत आवंटित किए जाने वाले कुल प्लाटों के लिए कुल कितने लोग रजिस्टर्ड हैं ;

(ख) यदि आवंटित किए जाने वाले प्लाटों की अपेक्षा रजिस्टर्ड लोगों की संख्या अधिक है, तो क्या सभी रजिस्टर्ड लोगों को प्लाट दिये जायेंगे ; और

(ग) यदि हां, तो कब तक और इस योजना से आगामी ड्रा कब निकाला जायेगा ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क)

गी आवास योजना की मध्यम आय वर्ग के अन्तर्गत आबंटित किए जाने वाले 16150 प्लाटों लना में 25,889 लोग पंजीकृत हैं।

(ख) तथा (ग) मध्यम आय वर्ग के अन्तर्गत पंजीकृत सभी लोगों को प्लाट आबंटित करने इस समय कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। रोहिणी योजना के अन्तर्गत अगला ड्रा 1983 ो तिमाही के दौरान निकाले जाने की आशा है।

रोहिणी योजना के अन्तर्गत भूखण्डों का आबंटन

192. **श्री आर० एन० राकेश** : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने रोहिणी योजना के अन्तर्गत भूखंडों का आबंटन ने के लिये भेजे गये सभी फार्मों की क्रम संख्या के आधार पर हाल में एक लाटरी निकाली ;

(ख) यदि हां, तो पहली लाटरी में वर्ग वार कितने पंजीकृत व्यक्तियों के नाम की लाटरी ाली ;

(ग) ऐसे वास्तविक पंजीकृत व्यक्तियों की संख्या कितनी है जो पहली लाटरी में सफल और ऐसे आवेदन फार्मों के खरीदारों की संख्या कितनी है जिन्होंने अपने नाम पंजीकृत नहीं ये परन्तु जिनके फार्मों की संख्या पहली लाटरी में सफल रही ; और

(घ) पहली लाटरी इस ढंग से निकाले जाने के क्या विशिष्ट कारण है, और पंजीकृत न ाये गए फार्मों पर निकलने वाले भूखण्डों को एक अन्य लाटरी निकाल कर पंजीकृत व्यक्तियों को बंटित किया जायेगा ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, ।

(ख) पहली लाटरी में आबंटित भूखण्डों के वर्गवार ब्यौरा इस प्रकार है :—

वर्ग	आबंटित भूखण्ड की संख्या
आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग जनता	4610
निम्न आय वर्ग (82 वर्ग मीटर)	2638
(48 वर्ग मीटर)	1440
मध्यम आय वर्ग (60 वर्ग मीटर)	928
(90 वर्ग मीटर)	योग 10332

(ग) जिन आवेदकों ने रोहिणी रियायशी योजना के अन्तर्गत अपना नाम पंजीकृत करवाया हुआ है, उन्हीं आवेदकों में से भूखंडों की लाटरी निकाली गई है। इसको ध्यान में रखते हुए, आवेदन फार्मों के उन खरीददारों जिन्होंने अपने नाम पंजीकृत नहीं किए परन्तु वे लाटरी में सफल रहे, का प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) उपयुर्क्त भाग (ग) के उत्तर को देखते हुए, प्रश्न ही नहीं उठता।

दिल्ली में अनाधिकृत कालोनियों का विकास

193. **श्री त्रिलोक चन्द :** क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल ही में नियमित की गई बस्तियों में आरम्भ की जा रही विकास परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और उन पर सरकार द्वारा कितनी राशि व्यय की जायेगी ; और

(ख) ऐसी कितनी बस्तियां हैं जहां दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान द्वारा अब तक बिजली पहुंचाई गई है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) तथा (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत आसाम को खाद्यान्नों की सप्लाई

394. **श्री संतोष मोहन देव :** क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आसाम राज्यों को वर्ष 1981-82, 1982-83 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना कार्यक्रम योजना के अंतर्गत कुल कितना खाद्यान्न सप्लाई किया गया,

(ख) क्या यह सच है कि भारतीय खाद्य निगम राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम योजना के अंतर्गत आबंटित कुल मात्रा में सप्लाई नहीं कर पाया है, और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार को लाभ प्राप्तकर्ताओं को देने हेतु नकद भुगतान करने क लिए राशि दी गई है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) वर्ष 1981-82 के दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्य क्रम के कार्यान्वयन हेतु असम सरकार को कुल 6,000 मीजरी टन खाद्यन्नों की मात्रा आवंटित/बंटित की गई थी। इसी प्रकार, राज्य सरकार को वर्ष 1982-83 की प्रथम दो तिमाहियों के लिए 3000 मीटरी टन खाद्यान्नों की मात्रा आवंटित/बंटित की गई है।

(ख) जी नहीं। राज्य सरकार ने वर्ष 1981-82 के दौरान खाद्यान्नों की सप्लाई हेतु खाद्यान्नों की कीमत भारतीय खाद्य निगम के पास जमा नहीं करवाई थी और न ही राज्य

सरकार ने भारतीय खाद्य निगम के पास खाद्यान्नों के लिए अपनी मांग रखी थी । जहां तक 1982-83 का संबंध है, राज्य सरकार ने भारतीय खाद्य निगम के खाद्यान्नों की सप्लाई लेतु अपनी मांग अभी तक नही भेजी है ।

(ग) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के लिए आवंटिल केन्द्रीय सहायता की धनराशि मे से वर्ष 1981-82 के दौरान राज्य सरकार के हिस्से की पूरी राशि का वंटन उन्हें नकद किया गया था। जहां तक चालू वर्ष का सम्बन्ध है, खाद्यान्नों के मूल्य के वंटन का प्रश्न तभी उठेगा, जबकि वर्ष के अन्त तक राज्य सरकार को कोई खाद्यान्न सप्लाई नहीं किए जाते हैं ।

असम के लिए सिंचाई योजनायें

195. **संतोष मोहन देव** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र ने असम के लिए कितनी प्रमुख योजनाएं स्वीकृत की हैं ।

(ख) असम को मध्यम और लघु सिंचाई योजनाओं के लिए कुल कितनी राशि स्वीकृत की गई है ; और

(ग) क्या यह सच है कि देश के अन्य भागो की तुलना में असम में सिंचित भूमि का क्षेत्र सबसे कम है ?

सिंचाई मन्त्री (श्री केदार पाण्डे) : (क) दो बृहद सिंचाई स्कीमें, अर्थात् धनसिरि और चम्पामती, योजना आयोग द्वारा स्वीकृत कर ली गई हैं ।

(ख) छठी योजना में मध्यम और लघु सिंचाई स्कीमों के लिए क्रमशः 20.47 करोड़ रुपये और 74.50 करोड़ रुपये के परिव्ययों की व्यवस्था की गई है ।

(ग) भूमि उपयोग सम्बन्धी आंकड़ों (1978-79) के अनुसार, असम में सकल सिंचित क्षेत्र की, सकल बुआई क्षेत्र से प्रतिशतता 17·3 है, जो देश में चार अन्य राज्यों की प्रतिशतता से अधिक है ।

पूर्वोतर राज्यों को "एशियाड" 82 के लिये टिकटों का आवंटन

196. **श्री संतोष मोहन देव** : क्या खेल मंत्री यह वताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बैंकों अथबा अन्य संगठनों के माध्यम से पूर्वोतर राज्यों को एशियाड 82 के लिए कुल कितने टिकट आवंटित किये गये ;

(ख) खेलवार निर्यात किये गये टिकटों का राज्यवार और संघराज्य-क्षेत्र वार ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या देश के अन्य भागों में टिकटों के वितरण का वही आधार अपनाया गया है ?

पूर्ति मंत्रालय के तथा खेल विभाग के राज्य मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : भारतीय स्टेट बैंक के माध्यम से जनता के लिए आम बिक्री के वास्ते उत्तरपूर्वी राज्यों को लगभग 34,500 टिकटें आवंटित की गई हैं ।

(ख) एक विवरण संलग्न है, जिसमें विशेष आयोजन समिति द्वारा राज्यों/ संघ शासित क्षेत्रों को नवें एशियाई खेलों के प्रमुख खेलों/ प्रतियोगिताओं के लिए जारी की गई टिकटों की संख्या दर्शाई गई है।

(ग) देशभर में टिकटों की बिक्री, विशेष आयोजन समिति द्वारा तैयार की गई एक नीति पर आधारित थी ।

विवरण

विशेष आयोजन समिति द्वारा नवें एशियाई खेलों के मुख्य खेलों/प्रतियोगिताओं के लिए राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को जारी की गई टिकटों की संख्या

राज्य/संघशासित क्षेत्र	उद्घाटन	एथेलेटिक्स	फुटबाल	हाकी(पु०)	समापन
आन्ध्र प्रदेश	1550	3950	22750	3325	1400
असम	425	3325	6175	875	425
बिहार	1275	10500	19175	2450	1275
गुजरात	1150	8925	16575	2800	1150
हरियाणा	1325	10500	18525	3425	1325
हिमाचल प्रदेश	100	700	1525	175	100
जम्मू व काश्मीर	100	875	1625	350	100
केरल	525	3675	6500	875	525
कर्नाटक	1200	2750	13650	3800	1200
मध्य प्रदेश	1050	8575	15600	2625	1050
महाराष्ट्र	2700	21475	40300	6125	2650
मणिपुर	50	525	325	350	50
मेघालय	25	175	325	175	25
नागालैंड	25	175	325	172	25
उड़ीसा	550	4375	8125	1050	550

1	2	3	4	5	6
पंजाब	1350	10800	20150	3150	1350
राजस्थान	1750	14000	26325	4550	1750
सिक्किम	25	175	650	175	25
तमिलनाडु	1375	11200	20475	4150	1400
त्रिपुरा	25	350	975	175	25
उत्तर प्रदेश	2400	19250	35425	5600	2375
अरूणाचल प्रदेश	25	175	325	175	25
पश्चिम बंगाल	1925	15225	28925	4000	1925
चंडीगढ़	1000	8050	14950	2625	1000
दिल्ली	16800	134750	247650	40250	16800
गोवा, दमन व दीव	25	175	325	175	25
मिजोरम	25	175	325	175	25
पाण्डिचेरी	50	350	650	175	50
अंडमान व निकोबार द्वीव समूह	50	350	650	350	50
लक्ष द्वीप	50	350	650	175	50

आसाम में ग्रामीण जल योजनाओं का कार्यान्वयन

197. श्री संतोष मोहन देव : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र ने ग्रामीण जल योजना के अन्तर्गत 1981-82 और 1982-83 में कुल कितनी योजनाओं पर मन्जूरी दी है ; और

(ख) ग्रामीण जल प्रदाय की केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत आसाम राज्य ने कुल कितनी योजनायें कार्यान्वित की है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) 1981-82 के दौरान असम में 332 ग्रामों को लाभान्वित करने वाली 137 ग्रामीण जलपूर्ति योजनाओं को केन्द्र द्वारा त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत तकनीकी रूप से अनुमोदित

कर दिया गया था। वर्ष 1982-83 के दौरान त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्नत असम के लिए अभी तक किसी जलपूर्ति योजना का तकनीकी रूप से अनुमोदन नहीं किया गया है।

(ख) 1981-82 के दौरान, असम के 59 समस्याग्रस्त ग्रामों को केन्द्र द्वारा प्रवर्तित त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत शामिल नहीं किया गया था। 1982-82 में जून, 1982 तक लाभान्वित समस्याग्रस्त ग्रामों की संख्या 18 थी।

गांवों में आवासीय सुविधायें

198. **श्री पी० राजगोपाल नायडू** : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गांवों में मकान सुविधाओं के सम्बन्ध में कोई रिपोर्ट उनके मन्त्रालय को प्रस्तुत की गई है ;

(ख) क्या इस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि गावों में मकानों की कमी है ; और

(ग) इस समस्या को सुलझाने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जायेगी ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सरकार का ग्रामीण आवास को अधिकमहत्व देती है तथा ग्रामीण कामगारों को आवास स्थल न निर्माण सहायता कार्यक्रम को 20 सूत्री कार्यक्रम में शामिल किया गया है। छठी पंच-वर्षीय योजना में योजना के अन्त तक आवास स्थल क र्यक्रम में सभी भूमिहीन परिवारों को शामिल करने पर विचार किया गया है। इसमें यह भी विचार किया गया है कि आवास स्थल के 25 प्र० श० आवंटियों 1985 तक निर्माण सहायता दी जाय। इसके अतिरिक्त, हुडको को कहा गया है कि ग्रामीण आवास पर अधिक ध्यान दे तथा अपनी निधियों का कम से कम 15 प्रतिशत इस प्रयोजन के लिये उपयोग करे। आवास के लिए जीवन बीमा निगम का प्रतिवर्ष 10 करोड़ रुपये का नियतन ग्रामीण आवास कार्यक्रम के लिए उद्दिष्ट किया गया है। सामान्य बीमा निगम द्वारा दी गई सहायता को केवल आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग और ग्रामीण आवास के लिए उपयोग में लाया जा रहा है।

राजधानी में लीज पद्धति को समाप्त करना

199. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अभी तक इस आशय का कोई निर्णय लिया है कि राजधानी में सहकारी आवास भवन-निर्माण समितियों को पट्टे पर दी गई दिल्ली विकास प्राधिकरण की भूमि

से सम्बन्धित लीज पद्धति समाप्त कर दी जाए ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले की वर्तमान स्थिति क्या है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) यह मामला अभी भी सरकार के विचाराधीन है।

उत्तरी पीतमपुरा में पक्की सड़कें बनाना

200. **श्री कालीचरण शर्मा** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा उत्तरी पीतमपुरा रिहायशी योजना दिल्ली के 'बी' , 'सी' , 'डी' , 'एफ' 'एच' के 'एल' तथा 'एम' पाकेटों में बड़ी तथा भीतरी पक्की सड़कों का निर्माण नहीं किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इन पाकेटों के निवासियों को यह मूल सुविधा देने के क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण तथा आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) तथा (ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि इन सभी ब्लाकों में सड़क कार्य का प्रथम चरण पहले ही पूरा हो गया है जिनमें पानी कुटी मैकाडम तथा तारकोल बिछाने का कार्य तब आरम्भ किया जायेगा जब लगभग 50 प्र० श० मकान तैयार हो जायेंगे ।

उत्तरी पीतमपुरा के 'क' 'एल' तथा 'एम' पाकेटों में मुख्य सीवर लाईन बिछाया जाना

201. **श्री कालीचरण शर्मा** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस बात के क्या का ण हैं कि उत्तरी पीतमपुरा रिहायशी योजना के 'के', 'एल' तथा 'एम' में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा मुख्य सीवर लाइन अभी तक नहीं बिछाई गई है हालांकि प्लाटों का कब्जा अगस्त, 1979 में दे दिया गया था और यह कार्य फरवरी, 1882 में आरम्भ किया गया था और यह कार्य फरवरी, 1982 में आरम्भ किया गया था ; और

(ख) उपरोक्त कार्य कब तक पूरा होने की संभावना है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) तथा (ख) पाकेट के०, एल० तथा एम० की मुख्य मल निर्यास लाइने पहले ही बिछा दी गई हैं तथापि, बस्ती से बाहर जाने वाली मल निर्यास लाइन का कार्य प्रगति पर है और अन्त तक यह कार्य पूरा हो जाने की आशा है ।

खो-खो को प्रदर्शन/नुमाइशी खेल का दर्जा दिया जाना

202. **श्री बी० एन० गाडगिल** : क्या खेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एशियाई खेल, 1982 की विशेष आयोजन समिति ने भारतीय खेलों को बढ़ावा देने के लिए क्या विशिष्ट उपाय किये हैं ; और

(ख) एशियाई खेल, 1982 में खो-खो को प्रदर्शन/नुमाइशी खेल का दर्जा न देने के क्या कारण है ?

पूर्ति मंत्रालय के तथा खेल विभाग के राज्य मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) : एशियाई खेल संघ नियमावली के अनुसार प्रदर्शन के रूप में केवल दो ही खेलों को शामिल किया जा सकता है। एशियाई खेल संघ द्वारा तथा अनुमोदित एक भारतीय खेल कबड्डी और एक मलेशियाई खेल सेपक टाकरा को एशियाड 1982 के प्रदर्शन खेलों के रूप में शामिल किया गया है।

भारदीय खो-खो फेडरेशन का संबद्धता प्रदान करने सम्बन्धी अनुरोध

203. **श्री बी० एन० गाडगिल** : क्या खेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय आलम्पिक एसोसिएशन ने भारतीय खो-खो फेडरेशन के सम्बद्धता प्रदान करने सम्बन्धी आवेदन को अस्वीकार कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं।

पूर्ति मंत्रालय केतथा खेल विभाग के राज्य मंत्री (बूटा सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) भारतीय ओलम्पिक संघ ने भारतीय खो-खो फेडरेशन की सम्बद्धता के लिए अनुरोध पर 1979 में और पुनः 1982 में विचार किया। भारतीय ओलाम्पिक संघ का विचार था कि खो-खो ओलम्पिक अथवा एशियाई खेल न होने के कारण इस फेडरेशन को भारतीय ओलम्पिक संघ द्वारा तत्काल संबद्धता प्रदान करने की आवश्यकता नहीं है।

एशियाई खेलों की विशेष गठन समिति द्वारा भाग लेने वाले विदेशियों को भारतीय खेलों से परिचित करना

204. **श्री बी० एन० गाडगिल** : क्या खेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एशियाई खेलों की विशेष गठन समिति भाग लेने वाले विदेशियों को भारतीय खेलों विशेषकर खो-खो से परिचत कराने के बारे में कोई प्रयत्न कर रही है ; और

(ख) क्या समिति ने भारतीय खेलों, विशेषकर खो-खो पर कोई फिल्म तैयार की है ?

पूर्ति मंत्रालय के तथा खेल विभाग में राज्य मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : जी, नहीं।

(ख) केवल खो-खो के लिए कोई फिल्म नहीं है लेकिन फिल्म नहीं है लेकिन प्रभाग द्वारा

अन्य खेलों पर फिल्में तैयार की जाती हैं।

खो-खो के दर्जे सम्बन्धी निर्णय में परिवर्तन

205. **श्री वी० एन० गाडगिल** : क्या खेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विशेष आयोजन समिति शुरू में खो-खो को नुमाइशी/प्रदर्शन खेल का दर्जा दिया था ; और

(ख) यदि हां, तो बाद में इस निर्णय को बदलने के क्या कारण हैं ?

पूर्ति मंत्रालय के तथा खेल विभाग के राज्य मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

उड़ीसा और गंगा बेसिन की नदियों में गाद निकालने के लिए कदम

206. **श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर** : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चूंकि उड़ीसा और गंगा बेसिन की नदियों में गाद प्रमुख समस्या है; इसके निकालने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं और पिछले तीन वर्षों में उठाए गए प्रत्येक कदम का वर्षवार क्या परिणाम निकलता है ; और

(ख) नियमित रूप से तलकर्षण और जल के अपेक्षित बहाव को सुनिश्चित करने के लिए कितनी धनराशि दी गई है ?

सिंचाई मंत्री (श्री केदार पाण्डे) : (क) बाढ़ प्रवण नदियों में अत्यधिक तलछट भार; बाढ़-स्तरों में वृद्धि करने वाले कारणों में एक है। नदियों में तलछट भार को कम करने के एक उपाय के रूप में, जलग्रहण क्षेत्रों में निम्नीकृत भूमि का उपचार किया जाना अपेक्षित है ताकि उन्हें भूमि-कटाव से सुरक्षित किया जा सके। नदी घाट परियोजनाओं के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित एक भू-संरक्षण स्कीम तीसरी योजना के समय से कार्यान्वित की जा रही है. जिसमें उड़ीसा में हीराकुण्ड, मचकुण्ड और रेंगाली मदिरे नदी घाटी परियोजनाओं के जलग्रहण क्षेत्रों में स्थित क्षेत्र शामिल हैं। भारत स्थित गंगा बेसिन की बाढ़ प्रवरण नदियों के जलग्रहण क्षेत्रों में एकीकृत जल प्रबन्ध की केन्द्र द्वारा प्रायोजित एक नई स्कीम भी 1980-81 में चलाई गई थी। यह स्कीम लगभग 63 छोटे जल विभाजकों में प्रचालित की गई है। इसके अलावा, राज्य सेक्टर के अन्तर्गत भू-संरक्षण कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं।

(ख) पूर्णतः बाढ़ नियन्त्रण उपाय के रूप में, नदियों में तलमार्जन (ड्रेजिंग) कार्य आर्थिक दृष्टि से एक व्यवहारिक प्रस्ताव नहीं है और केन्द्रीय सरकार को ऐसे कार्य के लिए राज्य सरकारों द्वारा किए गए किसी आवंटन की जानकारी नहीं है।

तमिलनाडु सरकार द्वारा पनागुडी राकेट सैन्टर की वनभूमि

207. **श्री के० टी० कोसलराम** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लगभग 10,000 फुट की ऊंचाईप र पड़ने वाली लगभग 10,000 एकड़ वन-भूमि जो अंशतः त्रिरुनेलवेली जिले में और अंशतः कन्याकुमारी जिले में पड़ती है, तमिलनाडु सरकार द्वारा पनागुडी राकेट सेंटर को दे दी गई है हालांकि वहां दुर्लभ नस्लों के बन्दर रहते है ;

(ख) क्या पछायर सिंचाई परियोजना केवल 3,000 फुट की ऊंचाई पर बनाने की योजना है, और उसी नस्ल के दुर्लभ बन्दर लगभग 6,000 फुट की ऊंचाई पर रहते हैं ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार पछायर नदी परियोजना के लिए वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम लागू करने से छूट देने का है जैसा कि वन्य जीवन संरक्षण (संशोधन) विधेयक को पास करते समय लोक सभा के पिछले सत्र में राज्य मन्त्री द्वारा बताया गया था ; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में वर्तमान स्थिति क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) (क) जी, नहीं । सच तो यह है कि तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले के महेन्द्र गुड़ी और पोइ-कलमलाय आरक्षित वनों में 2998 एकड़ क्षेत्र तरल परीक्षण सुविधा की स्थापना के लिए अन्तरिक्ष विभाग को हस्तान्तरित किया गया है इन दोनों वनों में 2001.5 एकड़ का एक दूसरे क्षेत्र को बफर जोन के रूप में सभी प्रकार के कार्यकलापों से मुक्त कर दिया गया है । यह क्षेत्र एम० एस० एल० से 500' फुट की ऊंचाई पर है । यह सही है कि शेर जैसी पूंछ के मेकाक्यू नामक बंदर की दुर्लभ प्रजाति लस क्षेत्र में पायी जाती है ।

(ख) केन्द्रीय सरकार का ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं मिला है । राज्य सरकार ने सूचना दी है कि उन्होंने इस परियोजना को प्रारम्भ न करने का फैसला किया है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं होता ।

(घ) प्रश्न ही नहीं होता ।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : मुझे एक निवेदन करना है । हमने एक संयुक्त स्थगन प्रस्ताव दिया है लेकिन हमें यह जानकर बहुत खुशी हुई कि आपने इसी विषय पर चर्चा रखी। एक और भी महत्वपूर्ण स्थगन प्रस्ताव है । प्रधान मन्त्री जब सोवियत संघ में थी उन्होंने सोवियत नेताओं से शिकायत की कि विपक्षी दल सरकार को कमजोर बना रहे हैं । इससे सोवियत संघ का हमारे आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप कराया जा रहा है ।

अध्यक्ष महोदय : इसकी अनुमति नहीं है ।

प्रो० मधु दडण्वते : महोदय, यह एक आन्तरिक मामला है। यह बहुत आपत्तिजनक है। अनुचित है (व्यवधान)

श्री रशीद मसूद (सहारनपुर) : स्पीकर साहब, काश्मीर असेम्बली में रिहैब्लीटेशन बिल रहा है- मेरा यह प्रयोजन है कि पार्लियामेंट की तरफ से एक रैज्यूलूशन पास कियाजाए जिसमें फारूख अब्दुला की दरख्वास्त की जाए कि वह उसे ड्राप कर दें।

(व्यवधान)

प्रो० के० के० तिवारी (बक्सर) : महोदय मैंने एक विशेषाधिकार का नोटिस दिया

अध्यक्ष महोदय : इसकी अनुमति नहीं है। मैंने अपनी सहमति नहीं दी है।

प्रो० के० के० तिवारी : महोदय उन्होंने···स्वीकार कर लिया है।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : इसकी अनुमति नहीं है (व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते : महोदय आपका विनिर्णय क्या है।

अध्यक्ष महोदय : इस विषय पर स्थगन प्रस्ताव देने का कोई प्रश्न ही नहीं है।

प्रो० मधु दंडवते : क्या प्रधान मन्त्री का रूस में जाकर हमारी आंतरिक समस्याओं के बारे बताने में कुछ अनौचित्य नहीं है? अनौचित्य के सम्बन्ध में आपका विर्णय क्या है ?

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : इसकी अनुमति नहीं है। यह कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया एगा। (व्यवधान)* क्या आप अपनी सीट पर जाऐंगे।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : अध्यक्ष महोदय. 7 लाख नर-नारी दुनिया में युद्ध के लाफ पीस मार्च कर रहे हैं जो कि दिल्ली शहर में घूमकर वोट क्लब में इकट्ठे होंगे, हमारे न को उनका अभिनन्दन करना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : यह नियम 377 में आ गया है।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : इसकी अनुमति नहीं है।

श्री सुनील मैत्रा (कलकत्ता उत्तर-पूर्व) : अध्यक्ष महोदय, सांप्रदायिक दंगों पर दिए गए गन प्रस्ताव पर, यह स्वीकार किया गया था कि यह नियम 193 के अन्तर्गत आएगा। यही रण है कि हमने स्थगन प्रस्ताव दिया है। यह सहमति प्रस्ताव है।

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : इसकी अनुमति नहीं है। आप मेरे चेम्बर में आइये और इस पर बात कीजिए।

श्री सतीश अग्रवाल (जयपुर) : सदस्यगण सांप्रदायिक दंगों पर विवाद के लिए सहमत हो सकते हैं। एक बात मैं कहना चाहूंगा। 24 तारीख को पूरे देश में श्रमजीवी पत्रकार संघ और समाचार-पत्र सम्पादक सम्मेलन ने प्रेस विधेयक के विरूद्ध आंदोलन किया।

अध्यक्ष महोदय : इसकी अनुमति नहीं है।

श्री सतीश अग्रवाल : इससे पूरे देश में प्रेस जगत को क्षुब्ध है।

श्री ई० बालानन्दन (मुकुन्दपुरम) : मैंने देश में आई बाढ़ और सूखे पर स्थगन प्रस्ताव दिया है। इस पर चर्चा होनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : हम उसी पर आ रहे है। हमने उस पर अगले सप्ताह चर्चा करने का निर्णय लिया है।

प्रो० के० के० तिवारी : अध्यक्ष महोदय···

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

श्री सी० के० पी० उन्नीकृष्णन (वडागार) : अगर इसे आप कार्यवाही वृत्तांत में शामिल करने जा रहे हैं तो इन्हें भी बोलने की अनुमति दी जाय···

अध्यक्ष महोदय : नहीं। मेरी अनुमति के बिना कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में शामिल न किया जाय। मेरी अनुमति के बिना जो कुछ भी कहा जायेगा इसे कार्यवाही वृत्तांत में शामिल न किया जाय। अब श्री पासवान बोलेंगे :

रामविलास पासवान : अध्यक्ष जी, मैंने एडजर्नमेंट मोशन दिया है, मेरठ के सम्बन्ध में।

अध्यक्ष महोदय : वह हो गया है।

श्री राम बिलास पासवान : वहां पर रोज हत्यायें हो रही हैं।

अध्यक्ष महोदय : आपकी बात मान ली है फिर भी आप गड़बड़ कर रहे हैं।

श्री रामविलास पासवान : आपने 7 तारीख को डिस्कशन रखा है, एडजर्नमेंट मौशन क्यों एलाऊ किया? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप कल क्यों नहीं आए?

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री राम विलास पासवान : हमारी तरफ से दूसरे गए थे।

अध्यक्ष महोदय : कौन ?

(व्यवधान)

प्रो० सत्यसाधन चक्रवर्ती : कृपया हमें सुनें। यह एक अन्य मामले पर है।

(व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : स्थगन प्रस्ताव क्यों नहीं ? 193 ही क्यों ?

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : हमारी प्रधान मन्त्री अभी हाल ही में सोवियत संघ की यात्रा से लौटी हैं। हम चाहते हैं कि वह अपनी सोवियत संघ की यात्रा के बारे में सदन में वक्तव्य दें।

अध्यक्ष महोदय : मन्त्री महोदय वक्तव्य दे रहे हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अनुमति नहीं है। सभा पटल पर पत्र रखे जायेंगे।

प्रो० सत्यसाधन चक्रवर्ती : क्या वह वक्तव्य देने के लिए तैयार है।

अध्यक्ष महोदय : आपका मत अपनी जगह ठीक है।...आपने कह दिया... ठीक है :

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं जिसके बारे में मैंने एडजर्नमेंट मोशस दिया है, क्या प्रधान मन्त्री जी विदेश में जा करके ...

अध्यक्ष महोदय : अनुमति नहीं है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : क्या वे प्रधान मन्त्री की रूस यात्रा पर वक्तव्य देने को तैयार है या नहीं।

अध्यक्ष महोदय : इस पर विचार किया जा रहा है।

सुब्रह्मण्यम स्वामी : इसके क्या मतलब है कि मैंने इसको नोट कर लिया है ? हम आश्वासन चाहते हैं। उन्होंने श्री ब्रिजनोव को दखल देने के लिए कह कर भारत में विदेशी ताकतों को बुलावा दिया है। उन्होंने उनसे कहा है कि वह भारत के आंतरिक मामलों में दखल करें। वह विदेशी हाथ की बात करती रहती हैं।

क्या वह चाहती हैं कि रूसी हाथ हो या सभी किस्म के विदेशी हाथों के वह विरूद्ध हैं ?

(व्यवधान)*

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं। मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं। अनुमति नहीं है।

(व्यवधान)

श्री रतन सिंह राजदा (बम्बई दक्षिणी) : मैं एक प्रश्न उठाना चाहता हूं जो कि सदन की सुरक्षा से सम्बन्धित हैं। प्रधान मन्त्री ने अभी नये मन्त्रियों का परिचय दिया है। मैं उनमें एक भद्र व्यक्ति की ओर इशारा करना चाहता हूं। उन्होंने नये मंत्रियों का परिचय दिया है। एक मंत्री का नाम 'एच० के० एल० भगत' बताया गया है।

जैसा कि हम सभी जानते हैं, श्री एच० के० एल० भगत, सदन के इस तरफ बैठा करते थे।

अध्यक्ष महोदय : वहां क्या हो रहा है ?

श्री रतन सिंह राजदा : लेकिन जिस मन्त्री का परिचय दिया गया है, वह दूसरे ही हैं।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : वह एक फर्जी है।

एक माननीय सदस्य : उनको खड़े होकर स्पष्टीकरण देना चाहिए।

श्री रतन सिंह राजदा : सदन में घुसपैठिये हो सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : श्री गंगवार। बस काफी हो गया।

अब श्री गंगवार बोलेंगे।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अनुमति नहीं है ; कार्य वृत्तांत में शामिल न किया जाना, श्री गंगवार।

श्री हरीश कुमार गंगवार (पीलीभीत) : अध्यक्ष जी, अभी बड़ौदा के पास तेल के कुयें में आग लगी और उसके पहले बाम्बे हाई में आग लग गई थी।

अध्यक्ष महोदय : यह मेरे विचाराधीन है।

(व्यवधान)

श्रीमती प्रमिला दंडवते : (बम्बई उत्तर मध्य) अध्यक्ष जी, हमारी बात भी सुन लीजिए।

अध्यक्ष महोदय : श्रीमती दंडवते, कृपया अपने स्थान पर जायें।

श्रीमती प्रमिला दंडवते : आप हमारी तरफ देखते ही नहीं।

अध्यक्ष महोदय : आपकी तरफ भी देखते हैं, आप बैठिए।

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री नारायण चौबे (मिदानपुर) : श्रीमन्, करीव दस लाख शान्ति मार्च करने वालों पर हमला किया गया ···

अध्यक्ष महोदय: हमने इसको 337 के अधीन अनुमति दे दी है।

(व्यवधान)

श्री कृष्ण कुमार गोयल (कोटा) : विहार प्रेस विल ···

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको बता दिया है कि यह स्टेट सब्जैक्ट है। मैंने बहस करवा दी है। इसके बाद मैं और कुछ नहीं कर सकता हूं।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : अध्यक्ष जी, उसके बाद दमन हो रहा है।

अध्यक्ष महोदय : अनुमति नहीं है ।

(व्यवधान) *

श्री नीरेन घोष (दमदम) श्रीमन्, मैं आपको एक सुझाव देना चाहता हूं कि आप कृपया प्रधान मन्त्री की श्री ब्रिजनोव के साथ भारतीय दलों के बारे में हुई बातों पर चर्चा की अनुमति प्रदान करें।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है।

(व्यवधान)

श्री आर० एन० राकेश (चैन) : अध्यक्ष महोदय, मेरठ का दंगा सांप्रदायिक नहीं है, केवल राजनीतिक है। इस पर मैंने आपको एडजार्नमेंट मोशन दिया है।

अध्यक्ष महोदय : अनुमति नहीं है ।

(व्यवधान)*

श्री शान्तु भाई (सावरकंठा) : मैंने आपको एडजार्नमेंट मोशन दिया है कि बम्बई में ढ़ाई लाख मिल मजदूर हड़ताल पर हैं ···

अध्यक्ष महोदय : उस पर कई दफा चर्चा हो चुकी है । अनुमति नहीं है।

(व्यवधान)**

श्री बी० डी० सिंह (फूलपुर) : अध्यक्ष महोदय, मेरठ का दंगा ···

अध्यक्ष महोदय : यह बात हो गई है। मैंने सब लीडर्स की सहमति से किया है।

श्री बी० डी० सिंह : दूसरे, प्रधान मंत्री की यू० एस० एस० आर० की यात्रा के बारे में ···

**कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : इस बारे में बात हो गई है ।

···(व्यवधान)···

श्री बीजू पटनायक (केन्द्रपाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, उड़ीसा में फल्ड के लिए···

अध्यक्ष महोदय : इस पर पहले ही फैसला हो गया है । हम इस पर चर्चा करेंगे ।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री (सैदपुर) : अध्यक्ष महोदय, मेरठ का दंगा ···

अध्यक्ष महोदय : "नॉट एनाउड" । आपके प्रतिनिधियों के साथ डिसकस होकर तय हुआ है

···(व्यवधान)···

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : 193 में लिया जाएगा । ···व्यवधान···

अध्यक्ष महोदय : आप मेरे से क्यों पूछते हैं, आपको साथियों से इस बारे में पूछना चाहिए।

···(व्यवधान)···

श्री मनीराम बागड़ी (हिसार) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कहना चाहता हूं । हमारे विपक्ष के लोगों से या नेता लोगों से जो फैसला करके आते हैं, तो फिर हमको भी बोलने दीजिए। हमारी जबान पर लगाम लगाकर खुद अपनी बात कह देते हैं···(व्यवधान)···यदि मेरठ का सवाल था, तो आपको कहना चाहिए कि मेरठ का सवाल इन लोगों का आया था । हर आदमी मेरठ का सवाल उठाता है ·· (व्यवधान)··· अध्यक्ष जी, इस तरह से चलेगा कि सभी लोगों ने दिया है तो सभी चाहेंगे, मेरा आए-मेरा आए···

अध्यक्ष महोदय : प्रजातान्त्रिक प्रणाली है।

श्री मनीराम बागड़ी : प्रजातन्त्र है । आपने विरोधी नेताओं से बात की है ।

अध्यक्ष महोदय : बात करके ही किया है।

श्री मनीराम बागड़ी : आप इन सब लोगों को रोक कर कहना चाहिए ।

···(व्यवधान) ···

अध्यक्ष महोदय : मैं यह बात बार-बार कह रहा हूं, लेकिन कोई नहीं सुनता है ।

···(व्यवधान) ··

श्री मनीराम बागड़ी : दूसरी बात यह है कि राजस्थान एसेम्बली द्वारा यहां के माननीय सदस्य, श्री अटल बिहारी वाजपेयी, को सम्मन किया गया है । यह बात अखबार हिन्दुस्तान में छपी है । मैंने उसके आधार पर विशेषाधिकार दिया है। अगर ऐसी कोई बात है, तो उनको आपको लिखना चाहिए, आप संरक्षण में आना चाहिए, उनको क्या अधिकार है।

अध्यक्ष महोदय : मुझे आपका नोटिस मिल गया है। वह मेरे अंडर कंसीडरेशन में है। मेरे सदस्य का कोई भी पार्टी, कोई कुछ करेगा यह बहुत गम्भीर बात है। इसका मैं आपको सोच समझकर जवाब दूंगा।

श्री जयपाल सिंह कश्यप (आंवला) : अध्यक्ष महोदय, करोड़ों लोगों पर बाढ़ और सूखे का असर पड़ा है।

अध्यक्ष महोदय : इसका तो फैसला हो गया है।

डा० बसंत कुमार पंडित (राजगढ़) श्रीमन्, मैंने सरकार का ध्यान तारापुर के लिए परमाणु ईंधन के न हल हुए प्रश्न की ओर दिलाया है।

अध्यक्ष महोदय : यह मेरे विचाराधीन है। कृपया बैठ जाइए। यह ठीक है।

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : अध्यक्ष महोदय, आपने मेरठ इनसीडेंट्स पर डिस्कशन एक्सेप्ट कर लिया है। क्या फैसला आपने किया है ?

अध्यक्ष महोदय : 7 तारीख को आ रहा है। कल फैसला किया है और बुलेटिन में आ गया है।

श्री चन्द्रजीत यादव : इसके कब्ल यह आप करवा दीजिए कि पी० ए० सी० वहां से विदड्रा हो जाए। पी० ए० सी० के खिलाफ वहां बहुत ज्यादा रिजेन्टमेंट है। उसको वहां से विदड्रा करवाइए।

अध्यक्ष महोदय : आपकी बात सुन ली है।

आचार्य भगवान देव (अजमेर) : श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में बागड़ी जी ने जो विचार व्यक्त किये हैं, उनके बारे में मैं यह कहना चाहता हूं ···(**व्यवधान**)···

अध्यक्ष महोदय : आपको इस बारे में नहीं कहना है। यह मेरे विचाराधीन है।

···(**व्यवधान**) ···

प्रो० के० के० तिवारी : मैं इस सदन के नियमों का उल्लघंन नहीं करना चाहता लेकिन एक नियम विशेष के अन्तर्गत मैं आपका ध्यान एक समाचार की ओर दिलाना चाहता हूं कि···

अध्यक्ष महोदय : मैंने इस पर पूरी ईमानदारी से विचार किया है। यह किसी भी तरह विशेषाधिकार के प्रस्ताव का मामला नहीं बनता है।

प्रो० के० के० तिवारी : मेरी सूचना कि उन्होंने 40 ल,ख रु० लिये हैं की पुष्टि के ···

अध्यक्ष महोदय : मैंने अपना निर्णय दे दिया है, इस पर अब कोई प्रश्न नहीं होगा ···कुछ भी नहीं हो सकता।

···(**व्यवधान**)···

अध्यक्ष महोदय : किसी भी सदस्य का नाम कार्यवाही वृत्तांत में शामिल न किया जाए ... मैं अपने निर्णय से सन्तुष्ट हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह भेदभाव नहीं है।

प्रो० के० के० तिवारी : मैंने एक सूचना दी है ..

अध्यक्ष महोदय : मैंने इसकी अनुमति नहीं दी है।

प्रो० के०के० तिवारी : मैं आपका निर्णय चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैंने अपनी सम्मति नहीं दी है।

प्रो० के० के० तिवारी : मैं इस विषय पर आपका निर्णय चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय: यह मेरा निर्णय है, मैंने अपनी सम्मति नही दी है। आप मुझ को डरा नहीं सकते।

प्रो० के० के० तिवारी : मैं आपको डरा नहीं रहा हूं। आप मुझको चुप करना चाहते हैं मैं यह विषय उठाना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप ऐसा नहीं कर सकते।

प्रो० के० के० तिवारी : 40 लाख रु० लिये गये हैं...

अध्यक्ष महोदय: यह सब कुछ वैध है, कानून के अन्तर्गत है और कुछ भी नहीं छुपाया गया है। कुछ भी समस्या नहीं है।

अब सभा पटल पर पत्र रखे जायेंगे।

सभा पटल पर रखे गए पत्र

केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क विधि (संशोधन और विधिमान्यकरण) अध्यादेश, 1982

संसदीय कार्य तथा आवास और निर्माण मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : मैं सभा पटल पर निम्नलिखित पत्र रखता हूं : संविधान के अनुच्छेद 123 (दो) (क) के अन्तर्गत राष्ट्रपति द्वारा 24 सितम्बर, 1982 को प्रख्यात केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क विधि (संशोधन और विधिमान्यकरण) अध्यादेश, 1982 (1982 का संख्या 1) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 4508/82]

दिल्ली प्रशासन अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुब्बया) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर

रखता हूं : अधिसूचना संख्या का० आ० 681 (अ) की एक प्रति, (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो 18 सितम्बर,1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी और जिसमें दिल्ली प्रशासन अधिनियम, 1966 की धारा 31 के अन्तर्गत जारी किया गया 18 सितम्बर, 1982 का राष्ट्रपति का आदेश दिया गया है, जिसके द्वारा उक्त अधिनियम के कतिपय उपबन्धों को 21 सितम्बर, 1982 से 6 महीने की और अवधि के लिये निलम्बित किया गया है ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 4509/82]

अध्यक्ष महोदय : डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री भीष्म नारायण सिंह, आप इनको रोकिये ।

मैं इनका नाम पुकारने जा रहा हूं ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृतान्त में नहीं जायेगा । वे सभी मेरी अनुमति के बिना बोल रहे हैं । मैंने किसी को भी अनुमति नहीं दी है ।

(व्यवधान) **

अध्यक्ष महोदय : माननीय सस्दयों, क्या आप इसी तरह अवज्ञा करते रहेंगे ?···कृपया बैठ जाइये ।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल न किया जाय ।

आप क्या कर रहे हैं ।···(**व्यवधान**)··· मुझे किसी बात का पता नहीं है । जो विधान के अनुसार रूल्स बना कर मुझे सौंपे हैं, उनके अनुसार में चल रहा हूं । मैं ए, वी, सी, डी, से कोई मतबल नहीं रखता ।

हम सभी इस सदन के माननीय सदस्य हैं और मैं जो कुछ नियम पुस्तकों में कहा गया है, उसी के अनुसार कार्य करूंगा । मैं इससे जरा-सा भी इधर-उधर नहीं चलूंगा । यही मेरा रक्षक है अगर आप सीधे ही बात चातचीत करना चाहते हैं तो कृपया बाहर जाकर अपनी चर्चा करें । मुझे कोई इतराज नहीं होगा ।

अध्यक्ष महोदय : डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने अपना निर्णय दे दिया है, मैंने आपको अपनी सम्मति नहीं दी है ।

**कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मलित नहीं किया गया ।

प्रो० के० के० तिवारी : मैं अध्यक्ष से निर्णय चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने अपनी सम्मति नहीं दी है । कितनी दफा मैं आपको अपना निर्णय दूंगा कि मैंने आपको अपनी सम्मति नहीं दी है । यह विशेषाधिकार के प्रस्ताव का मामला नहीं बनता है । बस । आप इससे ज्यादा और क्या चाहते हैं ?

प्रो० के० के० तिवारी : इतना महत्वपूर्ण मामला लाया गया है ।

अध्यक्ष महोदय : आपके अनुसार यह महत्वपूर्ण हो सकता है । मेरे लिए नहीं क्योंकि यह नियमों के अन्तर्गत है ।

आप मेरी बात सुनना ही नहीं चाहता, तो मैं इसके बारे में क्या कर सकता हूं ?

प्रो० के० के० तिवारी : यह विदेशी मुद्रा के बारे में है । तो क्या यह संसद के लिए महत्वपूर्ण नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : क्योंकि यह नियमों के अन्तर्गत है । मुझे नियमों के अन्तर्गत चलना होता है । आपकी या मेरी समझ के अनुसार नहीं । यह मेरी या आपकी सम्पत्ति नहीं है । यह नियम प्रस्तावों के अनुसार है । मुझे गृह मंत्रालय क्या कहता है या भारत सरकार के कानून क्या कहते हैं, उनके अनुसार चलना होता है । मैं यही करूंगा । मैं अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकता ।

प्रो० के० के० तिवारी : लेकिन आप उन्हें वक्तव्य देने के लिए कह सकते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : मैं क्यों कहूं ? यह तो श्रीमती जी के लिए है कि वह वक्तव्य देना चाहती है या नहीं । कृपया बैठ जायें ।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर-पूर्व) : श्रीमन्, जो पत्र अभी-अभी रखे गये हैं, उनके बारे में मैंने आपको एक सूचना दी थी । मैं कहना चाहूंगा कि दिल्ली महानगर परिषद के चुनाव सही परिसीमन के बाद किये जायें । यह कार्य अभी नहीं किया गया है । फिर भी वह समय सीमा बढ़ाने जा रहे हैं । इसका मतलब है वह अब भी चुनाव नहीं करवाने जा रहे । दिल्ली महानगर परिषद के चुनाव क्षेत्रों का आकार भिन्न-भिन्न है । इनमें से कईयों में तो 1:10 का अन्तर हैं । कुछ बहुत ही छोटे है और कुछ 10 गुणा बड़े हैं । इस पर कुछ भी कार्य नहीं किया गया है और इसके बावजूद वे समय बढ़ाने के लिए कह रहे हैं । इसका मतलब है उनका चुनाव करवाने का कोई इरादा नहीं है । इसलिए मैं इन पत्रों को सभा पटल पर रखे जाने का विरोध करता हूं ।

प्रो० मधु दंडवते : श्रीमन्, यह पत्र गलत रखा गया है ।

श्री रामविलास पासवान (हाजीपुर) : अध्यक्ष महोदय, मद संख्या 4 जो अभी मन्त्री महोदय लेड आन करने जा रहे हैं, हम इसका विरोध करते हैं । दिल्ली में जानबूझ कर चुनावों को टाला जा रहा है । सरकार को यह निश्चित रूप से पता है कि दिल्ली में सरकार को एक भी सीट मिलने वाली नहीं है इसलिए यह जानबूझकर किसी न किसी कानून की आड़ लेकर इसको

टालने का षडयन्त्र है। इसलिए आपसे आग्रह है कि टाइम एक्सटेंशन देने का कोई प्रश्न नहीं है और जो दो-चार चीजें है वे बाद में तय की जा सकती हैं। दिल्ली में चुनावों की घोषणा की जाए और इसको लेड आन करने की अनुमति दी जाए।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : महोदय, मैं इस अधिसूचना संख्या एस० ओ० 681 (ई) का विरोध करता हूं। मैं नहीं चाहता कि इसे सभा-पटल पर रखा जाए क्योंकि यह सरकार चुनाव कराने से डरती है। वे किसी भी स्थान पर चुनावों का सामना करने से डरते हैं। गढ़वाल इसका स्पष्ट उदाहरण है। दिल्ली में भी यही किया जा रहा है। वे चुनाव कराना नहीं चाहते। अतः मैं नहीं चाहता कि इसे आगे और किसी तरह से बढ़ाया जाए और मैं चाहता हूं कि दिल्ली में तत्काल चुनाव कराए जाएं।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बया) : आपकी अनुमति से मैं मद संख्या 4 पहले ही सभा पटल पर रख चुका हूं। माननीय सदस्यों द्वारा की टिप्पणियों पर मैंने नोट कर दिया है।

(व्यवधान)

श्री सतीश अग्रवाल (जयपुर) : क्या आप चुनाव कराने की निश्चित तिथि बता सकते हैं ?

डा० सुब्रण्ह्यम स्वामी : महोदय, आप उन्हें वक्तव्य देने के लिए कहिए।

श्री सतीश अग्रवाल : आप एक निश्चित तिथि बतलाए। क्या आप एशियाई खेलों के बाद चुनाव कराएंगे अब आपने एच० के० एल० भगत को मन्त्री बनाया है। अब वह दिल्ली का ध्यान रखेंगे।

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : अध्यक्ष महोदय···(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : आपका रिकार्ड हो गया है।

श्री राम विलास पासवान : क्या रिकार्ड हो गया है ?

अध्यक्ष महोदय : प्रोटेस्ट अब आप लोग बैठ जाइए।

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन तथा अंतरण) अधिनियम के अन्तर्गत प्रतिवेदन

आयकर अधिनियम, केन्द्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम आदि के अन्तर्गगत अधिसूचनाएं

वित मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री जर्नादन पुजारी) : (क) मैं निम्नलिखित पत्र पुनः सभा पटल पर रखता हूं—

(क) बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन तथा अन्तरण) अधिनियम, 1970 की धारा 10 की उपधारा (8) के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

*ये प्रतिवेदन सभा पटल पर पहले 30 जुलाई, 1981 को रखे गए थे।

(एक) सेंट्रल बैंक आफ इण्डिया का, 31 दिसम्बर, 1981 को समाप्त हुए, वर्ष के कार्यकरण और कार्यकलापों सम्बन्धी प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(दो) बैंक आफ इण्डिया का, 31 दिसम्बर, 1981 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण और कार्यकलापों सम्बन्धी प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(तीन) पंजाब नेशनल बैंक का, 31 दिसम्बर; 1981 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण और कलापों सम्बन्धी प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(चार) बैंक आफ बड़ौदा का, 31 दिसम्बर, 1981 को सताप्त हुए वषं के कार्यकरण और कार्यकलापों सम्बन्धी प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखा परीक्षक का प्रतिवेदन।

(पांच) युनाइटिड कमर्शियल बैंक का, 31 दिसम्बर, 1981 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण और कार्यकलापों सम्बन्धी प्रतिवेदन, लेखे तथा उन लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(छः) केनरा बैंक का, 31 दिसम्बर, 1981 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण और कार्यकलापों संबंधी प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(सात) युनाइटिड बैंक आफ इण्डिया का 31 दिसम्बर 1981 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण और कार्यकलापों सम्बन्धी प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(आठ) देना बैंक का 31 दिसम्बर, 1981 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण और कार्यकलापों सम्बन्धी प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा का प्रतिवेदन।

(नौ) सिंडीकेट बैंक का 31 दिसम्बर, 1981 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण और कार्यकलापों सम्बन्धी प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(दस) यूनियन बैंक आफ इण्डिया का 31 दिसम्बर, 1981 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण और कार्यकलापों सम्बन्धी प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(ग्यारह) इलाहाबाद बैंक का, 31 दिसम्बर, 1981 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण और कार्यकलापों संबंधी प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(बारह) इण्डियन बैंक का 31 दिसम्बर, 1981 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण और कार्यकलापों सम्बन्धी प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 4341/82]

(तेरह) बैंक आफ महाराष्ट्र का 31 दिसम्बर, 1981 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण और कार्यकलापों संबंधी प्रतिवेदन तथा लेखे उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(चौदह) इण्डियन ओवरसीज बैंक का, 31 दिसम्बर, 1981 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण और कार्यकलापों सम्बन्धी प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा का प्रतिवेदन।

(ख) बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन तथा अन्तरण) अधिनियम, 1980 की धारा 10 की उपधारा (8) के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी सस्करण) :—

(एक) आंध्र बैंक का 31 दिसम्बर 1981 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण और कार्यकलापों संबंधी प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा का प्रतिवेदन।

(दो) कारपोरेशन बैंक का 31 दिसम्बर 1981 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण और कार्यकलापों सम्बन्धी प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(तीन) न्यू बैंक आफ इण्डिया का 31 दिसम्बर, 1981 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण और कार्यकलापों सम्बन्धी प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा का प्रतिवेदन।

(चार) ओरियन्टल बैंक आफ कामर्स का, 31 दिसम्बर, 1981 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण और कार्यकलापों सम्बन्धी प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखारीक्षा का प्रतिवेदन।

(पांच) पंजाब एण्ड सिंघ बैंक का 31, दिसम्बर, 1981 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण और कार्यकलापों सम्बन्धी प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

(छः) विजय बैंक का, 31 दिसम्बर, 1981 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण और कार्यकलापों सम्बन्धी प्रतिवेदत, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 4342/82]

(ख) मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(एक) का० आ० 3061, जो 4 सितम्बर, 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ तथा आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अन्तर्गत निर्धारण वर्षों 1982-83 से 1684-85 तक के अन्तर्गत आने वाली अवधि के लिए "हरिजन सेवक संघ" को छूट देने के बारे में हैं।

(दो) का० आ० 3062 जो 4 सितम्बर 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ

था । तथा आय-कर अधिनियम 1961 की धारा 10 (23ग) के अन्तर्गत निर्धारण वर्ष 1982-83 के अन्तर्गत आने वाली अवधि के लिए "दी डिवाइन लाइफ सोसाइटी" को छूट देने के बारे में है ।

(तीन) का० आ० 3063 जो 4 सितम्बर, 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अन्तर्गत निर्धारण वर्ष 1978-79 से 1981-82 तक के अन्तर्गत आने वाली अवधि के लिए (केन्द्रीय राहत निधि) सेंट्रल "रिलीफ फण्ड)" को छूट देने के बारे में है ।

(चार) का० आ० 3065 जो 4 सितम्बर, 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था आय-कर अधिनियम 1961 की धारा 10 (23ग) के अन्तर्तत निर्धारण वर्ष 1979-80 से 1982-83 तक के अन्तर्गत निर्धारण आने वाली अवधि के लिये "दि एसोसिएशन आफ दि फिलीकली हैंडीकैप्ड" (विकलांग व्यक्ति संस्था) को छूट देने के बारे में है ।

(पांच) का० आ० 3065 जो 4 सितम्बर, 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अन्तर्गत निर्धारण वर्ष 1977-78 के अन्तर्गत आने वाली अवधि के लिए "दि मिल ओनर्स एसोसिएशन रिलीफ फंड सोसाइटी" को छूट देने के बारे में है ।

(छः) का० आ० 3066 जो 4 सितम्बर, 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अन्तर्गत निर्धारण वर्ष 1978-79 से 1981-82 तक के अन्तर्गत आने वाली अवधि के लिए "स्लम एण्ड रूलर डेवलपमेंट सोसाइटी" को छूट देने के बारे में है ।

(सात) का० आ० 3067 जो 4 सितम्बर 1882 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अन्तर्गत निर्धारण वर्षों 1976-77, 1977-78, 1980-81 से 1982-83 तक के अन्तर्गत आने वाली अवधि के लिए "चिल्ड्रन्स फिल्म सोसाइटी इण्डिया" को छूट देने के बारे में है ।

[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी० 4511/82]

(2) केन्द्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम, 1963 की धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (कारबार के संव्यवहार का विनियमन) संशोधन नियम 1982 जो 11 सितम्बर, 1982 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 749 में प्रकाशित हुये थे ।

(दो) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड (कारबार के संव्यवहार का विनियमन)

संशोधन नियम 1982, जो 11 सितम्बर 1982 के भारत के राजपत्र में अधि-सूचना संख्या सा० का० नि० 750 में प्रकाशित हुए थे ।

[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी० 4512/82]

(ग) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) सा० का० नि० 525 (अ) और 526 (अ), जो 17 अगस्त 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा तट रक्षक के फोतों के निर्माण या फिटिंग के लिए अपेक्षित विनिर्दिष्ट वस्तुओं, परीक्षण उपस्करों आदि पर उद्ग्रहणीय मूल अतिरिक्त और उपसगी सीमा-शुल्क से छूट देने के बारे में एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(दो) सा० का० नि० 529 (अ) जो 17 अगस्त 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा मिश्र धातु इस्पात के सम्बन्ध में दी गई उपसंगी सीमा-शुल्क से छूटको वापस लेने के बारे में एक व्याख्यात्मक टिप्पणी ।

(तीन) सा० का० नि० 533 (अ) और 534 (अ), जो 23 अगस्त, 1982 के भारत के राज- पत्र में प्रकाशित हुए थे तथा आक्सों-एल्कोहल के निर्माण के लिए आयातित डाइ-आइसो-न्यूटिलीन पर उद्ग्रहणीय मूल्यानुसार 45 प्रतिशत से अधिक मूल सीमा-शुल्क और सम्पूर्ण उपसंगी शुल्क से छूट देने के बारे में एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(चार) सा० का० नि० 536 (अ) जो 24 अगस्त, 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुना था तथा 1 जुलाई 1982 की अधिसूचना के अधिलंघन में नार्वे क्रोनर को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को उपर्युक्त मुद्रा में संपरिवर्तित करने की संशोधित दरों के बारे में एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(पांच) सा० का० नि० 539 (अ) जो 28 अगस्त 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा 2 अगस्त 1976 की अधिसूचना संख्या 213-सीमा-शुल्क में कतिपय संशोधन करने सम्बन्धी व्याख्यात्मक ज्ञापन, ताकि सीमा-शुल्क से छूट के लिए सीमा-शुल्क टेरिफ़ अधिनियम, 1975 के अध्याय 90 के अन्तर्गत आने वाली धातु और प्लास्टिक के सम्मिश्रण से निर्मित गर्भ-निरोधकों को शामिल किया जा सके ।

(छः) सा० का० नि० 142 (अ), जो 26 अगस्त, 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा विस्कोस स्टेपल फाइबर पर मूल सीमा-शुल्क की दर को मूल्यानुसार 10 प्रतिशत से बढ़ा र मूल्यानुसार 20 प्रतिशत करने वाला एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(सात) सा० का० नि० 550 (अ) और 551 (अ), जो 31 अगस्त, 1982 के भारत

के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा कच्चे लोहे को मूल सीमा-शुल्क, अतिरिक्त और उपसंगी शुल्क से छूट देने सम्बन्धी एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा० का० नि० 652 (अ), जो 31 अगस्त 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा 1 मार्च, 1982 की अधिसूचना संख्या 78-सीमा-शुल्क की विधिमान्यता को 31 दिसम्बर 1982 तक बढ़ाने सम्बन्धी एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सा० का० नि० 560 (अ) और 561 (अ), जो 10 सितम्बर, 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण/अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक/द्विपक्षीय/बहुपक्षीय सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए अपेक्षित कच्ची सामग्री और संघटकों को, उनका देश में आयात किए जाने पर उन पर उद्ग्रहणीय समस्त मूल, उपसंगी और अतिरिक्त सीमा-शुल्क से छूट देने सम्बन्धी व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) सा० का० नि० 572 (अ), जो 20 सितम्बर 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा काफी पर निर्यात शुल्क की दर बढ़ाने के बारे में व्याख्यात्मक टिप्पणी।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 4513/82]

(4) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क तथा नमक अधिनियम 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) केन्द्रीय-उत्पाद शुल्क (दसवां संशोधन) नियम 1982 जो 14 अगस्त 1982 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 684 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (ग्यारहवां संशोधन) नियम 1982 जो 10 सितम्बर 1982 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 563 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए [संख्या एल० टी० 4514/82]

(5) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम 1944 के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 548 (अ) और 549 (अ) की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो 31 अगस्त 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थीं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन जो विशिष्ट टैक्सटाइल फैब्रिकों के सम्बन्ध में संयोजित लेवी की नई दरों तथा विशिष्ट प्रकार के कसीदाकृत फैब्रिकों के निर्यात पर छूट की नई दरों के बारे में है।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए [एल० टी० संख्या 4515/82]

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

इन्सेट -1 ए उपग्रह का असफल होना

श्री राजेश कुमार सिंह– मैं विज्ञान और प्रोद्योगिकि, इलैंट्रानिकी, महासागर विकास विभागों में तथा ऊर्जा मंत्रालय के गैर पारम्परिक ऊर्जा स्रोत विभाग में राज्य मंत्री का ध्यान निम्नलिखित अविलंबनीय लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना और निवेदन करता हूं कि वे इस पर अपना वक्तव्य दें :

"इन्सेट - 1 ए उपग्रह के असफल होने का समाचार तथा इस स्थिति का सामना करने के लिए सरकार द्वारा की गई कार्यवाही ।"

विज्ञान और प्रौद्योगिकी इलेक्ट्रानिकी महासागर विकास विभागों में तथा ऊर्जा मंत्रालय के गैर पारम्परिक ऊर्जा स्रोत विलयों में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : सितम्बर 4, 1982 को भारतीय समयानुसार लगभग 1356 बजे इन्सेट- 1 ए अन्तरिक्षयान क उत्तर-दक्षिण अक्ष के आस-पास एक असामान्य अपवाह होने के बाद इसने पृथ्वी की दिशा में अपना अभिविन्यास खो दिया । इसके परिणामस्वरूप सामान्य दूरमिति संकेतों का आना बन्द हो गया । इस दोष को दूर करने से पहले अन्तरिक्षयान को "सुरक्षित" सूर्य-अर्जन विद्या में स्थित करने और अन्तरिक्षयान को पावर उप-प्रणाली पर सभी अनावश्यक भार को दूर करने तथा इसे ठीक करने की आवश्यक प्रक्रियाओं के क्रियान्वयन के लिए अन्तरिक्षयान को उच्च-शक्ति की सर्व-दिशिक दूरमिति विद्या में लाने के लिए अन्तरिक्षयान के नियंत्रकों द्वारा आपातकालीन क्रियाविधियां प्रारम्भ की गई थी । स्थिति उस समय जटिल हो गयी जब कि अन्तरिक्षयान को "सुरक्षित" विद्या में स्थापित करने की प्रक्रिया के दौरान उच्च शक्ति की दूरमिति, कमांड के अनुसार कार्य करने में असफल रही । उच्च शक्ति को दूरमिति 1815 बजे तक अर्थात् 4 घन्टे और 19 मिनटों की संकट कालीन अवधि के लिए उपलब्ध नहीं थी । इस अवधि के दौरान दूरमिति केवल अल्प आन्तरायिक खण्डों में ही उपलब्ध रही, और कमांड के भेजे जाने तथा क्रियान्वयन कार्यों की दूरमिति द्वारा पुष्टि किए बिना ही सारी कमांडिंग करनी पड़ी । 1815 बजे जबकि दूरमिति सम्पर्क पुनः स्थापित हुआ तो उस समय अन्तरिक्षयान के सूर्य-अर्जन विद्या में होने की तो पुष्टि हो गयी, लेकिन इसकी परिक्रमा दर कमांड की तुलना में कम थी । 1849 बजे अन्तरिक्षयान को पृथवी अर्जन दिशा में करने के लिए कमांड भेजी गई । यद्यपि दूरमिति द्वारा कमांड के भेजे जाने की पुष्टि हो गई, लेकिन अन्तरिक्षयान से इस बात का संकेत नहीं मिला । इसके बाद दो प्रयत्न और किए गए लेकिन वे असफल रहे । इस स्थिति में मिशन नियंत्रकों को यह मानना पड़ा कि दिशा एवं कक्ष नियंत्रण प्रणाली थ्रस्टरों से थ्रेस्ट का स्तर सामान्य की अपेक्षा काफी कम था । जांच करने पर ईंधन, आक्सीकारक और प्रैशर टंकियों में प्रैशर अत्यन्त कम पाया गया ।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

5 सितम्बर को परिक्रमा दर में सुधार के लिए आगे किए गए प्रयास असफल रहे । टंकी

का प्रैशर और कम हो गया तथा यह निष्कर्ष निकाला गया कि टंकियों में किसी प्रकार का ईन्धन बाकी नहीं था तथा जब कभी दागने के लिए कमांड भेजी जाती थी, तो थ्रस्टरों के माध्म से प्रैशयुरेंट गैस बहती थी 0257 बजे कमांड रिसीवरों के अलावा इन्सैट-1 ए० अन्तरिक्षयान में रखी सभी उपप्रणालियों को निर्धारित क्रियाविधियों के अनुसार बन्द कर दिया गया। इस प्रकार सितम्बर 6, 1982 को 0257 बजे अन्तरिक्षयान को निष्क्रिय कर दिया गया।

इन्सैट -1 ए० अन्तरिक्षयान की पूर्ण विफलता की समीक्षा के लिए कार्यवाही की जा रही है। जब तक कि असफलता का विश्लेषण पूरा नहीं होता है। जिससे कि अक्तूबर 1982 के अन्त तक पूरा होने की संभावना है, असफलता के सही-सही कारणों के किसी प्रकार के ठोस परिणाम पर पहुंचना असामयिक होगा। फिर भी, घटनाओं के प्रारंभिक रूप में पुनः जोड़ने से पता चलता है कि अन्तरिक्षयान को "सुरक्षित" सूर्य-अर्जन विधा में सहायता प्रदान करने के लिए आक्सीकारक लेच वाल्व को खोलने के लिए भेजी गई कमांड के असफल रहने के कारण संभवतया ईन्धन का क्षय हुआ। दूरमिति की असफलता से समस्या का समय पर पता नहीं चल सका; इसी अन्तराल में, थ्रस्टर प्रचालन की स्वचालित विधा से ईन्धन बह गया होगा। आक्सीकारक की अनुपस्थिति से प्रणोद चैम्बरों में दहन होने से ईन्धन के क्षय होने की दर सामान्य की अपेक्षा कहीं अधिक थी। फिर भी, दिशा (अभिविन्यास) के खोने का कारण अभी तक समझ में नहीं आया है। इसकी कई परिकल्पनाएं हैं तथा इसके अत्यन्त संभव कारण का पता लगाने का कार्य प्रगति में है।

इन्सैट -1 ए० अन्तरिक्षयान की क्षति इसके प्रारंभिक 180 दिन की अवधि के दौरान हुई जिसमें (1) इन्सैट -1 ए० प्रमोचन का 64.9 मिलियन अमरीकी डालर की राशि का सम्पूर्ण जोखिम बीमा प्रभावी था, और (2) प्रधान नियंत्रण सुविधा हसन पर अन्तरिक्षयान के ठेकेदार अर्थात हसन पर अन्तरिक्षयान के ठेकेदार अर्थात फोर्ड एयरोस्पेस एण्ड कम्यूनिकेशन्स कार्पोरेशन (एफ० ए० सी० सी०) के साथ-साथ कार्य करने वाले भारतीय कार्मिकों को अंतरिक्षयान के नियंत्रण की जिम्मेदारी सौंपने से पहले इसके नियंत्रण की जिम्मेदारी एफ० ए० सी० सी० पर थी। प्रमोचन के सम्पूर्ण जोखिम बीमा आवरण के सन्दर्भ में बीमाकर्ता अर्थात् न्यू इंडिया एश्यूरेंस कम्पनी लिमिटेड को सूचित कर दिया गया है।

इन्सैट -1 ए० अन्तरिक्षयान की अप्रत्याशित तथा दुर्भाग्यपूर्ण हानि से इन्सैट प्रणाली को तथा राष्ट्रीय लम्बी-दूरी के दूरसंचार मौसमविज्ञान और दूरदर्शन एवं रेडियो सेवा में परिमाणात्मक तथा गुणात्मक सुधार के लिए उपग्रह सेवा को द्रुतगामी और समयोचित रूप में प्राप्त करने के सरकार के उद्देश्यों को गहरा धक्का लगा है। फिर भी इस धक्के पर काबू पाने तथा इन्सैट प्रणाली की प्रचालन क्षमता के स्थिरीकरण और यथा संभव शीघ्र पुनः स्थापन के लिए सरकार वचनबद्ध है। इन्सैट -1 बी० अन्तरिक्षयान के उपलब्ध होने तक उपग्रह आधारित जरूरी दूरसंचार दूरदर्शन और रेडियो सेवा के व्यावहारिक रूप में यथासम्भव पुनः स्थापन के लिए अन्तरिम प्रबन्ध किए जा रहे हैं।

मौसमविज्ञानीय भू-खण्ड को इन्सैट -1 बी० के प्रचालन में आने का इन्तजार करना होगा

क्योंकि भारतीय भू-भाग और इसके निकटवर्ती समुद्री क्षेत्रों पर कोई वांछित अन्य भू-स्थायी मौसम विज्ञानीय अन्तरिक्ष-खण्ड क्षमता उपलब्ध नहीं है। इस अन्तरिम अवधि के दौरान हमें इन्सैट-1 ए० से पहले की तरह अमरीकी और सोवियत संघ के परिक्रमा करने वाले मौसमविज्ञानी उपग्रहों से दिन में दो बार प्राप्त होने वाले मौसमविज्ञानी प्रतिबिम्बों पर निर्भर करना होगा।

जहां तक जरूरी दूरसंचार सेवा का सम्बन्ध है, इन्सैट-1 भू-केन्द्रों में से सात केन्द्रों को इन्टेलसैट के प्रेषानुकर को आंशिक रूप में पट्टे पर लेकर पहले ही चालू किया जा चुका है तथा शेष केन्द्रों को आगामी दो से तीन महीनों में उत्तरोत्तर रूप में सेवा में चालू कर दिया जायेगा; इन्टेलसैट की अतिरिक्त प्रेषानुकर क्षमता के आवंटन के लिए अनुरोध किए जाने पर यह क्षमता प्राप्त हो गई है। उपग्रह आधारित दूरदर्शन संचार जाल सेवा के पुनः स्थापन के सम्बन्ध में इसी प्रकार की कार्यवाही की जा रही है। इन्सैट-1 बी० के प्रमोचन के बाद आश्वस्त रूप में इन्सैट अन्तरिक्ष-खण्ड क्षमता की उपलब्धता की निरन्तरता को सुनिश्चित करने के लिए इन्सैट अन्तरिक्ष खण्ड के प्रतिस्थापन की विद्यमान नीति में आवश्यक व्यवस्था करने के लिए इसी प्रकार की आयोजना सम्बन्धी कार्यवाही की जा रही है।

इन्सैट -1 बी० को अन्तरिक्ष-शटल (एस० टी० एस०) की आठवीं उड़ान द्वारा जुलाई 4, 1983 को छोड़े जाने की सम्भावना है; फिर भी, इन्सैट -1 ए० की विफलता की जांच के परिणामस्वरूप किए जाने वाले शोधक उपायों को शामिल करने के लिए तथा पूर्व प्रागुक्त को तुलना में एस० टी० एस० 1 और एस० टी० एस० 2 उड़ान आंकड़ों के परिणामस्वरूप एस० टी० एस० के प्रमोचन भारों के सम्बन्ध में नासा के नवीनतम अनुबन्धों के अनुपालन के लिए इस समय-अनुसूचि में कुछ परिवर्तन हो सकता है। इस प्रकार, इन्सैट-1 बी० के प्रमोचन की पक्की समय-अनुसूची के नवम्बर, 1982 में उपलब्ध होने की संभावना है।

इन्सैट-1 अन्तरिक्षयान के निर्माता अर्थात फोर्ड एयरोस्पेस एण्ड कम्यूनिकेशन्स कार्पोरेशन (एफ० ए० सी० सी०) को लगभग 75 अन्तरिक्षयानों के निर्माण का अनुभव है, जिसमें से इन्टेलसैट-V श्रृंखला के 12 नवीनतम उन्नत संचार अन्तरिक्षयान हैं, जिनमें से प्रथम चार तो पहले ही कक्षा में हैं तथा अन्यों को स्थापित किया जा रहा है। एफ० ए० सी० सी० के अन्तरिक्षयान के अनुभव में संयुक्त राज्य अमेरीका यू० के० "नाटो", जापान तथा इन्टेलसैट एवं अमरीकी भू-स्थायी मौसमविज्ञानीय अन्तरिक्षयानों के निर्माण का अनुभव शामिल है।

अन्तरिक्षयानों के कक्षा में सन्तोषप्रद रूप में कार्य करते रहने में अन्तरिक्षयान के ठेकेदार को लाभ था। अन्तरिक्षयान के निर्धारित अभिकल्पित जीवन (7 वर्ष) के दौरान अन्तरिक्षयान के कक्षीय कार्यनिष्पादन के साथ भुगतान के कुछ भाग को, जो कम से कम कुछ लाभ का प्रतिनिधित्व करता है; जोड़ा गया था। अतः प्रचालन के संतोषप्रद न होने पर अन्तरिक्षयान के ठेकेदार को भी वित्तीय हानि होनी थी। भंयकर हानि की स्थिति में, जैसा कि इन्सैट-1 ए० के साथ हुई है, बीमे की राशि के दावे की वसूली के साथ, ऐसी धनराशि का भुगतान न करने से यद्यपि वित्तीय परिव्यय के काफी भाग की तो पूर्ति हो जाती है, लेकिन इससे कार्यक्रम को पहुंचे समग्र धक्के की पूर्ति नहीं हो सकती।

इन्सैट-1 ए० पर देखी गई इस किस्म की असफलताएं अन्तरिक्ष मिशनों के लिए अपरिचित नहीं हैं। अन्तरिक्ष विकास का इतिहास, विशेष रूप से नये कार्यों का, प्रारम्भिक असफलताओं और गतिरोधों से भरपूर है। इन्सैट-1 ए० से प्राप्त सबक का इंसैट-1 बी० में पूरा ध्यान रखा जायेगा। इस निष्कर्ष पर पहुंचने का कोई सबूत नहीं है कि उन्नत प्रणाली की अर्थव्यवस्था के लिए सेवाओं के समेकन के मध्यम से बहु उद्देश्यीय अन्तरिक्षयानों को प्राप्त करने का हमारा प्रयत्न व्यावहारिक नहीं है। इन्सैट-1 ए० से पहले भी बहु उद्देश्यीय अन्तरिक्षयान सफलतापूर्वक छोड़ जा चके हैं। वस्तुतः इन्सैस-1 ए० में प्रेक्षित नियोजन की किस्म, इलेक्ट्रानिकी और ईन्धन समाप्त होने की समस्याएं एक उद्देश्य वाले अन्तरिक्षयान में भी हो सकती है और ये हुई भी हैं।

यह हमारा दृढ़ विश्वास है कि 1976-77 के दौरान गहन प्रयासों के फलस्वरूप से निरूपित इंसैट-1 मिशन की बहु-उद्देश्यीय कार्यकरण सम्बन्धी आवश्यकताएं सही और व्यावहारिक हैं तथा इन्सैट-1 अन्तरिक्षयान का मूलभूत डिजाइन भी ठोस है। यूरोपियन प्रमोचक राकेट को प्रचालनात्मक उड़ान की हाल ही में हुई असफलता, जिसके परिणामस्वरूप न केवल प्रमोचक राकेट का ही नहीं हुआ अपितु दो महत्वपूर्ण अन्तरिक्षयान भी नष्ट हो गए, ने भी प्रमोचक राकेट के मूलभूत डिजाइन के ठोसपन पर सन्देह व्यक्त नहीं किया है। भूमि पर व्यापक जांच और अनुकार करने के बावजूद विश्व में यह अनुभव प्राप्त हुआ है कि शिल्प और विशिष्ट हार्डवेयर डिजाइन से संबद्ध लघु खरावी का कभी-कभी पता नहीं चल पाता है और इनका आन्तरिक्ष पर्यावरण की चरमसीमा पर पता चलता है, जिसके परिणामस्वरूप समस्याएं उत्पन्न होती हैं तथा कभी-कभी अनर्थ हो आता है। अन्तरिक्ष में विश्वसनीयता का निर्माण असफलताओं के साथ-साथ सफलताओं सहित समय पर होता है। इन्सैट-1 ए० में रखे कुछ जिन उपकरणों और उप-प्रणालियों ने विसंगतियां प्रकट की थी, उनके साथ-साथ सभी उपकरणों और उप-प्रणालियों को भूमि पर न केवल अनुकारित अन्तरिक्ष स्थितियों के अन्तर्गत अर्ह बनाया गया था, अपितु इससे पहले का भी इनका अन्तरिक्ष उड़ान का सफल रिकार्ड रहा है।

सरकार द्वारा इन्सैट-1 बी० के बाद भी इन्सैट अन्तरिक्ष खण्ड की क्षमता की निरन्तर उपलब्धता को आश्वस्त रूप में सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रकार की आवश्यक कार्यवाही की जायेगी, जैसा कि एक प्रचालनात्मक प्रणाली के लिए जरूरी है। इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में 1980-90 दशाब्द के लिए अन्तरिक्ष अनुसंधान और विकास प्रोफाइल में निर्दिष्टानुसार हम देश में ही द्वितीय पीढ़ी के भारतीय डिजाइन के इन्सैट जांच और प्रचालनात्मक अन्तरिक्षयानों के निर्माण और इनकी शीघ्र उपलब्धता के लिए कार्यवाही तेज करने के लिए जो कुछ भी व्यावहारिक होगा, करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री राजेश कुमार सिंह।

श्री इन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : मैं औचित्यता का प्रश्न उठाना चाहता हूं। यह एक महत्वपूर्ण विषय है। राष्ट्र का अनर्थ हो चुका है। तथा एक वक्तव्य दिया जा रहा है। लेकिन मन्त्रिपरिषद का एक भी मन्त्री सभा में मौजूद नहीं है। यह बात बहुत ही गम्भीर है।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : प्रधान मन्त्री जी को वक्तव्य देना चाहिये ।

श्री चन्द्रजोत यादव : इसे नोट किया जाना चाहिये ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पप विचार किया जायेगा ।(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री यादव, कृपया शांत रहिये । इस समय ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को लिया जा रहा है । वे पहले ही इसको उठा चुके हैं तथा सम्बन्धित मन्त्री महोदय ने उत्तर दिया है ।

श्री चन्द्रजोत यादव : प्रथा यह रही है कि कम से कम एक केबिनेट मन्त्री को सभा में उपस्थित रहना चाहिये । यह कोई कम महत्व का प्रश्न नहीं है यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है । मान लीजिये मैं कुछ मुद्दे उठाता हूं तो उसका उत्तर कौन देगा ?

उपाध्यक्ष महोदय : आपका नाम भी शामिल है । उस समय आप यह बात कह सकते हैं । श्री राजेश कुमार सिंह ठीक है ।

श्री चन्द्र जोत यादव : मुझे इसके लिए अत्यन्त खेद है ।

श्री हरिकेश बहादुर : प्रधान मन्त्री जी को उसका उत्तर देना चाहिये था ।

श्री चन्द्रजोत यादव : सदन की पूर्णतः अवहेलना की गई है ।

श्री हरिकेश बहादुर : उसको कम से कम बोलना तो चाहिये था । उनको इस प्रश्न का उत्तर तो देना चाहिये था ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने आपको अनुमति नहीं दी है ।

श्री हरिकेश बहादुर : प्रधान मन्त्री जी को उत्तर देना चाहिये था ।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है । श्री राजेश कुमार सिंह ।

श्री राजेश कुमार सिंह (फिरोजाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, बहुउद्देश्यीय उपग्रह, इन्सेट-1 ए० के सम्बन्ध में कहा गया है कि 180 दिन और कुछ मित्रों का कहना है कि 150 दिन में ही वह खामोश हो गया जिसके कारण संचार मौसम विज्ञान तथा रेडियो और दूरदर्शन को जबर्दस्त धक्का पहुंचा है —इसमें कोई दो रायें नहीं हो सकती हैं । माननीय मन्त्री जी ने जो वक्तव्य यहां पर दिया उसके सन्दर्भ में ही मैं कुछ बातें कहना चाहूंगा । उनके अनुसार 275.69 करोड़ की यह योजना थी जिनमें 113 करोड़ (64.9 मिलियन अमरीकन डालर) के बीमे की बात उन्होंने कही है इस बात से संतुष्ट हो गए कि हमारा बीमा है, कुछ तो हमें मिलेगा ही । इंसैट-बी

जो कि अप्रैल, 1983 में आप छोड़ने वाले हैं, उसी के संदर्भ में मैं अपनी बात की शुरूआत करना चाहता हूं। इन्सैट का स्टेण्ड-बाई बी था, उसके बाद कोई नहीं है। सारी संचार व्यवस्था उस पर निर्भर है। इसके बाद भी यदि इसका यही हश्र हुआ तो एक लम्बा अन्धकार है। आप की योजना अभी तक लागू नहीं हुई है। प्रश्न यह उठता है कि आप इस को किस तरह से करेंगे ?

आपने कहा है कि फोर्ड एयरोस्पेश कम्पनी बड़ी तजुर्बेकार है। जैसा कि मन्त्री जी ने कहा है, मैं मान सकता है कि यह बात मानने योग्य है। इन्सैट को छोड़ने में दो दिन का डिले हो गया। दो दिन का डिले ही नहीं, सारा ईन्धन खत्म हो गया, यह गम्भीरता से विचार करना चाहिए क्योंकि इन्सैट-बी जो आप छोड़ेंगे, उसमें भी यही प्रश्न पैदा होंगे। दो दिन का डिले होना साढ़े आठ किलो का वजन बढ़ना—बड़ी अजीब बात है। इतना वजन बढ़ने के बाद "नासा" से इसके बारे में विचार-विमर्श किया गया। तीन किलो के बारे में सुझाव दिया गया और पांच किलो ईन्धन उसका कम करा दिया गया। आप खुद भी वक्तव्य में कहते हैं कि ईन्धन के खत्म होने का कारण यह हो सकता है। एन्टीना-सी का न खुलना, बार-बार उसे कलाबाजियां खिलाना और सही मायने में उसे जिस कक्षा में भेजना था, वह सही दिशा में नहीं पहुंच पाया है। हो सकता है कि वह उसके नजदीक हो। यदि इन सब चीजों को आप देखेंगे तो आप पायेंगे कि कहीं-न-कहीं पर खामियां जरूर हैं। अब वह खामियां किनकी हो सकती है—मैन्युफैक्चर की या आपके वैज्ञानिकों की खामी है। आपने कहा कि विज्ञान के अन्दर अनुभव पैदा करने के लिए वक्त लगता है—इस बात को मानता हूं। अनुभव बहुत दिनों बाद के पैदा होता है। लेकिन दुःख की बात यह है कि सारी योजनाओं पर पानी फिर गया। एशियाड, 82 के बारे में आपने कहा रंगीन टेलिविजन के बारे में आपने कहा पता नहीं उनकी संचार व्यवस्था आप किस तरह से करेंगे—मुझे इसमें भी संदेह है।

मैं माननीय मन्त्री जी से और आदरणीय प्रधान मन्त्री जी से क्योंकि उनका विभाग है, पूछना चाहता हूं कि क्या आपने इस बारे में जानकारी हासिल की है कि कोई मैन्युफैक्चर डिफैक्ट है या हमारे वैज्ञानिकों की कोई गलती थी या नहीं।

> "क्या सरकार का विचार फोर्ड एयरोस्पेस तथा कम्यूनिकेशन कार्पोरेशन को जो हानि हुई है उसके बारे में स्पष्टीकरण देने तथा हानि की भागेदारी लेने के लिये कहेगी।"

इस बर्डन आफ लास के बारे में आपने कोई एक्सप्लेनेशन मांगा है ? इस सम्बन्ध में आपके पास कोई स्पष्टीकरण आया है। मजे की बात यह है कि इतनी बड़ी योजना थी और इतनी अवधि के बाद इसकी तैयारी पूरी नहीं थी। मैं आपको जानकारी के लिए बताना चाहता हूं जैसा कि पेपर्स में निकला है—

> "निदेशक स्पेस एप्लीकेशन्स सेन्टर आंफ अहमदाबाद ने हाल ही में यह बताया है कि इन्सैट-उपग्रह भी पूरी क्षमता को उपयोग में लाने के लिये थोड़ी ही तैयारी की गई थी। जिन 100 मौसम विज्ञान सम्बन्धी आंकड़े एकत्रित करने वाले प्लेट फार्मों

को इन्सैट-उपग्रह के साथ चालू करने की योजना थी, उनमें एक भी चालू नहीं हुआ है।"

ऐसा लगता कि जमीन की तैयारी को आपके काम्यूनिकेशन विभाग ने या अन्य विभागों ने नहीं की थी। खामियां पहले से नजर आ रही थीं इस सब बातों के बारे में आपको जवाब देना चाहिए।

एक बात और— नो-हाउ, ज्ञान हमारे पास है, लेकिन हम सोफैस्टिकेड टैकनॉलाजी की बात करते हैं और उनको विदेशों से ले लेते हैं। हमारी महत्वकांक्षायें बहुत बड़ी हैं, हमारी आकाक्षायें बहुत बड़ी हैं—लेकिन हम उसको युटिलाइज़ नहीं कर पाते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से, मेरा यह भी सुझाव है कि कम से कम अपने तरीके से भी हमें कुछ सोचना चाहिये। साफिस्टीकेटेड टेकनोलाजी में पड़ने से पहले उसके सारे खतरों के बारे में, उसकी सारी सम्भावनाओं के बारे में हमें पूरी जानकारी हासिल करना चाहिए। यदि ऐसा नहीं हुआ, तो निश्चित रूप से कोई न कोई ऐसी परिस्थिति आ सकती है, जिससे हम खतरे में पड़ सकते हैं। ये सारे बुनियादी प्रश्न हैं, जिनके बारे में मैं मन्त्री जी से जानना चाहूंगा।

मैं यह भी जानना चाहूंगा कि क्या सरकार, इन्सैट बी का जो परिक्षण का समय आ रहा है, उसके लिए कुछ तैयारियां कर रही है, क्या उसके बारे में सरकार ने कोई नीति निर्धारित की है और कोई योजना बनाई है। उसको छोड़ने के बारे में कोई विशेष ठोस कार्यक्रम बनाए गए हैं सोफिस्टीकेटेड टेकनोलाजी की बात हमारे विभाग में बन गई है। क्या भारतीय जमीन पर इन्डियन रूप में इसके बारे में विचार किया है क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया गया है, तो इस तरह की गड़बड़ आगे भी हो सकती है। आपने कोई वैज्ञानिक समिति इसकी जांच करने के लिए बनाई है और उसने क्या निष्कर्ष निकाले हैं? क्या उनको आप इस सदन में प्रस्तुत करेंगे?

बीमा के सम्बन्ध में आपने कहा है। इसके बारे में विदेशों की बीमा कम्पनी की क्या प्रतिक्रिया है। इसकी भी जानकारी होनी चाहिए।

श्री सी० पी० एन० सिंह : माननीय सदस्य ने कुछ बहुत ही संगत प्रश्न पूछे हैं। मैं उनका उत्तर दूंगा, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से समाचार पत्रों में कुछ अफवाहें प्रकाशित की गई हैं।

इन्सैट-1 ए० उपग्रह को छोड़ने में हुआ विलम्ब लांचर में किसी प्रकार की तकनीकी त्रुटि के कारण नहीं हुआ। उपग्रह को छोड़ने के समय जैसा कि माननीय सदस्य को याद होगा मैंने एक वक्तव्य दिया था, जिसमें यह बताया गया था कि सामयिक विपथगमन तथा कुछ मौसम समस्याओं तथा उस क्षेत्र में भारी वर्षा होने के कारण इसमें विलम्ब हुआ। जिसके लिए सौलर सेल को बदलने की आवश्यकता थी;

जहां तक इस विशेष कम्पनी को ठेका दिये जाने का सम्बन्ध है, मैं इस मुद्दे को स्पष्ट करना चाहता हूं। जब विश्वव्यापी टेण्डर आमंत्रित किये गये थे तब 15 जैसी कम्पनियों द्वारा विशेष टेण्डर फार्म खरीदे गये थे जिनकी कीमत लगभग 100 डालर थी। लेकिन इसके पश्चात

केवल दो कम्पनियों के द्वारा ही टेण्डर भेजे गए। एक कम्पनी का नाम था फोर्ड एयरोस्पेस एण्ड कम्यूनीकेशन कारपोनेशन तथा दूसरी का नाम ह्यघेस था।

मैं उस अवधि को भी सदन को बताना चाहता हूं जब यह सब कुछ हुआ। तत्कालीन सरकार द्वारा 1977 से इन पर विचार किया गया और अन्त में टेण्डर खोले गए तथा 1978 में फोर्ड एयरोस्पेस कम्पनी के साथ बात-चीत की गई।

माननीय सदस्य ने एशियाड के बारे में जिक्र किया है। इस सम्बन्ध में मैं यह बताना चाहूंगा। कि पिछली सरकार ने उपग्रह को टेलीवीजन के लिये उपयोग में लाने पर भी कोई विचार नहीं किया था। यह एक बहु-उद्देशीय उपग्रह है जिसका न केवल संचार सेवा में उपयोग किया जायेगा। बल्कि टेलीवीजन रेडियो तथा मौसम विज्ञान में उपयोग किया जायेगा। तत्कालीन सरकार के ध्यान में यह परियोजना नहीं थी। उस समय टेलीवीजन का शहरी लोगों के लिए ही उपयोग करने का विचार था तथा भारत में 15 ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए नहीं था इस विषय पर बाद में निर्णय लिया गया। मैं सभा को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि हम सभी आवश्यक कार्यवाही कर रहे हैं। हमने सम्बन्धित व्यक्तियों से सम्पर्क स्थापित किया है और एक अन्य इन्टेलसेट-उपग्रह द्वारा लोगों को हम एशियाड दिखा पायेंगे। यह हम न केवल शहरों के लोगों को ही बल्कि ग्रामीण जनता को भी दिखा सकेंगे।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : (कलकत्ता-दक्षिण) आप ग्रामीण क्षेत्र की जनता को टेलीवीजन कैसे उपलब्ध करायेंगे।

श्री सी० पी० एन० सिंह :– उन क्षेत्रों में सामुदायिक सेट देने के लिये सरकार आवश्यक कदम उठा रही है और इस प्रकार के सामुदायिक सेटों को सम्बन्धित राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : वहां की राज्य सरकार इस कार्य को करेगी।

श्री सी० पी० एन० सिंह :– मैं आशा करता हूं कि राज्य सरकार यह कार्य करें।

महोदय माननीय सदस्य द्वारा एक अन्य तथ्य मौसम विज्ञान के चित्रों के बारे में उठाया गया है। मैं उनके तथा सदन के ध्यान में इस बात को लाना चाहता हूं कि 13 अगस्त तक उपग्रह का यह यन्त्र ठीक प्रकार कार्य कर रहा था और उस समय तक हमने लगभग 580 चित्र प्राप्त किए ये जिनकी आज बहुत मांग है। क्योंकि ये चित्र जो हमने भारत में प्राप्त की हैं, स्पष्ट तथा पूर्ण हैं।

महोदय, उच्च प्रोद्योगिकी तथा विभिन्न देशों के साथ हमारे सहयोग के बारे में विभिन्न मत हो सकते हैं। हम इस बात की कोशिश करते हैं कि जहां कहीं से भी बेहतर प्रौद्योगिकी प्राप्त हो सके, उन्हें प्राप्त किया जाये। हमारे वैज्ञानिक तथा तकनीशियन सारे विश्व में एक उत्तरदायी तथा उच्च पदों पर हैं। अतः मेरा यह विचार है कि माननीय सदस्य कि भारतीय

प्रौद्यागिकी के बारे में जो कुछ कहा है उससे यह सीमित रूप में होगी और उन्नत प्रौद्योगिकी नहीं होगी।

श्री राजेश कुमार सिंह :-- उसे एडवांस करने के लिए क्या प्रयास किये जा रहे हैं ?

श्री सी० पी० एन० सिंह :- ये सब चीजें इसलिए तो हो रही हैं।

माननीय सदस्य के प्रश्न,अन्तिम भाग यह है कि क्या कोई जांच समिति गठित की गई है। इस दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना के तुरन्त पश्चात इसको गठित किया गया था। एक 20 सदस्यों वाली समिति को गठित किया गया है और अक्तूबर के अन्त तक उससे प्रतिवेदन प्रस्तुत करने को कहा गया है। क्योंकि इस समिति की सिफारिशों के आधार पर ही हम यह देखेंगे कि इन्सेट -1 बी० उपग्रह पूरी तरह से कार्य करने की स्थिति में है।

श्री राजेश कुमार सिंह :- फोर्ड एयरोस्पेस एण्ट कम्युनिकेशन कारपोरेशन से कोई स्पष्टीकरण आपने मांगा है ? उससे लाइन्सेस और डेमेजेज के बारे में कोई जानकारी ली है और कितना शेयर दे देंगे ?

श्री सी० पी० एन० सिंह :- महोदय, दी फोर्ड एयरोस्पेस एक कम्पनी है जिसने इसका निर्माण किया है। हम "नासा" के कुछ शीर्ष विशेषज्ञों को सलाहकारों के रूप में समिति में रखेंगे जो सम्पूर्ण पहलु पर ध्यान देंगे तथा जो समस्यायें आई हैं उन्हें बतायेंगे।

जहां तक बीमा का सम्बन्ध है, मैंने इसके बारे में पहले ही अपने उत्तर में बता दिया है।

श्री चन्द्रदीप यादव (आजमगढ़) :-- महोदय इससे राष्ट्रय को बहुत ही हानि हुई है। तथा हमारे वैज्ञानिकों द्वारा किए जा रहे प्रयत्नों को धक्का हुआ है। मेरा यह विचार है कि हमारे देश के तीन महत्वपूर्ण क्षेत्रों, अर्थात, दूर-संचार टेलीवीजन प्रसारण तथा मौसम विज्ञान क्षेत्रों में जो महत्वपूर्ण प्रगति की जानी थी उनको प्रारम्भ में ही धक्का पहुंचा है। अन्यथा इन क्षेत्रों में हमारा देश काफी उन्नति कर लेता। मैं सरकार की इस बात से सहमत हूं कि वैज्ञानिक प्रयत्नों तथा इस प्रकार के बड़े विज्ञान सम्बन्धी साहसिक कार्यों में, इस प्रकार की घटनायें हो सकती है जबकि हम परिक्षण करने के स्तर पर कार्य कर रहे हैं। लेकिन इस समय कोई परिक्षण नहीं किया जा रहा था। विश्व के विभिन्न भागों में इस प्रकार के बहुत से अन्तरिक्ष-यानों को सफलता पूर्वक अन्तरिक्ष में भेजा गया है और इस उपग्रह को भी सरकार द्वारा सबसे अच्छी समझी जाने वाली कम्पनी के द्वारा बड़ी सावधानी से भेजा गया था। तथा इसके बारे में हमारे अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वैज्ञानिकों से भी सलाह ली गई थी। इसके साथ उनका सम्बन्ध ...

उपाध्यक्ष महोदय :- कुछ अन्य देशों को भी असफलता का सामना करना पड़ा है।

श्री चन्द्रजीत यादव :-- इसलिए मैं यह कह रहा हूं कि इन सभी बातों के बावजूद भी ये हो जाती हैं। लेकिने प्रश्न यह है कि क्या इस प्रकार की घटना से बचने के लिए सभी आवश्यक

कदम उठाये गये थे। तथा क्या सरकार वैज्ञानिकों तथा कम्पनी के द्वारा जो इसके लिए जिम्मेदारी थी, इस प्रकार की घटना के लिये दोष-रहित व्यवस्थायें की गई थी। क्योंकि यह केवल धन का ही प्रश्न नहीं है। यह एक ऐसा पहलू है कि यदि हमारे जैसे गरीब देश को धन की हानि होती है तो उससे उस देश की अर्थव्यवस्था प्रभावि। होती है। इसमें कोई संदेह नहीं है। यह धन की हानि की अपेक्षा इसका और भी पहलू है—क्योंकि धन को बीमा करने वाली कम्पनी से वसूल किया जा सकता है। धन को उस कम्पनी से भी वसूल किया जा सकता है, जिसने यह वायदा किया था कि एक निश्चित अवधि अर्थात, यदि 180 दिन के अन्दर। कोई घटना होती है तो वे उसकी क्षतिपूर्ति करेंगे। क्योंकि वह कम्पनी उपग्रह को छोड़ने तथा संचालन कार्यों के लिये भी जिम्मेदारी थी। यह महत्वपूर्ण बात नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इससे राष्ट्र को निराशा हुई। देश के सभी लोगों को निराशा हुई है यह एक बहुत बड़ा आघात है। मैं आशा करता हूं। कि हमारे जिन वैज्ञानिकों ने बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिये है वे हतोत्साहित नहीं होंगे। हम यह आशा करते हैं कि ये इस दिशा में तथा अन्य बहुत-सी दिशाओं में जिनकी देश को उनसे आशा है अपने प्रयत्नों को जारी रखेंगे। जो समाचार प्रकाशित हुए हैं, उनमें पूरे तथ्य की जानकारी नहीं हो। है। हमारे पास पूरे तथ्यों मौजूद नहीं हैं। इस स्थिति में सरकार भी शायद यह नहीं बता सकती कि यह आघात किन-किन कारणों से पहुंचा हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि अमेरिका की प्राइवेट फर्म — एफ० ए० सी० सी० के साथ किए गये करार की मुख्य शर्तें, मुख्य संघटक तथा मुख्य बातें क्या थी।

हमारे वैज्ञानिकों में से एक डॉ० राव, आई० एस० आर० ओ० के निदेशक ने स्वयं एक टिप्पणी की है जो समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई है कि "एक छोटी सी भूल के कारण इतनी बड़ी घटना हुई।" यह छोटी-सी भूल क्या थी?

स्वयं मन्त्री जी के वक्तव्य से भी ऐसी कई शंकायें उत्पन्न होती हैं कि स्वयं कम्पनी की ओर से भी कुछ त्रुटियां रह गयी थी। उन्होंने बताया है कभी-कभी शिल्प में कोई छोटी-सी त्रुटि अथवा संरचना में अन्तरिक्ष को किसी विशिष्ट परिस्थिति में कोई त्रुटि इस प्रकार की घटनाओं के लिये जिम्मेदार हो सकती है।"

क्या इन सभी बातों को ध्यान में रखा गया था? क्या पूरी गारन्टी ली गई थी? क्या पूरी तरह से ध्यान दिया गया था? इन सब बातों की अवहेलना नहीं जा सकती। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या वैज्ञानिक विशेषज्ञ अन्तरिक्षयानों का निर्माण करने वाले और वे सभी लोग जो इस उपकरण की तकनीकियों को जानते हैं, उसको छोड़ने से पूर्व वहां मौजूद थे? यह मामला केवल वैज्ञानिकों तक ही सीमित नहीं है। वैज्ञानिकों के अतिरिक्त हमारे विशेषज्ञ—जो इस प्रकार के अन्तरिक्षयान का निर्माण करते हैं। जो संरचना का कार्य करते हैं जो अन्तरिक्षयानों में प्रयुक्त होने वाले उपकरणों की तकनीकियों को जानते हैं क्या इस प्रकार के सभी व्यक्ति वहां पर मौजूद थे। अथवा नहीं? कृपया वक्तव्य को ध्यान से देखिये। पृष्ट-2 पर यह कहा गया है :—

"टंकी का प्रेशर और कम हो गया तथा यह निष्कर्ष निकाला गया कि टंकियों में किसी प्रकार का ईन्धन बाकी नहीं था तथा जब कभी दागने के लिए कमान्ड भेजी जाती

थी तो थ्रस्टरों के माध्यम में प्रैशयुरेट गैस बहती थी।

इसके बाद यह कहा गया है :

"फिर भी घटनाओं के प्रारम्भिक रूप में पुनः जोड़ने से पता चलता है कि सम्भवतया ईन्धन का क्षय···"

अब तक हमको यही जानकारी प्राप्त थी कि ईन्धन के क्षय के कारण ही अन्तरिक्षयान कार्य नहीं कर रहा था। लेकिन अब उन्होंने यह भी बताया है कि इसने कार्य क्यों नहीं किया। उन्होंने बताया है कि यह क्यों हुआ :—

"अन्तरिक्षयान को "सुरक्षित" 'सूर्य-अर्जन विद्या में सहायता प्रदान करने के लिये आक्सीकारक लेच वाल्व को खोलने के लिए भेजी गई कमांड के असफल रहने के कारण संभवतया ईन्धन का क्षय हुआ।"

इसका तात्पर्य यह है कि ईन्धन का क्षय ही केवल इसके लिए उत्तरदायी नहीं है बल्कि इसका वास्तविक कारण :"अन्तरिक्षयान को सहायता प्रदान करने के लिये आक्सीकरण लेच वाल्व को खोलने के लिये भेजी गई कमांड के असफल रहने के कारण" भी है। इसका तात्पर्य यह है कि परिणामात्मक गम्भीर त्रुटि किसी अन्य स्थान पर हुई। अब तक समाचार-पत्रों के समाचारों से हमको यही जानकारी प्राप्त हो रही थी कि किसी विशेष कारण से सम्पूर्ण ईन्धन समाप्त हो गया और जिसकी वजह से अन्तरिक्षयान ने अपना कार्य करना बन्द कर दिया। ऐसा क्यों हुआ? क्या सम्बन्ध में प्रारम्भिक जांच-पड़ताल की गई है? मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार इस नतीजे पर कैसे पहुंची है? इसका क्या आधार है? मैं मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या इस कंपनी के द्वारा कोई जांच करायी जा रही है···(व्यवधान) उन्होंने कारणों का पता लगाने के लिये यह सुनिश्चित करने के लिये कि इस प्रकार की घटनायें इन्सैट-1 बी में न हों, इसके लिये एक जांच समिति का गठन किया है। यह याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है कि इन्सैट-1 ए० एक प्रमुख अन्तरिक्षयान था जबकि इन्सैट-1 बी इसका सहायक था। अब जब कि इन्सैट-1 ए० खराब हो गया है। इन्सैट-1 बी सहायक के रूप में वह कार्य नहीं कर सकता। इन्सैट-1 के साथ यह बेहतर तरीके से कार्य कर सकता था। अतः अब यह बात और भी अधिक महत्वपूर्ण है कि इन सभी कारणों का विश्लेषण किया जाये यह प्रर्याप्त नहीं है कि अपने 20 वैज्ञानिकों की एक समिति को जांच करने के लिये 20 दिन अथवा एक माह अथवा छः महीने का समय दे दिया है। मेरे विचार से यह पर्याप्त नहीं है। 30 दिनों की अवधि में हमारे वैज्ञानिक असफलताओं के सभी कारणों का पता लगाने और उसके पश्चात इन्सैट-1 बी को छोड़ने के बारे में समय बताने में समर्थ नहीं हो सकेंगे। यदि सरकार स्वयं कोई निर्णय लेती है तो मेरे विचार से यह एक बहुत बड़ी भूल होगी क्योंकि ऐसा कार्य जल्दी में किया जायेगा। अतः महोदय पूरी जांच-पड़ताल की जानी चाहिये तथा जांच कार्य के लिये वैज्ञानिकों का एक आयोग गठित किया जाना चाहिये जिसमें एफ० ए० सी० सी० से सम्बन्धित व्यक्तियों को सम्मिलित किया जाना चाहिये तथा इसके सभी कारणों का पता लगाया जाना चाहिये। इसका ध्यान रखा जाये कि हमारे देश को इन्सैट-1 बी की असफलता का

भी सामना न करना पड़े । हम आशा करते हैं कि ऐसा न हो । लेकिन महोदय यदि इन सभी बातों की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है तो इससे दोबारा निराशा का सामना करना पड़ सकता है । अतः मैं सरकार से यह अनुरोध करता हूं कि पूर्ण रूप से जांच की जाये । मैं सरकार से यह भी जानना चाहता हूं कि अपनी समस्याओं का पता लगाने के लिये क्या एफ० ए० सी० सी० ने भी किसी प्रकार की कोई जांच समिति का गठन किया है ? क्या उन्होंने जांच समिति को गठित करने के लिये भारत सरकार से परामर्श किया है ? क्या भारत सरकार ने भी इस कम्पनी से यह पूछा है कि आप कोई जांच समिति गठित करने जा रहे हैं ? क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे वैज्ञानिकों तकनीकी कर्मचारियों तथा सक्षम व्यक्तियों को भी इसमें सम्मिलित किया जाये ? यही कहना पर्याप्त नहीं है कि वह कम्पनी एक प्रसिद्ध कम्पनी है और कम्पनी जो भी कार्य करें सरकार को उसका पालन करना चाहिए ।

अतः मैं भारत सरकार से यह निवेदन करता हूं कि वह अपने वैज्ञानिकों का एक जांच आयोग नियुक्त करने के अतिरिक्त एफ० ए० सी० सी० से भी यह कहे कि प्राथमिक अथवा जो भी जांच उनके द्वारा की जा रही है उसमें हमारे वैज्ञानिकों को भी वास्तविक तथ्य जानने के लिये सम्मिलित किया जाये । महोदय सरकार द्वारा बताए गए इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि बीमा कंपनी को सलाह देने के लिये उनकी अपनी पद्धति है मैं यह जानता हूं कि वह क्या करने जा रही है? उन्होंने यह बताया है कि बीमा करने वाली कंपनी अर्थात 'न्यू इण्डिया इन्श्योरेन्स कंपनी लिमिटेड' इन्सैट-ए की कुल क्षति के बारे में बताया गया है मैं यह जानना चाहता हूं कि भारत सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या सलाह दी गई है ? भारत सरकार द्वारा कुल कितनी हानि का आकलन किया गया है और इस कम्पनी से कितनी धनराशि का दावा किया जायेगा ? मैं यह जानकारी जानना चाहता हूं ।

इसके अतिरिक्त ये भी सभी कार्यक्रम इंसैट-1 ए के सफलतापूर्वक चलाने पर निर्भर थे । उदाहरण के तौर पर कई रेडियो केन्द्रों को इसके माध्यम से संचालित किया जाना था । बहुत से दूरदर्शन केन्द्रों को इसके माध्यम से कार्य करना था । इस प्रणाली के द्वारा दूर-संचार में काफी प्रगति की जानी थी । संभवतः उस समय यह विचार किया गया था कि एशियाड का प्रदर्शन किया जायेगा और इस संचार के माध्यम में काफी अच्छा कार्य किया जायेगा । अब इसके असफल होने की स्थिति में सरकार द्वारा क्या वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है ? मैं मन्त्री महोदय से एक अन्तिम प्रश्न पूछना चाहता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आपको पूरा विश्वास है कि आपने केवल तीन ही प्रश्न पूछे हैं ?

श्री चन्द्रजीत यादव : यह मेरा अन्तिम प्रश्न है । स्वयं प्रधान मन्त्री जी हमारे देश के वैज्ञानिक तथा तकनीकी विकास कार्य में व्यक्तिगत तौर पर काफी ध्यान देती हैं । पण्डित जवाहर लाल नेहरू के जमाने से ही इसको देश में सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है । वह स्वयं भी इसमें व्यक्तिगत तौर पर दिलचस्पी लेते थे कि इस सम्बन्ध में भारत की स्थिति विश्व के किसी भी

उन्नत देश के समान होनी चाहिये। इसका कारण यह था कि वह आधुनिक युग में विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के महत्व को पहचानते थे।

मैं जानना चाहता हूं कि जो भी प्रयत्न किये जा रहे हैं पिछले बार भास्कर सोवियत संघ की भूमि से छोड़ा गया था और अब इसको संयुक्त राज्य अमेरिका से छोड़ा गया है —क्या सरकार द्वारा कोई समय सूची निर्धारित की गई है क्या सरकार ने आवश्यक निधि की व्यवस्था की है और क्या हमारे वैज्ञानिकों को आवश्यक सुविधायें उपलब्ध हैं। क्या इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा किसी कार्यक्रम को अन्तिम रूप दिया गया है कि निकट भविष्य में इस प्रकार के अन्तरिक्ष-यान अथवा इन्सैट अथवा किसी अन्य प्रकार की वैज्ञानिक उपलब्धियों जैसे ऐप्पल आदि को अपने ही देश की भूमि से छोड़ने में भारत समर्थ हो सकेगा ?

श्री सी० पी० एन० सिंह : महोदय, माननीय सदस्य ने केवल तीन ही नहीं बल्कि बहुत से प्रश्न पूछे हैं। उन्होंने यह पूछा है कि क्या भारतीय वैज्ञानिकों तथा भारतीय तकनीशियनों को इसमें सम्मिलित किया गया था। उन्होंने विभिन्न संरचनाओं के बारे में भी कहा है और मेरे वक्तव्य को बड़े ध्यान से पढ़ने के पश्चात उन्होंने यह कहा है कि उसमें दोष आ गए होंगे। इस समय इस स्थिति में यह बताना वास्तव में ही बहुत कठिन है कि वास्तव में क्या हुआ। कभी-कभी निर्माण सम्बन्धी कोई समस्या किसी प्रकार की रुकावट उत्पन्न नहीं करती है। और वह विशेष वाहन चलता रहता है और कभी-कभी किसी विशिष्ट भाग के कार्य करने के बावजूद अप्रत्याशित बाधाओं अथवा समस्याओं को प्रत्येक चीज की पूरी तरह से जांच करने के पश्चात ही बताया जा सकता है।

इसके अतिरिक्त माननीय सदस्य ने फोर्ड एयरोस्पेस द्वारा अपनी ओर से की जानी वाली जांच में हमको सम्मिलित करने के बारे में कही है। मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्य यह जानते हैं कि एक उपग्रह के विभिन्न भाग होते हैं और विभिन्न कंपनियां इसके निर्माण कार्य से सम्बद्ध हैं। न केवल फोर्ड एयरोस्पेस ही बल्कि उदाहरण के तौर पर एक भाग "सौलर सेल बूम" के नाम से जानते हैं और बूम बाहर नहीं आता है। ये सभी कम्पनियां स्वभावतः इस प्रकार के तथ्यों का पता लगाने वाली समिति से संबद्ध होंगी। अतः मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्य द्वारा जो चिन्ता व्यक्त की गई है उसकी ओर ध्यान दिया जायेगा। क्योंकि हमारे इन्सैट-1 बी की सफलता पूरी जांच पड़ताल करने तथा इस बात की जानकारी को प्राप्त करने पर निर्भर करती है कि वास्तव में क्या त्रुटि रह गई थी। हम इस घटना का पूरी तरह से पता लगाये बिना अपने इंसैट-1 बी को नहीं छोड़ेंगे माननीय सदस्य ने एक प्रश्न हुई हानि तथा धनराशि की हानि के बारे में पूछा है। मेरे विचार में इसका वक्तव्य में उल्लेख है लेकिन मैं इसको पुनः बता रहा हूं कि यह धनराशि 649 लाख डालर के लगभग है। इसकी क्षति पूर्ति बीमा के द्वारा की जायेगी। लेकिन उपग्रह की क्षति को केवल धन के द्वारा ही पूरा नहीं किया जा सकता। यह एक कार्यक्रम है जिसमें एक इन्सैट-1 ए अथवा इनसैट-1 बी जैसे पूरक उपग्रह के लिए धन का पुनः भुगतान किया जाएगा लेकिन गांवों, अथवा टेलीविजन, रेडियो तथा संसार व्यवस्था तक न पहुंचने के अनुभव तथा विभिन्न समस्याओं का आकलन वास्तव में कभी भी रुपयों, आना अथवा पाई में नहीं किया जा सकता। यह हानि काफी है। लेकिन सौभाग्य से वित्तीय दृष्टिकोण से जहां तक पूंजी निवेश का

संघ हैं हम धनराशि को बीमा कम्पनी से वसूल कर लेंगे और मुझे यह आशा है कि इन्सैट-1 ए के पूरक इन्सैट-1 बी को छोड़ने में अगले वर्ष से आगे विलम्ब नहीं किया जाएगा। क्योंकि इसको जुलाई में छोड़ने का कार्यक्रम हैं और रिपोर्ट आने पर इसको अक्टूबर अथवा नवम्बर में किया जा सकता है। हम दूसरे उपग्रह को अपने तकनीकी विशेषज्ञों की सहायता से छोड़ने में समर्थन हो सकेंगे।

माननीय सदस्य सरकार के साथ एक बहुत से वरिष्ठ मन्त्री के रूप में सम्बद्ध रहे हैं और वे अपने देश की विशेषज्ञता इन्जीनियरी तथा वैज्ञानिक क्षमता से परिचित है। हमको उनपर पूरा भरोसा है और मुझे विश्वास है कि इस कार्यक्रम को पूरा किया जायेगा।

माननीय सदस्य का एक अन्य प्रश्न वाल्व को खोलने की असफलता के बारे में है। इसकी स्थिति मोटर कार अथवा मोटर साइकिल जैसी नहीं है जिसमें आप एक स्पार्क प्लग लगा सकते हैं। तकनीकी रूप से 'कमबूशन' को प्राप्त करने का ढंग ईन्धन तथा आक्सीकारक को हेलियम के साथ धकेलना होता है। लेकिन 'हेलिमीटरी' की कमी के कारण इसने अपने केन्द्र से सम्पर्क खो दिया। और धरातल के बारे में संकेत नहीं दे रहा था। एम० सी० एफ० पर जो दूरमिति (टेलीमीटिरी) उपलब्ध थी से यह पता नहीं चल सका कि क्या त्रुटि थी। चार घण्टे तथा 19 मिनट के समय में प्रत्येक औंस ईन्धन समाप्त हो गया। आक्सीकारक वाल्व कार्य नहीं कर रहा था। जहां तक मेरा विश्वास है ईन्धन 20 मिनट के अन्दर ही समाप्त हो गया, लेकिन 4 घण्टे तक जब उपग्रह का अपने केन्द्र से सम्पर्क टूट गया और इसका संतुलन समाप्त हो गया इसके एक स्थिर उपग्रह होने के नाते हमारा इस पर कोई नियन्त्रण न रह सका इसलिए ईंधन की रिक्तता की स्थिति का पता नहीं था।

बहुत-सी बातों का पूरी जांच करने के पश्चात ही पता चलेगा।

मैं माननीय सदस्य तथा सम्मानित सदन को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि समिति का प्रतिवदन प्राप्त होते ही हम सदन को उससे अवगत करायेंगे।

श्री चन्द्रजीत यादव : मन्त्री महोदय ने बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दों को छोड़ दिया है।

उपाध्यक्ष महोदय : बात यह है कि आपने केवल तीन प्रश्न पूछे थे। लेकिन मन्त्री जी ने लगभग 8 प्रश्नों का उत्तर दे दिया है।

श्री चन्द्रजीत यादव : मेरे द्वारा उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों का माननीय मन्त्री ने उत्तर नहीं दिया है।

मैंने अपने प्रश्न में पूछा था कि क्या एफ० ए० सी० सी० ने किसी जांच समिति का गठन किया है और क्या हमारी सरकार ने वास्तव में उस समिति में अपने कुछ वैज्ञानिकों को सम्बद्ध करने के लिए कहा था।

अब माननीय मन्त्री ने यही कहा है कि एक समिति का गठन किया है और अन्य कम्पनियों

को जो कि इस सम्बन्ध में कुछ कर रही हैं, इससे संम्बद्ध किया जायेगा।

इसलिए मैं सरकार द्वारा गठित की जाने वाली 20 सदस्दीय जांच समिति के बारे में जानना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि एक वैज्ञानिक जांच आयोग गठित किया जाय जिसका कि कार्य-क्षेत्र और अधिकार-क्षेत्र व्यापक हो।

मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने इस समिति में एफ० ए० सी० सी० और अन्य कंपनियों से प्रतिनिधि लिये हैं जो कि किसी न किसी तरह से इसमें समायोजित किये जा सकते हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है।

दूसरी बात मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार ने अपनी ही धरती से ही उपग्रह भेजने का कोई कार्यक्रम निर्धारित किया है और क्या इस बारे मे कोई योजना या परियोजना बनाई है।

श्री सी० पी० एन० सिंह : आपने ठीक ही कहा है माननीय सदस्य ने तीन नहीं कई एक प्रश्न पूछे हैं।

जहां तक उनके अपने उपकरणों के खराब होने का प्रश्न है, फोर्ड एरोस्पेस ने भी जांच करने के लिए आन्तरिक समिति का गठन किया है।

माननीय सदस्यों का एक अन्य प्रश्न जिसका कि मैं अब उत्तर देना चाहूंगा यह है कि भूमि पर उपग्रह के कारण सुविधाओं का नष्ट होना और इन्हें कैसे पूरा किया जायेगा। फक्शनिंग राउण्ड सेगमेंट के पूरा होने के बाद, हमें टी०वी० नेटवार्किंग सेवायें, 8 नियमित टी०वी० ट्रांसमीटर और 20 एल० आर० पी० उपलब्ध हो सकेंगे। मैं यह सूचना प्राप्त करूंगा कि हमारा दूर-संचार अब कहां तक कार्य कर रहा है और कुछ ही दिनों में हम 'इन्टालसेट' पर और समय लेने की कोशिश में सफल हो सकेंगे। इत्सैट-1ए से हुई क्षति की पूर्ति तो नहीं हो सकती। लेकिन हमें दूर-संचार में हानि नहीं हुई है। मौसम सम्बन्धी सूचनाओं हमें शीघ्र प्राप्त नहीं हो सकेंगी क्योंकि जैसा मैंने कहा कि कोई भी भू-स्थिर मौसम-विज्ञान उपग्रह इस समय भारत की तरफ नहीं है, और हमें इसके लिए अमेरिका और सोवियत संघ के दो उपग्रहों पर जोकि घूम रहे हैं और दो दफा भारत का चक्कर लगाते हैं, निर्भर रहना पड़ रहा है लेकिन जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं, इन दो चक्करों से हमें पूरी जानकारी नहीं मिल सकती कि इतनी ऊंचाई पर क्या हो रहा है।

माननीय सदस्य के प्रश्न का दूसरा भाग उपग्रहों के क्षतिग्रस्त होने से है और उनमें से कितनों को इस प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ा। मेरे पास प्रसिद्ध कंपनियों की लम्बी सूची है। अगर माननीय सदस्य चाहते हैं, तो मैं उनको यह सूची दे सकता हूं। ये समस्याएँ तो अच्छी से अच्छी कम्पनियों के साथ भी घटित हुई हैं। यह कोई ऐसी चीज नहीं है, जिसकी कोई चाह करता हो। लेकिन दुर्घटना या इसका फेल होना हमारे नियन्त्रण से बाहर की बात है। हम केवल यही कर सकते हैं कि हम देखें कि गलती कहां-कहां थी, और खराबी कहां हुई।

श्री रामविलास पासवान (हाजीपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो इन्सैट का लास है, यह न सिर्फ लास है बल्कि देश की बड़ी बदनामी है और देश के नाम पर एक बहुत बड़ा धब्बा है। सबसे बड़ी चीज यह है कि हमारी बदनामी हुई है और हम पर बहुत बड़ा कलंक लगा है और जो हमारे मन में आशाएं थीं, जो हमारी महत्वाकांक्षाएं थी, उन सब पर पानी फिर गया है।

इस का बहुत प्रचार किया गया था कि जो एशियन गैम्स होने जा रहे हैं, कलर्ड टी० वी० द्वारा उनको टेलैक्स किया जाएगा और यह कहा गया था कि विज्ञान और संचार का एक माध्यम खुल गया है और हम विज्ञान के क्षेत्र में बहुत प्रगति कर चुके हैं। 149 दिन में इन्सैट मृत हो जाने पर हमारी आशाओं पर पानी फिर गया है। इसके ऊपर जो खर्च हमको देना पड़ा, वह 200 मिलियन डालर का था और अभी मन्त्री महोदय ने यह बताया है कि हमें जो बीमा कंपनी से पैसा मिलने वाला है, वह 56 मिलियन डालर हैं। इसका मतलब यह हुआ कि 144 मिलियन डालर का हमको घाटा हो रहा है, लास हो रहा है। जब यह इन्सैट बनाया गया था तो इसकी कार्य अवधि 7 साल थी। लेकिन जो वैज्ञानिक लोग थे, उनका अनुमान था कि यह ढाई साल चल पाएगा लेकिन ढाई साल से पहले ही 149 दिन में ही मृत्यु हो गई। ऐसा क्यों हुआ है। इसमें कही सेवोटेज तो नहीं है और कहीं हमारे कार्यक्रम में किसी तरीके की कोई खामी तो नहीं है। टैलैक्स के द्वारा जो एशियाड खेलों को दिखाया जाना था, उसका विकल्प आपको मिलने नहीं जा है और मिलेगा भी तो उसके लिए आपको दूसरों पर निर्भर रहना पड़ेगा और जो मुनाफा आपको होता, वह नहीं होगा। यह उपग्रह एक व्यवसायिक उपग्रह था, जिसके माध्यम से आप कुछ मुनाफा कमाने की बात सोच सकते थे लेकिन अब वह मुनाफा दूसरों के हाथों में चला जाएगा।

एक दूसरा प्रश्न 5 किलो ईंधन के सम्बन्ध में है। जिस समय यह तैयार हुआ था और इसको जहां से लांच किया जाना था, वहां इसका वजन 9 किलो बढ़ गया और 9 किलो वजन बढ़ने से जो 5 किलो की कटोती की गई, तो वह 5 किलो की कटौटी ईंधन की की गई, जिसके आधार पर यह कहा गया कि यह पहले जितने दिन काम कर सकता था, उतने दिन काम नहीं कर पाएगा और सूर्य से इसे जो ऊर्जा प्राप्त करनी चाहिए थी, वह ऊर्जा भी इसको नहीं मिल पाई। तो ये सारे डिफेक्टस इसमें थे। 19 जुलाई को स्टीफन साहब ने दूसरे सदन में यह कहा था कि जो जगह स्पेस के लिए इन्सैट के लिए चाहिए थी, वह जगह नहीं मिल पाई। तो ये सारी खामियां रही हैं। इन्होंने यह कहा कि इसका निर्माण एरोस्पेस एण्ड कम्युनिकैशन कार्पोरेशन ने किया। ये सारी चीजें इसमें हुई है और इसमें सरकार को क्रिटीसाईज नहीं करना चाहता लेकिन मेरे दिमाग में दो-तीन शंकाएं हैं, जिनको मैं इस सदन में रखना चाहता हूं।

जैसा मैंने पहले कहा कि इसके साथ आत्म-सम्मान का मामला जुड़ा हुआ हैं और इस में हमारी बदनामी हुई है। दूसरे इसके साथ आत्मनिर्भर का मामला भी जुड़ा हुआ है। हमारे देश में एक से एक वैज्ञानिक हैं। पता नहीं कितने वैज्ञानिकों को कितने दिनों तक, तीन वर्ष किसी ने बताया है इसकी निगरानी के लिए रखा गया। अब निगरानी हमारे वैज्ञानिक कितना करते

थे और वैज्ञानिकों ने कितना निगरानी का नाम किया, यह एक अलग विषय हो सकता है लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस क्षेत्र में जो हम आत्मनिर्भर बनना चाहते थे, उसको धक्का लगा है। अब दूसरा उपग्रह छोड़ने के बारे में विचार कर रहे हैं। क्या दूसरे उपग्रह की भी यही दुर्गति होगी। मैं जानना चाहता हूं। कि क्या दूसरे उपग्रह के सम्बन्ध में आपने पहले से ही विचार-विमर्श अच्छी तरह से कर लिया है और आपके दिमाग में यह बात है कि इसमें जो खामी रही है, जो गलती रही है, चाहे वह किसी भी तरह की हो, उस गलती को दूसरे उपग्रह में दोहराया नहीं जाएगा।

मैं सरकार से जानना चाहूंगा कि यह तो एग्रीमेंट हुआ था, क्या सरकार यह महसूस करती है कि इस एग्रीमेंट में कोई खामी थी ? इसी प्रकार जिन लासेस की चर्चा की गई है, इन तसाम लासेस को पूरा करने के लिए क्या प्रयत्न किए जा रहे हैं और अन्तिम प्रश्न यह है कि उपग्रहों के मामले में आत्म-निर्भता के मामले में सरकार की भविष्य में क्या प्लानिंग है ?

श्री सी० पी० एन० सिंह : मैं एक विशेष अंश विस्तृत अंश पढ़ना चाहूंगा क्योंकि मैं समझता हूं कि मैंने अपने मुद्दे को ज्यादा स्पष्ट नहीं किया है। खर्च किए गए धन के बारे में कुछ गलत फहमी है। इस उपग्रह के निर्माण संरचना और छोड़ने पर किया गया कुल धन 113 करोड़ रु० नहीं बैठता। यह एक अनुमानित राशि है, जिसमें इन्सैट -1 बी० पर हो रहा खर्च भी शामिल है श्री यादव से पूछने से पहले, मैंने-जो संख्या बताई थी, वह अब भी ठीक है। फर्क सिर्फ इन्सैट-1 बी० कार्यक्रम में की गई निवेश राशि की है। माननीय सदस्य ने जो कुछ कहा है, मैं समझता हूं कि वह सही नहीं है अन्तरिक्ष विभाग के कारण सरकार को जो प्रतिष्ठा और साफ क्षमता प्राप्त हुई है वह सर्वविदित है आईये इस दुर्घटना की वजह से उन वैज्ञानिकों की निन्दा न करें जिन्होंने इतना अच्छा कार्य किया है और भारत को अन्तरिक्ष जगह में पहुंचाया है। हमें पूरी आशा है कि उन्होने पीछे रहते हुए, इस छोटे से रास्ते के लिए अपनी पूरी लगन और निष्ठा से कार्य किया है। हम आशा करते हैं कि वे इसी लगन और निष्ठा से कार्य करते रहेंगे और हमारे अन्तरिक्ष कार्यक्रम को आगे बढ़ायेंगे।

माननीय सदस्य ने ईन्धन की अन्य समस्या के बारे में भी कहा है। मैं समझता हूं कि समाचार पत्रों में छपी कुछ खबरों कि उस समय छोड़े जाने वाले यान पर अधिक ईन्धन था। मैं एक इसका वह अंश पढ़ना चाहता हूं जिससे कि यह स्पष्ट भी हो जायेगा और सभा की कार्य-वाही का हिस्सा भी हो जाएगा :

> "लदान के समय अन्तरिक्षयान का भार 541.3 कि० ग्रा० निकला—जो-कि नियोजित भार से लगभग 7.3 कि 0 ग्रा० अधिक था ···

541.3 कि० ग्रा० में 7.3 कि० ग्रा० अधिक होने से कोई खास अन्तर नहीं पड़ता और वह भी जब,

> " ··· इसमें से काफी भार उस समय संतुलित हो जाता है जब इसे डेल्टा लांच यान प्रज्ञेय-पथ पर पुनः ढाला जाता है। पूरे उपग्रह और प्रणोदक संहति जिसका

छोड़े जाने के समय भार 1159.84 कि० ग्रा० था जिसमें प्रणोदक का भार 619.15 कि० ग्रा० था : छोड़े जाने वाले पैड पर ईंधन नहीं निकाला गया।

मैं समझता हूं कि मैंने सभी सदस्यों के सभी प्रश्नों का उत्तर अपने पूरी जानकारी के मुताबिक दे दिया है। मैं आशा करता हूं कि जांच होने तक धैर्य का परिचय देंगे ताकि समिति के परिणामों को सभा पटल पर रखा जा सके, और सदस्य सरकार से आगे और प्रश्न पूछ सकें। मैं आपको आश्वासन देता हूं कि सरकार ने कभी भी तथ्यों को न तो छिपा है और न ही छिपायेगी

रामविलास पासवान : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया। मेरा प्रश्न था कि जो सेबोटाज की आशंका व्यक्त की गई है कि मुनाफा कमाने के लिए इसको खराब किया गया है, इस सम्बन्ध में सरकार को अभी तक क्या कोई जानकारी प्राप्त हुई है और दूसरे सदन में जो स्टीफन साहब ने कहा कि जो जगह हम चाहते थे वह उपयुक्त जगह हमको नहीं दी गई थी। इन दोनों बातों में कितनी सत्यता है ?

श्री सी० पी० एन० सिंह : अब यह कहना तो बड़ा मुश्किल है कि सेबोटाज हुआ है। जब इन्क्वायरी कमेटी की रिपोर्ट आएगी, तभी इसका पता लग पाएगा। लेकिन जिस तरह यह चीजें हुई हैं मुझे यह विश्वास नहीं हो सकता है कि इसमें कोई सेबोटाज हुआ हो। इस कम्पनी के बारे में बड़े प्रश्न ही रहे हैं, लेकिन मैं माननीय सदस्य को फिर से याद दिलाऊंगा कि सब टन्डर्स और फाइनेलाइजेशन भूतपूर्व सरकार ने किया था। उस वक्त एशियाड कलर टी वी, की बात माननीय सदस्य कर रहे हैं, उस वक्त टेलिविजन का कोई प्रावधान इस सेटेलाइट में नहीं था।

उपाध्यक्ष महोदय : उनके अपने चुनाव क्षेत्र में भी रंगीन टेलिविजन होगा।

श्री सी० पी० एन० सिंह : अब हम लोगों ने कलर टी० वी० का किया है और एशियाड में हम इंटेरसैट के माध्यम से कलर टेलिविजन एशियाड का हिन्दुस्तान के गांवों में दिखायेंगे, जो कि पहली सरकार ने नहीं सोचा था।

श्री हरिकेश बहादुर : उपाध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार को इसमें घसीटने की कोई जरूरत नहीं है। वास्तव में यही सरकार काम कर रही है और जो काम इसने किये हैं वह हम सबके सामने हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : वह पिछली सरकार को कह सकते हैं। आपको इससे क्या चिन्ता है ? आप उस समय नहीं थे।

श्री हरिकेश बहादुर : उन्होंने इस विशेष कार्य के बारे में निर्णय नहीं लिया था। इन्सेट - I ए० हमारे देश की एक बहुत ही महत्वकांक्षी योजना थी और यह कहा गया था कि यह एक पूर्णतः क्रियाशील उपग्रह है, जिसे दूरदर्शन प्रसारण मौसम निगरानी और दूरसंचार कार्यक्रम आदि क्षेत्रों में विशेष भूमिका निभानी है।

"लेकिन यह बुरी तरह फेल हो गया है। हर कोई यह जानता है। इस पर पहले ही सदन में अच्छी प्रकार से चर्चा हो चुकी है। अब प्रश्न यह है कि क्या यह एक तकनीकी विफलता थी या कि एक राजनैतिक शरारत थी। यदि यह एक तकनीकी विफलता थी तो निस्संदेह मैं कह सकता हूं कि सरकार को इस सबको नष्ट करने में रुचि नहीं थी।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपा इसमें राजनीति न लायें।

श्री हरिकेश बहादुर : मैं इस पर बोलूंगा।

श्री चन्द्रजीत यादव : वह राजनीतिक शरारत के बारे में बोल रहे थे।

श्री हरिकेश बहादुर : अगर यह एक तकनीकी खराबी के कारण है तो में सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि हमारे वैज्ञानिकों को हतोत्साहित न किया जाय। उनको और प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। उन्होंने अपने ज्ञान का सबसे अच्छा प्रयोग किया है। लेकिन अगर दुर्भाग्यवश ऐसा हो गया है तो इसमें उनका कोई दोष नहीं है। यहां मैं यह भी स्पष्ट करना उचित समझता हूं कि हमारे वैज्ञानिकों के साथ उचित न्याय नहीं हो रहा है। इसीलिए कई एक वैज्ञानिक संगठनों में वे आत्महत्या कर रहे हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद इसका एक ज्वलंत उदाहरण है। भाभा परमाणु अनुसन्धान केन्द्र में भी हमारे वैज्ञानिक सन्तुष्ट नहीं हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि सरकार इन सब बातों पर ध्यान दें।

जैसा कि मैंने पहले कहा है अगर इसमें कोई राजनैतिक शरारत है तो यह एक गम्भीर मामला है। अमेरिका एक मित्र राष्ट्रीय है। लेकिन कई दफा कुछेक संगठनों पर शक होता है।

उपाध्यक्ष महोदय : इसमें अमेरिका का कुछ सम्बन्ध नहीं है। वह एक सरकार की नहीं, बल्कि अन्य कम्पनी है।

श्री हरिकेश बहादुर ; उन्होंने कहा है कि एक जांच हो रही है। अमरीकी बहु-राष्ट्रीय निगम को इस उपग्रह के निर्माण का कार्य सौंपा गया। अब इस जांच से सब कुछ स्पष्ट हो जायेगा लेकिन, निश्चित रूप से कुछ शक है।

श्री हरिकेश बहादुर : लोगों के मन में संदेह है कि क्या बहु-राष्ट्रीय निगम ने इसमें कोई शरारत तो नहीं की है। यह शक हमारे दिमाग में भी है। इसीलिए मैं सीधे ही बात पूछना चाहता हूं। यहां मैं एक विशिष्ट प्रश्न पूछना चाहता हूं। मैं यह जानना चाहता हूं कि जिन अन्य उपग्रहों का निर्माण किया जायेगा उनका निर्माण संस्था द्वारा किया जायेगा या सरकार किसी अन्य संगठनों से करार करने जा रही है मैं चाहूंगा कि मन्त्री महोदय इसका उत्तर दें।

हमारे भारतीय वैज्ञानिक इसकी पर्यवेक्षण करते रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि उनको उपग्रह निर्माण में देखभाल के लिए अवसर दिया गया है या नहीं। भविष्य में हमारे वैज्ञानिकों का क्या कार्य और भूमिका होगी ? 19 जुलाई को जैसा कि माननीय सदस्य श्री पासवान ने कहा है। मन्त्री महोदय ने उत्तर नहीं दिया था। तत्कालीन संचार मन्त्री श्री स्टीफन ने दूसरे सदन में

कहा था कि भारत को इन्सैट-1 ए के लिए अति उपयुक्त स्लाट नहीं मिल पाया है। भारत ने जिस स्थान को पसन्द किया था, वह अन्य देश को दिया गया है।

मैं चाहता हूं कि मन्त्री महोदय उस विशेष प्रश्न का उत्तर दें।

यदि यह सही है, तो इस समस्या का समाधान करने के लिए कौन-कौन से कदम उठाए जा रहे हैं? क्या इस तरह की कोई अन्य समस्या है जिसके बारे में तत्कालीन मन्त्री ने दूसरे सदन को बताया था, अन्य प्रश्न जो मैं पूछना चाहता हूं वह यह है। जब इन्सैट-1 ए को छोड़ा जाना था, उस समय यह देखा गया था कि यह उपग्रह अधिक भारी था। मन्त्री महोदय ने इस बारे कुछ स्पष्टीकरण दिए हैं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं। हमारे वैज्ञानिकों को हर तकनीकी पहलू की जानकारी है और उन्होंने इसकी सूचना उन्हें दी होगी जिसके आधार पर उन्होंने उत्तर दिया है। अन्तरिक्ष में भेजे जाने वाले प्रत्येक भार के लिए निश्चित बल की आवश्यकता होनी है, जिसके द्वारा इसे ठीक तरह से नियन्त्रित निर्देशित किया जा सके और इसमें गति लाई जा सके। अगर इसके भार में बढ़ोत्तरी हो जाती है तो मैं नहीं जानता कि इसके संचालन में कुछ विपरीत प्रभाव भी पड़ा होगा या नहीं। लेकिन मैं ऐसा समझता हूं कि इसका कुछ विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। अत: इस पहलू पर भी सावधानीपूर्वक विचार किया जाना चाहिए।

अन्तिम प्रश्न जो मैं उठाना चाहूंगा वह यह है कि इंसैट-1ए अन्तरिक्षयान के पूरी तरह असफल होने के कारणों की जांच की जा रही है। अब मैं मन्त्री महोदय से स्पष्ट उत्तर लेना चाहता हूं कि क्या जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद वह उसे सभा-पटल रखेंगे। हमारी मांग है कि रिपपोर्ट सभापटल पर रखी ही जानी चाहिए।

श्री सी० पी० एन० सिंह : महोदय, माननीय सदस्य और मैंने 1980 में साथ-साथ चुनाव लड़े। अत: उनकी प्रारम्भिक मांग है कि पिछले सरकार ने यह किया ...

उपाध्यक्ष महोदय -- मैंने स्वयं इसे स्पष्ट कर दिया है।

श्री सी० पी० एन० सिंह - हमने एक ही दल से एक ही कार्यक्रमानुसार चुनाव लड़े। अत: मैं उस प्रश्न पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा।

मैं समझता हूं कि इसका सबसे अच्छा तरीका यही है कि वैज्ञानिकों को, जो कि प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ हैं, इस मामले में जानें और हमें अपनी अंतिम रिपोर्ट देने दीजिये और उसके बाद हम इस पर चर्चा कर सकते हैं। लेकिन चूंकि यह मामला अब उठाया गया है मैं कहूंगा कि इस सरकार ने, फिलहाल वह जिसकेनेतृत्व में है वैज्ञानिकों को अधिकतम सहायता और प्रोत्साहन दिया है। अत: उस तरह के काम में कभी कमी नहीं आई और मुझे आशा कि सिर्फ वैज्ञानिक ही इस बारे में बता पाने में समर्थ हो सकेंगे। दूसरे जिस पहलू का उन्होंने उल्लेख किया है वह वैज्ञानिकों द्वारा आत्महत्या करने के बारे में है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री हरिकेश बहादुर भी वैज्ञानिक हैं। उनके पास एम० एस० सी० की उपाधि है।

श्री सी० पी० एन० सिंह – मैं जानता हूं। मेरे पास इस वक्त आंकड़े नहीं हैं। वैज्ञानिक भी मनुष्य है, और भारतीय है। मैं समझता हूं कि आत्महत्या करने वाले वैज्ञानिकों की संख्या अधिक नहीं होगी क्योंकि हम सब जानते हैं कि उनकी मानसिकता भिन्न-भिन्न है अतः जब तक उनमें कोई बड़ी शारीरिक या मानसिक अयोग्यता न हो कोई भी वैज्ञानिक ऐसा कठोर कदम उठाना नहीं चाहेगा।

उन्होंने एक बात का और उल्लेख किया। खेद है कि मैं श्री पासवन के प्रश्न के अंतिम भाग का उत्तर देना भूल गया। वह प्रश्न श्री स्टीफन द्वारा राज्य सभा में अंतरिक्ष में उपग्रह छोड़ने के लिए उपयुक्त स्थान पर दिये गये वक्तव्य से सम्बन्धित था। महोदय, जब भी कोई उपग्रह अंतरिक्ष में छोड़ा जाता है, तब उसकी सरकार अंन्तर्राष्ट्रीय दूर-संचार संघ को आवेदन पत्र भेजती है और पहले आओ पहले पाओ के आधार पर उस देश विदेश को स्थान दे दिया जाता है। उपग्रह छोड़ने से पहले, इस प्रक्रिया का अनुशरण किया गया और हम उपयुक्त स्थान पा सके। में यह जानता हूं कि अंतरिक्ष-विभाग द्वारा उस पहलू का स्पष्टीकरण पहले भी किया जा चुका है।

एक अन्य प्रश्न जो माननीय सदस्य ने पुनः पूछा था वह वैज्ञानिकों को इस समिति में स्वतन्त्रता से काम करने की अनुमति दिए जाने के सम्बन्ध में है। महोदय, यह वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकी विशेषणों द्वारा तैयार किया गया है और मुझे विश्वास है कि वे ही सबसे इस बात का अच्छा निर्णय कर सकते हैं कि उस समिति में किसे लिया जाना चाहिए। मैं पुनः माननीय सदस्यों से अपील करता हूं कि हमें इस रिपोर्ट की प्रतीक्षा करनी चाहिए और फिर जब रिपोर्ट आ जाऐगी, चूंकि यह बहुत अधिक तकनीकी होगी और हम इसका सरलीकरण करेंगे और उसके परिणामों को इस सम्मानित सदन के माननीय सदस्यों के समक्ष रखेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री भीखाभाई। वह अनुपस्थित हैं।

तत्पश्चात लोकसभा मध्याह्न भोजन के लिए 2 बजकर 35 मिनट म० प० तक के लिए स्थगित हुई।

लोकसभा मध्याह्न भोजन के पश्चात 2 बजकर 35 मिनट म० प० पर पुनः समवेत हुई।

(श्री चिंतामणि पाणिग्रही पीठासीन हुए)

सभापति महोदय—सिंचाई मन्त्री।

बाढ़ की स्थिति के बारे में वक्तव्य

सिंचाई मंत्री (श्री केदार पाण्डे) : मैं, देश के विभिन्न भागों में बाढ़ की स्थिति के सम्बन्ध में वक्तव्य देने के लिए खड़ा हुआ हूं। देश के कुछ भागों में मानसून के विलम्ब से आने और उसके कम होने के बावजूद, असम, बिहार, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश में भारी बाढ़ें आई हैं। आंध्र प्रदेश कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, त्रिपुरा, और पश्चिम बंगाल में कम मात्रा में आई बाढ़ों से भी कई क्षेत्र आप्लावित हुए हैं। राज्य सरकारों द्वारा केन्द्रीय जल आयोग, सिंचाई मन्त्रालय को भेजी गई सूचना के आधार पर, बाढ़ों से कुल लगभग 76 लाख हैक्टेयर क्षेत्र तथा 335 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। 932 व्यक्तियों की जाने गई हैं। बाढ़ों तथा चक्रवातों के कारण हुई कुल क्षति का मूल्य लगभग 1150 करोड़ रुपये आंका गया है। गत वर्ष के दौरान बाढ़ से 1132.31 करोड़ रुपये की क्षति हुई थी।

बाढ़ की स्थिति और बाढ़ क्षति के सम्बन्ध में राज्यवार स्थिति जो विवरण में दी गई है सभा पटल पर रखी जाती है।

विवरण

इस वर्ष, दक्षिण-पश्चिम मानसून केरल में 30 मई, 1982 को अर्थात 2 दिन पूर्व पहुंच गया था। 17 जून तक, दक्षिण-पश्चिमी मानसून प्रायद्वीपीय भारत के अधिकांश भागों, दक्षिण-पूर्वी प्रदेश, उड़ीसा, असम, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, महाराष्ट्र और बिहार में छा गया था। कुछ भागों में मानसून के देर से पहुंचने और उसके कम होने के बावजूद, 22 जुलाई, 1982 तक सारा देश मानसून के प्रभाव के अन्तर्गत आ गया था। कम मानसून की गतिविधि देश के कुछ भागों में देखने में आई थी, जिससे आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात और पश्चिम बंगाल के राज्य प्रभावित हुए थे। कुछ राज्यों, जैसे उत्तर प्रदेश बिहार और कर्नाटक में बाढ़ और सूखा, दोनों स्थितियों का सामना करना पड़ा है। दक्षिण-पश्चिम, जम्मू तथा कश्मीर और पश्चिमी राजस्थान से 3 सितम्बर को और समूचे क्षेत्र से 20 सितम्बर तक हो गया था। 29 सितम्बर, 1982 तक असम, मेघालय नागालैंड, मणिपुर मिजोरम त्रिपुरा पश्चिम बंगाल, सिक्किम उड़ीसा उत्तरी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मैदानों हरियाणा, पंजाब. पूर्वी राजस्थान मध्य प्रदेश कोंकण तथा गोवा मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, तटवर्ती आंध्र प्रदेश तेलीवाड़ा कर्नाटक राज्य, केरल और लक्षद्वीप में सामान्य वर्षा हुई है ; बिहार राज्य पश्चिम उत्तर प्रदेश की पहाड़ियों हिमाचल प्रदेश जम्मू और काश्मीर, पश्चिमी राजस्थान गुजरात राज्य विदर्भ रायल सीमा और तमिलनाडु में कम वर्षा हुई है।

2. देश के विभिन्न भागों में कई अवधियों में भारी वर्षापात हुआ हैं। उड़ीसा के तट पर 3 जून, 1982 को चक्रवात के आघात के कारण राज्य के पुरी, कटक और बालासौर जिलों में व्यापक रूप से क्षति हुई है। इसी प्रकार पश्चिम बंगाल के सुन्दरवन के क्षेत्र भी इस चक्रवात से प्रभावित हुए थे। कर्नाटक में दक्षिण कनाड़ा जिसके उद्दीपों नगर में 10-6-82 को 42 से० मी० वर्षा रिकार्ड की गई थी बाढ़-मौसम के दौरान कई नगरों/वर्षापात मापी केन्द्रों में भी 24 घंटों में 20 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा पात रिकार्ड किया था।

3. राज्य सरकारों से प्राप्त हुई रिपोर्टों के अनुसार अन्ध्रप्रदेश, असम, बिहार गुजरात, कर्नाटक, केरल, मध्य-प्रदेश महाराष्ट्र, मणिपुर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, त्रिपुरा उत्तर-प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्यों में विभिन्न मात्राओं में बाढ़ें आई हैं। 30-9-1982 तक राज्य सरकारों से प्राप्त हुई सूचना के अनुसार बाढ़ों तथा चक्रवातों के कारण हुई क्षति का कुल मूल्य 1150 करोड़ रुपय सूचित किया गया है।

4 पिछली वर्षों की तरह केन्द्रीय जल आयोग के केन्द्रीय बाढ़ पुर्वानुमान संगठन ने, इस वर्ष बाढ़ मौसम के आरम्भ से लेकर देश में सभी बड़ी नदियों के लिए बाढ़ पुर्वानुमान जारी करने की व्यवस्था की। यह संगठन बाढ़ मौसम के दौरान देश में अपने 151 बाढ़ पुर्वानुमान केन्द्रों से औसतन 2331 पूर्वानुमान जारी करता है। इस वर्ष जारी किए गए कई पूर्वानुमानों में नाजुक स्थलों पर बाढ़ स्तरों की विश्वसनीय ढंग से भविष्यवाणी की थी।

5. प्रत्येक राज्य में बाढ़ की स्थिति के सम्बन्ध में अवस्था नीचे दी गई है और राज्य सरकारों द्वारा अब तक सूचित की गई क्षति का ब्यौरा परिशिष्ट में दिया गया है।

आन्ध्र प्रदेश

हैदराबाद और सिकन्दराबाद के संवद्ध नगरों में 15-6-1982 की रात को लगभग 5 घंटों तक मूसलाधार वर्षा हुई थी, जब कुल 5.7 सेंटीमीटर वर्षा रिकार्ड की गई थी। इन दोनों सम्वद्ध नगरों में टेलीफोन के कई तार और शिरोपरि लाइनें क्षति-ग्रस्त हो गई थीं जिसके कारण दूर-संचार प्रणाली भंग हो गई थी। कई निचले क्षेत्र भी जल मग्न हो गये थे।

श्री-सैलम वांध पर कृष्णा नदी का स्तर 21-8-82 को 259.58 मी० तक पहुंच गया था और इस प्रकार यह 1981 के 259·42 मी० के पिछले उच्च स्तर को पार कर गया था।

असम

ब्रह्मपुत्र नदी ने 16 जून 1982 को पहली वार डिब्रुगढ़ में खतरे के स्तर को पार किया और वह 17 जुलाई तक खतरे के स्तर के ऊपर बहती रही नदी में 20 जुलाई को पुनः वाढ़ आई और वह 3 अगस्त तक खतरे के स्तर से ऊपर बहती रही। इस नदी ने 12 सितम्बर को तीसरी बार खतरे के स्तर को पार किया और वह 23 सितम्बर तक खतरे के स्तर से ऊपर बहती रही। ब्रह्मपुत्र की मुख्य सहायक नदियां अर्थात-कुढ़ी देहिंग, सुवनसिरी, धनसिरी, कोपिली पुथिमारी, पगलादिया, वेकी मानस और संकोश में भी विभिन्न अवधियों के दौरान बाढ़ें आई और वे अपने-अपने खतरे के रतरों को पार कर गई। गोलपाड़ा जिले हैं धुबरी में 1 से 3 अगस्त के बीच तेज़ हवाओं के साथ, साधारण से भारी प्रबलता का एक विचारणीय तूफान भी आया था।

वारक वेसिन में वारक नदी और उसकी सहायक नदियों, कुशियारा रुकनी और शिगला ने थोड़ी-थोड़ी अवधियों के लिए खतरे के स्तरों को पार किया और तटबंध प्रणाली में दो दरारें पड़ने की सूचना मिली है।

राज्य सरकार द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार ब्रह्मपुत्र घाटी में बाढ़ों की तीन तरंगों से 1062 गांव प्रभावित हुए हैं। अनेक जिलों में राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर संचार व्यवस्था भंग हो जाने के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा तटवंध में प्रणाली में पानी ऊपर से बहने तथा उसमें दरारें पड़ने के साथ-साथ, कई स्थानों पर तीव्र कटाव होने की सूचना दी गई है जिससे तटबंधों और आवास स्थानों को खतरा पैदा हो गया है।

बिहार

गंगा और उत्तरी बिहार में उसकी सहायक नदियों गंडक कमला, बालान, कोसी और महानन्दा तथा दक्षिणी बिहार में सोन और पुनपुन में 11 जुलाई, 1982 से बाढ़ें आती रही हैं और भिन्न-भिन्न अवधियों में उन्होंने खतरे के स्तरों को पार किया है। गंगा नदी ने 24.8.82

को गांधीघाट (पटना) में पहली बार खतरे के स्तर को पार किया। उसने 27.8.82 को बक्सर में 24.8.82 को हातीदाह में, 3.9.82 को मुंगेर में और 26.8.1982 को कोलगांग में खतरे के स्तर को पार किया और 19.9.82 तक वह खतरे के स्तर से ऊपर बहती रही। बूढ़ी गंडक कोसी और पुनपुन भी 8.8.1982 ओर 24.9.1982 के बीच भी खतरे के स्तर से ऊपर बहती रही। तथापि गंगा ने गांधी घाट (पटना) में कुरसेला में कोसी ने और गंगापुरसिसवा में घाघरा ने अपने पिछले उच्चतम बाढ़ स्तरों को भी 4 सैंटीमीटर 25 सैं० और 36सैंटीमीटर से पार किया।

बिहार में बाढ़ों से 14 जिलों में, 3.429 गांव तथा 6.62 लाख हैक्टेयर क्षेत्र प्रभावित हुआ है। कुल क्षति लगभग 89 करोड़ रुपये की हुई है।

गंडक नदी का पिपरासा-पिपराघाट तटबंध दो स्थानों पर अर्थात 22.7.1982 को ब्नाहा के निकट बरवाटोला में और 24 जुलाई 1982 को दुलारी और सुईधरवा के बीच ढह गया था थोरी पश्च लाइन (रिटायर्ड लाईन) के पूर्व में 920 मीटर की दूरी ये तटबध भी कटकर बह गया था। तिरहुत मुख्य नहर और वैशाली न र में क्रमश 23 और 24 जुलाई को दरारें पड़ गई थीं जिनसे निकटवर्ती गांव प्रभावित हुए थे। पटना में, बाढ़ से धानपुर मनेर पटना नगर तथा फतवा खंडों के दिआरा क्षेत्र आप्लावित हो गए थे। बाढ़ का जल छपरा नगर में प्रवेश कर गया जिससे नगर के काफी क्षेत्र आप्लावित हो गए थे। आरा नगर में, 7-9-1982 को 32 मुख्य वार्डों में से 14 वार्ड बाढ़-जल से आप्लावित हो गए थे। माहा नदी पर पाहीपुरु वाय तटबंध में सीतलपुर और विधवारा रेलवे स्टेशनों के बीच 6 सितम्बर को दरार पड़ गई थी और उससे सारन जिले के क्षेत्र आप्लावित हो गए थे। सोनपुर नगर के महुना सुरक्षा तटबंध में 8-9-82 को दरार पड़ गई थी जिससे नगर के क्षेत्र आप्लावित हो गए थे। कटिहार जिले में महानन्दा नदी के दाएं वारंडी तटबंध में 9-9-82 को दरार पड़ गई थी और उससे निकटवर्ती क्षेत्र आप्लावित हो गए थे।

गुजरात

राजकोट, वनासकंठा और मेहसाना जिलों के कुछ भागों में 23-25 जुलाई, 1982 के दौरान भारी वर्षापात हुआ था जिससे अनेक गांव प्रभावित हुए थे और फसलों तथा सम्पत्तियों को क्षति हुई थी। वनासकंठा जिले के डीसा तालुका में तथा मेहसाना जिले के पाटन तालुका में 24 जुलाई, 1982 को क्रमशः 33-6 सैंटीमीटर तथा 22 सैं.मी. वर्षापात रिकार्ड किया गया था।

कर्णाटक

जून, 1982 के दूसरे सप्ताह में दक्षिण कन्नाडा जिले में उद्दुपी के आस-पास निरन्तर वर्षा होने के कारण, उद्दुपी नगर के इर्द-गिर्द निचलेदे क्षेत्र बुरी तरह प्रभावित हुए थे। उद्दुपी नगर में 10-6-1972 को 42 सैंटीमीटर वर्षापात रिकार्ड किया गया था पुस्तूर गांव में राष्ट्रीय राजमार्ग प्रभावित हुआ था। माल्पे और कल्याणपुर के बीच कोडावूर में सड़क टूट गई थी। दावूथोला के निकट कोडावूर के लयण-जल अपवर्जन बांध के दाएं तट में दरार पड़ गई थी।

1982 में जुलाई के अंतिम सप्ताह में और अगस्त के पहले सप्ताह में भारी वर्षा से चिकमंगलुर, वेलगांव, करवार धारवाड़, शिमोगा उत्तर कन्नाडा और दक्षित कन्नाडा जिलों के कई भाग पुनः प्रभावित हुए थे जिससे संचार प्रणाली और सामान्य जीवन अस्तव्यस्त हो गया था।

केरल

राज्य में 24 जुलाई, 1982 को भारी बर्षा हुई थी। जिससे 10 जिलों के कुछ भाग प्रभावित हुए थे। 41 व्यक्तियों की मृत्यु हो जाने की सूचना प्राप्त हुई है।

मध्यप्रदेश

नर्मदा में बाढ़ें आई और वह 16-8-1982 को मंडला में निमज्जन (सवर्मासिवल) सड़क पुल के 1-50 मीटर ऊपर उसका पानी प्रभावित होता रहा जिससे सड़क संचार भंग हो

गया था। राज्य सरकार ने 13 जिलों के अन्तर्गत आने वाले 4213 गाँवों के प्रभावित होने की सूचना दी है।

महाराष्ट्र

भारी वर्षा से जुलाई-अगस्त, 1982 के दौरान जलगाँव, बुलढाना यवतयाल, वर्धा तथा रत्नगिरि जिलों के कुछ भागों पर प्रभाव पड़ा था। राज्य में बाढ़ों के कारण 10 व्यक्तियों के मारे जाने का समाचार प्राप्त हुआ है।

मणिपुर

निरन्तर वर्षा होने के कारण, जून, 1982 के तीसरे सप्ताह में इस राज्य की सभी बड़ी नदियों में बाढ़ें आई थीं। थौवल नदी द्वारा अपने उच्चतम बाढ़ स्तर के रिकार्ड को पार कर लेने का समाचार मिला था। राज्य सरकार ने थौवल और इम्फाल नदियों की तटबन्ध प्रणाली में दरारें पड़ने और असुरक्षित पहुचों में क्षेत्रों के आप्लावित होने की भी सूचना दी है।

उड़ीसा

3/4 जून, 1982 की रात्रि के दौरान, उड़ीसा के तटवर्ती क्षेत्रों विशेष रूप से कटक, वालासौर तधा पुरी जिलों को अभूतपूर्व वेग के एक चक्रवातीय तूफान ने आ घेरा था। उड़ीसा में जून के महीने में चक्रवात आना एक विरल घटता होती है, और वर्तमान चक्रवात इस शताब्दी में पहली बार आया था। जब तूफान ने वस्तुतः राज्य को पार किया था, उस समय वायु की अधिकतम गति 220 किलोमीटर प्रति घंटा तक होने की सूचना दी गई है। चक्रवात के साथ, राज्य के कुछ भागों में भारी वर्षा भी हुई थी। 3 जून, 1982 को पारादीप में 9 सैंटीमीटर वर्षा रिकार्ड की गई थी। इस विनाशकारी चक्रवात के कारण कटक, पुरी, वालासौर, सम्बलपुर. मयूरभंज, धेनकनाल तथा थोझर के सात जिलों में जिनके अन्तर्गत 110 ब्लाक आते हैं। 25 लाख हैक्टेयर क्षेत्र, 73-23 लाख की जनसंख्या तथा 8.1 लाख मकानों को वहुत क्षति हुई थी।

18 से 19 अगस्त तक सम्वलपुर और उसके क्षेत्रों में अभूतपूर्व वर्षा हुई। 19 अगस्त को 08,00 बजे समाप्त हुए 24 घंटों के दौरान सम्बलपुर में 58.2 सैंटीमीटर तथा हीराकुंड में 41 सैंटीमीटर वर्षा रिकार्ड की गई। हीराकुंड सिंचाई प्रणाली तथा उसकी अवसंरचना को गम्भीर क्षति हुई थी। सम्बलपुर शहर के महानदी सुरक्षात्मक तटबंध में भी दरारं आ गई थीं। सम्बलपुर शहर के कुछ भाग जलमग्न हो गये थे और सम्वलपुर से कटक तक की मुख्य सड़क में दरारें आ गई थीं। बुरला बिजली घर में बाहर से पानी प्रविष्ट हो गया था जिससे हीराकुंड में विद्युत उत्पादन में बांधा पड़ गई थी।

29-8-1982 तथा 30-8-1982 को हीराकुंड से नीचे महानदी के अनुप्रवाह में स्थित जलग्रहण क्षेत्र में अभूतपूर्व वर्षा होने के कारण, महानदी नदी से 15.60 लाख क्यूसेक का अधिकतम बाढ़ प्रवाह हुआ था, जिसके कारण सम्वलपुर; बोलंगीर, कालाहांडी, फुलवानी धेनकनाल, कटक,दुरी तथा गंजम जिलों में गम्भीर बाढें आई और उनसे व्यापक क्षति हुई।

महानदी 31-8-82 को अलिपिंधल(देवी) और निमापारा पर पिछले रिकार्ड किये गये उच्च बाढ़ स्तरों को पार कर गई। ब्रह्माणी भी जैनापुर ऐनीकट पर खतरे के स्तर को पार कर गई थी। भुवनेश्वर तथा गंजम के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग पर और भुवनेश्वर तथा पुरी के बीच सड़क संचार भंग हो गया था। 24 उप-मंडलों में 9493 से ऊपर गांव प्रभावित हुए थे। कुल मिलाकर, नदी तटबंधों में 204 दरारें और नहर तटबंधों 700 दरारें पड़ने की अब तक सूचना दी गई है। सिंचाई प्रणाली, जल-आपूर्ति, संचार-व्यवस्था और बाढ़-नियन्त्रण निर्माण-कार्यों की काफी क्षति होने की सूचना मिली है।

बाढ़ों द्वारा 12.75 लाख हैक्टेयर क्षेत्र 54 लाख जनसंख्या के प्रभावित होने, 141 व्यक्तियों के मारे जाने तथा 49 लोगों के लापता होने की सूचना दी गई है। बाढ़ों के कारण कुल लगभग 332 करोड़ रुपये की क्षति हुई है।

पंजाब

राज्य सरकार से प्राप्त हुई रिपोर्टों के अनुसार, 16 अगस्त, 1982 को होशियारपुर जिले

में दिहेन चौ में दरारें आ गई थी। भारी वर्षा के कारण होशियारपुर फगवाड़ा सड़क क्षतिग्रस्त हो गई थी। होशियारपुर- गढ़शंकर सड़क पर नंगल शहीदां चौ तथा नरियाला चौ पर बनी पुलियां क्षतिग्रस्त हो गई थीं।

राजस्थान

चम्बल नदी के जलग्रहण क्षेत्र में भारी वर्षा होने के कारण, चम्बल नदी 15 अगस्त, 1982 को पहली बार धौलपुर में खतरे के स्तर को पार कर गई थी। इस नदी ने 1977 में रिकार्ड किए गए 132.91 मीटर के पिछले उच्च स्तर को पार कर लिया और 25 अगस्त को इसका स्तर 144.00 मीटर हो गया था।

त्रिपुरा

उत्तरी त्रिपुरा जिले में कैलाश नहर के स्थान पर मनु नदी और मालपुर में धलाई नदी 11 मई, 1982 को कुछ समय के लिए खतरे के स्तर को पार कर गई थी। 1 से 5 अगस्त, 1982 के दौरान, 2-3 दिनों की छोटी-सी अवधि में, राज्य में बहुत भारी वर्षा हुई थी। मनु, माहुरी, काटाखल, गुमती तथा हावड़ा नदियों में बाढें आई और वे खतरे के स्तरों को पार कर गई तथा अपने किनारों से ऊपर बहने लगी थी। कई स्थानों पर तटबन्धों और अन्य बाढ़ सुरक्षा निर्माण-कार्यों को क्षति हुई थी और सड़क संचार भंग हो गया था। अगरतला और कैलाश शहर नगरों के निचले क्षेत्रों और निकटवर्ती क्षेत्रों के जलमग्न होने की सूचना दी गई थी।

उत्तर प्रदेश

गंगा नदी में मौसम के दौरान 5 अगस्त, 1982 को पहली बार बलिया में बाढ़ आई और यह 15 सितम्बर तक जारी रही। यमुना घाघरा, गोमती, राप्ती, केन बेतवा नदियों में भी बाढ़ें आई और विभिन्न अवधियों के दौरान वे खतरे के स्तरों को पार कर गई। गंगा नदी का स्तर गाजीपुर और बलिया में पिछले उच्च बाढ़ स्तरों को 1-9-1982 और 4-9-1982 को क्रमशः 24 सैंटीमीटर और 4 सैंटीमीटर तक पार कर गया। यमुना नदी ने क्रमशः औरैया और कालपी के स्थानों पर 1973 और 1978 के पिछले स्तरों को पार कर लिया। कई नगरों में जलनिकास में अवरोध होने की सूचना मिली है और बाढ़ मौसम के अन्तिम भाग के दौरान जौनपुर नगर बुरी तरह जलमग्न हो गया था। कई तटबंधों में दरारें पड़ने और कटावरोधी कार्यों को क्षति होने की भी राज्य सरकार द्वारा सूचना दी गई है गंडक नदी पर बिहार बन्ध में दरारें पड़ने के कारण देवरिया जिले में काफी क्षेत्रों के जलमग्न होने की सूचना दी गई है :

राज्य सरकार से अब तक प्राप्त हुई रिपोर्टों के अनुसार, बाढ़ों से 43 जिलों के अन्तर्गत आने वाले 29,730 गांव, 49.40 लाख हैक्टेयर क्षेत्र, 211 लाख की जनसंख्या प्रभावित हुई है तथा 525 व्यक्तियों की जाने गई हैं और 624 करोड़ रुपये की कुल क्षति हुई है।

पश्चिमी बंगाल

3 तथा 4 जून 1982 को आए चक्रवातीय तूफान से सुन्दर बन तटबंध प्रणाली को क्षति पहुंची तथा उसमें दरारें पड़ गई।

तीस्ता जलढाका, मथवंगा रायडक-I और रायडक-II तथा संकोश नदियों में जुलाई के पहले सप्ताह के दौरान बाढें आई थी। 10 जुलाई, 1982 को कूचबिहार में 26 सैंटीमीटर वर्षा-पात रिकार्ड किया गया था रायडक-I तथा गदहर नदियों ने तूफानगंज में बाढ़ स्तर के अपने पिछले रिकार्ड तोड़ दिए थे। गदहर नदी के उमड़जल से तूफान गंज तथा कूचबिहार के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग-31 पर 5-6 स्थानों पर पानी ऊपर से बहने लगा था।

तीस्ता, गंगा तथा भागीरथी नदियों पर बाढ़ नियन्त्रण तथा नदी नियन्त्रण सम्बन्धी कुछ निर्माण कार्यों को क्षति होने की सूचना मिली है।

गोआ दयन तथा दीव

दूधसागर में 28-7-1982 को भारी वर्षापात होने के परिणामस्वरूप दूधसागर पर्वत से शिलाखंडों के गिरने के कारण, लगभग 60 से 70 मीटर रेल मार्ग बह गया था ;

परिशिष्ट

राज्य सरकारों से प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर, 30.9.82 तक बाढ़/चक्रवात से हुई क्षति (अनन्तिम) को दिखाने वाला विवरण

राज्य का नाम	प्रभावित क्षेत्र लाख हैक्टेयर में	प्रभावित जन जनसंख्या लाखों में	फसलों को हुई क्षति क्षेत्र, लाख हैक्टेयर में	फसलों को हुई क्षति मूल्य लाख रुपयों में	मकानों को हुई क्षति संख्या	मकानों को हुई क्षति मूल्य लाख रुपयों में	मारे गए पशुओं की सं०	मारे गए व्यक्तियों की सं०	जन-सुविधाओं को हुई क्षति (लाख रु०)	फसलों तथा मकानों की जन तारीख को हुई कुल क्षति, (लाख रुपयों में)	रिपोर्ट की तारीख
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
आंध्र प्रदेश	—	—	—	—	115 (झोपड़िया)	सू०न०	13	11	45.28	45.28	18.9.82
असम	1.11	6.60	0.22	4.72	5330	0.31	9	29	सू०न०	5.03	17.9.82
बिहार	6.62	41.91	2.55	7660.38	39697	453.87	12	24	792.35	8906.60	25.9.82
गुजरात	नगण्य	नगण्य	—	—	1684 ("सहित)	सू०न०	64	44	—	—	21.8.82
कर्नाटक	1.04	1.50	1.04	—	9160	0.30	31	18	45.38	45.68	22.9.82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
केरल	0.005	—	0.005	10.89	1276	3.58	2	41	—	14.47	2.8.82
मध्य प्रदेश	4.30	18.31	4.30	2553.60	43734	280.00	14.70	56	261.00	3064.00	27.9.82
महाराष्ट्र	0.001	—	0.001	1.15	345	18.02	66	10	0.15	19.32	3.9.82
मणिपुर	—	—	—	—	—	—	—	—	34.60	34.60	20.6.82
उड़ीसा	12.75	54.00	12.00	सू०न०	510049	सू०न०	39692	131	लापता सू०न०	33144.76	24.9.82
पंजाब	नगण्य	0.005	नगण्य	0.29	16	0.63	शून्य	1	शून्य	0.92	3.9.82
त्रिपुरा	0.50	1.10	0.42	321.88	4808	सू० न०	44	4	40.30	362.18	17.9.82
उत्तर देदेश	9 40	210.88	29.69	29692.00	599000	14975.00	2257	5251	1741.00	62408.00	27.9.82
पश्चिम बंगाल	0.63	1.29	0.01	1.50	1326	सू० न०	सू० न०	28	76.30	77.80	14.9.82
जोड़	76.356	335.675	50.236	40215.81	1217577	15731.71	43660	932	19036.36	108128.670	

सू० न० सूचित नहीं *इसमें, जून 1982 में आए चक्रवात के कारण हुई क्षति शामिल नहीं है ;
जो अलग से नीचे दी गई है :-

उड़ीसा	25.00	73.23	1.59	सू०न०	819000	सू०न०	11468	245	सू०न०	6904.81	20.6.82

देश के विभिन्न भागों में बाढ़ और सूखे की स्थिति के बारे में वक्तव्य

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : महोदय, माननीय सदस्यों को याद होगा कि 20 जुलाई 1982 को मैंने देश के विभिन्न भागों में मानसून की गतिविधियां के बारे में इस सदन में एक वक्तव्य दिया था। जून के मध्य तक दक्षिण-पश्चिमी मानसून की स्थिति सामान्य थी। किन्तु तत्पश्चात मानसून बिल्कुल कमजोर पड़ गया और लगभग तीन सप्ताह अर्थात जुलाई के प्रथम सप्ताह तक दक्षिणी प्रायद्वीपीय क्षेत्र में जिसकी उत्तरी सीमा बम्बई तक फैली है, मानसून का दबाव बहुत ही कमजोर रहा। जुलाई के मध्य तक, मौसम विज्ञान सम्बन्धी 35 उप-प्रभागों में से, जिनमें देश का विभाजन किया गया है, 27 उप-प्रभागों में कम वर्षा हुई थी।

तथापि जुलाई के अन्तिम सप्ताह से देश के समूचे उत्तरी और उत्तर-पश्चिमी भागों में मानसून का दवाब बढ़ गया, जिससे व्यापक वर्षा हुई। अगस्त के महीने में देश के कुछ भागों में अत्यधिक वर्षा हुई, जिससे वर्षा की कमी पूरी हो गई और कमी वाले उप-प्रभागों की संख्या घटकर केवल 11 रह गयी। तथापि, मानसून की अनियमित स्थिति के कारण पश्चिम बंगाल; उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आन्ध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में सूखे की स्थिति है। भारतीय मौसम विभाग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार इन राज्यों के जिलों की संख्या, जहां वर्षा कम हुई थी, नीचे दी गई है :

राज्य	उन जिलों की संख्या जहाँ अल्प कम वर्षा हुई
पश्चिम बंगाल	15 जिलों में से 13 जिले
बिहार	33 जिलों में से 18 जिले
उड़ीसा	13 जिलों में से 4 जिले
उत्तर प्रदेश	57 जिलों में से 25 जिले
महाराष्ट्र	31 जिलों में से 13 जिले
आन्ध्र प्रदेश	23 जिलों में से 14 जिले
तमिलनाडु	15 जिलों में से 11 जिले

मैंने अपने पूर्व वक्तव्य में कृषि विभाग द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों के सम्बन्ध में पहले ही उल्लेख कर दिया था जिसके अनुसार राज्यों से सूखे के सम्बन्ध में आकस्मिक योजनाएं तैयार करने तथा प्रतिकूल मौसम की परिस्थितियों का सामना करने में किसानों की मदद करने के लिए समय पर कदम उठाने के लिए कहा गया था। कृषि मन्त्रालय में एक अन्तः मंत्रालयी समन्वय समिति फसल सम्बन्धी अर्थव्यवस्था, ऋणों और उर्वरकों की व्यवस्था, विद्युत तथा डीजल की आपूर्ति और सिंचाई के जलाशयों से जल के उपयोग से सम्बन्धित मामलों की संवीदा कर रही

है । खरीफ मौसम के दौरान किसानों को कृषि आदानों की आपूर्ति के लिए राज्यों को ऋण के रूप में कुल 113.50 करोड़ रुपए की राशि वितरित की गई थी ।

एक और तो देश के कुछ भागों में वर्षा कम हुई, जबकि दूसरी और कुछ अन्य भागों में बाढें आई । जून के आरम्भ में स्थानीय रूप से भारी वर्षा होने के कारण आन्ध्र प्रदेश में हैदराबाद शहर, कर्नाटक में उड़ीपी ताल्लुक तथा असम के पांच जिले बाढ़ से प्रभावित हुए । अगस्त के दौरान मानसून की असाधारण बात यह रही कि बंगाल की खाड़ी में कई बार तीव्र दबाब बना जो उत्तर-पश्चिमी दिशा की ओर बढ़ा, जिससे उड़ीसा, पूर्वी तथा उत्तरी मध्य-प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार में भारी वर्षा हुई । इसका परिणाम यह हुआ कि महत्वपूर्ण नदियों जैसे यमुना, गंगा, घाघरा, गोमती राप्ती ,शारदा, केन तथा गंडक और उत्तर तथा दक्षिण की ओर से बहने वाली उनकी सहायक नदियों में अत्यधिक पानी आ गया जिससे उत्तर प्रदेश तथ बिहार के विशाल क्षेत्र पानी में डूब गए । महानदी के स्रवणक्षेत्र में भी दो वार मूसलाधार वर्षा हुई, जिसके कारण उड़ीसा के कई जिलों में वाढ़ आ गयी ।

इस प्रकार इन राज्यों को मानसून के पहले दौर में सूखे से तथा अगस्त और सितम्बर के दौरान बाढ़ों से नुकसान पहुंचा ।

बाढ़ आने के तुरन्त बाद तथा राज्य सरकार से ज्ञापन प्राप्त होने से पहले ही राहत-आयुक्त के नेतृत्व में तथ्यों का पता लगाने वाला एक अन्त: मंत्रालयी दल उड़ीसा भेज दिया गया था । प्रधान मन्त्री ने 9 सितम्बर को उत्तर प्रदेश, बिहार तथा उड़ीसा के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया तथा वाराणसी और भुवनेश्वर में मुख्य मन्त्रियों एवं उनके सहयोगियों से विचार-विमर्श किया । प्रधान मन्त्री ने 18 सितम्बर को उत्तर प्रदेश के बाढ़ग्रस्त जिलों का फिर हवाई सर्वेक्षण किया और इलाहाबाद में मुख्य मन्त्री के साथ स्थिति पर विचार-विमर्श किया मैंने भी 17 सितम्बर को उत्तर प्रदेश तथा विहार के कुछ बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया और पटना तथा लखनऊ में मुख्य मन्त्रियों तथा उनके सहयोगियों से उनकी तत्काल जरूरतों का पता लगाने के लिए विचार-विमर्श किया । महामारियों की रोकथाम करने के लिए राहत सामग्री तथा पनाह के लिए तिरपालों एवं पोलीथीन की चादरों की हवाई जहाज से तत्काल सप्लाई करके इन्हें उड़ीसा पहुंचाया गया । प्रभावित जनता की तत्काल मागें पूरी करने के लिए उत्तर प्रदेश, विहार तथा उड़ीसा को एक-एक हजार मीटरी टन खाद्यान्न का अतिरिक्त आवंटन किया गया । उड़ीसा तथा उत्तर प्रदेश को क्रमश: 15 करोड़ रुपए तथा 10 करोड़ रुपए की अस्थाई साधनोपाय पेशगी भी दी गयी है ।

इससे पहले पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश तथा बिहार की राज्य सरकारों ने सूखे के सम्बन्ध में ज्ञापन भेजा था । परन्तु केन्द्रीय दलों ने पश्चिम बंगाल को छोड़ कर बाढ़ों के कारण इन राज्यों का दौरा स्थगित कर दिया था । सूखाराहत उपाय करने के लिए पश्चिम बंगाल की आवश्यकता के लिए राज्य को पहले ही कुल 24.77 करोड़ रुपए के व्यय की अधिकतम सीमा की स्वीकृति दी गई है, जिसका अगस्त के आरम्भ में राज्य का दौरा करने वाले केन्द्रीय दल ने मूल्यांकन किया था और जो राहत सम्बन्धी उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों पर आधारित

है। अन्य राज्यों में बाढ़ की अत्यन्त गम्भीर स्थिति को देखते हुए भारत सरकार ने केन्द्रीय दलों को ज्ञापन प्राप्त होने से पहले ही उत्तर प्रदेश, बिहार तथा उड़ीसा का दौरा करने के लिए निदेश दे दिया। दलों ने अपने दौरे पूरे कर लिए हैं और उनकी रिपोर्टों की प्रतीक्षा है।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : (जादवपुर) क्या यह अधिकतम सीमा है ?

राव बीरेन्द्र सिंह : मैंने यही कहा है।

श्रीमती गीता मुकर्जी : (पंसकुरा) क्या यह अधिकतम सीमा हमेशा के लिए रखी गयी है ?

राव बीरेन्द्र सिंह : बाढ़ के सम्बन्ध में कर्नाटक, मध्यप्रदेश तथा त्रिपुरा से तथा सूखे के बारे में आन्ध्र प्रदेश तथा महाराष्ट्र से ज्ञापन प्राप्त हो गए हैं। बाढ़ से प्रभावित राज्यों की आवश्यकताओं के मूल्यांकन पर भारत सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है। महाराष्ट्र में एक केन्द्रीय दल पहले ही गया हुआ है जो राज्य में सूखे के प्रभाव का जायजा ले रहा है। जहां तक आन्ध्र प्रदेश का सम्बन्ध है एक केन्द्रीय दल शीघ्र ही वहां भेज दिया जायेगा।

मैं सदन को यह बता देना चाहता हूं कि हमारे प्रधान मन्त्री ने असम, बिहार, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उड़ीसा तथा उत्तर प्रदेश के लिए प्रधान मन्त्री के राष्ट्रीय राहत कोष से कुल 79.50 लाख रुपए की राशि तत्काल स्वीकार कर दी थी जो प्राकृतिक विपदा के प्रारम्भिक चरणों में बहुत बड़ी सहायता सिद्ध हुई।

मैं देश के सैनिकों द्वारा किए गए प्रशंसनीय कार्यों का भी विशेष रूप सेउल्लेख करना चाहता हूं जिन्होंने इन सभी राज्यों के पीड़ित व्यक्तियों की सहायता करने में मदद की। उन्होंने राहत एवं बचाव कार्यों, जिसमें बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में पीड़ित लोगों को माल सप्लाई करने के लिए जहाज से सामग्री गिराना भी शामिल है, के लिए नौकाओं आदि जैसी बचाव सामग्री के साथ अपने अधिकारियों एवं जवानों को तैनात कर दिया था।

मैं माननीय सदस्यों को आश्वासन देता हूं कि प्राकृतिक विपदा से निपटने तथा प्रभावित लोगों के दुखों को दूर करने के लिए भारत सरकार प्रभावित राज्यों की हर सम्भव सहायता करेगी।

राज्यवार स्थिति संक्षेप में अनुबन्ध में दे दी गयी है जिसे सभापटल पर रख दिया गया है।

अनुबन्ध

आन्ध्र प्रदेश

1. 15-16 जून, 1982 को हैदराबाद शहर में मूसलाधार वर्षा हुई। इसके लिए राज्य सरकार ने 3.87 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता मांगी थी। राज्य सरकार को सलाह दी गई कि

वह अपने पास उपलब्ध 8.58 करोड़ रुपये की सीमान्त धन- राशि के भीतर व्यय को पूरा करें।

2. राज्य के कुछ भाग भी सूखे की स्थिति का सामना कर रहे हैं। 23 जिलों में से 20 जिले या तो पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से सूखे से प्रभावित हुए हैं। लगभग 38 लाख हैक्टेयर सस्यगत क्षेत्र और लगभग 31 लाख की जनसंख्या प्रभावित हुई है. राज्य सरकार ने एक ज्ञापन भेजा है जो 30 सितम्बर, 1982 को प्राप्त हुआ था। इस पर विचार हो रहा है।

असम

3. यहां 18 जून, 20 जुलाई और 14 सितम्बर, 1982 को लगातार तीन बार बाढ़ें आईं। छः जिलों में 10.91 लाख की कुल जनसंख्या और 39000 हैक्टेयर सस्यगत क्षेत्र प्रभावित हुआ है, केन्द्रीय सरकार को राज्य सरकार से कोई विस्तृत ज्ञापन प्राप्त नहीं हुआ है, हालांकि बाढ़ से हुई क्षति का प्रारम्भिक मूल्यांकन करने के लिए केन्द्रीय दल के दौरे के लिए 20 सितम्बर 1982 को अनुरोध प्राप्त हुआ है। क्षति का मूल्यांकन करने के लिए एक केन्द्रीय दल भेजने का निर्णय लिया गया है।

बिहार

4. राज्य सरकार से प्राप्त ज्ञापन के अनुसार राज्य के तीन क्षेत्रों अर्थात उत्तरी बिहार, दक्षिण-पश्चिम के मैदानी इलाकों और छोटा नागपुर पठार में अपर्याप्त और असमान वर्षा हुई है। वहां 3 से 4 सप्ताह से भी अधिक अर्से तक सूखे की स्थिति रही। तथापि अगस्त के दूसरे पखवाड़े तथा सितम्बर के दौरान अच्छी वर्षा होने से स्थिति में कुछ सुधार हुआ। प्राप्त जानकारी के अनुसार 187 खण्डों में कुल 41.41 लाख हैक्टार सस्यगत क्षेत्र तथा 22 जिलों में 190. 65 लाख की आबादी प्रभावित हुई है।

5. गंगा और गंडक जैसी प्रमुख नदियों के अपने किनारों से ऊपर बहने के कारण राज्य बाढ़ से भी प्रभावित हुआ है। राज्य सरकार की रिपोर्टों के अनुसार बाढ़ों से 14 जिले प्रभावित हुए हैं जिनमें लगभग 41.90 लाख की आबादी और 2.25 लाख हैक्टार सस्यगत क्षेत्र आता है मारे व्यक्तियों की संख्या 24 बतायी गई है। 396.7 मकान या तो आंशिक रूप से अथवा पूर्णतः क्षतिग्रस्त हो गये हैं। सार्वजनिक सम्पत्ति, सड़कों संचार व्यवस्था, बिजली के अधिष्ठानों, नदियों के तटबन्धों तथा नहर प्रणाली आदि को भी नुकसान पहुंचा है।

6. 20 और 22 सितम्बर, 1982 के बीच एक केन्द्रीय दल ने राज्य का दौरा किया। इसकी रिपोर्ट हो चुकी है और उस पर कार्यवाई की जा चुकी है।

मध्य प्रदेश

7. जुलाई, 1982 के मध्य तक राज्य कम वर्षा की स्थिति से गुजर रहा था। तत्पश्चात मानसून की गतिविधियों में अचानक तेजी आने से स्थिति पूर्णतः बदल गई और 13 जिलों में बाढ़े आ गई, जिससे 18 लाख से भी अधिक की आबादी और 4.30 लाख हैक्टार सस्यगत

क्षेत्र प्रभावित हुआ। इसके अतिरिक्त, 56 व्यक्ति मारे गये तथा 1400 से भी अधिक मवेशियों की जानें गईं।

8. राज्य सरकार ने केन्द्रीय सहायता का अनुरोध करते हुए एक ज्ञापन भेजा है, जिस पर विचार हो रहा है।

महाराष्ट्र

9. राज्य के अधिकांश भागों में मानसून देरी से आया और जून के तीसरे सप्ताह तक अच्छी और छिटपुट वर्षा हुई। जून के अन्तिम सप्ताह में ही राज्य के विभिन्न भागों में व्यापक वर्षा हुई। देर से आए मानसून, अनियमित और अपर्याप्त वर्षा तथा लम्बे अर्से तक सूखे की स्थिति रहने से खरीफ की फसलों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। राज्य के 31 जिलों में से 10 जिलों की 4694 लाख की आबादी, 36.72 लाख मवेशी और 22.84 लाज हैक्टार सस्यगत क्षेत्र प्रभावित हुआ है।

10. मौके पर स्थिति का जायजा लेने के लिए केन्द्रीय दल 4 से 6 अक्तूबर, 1982 के दौरान महाराष्ट्र का दौरा कर रहा है।

उड़ीसा

11. उड़ीसा ने सर्वाधिक विनाशकारी अनेक आपदाओं का सामना जो लोगों ने अपने जीवन काल में नहीं देखा था, ये आपदाएं एक के बाद दूसरी आती रहीं अर्थात 3 और 4 जून को चक्रवात आया, जून और जुलाई के दौरान लम्बी अवधि तक सूखा पड़ा और अन्त में अगस्त तथा सितम्बर के महीनों में बाढ़े आयी।

12. जहां तक सूखे का सम्बन्ध है राज्य में 2 से 3 सप्ताह तक सूखा पड़ा जिससे जून और जूलाई के महीनों के दौरान राज्य के 13 जिले प्रभावित हुए। 41.39 लाख हैक्टार सस्यगत क्षेत्र प्रभावित हुआ जिसमें वह क्षेत्र भी शामिल है जिसमें बुबाई नहीं की गयी थी।

13. तथापि, अगस्त के महीने में स्थिति में उस समय परिवर्तन हुआ जब राज्य में 18 और 19 अगस्त को अच्छी वर्षा हुई। सम्बलपुर जिला तथा आसपास के क्षेत्रों में भारी वर्षा हुई 18 अगस्त को 3.30 बजे सायं से लेकर 19 अगस्त को 8 बजे प्रातः के बीच 18 घंटों की अवधि में 58.17 से० मी० वर्षा रिकार्ड की गयी। इस भारी वर्षा के परिणामस्वरूप सम्बलपुर जिले में मकानों, सड़कों, बाधों तथा नहरों को भारी क्षति पहुंची। हीराकुण्ड बांध पर स्थित बुर्ला पावर स्टेशन में भी बाढ़ आ गयी तथा बिजली पैदा करने में बाधा पहुंची।

14. राज्य में दूसरी महाविपदा उस समय आयी जब हीराकुण्ड बांध के निचले भाग में 29 अगस्त तथा 1 सितम्बर, 1982 को अभूतपूर्व बाढ़ आयी। कटक के ठीक ऊपर नराज बांध

पर महानदी में 31 अगस्त को शाम 5 बजे 15.70 लाख क्यूसेक पानी का बहाव रिकार्ड किया गया जो अब तक सबसे अधिक था।

परिणाम यह हुआ कि महानदी और इसकी सहायक नदियां अपने किनारों से ऊपर बहने लगी तथा मुख्य रूप से बोलगीर, फलबानी, धेनकैनाल, कटक और पुरी जिलों में बहुत बड़ा क्षेत्र जलमग्न हो गया जिससे भारी क्षति हुई। इलसे 54 लाख व्यक्ति तथा 12 लाख हैक्टार सस्यगत क्षेत्र प्रभावित हुआ है। बताया गया है कि 140 व्यक्ति तथा 26359 पशु मारे गए।

15. जानकारी प्राप्त होने पर केन्द्रीय सरकार ने राहत आयुक्त, भारत सरकार की अध्यक्षता में एक अन्तः मन्त्रालय दल भेजा जिसमें स्वास्थ्य और सिंचाई मन्त्रालय के सदस्य शामिल थे। राज्य की तत्काल आवश्यकताओं की सूची तैयार की गयी जैसे माहमारी को रोकना, आश्रय तथा खाद्यान्नों की व्यवस्था। ब्लीचिंग पाउडर को हवाई जहाज से पहुंचाने के लिए तत्काल व्यवस्था की गई। भारतीय वायुसेना ने कलकत्ता से सामग्री तथा थल सेना द्वारा कानपुर से प्रदान की गयी त्रिपालों को पहुंचाने में प्रशंसनीय कार्य किया। किसी भी प्रकार की महामारी को फैलने से रोकने के लिए बड़ी संख्या में टीका लगाने हेतु दिल्ली से जेटे-टीका दल भेजा गया ओरल रीहाड्रेशन पैकेट, टेट्रा साइकलिन कैपसूल, हैजा निरोधी टीका तथा क्लोरिन की गोलियों जैसी मांगों की व्यवस्था भी स्वास्थ्य मन्त्रालय द्वारा की गयी। संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय शिशु आपातकालीन निधि की सहायता से दरारों को बन्द करने के लिए खाली बोरियां, दुग्ध चूर्ण तथा 1,00,000 मीटर पोल थेन शीट भी भेजे गये जिनमें से कुछ भारतीय वायु सेना द्वारा पहुंचाये गये पीने के पानी की समस्या को सुलझाने के लिए पड़ौसी राज्यों से रिग तथा एयर कम्प्रेसर भेजने की व्यवस्था की गयी राज्य सरकार को डीजल, मिट्टी के तेल, सीमेन्ट, स्टील की सप्लाई सुनिश्चित की गई है तथा राज्य में इनका पर्याप्त स्टाक उपलब्ध है।

16. सम्बलपुर और अन्य जिलों में हुई तबाही के लिए केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने हेतु राज्य सरकार से दो ज्ञापन प्राप्त हुए हैं। एक केन्द्रीय दल ने 16 और 21 सितम्बर, 1982 के बीच उड़ीसा का दौरा किया है जिसकी रिपोर्ट अभी प्राप्त होनी है।

तमिलनाडु

17. प्रारम्भिक अनुमानों, वास्तव में तमिलनाडु के सभी जिले बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। विभिन्न फसलों की खेतों में कमी होने तथा सांवा और करूत्वाई धान की फसलों में क्षति होने की सम्भावना है। फिर भी, राज्य सरकार मूल्यांकन कर रही है तथा यथा-समय विस्तृत ज्ञापन भेज देगी।

त्रिपुरा

18. त्रिपुरा भी बाढ़ों से प्रभावित हुआ है। वहां की सरकार से प्राप्त अनुरोध विचाराधीन है। राज्य सरकार से प्राप्त ज्ञापन के अनुसार 31.000 हैक्टार का फसल क्षेत्र और 1.10 लाख की आबादी को बाढ़ों ने प्रभावित किया था जिसके कारण प्रभावित क्षेत्रों में 4 लोगों की जानें गईं 44 मवेशी मारे गए और 4808 मकान भी क्षतिग्रस्त हुए।

उत्तर प्रदेश

19. राज्य सरकार ने इससे पहले जुलाई में सूखे की स्थितियों के व्याप्त होने की सूचना दी थी। राज्य सरकार ने सूचित किया था कि उस समय खरीफ की फसल को सूखे से से हुई हानि का विस्तृत मूल्यांकन करना सम्भव नहीं था। लेकिन सूखे से मोटे तौर पर लगभग 39 लाख हैक्टार के फसल क्षेत्र के प्रभावित होने का संकेत देते हुए केन्द्रीय सहायता के लिए अनुरोध किया गया था। इसके बाद अगस्त के शुरू से स्थिति में परिवर्तन हो गया। राज्य में मूसलाधार वर्षा हुई जिसके परिणामस्वरूप विस्तृत क्षेत्र में पानी भर गया और बाढ़ें आ गयी राज्य की मुख्य नदियां अर्थात गंगा, यमुना, घाघरा, केन, राप्ती, शारदा. गोमती आदि खतरे के निशान से उपर वह रही थीं।

20. बाढ़ों से राज्य के 43 जिले और 201 लाख की आबादी प्रभावित हुई है। 495 लोगों और 2100 मवेशियों की मृत्यु हो चुकी है। सार्वजनिक सम्पत्तियों को पहुंची क्षति के अलावा लगभग 3.75 लाख मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं और 28.97 लाख हैक्टार का फसल क्षेत्र प्रभावित हुआ है।

21. एक केन्द्रीय दल ने 20 अगस्त, 1982 के बीच राज्य का दौरा किया और इसकी रिपोर्ट की प्रतिक्षा की जा रही है।

पश्चिमी बंगाल

22. यह राज्य मई, 1982 से सुखे की स्थिति से प्रभावित हुआ है। 15 में से 12 जिले तथा 8.4 लाख हैक्टार का सस्यगत क्षेत्र प्रभावित हुआ है। राज्य सरकार के अनुरोध पर केन्द्रीय दल ने 8 या 10 अगस्त के बीच बंगाल का दौरा किया और इसकी रिपोर्ट तथा राहत सम्बन्धी उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार ने मार्च, 1983 के अन्त तक सूखा राहत सम्बन्धी उपायों के लिए 24.77 करोड़ रुपए के व्यय की अधिकतम सीमा की मंजूरी पहले ही दे दी है।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : इस पर चर्चा करना आवश्यक होगा। (व्यवधान)

राव बीरेन्द्र सिंह : एक अन्य वक्तव्य भी है। मुझे राज्य सभा में भी जाना है। यदि आप मुझे अनुमति दें ··· यह बहुत छोटा सा वक्तव्य है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : यह किसी और दिन भी दिया जा सकता है, क्योंकि अन्य कार्य-विधायी कार्य, भी है।

सभापति महोदय : आप नोटिस दीजिए फिर इस पर भी चर्चा की जाऐगी।

(व्यवधान)

राव बीरेन्द्र सिंह : मेझे एक घोषणा करनी है, और घोषणा करने के बाद मुझे राज्य सभा में कुछ काम करना है ।

सभापति महोदय : यह कार्य सूची में शामिल नहीं है ।

राव बीरेन्द्र सिंह : यह दिया गया था (**व्यवधान**) मध्याह्न पूर्व मैंने नोटिस दिया था, मैंने इसकी प्रतियां सचिव को भेजी थी। मैं इसको पढ़ूंगा ।

सभापति महोदय : दिन की कार्यवाही समाप्त होने पर आप वक्तव्य दे सकते हैं। अभी नहीं ।

श्री सोममाथ चटर्जी : क्या यह बहुत बड़ी है ?

राव बीरेन्द्र सिंह : नहीं ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : वह इसे पढ़ सकते हैं ।

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : राजस्थान में फेमीन के बारे में मंत्री जी ने कुछ नहीं कहा । वहां सारी फसले बरबाद हो गई हैं ।

सभापति महोदय : आपको क्या हो गया है ?

(**व्यवधान**)

सभापति महोदय : वह वक्तव्य दे रहे हैं । क्या आप उनका वक्तव्य सुनेंगे ? यह क्या है ?

(**व्यवधान**)

सभापति महोदय : वह वक्तव्य दे रहे हैं । कृपया उनका वक्तव्य सुनिए ।

(**व्यवधान**)

डा० बसन्त कुमार पंडित (राजगढ़) : प्रतियों का क्या हुआ ?

(**व्यवधान**)

1982-83 के लिए धान और खरीफ के मोटे अनाजों के वसूली मूल्य तथा कपास के न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में वक्तव्य

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : मैं एक वक्तव्य देना चाहता हूं। 1982-83 के विपणन मौसम के लिए आम किस्म के धान का वसूली मूल्य 122 रुपये प्रति क्विंटन और खरीफ के मोटे अनाजों अर्थात ज्वार, बाजरा, मक्का तथा राई का 118/ रुपये प्रति क्विंटन निर्धारित किया गया है। धान के वसूली मूल्य बढ़ाने के फलस्वरूप यह भी फैसला किया

गया है कि हर किस्म के चावल के निर्गम मूल्य वर्तमान स्तर से तत्काल 13/ रुपये प्रति क्विंटन बढ़ा दिये जाये ।

कपास के मामले में सरकार ने 1982-83 मौसम के लिए जे-34 किस्म की औसतन अच्छी कपास का न्यूनतम समर्थन मूल्य 380/- रुपये प्रति क्विंटन निर्धारित करने का फैसला किया है ।

श्री राम अवतार शास्त्री (पटना) : यह तो बहुत कम है ।

राव बीरेन्द्र सिंह : यह पिछले वर्ष किया गया था । अब उन्होंने यह मूल्य निर्धारित किया है। अन्य किस्मों के तदनुरूप मूल्य हमेशा की तरह वस्त्र आयुक्त द्वारा निर्धारित किये जायेंगे ।

अमृतसर आइल वर्क्स (उपक्रमों का अर्जन तथा अन्तरण) विधेयक

नागर विमानन तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि पौष्टिक वनस्पति और परिष्कृत खाद्य तेलों को उचित कीमतों पर जनता को प्रदान करना सुनिश्चित करने के लिए अपेक्षित लोक स्वामित्व के या नियंत्रित यूनिटों के केन्द्रों को कायम रखने और उन्हें सुदृढ़ करने की दृष्टि से, जिससे कि संविधान के अनुच्छेद 39 के खण्ड (ख) और (ज) में विनिर्दिष्ट सिद्धांतों को सुनिश्चित करने के लिए राज्य की नीति को क्रियान्वित किया जा सके, अमृतसर आइल वर्क्स के संबंध में अमृतसर शुगर मिल्स कम्पनी के उपक्रमों के अधिकार, हक और हित के अर्जन और अन्तरण का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है ।

"कि पौष्टिक वनस्पति ओर परिष्कृत खाद्य तेलों को उचित कीमतों पर जनता को प्रदान करना सुनिश्चित करने के लिए अपेक्षित लोक स्वामित्व के या नियंत्रित यूनिटों के केन्द्रों को कायम रखने और उन्हें सुदृढ़ करने की दृष्टि से, जिससे कि संविधान के अनुच्छेद 39 के खन्ड (ख) और (ज) में विनिर्दिष्ट सिद्धान्तों को सुनिश्चित करने के लिए राज्य की नीति को क्रियान्वित किया जा सके, अमृतसर आइल वर्क्स के संबंध में अमृतसर शुगर मिल्स कम्पनी के उपक्रमों के अधिकार, हक और हित के अर्जन और अन्तरण का उपक्रम करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री भागवत झा आजाद : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं ।

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) वाराणसी छावनी के सैनिक अधिकारियों द्वारा एक प्राचीन सड़क को बन्द किए जाने के कारण ग्रामवासियों की कथित दयनीय स्थिति

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री (सैदपुर) : माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से वाराणसी छावनी के सैनिक अधिकारियों की अदूरदर्शिता की ओर ले जाना चाहता हूं।

कुछ वर्ष पहले इसी सैनिक सीमा से सटे लहरतारा नामक स्थान में रामलीला हो रही थी। एक साधारण सी बात पर यहां के सैनिक एक बड़ा झुंड बनाकर रामलीला में घुस गये। आदमी, बच्चों और बूढ़ों को बुरी तरह पीटा। औरतों को अपमानित किया। सैनिक सीमा से सटे पहलू का पूरा, कुम्हारा पूरा फुलवरिया, इमलिया घाट, सरैया नामक कई नागरिक क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों में आने-जाने के लिए सैकड़ों वर्षों से मिलिटरी के बीच से रास्ते हैं। हजारों लोग..... बराबर आते-जाते हैं। विगत दो तीन वर्षों से मिलीटरी अधिकारियों सैनिकों का व्यवहार नागरिक आगन्तुकों के प्रति सहयोगपूर्ण नहीं रहा है। लोगों को अकारण पीटा जाता है, भयभीत किया जाता है। एक बार एक आगन्तुक ने सड़क के किनारे पड़े हुए कुड़े के पास पेशाब कर दिया। उसे तब तक पीटा गया, जब तक कि वह पेशाब से भिगी हुई पूरी मिट्टी को अपनी चादर में उठाकर बाँध नहीं लिया। एक भूतपूर्व मंत्री को भी रोका गया और स्थिति जिलाधिकारी द्वारा संभाली गई।

अभी हाल में सैकड़ों वर्षों से कोहारपुरवा और फुलवरिया जाने का अत्यन्त प्राचीन मार्ग सर्वे नं० 275 मिलीटरी के अफसरों ने अचानक बन्द कर दिया। चारों तरफ सनसनी फैल गई, बहुत कहने-सुनने एवं जिलाधिकारी के हस्तक्षेप के बाद 30 फीट प्राचीन मार्ग को कहीं 10 और कहीं 12 फीट कर दिया गया। साथ ही मात्र बैलगाड़ी को छोड़कर किसी प्रकार का यांत्रिक वाहन ले जाने पर रोक लगा दिया गया।

मान्यवर, इस बर्ताव से वाराणसी के काफी लोग परेशान हैं। 4,5 गांव के हजारों लोगों के समक्ष रास्ते की भयानक समस्या आकर खड़ी हो गई है। ऐसी परिस्थिति में मैं माननीय रक्षा मंत्री से आग्रह करूंगा कि वे हस्तक्षेप करें, सर्वे नं० 275 के रास्ते को पक्का कराकर उस पर बैलगाड़ी ही नहीं बल्कि हर प्रकार के यांत्रिक वाहनों को ले जाने ले आने की सर्वसाधारण को अनुमति दें। साथ ही सैनिक अधिकारियों को हिदायत दें कि वे स्थानिय नागरिकों के साथ सहानुभूति एंव भाई-चारे का व्यवहार करें।

(दो) दिल्ली में शान्तिपूर्ण प्रदर्शनकारियों का प्रदर्शन

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : महोरय, दिल्ली में आज 4-10-82) को कई लाख लोग उस शांति मार्च में भाग लेने के लिये आये हैं जिसका आयोजन छः दलों ने साम्राज्यवादियों द्वारा विश्व को परमाणु विनाश के खतरे के विरुद्ध विरोध प्रकट करने के लिए किया है। महोदय इससे पहले कभी भी युद्ध का खतरा इतना आसान नहीं था और विश्व के सभी भागों में

युद्धोत्तेजक तत्व आज जितने सक्रिय हैं उतने पहले कभी नहीं थे वे प्रत्येक स्थान पर उत्तेजना फैला रहे हैं। यूरोपीय देशों को विध्वंसक प्रेक्षपणास्त्रों को अपनी सीमाओं पर स्थापित करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। जिससे समाजवादी देशों तथा 'नाटो' देशों की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा हो रहा है। साम्राज्यवादी देशों के नेता भी पहला परमाणु हमला करने की तैयारियां कर रहे हैं। न्यूट्रान रखने वाले देशों के अध्यक्षों से परमाणु युद्ध को सीमित करने की बात स्पष्ट रूप से एक धोखा है और वे लोगों की सतर्कता में व्यवधान डालना चाहते हैं। यदि दुर्भाग्यवश एक परमाणु युद्ध छिड़ जाता है तो यह किसी भी रूप में सीमित नहीं रह सकता यह सारे विश्व को नष्ट कर देगा।

इन्होंने 'नाटो' के अपने मित्र राष्ट्रों से फौजी ताकत को हिन्द महासागर तथा अरब की खाड़ी में विस्त्रित करने के लिए अनुरोध किया है। पश्चिमी एशिया में हस्तक्षेप करने के लिए तेजी से फौजों का विस्तार करने के लिए योजना तैयार की है। डीयगो गारशिया को एक नौसेना-वायु सेना के अड्डे के रूप में परिवर्तित कर दिया है और इसका आधुनिकीकरण कर दिया है। पाकिस्तान तथा कुछ अन्य देशों में नये अड्डे स्थापित किए गए हैं। यह पाकिस्तान को युद्ध संचालन का एक अड्डा बनाना चाहता है। इससे पाकिस्तान के सैनिक शासन को अपनी सेना को मजबूत करने का अवसर मिलेगा। लेबनान में इजरइल द्वारा किया गया आक्रमण तथा निर्दोष फिलीस्तीनियों का कत्लेआम पी० एल० ओ० नष्ट करने का एक उद्देश्य है। इजरायली हमलावरों की बर्बता हिटलर द्वारा यूरोप में यहूदियों साथ की गई वर्वरता की याद दिलाती है।

दुनिया की जनवादी शक्तियां इस खतरे से परिचित हैं और उसके विरुद्ध संगठित हो रही है लन्दन पेरिस बोर्न, रोम ब्रुसेल्स, कलकत्ता तथा हेलसिंकी में शांति के लिए किया गया प्रबल प्रदर्शन तथा समाजवादी देशों का शांति बनाये रखने को पहला इरादा इस बात का द्योतक है कि जनवादी शक्ति युद्धप्रिय शक्तियों के विरुद्ध अपना संघर्ष जारी रखे हुए हैं।

हम भारत वासी भी युद्ध के खतरे तथा अपने देश की सुरक्षा के लिए उत्पन्न खतरे से चिंतत हैं। यह आवश्यक है कि सभी देशभक्त शक्तियां, परमाणु युद्ध के खतरे का मुकाबला करने के लिये संगठित होकर एक जोरदार अभियान चलाये तथा साम्राज्यवादियों की योजनाओं से शांति-प्रिय लोगों को अवगत करायें ताकि विश्व को परमाणु विनाश से बचाया जा सके।

अतः मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि आज की शांतिपूर्ण रैली में व्यक्त की गई लोगों की भावनाओं पर ध्यान दिया जाये और साम्राज्यवादियों की युद्धप्रिय चालों की स्पष्ट रूप से निन्दा की जाए।

(तीन) देशी रबड़ उत्पादकों के हित में रबड़ के और अधिक आयात को रोकने की आवश्यकता

श्री जार्ज जोसफ मुंडाकल (मुवत्तुपुजा) : सितम्बर मास में राज्य व्यापार निगम द्वारा प्राकृतिक रबड़ के बड़ी मात्रा में आयात करने तथा मंडी में भेज देने से रबड़ बागान उद्योग में भारी संकट उत्पन्न हो गया है। रबड़ की कीमत प्रति टन 3 हजार रुपये से भी अधिक कम हो

गई है और अब रबड़ की कोई मांग नही है। मैं वाणिज्य मन्त्री से निवेदन करता हूं कि रबड़ के गरीब तथा सीमान्त उत्पादकों को बचाने के लिए रबड़ के और आयात को रोका जाए तथा निर्माताओं को तीन महीने का स्टाक रखने के लिये मजबूर किया जाये तथा राज्य व्यापार निगम अथवा रबड़ खरीदने के अदेनुश जारी किये जाये ताकि इसको सुरक्षित स्टाक के रूप में रखा जा सके।

(चार) केरल में एशियाई खेलों के प्रसारण के लिए माईक्रोवेव चैनल की आवश्यकता

***श्री वी० एस० विजयराघवन** (पालघाट) : एक महत्वपूर्ण घटना के रूप में एशियाई खेल, 1982 होने जा रहे हैं। सारे देश के लोग इसको देखने के लिए बहुत ही उत्सुकता से इन्तजार कर रहे हैं। इनसैट-1 ए के माध्यम से टेलीविजनों पर खेलों को दिखाने की सरकार द्वारा जो व्यवस्था की गई है वह उचित ही है। ताकि देश के विभिन्न भागों के लोग इसको देश सकें और इसका आनन्द उठा सकें। दुर्भाग्यवश इन्सैट-1 के असफल हो जाने के परिणामस्वरूप ऐसे राज्यों में जिनमें इस समय टेलीविजन ट्रान्समीशन की कोई व्यवस्था नहीं है, वहां पर एशियाई खेलों को टेलीविजनों पर देखने की उम्मीदों को आघात पहुंचा है। केरल राज्य की स्थिति विशेष रूप से शोचनीय है।

केरल को अभी तक टेलीविजन केन्द्रों में सम्मिलित नहीं किया गया है। केरल के लोग यह आशा कर रहे थे कि इन्सैट की मदद से एशियाई खेलों को टेलीविजन पर देखेंगे। लेकिन उपग्रह के असफल हो जाने के फलस्वरूप उनकी आशाओं पर पानी फिर गया है।

तथापि स्थिति बहुत अधिक निराशाजनक नहीं है। मैं यह जानता हूं कि विद्यमान माइक्रोवेव चैनल्स को टेलीविजन ट्रान्समीशन के उद्देश्य हेते उपयोग में लाया जा सकता है। यदि इन चैनल्स को उपयोग में लाया जाता है तो बिना किसी अधिक लागत के मालाबार कोचीन तथा त्रिवेन्द्रम में लोग टेलीविजन पर खेलों को देख सकेंगे। इस समय यह व्यवस्था बंगलौर में मौजूद है जहां पर माइक्रोवेव चैनल्स की सहायता से बम्बई तथा मद्रास से टेलीविजन कार्यक्रमों को दिखाया जाता है।

अतः मैं माननीय संचार मन्त्री जी से जोरदार अपील करता हूं कि केरल में कम से कम एशियाड के दौरान माइक्रोवेव चैनल्स को टेलीविजन के उपयोग में लाने की अनुमति दी जाए ताकि केरल के लोग भी खेलों का आनन्द उठा सकें।

(पांच) राजस्थान में ग्रामीण जल-पूर्ति कार्यक्रम

श्री वृद्धि चन्द्र जैन (बाडमेर) : अन्तर्गत निम्न वक्तव्य सदन के समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं।

आजादी के 35 वर्ष के उपरान्त भी देश पानी की समस्या का समुचित तरीके से हल नहीं

*मलयालम में दिये गए मूल भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर

कर सका है। अभी तक भी देश के राजस्थान प्रान्त के रेगिस्तानी क्षेत्रों में पीने के पानी के लिए 10-10 मील दूर जाना पड़ता है।

राजस्थान एक ऐसा प्रान्त है जहां देश की पचास प्रतिशत रेगिस्तानी क्षेत्र आया हुआ है। जहां एक उद्गम स्थान से दूसरे स्थानों में पानी पहुंचाने के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण जल प्रदाय योजनायें बनानी पड़ती हैं और एक ग्राम 25 वर्ग मील से 100 वर्ग मील तक फैला हुआ होता है और वहां पानी पहुंचाने में बड़ी लागत लगती है। राज्य सरकार की यह क्षमता नहीं है कि वे ऐसे समस्याप्रद ग्रामों में राशि का प्रावधान कर पारी पहुंचा सकें।

केन्द्रीय सरकार के सलाहकार ने जो वीस सूत्री कार्यक्रम का हवाला देते हुए सभी राज्यों को पीने के पानी की समस्या हल करने के लिए जो दो माह पहले पत्र जारी किया है उससे तो रेगिस्तानी क्षेत्रों पर बड़ा कुठाराघात हुआ है। उक्त पत्र में सिर्फ हैण्ड पम्प की योजनाओं के द्वारा समस्याप्रद ग्रामों की संख्या बढ़ाने को ही प्राथमिकता दी गई है और क्षेत्रीय जल प्रदाय योजनाओं को स्वीकार न करने के निर्देश जारी किए हैं। राज्य सरकार ने कई योजनायें रेगिस्तानी क्षेत्र की क्षेत्रीय ग्रामीण जल प्रदाय योजनायें भेजी हैं पर वे मन्जूर नहीं की जा रही है।

अतः निर्माण एवं आवास मन्त्री से आग्रहपूर्वक निवेदन है कि वे रेगिस्तानी क्षेत्रों की पानी की योजनाओं को प्राथमिकता दें क्योंकि वहां की समस्या गम्भीर से गम्भीरतम है। छठी पंचवर्षीय योजना में इन कठिनतम समस्याप्रद ग्रामों में पानी पहुंचाने में केन्द्र सरकार भी त्वरित ग्रामीण जल वितरण कार्यक्रम के अन्तर्गत अधिक से अधिक राशि एलाट करने के लिए आदेश दें।

— ——

पूर्त विन्यास (संशोधन) विधेयक

सभापति महोदय : अब सदन में मद संख्या 10 पर चर्चा की जायेगी। अब श्री प्रणव कुमार मुखर्जी की ओर से श्री जनार्दन पुजारी विधेयक प्रस्तुत करेंगे।

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि पूर्त विन्यास अधिनियम, 1890 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

यह विधेयक 19वीं शताब्दी के अधिनियम पूर्त विन्यास अधिनियम, 1890 का संशोधन करने के लिए लाया गया है ताकि उसकी धारा 13 के अधीन केन्द्र सरकार द्वारा बनाये गये नियमों को राज्य विधान मण्डलों में प्रस्तुत किया जा सके। इस संशोधन को अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति द्वारा की गई सिफारिश को कार्यान्वित करने के लिए लाया गया है।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है :

"कि पूर्त विन्यास अधिनियम, 1890 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादवपुर) : सभापति महोदय यह विधेयक बहुत ही साधारण-सा प्रतीत होता है जिसको अधिनस्थ विधान सम्बन्धी समिति की एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिफारिश के अनुसरण में लाया गया है, जो सभा पटल पर नियमों को रखने से सम्बन्धित है। मुझे इस समिति से सम्बद्ध रहने का गौरव प्राप्त है। हमने यह देखा है कि ऐसे विभिन्न नियम मौजूद हैं, जिनको बनाया जाता है, जिन पर संसद द्वारा कभी भी विचार नहीं किया जाता है, क्योंकि नियमों को सभा पटल पर रखने का उपबन्ध उन सभी अधिनियमों में सम्मिलित नहीं था। मैं जानता हूं कि इस विषय में श्री डागा जी दिलचस्पी ले रहे हैं और वह यह देखने की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि सरकार इन महत्वपूर्ण सिफारिशों के अनुसार ही कार्य करें।

इसमें दो बातें अन्तर्ग्रस्त हैं। यद्यपि यह सिफारिश कुछ वर्षों पूर्व की गई थी लेकिन इस साधारण विधेयक को लाने में सरकार ने कई वर्षों का समय लगा दिया है, जिसके द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपबन्ध को सम्मिलित करने की व्यवस्था है। निःसन्देह यदि सुबह का भूला हुआ शाम को घर आ जाए तो तो उसे भूला हुआ नहीं कहना चाहिए। यह बात बहुत ही महत्वपूर्ण है कि यह सभा भी सरकार द्वारा इस प्रकार की महत्वपूर्ण सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिए ध्यान देती है। मैं यह इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी भी काफी संख्या में ऐसे अधिनियम मौजूद हैं, जिनमें इस प्रकार का उपबन्ध नहीं है।

दूसरी बात जो, जिसका मैं इस विधेयक के माध्यम से उल्लेख करना चाहता हूं यह है कि हमारे यहां बहुत अधिक संख्या में अधिसूचनायें, नियम, उपनियम आदि बनाये और जारी किये जाते हैं। राज्य का जो अधिनियम स्वरूप है या जिस कल्याणकारी समा. को मंत्री महोदय इस देश में स्थापित करना चाहते हैं, कोई भी अधीनस्थ विधान से बच नहीं सकता, यह बिल्कुल स्पष्ट है। हमारी बड़ी संख्या में ऐसी अधिसूचनाएं नियम और उप-कानून हैं जो अधीनस्थ विधान के अन्तर्गत आते हैं। लेकिन लोगों की सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि, ऐसे नियम आदि जो उन पर लागू होते हैं उन्हें उपलब्ध ही नहीं होते। जब मैं इस समिति में था तो, मैंने यह मामला उठाने और इस पर चर्चा करने की कोशिश की थी कि लोग ऐसे नियमों का उल्लघंन करते हैं, जिनका उन्हें पता ही नहीं है क्योंकि उन्हें यह उपलब्ध ही नहीं होते। मेरे अनुभव के अनुसार मैंने ऐसा देखा है कि कुछ विभागों में जो कानून प्रकाशित किये जाते हैं और उन पर भी लागू होते हैं उन्हें 'गोपनीय' दस्तावेजों के रूप में छापा जाता है। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है कि ये नियम जनता को उपलब्ध ही नहीं होते।

अगर लोगों में कानून का पालन करने की भावना को जगाना है तो हमें लोगों को यह कानून उपलब्ध भी करवाने होंगे। हमारे पास इन विधेयकों को पास करने, उन पर चर्चा करने या कानून बनाने के लिए इस सदन में बहुत कम समय होता है। इस कम समय की वजह से काफी शक्तियां, वास्तविक शक्तियां प्राधिकारियों को प्रदत्त की जा रही हैं। एक न्यूनतम आवश्यकता यह है कि कानून बनाने की सर्वोच्च संस्था, सदन, को इन अधिनस्थ विधान पर नियंत्रण रखने की

शक्ति प्राप्त होनी चाहिए। यह तभी हो सकता है। जब हम इस जैसे विधेयक द्वारा ऐसा ही उपबंध करें हैं। इस पर काफी वर्ष लग चुके हैं।

पूर्त विन्यास अधिनियम, 1890 में पारित किया गया था। अधीनस्थ विधान समिति की सिफारिशों के बाद भी कई एक नियम बनाये गये लेकिन उन्हें सभा पटल पर नहीं रखा गया। आजादी के बाद और यहां तक कि अंतिम सिफारिश के बाद भी, कई एक नियम बनाने बाकी हैं। इन नियमों पर विधान सम्बन्धी कोई जांच नहीं हुई है क्योंकि उन्हें सभा पटल पर नहीं रखा गया इसके लिए कोई प्रावधान नहीं है।

दूसरे में, लोगों को उनका पता नहीं है। मैं भारत सरकार से जोर देकर कहना चाहता हूं कि वे इस बात पर विचार करे, कि जो कई एक नियम, उपनियम, अधिसूचनायें आदि बनाये जाते हैं, इन्हें आम जनता की जानकारी के लिए ठोस प्रयत्न किये जाने चाहिए।

दूसरी बात यह है अखिल भारतीय विधान कभी भी अद्यतन रूप में उपलब्ध नहीं होते। भारत सरकार ने कई भागों में 'इन्डिया कोड' नामक एक खन्ड प्रकाशित करना आरम्भ किया है लेकिन उसमें भी पूरे तथ्य नहीं होते। वे इतनी देर से छापे जाते हैं कि वे कभी भी इक्ट्ठे जनता को उपलब्ध नहीं होते। इसलिए यह एक महत्वपूर्ण मामला है। मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वे इस मामले को विधि मंत्री या विधायी विभाग के पास उठायें। लेकिन इस मामले पर कुछ जरूर करना होगा।

दूसरी बात पूर्त विन्यास अधिनियम के बारे में यह है, कि हम 1890 के अधिनियम में संशोधन करने जा रहे हैं। उन दिनों में पूर्त अर्थ भिन्न था। उस समय में हमारे यहां कोई भी प्रप्रतिमा तिष्ठान, अन्तुले या गुन्डु राव आदि नहीं थे। इसलिए जब इसे न्यायिक बनाया गया तो···

सभापति महोदय : श्री चटर्जी आप बीच में व्यक्तिगत नाम क्यों ले रहे हैं ?

श्री सोमनाथ चटर्जी ठीक है, महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री, और कर्नाटक के वर्तमान, शायद अस्थायी मुख्यमंत्री, जब तक उन्हें नहीं हटाया जाता, तब तक के लिए।

श्री बी० वी० देसाई (रायचूर) : आप उन्हें अस्थायी क्यों कह रहे हैं ? क्या आप उनका स्थान लेना चाहते हैं ?

श्री सोमनाथ चटर्जी : तब, आप उस ग्रुप के हैं। मैं नहीं जानता कि शायद श्री पुजारी आपसे सहमत होंगे या नहीं, शायद वह किसी अन्य ग्रुप से सन्बन्धित हों। वह बहुत अच्छा, आप थोड़ी सी एलेर्जी हैं।

श्री बी० वी० देसाई : मैं तो सिर्फ रिकार्ड में शुद्धि करना चाहता था।

श्री सोमनाथ चटर्जी : कहा गया है कि कुछ एक राजनीतिज्ञ हैं, जो कि या तो केन्द्र में सत्ताधारी दल से संबंधित हैं या उन्हें उसका संरक्षण प्राप्त है और जो देश में नये प्रकार के पूर्त बनाने में लगे हुए हैं, जिनका इस पूर्त विन्यास, विधेयक के बनाने के समय आभास ही नहीं था

वे पूर्त, धार्मिक कार्यों के लिए धमार्थ सम्बन्ध और निर्धन छात्रों को सहायता प्रदान आदि करने के लिए हैं साथ ही धार्मिक न्यासों के नाम पर बड़ी-बड़ी संपत्तियों को करारोपण से बचाया जा रहा है और देवी देवताओं के नाम पर भारी संपत्ति पर अधिपत्य कर उसको मानवीय .वी देवताओं द्वारा उपभोग किया जा रहा है। इस देश में धार्मिक पूर्त विन्यास का यह एक गम्भीर पहलू है। अब समय आ गया है, जब आप इस पर कुछ ध्यान दें। आपकी इस मामले में निष्क्रियता से यह दिखाई देता है कि आपने इस प्रकार के पूर्त राजनैतिक लाभ के लिए बनाये हैं न कि देश के कमजोर वर्गों के लोगों के लाभ के लिए बनाये हैं।

श्रीमन्, जब इस सदन में तथाकथित पूर्त ट्रस्टों पर चर्चा चल रही थी तो सरकार की तरफ से इसका पूरजोर समर्थन किया गया था। सरकार द्वारा इन पूर्त ट्रस्टों को पूरा समर्थन देने के पीछे उद्देश्य इस प्रकार के ट्रस्टों को कार्यवाही को बचाना था। किसी को भी मालूम नहीं है कि इससे किसको लाभ होता है। यह प्रधान मत्री के नाम को इनसे असम्बद्ध किया गया आपको सार्वजनिक तौर पर यह कहना पड़ा कि वह इससे सम्बन्धित नहीं, हालांकि कई वर्षों या महिनों तक उसका नाम इनसे जोड़ा जाता रहा है। आज भी जब तक न्यायपीठ हस्तक्षेप नहीं किया वे आज भी इसका लाभ उठा रहे हैं। इन न्यासों पर कोई नियंत्रण नहीं है। वे पूर्त न्यासों के नाम का दुरुपयोग कर रहे हैं। यह मत समझे कि यह राजनीति है हमारी राजनीति नहीं। लेकिन आज आप मान रहे हैं आपको मजबूरन इस स्थिति को मानना पड़ रहा है कि यह चलाये जा रहे ट्रस्ट काम जनता की भलाई के लिए नहीं है या इनके उद्देश्यों के अनुकूल हैं किन्तु उनका कतिपय राजनीतिक लोगों द्वारा लाभ उठाया जा रहा है जिसे आप अब अस्वीकार कर रहे हैं क्योंकि उन लोगों को अब आपका समर्थन प्राप्त नहीं है। उनसे अब आपको हित साधन नहीं हो सकेगा। अब आप उन ट्रस्टों से अपना पीछा छूड़ाना चाहते हैं। लेकिन जब तक इन ट्रस्टों द्वारा आपका प्रयोजन हल पूरा होता रहा, आपकी सत्ताधारी पार्टी को फायदा पहुंचाता रहा, आप इनका बचाव करते रहे आपने उनकी रक्षा की, और यहां भारत सरकार उनका समर्थन करती रही। इस तरह जनता का विश्वास भी जाता रहा। आप कैसे विश्वास कर सकते हैं कि लोग इन पर भरोसा करें? कई एक ऐसे लोग हैं जो सही अर्थ में चाहते हैं कि कुछ दान करें या इस प्रकार के ट्रस्ट खोले, जिससे आम जनता को लाभ हो। इस देश में कुछ अपवाद हो सकते हैं। मैं नहीं जानता आजकल क्या हो रहा है लेकिन वे लोग हैं, वे स्वार्थी लोग ...

सभापति महोदय : इस विधेयक के लिए एक घंटे का समय निश्चित किया गया है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : केवल एक मिनट। वे आगे आने में या ट्रस्ट बनाने में हिचकिचायेंगे क्योंकि सारा माहौल ही खराब हो गया है। पूर्त न्यास का अर्थ आज व्यक्तिगत पूर्त का प्रयोजन रह गया है जिससे कि उन्हें अधिक से अधिक राजनैतिक सरंक्षण मिल सके। आज यह स्थिति है। अब जब 90 वर्ष पुराने इस 1980 के पूर्त विन्यास अधिनियम में संशोधन कर रहे हैं, तो हम जनता का पैसा और सदन का बहुमूल्य समय न नष्ट करें। कई एक ऐसे मामले हैं, जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। कई एक ऐसी कमियां जिन्हें खत्म करना है। वस्तुतः इस बारे में कुछ नहीं किया गया है। यह तो एक बिना सोचे समझे लाया गया एक आम प्रस्ताब जैसा है, जिसे कि कि कई वर्ष पहले लाया जाना चाहिए था। शायद श्री भीष्म नारायण सिंह को कोई और अच्छा

प्रस्ताव नहीं मिला। इस अन्तर की-पूर्ति के लिए श्री पुजारी ने कहा कि यह काफी अर्से से विचाराधीन था इसलिए इसे पेश कर दिया जाना चाहिए। क्या इस तरह संसद चल रही है।

मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। लेकिन मंत्री महोदय से निवेदन है कि वह यह कह कर न टाल दें कि मैं इस से सम्बन्धित नहीं हूं। चटर्जी ने इस प्रकार के बाहरी मामले क्यों उठाये हैं? इस प्रकार नाम लेने से मुझे इस प्रकार का वक्तव्य देने पर मजबूर होना पड़ा है।

सभापति महोदय : श्री डागा। इस विधेयक के लिए केवल एक घंटे का समय निर्धारित है।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : सभापति जी, समय तो 1 घंटा है लेकिन संशोधन 30 साल बाद आया है। 30 साल तक कमेंटी सरकार का अगर ध्यान दिलाती रही और 30 साल के बाद अमेंडमेंट सरकार पेश करे तो दोष किसका है? किसको गुनाहगार ठहराया जाय?

एक बहुत बड़ी बात हो रही है। हम सारे कानून बनाते हैं और पार्लियामेंट को समय नहीं मिलता। इसलिए सारे कानून हम डेलीगेट कर देते हैं सबोर्डिनेट अथौरिटीज की। और उसके बाद उस कानून में कोई प्रौवीजन नही है कि वह हाउस में रखे जायेंगे। यह कानून 1890 का बना हुआ है।

उसका सैक्शन 13 यह है—

"समुचित सरकार इस अधिनियम संगत ऐसे नियम बना सकेगी।"

उसमें कहीं भी यह प्रावीजन नहीं किया गया है कि इसके लिये जो कानून, सब-रूल या बाई-लाज बनाये जायेंगे, वे कभी हाउस में रखे जायेंगे। मुझे यह मालूम नहीं हुआ कि हमारे वित्त मंत्रालय के द्वारा जो आज यह अमैंडमैंट आया है, इसमें आज तक नियम बने या नहीं? 1890 के एक्ट के सैक्शन 13 के अन्तर्गत कभी आपने कोई नियम, उपनियम या बाई-लाज बनाये या नहीं? उनको गजट में पब्लिश किया या सदन में रखा या नहीं? आप मेहरमानी करके बतलायें कि इस कानून का इम्पलीमैंटेशन कैसे हुआ और आप इसे किस प्रकार काम में लाते रहे? क्या कोई आज पूछने वाला है कि पार्लियामेंट की पावर में एन्क्रोचमैंट ने कई बार अपनी कमैंटियों में और सबसे पहले 1952 में ध्यान दिलाया था कि आप कानून बनाकर सदन में रखें—

"समिति को यह नोट कर आश्चर्य हुआ है कि तीसरे प्रतिवेदन (प्रथम लोक सभा) को प्रस्तुत करने के 18 वर्ष बाद भी, इस प्रकार की चूकें की जा रही हैं।"

(प्रतिवेदन 3 मार्च, 1955 को प्रस्तुत किया गया।)

1955 में फर्स्ट रिकमैंडेशन थी, उसके बाद भी कई बार रिपीट किया। 30 साल में बराबर कमेटी कहती रही कि जो कानून बनायें उसे सदन में रखें। ड्राफ्ट रूल रखे नहीं जाते, पब्लिक होते नहीं कोई भी कानून लागू हो जाता है और लोगों को पता नहीं। फिर कहते हैं कि इग्नौरैंस आफ लाइज नौ एक्सक्यूज।

— नये मन्त्री जी ने जो यह गलती सुधारी है, उसके लिए वह बधाई के पात्र हैं।

आपने एक्ट में कहा है कि सारी प्रापर्टी का प्रतिवर्ष पब्लिकेशन होगा। इसमें यह प्रावीजन था कि अगर आप पब्लिकेशन करते हैं तो जो प्रापर्टी आपके पास आ गई है उसे बतायें। आज जो न्यास बनते हैं, आजकल पुण्य की आड़ में पाप बहुत होते हैं, नाम धर्म का और होते पाप हैं, यह बड़े-बड़े साधन हैं, जहां पर काला धन लगाया जाता है।

एक सवाल था कि 1952 के पहले जो रूल्स और रैगुलेशन बने हुए हैं, 1952 में बनाये गये रूल 234 में लिखा था—

> "जिसमें संविधान के अनुसरण में अथवा संसद द्वारा किसी अधीनस्थ प्राधिकारी को प्रत्यायोजित विधायी कृत्यों के अनुसरण में बनाये गये किसी विनियम नियम, उपनियम, आदि को सभा के समक्ष रखा जाता है..."

1952 में आपका 234 रूल मौजूद था और 235 में हम लोग अपना औबजैक्शन कर सकते थे। आज आप एक छोटा-सा अमेन्डमेंट ले करके यहां पर आए हैं। न्यास में कोई अमेन्डमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए और अभी तक उसका क्या लाभ हुआ है, वह तो बात अलग है। आप यहां पर कह देंगे कि इसका स्कोप बहुत ही छोटा है। दूसरी तरफ इस सदन की कमेटी को सरकार दो-दो साल तक कोई उत्तर नहीं देती है जबकि 6 महीने में उत्तर देने का प्रावधान है। गवर्नमेंट हमारे रिमाइन्डर्स की भी कोई परवाह नहीं करती है हमारे भीष्म नारायण सिंह जी पार्लिमेन्टरी एफेयर्स के मिनिस्टर हैं, उन्हें यह बात देखनी चाहिए कि पार्लमेन्ट जो कानून बनाती है, उनका प्रापर इंप्लीमेन्टेशन किया जाए। यह सौ साल पुराना एक्ट है, मैं जानना चाहूंगा इसके अन्तर्गत कोई नियम वगैरह भी बनाए गए हैं या नहीं। अगर बनाए गए तो मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे। साथ ही उन नियमों की कोई पब्लिसिटी भी हुई है या नहीं? साथ ही मैं यह भी जानना चाहूंगा कि आज कितनी प्रापर्टी आपके कब्जे में है और उस प्रापर्टी का क्या उपयोग हो रहा है? मेरे पूर्ववक्ता बहुत पहले से इस कमेटी के चेयरमैन रहे हैं, मैं तो अभी दो साल से ही चैयरमैन रहा हूं। वे इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि इस बात को मैंडेटरी कर दिया गया है कि कानून के अन्तर्गत बनाए गए रूल्स सदन में रखे जायें, एक निश्चित समय के अन्दर रखे जायें और इसके लिए मैं धन्यवाद भी देना चाहता हूं लेकिन वह नियम अब सदन में रख दिए जायें तभी उन पर हमारी कमेटी विचार कर सकती है।

श्री राजेश कुमार सिंह (फिरोजाबाद) : सभापति महोदय, माननीय मन्त्री जी ने बहुत सिफारिशों के बाद जो अमेन्डमेंट यहां पर रखा है, उसके लिए यहां धन्यवाद के पात्र हैं। कम से कम उनके ध्यान में यह बात आई कि इसमें कुछ संशोधन करना चाहिए। जहां तक इन संशोधनों का प्रश्न है मैं पूर्ण रूप से समर्थन करूंगा कि जो भी नियम बनें वह सदन के समक्ष आने चाहिए और सदन उन पर अपनी राय जाहिर करे। प्रश्न यह है कि एक्ट 1890 का बना हुआ है।

> "पूर्त के प्रयोजनों के लिए न्यास के रूप में धारित सम्पत्ति के निहित किए जाने और प्रशासन का उपबन्ध करने के लिए अधिनियम।"

इसका उद्देश्य यही है कि गरीबों को ज्यादा शिक्षा और चिकित्सा सहायता मिले तथा अन्य जनोपयोगी

कार्य किए जायें लेकिन इसमें कहीं भी ऐसा नहीं है कि यदि कोई व्यक्ति सार्वजनिक ट्रस्टों का दुरुपयोग करता है तो उसके खिलाफ कोई कार्यवाही की जा सकती है। आपने सेक्सन (13) में संशोधन किया है लेकिन आप सेक्शन (14) को देखें कि उसमें क्या है :

"इस अधिनियम के अधीन की गई या की जाने के लिए तात्पर्यित किसी बात की बाबत, अथवा इस अधिनियम के अधीन सरकार पर पड़ने वाले किसी कर्त्तव्य को न करने या उसमें उपेक्षा करने की बाबत, अथवा इस अधिनियम द्वारा सरकार को प्रदत्त किसी शक्ति के प्रयोग या अप्रयोग की बाबत कोई वाद सरकार के विरुद्ध संस्थित न किया जाएगा और ऐसे बाद के सिवाय जो सम्पत्ति को पूर्त विन्यास कोषपाल में इस आधार पर विनिहित करने के लिए हो कि वह पूर्त प्रयोजनार्थ न्यास के अधीन नहीं है अथवा जो इसमें निहित किसी सम्पत्ति या उसकी आय की हानि या उसके दुरुपयोजन की बाबत उसे उस दशा में प्रमार्य जवाबदार बनाने के लिए हो जब हानि या दुरुपयोजन उसकी जानबूझकर की गई उपेक्षा या व्यतिक्रम के कारण हुआ हो, कोई वाद पूर्त विन्यास कोषपाल के विरुद्ध संस्थित नहीं किया जाएगा।"

(श्री सोमनाथ चटर्जी पीठासीन हुए)

इस एक्ट के बारे में भी सफाई हो जानी चाहिए। यह एक्ट 1890 के जमाने का बना हुआ है। उस जमाने की सरकार यह चाहती थी कुछ बने, लेकिन ऐसा बने जिससे जिम्मेदार आफिसर को बचाया जा सके। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि आपको इसमें संशोधन लाना चाहिए। संशोधन करके खामियों को दूर करना चाहिए।

अन्त में, मैं इस बिल का समर्थन करते हुए, आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया।

श्री रामविलास पासवान (हाजीपुर) : सभापति जी, अभी मुझसे पूर्व तीन माननीय सदस्यों ने इस बिल पर प्रकाश डाला है मैं उनकी भावनाओं के साथ हूं और माननीय रंगा जी हमसे सहमत होंगे कि आज इस एस्ट की आड़ में कितना कुछ हो रहा है। लेकिन जहां तक हमको जानकारी है, लोग इस ट्रस्ट की आड़ में टैक्स को छुपाने के लिए, काले धन को बचाने के लिए ट्रस्ट को बनाते हैं। आफिसर्स की सांठ-गांठ से, सरकार की सांठ-गांठ से यह सब चल रहा है। लेकिन इस बारे में हमको आज तक पता नहीं है। चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम पर हिन्दुस्तान के कितने गरीबों का, कितने हरिजनों का, कितने आदिवासियों का, भला हुआ है, जबकि ट्रस्ट उन्हीं के नाम पर चलते हैं। हरे राम, हरे राम, हरिजन आदिवासी, गरीब कमजोर वर्ग—लेकिन आज इन लोगों का भला नहीं हुआ है। हमारे माननीय मंत्री जी स्वयं गरीब परिवार से आते हैं, मैं चाहूंगा कि वे जवाब दें कि चैरिटेबिल ट्रस्ट में कितनी सम्पत्ति लगी है उस सम्पत्ति से कितने लोगों पर खर्चा किया गया है। इनमें गरीबों पर खर्चा किया गया है या ये केवल अपनी रक्षा के लिए हैं। यह बात बिल्कुल सही है कि ये केवल काले धन को बचाने के लिए एक माध्यम है। टैक्स को छिपाने का एक माध्यमहै। इसलिए इसमें निश्चित रूप से, 1890 का जो विधान है, इसमें

संसोधन ही नहीं, बल्कि इसको नए रूप से सामने लाना चाहिए।

मैं आपके माध्यम से ज्यादा समय न लेते हुए, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो संशोधन आप लाए हैं, वह पास हो जाएगा, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसके पीछे पोलिटिकल विल क्या है। आपकी इच्छा क्या है—यदि आपकी इच्छा साफ है, तो मैं चाहूंगा, दोनों सदनों में दो रायें नहीं होंगी, ट्रस्ट होना चाहिए, लेकिन इसके दो उद्देश्य हैं, जो एम्स हैं, जो आब्जैक्ट्स हैं, जिनके लिए यह बनाया जाता है, उनके लिए इसको बनाया जाए। न कि अपनी सम्पत्ति को बचाने के लिए, न कि टैक्स को बचाने के लिए और न काले धन में वृद्धि करने के लिए। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि 1890 के एक्ट को आप पूरे तरीके से सोच-समझकर इसमें आप अपना दिमाग में एप्लाई करें, कहीं इसमें दांव-पेंच नहीं होना चाहिए। इसको आप इस तरीके से बना दीजिए कि इसमें जो गलत लोग हैं, गलत तत्व हैं, जो समाज के बड़े-बड़े ठेकेदार हैं···जो ठेकेदार बने हुए हैं और जो धर्म के नाम पर, रिलीजस और चैरिटएविल ट्रस्ट के नाम पर सारे कुकर्म करते हैं, उनको कहीं बचाने का मौका न मिले और प्रशासन के लोग भी इसको छिपाना चाहें, तो छिपा न सकें, इसके लिए इस एक्ट में कुछ प्रावधान होना चाहिए था ताकि ये सारी चीजें सामने लाई जा सकें।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : सभापति महोदय, यह जो बिल प्रस्तुत किया है, इसका मैं समर्थन करता हूं मगर डागा साहब ने जिस प्रकार की बात कही कि कानून को पार्लियामेंट के समक्ष पहले लाना चाहिए था, वह ठीक है। इतने वर्षों तक इसको नहीं लाया गया, इसके लिए कौन जिम्मेवार है और इस वजह से क्या कठिनाइयां लोगों के सामने आई हैं प्रोपर्टी के सम्बन्ध में, यह आप अच्छी तरह से जानते होंगे। इसका फायदा किसको हुआ है। इसका फायदा राजा महाराजा उठा रहे हैं और बड़े बड़े पूंजीपति उठा रहे हैं। आप यह देखें कि हर जगह चाहे वह भगवान कृष्ण का मन्दिर हो और चाहे राम का मन्दिर हो, बड़े लोगों ने ट्रस्ट बनाकर सारी प्रोपर्टी को अपने कब्जे में किया हुआ है और सबसे बड़े ट्रस्टी वही लोग बन गये हैं और उसके सारे पैसे का उपयोग वही करते हैं।

मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। हमारे यहां केला देवी का मन्दिर है करौली के अन्दर। वह एक धार्मिक स्थान है और करौली के महाराज उसके ट्रस्टी हैं। करोड़ों रुपये की उसकी आमदनी है। उस करोड़ों रुपयों की आमदनी का उपयोग वही आदमी करता है इसके बारे में अभी राजस्थान की एसेम्बली में एक सवाल उठाया गया और कई दूसरे स्थानों पर इसके खिलाफ आवाज उठाई गई लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई और उस मन्दिर के पैसे का दुरुपयोग भयंकर रूप से हो रहा है। इसी तरह की बातें अन्य स्थानों पर भी हो रही हैं। कहीं पर किसी राजा महाराजा ने ट्रस्ट बना दिया और कही पर किसी ने और उसके ट्रस्टी बन कर करोड़ों रुपये की सम्पत्ति पर अपना अधिकार जमाये हैं। कहीं पर परिवार के नाम पर चेरिटएविल ट्रस्ट बनाकर सारा फायदा उस परिवार के सदस्य उठाते हैं। न वे प्रोपर्टी टैक्स देते हैं और न वैल्थ टैक्स देते हैं और उसके साथ-साथ उस प्रोपर्टी से जो आमदनी होती है, उसका दुरुहयोग करते हैं

ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही होनी चाहिए और इस बिल में इस प्रकार का प्रावधान होना चाहिए, जिससे इस तरह की कोई गड़बड़ न हो। पासवान जी ने ठीक ही कहा है कि इस प्रकार की बेईमानी करने वाले लोगों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने का प्रावधान आपने इसमें नहीं रखा है। अगर गलत तरीके से ट्रस्ट की प्रोपर्टी को कोई इस्तेमाल करे, तो उस को पीनलटडं मिलना चाहिए, उसको सजा मिलनी चाहिए और इस तरह की व्यवस्था को मजबूती के साथ लागू किया जाना चाहिए। बहुत से बड़े लोगों ने पैसे का दुरुपयोग करने के लिए ऐसे ट्रस्ट कायम कर रखे हैं। ये गरीबों का शोषण करते हैं, मजदूरों का शोषण करते हैं और अपने लिए करोड़ों, अरबों रुपयों की सम्पत्ति बना कर एक-दो मन्दिर बना देते हैं और करोड़ों रुपये खर्च कर के ट्रस्ट बनाकर उसका दुरुपयोग करते रहते हैं। एक तरफ तो ये लोगों का खून पीते हैं और दूसरी तरफ ट्रस्ट बनाकर और लोगों को फायदा नहीं देने देते बल्कि ट्रस्ट बनाकर सरकार को धोखा देते हैं और आम जनता को धोखा देते हैं इस तरह से जो पैसा देश के लोगों के काम आना चाहिए, वह पैसा और जगह जाकर इकट्ठा हो जाता है और फिर उससे ये लोग रग रेलियां मनाते हैं। इस प्रकार की चीज को रोकने के लिए कोई माकूम तरीके की व्वस्था होनी चाहिए जब तक कानून में इस चीज को रोकने के लिए कोई प्रावधान नहीं होगा, यह व्यवस्था इसी प्रकार से चलती रहेगी और गड़बड़ होती रहेगी।

मैं आपसे यह भी निवेदन करता हूं कि विदेशी धन भी इस सम्बन्ध में आ रहा है और ट्रस्ट प्रोपर्टी के अन्दर उसका स्तेमाल हो रहा है और उस पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। उससे कुछ राजनीतिक पार्टियाँ भी फायदा उठा रही हैं। ट्रस्ट के ऐसे पैसे को ये लोग कहीं जाकर पालीटीकल पार्टियों के लाभ के कामों में लगा रहे हैं। तरह-तरह की व्यवस्थायें हो रही हैं। धार्मिक भावनाओं के लिए जो ट्रस्ट बनाये जाते हैं, धर्म प्रचार के लिए जो धार्मिक संस्थायं खड़ी की जाती हैं उनके पीछे उद्देश्य तो धर्म को मजबूत बनाने का होता है, लेकिन वास्तव में वहां से राजनीतिक दावपेंच खेले जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार को धोखा देकर टेक्स न देना यही काम इन ट्रस्टों का हो गया है। ऐसी दुकानों को बन्द किया जाना चाहिए। इस प्रकार के चैरीटेबिल ट्रस्ट्न अगर कायम होते हैं तो उसमें सरकार का अधिकारी होना चाहिए ताकि धन का दुरुपयोग न हो सके। आज भी प्राइवेट ट्रस्ट्स बने हुए हैं और प्राइवेट लोग ट्रस्टी बने हुए हैं वह उस पैसे का अपने हितों में लिए दुरुपयोग करते हैं जिससे लोगों की धार्मिक भावनाओं को धक्का लगता है और वहां तरह-तरह के अनाचार होते हैं। इसलिए कोई न काई व्यवस्था इस कानून में जरूर रखिये ताकि इन चैरीटेबिल ट्रस्ट्स का ठीक से इन्तजाम हो सके। इस संशोधन से कुछ होने वाला नहीं। जो काला धन इक्ट्ठा कर रहे हैं और अपने आपको सम्पत्तिशाली वना रहे हैं उन पर अगर अंकुश लगाना है तो सारे ट्रस्ट्स को सरकार को अपने हाथों में लेना चाहिये इससे आपके रिसोर्सेज बढ़ेंगे और हमारी धार्मिक भावनाओं को ठेस भी नहीं लगेगी और सारी व्यवस्था ठीक चलेगी। इसलिए आप ऐसा बिल लाइये जिससे सारे के सारे चैरीटेबिल ट्रस्ट्स की व्यवस्था सुचारु रूप से चल सके यही मेरा निवेदन है।

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा (कोडरमा) : सभापति जी, मैं इस संशोधन विधेयक का यों तो समर्थन करता हूं। हमारे अन्य मित्रों ने बहुत बातें कही हैं। लेकिन इस चैरिटेबिल ऐन्डाउमेंट बिल को कान्प्रीहैंसिव बिल के रूप में लाना चाहिये था। क्योंकि 30, 35 साल का इसमें अनुभव आया

है और अंग्रेजों ने इस बिल को इसलिए बनाया था ताकि इनकी जी हजूरी करने वाले बड़े-बड़े पूंजीपति और कम्पनी वाले बिना टैक्स दिए हुए करोड़ों रुपया अपने काम में ला सकें। आज भी बिड़ला, टाटा, डालमिया आदि के ट्रस्ट्स बने हुए हैं। प्रतिमा प्रतिष्ठान तो नया है और उसी का अनुकरण लोग कर रहे हैं। जितने चैरिटेबिल ट्रस्ट्स बनाये गये थे उसका लाभ गरीब लोगों को नहीं मिला, बल्कि ट्रस्टीज ने अपने परिवार के हित में फंड का डार्जन किया। सरकार को सजग होकर ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये ताकि इनका लाभ गरीब लोगों को मिल सके।

धारा 14 में बताया है कि उसको उत्तरदायी होना चाहिये सरकार के सामने, उसके अकाउन्ट्स का प्रकाशित करना चाहिये। लेकिन सरकार ने कितने ट्रस्ट्स का हिसाब लिया है? आज अगर सारे देश में देखा जाय तो ऐसे ट्रस्टों की बहुत बड़ी फहरिस्त होगी और यदि उनकी कार्यवाहियों को देखा जाय तो लगेगा कि उद्देश्यों और कारणों से बहुत दूर उनका कार्यक्रम चल रहा है। ठीक उसी तरह जैसे हाथी के दांत दिखाने के कुछ और होते हैं और खाने के कुछ और होते हैं। सभी बड़ी कंपनियों ने एक ट्रस्ट बनाकर उसे अपने पारिवारिक हित का औजार बना रखा है। सरकार को एक कंप्रोहैंसिव बिल लाकर न्यायपूर्ण ढंग से जनहित में उसे व्यवहार में लाना चाहिये। ट्रस्ट के जो अधिकारी होते हैं उसमें किसी सरकारी पदाधिकारी का सुपरविजन या पर्यवेक्षण हो, ऐसा भी संशोधन होना चाहिए। इसके अधीन जितने भी नियम बने, वह सब कानून के अनुसार संसद या विधान-मंडल में रखे जायेंगे, लेकिन इतने दिनों तक जो काले धंधे हुए हैं, सरकार के जिन अधिकारियों ने उससे डील किया है, यह विचारणीय विषय है।

जितने बड़े-बड़े कालेज, इन्जीनियरिंग कालेज और अस्पताल बनाये हुए हैं, वहां अगर देखा जाय तो किसी गरीब का बच्चा नहीं पढ़ता है। सभी बच्चे बड़े लोगों के होते हैं जो कि डेढ़-डेढ़ और दो-दो लाख डोनेशन देते हैं। इस तरह से वहाँ बड़ी राशि प्राप्त होती है। हमारे बिहार में बी० आई० टी० मिश्र रांची में बना है। वहां अगर देखा जाये तो पता लग जायेगा। कि कितने हरीजन, आदिवासी बच्चे पढ़ते हैं। अगर इसके आंकड़े निकाले जायें तो एक भी गरीब इनमें नहीं मिलेगा।

इसी तरह कर्नाटक और मरीपाल में भी मैडीकल कालेज हैं, वहाँ देख लीजिये कि कितने गरीब बच्चों को वहां चैरिटेबल फंड से फायदा हुआ? कहीं भी नहीं मिलेगा। इससे साफ हो जाता है कि यह ट्रस्ट जन-हित में नहीं रहे हैं बल्कि बड़े लोगों के हित में रहे हैं।

इतने दिनों के बाद जो यह संशोधन लाये हैं, यह श्लायनीय है, प्रशंसनीय है। इसके साथ-साथ यह भी लाना चाहिये कि निश्चित रूप से उसका फायदा दीन-हीनों को मिलेगा। इसके लिए जब तक प्रावधान नहीं होगा यह बिल किसी काम का. जन-हित का सिद्ध नहीं होगा। मैं आशा करता हूं कि मन्त्री जी इसका आश्वासन देंगे।

श्री हरीश कुमार गंगवार (पीलीभीत) : सभापति महोदय, सभी प्रमुख बातें यहां कही जा चुकी हैं। मैं सभी वक्ताओं की राय से सहमत हूं, केवल 2,3 बातें और कहना चाहूंगा।

मैंने एक बार पहले यह बात कही थी कि जिस समय कोई बिल पास हो तो बिल के

साथ उसके रूल्स भी हाउस के सामने आ जाने चाहियें। आपके अनुभव में आया होगा कि कई बार एक्ट बनता है आधी इन्च मोटी किताब का और उसके रूल्स बनते हैं 2 और 4 इन्च मोटी किताब के। मैं आपको उदाहरण देता हूं, यू० पी० में पंचायती राज एक्ट बना। उसे आप देख लीजिए, मेरा ख्याल है कि मेरी एक उंगली के बराबर मोटा वह एक्ट होगा लेकिन उसके रूल्स कम से कम 3 इंच मोटी वौल्यूम के हैं मेरे कहने का मतलब यह है कि ज्यादा बड़े नियम बनाने से लोगों को पता नहीं गलता कि इस एक्ट का इंपलीमैंटेशन और एग्जीक्यूशन कैसे होगा।

आप रूल्स बनाकर हमारे हाउस के सामने रख भी दें, तो उस समय हमारे पास इतना समय नहीं होता कि हम उसे देख सकें। अगर आप देते भी हैं तो और कामों की वजह से वह दृष्टि से औझल हो जाता है। हम लोग उसे देख भी नहीं पाते और उनका मनन नहीं कर सकते अपनी राय नहीं दे सकते। आपको स्वयं अनुभव होगा कि कितने रूल्स हाउस की टेबल पर ले किए जाते हैं और उनमें से एक परसैंट भी हम संशोधन नहीं दे पाते हैं। यह नहीं है कि संशोधन की आवश्यकता नहीं होती वल्कि हमारे पास समय ही नहीं होता कि हम उनको देख पायें। इसलिए मैं सरकार से प्रार्थना करना चाहता हूं कि यह एक बुनयादी बात है जो जनहित में है कि जब भी सरकार कोई बिल यहां पर पेश करे तो उसके साथ-साथ रूल्स भी रख दे और एक साथ ही सभी पर डिस्कशन हो जाए। इस प्रकार से रूल मेकिंग पावर दे देने से जाने क्या रूल बनायेंगे, कब यहां पर रखेंगे और तहां पर रखने से पहले ही उन पर काम करते रहेंगे। क्योंकि आपने इसमें लिख दिया है कि भले ही हाउस में रूल्स ले न हुए हों परन्तु उनके मातहत जो भी काम किया जाएगा वह अल्ट्रा-वायर्स नहीं होगा, वह काम सही माना जाएगा। मेरी समझ में नहीं आता कि आपको मेरा सुझाव मान लेने में क्या दिक्कत हो सकती है। आप तो वैसे ही बिल्स लेट लाने के लिए मशहूर हैं, दस-दस साल के बाद यहां पर बिल लाते हैं। मैं भी डागाजी की कमेटी का मेम्बर रहा हूं। जो सेक्सन (13) है रूल मेकिंग पावर के सम्बन्ध में उसको आप देखें;

धारा 13 (2) समुचित सरकार, इस अधिनियम से संगत ऐसे नियम बना सकेगी जो —

(क) वें फीसें विहित करें जो पूर्व विन्यास कोपपाल में इस अधिनियम के अधीन निहित सम्पत्ति की बावत सरकार को दी जाती हों।

अब बगैर फीस तो आज तक कोई ट्रस्ट बना नहीं होगा। आपने इसके लिए रूल्स बनाए होंगे और फीस भी आपने प्रेस्क्राइव की होगी। इसका मतलब यह है कि रूल्स आपने बनाए हैं और उनके अन्तर्गत आप काम करते रहे हैं लेकिन इस बात का कोई पता नहीं कि वह रूल्स इस अधिनियम के स्कोप के बाहर तो नहीं हैं, कहीं वह रूल्स अनकांस्टीट्यूशनल तो नहीं है फिर भी उनके अन्तर्गत काम होता रहा है। इसलिए मैंने यह सुझाव रखा है कि यदि बिल के साथ ही रूल्स भी यहां पर पेश कर दिए जायें तो वह जनहित में होगा।

एक बात मैं और जोड़ना चाहूंगा। यह जो चैरिटेबल ट्रस्ट्स और एण्डाउमेन्ट्स है आप कहीं भी देख लें, इनके साथ कहीं तो गुप्ता का नाम होगा, कहीं डालडिया का नाम होगा, कहीं पद्मपत सिंहानिया का नाम होगा और कहीं पर बिड़ला, टाटा या साहु जैन का नाम होगा। बाकी जो ट्रस्ट होंगे वह राजा-महाराजाओं के हैं और उनमें में कुछ इस माननीय सदन के सदस्य

भी होंगे। कहने का मतलव यह कि किस प्रकार से सरकार की नजर पड़े बिना जायदाद हड़प कर ली जाए-यही सबसे बड़ा उद्देश्य इसके पीछे रहता है। सारे देश में बिड़ला मन्दिरों की लाइन लगी है। पद्मयत सिंहानिया भी उनके पीछे-पीछे चल रहे हैं और धर्मशालायें बना रहे हैं।

सभापति महोदय, एक तो कम्पनी होती है पब्लिक लिमिटेड दूसरी होती है प्राइवेट लिमिटेड और यह अनलिमिटेड कम्पनियां हैं।

मेरे कहने का मतलव यह है कि बहुत अच्छे-अच्छे नाम इस्तेमाल किए जाते हैं। लखनऊ में एक चन्द्रभान गुप्ता स्मारक ट्रस्ट है। अभी कुछ दिनों पहले अन्तुले जी ने हमारी प्रधान मन्त्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी का नाम इस्तेमाल किया। इसी प्रकार आचार्य नरेन्द्र देव के नाम से एक ट्रस्ट है और वे क्या करते हैं कि जो आदमी पोलिटिक्स में फेल हो जाए, उसको एक हजार रुपया और एक कार ट्रस्ट से दे दिया करते थे। इसलिए मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि क्या अभी तक इनका कभी स्पेशल आडिट हुआ हैं? क्या इनका कभी चुनाव हुआ है? इस बारे में अभी तक कुछ भी नहीं सोचा गया है।

दूसरी मांग में यह कहना चाहता हूं कि इस बारे में जानकारी हासिल करने के लिए एक उच्चाधिकार प्राप्त आयोग बनाया जाए; जो इस बारे में सारे देश में जानकारी हासिल करे। यदि इनको सजा दी जा सकती हो तो दी जानी चाहिए। तीसरी मांग-दोनों सदनों की एक ज्वाइंट सिलैक्ट कमेटी बनायें जो आज कल परिस्थितियों को देखकर अपनी रिपोर्ट दे और उसके बाद में अमेंडमेंट किया जाय। यदि इसको निरस्त करके नया बिल लाना पड़े, तो इस दिशा में कदम उठाये जायें।

सभापति महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हुं कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया।

श्री नारायण चौबे (मिदनापुर) सभापति महोदय, मैं आपके उन विचारों का समर्थन करता हूं जो आपने इस विधेयक पर समर्थन करता हूं जो आपने इस विधेयक पर वक्तव्य देते समय व्यक्त किए। सरकार ने यह संशोधन ऐसे विधेयक में किया है जो कि 92 वर्ष पुराना है। हमें उस समय के समाज की परिस्थितियों पर भी विचार करना है। जब आप समाज की वर्तमान परिस्थितियों पर विचार करना है। जब आप समाज की वर्तमान परिस्थितियों पर विचार करते हैं तो जब तक आप उसमें आज के समाज की प्रत्येक आवश्यकता को देखते हुए उसमें परिवर्तन न करें तब तक ये सभी संशोधन अर्थहीन हो जायेंगे। जैसा कि मेरे सहयोगियों और दूसरे पक्ष द्वारा सुझाव दिया गया और जैसा सभापति महोदय, आपने उसका समर्थन किया है कि ये न्यास और इनकी निधियों का बहुत से राजनैतिक गिरोहों द्वारा प्रयोग किया जा रहा है और यहां तक सत्तारूढ़ दल भी इसी निष्कर्ष पर पहुंचा है क्योंकि उन्हें भी इन सभी गिरोहों से सम्बद्ध व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए विवश होना पड़ा है। वास्तव में सरकार उन पर तब तक कोई कार्यवाही नहीं करती जब तक उच्चतम न्यायालय इनके विरुद्ध निर्णय नहीं दे देते जब तक इनके विरुद्ध कार्यवाही नहीं की जाती उस समय तक ये लोग इन न्यास निधियों का उपयोग करते रहते हैं और इनका शोषण करते रहते हैं मैं भी यह महसूस करता हूं, जैसा कि मेरे पूर्व वक्ता तथा मेरे कुछ सहयोगियों ने सहसूस किया है कि आपको समाज की बदलती हुई आवश्यकता को पूरा

करने के लिए इसमें पूर्ण रूप से संशोधन करना चाहिए। मेरा सुझाव यह भी है कि सरकार को दोनों सदनों के सदस्यों की प्रवर समिति गठित करनी चाहिए जो पूरे विधेयक के पर उपवन्धों विचार करे और इसमें आमूल महत्वपूर्ण परिवर्तन करने के लिए संशोधनों का सुझाव दे क्योंकि यह अधिनियम वहुत पुराना हो गया है। वास्तव में सरकार ने यह संक्षिप्त संशोधन विधेयक काफी वर्षों बाद लाई है लेकिन इससे समस्या का लेशमात्र भी समाधान नहीं होगा अत; मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि वह एक प्रवर समिति बनाए और उस समिति को इस संवंध में नया विधेयक बनाने का काम सौंपा जाना चाहिए।

इन शब्दों के साथ, मैं न तो किधेयक का समर्थन करता हूं और न ही विरोध करता हूं लेकिन चूंकि आप काफी वर्षों के बाद इस अधिनियम में संशोधन विधेयक लाये हैं अतः मैं मन्त्री महोदय द्वारा इस विधेयक को लाने की इच्छा तथा प्रयोजन का समर्थन करता हूं।

श्री जनार्दन पुजारी : सभापति महोदय, मैंने माननीय सदस्य द्वारा दिए गए सुझावों और इस विधेयक पर वोलते समय आपके द्वारा दिए गए सुझावों को वहुत ध्यान से सुना है। वास्तव में, इस बारे में बहुत बहुमूल्य सुझाव दिए गए हैं लेकिन इस विधेयक पर चर्चा सीमित है। मुझे यह कहने के लिए क्षमा करें कि माननीय सदस्यों ने भारतीय न्यास अधिनियम, सरकारी न्यास अधिनियम और साथ ही समितियों के पंजीकरण संवंधी अधिनियम के अन्तर्गत आने वाले अधिनियमों का उल्लेख किया है मैं इन सभी सुझावों के विस्तार में नहीं जा रहा हूं। लेकिन जहां तक इस अधिनियम के विस्तार का सम्वन्ध है, जैसा कि आप जानते हैं, यह अधिनियम 1890 में पारित किया गया था और यह 19वीं शताब्दी का अधिनियम है। वर्तमान विधेयक द्वारा पूर्त-विन्यास अधिनियम 1890 में संशोधन करने का प्रभाव है ताकि इसके अन्तर्गत वनाये जाने वाले नियम संसद तथा विधान मंडलों के समक्ष रखे जा सकें और सरकारी राजपत्र में प्रकाशित किए जा सकें।

महोदय, जव आपके इस विधेयक पर वक्तव्य दिया तो आपने बताया था कि इसकी वहुत ही महत्वपूर्ण सिफारिश की गई थी। मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूं कि इसे वहुत पहले प्रस्तुत किया जाना चाहिए था। तथापि जैसा कि आपने स्वीकार किया कि कम से कम इसे अब तो प्रस्तुत किया गया है तथा आपने सरकार को यह विधेयक देर से प्रस्तुत करने के वावजूद भी वधाई दी है। मैं एक तथ्य वताना चाहता हूं कि अभी भी इस संसद के लिए एक अवसर है तथा पूर्त विन्यास अधिनियम के अनुच्छेद 13 में यह संशोधन करने के कारण आप इसे पढ़ सकते हैं। केन्द्र तथा राज्य सरकार दोनों को ही अधिनियम के संगत नियम बनाने की शक्ति प्राप्त है। लेकिन इस अधिनियम में संशोधन करने से संसद तथा राज्य विधान सभा को भी नियमों का पुनरीक्षण करने अथवा कार्य-पालिका द्वारा वनाए गए उन नियमों को यदि वे आवश्यक नहीं है और यदि वे लोगों के लाभ व कल्याण के लिए नही है, रद्द करने की शक्ति प्राप्त है। संसद को इस अधिनियम के आधार पर नियमों पर प्रतिवन्ध लगाने का भी शक्ति प्राप्त है। माननीय सदस्य श्री मूलचन्द डागा ने यह उल्लेख किया है कि अभी तक नियम नहीं बनाए गए हैं। लेकिन 1942 में नियम बनाए गए थे और उसी वर्ष प्रकाशित कर दिए गए थे और मैं यह भी कहूंगा कि यह वर्ष 1942 में सेन्ट्रल गर्वन्मेंट कम्पिलेशन आफ जनरल फाइनैन्शियल रूल्स में शामिल किए

गए हैं । यह नियम 31 मार्च 1982 में बनाए गए थे । अधिसूचना संख्या 84142 दिनांक 31 मार्च, 1942 है । उसके बाद 1981 में इन नियमों में संशोधन किया गया । यद्यपि अधिनियम में इस बारे में कोई विशेष उपबन्ध नहीं था तथापि 1981 में ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे । इन्हें सभा पटल पर भी रखा गया था ।

अन्य प्रश्न पूर्त न्यासों के बारे में उठाया गया था । इस समय 90 पूर्त न्यासों की 10.45 करोड़ रुपये के मूल्य की संपत्तियां केन्द्रीय की कोषाध्यक्ष में निहित हैं । इसमें राष्ट्रीय अध्यापक कल्याण प्रतिष्ठान के लिए 5.94 करोड़ रुपए युद्ध पीडित और विकलांग सैनिकों की विशेष राहत विधि के लिए 2 करोड़ रुपए, राष्ट्रीय बाल निधि के लिए 50 लाख रु ए और भारत की जनता के अकाल सम्बन्धी न्यास में 33 लाख रुपए शामिल हैं । यह राशि प्रायः पांच वर्षीय डाकघर सावधि जमाखातों में लगी हुई है जिन पर 10-77 प्रतिशत ब्याज दिया जाता है । पूर्त न्यास के मामले में यह ब्याज आय कर अधिनियम की धारा 11 के अन्तर्गत कर से मुक्त है ।

इस विधेयक पर चर्चा के दौरान कुछ और भी प्रश्न उठाए गए थे । जैसा कि आप जानते हैं इस संशोधनकारी विधेयक के आधार पर इसका काफी प्रचार हो सकता है जैसा कि माननीय सदस्यों ने सुझाव दिया है । इसका प्रचार किया जाना चाहिए अन्यथा लोगों को देश में कानूनों और नियमों की जानकारी नहीं मिल सकेगी । मैं माननीय सदस्यों के विचारों का समर्थन करता हूं । मैं उनसे पूरी तरह सहमत हूं कि इसे काफी पहले कार्यान्वित किया जाना चाहिऐ था । तथापि सरकार ने अब अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति की महत्वपूर्ण सिफारिश के कार्यान्वित करने के लिए कदम उठाए हैं ।

महोदय जहां तक मुख्य पूर्त न्यास अधिनियम का संबंध है, इसमें बहुत-सी त्रुटियों और कमियों का उल्लेख किया गया है । मैं केवल यही निवेदन करूंगा कि यदि कोई संशोधन करना आवश्यक समझा गया तो सरकार अवश्य ही व्यापक विधेयक प्रस्तुत करेगी अथवा कुछ संशोधन करेगी । इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए । लेकिन माननीय सदस्यों और इस देश के लोगों का कहना होगा । कि वर्तमान अधिनियम पर्याप्त नहीं है और कि इसमें कुछ और उपबन्ध जोड़े जाने चाहिए । जैसा कि मैंने कहा, 1981 में कुछ नियम बनाये गये थे, जिनसे 1942 के पूर्त नियमो में संशोधन किया गया था, क्योंकि इस समय ऐसा आवश्यक समझा गया था ।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं और माननीय सदस्यों का पुनः धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस विधेयक में दिलचस्पी दिखाई है और अपने बहुमूल्य सुझाव दिये हैं । मैं इसके लिए उनका बहुत आभारी हूं ।

श्री मूलचंद डागा : अधिनियम के अन्तर्गत बनाए गए नियमों को कितने दिन में सभा पटल पर रखा जाऐगा ?

श्री जनार्दन पुजारी : इन्हें जितनी जल्दी संभव होगा, सभा पटल पर रखा जाऐगा । इसमें कोई कठिनाई नहीं होगी । जो मैं कहता हूं मैं उसे अवश्य ही पूरा करूंगा । निश्चय ही मैं इसमें अधिक समय नहीं लूंगा ।

श्री मूलचंद डागा : हमें निश्चित समय बताइये यह मत कहिए कि जितनी जल्दी संभव होगा तब प्रस्तुत किए जाएंगे ।

सभापति महोदय इस शताब्दी में ···इसे कर दिया जायेगा, उन्होंने कहा है वह इसकी जांच करेंगे। हमें मंत्री महोदय के आश्वासन को मानना चाहिए ।

प्रश्न यह है :

"कि पूर्त विन्यास अधिनियम,1890 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

सभापति महोदय: अब हम विधेयक पर खंडवार विचार करेंगे ।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया I

खंड 1, अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिए गए

श्री जनार्दन पुजारी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकार हुआ

भारत की आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक

सभापति महोदय : अब हम भारत की आकस्मिकता निधि संशोधन विधेयक पर चर्चा एंव मतदान करेंगे ।

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि भारत की आकस्मिकता निधि अधिनियम, 1950 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए ।"

विधेयक में भारत की आकस्मिकता निधि अधिनियम, 1950 में और सशोधन करने का प्रस्ताव किया गया है ताकि केन्द्र सरकार द्वारा इस अधिनियम के अन्तर्गत बनाए गए नियम को प्रत्येक सदन में रखा जा सके और सरकारी राजपत्र में अधिसूचित किया जा सके ।

भारत की आस्मिकता निधि, जो संविधान के अनुच्छेद 261(1) के अन्तर्गत बनाई गई

है, एक ऐसी निधि है जिसमें से संविधान के अनुच्छेद 115 और 11थ के अन्तर्गत संसद द्वारा खर्चों को स्वीकृति मिलने तक, आकस्मिक खर्चों के लिए अग्रिम राशि दी जाती है। आकस्मिक निधि कुल 50 करोड़ रुपये है जिसमें से 2 करोड़ रुपये रेलवे की आवश्यताएं पूरी करनेके लिए रखे गये हैं।

भारत की आकस्मिकता निधि अधिनियम की धारा 4 के द्वारा केन्द्रीय सरकार को भारत की और उसमें धनराशि का संदाय करने तथा उससे धनराशि निकालने आकस्मिकता निधि अथवा उसकी अभिरक्षा से सम्बन्धित सभी मामलों को विनियमित करने के बारे में नियम बनाने की शक्ति दी गई है। भारत की आकस्मिकता निधि अधिनियम नियम केन्द्र सरकार द्वारा 1952 में बनाये गए थे। लेकिन भारत की आकस्मिकता निधि अधिनियम 1950 में इन नियमों को संसद के समक्ष रखने या उनके सरकारी राजपत्र में प्रकाशन के लिए कोई उपलब्ध नहीं था, इसलिए इसकी व्यवस्था करने के लिए अधिनियम की उक्त धारा 4 का इस विधेयक द्वारा संशोधन करने का प्रस्ताव किया गया है।

महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं।

श्री अमल दत्त (डायमंड हार्बर) : महोदय, यह एक दूसरा विधेयक है जिससे पता चलता है कि सरकार किस तरह यंत्रवत विधेयक पर प्रस्तुत करने की वास्तविकता समझे बिना सदन के समक्ष उस पर विचार करने तथा पारित करने के लिए प्रस्तुत करती है। वास्तव में यह आवश्यक है कि आकस्मिकता निधि नियम, जो एक अधिनियम है जिसके द्वारा संसद से उन शक्तियां वापस लेकर जिनके द्वारा संसद कार्यपालिका के ऊपर वित्तीय नियन्त्रण रखती है, कार्यपालिका को प्रस्ताव देने का प्रस्ताव है, एक ऐसा विधान है जिसके संसद के द्वारा बारीकी से जांच की जानी चाहिए। अतः यह सरकार की गलती है कि उसने यह संशोधन विशेष पहले प्रस्तुत नहीं किया। इसे बहुत पहले किया जाना चाहिए था। इसका अर्थ यह है कि पिछले 30 वर्षों से सरकार का आकस्मिकता निधि में से किए जाने वाले खर्चों पर कोई नियन्त्रण नहीं है। जब धन राशि के विनियोग के लिए विधेयक प्रस्तुत किया जाता है, तब ही आकस्मिकता निधि से की जाने वाली राशि का संसद को जानकारी होती है वास्तव में आकस्मिकता निधि जैसी अग्रदाय निधि की आवश्यकता है ताकि उसमें से आकस्मिक खर्चे किए जा सकें, लेकिन यह भी आवश्यक है कि कुछ नियमों द्वारा उसकी पूरी सुरक्षा की जाए और इन विनियमों पर संसद का पूरा नियंत्रण हो। परन्तु अब तक इस नियंत्रण का अभाव रहा है। इससे पता चलता है कि हमारे देश में कैसी सरकार है। मंत्री महोदय ने अभी कहा है कि आकस्मिकता निधि में इस समय 50 करोड़ रुपये हैं जिसमें से हर वर्ष खर्च किया जाता है और उसके अतिरिक्त चूंकि आकस्मिकता निधि को समय समय पर पूरा किया जाता है। इस धन को बिना संसदीय नियन्त्रण के खर्च किया गया है। उस प्रक्रिया के स्थान पर कि जिसके द्वारा धन खर्च किया जा रहा है, इस संक्षिप्त अधिनियम के अन्तर्गत नियम बनाकर एक नयी प्रक्रिया जोड़ने का प्रस्ताव किया जा रहा है। इसमें केवल 5 या धाराएं हैं। अतः अधिनियम का मुख्य उपबन्ध नियम बनाने की शक्ति देना है जिससे की शक्तियां कार्यपालिका को दी गई हैं। बशर्ते कि उचित समय पर इन नियमों को संसद के क्ष रखकर संसद द्वारा इनकी उचित जांच की जाये और उन पर नियन्त्रण रखा जाए।

इसमें यह उपबन्ध जोड़ने का प्रस्ताव किया गया है जो नियम बनाया जाये उसे संसद के समक्ष रखा जाये। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि संसद को अधिक शक्तियां देने की बजाय संसद की उस शक्ति को जिसके अन्तर्गत सदस्य को कार्यपालिका द्वारा बनाये गए नियम को चुनौती देने का अधिकार हैं, को रद्द किया गया है। विधेयक के खंड 2 (ख) में कहा गया है—

"इस धारा के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात, यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल 30 दिन की अवधि के लिए रखा जायेगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व, दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं कि वह नयम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात वह निष्प्रभावी हो जायेगा।"

अतः यह प्रयास किया जा रहा है कि 30 दिनों की अवधि को एक अथवा अधिक सत्रों के रूप में विलाजित किया जाये। लेकिन यह लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम 234 (2) के उपबन्ध के अनुसार नहीं है जो इस प्रकार है :

"जब उल्लिखित कालावधि इस तरह पूरी न हो, तो विनियम नियम, उपनियम उपनिधि आदि अनुवर्ती सत्र या सत्रों में पुनः रखे जायेंगे जब तक कि कथित कालावधि एक सत्र में पूरी न हो जाये।"

अतः नियम 234 (2) में यह बात बिल्कुल स्पष्ट की गई हैं कि विनिदिष्ट समय एक ही सत्र में पूरा हो जाना चाहिए। इसका क्या प्रभाव होता है ? इसके प्रभाव के बारे में नियम 235 में बताया गया है, अर्थात यदि प्रथम सत्र के दौरान विनिर्दिष्ट अवधि पूरी नहीं होती है, तो ऐसी स्थिति में इसको अगले सत्र अथवा आने वाले सत्र में पुनः सभा पटल पर रखा जाना होगा। जब तक यह अवधि समाप्त होती है, तब तक किसी भी सदस्य को उस नियम के बारे में संशोधन का नोटिस देने का अधिकार है। यदि इस प्रकार का कोई संशोधन दिया जाता है, तो नियम 235 में इसके बारे में यह बताया गया है :

"अध्यक्ष, सदन नेता के परामर्श से ऐसे विनियम नियम उप-नियम, उपविधि आदि के किसी संशोधन पर, जिसकी किसी सदस्य द्वारा सूचना दी जाये, विचार करने और उसे पारित करने के लिए, एक या अधिक दिन या दिन का कोई भाग जैसा कि वह ठीक समझे, निश्चित करेगा।"

जिसका यह तात्पर्य है कि संसद के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के अन्तर्गत सदस्यों को नियम 235 के अधीन इस प्रकार के अधीनस्थ विधान के बारे में संशोधन प्रस्तुत करने का अधिकार दिया गया है। यह अधिकार 30 दिन की अवधि तक अथवा सम्बन्धित अधिनियम में उल्लिखित अवधि तक कायम रहेगा और यह अवधि एक ही सत्र में होनी चाहिए। यदि किसी विशेष सत्र में केवल दस दिन ही शेष हैं और दस दिन के पश्चात सत्र स्थगित हो जाता है अथवा

सत्रावसान हो जाता है तो ऐसी स्थिति के इसको अगले सत्र में रखा जाना चाहिए और सदस्यों का संशोधन देने का अधिकार पुनः नए सिरे से प्रारम्भ हो जाता है। अब इस अधिकार को छीना जा रहा हैं। अतः यह विधेयक लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के विरूद्ध है। मेरे विचार से इससे पूर्व मंत्री महोदय का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित नहीं किया गया है। मैं उनका ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। उनको इस विशेष खण्ड में परिवर्तन कर देना चाहिए ताकि यह सभा के नियमों के विरुद्ध न रहे।

दूसरी बात यह है कि मैंने पहले से बनाये नियमों का पूरी तरह से अध्ययन किया है। जैसा कि मंत्री जी ने अपने प्रारम्भ के वक्तव्य में कहा है, इन नियमों को 1952 में बनाया गया था। अधिनियम के अन्तर्गत बनाए गए उन नियमों में इस प्रकार का कोई उपबन्ध नहीं है जिसके द्वारा किए गए व्यय के ब्यौरों को तुरन्त लोक सभा के समक्ष रखने को कहा जा सके। इस प्रकार का कोई उपबन्ध नहीं है। यह व्यवस्था है कि अगले सत्र में इसको लोक सभा के प्रारम्भ होते ही रखा जाये। अतः नियम बनने के अधिकार को इस संशोधन के द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है। ऐसा करने से यह सदस्यों के आपत्ति उठाने के अधिकारों को कम करेगा। लेकिन आकस्मिकता निधि अधिनियम के अन्तर्गत जो व्यय किया जाता है उसकी संसद द्वारा जांच के लिये बनाये गये नियमों में कोई व्यवस्था नहीं है। दूसरे शब्दों में इन नियमों में यह व्यवस्था नहीं है कि जिस वास्तविक स्थिति के अन्तर्गत यह व्यय किया जायेगा उनको संसद के समक्ष रखा जाये। केवल आवश्यकता इस बात की है कि आकस्मिकता निधि की पुनः पूर्ति के विनियोग करने के समय इस प्रकार का उल्लेख किया जाये कि पहली आकस्मिकता निधि किस प्रकार समाप्त हुई, इसके अलावा और कुछ अधिक उल्लेख करना आवश्यक नहीं है।

अब इसका भी उपबन्ध होना चाहिए जिसके द्वारा कार्यपालिका को खर्च का वास्तविक स्वरूप संसद के समक्ष रखने के लिए बाध्य किया जा सके। इसके बारे में अधिनियम में ठोस व्यवस्था की जानी चाहिए जिसके द्वारा कार्यपालिका खर्च करने के कारणों के सत्र के प्रारम्भ होते ही संसद के समक्ष रखने को बाध्य किया जा सके। इस प्रकार के सुरक्षा की व्यवस्था अधिनियम के द्वारा की जानी चाहिए।

इस प्रकार की भी कोई व्यवस्था नहीं है जिसके द्वारा अगले दिन से आरम्भ होने वाले संसद के सत्र से ठीक पहले कार्यपालिका को आकस्मिकता निधि से खर्च करने से रोका जा सके। कार्यपालिका इस अवांछित छूट का अधिक लाभ उठा सकती हैं। इस बात की भी कोई व्यवस्था नहीं है कि सत्र के दौरान भी कोई खर्च नहीं किया जायेगा। अतः सत्र के दौरान तथा अन्तर्सत्रावधि के दौरान भी बिना उचित विनियोग के खर्च किया जा सकता है। अतः बजट सम्बन्धी नियमों का उल्लंघन करने की उनको पूरी स्वतन्त्रता है। पहले यह खर्च करती हैं, और कार्य सम्पन्न करने के बाद संसद के समक्ष आती है ताकि संसद के पास खर्च के स्वीकृत करने के अलावा और कोई रास्ता न रहे।

इस सम्बन्ध में एक अन्य मुद्दा यह भी है कि नियम में यह नहीं बताया गया है कि आकस्मिकता निधि से कितनी मात्रा में धनराशि निकाली जायेगी, जिसको सत्र के प्रारम्भ होते ही

संसद के समक्ष रखा जायेगा। अतः यदि सत्रों के बीच में कोई खर्च करना है तो सरकार यह आसानी से कह सकती है कि बजट वर्ष की बकाया पूरी अवधि में लिए, वह धनराशि निकाल सकती है। लेकिन उन पर इस बात का नियन्त्रण होना चाहिए और उनको पूरे बजट की अवधि के लिए धन निकालने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए और उनको केवल संसद के दो सत्रों के बीच के अन्तराल की अवधि के लिए ही धन निकालने की अनुमति दी जानी चाहिए। कार्यपालिका पर इस प्रकार का नियन्त्रण करने की व्यवस्था को नियमों में सम्मिलित किया जाना चाहिए। अन्यथा, संसद की शक्ति कार्यपालिका पर संसद का नियन्त्रण प्रभावहीन हो जायेगा।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक के उपबन्धों का सशर्त समर्थन करता हूं कि इस अधिनियम का पुनः संशोधन किया जाये।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : सभापति महोदय, मैं एक ही सवाल पूछना चाहता हूं कि जो कनटिजैन्सी फंड आफ इन्डिया एक्ट, 1950 है, उसको कितनी बार आपने एमेंड किया है। उसको मैंने देखा है। आप 4 बार उसको एमेंड कर चुके हैं। मैंने पहले कहा था कि 1952 के अन्दर लोक सभा ने यह कानून बना दिया था कि यह रूल मैकिंग फार्मूला होना चाहिए। उसके बाद आपने इस कनटिजैन्सी फंड एक्ट में, जो केवल 10 लाईन का एक्ट है, वह लिखा है :

> "इस अधिनियम के उद्देश्यों की पूर्ति के प्रयोजन के लिए, केन्द्रीय सरकार ऐसे सभी विषयों को विनियमित करने के लिए नियम बना सकेगी, जो भारत की संचित निधि में धन के संदाय की अभिरक्षा और उसमें से धन को आहरण से सम्बन्धित या उसके अनुषंगिक हों।"

इसके नीचे कितनी बार आपके कानून बने होंगे। आपने एक्ट को एमेंड किया पहले तो 1970 के अधिनियम संख्या 30 द्वारा इसके बाद 1972 के अधिनियम सं० 10 द्वारा, पुनः 1976 के अधिनियम संख्या के द्वारा फिर 1980 के अधिनियम संख्या 4 द्वारा इसके लिए मन्त्री जी क्या उत्तर देंगे। यह फार्मूला 1952 में पार्लियामेंट ने आपको दे दिया था और इस फार्मूले के अनुसार आपने एक्ट को 4 बार एमेंड कर दिया। उस समय भी आपने इस पर ध्यान नहीं दिया। इसके लिए मंत्री जी का जवाब क्या होगा। इसका मतलब यह हुआ कि हम लोग 30 साल से कहते रहे हैं और पार्लियामेंट में एक्ट भी आते रहे हैं और संशोधन बिल भी आते रहे हैं और आने के बाद आपने फार्मूला इन्वलूड नहीं किया और न करने का कारण यह हुआ कि पार्लियामेंट के सदस्य का जो अधिकार था, उसको उस अधिकार से अपने वंचित कर दिया। आप चाहते हैं तो कानून बना लीजिए और कानून बनाकर नियमों को लागू कर दीजिए लेकिन मैं यह कहूंगा कि 4 बार ऐसा हुआ है 1952 में ध्यान दिलाया गया, 1956 में ध्यान दिलाया, 1971 में ध्यान दियाया और उसके बाद 4 बार एक्ट को एमेंड किया गया और 4 बार एमेंई करने के बाद अब 1982 में आप इसको लेकर आए हैं। इसके लिए आप क्या उत्तर देंगे। इन लैपसेंज के लिए गुनाहगार कौन हैं। क्या आपकी ब्यौरोक्रेसी है? कोई इसका जवाब दे सकता है। सारी एकाउन्टेबिलिटी मिनिस्टर की होती है और उसकी ही रेस्पोंसीबिलिटी होती है। ब्यौरोक्रेसी रूल्स बना देती हैं। हैल्थ मिनिस्टर साहब आप भी देखिये। बहुत जगह एक्ट बना देते हैं, नियम बना देते हैं लेकिन उनको (ले डाउन) नहीं किया जाता है। (ले डाउन) न करनें के कारण बहुत-सी

परेशानियां सामने आती हैं । अभी जो पहले बोलने वाले वक्ता थे, उन्होंने कहा कि 2 ,3, 5 के अन्दर उनको अधिकार है कि रूल्स को एमेंड कर सकते हैं लेकिन अधिकार से वंचित कर दिया जाता और यह जो चार बार वंचित कर दिया , इसके यिए कौन जिम्मेदार है ?

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

उपाध्यक्ष महोदय : आपको अभी प्रारम्भ नहीं करना चाहिए ।

श्री मूलचन्द डागा : कितनी ही बार हमने इसकी सिफारिश की है । वर्ष 1952 में हमने सिफारिश की थी और इसके पश्चात् पुनः 1976 में हमने इसकी सिफारिश की है । 30 वर्षों के पश्चात वे इस संशोधन को ला रहे हैं । बहुत बार इस अधिनियम को संशोधिन किया गया है । इसके बावजूद भी इसको सम्मिलत नहीं किया गया है । इसके लिए कौन जिम्मेदार है ?

उपाध्यक्ष महोदय : श्री राजेश कुमार सिंह ।

श्री राजेश कुमार सिंह (फिरोजाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, जैसा डागा साहब अभी फरमा रहे थे कि अधिनियम बन जाते हैं, उनमें नियम वाली बात भी आ जाती है लेकिन यह नियम वाली बात अधिनियम को कभी-कभी कहीं से कहीं पहुंचा देती है । माननीय मंत्री जी ने इसके उद्देश्य और कारणों में कहा है कि अधिनस्थ विधान समिति की सिफारिश पर उन्होंने विचार किया और यह संशोधन लाए । वैसे इसमें दो राय नहीं हैं और इस संशोधन का स्वागत किया जाना चाहिए लेकिन प्रश्न इसमें एक और उठता है कि चार-चार बार संशोधन लाए और तब इस पर ध्यान नहीं दिया । 4-4 बार संशोधन लाने के बाद अब पांचवी बार यह संशोधन लाया गया और जैसा कि पहले वाले बिल पर चर्चा हो रही थी और उस पर माननीय मन्त्री जी ने कहा कि जरूरत पड़ेगी तो फिर संशोधन में आयेंगे । कहने का मतलब यह है कि संशोधन पूरक होना चाहिए । जैसा पूर्व वक्ता ने कहा कि किन हालात में खर्च किया जाये उसके बारे में सदन में चर्चा होनी चाहिए । कनटिन्जैंसी फंड से जो पैसा सरकार निकाल रही है वह किन पदों पर खर्च कर रही है उसके बारे में जानने और विचार करने का यदि माननीय सदस्यों को अधिकार नहीं होगा तो संसद की प्रधानता का क्या मतलब रहेगा । नियम ऐसे बन जायेंगे जिनसे आप बच जायेंगे ।

सारा मामला कामप्लीकेटेड बना दिया है । एक जगह इन्होंने कहा है जैसे 30 दिन वाली बात, और फिर कहा सदन के समक्ष यदि सत्र हो तो 30 दिन के अन्दर रखा जाय ।

"इस धारा के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी ।" और अ खिर में कहा है कि :

'किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधियान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।" तो आपने अपने बचने का रास्ता कहीं न कहीं बना लिया है ।

इसलिए यदि ईमानदारी से सदन को अधिकार देना चाहते हैं, और सदन को अधिकार होना भी चाहिए क्योंकि यह सर्वोपरि है. और इस एक्ट में लिखा भी हुआ है ;

"केन्द्रीय सरकार सभी विषयों को विनियमित करने के लिए नियम बना सकेगी, जो भारत की संचित निधि में धन के संदाय की अभिरक्षा और उसमें से धन के आहरण से संबंधित या उसके आनुसंगिक हों।"

"··· ऐसी निधि में मे कोई अग्रिम नहीं किया जायेगा सिवाय ऐसे आकस्मिक व्यय की पूर्ति करने के प्रयोजनों के लिए जिसका विधि द्वारा किये गए विनियोगों के अधीन संसद द्वारा प्राधिकृत किया जाना लम्बित हो।"

तो यह अन्धकार जब है पार्लियामेंट को और उसके नियम बनाये जा रहे हैं तो कम से कम माननीय सदस्यों को उन पर अपने विचार व्यक्त करने और उनको जानने का अधिकार होना चाहिए। ऐसी सारी व्यवस्था होनी चाहिए कि दोबारा प्रश्न पैदा न हो और सरकार की मंशा के बारे में भी संदेह न हो।

ह्यूस्टन (संयुक्त राज्य अमेरिका) में भारत के राष्ट्रपति की चिकित्सीय जांच के बारे में वक्तव्य

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री वी० शंकरानन्द) : सभापति महोदय, चिकित्सा विशेषज्ञों के एक पैनल ने, जिसने हाल ही में राष्ट्रपति जी की डाक्टरी जांच की थी यह सलाह दी थी कि राष्ट्रपति जी विशिष्ट जांच-पड़ताल की जाने की आवश्यकता है ताकि उनकी हृदय धमतियों की दशा का पता लगाया जा सके और यदि आवश्यक हो तो तत्पश्चात उनका जल्द इलाज किया जा सके। इस पैनल ने अमेरिका में हस्टन स्थित टैक्सास हार्ट इंस्टीट्यूट को इस प्रयोजन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त समझा। तदनुसार सरकार ने आवश्यक प्रबन्ध किये और राष्ट्रपति जी 30 सितम्बर, 1982 को हस्टन के लिए रवाना हो गये। पहली अक्तूबर 1982 को हस्टन पहुंचने के तुरन्त बाद राष्ट्रपति जी को टैक्सास हार्ट इंस्टीट्यूट में दाखिल किया गया और उनकी जांच-पड़ताल की जा रही है राष्ट्रपति जी स्वस्थ और प्रसन्नचित हैं।

2. मुझे विश्वास है कि मेरे साथ यह सदन राष्ट्रपति जी के सुन्दर स्वास्थ्य और उनकी सुरक्षित भारत वापसी की कामना करेगा।

भारत की आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक-जारी

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : उपाध्यक्ष महोदय, इसमें ज्यादा भाषण देने की बात नहीं है, सिर्फ शिकायत की बात जरूर है, और वह यह कि समय पर नियम यह लोग नहीं बनाते हैं और कभी कुछ कभी कुछ करके लाते हैं। जब 1976 में पेश किया गया था उस समय भी संशोधन हो सकता था। लेकिन इससे पता चलता है कि सरकार ने पिछली रोटी खायी हुई है। सब

बातें अक्ल की बात बाद में दिमाग में आती हैं। आपके जो अधिकारी इस तरह के कानून बनाते हैं उनकी उसी समय यह दिमाग में रखना चाहिए ताकि फिर जल्दी-जल्दी संशोधन न करने पड़ें इस तरह की बातें रखी जायें। तो पहली शिकायत तो यह थी, इस तरह सरकार को ध्यान देना चाहिये। और इसी बिल के बारे में नहीं, और बहुत सारे बिल आते हैं ... या संसद के सामने रखने के बारे में बाद को यह लाते हैं; यह बात नहीं होनी चाहिये।

दूसरी बात का सीधा इससे सम्बन्ध नहीं है। आकस्मिकता निधि से आवश्यकता पड़ने पर आपको पैसा लेने का अधिकार है लेकिन मेरी दूसरी शिकायत यह है कि हमारे मुल्क में अकाल पड़ जाता है, बाढ़ आ जाती है या दूसरी प्राकृतिक विपत्तियां जनता के सामने आती हैं, उस समय जिस मुस्तैदी से आपको सहायता करनी चाहिये, वह नहीं करते हैं। जब आपके पास यह निधि मौजूद है तो मौका पड़ने पर पहले ही मदद करनी चाहिये। अगर इस प्रकार की स्थिति आये, जैसी कि अभी आई हुई है, मैं जानता हूं कि ठीक से लोगों को मदद नहीं मिल रही है, बाढ़ पीड़ितों को मदद नहीं मिल रही है।

आज सवेरे एक सवाल के जवाब में बताया गया कि थोड़ी-थोड़ी राशि आप देते हैं, जिस से न बाढ़ पीड़ितों की सहायता होती है, न उनका पुनर्वास होता है। ठीक उसी प्रकार से सूखा-पीड़ित लोग हैं, जो कि बहुत बड़ी संख्या में हैं, उनकी तरफ भी आपका ध्यान जाना चाहिए। आज दोनों मंत्रियों ने बयान दिया, इसलिये ठीक से उनके लिये खर्चा किया जाये जिससे उनको तकलीफ न हो। इस तरफ आपका ध्यान नहीं जाता है मेरा निवेदन है, इस पर आपको ध्यान देना चाहिये ताकि लोगों को समय पर सहायता मिल जाये। इन दो बातों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री हरीश कुमार गंगवार (पीलीभीत) : उपाध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने पहले भी सुझाव दिया है जो बिल आये, उसके साथ नियम भी आ जायें, उसको इसके साथ जोड़ते हुए मैं एक बात और करना चाहता हूं कि मान लीजिये, यह तो एक ऐसा एक्ट है बहुत पुराना है, इसमें जो भी नियम बने हैं, उनको अगर हम निरस्त करने की प्रक्रिया बना लें, उसमें यह क्लाज न जोड़ें, जो जोड़ा गया है कि जो कुछ भी किया गया है अब तक, वह अदालतों द्वारा अमान्य नहीं किया जायेगा तो यह बात अलग है, लेकिन मैं इस सम्बन्ध में अपना सुझाव आपके समक्ष रखता हूं।

हमने इसमें कहा है कि इस धारा के अधीन बनाये प्रत्येक नियम, बनाये जाने के पश्चात यथाशीघ्र। यह मान लीजिये यह पुराना है, लेकिन भविष्य में क्या सरकार ऐसी कोई बात करने जा रही है या मेरा सुझाव मानना चाहती है कि यदि यह जल्दी न बनाये जायें तो क्या दंड देंगे उस अधिकारी को जिसने यह बनाकर नहीं भेजे ? जब तक यह बात नहीं होगी तब तक उनके कान पर जूं नहीं रेंगेगी। ये बहुत भयंकर लोग हैं, ये आपको गुमराह करते हैं और जब आपके जवाब देने का समय आता है तो चिट भेज देते हैं कि मंत्री-जी ऐसा बोल दो।

मेरे कहने का मतलब यह है कि जो नया बिल बने उसमें नियम हों, यह आप प्रावीजन करें कि नियम बनाये जाने के पश्चात तथाशीघ्र, इसको डिफाइन कर दीजिये कि 3 महीने या 6 महीने में बन जायेंगे।

जब हम सबोर्डिनेट लैजिस्लेशन कमेटी में थे तो एक एक्ट 1948 का था, आज तक उसके नियम नहीं बने । इस प्रकार के दंड की व्यवस्था आप कर देंगे कि होगा, होगा, तो ऐसा करने से क्या होगा । अगर ये लोग नियम नहीं बनाते हैं खास समय में तो उनकी क्या ऊठक-बैठक आप करायेंगे जब तक यह नहीं करेंगे, ये लोग समय पर नियम बनाकर आपको नहीं देंगे ।

इसलिए मैंने सुझाव दिया था कि जब आप नया बिल बनायें तो रूल्स उसके साथ प्रस्तुत होने चाहियें जिससे उन पर भी पूरी बहस हो जाये । पूरे पार्लमेन्ट (लोक सभा और राज्य सभा) में उस पर बहस हो जाये । पूरे पार्लमेंट (लोक सभा और राज्य सभा) में उप पर बहस हो जाए ।

दूसरी बात यह है कि अनफोरसीन घटनाओं पर पैसा खर्च किया जाएगा लेकिन अगर मान लीजिए फोरसीन घटनाओं पर ये खर्चा करदें तो क्या होगा ? इस पैसे की स्थिति ऐसी ही होगी कि जेब से पैसा निकालो और जिसे चाहे दे दो । अगर सिग्रेट की जरूरत है तो कंटिन्जेन्सी से, अगर किसी को खुश करना है तो वह भी कंटिन्जेन्सी से जैसे कि आम तौर पर चुनावों के समय होता है । अगर स्कूल के लिए चाहिये तो दस हजार लीजिए और खुश रहिए लेकिन वोट दे दीजिए । इसलिए मेरा निवेदन है कि यह जो कंटिन्जेन्सी है वह अनफोरसीन सर्कमस्टांसेज के लिए हैं, इसके लिए आप रूल्स बनाकर प्रस्तुत कीजिए ताकि इस पैसे का किसी प्रकार से दुरुपयोग न हो सके । यह पचास करोड़ की रकम जनता के गाढ़े पसीने की कमाई है । मन्त्री जी ने ये नोट नहीं छापे हैं । इसलिए इस पैसे के दुरुपयोग पर अंकुश लाना चाहिए । इस संसद के द्वारा इस पर कोई अंकुश होना चाहिए ।

इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया ।

श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा (कोडरमा) उपाध्यक्ष महोदय, भारत की आकस्मिकता निधि (संशोधन) अधिनियम 1950 मात्र चार सैक्सन वाला अधिनियम था, जिसमें अब मन्त्री जी पांचवां संशोधन करना चाहते हैं । इसके पहले जो संशोधन हुए हैं, वे कभी 30 करोड़ से सौ करोड़ करने के लिए कभी 50 करोड़ से 150 करोड़ करने के लिए किए गए है । इस बिल का उद्देश्य और कारण यही था कि जो ऐसी अनफोरसीन घटनायें घटें उनकी पूर्ति इस फण्ड से की जा सके । लेकिन अब इसमें जो आप पांचवां संशोधन करने जा रहे हैं उसके द्वारा आप कार्य-पालिका के अधिकारियों की शक्ति को असीमित करने जा रहे हैं । ये लोग पैसे को अपने पास रखें और जैसे चाहें भुगतान करें । कार्यपालिका के अधिकारियों को इस प्रकार की असीमित शक्ति का दिया जाना किसी भी प्रजातान्त्रिक देग के लिए उचित नहीं होगा । वे जो भी हिसाब बना देंगे, उसको मन्त्री जी को यहां पर पास कराना ही होगा । उस समय ये तर्क दे दिया जाता है कि ऐसा जनहित में किया गया और जनता के प्रतिनिधियो को उसे मानना पड़ता है । इसलिए मैं समझता हूं कि इस पर पाबन्दी लगनी चाहिए और इसका फण्ड से जो भी खर्चा होता है, उसका पूरा ब्यौरा ठीक समय पर दिया जाय । मन्त्री जी यहां पर इस प्रकार का सन्शोधन लायें जिससे कि जनहित में इस जन कोश का दुरुपयोग न हो सके ।

श्री जनार्दन पुजारी : माननीय सदस्यों द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए हैं। वास्तव में अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति द्वारा की गई सिफारिशों को सरकार के द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। यह एक आदेशात्मक उपबन्ध नहीं है। इसके लिये किसी संविधिक व्यवस्था की भी आवश्यकता नहीं है अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति द्वारा यह सिफारिश की गई थी कि मुख्य अधिनियम में संशोधन किया जाना चाहिए। अतः नियमों को सरकारी राजपत्र में प्रकाशित करने की व्यवस्था करने के लिए मुख्य अधिनियम में यह संशोधन लाया गया है।

भारत की इस आकस्मिकता निधि की कुल धनराशि 1950 में 15 करोड़ रुपये निर्धारित की गयी थी। इसके पश्चात 1970 में उसको बढ़ाकर 30 करोड़ रुपये कर दिया गया। बंगला युद्ध के दौरान इस धनराशि को बढ़ाकर 100 करोड़ रुपये कर दिया गया। वर्ष 1975 में एक संशोधन लाया गया जिसके परिणामस्वरूप इस निधि की राशि 50 करोड़ रुपये रह गयी इसमें से 2 करोड़ रुपये की राशि रेलों के लिये निर्धारित की गयी है। इसके पश्चात वर्ष 1979-80 में छठी लोक सभा के भंग होने पर इस निधि की राशि 31 मार्च 1980 तक के लिए दोबारा बढ़ाकर 150 करोड़ रुपये कर दी गयी। भारत की आकस्मिकता निधि अधिनियम, 1950 के अन्तर्गत ये नियम 1982 में बनाये गये थे। अगस्त 1982 में ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशित किये गये थे। ये नियम संसद के ग्रंथालय में भी रखे गए हैं। अधिनियम में इस विशिष्ट उपबन्ध की अनुपस्थिति में भी क्या सरकारी राजपत्र में इसके प्रकाशन को रोका गया? नहीं। नियमों को बनाया गया। वर्ष 1952 में नियमों को बनाने के तुरन्त पश्चात नियमों को सरकारी राजपत्र में प्रकाशित किया गया तथा नियमों को संसद ग्रंथालय में भी रखा गया है। मैं इस बात को मानता हूं कि सभी अधिनियमों का तथा उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों का भी व्यापक प्रचार किया जाना चाहिए। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि नियमों को तुरन्त बनाने के पश्चात उनको वर्ष 1952 में प्रकाशित किया गया था, इसलिए मेरे विचार से देश के लोगों को एक अवसर प्रदान करने से वंचित नहीं किया गया।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं। भारत की आकस्मिकता निधि में से अग्रिम रूप से धनराशि निकालने के पश्चात अनुपूरक मांग को संसद में प्रस्तुत करना होता है और उन पर पूर्ण रूप से चर्चा करनी है। आकस्मिकता निधि अधिनियम के अन्तर्गत बनाये गये नियमों के पक्ष में तथा विपक्ष में चर्चा करने की संसद को पूरा अवसर प्रदान किया जा रहा है। इन परिस्थितियों में, मैं केवल एक ही बात आपके समक्ष रखना चाहता हूं। जहां तक नियमों तथा उनको प्रकाशित करने का सम्बन्ध है, इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि न तो संसद और न ही संसद के बाहर के लोगों के साथ ही कोई अन्याय किया गया है। मैं एक तथ्य को आपके समक्ष रख सकता हूं। वाद विवाद का क्षेत्र बहुत ही सीमित है और वह यह है कि क्या हमको अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति की सिफारिशों को क्रियान्वित करना चाहिए अथवा नहीं। फिर भी समय पूरा हो रहा है अधिनियम को संशोधित किया जा रहा है। इस संशोधन के तहत संसद को अधिनियम अन्तारित बनाये गये नियमों के पुनरीक्षण करने की शक्ति प्रदान की गयी है। यदि ये इस देश के लोगों के लिये उपयोगी नहीं है तो इन नियमों को रद्द भी किया जा सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत की आकस्मिकता निधि अधिनियम, 1950 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम विधेयक पर खण्ड-वार चर्चा करते हैं।

प्रश्न यह है :-

"कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 1 अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये :

श्री जनार्दन पुजारी :- महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पास किया जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पास किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नौसेना (संशाधन) विधेयक

रक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि नौ सेना अधिनियम, 1957 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पास किए गए रूप में, विचार किया जाए।"

नौ सेना अधिनियम, 1957 को 1 जनवरी 1958 को लागू हुआ था। उसके कार्यकरण के अनुभव के अनुसार 1974 में उसमें संशोधन किया गया था। उसके बाद भी अधिनियम, के कार्यकरण में कुछ और कठिनाइयां महसूस की गई हैं अत: अधिनियस में कुछ और संशोधन करना आवश्यक हो गया है। जिन अधिक महत्वपूर्ण संशोधनों का प्रस्ताव किया गया है वे निम्न प्रकार हैं और उनकी संख्या 4 है।

(I) जब 1968 में नौसेना में एक नया काडर आरम्भ किया गया तो मास्टर चीफ पैटी आफसरों पर कुछ और छोटे मोटे दंड लागू किये गए। पिछले 13 वर्षों के अनुभव से पता चलता कि कई बार-मास्टर चीफ पैटी आफिसरों द्वारा किये गये गंत अपराध इतने गंभीर प्रकृति के नहीं होते कि उनका कोर्ट मार्शल द्वारा विचारण किया जाए और साथ ही विनियमों के अन्तर्गत निर्धा-

रित दन्ड और संक्षिप्त विचारण व्यवस्था लागू करके उन्हें पर्याप्त दन्ड नहीं दिया जा सकता। अत. यह प्रस्ताव किया गया है कि मास्टर चीफ पैटी आफिसरों पर बारह मास से अनाधिक अवधि के लिए उनकी वरिष्ठता समाप्त करने और बारह मास से अनाधिक अवधि के लिए उनकी प्रोन्नति के समय के समपहरण के दन्ड भी लागू किये जाएं। धारा 81 (1) (च) (छ) तथा धारा 82 में भी उसी के तदनुसार संशोधन किया जा रहा है।

अधिनियम की धारा 94 में केन्द्र सरकार तथा नौ सेना के चीफ आफ स्टाफ और अन्य अधिकारियों को यह अधिकार दिया गया है कि वे अधीनस्थ अधिकारियों के मामले में लंबे कोर्ट मार्शल की कार्यवाही किए बिना उन पर समय अथवा वरिष्ठता का समपहरण लागू करें। 'अधीनस्थ अधिकारी' वह होता जिसे कार्यकारी सब-लेफ्टिनैंट, मिडशिपमैन अथवा कैडट के रूप में नियुक्त किया जाता है। सेना अधिनियम,1950 की धारा 84 और वायु सेना अधिनियम, 1950 की धारा 86 में क्रमशः लेफ्टिनैंट कर्नल (नौ सेना में कमांडर के समतुल्य) और स्क्वेड्रन लीकर (नौसेना में लेफ्टिनैंट कमांडर के समतुल्य) के रैंक के नीचे के आफिसरों के संक्षिप्त विचारण का उपबंध है।

नौसेना के विस्तार के साथ ही और पूर्ण कमानों के संस्थापन तथा उस कमान धारण करने वाले आफिसरों के ग्रेड उन्नयन को ध्यान में रखते हुए यह प्रस्ताव किया गया है कि नौसेना अधिनियम के उपबंधों को सेना अधिनियम और वायु सेना अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अनुरूप बना दिया जाए ताकि कमांडर के रैंक के नीचे के आफिसरों के मामले में समय अथवा वरिष्ठता की समपहरण किया जा सके।

तीसरे नौसेना में, सेना तथा वायु सेना के विपरीत, नौसेना अधिनियम 1957 की धारा 184 के अन्तर्गत वैधानिक रूप से विनियम बनाए गए हैं। नेवी कार्मिकों को कार्यकारी आदेशों के अनुसार लाभ प्रदन किए जाते हैं इस समय नौसेना अधिनियम में इस के अन्तर्गत बनाए गए विनियमों को भूतलक्षी प्रभाव देने काकोई उपबंध नहीं है। अतः एक नई धारा 184 क का अन्त.स्थापन किए जाने का प्रस्ताव है ताकि भूतलक्षी प्रभाव से फायदाप्रद विनियम बनाए जा सकें। ये उपबंध अधीनस्थ विधान की बाबत संसदीय समितियों की सिफारिशों के अनुसार तथा अखिल भारतीय सेना अधिनियम 1951 जैसी अन्य अधिनियमिताओं ने मौजूद समान उपबंधों के अनुरुप है।

चौथे, अधिनियम में कई जगहों पर संदर्भ के अनुसार खंड 3 (ग) और खंड 4 (क) और (घ) में प्रयुक्त 'रेट, रेटिंग' और रैंक में अवनत करना' शब्दों को नई उपयुक्त परिभाषिक शब्दावली जैसे 'रैंक' और रैंक में अवनीत करना में बदला जा रहा है।

विधेयक में मुख्यतः उपयुक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास किया गया है। "या ऐसे अन्य दंड से, जो इसमें इसके पश्चात् उल्लिखित है" शब्दों, जो कि समूचे अधिनियम में प्रायः प्रयुक्त हुए हैं, को जोड़कर 1974 में पहले हुए संशोधन के समय धारा 55 क के खंड (क) में असावधानी से हुई गलती को ठीक करने की अवसर का लाभ उठाया जा रहा है ताकि अधिनियम की धारा 81 में उल्लिखित उपयुक्त रूप से कोई कम सजा देना संभव हो सके।

उपबधों के साथ ही नौसेना अधिनियम 1957 की धारा 135, 141, 142 और 158 में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1898 के संदर्भों को 1973 की दण्ड प्रक्रिया संहिता के तदनुरूप उपबंधों के संदर्भों द्वारा प्रतिस्थापित किया जा रहा है।

महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक पारित किया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

'कि नौसेना अधिनियम 1957 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर राज्य सभा द्वार पास किये गये रूप में, विचार किया जाए।"

श्री हन्नान मोल्लाह (उलुबेरिया) : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय द्वारा विधेयक में प्रस्तुत किए गए चारों संशोधन तकनीकी प्रकार के हैं।

संशोधनकारी विधेयक पर टिप्पणी करने से पूर्व, मैं वर्तमान विश्व-राजनीतिक स्थिति और हमारे देश के समुद्रवर्ती पर्यावरण सम्बन्धी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भारतीय नौसेना के सम्बन्ध में कुछ बातें कहना चाहता हूं।

महोदय, हमारी नौसेना को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभानी है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश की तट सीमा लगभग 6000 किलोमीटर है जिसमें 10 बड़े 20 मध्यम दर्जे के और 300 छोटे पत्तन हैं जिसमें तट से दूर युद्ध नीति की दृष्टि से महत्वपूर्ण अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप आदि द्वीप भी हैं। दूसरे, विश्व में हमारा सबसे बड़ा निरपेक्ष आर्थिक क्षेत्र है जो कि 320 किलोमीटर अर्थात 20.2 लाख वर्ग मील तक है और जिसकी हमें विश्व-राजनीति और वाणिज्यिक हितों से सुरक्षा करनी है तथा अपने पत्तनों के साथ-साथ 1200 द्वीपों और समुद्री क्षेत्रों और प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा करने का आश्वासन देता है।

बढ़ती हुई चुनौतियों की पृष्ठ भूमि में हमें अपनी नौसेना में शीघ्र सुधार करने की आवश्यकता है। लेकिन दुर्भाग्य से हमारी नौसेना के प्रति रक्षा मंत्रालय सौतेला व्यवहार कर रहा है इस वर्ष नौसेना को कुल रक्षा बजट का करीब 7 प्रतिशत आंवटन किया गया है अतः मैं मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि वह इस पहलू पर अपना ध्यान दें।

दूसरे हाल के फाकलैंड युद्ध ने सिद्ध कर दिया है कि युद्ध जीतने के लिए नौसेना को आधुनिक बनाना अत्यन्त महत्वपूर्ण है। लेकिन, हमारी स्थिति क्या है? अन्य देशों की तुलना में हमारी नौसेना की क्या शक्ति है? मन्त्री महोदय ने नौसेना की सुरक्षा के सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं दी है। यह आश्चर्य की बात है कि सुरक्षा के तर्क पर इस अन्य सदन में सुरक्षा सम्बन्ध सूचना देने से इन्कार किया है। मुझे सन्देह है कि उनकी सूचना से हमारे शत्रु को हमारी स्थिति का पता चल जायेगा लेकिन क्या हम संसद सदस्यों और हमारी जनता को वास्तविक स्थिति जानने का कोई अधिकार नहीं है। रणनीति सम्बन्धी अध्ययन के अन्तर्राष्ट्रीय संस्थान के अनुसार पिछले वर्ष हमारी नौसेना शक्ति 47000 थी (नौ सेनिक वायु सेना सहित) जिसमें 8 पनडुब्बियां, एक एयरक्राफट कैरियर एक कूजर, 29 फ्रिगेटस और कुछ गश्तीपोत शामिल हैं।

प्रेस में प्रकाशत समाचारों के अनुसार हम पश्चिम जर्मनी से दो पनडुब्बियां खरीद रहे हैं और दो और पनडुब्बियों बनाने की सुविधाऐं भी प्राप्त कर रहे हैं ।

यह भी समाचार है कि जहां नौसेना और अधिक एयर क्राफ्ट कैरियार लेना चाहती है नहीं वायु सेना नहीं चाहती कि नौसेना का अपना विमान सेवा विभाग हो । देश के हित के लिए इस भेदभाव को उचित रूप से समाप्त करना होगा ।

क्या सरकार यह महसूस करती है कि अमरीकी साम्राज्य द्वारा हिन्द महासागर में किए जा रहे षड़यंत्रों को देखते हुए वह हमारी तट सीमा और समुद्री हितों की रक्षा कर पायेंगी ? आपको इस तथ्य की जानकारी है कि अमरीकी साम्राज्य डिहगो गार्शिया में अपने परमाणु अड्डे बना रहा है । क्या हमें बंगलादेश युद्ध के दौरान उनकी भूमिका को भुला देना चाहिए ? क्या हमें हिंद महासागर में उनको सातवे बेड़े की उपस्थिति की उपेक्षा करनी चाहिए ?

इस समय हम तटवर्ती समुद्र तल में अपने महासागरीय संसाधनों की खोज करने के काम में लगे हुए हैं । बम्बई हाई पर काम जारी है । बम्बई हाई में हमारी महाद्वीपिय क्षेत्र में और अधिक संसाधनों के पता चलने की संभावना है । समुद्र में पहली संसाधनों में वृद्धि हुई है । समुद्री संसाधनों के दोहन की अच्छी सम्भावनाएं हैं ।

लेकिन मैं जानता हूं कि साम्राज्यवादी शक्तियों के बढ़ते हुए वर्तमान षडयंत्रों को देखते हुए, क्या हमारी नौसेना समुद्र तट की रक्षा करने की स्थिति में है ?

अपनी बात समाप्त करने से पहले मैं इन संशोधन पर कुछ टिप्पणियां करना चाहता हूं । इन संशोधन के द्वारा सरकार नौसेना में अनुशासन लाना चाहती है । मैं इससे सहमत हूं कि अनुशासन होना चाहिए । लेकिन आप केवल अधिनियम बनाकर अनुशासन लाने की आशा नहीं कर सकते ।

ये संशोधन पैंटी आफिसरों के संक्षिप्त विचारण के लिए किए गए हैं । सर्वप्रथम मैं यह पूछना चाहता हूं कि कि संक्षिप्त विचारण केवल रेंक में छोटे अधिकारियों के लिए ही रखा जाना चाहिए । उच्चाधिकारियों के लिए संक्षिप्त विचारण क्यों नहीं रखा गया ? मुझे आशा है कि मन्त्री महोदय यह वतायेंगे कि क्या यह पक्षपातपूर्ण है या नहीं ।

मुझे संक्षिप्त विचारय के विचार पर सन्देह है । कोई मार्शल स्वयं संक्षिप्त विचारण है । अब सरकार और सन्क्षिप्त विचारण करना चाहती है । यह मानी हुई बात है कि इन संक्षिप्त विचारणों से व्यक्तिगत कारक, जैसे उच्चाधिकारियों का प्रतिशोधपूर्ण रुख प्रतिविम्बित होता है । मैं चाहता हूं कि मन्त्री महोदय संक्षिप्त विचारण के बारे में अपने विचार का स्पष्ट रूप से उल्लेख करे कि इसकी प्रक्रिया क्या होगी, दोषी व्यक्तियों के लिए अपने बचाव की क्या गुंजाइश है । आत्म-रक्षा के अधिकार की; जो कि प्राकृतिक न्याय के मूल सिद्धान्तों में से एक है गारन्टी मिलनी चाहिये ।

यदि मन्त्री महोदय अपने उत्तर में इस सभी मुद्दों को समुचित रूप में स्पष्ट कर देते हैं

और हम इस बात से सन्तुष्ट हो जाते हैं कि निम्न स्तर के कार्मिकों पर गलत और प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा तो इन संशोधनों का अधिक विरोध नहीं किया जायेगा।

श्री आर० एस० स्पैरो (जालन्धर) : उपाध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम मैं रक्षा मन्त्रालय में उपमन्त्री महोदय को इस विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए धन्यवाद देता हूं जिसमें उन्होंने समय सम्बन्धी छोटी सी त्रुटि को पूरा करने की व्यवस्था की गई है। विधेयक स्वयंमेव उतना ही सरल है कि जितना अप्रत्याक्षित रूप में अपरिहार्य क्योंकि आज समस्त सेनाओं की परिस्थितियां तेजी से बदली हैं और उनमें आगे और भी तीव्रता से परिवर्तन होने वाले हैं। आधुनिक युग में युद्ध के तौर-तरीकों को लेकर परिस्थितियाँ बदली हैं जिसमें विभिन्न प्रकार के आधुनिक शास्त्रास्त्र प्रयोग में लाये जाते हैं तथा हमारे देश को सुरक्षा और चुनौतियों से सम्बद्ध आधुनिक शस्त्रास्त्रों की सामरिक दृष्टि कोटा में भी क्रान्तिकारी परिवर्तन आये हैं और जब इसमें सर्वसाधारण के लिए ऊपर से नीचे तक के स्तर में अनुशासन एवं सम्बद्ध मामलों का प्रश्न उठता है तो हमें उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलना होगा। इन बदली हुई परिस्थितियों के साथ आपको यह निश्चित करना होगा कि आपका आदेश और आपका नियन्त्रण प्रभावी रूप में कार्यान्वित होता रहे। इस विशिष्ट विधेयक पर यही सार है जिसमें कि विभिन्न स्तरों पर उत्तर दायित्व और अनुशासन की बात है और जहां कहीं भी यह पाया गया कि इन दो अपरिहार्य कारकों को सुधारने की आवश्यकता है तो वह सब पर्याप्त रूप से किया गया है।

जैसा कि पहले के वक्ता ने बिल्कुल ठीक कहा है कि हमारा उत्तर-दायित्व बढ़ गया है। भारतीय समुद्री सीमाएं अब बहुत फैल' गयी हैं और आज की सैन्य परिस्थितियों में उनका प्रासांनिक महत्व हो गया है। रणकौशल और सामरिक क्षेत्र में अब न केवल भार की पश्चिमोत्तर सीमा की बल्कि उत्तरी सीमा का भी कुछ समय से महत्व बढ़ गया है। परन्तु 5500 किलोमीटर अथवा उससे थोड़ी अधिक लम्बी सीमा रेख के होते हुए जो कि एक काफी लम्बी सीमा है, आपकी जल सीयायें और अन्य जलसीमायें जहां कि आपको अपने द्वीपसमूहों और समुद्र मध्य अन्य भू-स्थलों पर नियन्त्रण रखना पड़ता है आपकी जिम्मेदारी बढ़ गयी है और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब नौसैनिकों का सम्बन्ध भू-क्षेत्रों की सभी प्रकार की सुविधाओं से कट जाता है। तो उस समय उन्हें सक्रिय रखने के लिए नौसेना अनुशासन ही एक सार है। उन्हें तो स्वयं को समुद्र के साथ ही सीमित रखना पड़ता है,चा हे उस समय उनके पास विशिष्ट जलयान, पनडुब्बी या विमान वाहक जहाज ही क्यों न हो। इस कारण से जैसा कि ऐतिहासिक दृष्टि से समझा और जाना जाता है, नौसेना के अनुशासन और उत्तरदायित्व को किसी भी समय एक निश्चित रूप में अन्य सशस्त्र सेनाओं को नेतृत्व प्रदान करना पड़ता है।

अतः अब आदेश और नियन्त्रण के विभिन्न स्तरों पर उत्तरदायित्व को और अधिक सावधानीपूर्वक निभाना पड़ता है क्या ऐसा कोई व्यक्ति किसी विशिष्ट प्रकार के आधुनिक बटन को दबाने की जिम्मेवारी ले सकता है ? जिसके कि कोई भी परिणाम हो सकते हैं। इसलिए बड़ी समझदारी से और बहुत ही सही रूप में इस संशोधन को प्रस्तुत किया गया है।

मुझे इस मामले के तकनीकी और सामरिक पहलुओं में जाने की आवश्यकता नहीं है।

क्योंकि विधेयक केवल खण्डों तक ही सीमित है जिनको समझना बड़ा सरल है और 3 या 4 खण्डों के पीछे जो विचार धारा है वह प्रासंगिक है।

जहां तक नौसेना की शक्ति और कुशलता का सम्बन्ध है, मैं उस पर दो या तीन शब्द ही बोलूंगा, क्योंकि मेरे पूर्व वक्ता इस बारे में बोल चुके हैं। मैं हाल ही में, हमें दिखाए गये युद्धाभ्यासों और अभ्यासों को जो कि यहां उपस्थित कुछ अन्य सदस्यों ने भी देखे हैं; देखने के बाद कह सकता हूं कि उनमें जो कुछ भी प्रदर्शित किया गया था उससे स्पष्ट तथा पता चलता था कि हमारा नौसेना प्रशिक्षण अन्य किसी भी नौसेना की तुलना में बहुत ही ऊंचे दर्जे का है। मैंने अन्य नौसेनाएं भी देखी हैं और जो उपकरण आपके पास हैं, भारतीय नौसेना के कार्य उसके ज्ञान उसका अनुशासन उनकी साज-सज्जा शस्त्रों के बारे में उसका कौशल वह सब उच्चकोटि का है और कार्यकुशलपूर्ण है। हम हमारे देशवासी वास्तव में ही उन पर गर्व कर सकते हैं। जहां तक इसके उपकरण की स्थिति की बात है, मैं जानता हूं कि जलयानों की गिनती में वह अच्छी नही है। हर कोई और हम सभी यह जानते हैं। इसके बारे में कोई सन्देह नहीं रहना चाहिए कि हमें उपलब्ध सर्वोत्तम प्रकार के मांडलों, आयुधों और जलयानों को लेकर यथाशीघ्र गति से अपनी नौसेना के निर्माण पर ध्यान करना चाहिए। इसके साथ-साथ हमें कुछ प्राथमिकताएं भी निश्चित करनी होंगी कि हमें किस विशिष्ट प्रकार के हथियार चाहिए, किस विशिष्ट ढंग का जलयान चाहिए? क्या आपको अत्याधुनिक किस्म की पनडुब्बियां चाहिये? क्या आपको नौविज्ञान वाहक चाहिए? क्या आपको विध्वंसक जहाज चाहिए? यह निर्णय लेना विशेषज्ञों का काम है कि जहाजों के मामले में आपको किसे प्राथमिकता देनी चाहिये। मैं तो कहूंगा कि अब तक जिस संतुलन का आकलन किया गया है, रक्षा मन्त्रालय में इतने सही ढंग से उस पर विचार किया गया है और जैसा कि नौसेना हाई कमान ने वर्तमान सरकार के साथ समझौता किया है और ऊपर से लेकर नीचे तक जिस साहस और उत्साह के साथ यह सब कार्य हो रहा है, मैं उससे पूर्णतया सन्तुष्ट हूं और एक बार फिर उसी वजह से मैं पर्याप्त संतोष और गर्व अनुभव करता हूं।

मेरे दूसरी ओर बैठे मित्रों ने जो भी सिफारिशें की हैं, उन पर पूर्णरूपेण विचार किया जाना चाहिये। मैं अपने रक्षा मन्त्री और रक्षा उप मन्त्री महोदय से यहां तक सिफारिश करूंगा कि हमारी सशस्त्र सैनाओं और विशिष्टतया नौसेना के सभी तरह से सुदृढ़ करने के लिए जिस किसी भी कमी को पूरा करने के लिए जो भी आवश्यकता हो उस पर विचार किया जाना चाहिये।

मैं इन शब्दों के साथ, इस विशिष्ट संशोधन को प्रस्तुत करने के लिए रक्षा मन्त्रालय को बधाई देता हूं और इसका पूर्णतया समर्थन करता हूं।

श्री राजेश कुमार सिंह (फिरोजाबाद): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो नेवी एमेंडमेंट बिल, 1982 माननीय डिप्टी डिफेन्स मिनिस्टर ने पेश किया है, उसमें जहां तक अनुशासन की बात है, अनुशासन तो सैनिकों में होना ही चाहिए और इसमें कोई दो राय नहीं हैं लेकिन प्रश्न यह है कि कुछ विशेष श्रेणी के लोगों में ही अनुशासन हो या सभी लोगों में अनुशासन

हो, मान्यवर, मैं इस मुद्दे से शुरु कर रहा हूं जो स्टेटमेंट आफ आवजेक्ट एण्ड रीजन्स में इन्होंने कहा है।

"लेफ्टिनेंट कर्नल और उसके स्क्वाइड्रन लीडर से नीचे के अधिकारियों के संक्षिप्त विचारण के लिए एक निश्चित उपबंध किया जाए।"

इसका मतलब यह है कि एक पर्टीकुलर क्लास के लोगों के लिए यह है। एक जमाना था कि अंग्रेजों के यहां दो तरह के अफसर हुआ करते थे, एक किंग कमीशन वाले और दूसरे वायसराय कमीशन वाले। किंग कमीशन वाले अफसरों के लिए एक विशेष चीज थी और वायसराय कमीशन वाले के लिए दूसरी थोड़ा सा पद्धति में परिवर्तन आया, उसमें थोड़ी सी तब्दीली हुई और तब्दीली यह आ गई कि अब एन० सी० ओज और जे० सी० ओज हो गये और कमीशन्ड आफिसर्स हो गये। मेरे कहने का मतलब यह है कि अनुशासन सैनिकों में होना ही चाहिए। वह सिपाही हो या बड़े से बड़ा अधिकारी ही क्यों न हो, इसके लिए कोई भी कानून या नियम बनते हैं तो बनने चाहिए। प्रश्न यह है कि अगर इन्हीं के लिए समरी ट्रायल की गई है, तो जैसा कि एक माननीय सदस्य ने पहले कहा है कि आपके यहां मार्शल ला है। उसमें बहुत जल्दी ट्रायल होता है लेकिन आप समरी ट्रायल करना चाहते हैं उन लोगों का जो (बिलो दि रैंक आफ लेफ्टीनेंट कर्नल) है। तो मैं यह जानना चाहता हूं

इसको किस प्रकार कार्यान्वित किया जायेगा। यह किस तरह से होगा, किस तरह से इस को लागू आप करेंगे और समरी ट्रायल की प्रक्रिया क्या होगी, यह आपने साफ नहीं किया है। यह साफ होना चाहिए कि इसकी प्रक्रिया क्या होगी और क्या एक्यूज्ड को एडीकेट अपोर्चूनिटी होगी अपने को डिफेन्ड करने के लिए। यह भी एक प्रश्न है कि अगर आपने उसको अवसर नहीं दिया, तो कुछ मनमानी होगी।

मैं आर्मी के बारे ज्यादा नहीं जानता और हमारे माननीय डिप्टी मिनिस्टर साहब और माननीय सदस्य जो अभी बोल रहे थे और जो एक सैनिक अधिकारी रह चुके हैं, वे इस बारे में अच्छी तरह से जानते हैं लेकिन हमने यह देखा है कि आम सिविल सर्वेन्ट ने एक वर्ग क्या बना रखा है खास अपने काम के लिए कहीं अनुशासन के नाम पर इस तरह की प्रवत्ति यहां भी न आ जाए और कहीं एक विचित्र प्रवृति न पैदा हो जाए, इस बात का डर है।

मान्यवर, जहां तक अनुशासन पैदा करने का प्रश्न है, इसमें बहुत से प्रश्न आ जाते हैं। अगर सैनिकों के मन में यह विश्वास पैदा हो जाता है कि मेरे रिटायरमेंट के बाद मुझे अच्छी पेंशन मिलेगी, मेरे बच्चों को एजूकेशन मिलेगी, तो इससे अनुशासन में मदद मिलेगी। आज हम क्या देखते हैं कि जहां रिक्रूटमेंट होते हैं और उत्तर प्रदेश में कई रिक्रूटमेंट सैन्टरों में जो भ्रष्टाचार आया है, वह सामने आया है और अखबारों में भी वह आया है। वहां पर खुलकर, ओपन भ्रष्टाचार फैला हुआ है। तो ये सारी खामियां हैं। जब एक सिपाही भर्ती होकर आता है या अधिकारी बन कर आता है, तो ये प्रश्न उसके सामने आते हैं जो अनुशासन को तोड़ने में सहायक सिद्ध होते हैं। मैं इस बिल के खिलाफ नहीं हूं और जो अनुशासन वाली बात है, मैं उस

का समर्थग करता हूं लेकिन कुछ मुद्दे जरूर ऐसे हैं जिन पर जरूर गौर करना चाहिए ।

जहां तक एजूकेशन सिस्टम की बात है या वेलफेयर की बात है, इनको भी मद्दे नजर रखना चाहिए और सबसे बड़ी बात यह है कि अनुशासन तब डैवलप होगा जब अफसरों में और उनके सबोर्डीनेट्स में यह विश्वास पैदा हो जायेगा कि वे एक ही मंजिल के राही हैं और उनका लक्ष्य और उद्देश्य एक ही है। जब यह बात होगी तब दोनों में एक अन्डरस्टेन्डिंग पैदा हो सकती है। इस सन्दर्भ में जो कुछ भी बिल में है, वह तो है ही लेकिन मैं एक बात और कहना चाहूंगा क्योंकि यह एक अवसर है जब कि माननीय रक्षा मंत्री जी डिप्टी डिफेन्स मिनिस्टर दोनों मौजूद हैं

अभी कुछ महीने पहले तीन बड़े युद्ध हुए दुनिया में और उनसे हमें सबक लेना चाहिए। एक तो ईरान वाली लड़ाई हुई, दूसरी ईजरायल और लेबनान में लड़ाई हुई और तीसरा फाक्लैंड का युद्ध हुआ अर्जेन्टायना और इंगलैंड के बीच। इनसे हमें सबक लेना चाहिए। अब इन्डिया की क्या स्थिति है। हिन्द महासागर में अड्डे डेवलप हो रहे हैं। डियागो गार्सिया वाली बात है और सिंगापुर वाली भी बात है। इसके अलावा अन्डमान निकोबार के पास के इलाकों की बात है और लक्षद्वीप के पास भी कुछ इलाके हैं, जिनकी ओर हमें विशेष ध्यान देना चाहिए । वहां पर जो केवल कोर्स है, उसकी तरफ खास ध्यान देने की आवश्यकता है। (कोस्ट) लाईन वाले इलाकों की रक्षा की जो बात है, उस पर भी हमले हो सकते हैं और पड़ोसी देशों से भी हमले होने की सम्भावना हो सकती है। सोफीस्टीकेटेड वेपन्स देने की बात इसी में कही गई है। अमरीका पाकिस्तान को आधुनिक हथियार देता है। इस संदर्भ में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि अर्जेन्टाइना की वार से हमको सबक लेना चाहिए। इंगलैंड की नेवल फोर्स ने दुनिया के सामने एक मिसाल कायम कर दी है और वहां पर सोफिस्टीकेटेड वेपन्स का इस्तेमाल हुआ है, आधुनिक तरह के शस्त्रास्त्रों का इस्तेमाल हुआ है। टाइगर-फेस आदि ऐसे वेपन्स हैं, जिनकी गति बहुत ज्यादा है और इन वेपन्स की तुलना में हम बहुत पीछे हैं । आप इन सारी लड़ाइयों को देखेंगे, तो यह पाएंगे कि हम मामले में बहुत पीछे हैं। इसलिए मेरा कहना है यह है कि नेवल फोर्स को मजबूत बनाने के लिए मोडर्न वेपनरी को लाने के लिए प्रयास होने चाहिए। यदि ऐसा न हुआ तो हमने देखा कि उन्होंने सारे नेवल फोर्सेज को डस्ट्राय कर दिया। फ्रैंच एकजालित मिसाइल की इतनी तेज़ गति थी कि राडार पर सूचना मिलने के बाद भी उसने इंगलैंड के शैफिल डेस्ट्रायर को डेस्ट्राय कर दिया। तो जब इतना ओडनाइजेशन हो गया है उससे हमें सबक लेना चाहिए क्योंकि हमारा बहुत बडा समुद्री इलाका है, तीन तरफ से समुद्र है, इसीलिए मैंने यह बातें कही। हमें आत्म निर्भर बनने के लिये भी कुछ प्रयास करना चाहिए तभी डिसिप्लिन होगा। अगर हमारे नाविकों में यकीन नहीं हुआ कि हमारे पास भी कुछ शक्ति है तो उनमें हिम्मत और अनुशासन पैदा नहीं होगा।

इन शब्दों के साथ में इस बिल का समर्थन करता हूं।

श्री गिरधारी लाल डोगरा (जम्मू) : जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आपका मशकूर हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं इस बिल की ताईद करता हूं, और कहना चाहता हूं कि इस बिल को इतनी देर से लाया गया जो कि पहले आना चाहिए था। नेवी के अफसरान अपना डिसिप्लिन कायम रखते रहे हैं जिससे मालूम होता है कि हमारे नौजवान कितने कमिटेड हैं अपने

जीन और डिसिप्लिन के लिए । यह जरूरी है कि कानून मुनासिब हो और उसको लाया जाए और इसके लिए मैं दोनों मिनिस्टरान को जो यहां मौजूद हैं मुबारकवाद देता हूं ।

इस मौके का फायदा उठाते हुए में दो बातें कहना चहता हूं । हमारे मुल्क की हिफाजत के लिए नेवी की बहुत जरूरत है क्योंकि 1947 से पहले एक मुल्क था और इसके बाद इसके तीन हिस्से हो गये । अगर पाकिस्तान को देखेंगे तो उनका कोस्ट कम हैं लेकिन उन्होंने अपनी नेवी को मोडर्नाइज कर लिया है, और करते जा रहे हें । आप बांगला देश की तरफ देखिये, जब पाकिस्तान ने हम पर हमला किया और हमारी उसके आखिरी लड़ाई के साथ हुई और हमारी फोजें बांगला देश में लोगों की आजादी की हिफाजत के लिये गयी तो हमको सातवें बेड़े ने किस तरह से डराने की कोशिश की थी । आज वही लोग इण्डियन ओशन हैं अड्डे बनाए हुए हैं जो कि हमारे लिये खतरे का बायस बन गया है । बांगला देश की नेगी की कोस्ट लाइन छोटी है लेकिन उनकी नेवी ज्यादा इफेक्टिव और माड्रन है । हम किसी के साथ लडना नहीं चाहते । मगर अपनी हिफाजत करना चाहते हैं । हमारी कोस्टलाइन काफी बड़ी है, उसके लिये जनरल स्पेरो ने पौडर्न वैपनरी और टेक्टिक्स की तरफ ध्यान दिलाया जो कि हमारे लिए जरूरी है । मगर मैं दो बातें और कहना चाहता हूं । एक तो यह है कि हमारा शिप बिल्डिंग की तरफ ध्यान जाना चाहिए, चाहे वह नेवल शिपयार्ड्स हो या मर्केन्टाइल शिपयार्ड्स हों । अभी तक सिर्फ असेम्बलिंग कर रहे है और पार्ट्स दूसरे देशों से लेते हैं, जो कि किसी वक्त भी बन्द हो सकते हैं । इसलिए हमको सेल्फ रिलायेंट बनना है । हर शिपयार्ड में, जितनी चीजों की जरूरत है, हमारी जो अपनी इंडस्ट्रीज हैं, जिन्हें हम डेवलप कर रहे हैं, हम अपनी एन्सीलरी इन्डस्ट्री क्यों नहीं बना सकते ? हर चीज जो शिप में लगती है, चाहे नैवी शिप में लगती हो या मर्चेन्डाइज शिप में लगती हो क्यों नहीं हम किसी न किसी स्टेट में उसकी इंडस्ट्री लगा सकते हैं ? उसके लिये हम क्वालिटी और क्वान्टिटि एन्श्योर करें, उसकी तरफ तवज्जह क्यों नहीं देते ? यहां हमारी प्लानिंग डिफैक्टिव है । एक दूसरे का तालमेल नहीं है । सैल्फ रिलायेन्स डिफैन्स में नहीं है । हमको आज अपनी नैवी लैड, और एयर फोर्स की तरफ तबज्जह देनी होगी ।

हमारा दुश्मन बाहर से प्लानिंग कर रहा है मेरे ख्याल से इंटरनेशनली प्लान हमारे खिलाफ बनी हुई है; वह हमारे जख्मों को कुरेदा जा रहा है, हमारी कमजोरियों को उभारा जा रहा है और हमारे अन्दर जो उल्टा चलने वाले लोग हैं, काश्मीर से लेकर साउथ तक चले जाइये, उनको ऊपर उभारा जा रहा है, चाहे ईस्ट में चले जाइये या बैस्ट में चले जाइये, आज ताकतें हमारे खिलाफ उठ रही हैं, डिफरैंट किस्म की जो बातें हो रही हैं, वह ऐसे ही नहीं हो रही हैं, उनके पीछे बहुत बड़ा हाथ है ।

हम अपनी डिफैन्स को बनाना चाहते हैं, इन्टरनली बातों को तो मजबूत करना ही है और डिफैन्स की तरफ भी तवज्जह देने की जरुरत है । जो हमारी नैवल शिप-बिल्डिंग की जरुरियात हैं, उनके बारे में हमको सैल्फ रिलायेन्ट होने की जरूरत है । हमें अपनी एन्सीलरीज को डैवलप करना चाहिये, चाहे कहीं भी करें एक ही जगह करें । या बहुत जगहों पर वार चाहे कहीं करें मगर उन अफसरों की देखरेख में उसकी क्वालिटी और क्वान्टिटी ठीकरहे । इस तरफ हमें तवज्जह देनी चाहिये ।

हमारी जितनी भी पोर्टस या बन्दरगाहें हैं कुछ भी कहिये, उनके बगैर आपकी नैवी इन-इफैक्टिव है। जब तक आप उनकी क्वालिटी इम्प्रूव नहीं करेंगे, आपके यहां तो डैजिंग भी पूरी नहीं है। सिवाय मद्रास पोर्ट ट्रस्ट के कहीं भी पूरी ड्रैजिंग नहीं है। आप कोचीन में चले जाइये आपके पास 4 ड्रैजा हैं, 3 तो 1948 से पहले के हैं और उनको कोई अंग्रेज लाया था, और एक सोमिसर्डयन है उनकी आउट-पुट कुछ नहीं है। अगर आप पोर्टस से ड्रैजिंग नहीं करेंगे तो आप अपनी पोर्ट को डैवलप नहीं कर पाते आप डिफेंड कैसे करेंगे।

कुछ ऐसी बन्दरगाहें हैं जो स्टेट गवर्मेंट्स के पास हैं और कुछ सैंट्रल गवर्नमेंट के पास हैं। एक दूसरे का तालमेश नहीं हैं। नैवी का कंट्रोल नहीं, उनके साथ को-आर्डिनेशन नहीं। सिविल शिप बिल्डिंग में या नैवल शिप-बिल्डिंग में, मेरे इल्म में तो कोई को-आर्डिनेशन नहीं है। उनका आपस में को-आर्डिनेशन होना चाहिये, तभी काम चलेगा, नहीं तो बहुत मुश्किल है। हम यह कहें कि थोड़ा-थोड़ा करते जाते हैं वह काफी नहीं है हम एक्सरसाइज का धोखा नहीं खाना चाहिए वह तो मदारी का तमाशा है। जो हमारे मुख्य दुश्मन हैं जिनके साथ हमारी टक्कर का अंदेशा है वह क्या कर रहा है, और हम क्या कर रहे हैं, उनके मुकाबले में हमारी ताकत क्या है, हम कहां तक आगे बढ़ रहे हैं, इस तरफ मैं आपकी तवज्जह दिलाना चाहता हूं अगर हक सिर्फ एक्सर-साइज को देखें तो ले- मैन को कन्वीन्स हो जाता है कि हमने बहुत कुछ किया है, यह ठीक है कि पहले के मुकाबले में बहुत कुछ किया है। मगर जिनके साथ हमारी टक्कर है, मुकाबला है, जिस वक्त हमें मुकाबला करना होगा, उस वक्त के लिये हम डिफैन्स में क्या कर सकते हैं और उसके लिए कौनसा सैल्फ रिलायेन्ट सिस्टम बना रहे हैं। आज तक हम ज्वानों और अफसरों की बहादूरी पर जीते हैं आगे भी उनकी क्वालिटी जितायेगी, मगर हम क्या करते हैं, हमको पूरी तरह से प्लानिंग करनी चाहिए। हमारी प्लान में सबसे ज्यादा जोर जो देना है वह हमारी इन्टरवल और एक्सटरनल डिफैन्स की ओर देना है, उसके लिए हमें को-आर्डिनेशन करना है। नैवी का दर्जा शायद पहले इतना ज्यादा नहीं था, समुद्र से नहीं था इतना खतरा न हो, लेकिन आज हमको नैवी की तरफ देने की जरूरत है, प्लानिंग की जरूरत है, कोस्ट-लाइन डैवलप करने की जरूरत है। उसके लिये जितनी हार्वर्स हैं, पोट्स हैं, उनको पूरी तरह डैवलप करने की जरूरत है। हमारी शिप-बिल्डिंग कैपसिटी ज्यादा है, उसको हम इसलिए यूटिलाइज नहीं कर सकते कि जो पार्ट्स लगने हैं, मशीनें हैं या दूसरे पार्टस हैं, वह पूरे एवेलेबल नहीं है। इसलिए पूरी कैपेसिटी यूटिलाइज नहीं हो सकती न मर्चेन्टाइज शिप-बिल्डिंग में न नैवल शिपिंग में। सिर्फ इसकी तरफ में आपकी तवज्जह दिलाना चाहता हूं। आज हिन्दमहासागर खतरनाक हो गया है, हम सो नहीं सकते।

इन सब गुजारिशात के साथ मैं इस बिल की पूरी ताइद करता हूं।

श्री योगेन्द्र झा (मधुबनी) : महोदय, नौसेना और नौसेना अधिकारियों पर नौसैनिकों की महत्ता के बारे में और युद्ध पोतों तथा पनडुब्बियों दोनों के मामले में, समुद्र के मामले में तैयारी करने की आवश्यकता पर, इस सदन में और देश में दो मत नहीं हो सकते हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अमरीका हिन्द महासागर को अमरीकी महासागर बनाने का प्रयास कर रहा है। प्रधान मन्त्री हाल ही में अमरीका गई थीं। परन्तु मेरे विचार में उनके इस सुझाव पर कोई ध्यान नहीं दिया गया कि हिन्द महासागर को शासित क्षेत्र बना दिया जाना चाहिए। इस सदन

में मन्त्रियों ने महाशक्तियों के बारे में संदेहास्यपद बातें कही हैं । जबकि सोवियत रूस निरन्तर हिन्द महासागर को शक्ति क्षेत्र बनाने की मांग का समर्थन करता रहा है तथा अमरीका हठधर्मी से इसे स्वीकार करने से इन्कार करता रहा हैं और राष्ट्र संघ के संकल्प के अनुरूप सम्मेलन बुलाने की मांग में व्यवधान डाल रहा है। हम जानते हैं कि हमारा भ्रातृ-सुलभ मारीशस एक छोटा परन्तु बहादुर देश, अपनी संसद में यह विधान पारित कर चुका है कि दियागो-गार्सिया मारीशस का भाग था और रहना चाहिए और अमरीका के वहां से हटा दिया जाना चाहिए।

महोदय, प्रधान मन्त्री हाल ही में मारीशस गई थी और अच्छी बात है कि उन्होंने खुले रूप में उनकी इस मांग का समर्थन किया । आज अमरीका, अटलान्टिक और प्रशान्त महासागरों को छोड़कर हिन्द महासागर को विवाद और परस्पर विरोध के महासागर का हम रूप दे रहा है। ऐसी स्थिति में हमारी तैयारी, विशेष का युद्ध पोतों और पनडुब्बियों तथा अन्य नौसेना हथियारों को रखने के मामले में अपरिहार्य हो गई है क्योंकि हम तीन ओर से समुद्र से घिरे हैं। परन्तु मेरे विचार में विधेयक मुख्य रूप से हुआ नौसेना अधिकारियों और सैनिकों के आन्तरिक अनुशासन से सम्बन्धित है। मैं सारी नौसेना की समस्या और इस विधेयक पर गहराई से विचार प्रकट करना चाहता था। हमारे वैज्ञानिक, हमारे अधिकारी हमारे समुद्री तटों की सुरक्षा हेतु अधिक आधुनिक और अत्याधुनिक नौसेना हथियार बनाने की स्थिति में है, परन्तु उस पर अधिक साधन जुटाने और ध्यान देने की आवश्यकता है। इतना ही नहीं, हमारे पड़ौसी, मित्र और इस क्षेत्र के तटवर्ती छोटे देश आवश्यकता के समय हमारे सहयोग और सहायत की मांग कर सकते हैं और हमें भी उनकी सहायता की आवश्यकता पड़ सकती है। परन्तु यह विधेयक तो आन्तरिक अनुसाधन तक ही सीमित है। परन्तु उसके बारे में भी मुझे कुछ कहना है।

महोदय, आज हमारी राजधानी में एक देखने लायक प्रदर्शन हुआ था जिसमें लाखों लोग हमारी स्वतन्त्रता की क्षा और देश सुरक्षा तथा हिन्द महासागर को शान्ति क्षेत्र बनाने और दियांगों-गार्सिया में अमरीकी युद्ध अड्डों को तोड़ने के बारे में लगाते हुए राजधानी की सड़कों से गुजर रहे थे। यह एक संयोग की बात है कि हम जब यहां पर इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं, देश के लाखों लोगों ने उपयुक्ति मांग को लेकर राजधानी की सड़कों पर मार्च किया। महोदय मेरे विचार में हमारे देश और हमारी संसद को एक स्वर में बोलना चाहिए । मैं नहीं समझता कि इस सदन में कोई बिना स्वर भी है। हम सभी जानते हैं कि हमारे नौसेना अधिकारियों और जवानों को देशभक्ति की परम्परा मिली है। 1946 में इसने स्वतन्त्रता का बिगुल बजता और ब्रिटिश राज्य के विरूद्ध विद्रोह का ध्वज फहराया। यद्यपि हमारे नेताओं ने अंग्रेजों से समझौता करके देश के विभाजन की बात मान ली। यद्यपि हमने समझौता किया परन्तु उन्होंने अंग्रेजी शासन के विरूद्ध विद्रोह किया और अपनी एकता का झंडा फहराया। वह बात नहीं भुलाई जानी चाहिए। प्रायः ऐसी बातें भूलकर हम अपना ही इतिहास गढ़ने लगते हैं।

महोदय, मैं कुछ सुझाव देना चाहूंगा और मेरे विचार में मन्त्री महोदय उन पर ध्यान देंगे। जहां आन्तरिक बल और नौसेना का भी सम्बन्ध है, मेरी मांग है कि सीधी भर्ती से भरे जाने वाले अधिकारियों के अनुपात को घटाकर वर्तमान अधिकारियों में से ही पदोन्नति में वृद्धि

की जानी चाहिए, क्योंकि, बाहर से उपाधि लेने से वास्तविकता से किए गए काम के अनुभव का मूल्य कम नहीं होता है । मैं यह तो नहीं कहता हूं कि अधिकारियों के वर्ग में सीधी भर्ती नहीं की जानी चाहिए, परन्तु वर्तमान अधिकारियों के पदोन्नति अनुपात में वृद्धि की जानी चाहिए ।

दूसरी बात में यह कहना चाहूंगा कि ब्रिटिश शासन काल में नौसेना के अधिकारियों और जवानों के बीच चीन की दीवार जैसी एक दीवार थी । इसे अब जारी नहीं रखने दिया जाना चाहिए । मैं यह नहीं कहता कि यह उसी तरह से जारी हैं या वहीं हालात हैं, लेकिन बहुत कम परिवर्तन हुआ है और हमारे जवानों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता है । हो सकता है कि वे छोटे काम पर लगे हैं या उनकी कम जिम्मेदारी हो या उनका रैंक कम हो; लेकिन वे सभी हमारे नागरिक हैं और उनका एक ही लक्ष्य है—हमारे देश की रक्षा करना । इस संदर्भ में मैं समझता हूं कि नियमों में परिवर्तन की आवश्यकता है, तौर तरीके और प्रणाली में परिवर्तन की आवश्यकता है, तौर तरीके और प्रणाली में परिवर्तन की आवश्यकता है, जिससे कि हमारे लोग समझें कि उन्हें योग्यता के अनुसार पदोन्नति मिल रही है, जैसे कि अधिकारियों बीच के अधिकारियों और इनके समान अन्य लोगों को मिल रही हैं । जहां तक देश की रक्षा का संबंध है, वह भी उतनी ही सेवा कर रहे हैं । इस मामले में वे हमारे तटों की रक्षा कर रहे हैं ।

अतः मैं इन विचारों के साथ, कहना चाहूंगा कि हालांकि वर्तमान विधेयक आपत्तिजनक नहीं है, फिर भी ग्रामीण अवस्था में इसमें कई एक कमियां हैं ।

नौसेना में आंतरिक मामलों में भी अधिकारियों और जवानों की हालत में सुधार करना आवश्यक है । ये अधिकारी और जवान न तो अपनी मजदूर यूनियन बना सकते हैं, और न हड़ताल कर सकते और न ही धरने पर बैठ सकते हैं, लेकिन देश और संसद को यह देखना है कि उसके साथ बुरा बर्ताव न किया जाये, उनके साथ भेदभाव न बरता जाये, और उनमें असन्तोष की भावना न पनपने पाये । इन बातों को ध्यान में रखते हुए, मैं कहना चाहता हूं कि वर्तमान विधेयक से उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो सकती, और मैं समझता हूं कि मन्त्री महोदय मगर अब इसमें और सुधार न भी कर सकने की हालत में हो तो भी कम से कम, मेरे द्वारा सुझाये गये सुझावों को ध्यान में रखते हुए भविष्य में सही कदम उठायेंगे, जिससे कि हमारे अधिकारियों और खासकर जवानों की हालतों में और सुधार हो ।

जहां तक एनडुब्वियों तथा लड़ाकू जहाजों का सम्बन्ध है, जिनका कि निर्माण हम अपने देश में ही अब कर रहे हैं, इस बारे में धन की कमी में बाधा नहीं होनी चाहिए नहीं तो लड़ाई के समय हमारी स्थिति नाजुक हो जायेगी, क्योंकि हमें अपने देश की तीन सीमाओं के तटों की रक्षा करनी है ।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं और आशा करता हूं कि सरकार इन लोगों की आवश्यकताओं की ओर उचित ध्यान देगी ।

श्री के० पी० सिंह देव : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों का बहुत ही अभारी

हूं कि उन्होंने इसे सर्वसम्मति से समर्थन दिया है। चर्चा के दौरान, सदस्यों ने कई एक महत्वपूर्ण सुझाव दिये हैं। इसके अलावा कई एक अन्य मुद्दे भी उठाये गए हैं, जिनका कि इस विधेयक से सम्बन्ध नहीं है। माननीय सदस्यों ने अपने प्रश्नों में युद्धनीति, वेतन कार्मिकों के कल्याण और अन्य स्थानों पर हो रही घटनाओं से सबक लेना आदि का जिक्र किया है।

कुछ माननीय सदस्यों ने इस विधेयक के सम्बन्ध में आशंका व्यक्त की है। श्री योगेन्द्र झा और राजेश कुमार सिंह ने आशंका व्यक्त की है कि शायद यह भेदभावपूर्ण होगा। मैं इस अवसर पर सदन को यह बताना चाहता हूं कि वास्तविकता तो यह है कि इन संशोधन का उद्देश्य इससे बिल्कुल विपरीत है। वास्तव में विश्व की नौसेनाओं में नौसैनिकों द्वारा किए गए छोटे-छोटे अपराधों की उस नौसेना में कमांडिंग अधिकारी द्वारा संक्षिप्त सुनवाई की जाती है। लेकिन भेद-भाव का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। इस विधेयक का उद्देश्य मास्टर चीफ पैंटी आफिसरों के दर्जे के अधिकारियों के पदोन्नति के सम्बन्ध में वरिष्ठता समाप्त करना है। इस संवर्ग की स्थापना 1968 में की गई थी, लेकिन 1974 के संशोधन में की गई थी, लेकिन 1974 केसंशोधन में इसे नहीं लिया जा सका था। वास्तव में इस विधेयक द्वारा लैफ्टिनेंट कमांडर और उससे नीचले दर्जे के अधिकारियों के लिए संक्षिप्त विचारण व्यवस्था लागू करने का विचार है। वास्तव में यह कनिष्ठ अधिकारियों पर भी लागू होगा। सब-लैफ्टिनेंट, लैफ्टिनेंट और लैफ्टिनेंट कमांडरों पर सेना के बराबर ही धारायें लागू होंगी। इसलिए; श्रीमन्, यह भेदभाव वाला नहीं बल्कि इसे मिटाने वाला विधेयक है। पहले चीफ पैटी आफसरो जैसे वरिष्ट नौसेनिकों द्वारा किए गए अपराध के मामले में इन छोटे प्रावधानों या विनियमों को अच्छी प्रकार से लागू नहीं किया जाता था। वेतन रोक देना या छुट्टियां न देना या प्रताड़ना जैसे दण्ड इसमें शामिल नहीं थे। अब इनके सम्बन्ध में पद्य पि व्यवस्था की गई है। इसीलिए यह संशोधी विधेयक लाया गया है।

श्रीमन्, हमारे माननीय साथी जनरल स्पैरो ने ठीक ही कहा है कि कमांड, नियन्त्रण और अनुशासन, सजा और प्रोत्साहन के साथ-साथ चलने चाहिए। अच्छे काम के लिए उन्हें प्रोत्साहन और अनुशासन हिनता की कार्यवाही के लिए उन्हे दण्ड मिलना चाहिए। जहां तक सेना और नौसेना का प्रश्न है, अनुशासन आवश्यक है। इस विधेयक का उद्देश्य उन लोगों को इसके प्रभाव में लाना नहीं है, बल्कि यह भी है कि नौसेना अधिनियम को सेना अधिनियम और वायु सेना अधिनियम के अनुरूप बनाया जाये।

कुछ माननीय सदस्यों ने आशंका का व्यक्त की है कि इस विनियम द्वारा अनुशासन थोपा जा रहा है। मैं इस अवसर पर सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं इस कानून द्वारा अनुशासन लाने की कोशिश नहीं की जा रही है। भारतीय सशस्त्र सेना में चाहे वह दल सेना हो, नौसेना हो या वायु सेना हो, अनुशासन उसके अधिकारियों, जे० सी० ओ० सं० चीफ पैंटी अधिकारियों मास्टर पैंटी अधिकारियों वारंट अधिकारियों के व्यक्तिगत आचरण और कल्याण कार्यो से आता है, और हमारे अधिकारी अन्य लोगों के साथ मिलकर उन्हीं हालतों में सेवा करते हैं, वही खतरा मोल लेते हैं, वही साइज, वही जोखिम और वही व्यवहार हर जगह करते हैं। इसलिए

इस कानून द्वारा कोई अनुशासन नहीं लाया जा रहा, लेकिन जो कार्मिक इस सीमा से बाहर थे, उन्हें इसमें शामिल किया जा रहा है।

श्रीमन् कई सदस्यों ने फॉकलैंड संकट, लेननान युद्ध, ईरान-इराक युद्ध, बम्बई हाई, हमारी तट रेखा और उसके हितों, डियगो गार्शिया, हिन्द महासागर को शान्ति क्षेत्र बनाने समुद्र में हमारे विकास और आर्थिक हितों, राष्ट्रीय सुरक्षा में आधुनिक हथियारों खासकर हथियारों और उपकरणों आदि के निर्माण के बारे में सरकार का ध्यान आकर्षित किया है। मैं इस अवसर पर सदन को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि भारतीय सशस्त्र सेना खासकर नौसेना न केवल युद्ध के परिणामों और बाद में होने वाले असरों को ही परख, जांच रही है, बल्कि सरकार इनसे भी काफी लाभ उठा रही है और हिन्द महासागर में हो रही घटनाओं तथा लेनान संकट, ईरान-इराक यूद्ध, फांकलैण्ड युद्ध के प्रति सजग है और वह इन पर निगरानी रख रही है। इस युद्ध से जो भी जानकारी हमें मिली है, उसकी छानबीन कर रहे हैं। जहां तक आधुनिक हथियारों के निर्माण और अर्जन का सम्बन्ध है, सरकार इनका देश में ही निर्माण करा रही है और आत्म-निर्भर का रहने का प्रयत्न कर रही है। हमारी नौसेना एक संतुलित नौसेना है और जब लोग आधुनिकता और सूक्ष्मता की बात करते हैं तो इन्हें हमारे भूगोलीय राजनीति और रणनीति के महत्व की स्थिति और जिस हालत में हमारी नौसेना रह रही है, उसका भी ध्यान रखना चाहिए। इसलिए अमरीकी या सोवियत संघ की नौसेना से तुलना करने का कोई फायदा नहीं है, उनकी परिस्थिति और भूमिका अलग-अलग हैं, जबकि हमारी नौसेना की भूमिका बिल्कुल भिन्न है और अन्य देशों के मुकाबले हमारे यहां की स्थिति बिल्कुल अलग है।

कुछ सदस्यों ने यह आंशका व्यक्त की है, कि हम अपनी रक्षा कर भी सकते हैं या नहीं। यहां मैं जोर देखकर यह कहना चाहता हूं कि हमारे देश पर आने वाले किसी भी खतरे का सामना करने के लिए हमारी सशस्त्र सेना पूरी तरह से तैयार है, चाहे यह जल, थल या वायु किसी भी ओर से हो। जहां तक चर्चा के दौरान की गई आम टिप्पणियों का प्रश्न है, मैं समझता हूं कि मैंने उनका उत्तर दे दिया है। मैं समझता हूं कि मैंने इस संशोधन लाने के कारणों को स्पष्ट कर दिया है और मैं माननीय सदस्यों द्वारा इसको दिए गए सर्वसम्मत समर्थन के लिए उनका धन्यवाद करता हूं।

जम्मु तथा कश्मीर राज्य विधान सभा द्वारा जम्मू तथा कश्मीर में पुनः या स्थायी रूप से वापस आने की अनुमति दिए जाने से सम्बन्धित राज्य विधेयक 1980 को पास किए जाने के बार में वक्तव्य

अध्यक्ष महोदय : अब प्रधान मन्त्री बोलेंगी।

प्रधान मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : अभी-अभी सूचना मिली है कि जम्मू तथा काश्मीर

विधान सभा में पूर्व पारित रूप में आज जम्मू एण्ड काश्मीर ग्रान्ट आफ परमिट फार रीसैटलमेंट इन (आर० परमानेंट रिटरन टू) द स्टेट बिल 1980 पारित कर दिया है। माननीय सदन को मालूम है कि जम्मू और काश्मीर के राज्यपाल ने अपने इस मत के कारण कि इस बिल में कुछ संवैधानिक त्रुटियां हैं बिल को राज्य विधान सभा के पुनर्विचार के लिए कुछ समय पूर्व वापिस किया था।

पहले हमने शेख मोहम्मद अब्दुल्ला से बात की थी और लिखा भी था कि भारत सरकार माननीय आधार पर किसी भी व्यक्तिगत मामलों पर सहानुभूति पूर्वक विचार करने के लिए तैयार हैं जिन्हें वे नागरिकता प्रदान करना चाहते हैं।

मुझे जानकारी मिली है कि मुख्य मन्त्री, जम्मू और काश्मीर ने विधान सभा में आज यह वक्तव्य दिया है कि भारतीय संविधान के आर्टीकल 143 की धारा 1 के अन्तर्गत बिल को सर्वोच्च न्यायालय लेने का अधिकार है। बताया जाता है कि उन्होंने विधान सभा को आश्वासन दिया है कि राज्य सरकार जब तक सर्वोच्च न्यायालय का मत प्राप्त कर लेती है तब तक इस बिल को कार्यान्वयन नहीं करेगा।

राष्ट्रपति ने पहले ही यह निर्णय ले लिया है कि संविधान के आर्टीकल धारा 143 की धारा 1 के अन्तर्गत बिल की संवैधानिकता के सम्बन्ध में न्यायालय की राय ले ली जाए और अब अलग से कार्यवाही की जा रही है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : क्या मैं प्रधान मन्त्री महोनय से जान सकता हूं कि यदि इस विधेयक को कार्यान्वित किया जाता है तो क्या सरकार कोई कार्यवाही करेगी अथवा चुप रहेगी ?

अध्यक्ष महोदय : अभी नहीं।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : क्यों नहीं ? सारा देश इस बारे में चिन्तित है। हम चुप क्यों रहें ? क्योंकि वे इस बारे में कुछ नहीं कर सकते। (व्यवधान) वह राज्य सभा में उत्तर देने को तैयार हैं। वह इस सभा में उत्तर क्यों नहीं देती ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : सभाओं के नियम मित्र-मित्र हैं।

नौसेना (संशोधन) विधेयक जारी

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि नौसेना अधिनियम, 1957 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पास किए गए रूप में विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

अध्यक्ष महोदय : अब सदन विधेयक पर खण्डवार विचार आरम्भ करेगा। प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 से 11 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खन्ड 2 से 11 विधेयक में जोड़ दिये गए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

श्री के० पी० सिंह देव : मैं प्रस्ताव करता हूं।

"कि विधेयक पास किया जाय।"

श्री हरीश कुमार गंगवार (पीलीभीत) : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से अपना भारतीय नौसेना के समस्त बहादुरों का, बंगलादेश अथवा पाकिस्तान के आक्रमण के समय अथवा अन्य समयों पर दिखाये गए उनके शौर्य के लिए उनका अभिनन्दन करते हुए, माननीय मन्त्री महोदय से मैं जानना चाहता हूं कि क्या उन्हें ज्ञात है कि हमारे पड़ौसी देश पाकिस्तान की नैवी का विंग आज हमसे बहुत मजबूत है, कितनी उसने तैयारी और तरक्की की है ? एक तो उस सम्बन्ध में आपको ध्यान देने की जरूरत है। मैं जानना चाहता हूं कि यदि उस तरफ हमारा ध्यान है तो हमारी नैवल फोर्सेज को और मजबूत करने के लिए आप क्या उपाय कर रहे हैं ?

पिछले कई सालों से नैवल फोर्सेज के बहुत से अफसरों ने इस्तीफे दिए हैं। इस कारण से भी यह हो सकता है कि उनकी कंडीशन्स आफ सर्विसेज ज्यादा अच्छी न रही हों या उन लोगों को घर से बहुत दूर पानी के अन्दर रहना पड़ सकता है, उनके घर वालों को तकलीफ रहती हो, बहुत से लोग उनकी जमीनों पर कब्जा कर लेते हों, अपने बाल-बच्चों को वह देख न पाते हों या और बातें रही हो, तो हमारे जो और विंग हैं,, उनके मुकाबले में यहां के लोगों ने ज्यादा इस्तीफे दिए हैं। क्या आपने इस कारणों को जानने की कोशिश की है ? अगर की हैं तो आगे यह घटना न हो, हमारे आफिसर्स ज्यादा इस्तीफे देकर न जायें इस सम्बन्ध में आपने कोई कार्यवाही की हो तो कृपया बताने का कष्ट करें।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : यह विधेयक प्राथमिक रुप से भारतीय नौसेना के संक्षिप्त विचारण से सम्बन्धित हैं। मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि सशस्त्र सेनाओं में सबसे उच्च स्तर का अनुशासन होना चाहिए। इसके बावजूद भी एक प्रश्न उत्पन्न होता है कि हमारे विधान में प्रत्येक व्यक्ति के समान अधिकारों तथा सुरक्षा की कानूनी रूप से गारंटी दी गयी है। किन जहां तक सशस्त्र सेनाओं के कार्मिकों का सम्बन्ध है उन पर किसी न्यायालय में मुकदमा

नहीं चलाया जाता है और उनको सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने से वंचित रखा जाता है। यह सामान्य न्याय के सिद्धान्त के विरूद्ध है क्योंकि सशस्त्र सेनाओं के कार्मिक भी भारत के नागरिक होते हैं और भारत के नागरिकों के रूप में उनको कोर्ट मार्शल के निर्णय के विरूद्ध देश के उच्च न्यायालय अर्थात उच्चतम न्यायालय में अपील करने का अधिकार हैं।

हाल ही में दी (स्टेटसमेन) में एक लेख प्रकाशित हुआ है, जिसमें मैंने पढ़ा कि सशस्त्र सेनाओं के दो अधिकारियों द्वारा उच्चतम न्यायालय में अपील की गई है। मैं उच्चतम न्यायालय के निर्णय की बात करना नहीं चाहता हूं लेकिन जो प्रश्न सामने आया है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है और मैं मन्त्री-महोदय से यह निवेदन करता हूं कि वे इसकी ओर ध्यान दें। यद्यपि सशस्त्र सेनाओं में उच्च स्तरीय अनुशासन भी आवश्यक है, फिर भी मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सशस्त्र सेनाओं के कार्मिकों को उनके मौलिक अधिकार से वंचित किया जायेगा। जबकि भारत का एक साधारण नागरिक उसका प्रयोग करता है। ऐसा क्यों है ? मुझे आशंका है ···(**व्यवधान**) उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय में मौलिक अधिकारों के इस प्रश्न की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया है, जिसको सशस्त्र सेना के कार्मिकों पर भी लागू किया जाना चाहिये।

उच्चतम न्यायालय के निर्णय को ध्यान में रखते हुए मैं इस सम्बन्ध में सरकार की राय जानना चाहता हूं। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या प्राथमिक रूप में कोर्ट मार्शल से सेना के कार्मिकोंको देश के उच्चतम न्यायालय में अपील करने के अधिकार से वंचित नहीं किया जा रहा है, जबकि भारत के साधारण नागरिक उसका उपयोग कर सकते हैं।

डा० सुब्रह्मण्मण स्वामी (बम्बई-उत्तरपूर्व) क्या आप हमें यह बता सकते हैं कि सोवियत संघ में क्या पद्धती है ?

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : मैं भारतीय संसद का सदस्य हूं और मैं केवल भारतीय राजनीति से ही सम्बन्धित हूं। वह सुप्रीम सोवियत के बारे में जानते होंगे। (**व्यवधान**)

एक माननीय सदस्य : वह चीन की संसद के लिए पहले ही निर्वाचित हो चुके हैं (**व्यवधान**)

रक्षा मन्त्री (श्री आर० वेंकटरामन) : अध्यक्ष महोदय, एक माननीय सदस्य ने यह बताया है कि भारतीय नौसेना के कार्मिकों ने काफी संख्या में त्यागपत्र दिये गये हैं। यह तथ्य सही नहीं है। कुछ त्यागपत्र पूर्णत: व्यक्तिगत आधारों पर दिये गये हैं। कुछ व्यक्तिगत कारणों से कुछ लोगों ने राहत पाने के लिए अनुरोध किया है और राहत प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा अनुमति दी जानी चाहिये। सरकार इन मामलों में से प्रत्येक के गुण के आधार पर विचार करती है और उसके पश्चात उनको त्यागपत्र देने की अनुमति दी जाती है कुछ मामलों में मना भी कर दिया जाता है। यह कथन कि भारतीय नौसेना से काफी संख्या में त्यागपत्र प्राप्त हुए हैं सही नहीं है। हम यह देखने का प्रयत्न करते हैं कि सशस्त्र सेनाओं के वैद्य हितों की सुरक्षा की जाये और जब ये व्यक्ति समुद्र तथा आकाश में सीमा पर कार्य करें तब उनके कल्याण की ओर ध्यान दिया जाये ओर उनके परिवारों को भी पर्याप्त सुविधायें दी जायें। प्रो० चकवर्ती जी के द्वारा जो

दूसरी बात उठायी गई है वह भारत के संविधान से सम्बन्धित है और सरकार की स्थिति यह है कि सरकार संविधान के अनुसार कार्य करती है। संविधान के अनुच्छेद 33 में कहा गया है—

"संसद विधि द्वारा निर्धारित कर सकेगी कि इस भाग द्वारा दिये गये अधिकारों में से किसी को सशस्त्र बलों अथवा सार्वजनिक व्यवस्था भार वाले बलों के सदस्यों के लिए प्रयोग होने की अवस्था में किस मात्रा तक निर्बान्धित या निराकृत किया जाए ताकि उनसे कर्त्तव्यों का उचित पालन तथा उनमें अनुशासन बना रहना सुनिश्चि रहे।"

अतः अनुशासन बनाये रखने के लिए संविधान द्वारा सरकार को जो भी अधिकार दिये गये हैं उनका सरकार के द्वारा उपयोग किया जायेगा। सरकार संविधान का अनुभव तथा उसके अनुसार कार्य करेगी।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : मंत्री महोदय ने संविधान का नाम नहीं बताया है।

अध्यक्ष महोदय : लिखित संविधान।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

आवश्यक सेवा (असम) अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकट सुब्बय्या) : मैं असम सरकार अधिसूचना संख्या पी० एल० ए० 906/82/125 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो 30, सितम्बर, 1982 के असम सरकार के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम,1955 के अधीन भारत सरकार द्वारा घोषित आवश्यक वस्तुओं के किसी ऐसे स्थापन या किसी दुकान, जिसे असम व्यापार वस्तु (अनुज्ञापन और नियंत्रण) आदेश, 1982 और असम उच्च गति डीजल तेल (वितरण और नियंत्रण) आदेश, 1981 तथा असम धान और चावल उपापन निनुज्ञापन और उद्ग्रहण) आदेश, 1981 के अधीन अनुज्ञापन दिया गया है, में की सेवाओं और आवश्यक वस्तु अधिनियम,1981 द्वारा यथासंशोधित आवश्यक सेवा (असम) अधिनियम, 1980 की धारा 2 की उपधारा (2) के अधीन असम सार्वजनिक वस्तु वितरण आदेश,1882 के अधीन नियुक्त तथा अनुज्ञप्त व्यवहारियों के स्थापन या दुकानों में की सेवाओं को आवश्यक सेवायें घोषित किया गया है, सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई देखिए संख्या एल० टी० 5416/82]

कार्य मन्त्रणा समिति

पैंतीसवां प्रतिवेदन

निर्माण और आवास मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग के राज्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : महोदय मैं कार्य मंत्रणा समिति के पैंतीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : यह मंत्री महोदय का पहला लक्ष्य था।

अध्यक्ष महोदय : बहुत ही संक्षिप्त। संक्षिप्तता में ही बुद्धिमत्ता है

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की एक और किश्त देने तथा कुम्टुब पेंशन भोगियों समेत पेंशन भोगियों को राहत देन के बारे में वक्तव्य

वित्त मंत्री (श्री प्रवण मुकर्जी) : महोदय मैं, आपकी अनुमति से यह वक्तव्य दे रहा हूं। केन्द्रीय सरकरी कर्मचारीयों के लिए महंगाई भत्ते की विद्यमान योजना के अन्तर्गत कामगरों के लिए, (आधार = 1960), अखिल भारतीय औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के 12 महीने के औसत में प्रत्येक 8 अकों की वृद्धि होने के बाद महंगाई भत्ते की एक किस्त की स्वीकृति पर किया जाता है ! इस आधार पर महंगाई भत्ते की पिछली किश्त औसत सूचकांक स्तर 448 के संदर्भ में 1.4.1982 से स्वीकृत्त की गई थी। मई, 1982 के अन्त में औसत सूचकांक 456.08 हो गया और इस प्रकार 8 अकों की और आगे वृद्धि हो गई। परिणाम स्वरूप केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को 1.6.1982 से महंगाई भत्ते की एक एक और किश्त विचार किए जाने योग्य हो गई। सरकार ने अब इस किश्त को उन्हें देने का निर्णय कर लिया है ! महंगाई भत्ते की एक किश्त 1600/ रुपये प्रतिमास तक वेतन पाने वाले कर्मचारी को स्वीकार्य होगी इस किश्त की अदायगी किये जाने से सरकार को चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 52.50 करोड़ रूपये खर्च करने होंगे जबकि पूरे वर्ष में एक किश्त की अनुमति लागत 70·00 करोड़ रुपये होगी। इस किश्त की अदायगी के लिए शीघ्र ही आदेश जारी किए जाऐंगे।

2. विद्यमान व्यवस्था के अन्तर्गत औसत सूचकांक में जब 8 अंकों की वृद्धि हो जाती है तो उसके बाद परिवार पेंशन भोगियों सहित केन्द्रीय सरकारी पेंशनभोगियों को राहत की एक किश्त भी विचार किये जाने योग्य हो जाती है। इस आधार पर राहत की पिछली किश्त 1.4.1982 से स्वीकृत की गई थी। सरकार ने परिवार पेंशन भोगियों सहित पेंशन भोगियों को 1.6,1982 से राहत की और आगे किश्त की अदायगी करने का भी फैसला किया है इससे सरकार को चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 4.50 करोड़ रुपये खर्च करने होंगे जबकि पूरे वर्ष में

राहत की एक और किश्त की अनुमानित लागत 6.00 करोड़ रुपये होगी । इस किश्त की अदायगी के लिए आदेश शीघ्र जारी कर दिये जाएंगे ।

अध्यक्ष महोदय : सभा कल 11 बजे तक के लिए स्थगित होती है ।

तत्पचात लोक सभा मंगलवार, 5 अक्तूबर, 1982/13 अश्विन, 1904 (शक) के 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई ।

प्रबन्धक—आर०आर० गुप्ता प्रेस, 472 पं० रामचन्द्र देहलवी मार्ग, दिल्ली-110006 द्वारा मुद्रित ।